P 81
26375

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट
REPORT ON TREND AND PROGRESS OF BANKING IN INDIA
(जुलाई-जून) 1988-89 (JULY-JUNE)

R.B.I.
GD 26375

गवर्नर
GOVERNOR

भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
बंबई

RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
BOMBAY

प्रेषण-पत्र
LETTER OF TRANSMITTAL

जनवरी 8, 1990
पौष 18, 1911 (शक)

सचिव,
भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
नयी दिल्ली-110 001.

प्रिय महोदय,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (2) के उपबंधों के अनुसरण में 30 जून, 1989 को समाप्त वर्ष के लिए "भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट" की दो प्रतियां मैं इसके साथ प्रेषित करता हूं।

भवदीय,

(रा.ना. मलहोत्रा)
गवर्नर

January 8, 1990
Pausa 18, 1911 (Saka)

The Secretary to the
Government of India,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
New Delhi-110 001.

Dear Sir,

In pursuance of the provisions of Section 36(2) of the Banking Regulation Act, 1949, I transmit herewith two copies of the Report on Trend and Progress of Banking in India for the year ended June 30, 1989.

Yours faithfully,

(R.N. Malhotra)
Governor

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(2) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत
30 जून, 1989 को समाप्त वर्ष के लिए भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट

Report on Trend and Progress of Banking in India for the year ended June 30, 1989 submitted to the Central Government in terms of Section 36(2) of the Banking Regulation Act, 1949

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 1988-89 (जुलाई-जून)
REPORT ON TREND AND PROGRESS OF BANKING IN INDIA, 1988-89 (July-June)

मूल्य : 45.00 रुपये (15 अम. डॉलर)
Price : Rs. 45.00 (U.S. $ 15)

विषय वस्तु

पृष्ठ संख्या

अध्याय I
प्रस्तावना 1

बैंक राष्ट्रीयकरण के दो दशक 6

अध्याय II
वाणिज्य बैंकिंग

1. **विहगावलोकन** 10
2. **सामान्य बैंकिंग प्रवृत्तियां** 10
   - जमाराशियों की प्रवृत्तियां 10
   - जमाराशियों की मौसमी प्रवृत्तियां 12
   - मांग और मीयादी जमाराशियों में वृद्धि 12
   - ऋण की प्रवृत्तियां 13
   - ऋण में मौसमी प्रवृत्तियां 13
   - निवेश और नकदी शेष राशियां 13
3. **ऋण नीति में हुई गतिविधियां** 13
4. **अनिवासी जमा खाते** 31
   - अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता एवं विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजनाओं के अंतर्गत उपचय 31
   - अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज दरें 32
5. **अल्पावधि मुद्रा बाज़ार की गतिविधियां** 33
   - भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड 33
   - वाणिज्यिक बिलों की पुनर्भुनाई 36
   - 182 दिवसीय खजाना बिलों की नीलामी 37
   - मांग मुद्रा दर की समाप्ति 37
6. **ऋण लक्ष्य तथा उपलब्धियां** 40
   - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम 40
   - प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली 41

CONTENTS

		Page No.
	CHAPTER I **INTRODUCTION**	1
	Two Decades of Bank Nationalisation	6
	CHAPTER II **COMMERCIAL BANKING**	
1.	**Overview**	10
2.	**General Banking Trends**	10
	Trends in Deposits	10
	Seasonal Trends in Deposits	12
	Growth in Demand and Time Deposits	12
	Trends in Credit	13
	Seasonal Trends in Credit	13
	Investments and Cash Balances	13
3.	**Developments in Credit Policy**	13
4.	**Non-Resident Deposits Accounts**	31
	Accretions under NRE and FCNR Schemes	31
	Interest Rates on Non-Resident Deposits	32
5.	**Developments in the Short-term Money Market**	33
	Discount and Finance House of India Ltd.	33
	Rediscounting of Commercial Bills	36
	182 Days Treasury Bills Auctions	37
	Freeing of the Call Money Rate	37
6.	**Credit Targets and Achievements**	40
	Priority Sector Advances by Public Sector Banks	40
	Recovery of Direct Agricultural Advances	41

		पृष्ठ संख्या
	वसूली कार्य निष्पादन में सुधार के लिए किये गये उपाय	42
	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण दान–निजी क्षेत्र के भारतीय बैंकों का कार्य निष्पादन	42
	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से संबंधित लक्ष्य– विदेशी बैंक	43
	कमजोर वर्गों को अग्रिम	43
	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को ऋण सुविधाएं	43
	अल्प संख्यक समुदायों को ऋण	43
	विभेदक ब्याज दर योजना	43
	मीयादी ऋणों पर ब्याज लगाने के उद्देश्य से कृषकों का वर्गीकरण	44
	कृषि अग्रिमों के लिए मार्जिन राशि तथा प्रतिभूति संबंधी मानदंड	44
	20-सूत्री कार्यक्रम	44
	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सग्राविका)	45
	शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना	46
	शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार योजना	46
	विशिष्ट खाद्यान्न उत्पादन के लिए ऋण- 1988-89 और 1989-90	46
	आंध्र प्रदेश के दंगा पीड़ितों को बैंक से सहायता	46
	जम्मू तथा ऊधमपुर के दंगापीड़ितों को बैंक सहायता	47
	पंजाब में उद्योग के लिए ऋण संबंधी रियायतें	47
	आवास-वित्त–बैंकों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत	47
7.	**ऋण का क्षेत्रीय वितरण**	49
	ऋण–जमा अनुपात	49
	ऋण–जमा अनुपात का क्षेत्रवार और राज्यवार विश्लेषण	49
	ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ऋण–जमा अनुपात	49
8.	**शाखा विस्तार और बैंकिंग का क्षेत्रीय विस्तार**	51
	शाखा लाइसेंसीकरण और शाखा विस्तार नीति तथा प्रगति	51
	ग्रामीण शाखा विस्तार	60
	अग्रणी बैंक योजना	60
	जिला ऋण योजनाएं और वार्षिक कार्य योजनाएं	60

		Page No.
	Steps Taken to Improve Recovery Performance	42
	Priority Sector Lendings–Performance of Private Sector Indian Banks	42
	Priority Sector Targets–Foreign Banks	43
	Advances to Weaker Sections	43
	Credit Facilities to Scheduled Castes and Scheduled Tribes	43
	Credit to Minority Communities	43
	Differential Rate of Interest Scheme	43
	Classification of Farmers for the Purpose of Charging Interest on Term Loans	44
	Margin Money and Security Norms for Agricultural Advances	44
	20-Point Programme	44
	Integrated Rural Development Programme (IRDP)	45
	Self-Employment Scheme for Educated Unemployed Youth (SEEUY)	46
	Self-Employment Programme for Urban Poor (SEPUP)	46
	Credit for Special Foodgrains Production Programme– 1988-89 and 1989-90	46
	Banks' Assistance to Riot Affected Victims of Andhra Pradesh	46
	Banks' Assistance to Riot Affected Victims of Jammu & Udhampur	47
	Credit Relaxations to Industries in Punjab	47
	Housing Finance Guidelines to Banks	47
7.	**Regional Dispersal of Credit**	49
	Credit-Deposit Ratio	49
	Region-wise and State-wise Analysis of Credit-Deposit Ratio	49
	Credit-Deposit Ratio in Rural and Semi-Urban Centres	49
8.	**Branch Expansion and Regional Spread of Banking**	51
	Branch Licensing and Branch Expansion Policy and Progress	51
	Rural Branch Expansion	60
	Lead Bank Scheme	60
	District Credit Plans (DCPs) and Annual Action Plans (AAPs)	60

		पृष्ठ संख्या
	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड को बैंक ऋण	61
	भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता	61
9.	**ग्रामीण ऋण और सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण**	61
	ग्रामीण विकास के लिये नयी नीति–सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण	61
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक–क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति	62
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शाखा विस्तार कार्यक्रम	62
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य	62
	राष्ट्रीय बैंक से पुनर्वित्त	64
	प्रायोजक बैंकों और अन्य संस्थाओं से पुनर्वित्त	64
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1987	64
	अनुसंधान और विकास निधि	65
	ग्रामीण क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण की आपूर्ति की समीक्षा करने के लिए कार्यकारी दल	65
	कृषि ऋण पुनरीक्षण समिति	65
10.	**ऋण अनुशासन**	66
	ऋण निगरानी व्यवस्था	66
	ऋण प्राधिकरण योजना की कार्य पद्धति	67
	वस्तु-सूची/प्राप्यों से संबंधित मानदंडों का पुनरीक्षण–स्पेयर्स के लिए मानदंड	67
	उर्वरक उद्योग	67
	वस्त्र उद्योग	68
	कागज उद्योग	68
	आटा चक्की मिल उद्योग	68
	हीरा उद्योग	69
	पेराई मौसम 1988-89 के लिए चीनी उद्योगों को अग्रिम	69
	चूककर्ता उधारकर्ताओं पर वित्तीय अनुशासन लागू करने के उपाय	70
	ऋण-दान विषयक अनुशासन–त्रैमासिक सूचना प्रणाली	70
	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा मीयादी ऋण प्रदान करना	70
	निदेश समिति	71
	चीनी उद्योग के लिए स्थायी समिति	71

		Page No.
	Bank Credit to National Handloom Development Corporation Ltd. (NHDC)	61
	Financial Assistance to Ex-servicemen (PEXSEM)	61
9.	**Rural Credit and Service Area Approach**	61
	New Strategy for Rural Development- Service Area Approach	61
	Regional Rural Banks-Progress of Regional Rural Banks (RRBs)	62
	Branch Expansion Programme of RRBs	62
	Operations of RRBs	62
	Refinance from National Bank	64
	Refinance from Sponsor Banks and Other Institutions	64
	RRB (Amendment) Act, 1987	64
	R & D Fund	65
	Working Group to Review the Flow of Institutional Credit for Rural Sector	65
	Agricultural Credit Review Committee	65
10.	**Credit Discipline**	66
	Credit Monitoring Arrangement (CMA)	66
	Working of CAS	67
	Revision of Inventory/Receivable Norms– Norms for Spares	67
	Fertilizer Industry	67
	Textile Industry	68
	Paper Industry	68
	Flour Mill Industry	68
	Diamond Industry	69
	Advances to Sugar Industry for 1988-89 Crushing Season	69
	Measures to Enforce Financial Discipline on Defaulting Borrowers	70
	Lending Discipline-Quarterly Information System (QIS)	70
	Term Lending by Scheduled Commercial Banks	70
	Committee of Direction (COD)	71
	Standing Committee for Sugar Industry	71

		पृष्ठ संख्या
	चाय उद्योग के लिए स्थायी समिति	71
	संघीय सहायता के आधार पर बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की एकल गवाक्षीय संकल्पना	71
	अढ़तिया सेवाओं पर अध्ययन दल	72
11.	**निर्यात ऋण**	74
	निर्यात ऋण (ब्याज अनुदान) योजना, 1968	74
	शुल्क वापसी ऋण योजना, 1976	74
	महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन	74
	बैंकों का निर्यात ऋण निष्पादन	75
	निर्यात वित्त पर स्थायी समिति	76
	अखिल भारतीय निर्यात परामर्शदात्री समिति	76
	परियोजना निर्यातों के लिए कार्य दल	76
12.	**औद्योगिक रुग्णता और बैंक ऋण**	76
	रुग्ण औद्योगिक उपक्रम	76
	रुग्ण लघु उद्योगेतर और लघु उद्योग इकाइयां	77
	रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयां	78
13.	**संगठनात्मक मामले/समस्यायें**	78
	बैंककारी, लोक वित्तीय संस्था और पराक्रम्य लिखत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1988	78
	बैंकों में प्रशिक्षण व्यवस्था के समन्वय, निगरानी और मार्गदर्शन के समन्वय समिति की तीसरी बैठक	79
	बैंक की लेनदारियां वसूल करने के लिए न्यायालय की डिक्रियों को लागू करना	79
	बैंक को लाइसेंस प्रदान करना	80
	समामेलन	80
	परिसमापन	80
	विदेशों में भारतीय बैंकों के कार्यालय	80
	बैंकिंग अनुषंगी शाखाएं/जमा संग्रह करनेवाली कंपनियां	81
	भारत में विदेशी बैंक	81
	विदेशों में भारतीय बैंकों के परिचालनों पर कार्यकारी दल	81

		Page No.
	Standing Committee for Tea Industry	71
	Single Window Concept for Lending (SWCL) by Banks on Consortium Advances	71
	Study Group on Factoring Services	72
11.	**Export Credit**	74
	Export Credit (Interest Subsidy) Scheme, 1968	74
	Duty Draw-Back Credit Scheme, 1976	74
	Important Policy Changes	74
	Export Credit Performance of Banks	75
	Standing Committee on Export Finance (SCEF)	76
	All-India Export Advisory Committee (AIEAC)	76
	Working Group for Project Exports	76
12.	**Industrial Sickness and Bank Credit**	76
	Sick Industrial Undertakings	76
	Sick non-SSI and SSI Units	77
	Sick Small-Scale Industrial Units	78
13.	**Organisational Matters/Issues**	78
	Banking, Public Financial Institutions and Negotiable Instruments Laws (Amendment) Act, 1988	78
	Third Meeting of the Standing Co-ordination Committee to Co-ordinate, Monitor and Guide Training Arrangements in Banks	79
	Execution of Court Decrees towards Realisation of Bank Dues	79
	Licensing of Banks	80
	Amalgamation	80
	Liquidation	80
	Indian Banks' Offices Abroad	80
	Banking Subsidiaries/Deposit-taking Companies	81
	Overseas Banks in India	81
	Working Group on Operations of Indian Banks Abroad	81

		पृष्ठ संख्या
	बैंकों का पूंजीगत आधार	82
	पूंजीगत लाभ लेखा योजना, 1988	82
	न्यूनतम पूंजी एवं प्रारक्षित राशि की अपेक्षाएं--विदेशी बैंक	82
	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कारोबार के परिणाम	83
	बैंकों के लिए कार्य योजना : 1988-90	84
	बैंकों में हिन्दी की प्रगति/हिन्दी का प्रयोग	85
14.	**बैंकों में नयी तकनीक**	85
	बैंकिंग उद्योग में मशीनीकरण/कम्प्यूटरीकरण	85
	मशीनीकृत चेक अभिसंस्करण तथा समाशोधन गृह निपटान संबंधी कार्यों का कम्प्यूटरीकरण	86
	दूरसंचार संबंधी नेटवर्क	87
15.	**ग्राहक सेवा और संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत**	88
	बैंकों में ग्राहक सेवा का सर्वेक्षण	88
	सार्वजनिक भविष्य निधि खाते खोलना	88
	मृतक ग्राहकों के खाते में शेष राशि का उत्तर जीवियों/दावेदारों को भुनतान	88
	ड्राफ्टों का नकदीकरण	88
	ग्रामीण शाखाओं द्वारा गैर कारोबारी कार्य दिवस मनाना	89
	डाक अंतरण द्वारा प्रेषण	89
	मीयादी जमाराशियों पर ब्याज की अदायगी	89
	भारत में विभिन्न एसोसियेशनों/संगठनों द्वारा विदेशी अभिदानों की प्राप्ति	89
	सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा	90
	दान	90
	शेयरों और डिबेंचरों के लिए आवेदित राशियों की व्यवस्था	90
	ग्राहक कष्ट निवारण	90
16.	**विविध**	91
	बैंकों का निरीक्षण	91
	राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों का गठन	91

		Page No.
	Capital Base of Banks	82
	Capital Gains Accounts Scheme, 1988	82
	Minimum Capital and Reserve Requirements- Foreign Banks	82
	Working Results of Scheduled Commercial Banks	83
	Action Plans for Banks : 1988-90	84
	Promotion/Use of Hindi in Banks	85
14.	**New Technology in Banking**	85
	Mechanisation/Computerisation in the Banking Industry	85
	Mechanised Cheques Processing and Computerisation of Clearing House Settlements Operations	86
	Telecommunication Network	87
15.	**Customer Service and Related Guidelines**	88
	Survey on Customer Service in Banks	88
	Opening of PPF Accounts	88
	Payment of Balance in Accounts of the Deceased Customers to Survivors/Claimants	88
	Encashment of Drafts	88
	Observance of Non-Business Working Day by Rural Branches	89
	Remittances by Mail Transfers	89
	Payment of Interest on Fixed Deposit	89
	Receipt of Foreign Contribution by Various Associations/Organisations in India	89
	Safe Deposit Locker Facility	90
	Donations	90
	Treatment of Application Moneys for Shares and Debentures	90
	Customer Grievances Redressal	90
16.	**Miscellaneous**	91
	Inspection of Banks	91
	Composition of the Boards of Directors of Nationalised Banks	91

	पृष्ठ संख्या
बैंकों में धोखाधड़ी	91
सतर्कता कक्ष	92
बैंकों में सुरक्षा प्रबंध	92
स्थगन आदेश	93
सरकारी गारंटियां	93

अध्याय III
सहकारी बैंकिंग

1.	**विहगावलोकन**	103
2.	**सहकारी ऋण संस्थाओं की प्रगति**	103
3.	**राष्ट्रीय बैंक के कार्यकलाप**	109
	राष्ट्रीय बैंक के संसाधन	109
	कृषि और अन्य संबंधित कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय बैंक की सहायता	110
	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति	113
	प्रक्रियाधीन परियोजनाएं	114
	महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन	114
4.	**राज्य भूमि विकास बैंक**	117
	राज्य भूमि विकास बैंकों का ऋण कार्यक्रम और संसाधन	117
	भूमि विकास बैंकों द्वारा शेयरों की खरीद के लिए दीर्घावधि ऋण जारी करना	118
	भूमि विकास बैंकों द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों को दीर्घावधि ऋण जारी करना	119
	प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित क्षेत्रों में चालू मांग का स्थगन	119
	राज्य भूमि विकास बैंकों की पुनर्व्यवस्था का कार्यक्रम	119
	भूमि विकास बैंक ढांचे को मजबूत करने के लिए कार्रवाई कार्यक्रम	119
5.	**राष्ट्रीय बैंक से पुनर्वित्त सहायता**	120
	योजनाबद्ध उधार देना	120
	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	122

		Page No.
	Frauds in Banks	91
	Vigilance Cell	92
	Security Arrangements in Banks	92
	Moratorium	93
	Government Guarantees	93

CHAPTER III
CO-OPERATIVE BANKING

1.	**Overview**	103
2.	**Progress of Credit Co-operatives**	103
3.	**Operations of the National Bank**	109
	Resources of the National Bank	109
	National Bank's Assistance to Agriculture and other Allied Activities	110
	Progress of Externally Aided Projects	113
	Projects in Pipeline	114
	Important Policy Changes	114
4.	**State Land Development Banks (SLDBs)**	117
	Lending Programme and Resources of SLDBs	117
	Issue of Long-term Loans by LDBs for Purchase of Shares in Co-operative Sugar Factories	118
	Issue of Long-term Loans to Individuals by LDBs for Purchase of Shares in Co-operative Spinning Mills	119
	Postponement of Current Demand in Areas Affected by Natural Calamities	119
	Rehabilitation Programme of SLDBs	119
	Action Programme for Strengthening of LDB Structure	119
5.	**Refinance Assistance from National Bank**	120
	Schematic Lending	120
	Integrated Rural Development Programme (IRDP)	122

		पृष्ठ संख्या
	ऊसर भूमि का विकास	124
	बुनकरों के लिए वित्त	124
6.	**प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक**	124
	प्राथमिक सहकारी बैंकों की प्रगति	124
	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में प्राथमिक सहकारी बैंकों को शामिल करना	125
	लाइसेंस देना और निरीक्षण	125
	अल्पावधि ऋण सीमाएं	126
	स्टॉक संबंधी मानदंड	126
	जमाराशि संबंधी ब्याज दरें	126
	रुपये में अनिवासी (विदेशी/सामान्य) खाता खोलना और रखना	126
	अग्रिमों के संबंध में ब्याज दर	126
	शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम	127
	आवास के लिए दिये गये अग्रिमों पर ब्याज दरें	127
	आवास योजनाओं के लिए सहकारी बैंक से वित्त	127
	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये जानेवाले ऋण	128
	ऋण खातों के लिए अनुप्रवर्तन प्रणाली (स्थिति संबंधी कूट)	128
7.	**सहकारी संरचना का सुदृढ़ीकरण एवं भावी विकास**	128
	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का पुनर्गठन	128
	पुनर्गठित कृषि ऋण समितियों के भविष्य की योजना	128
	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) तथा बृहत् आदिवासी बहु-उद्देश्यीय समितियों (लैम्प्स) के विकास के लिए 15–सूत्री कार्यक्रम	129
	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के विकास के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	129
	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के अर्थक्षमता संबंधी मानदण्डों का पुनरीक्षण	129
	योजनाबद्ध ऋण-दान के लिए पात्रता संबंधी संशोधित मानदंड	130
	कमज़ोर मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों का पुनःस्थापन	130
	12-सूत्री कार्य योजना	130
	अनुसंधान एवं विकास निधि	131
8.	**अन्य गतिविधियां**	132
	ऋण प्राधिकरण योजना	132
	लघु सिंचाई	132
	सोने/चांदी के आभूषणों की जमानत पर तथा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए ऋण जारी किया जाना	132

		Page No.
	Wastelands Development	124
	Weavers' Finance	124
6.	**Primary (Urban) Co-operative Banks**	124
	Progress of PCBs	124
	Inclusion of PCBs to the Second Schedule of the RBI Act.	125
	Licensing and Inspection	125
	Short-term Credit Limits	126
	Inventory Norms	126
	Interest Rates on Deposits	126
	Opening and Maintaining Non-Resident (External/Ordinary) Accounts in Rupees	126
	Interest Rate on Advances	126
	Advances against Shares and Debentures	127
	Rate of Interest on Advances for Housing	127
	Co-operative Bank Finance for Housing Schemes	127
	Priority Sector Lending	128
	Credit Monitoring System (Health Code) for Borrowal Accounts	128
7.	**Strengthening and Future Development of the Co-operative Structure**	128
	Reorganisation of PACS	128
	Planning for the Future of Reorganised PACS	128
	15-Point Programme for Development of PACS and LAMPS	129
	State-Sponsored Programme for Development of PACS	129
	Revision of Viability Norms for PACS	129
	Revised Eligibility Criteria for Schematic Lending	130
	Rehabilitation of weak CCBs/SCBs	130
	12-Point Action Programme	130
	Research and Development Fund	131
8.	**Other Developments**	132
	Credit Authorisation Scheme	132
	Minor Irrigation	132
	Issue of Loans against Gold/Silver Ornaments and for Consumer Durables	132

पृष्ठ संख्या

प्राकृतिक वर्षा पर आधारित कृषि संबंधी प्रायोजित परियोजना क्षेत्र में आवर्ती ऋण के लिए पुनर्वित्त 133
अल्पावधि कृषि ऋण अग्रिमों पर ब्याज दरें 133
अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज दरों में कमी किये जाने के कारण वित्तीय अनुशासन में ढील 134
बैंकों का निरीक्षण 134
भारतीय रिज़र्व बैंक/राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों/नीति निदेशों का अनुपालन 134

9. अध्ययन दल/समितियां/कार्यकारी दल 135
लाख पर अध्ययन दल का गठन 135
चुने हुए राज्यों में हथकरघा सहकारी संस्थाओं की समस्याओं पर अध्ययन 135
उपयोगिता संबंधी अध्ययन 135

अध्याय IV
अन्य वित्तीय संस्थाएँ

1. विहगावलोकन 136

2. वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक की सहायता 136

3. मीयादी ऋणदात्री और निवेशकर्त्री संस्थाओं के कार्यकलाप 138

4. कंपनी निवेश 139

5. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 140

6. भारतीय यूनिट ट्रस्ट 143

7. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम 146
निक्षेप बीमा कार्य 146
प्रत्यय गारंटी कार्य- छोटे ऋण कर्ताओं से संबंधित कार्य 146
लघु उद्योगों से संबंधित प्रत्यय गारंटी योजनाएँ 147
विशेषज्ञ समिति 149

8. भारतीय पर्यटन वित्त निगम 149

9. भारतीय निर्यात आयात बैंक 150

10. राष्ट्रीय आवास बैंक 152

11. राज्य वित्त निगम 155

		Page No.
	Refinance for Providing Cyclical Credit in Pilot Rainfed Farming Project Areas	133
	Interest Rates on Short-term Agricultural Advances	133
	Relaxation in Financial Discipline on Account of Reduction in Interest Rates on Short-term Agricultural Loans	134
	Inspection of Banks	134
	Compliance with Instructions/Policy Directives Issued by the Reserve Bank/National Bank	134
9.	**Study Teams/Committees/Working Groups**	135
	Constitution of a Study Group on Lac	135
	Study on Problems of Handloom Co-operatives in Selected States	135
	Utilisation Studies	135

CHAPTER IV
OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS

1.	**Overview**	136
2.	**RBI Assistance to Financial Institutions**	136
3.	**Operations of Term-lending and Investing Institutions**	138
4.	**Corporate Investment**	139
5.	**Industrial Development Bank of India**	140
6.	**Unit Trust of India**	143
7.	**Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation**	146
	Deposit Insurance Function	146
	Credit Guarantee Function-Schemes Relating to Small Borrowers	146
	Credit Guarantee Schemes relating to Small-Scale Industries	147
	Expert Committee	149
8.	**Tourism Finance Corporation of India (TFCI)**	149
9.	**Export-Import Bank of India**	150
10.	**National Housing Bank**	152
11.	**State Financial Corporations**	155

सारणियों, परिशिष्टों तथा ग्राफों की सूची

सारणी संख्या		पृष्ठ संख्या
	अध्याय II : वाणिज्य बैंकिंग	
II.1	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आँकड़े	11
II.2	कुल जमाराशियों में वृद्धि : त्रैमासिक	11
II.3	माँग और मीयादी जमाराशियों में वृद्धि : त्रैमासिक	12
II.4	आवास वित्त पर उधार दरें	17
II.5	तिलहनों और वनस्पति तेलों पर न्यूनतम मार्जिन	18
II.6	निर्यात ऋण पर ब्याज दरें	19
II.7	ऋण की उच्चतम सीमा का स्तर	21
II.8	जमाराशियों पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज की दरें (विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों/अनिवासी बाह्य रुपया खातों को छोड़कर)	22
II.9	चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आनेवाले पण्यों के स्टॉक पर बैंक अग्रिम के संबंध में न्यूनतम मार्जिन	25
II.10	सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार वितरण	27
II.11	सकल बैंक ऋण का उद्योगवार वितरण	28
II.12	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से सहायता	29
II.13	अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता एवं विदेशी मुद्रा अनिवासी योजनाओं के अंतर्गत अंतर्वाह	31
II.14	अनिवासी भारतीय जमाराशि-संबंधी देयताएँ	32
II.15	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता जमाराशियों पर ब्याज दरें	32
II.16	182 दिवसीय खजाना बिलों तथा वाणिज्यिक बिलों की भारतीय मितीकाटा और वित्तगृह लिमिटेड की धारिताएँ	33
II.17	182 दिवसीय खजाना बिलों तथा वाणिज्यिक बिलों में भारतीय मितीकाटा और वित्तगृह लिमिटेड का संचयी पण्यावर्त	34
II.18	भारतीय मितीकाटा और वित्तगृह लिमिटेड को रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त	35
II.19	भारतीय मितीकाटा और वित्तगृह लिमिटेड को रिज़र्व बैंक के पुनर्वित्त की ब्याज दरें	36
II.20	भारत सरकार के 182 दिवसीय खजाना बिल	38
II.21	शीर्ष सीमा दर की समाप्ति के बाद माँग मुद्रा दरें	39
II.22	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से संबंधित लक्ष्य	40
II.23	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम	41

INDEX TO TABLES, APPENDICES AND GRAPHS

Table Nos.		Page No.
	CHAPTER II : COMMERCIAL BANKING	
II.1	Scheduled Commercial Banks' Data	11
II.2	Growth in Aggregate Deposits : Quarterly	11
II.3	Growth in Demand and Time Deposits : Quarterly	12
II.4	Lending Rates on Housing Finance	17
II.5	Minimum Margins on Oilseeds and Vegetable Oils	18
II.6	Interest Rates on Export Credit	19
II.7	Level of Credit Ceilings	21
II.8	Scheduled Commercial Banks' Interest Rates on Deposits (Excluding FCNR/NRE Accounts)	22
II.9	Minimum Margins on Banks' Advances against Stocks of Commodities Covered under Selective Credit Control	25
II.10	Sectoral Deployment of Gross Bank Credit	27
II.11	Industry-wise Deployment of Gross Bank Credit	28
II.12	RBI Accommodation to Scheduled Commercial Banks	29
II.13	Inflows under NRE and FCNR Schemes	31
II.14	NRI Deposit Liabilities	32
II.15	Interest Rates on FCNRA Deposits	32
II.16	DFHI's Holdings of 182 Days Treasury Bills and Commercial Bills	33
II.17	DFHI's Cumulative Turnover in 182 Days Treasury Bills and Commercial Bills	34
II.18	Reserve Bank Refinance to DFHI	35
II.19	Interest Rates for Reserve Bank Refinance to DFHI	36
II.20	182 Days Government of India Treasury Bills	38
II.21	Call Money Rates after Removal of the Ceiling Rate	39
II.22	Priority Sector Targets	40
II.23	Advances to the Priority Sectors by Public Sectors Banks	41

सारणी संख्या		पृष्ठ संख्या
II.24	प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली का कार्य निष्पादन (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक)	42
II.25	20-सूत्री कार्यक्रम के लिए बैंक ऋण	45
II.26	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हिताधिकारी	45
II.27	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण-जमा अनुपात एवं निवेश+ऋण-जमा अनुपात	50
II.28	जनसंख्या समूह के अनुसार सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों का राज्यवार ऋण-जमा अनुपात	52
II.29	ग्रामीण केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण जमा अनुपात पर आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण	53
II.30	अर्धशहरी केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण	55
II.31	वाणिज्य बैंकों की शाखाओं का राज्यवार वितरण	58
II.32	भारत में वाणिज्य बैंकों का बैंक समूहवार/जनसंख्यावार वितरण	59
II.33	वाणिज्य बैंक कार्यालयों का जनसंख्या समूहवार वितरण	59
II.34	वार्षिक कार्ययोजना, 1988	60
II.35	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्यवार शाखाएँ	63
II.36	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रयोजनवार अग्रिम राशियाँ	63
II.37	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा मीयादी ऋण	70
II.38	रुग्ण लघु उद्योग	78
II.39	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कारोबारी परिणाम- 1986 तथा 1987	83

परिशिष्ट

I	1 अप्रैल 1989 से लागू ब्याज की दर का स्वरूप	94
II	रिज़र्व बैंक की प्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत तार अंतरणों, बैंक ड्राफ्टों और डाक अंतरणों की दरें	100

अध्याय III : सहकारी बैंकिंग

III.1	भारत में सहकारी ऋण संबंधी गतिविधियों की प्रगति	104
III.2	सहकारी विन्यास के विभिन्न स्तरों पर ली जानेवाली ब्याज दरें (अल्पावधि कृषि ऋण)	107

Table Nos.		Page No.
II.24	Recovery Performance of Direct Agricultural Advances (Public Sector Banks)	42
II.25	Bank Credit for 20-Point Programme	45
II.26	Beneficiaries under IRDP	45
II.27	Credit-Deposit Ratio and Investment plus Credit-Deposit Ratio of Scheduled Commercial Banks	50
II.28	State-wise Credit-Deposit Ratios of Offices of Public and Private Sector Scheduled Commercial Banks According to Population Group	52
II.29	State-wise Frequecy Distribution of Districts Based on Credit-Deposit Ratios for Scheduled Commercial Bank Offices in Rural Centres	53
II.30	State-wise Frequency Distribution of Districts Based on Credit-Deposit Ratios for Scheduled Commercial Bank Offices in Semi-Urban Centres	55
II.31	State-wise Distribution of Commercial Bank Branches	58
II.32	Bank Group-wise/Population Group-wise Distribution of Commercial Bank Offices in India	59
II.33	Population Group-wise Distribution of Commercial Bank Offices	59
II.34	Annual Action Plan 1988	60
II.35	State-wise Branches of Regional Rural Banks	63
II.36	Purpose-wise Advances of RRBs	63
II.37	Term Lending by Scheduled Commercial Banks	70
II.38	Sick Small-Scale Industries	78
II.39	Working Results of Scheduled Commercial Banks- 1986 and 1987	83
	APPENDIX	
I	Interest Rate Structure Effective from April 1, 1989	94
II	Rates for Telegraphic Transfers, Bank Drafts and Mail Transfers under the Reserve Bank's Remittance Facilities Scheme	100
	CHAPTER III : CO-OPERATIVE BANKING	
III.1	Progress of Co-operative Credit Movement in India	104
III.2	Rates of Interest Charged at Various Levels of Co-operative Structure (Short-term Agricultural Loans)	107

सारणी संख्या		पृष्ठ संख्या
III.3	सहकारी विन्यास के विभिन्न स्तरों पर ली जानेवाली ब्याज दरें (मध्यावधि कृषि ऋण)	108
III.4	राष्ट्रीय बैंक द्वारा जुटाये गये संसाधन (शुद्ध)	109
III.5	राष्ट्रीय बैंक द्वारा सहकारी संस्थाओं और राज्य सरकारों को दिये गये ऋण	111
III.6	राज्य भूमि विकास बैंकों के संसाधन	118
III.7	राष्ट्रीय बैंक द्वारा दी गयी सहायता की प्रयोजनवार मंजूरियां और वितरित राशि	121
III.8	राष्ट्रीय बैंक द्वारा पुनर्वित्त की एजेंसीवार मंजूरियाँ और वितरित राशि	121
III.9	राष्ट्रीय बैंक द्वारा पुनर्वित्त सहायता का क्षेत्रवार वितरण	122
III.10	कम विकसित राज्यों को राष्ट्रीय बैंक द्वारा पुनर्वित्त सहायता की राशि का वितरण	123
III.11	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय बैंक का पुनर्वित्त	123
III.12	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की प्रगति	125
III.13	आवास वित्त संबंधी उधार दरें	127
III.14	मौसमी कृषि कार्यों के लिए अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज दरें	133

अध्याय IV : अन्य वित्तीय संस्थाएं

IV.1	वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सहायता	137
IV.2	मीयादी ऋण देनेवाली संस्थाओं द्वारा सहायता	139
IV.3	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वीकृत और वितरित योजनावार सहायता	141
IV.4	भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा योजनावार बिक्री और पुनः खरीद	144
IV.5	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के गारंटीकृत अग्रिम	148
IV.6	भारतीय निर्यात-आयात बैंक के कार्य	151
IV.7	राज्य वित्त निगमों के कार्य	155

Table Nos.		Page No.
III.3	Rates of Interest Charged at Various Levels of Co-operative Structure (Medium-term Agricultural Loans)	108
III.4	Resources (net) Mobilised by the National Bank	109
III.5	The National Bank's Credit to Co-operatives and State Governments	111
III.6	Resources of SLDBs	118
III.7	Purpose-wise Sanctions and Disbursements of Refinance by National Bank	121
III.8	Agency-wise Sanctions and Disbursements of Refinance by National Bank	121
III.9	Region-wise Disbursements of Refinance by National Bank	122
III.10	Disbursements of Refinance by National Bank to less Developed States	123
III.11	National Bank's Refinance for IRDP	123
III.12	Progress of Primary (Urban) Co-operative Banks	125
III.13	Lending Rates on Housing Finance	127
III.14	Rates of Interest on Short-term Agricultural Loans for Seasonal Agricultural Operations	133

CHAPTER IV : OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS

IV.1	RBI Assistance to Financial Institutions	137
IV.2	Assistance by Term-lending Institutions	139
IV.3	Scheme-wise Assistance Sanctioned and Disbursed by IDBI	141
IV.4	Scheme-wise Sales and Repurchases by Unit Trust of India	144
IV.5	Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation's Guaranteed Advances	148
IV.6	Operations of Export-Import Bank of India	151
IV.7	Operations of State Financial Corporations	155

ग्राफ संख्या		निम्नलिखित पृष्ठ के समक्ष
1	अनुसूचित वाणिज्य बैंक– चुनी हुई मदें	13
2	अनुसूचित वाणिज्य बैंक– जमाराशियों के संदर्भ में ऋण, निवेश और नकदी के अनुपात	13
3	सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार वितरण : 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान घट-बढ़	13
4	वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या	57
5	प्रति वाणिज्य बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या	57
6	कृषि प्रयोजनों के लिए सहकारी ऋण	117
7	कृषि प्रयोजनों के लिए नाबार्ड ऋण	117
8	नाबार्ड के कार्य (योजनाबद्ध वित्त)	117

टिप्पणी : सारणियों में (...) का तात्पर्य है कि आंकड़े अनुपलब्ध हैं तथा (-) का तात्पर्य है कुछ नहीं अथवा नगण्य। जहां कहीं आवश्यक हुआ है, संख्यायें उपयुक्त रूप से पूर्णांकित की गयी हैं; दर्शाये गये योग से घटक मदों का मेल नहीं भी हो सकता।

Graph Nos.		Facing Page
1.	Scheduled Commercial Banks- Selected Items	13
2.	Scheduled Commercial Banks : Ratios of Credit, Investments and Cash to Deposits	13
3.	Sectoral Deployment of Gross Bank Credit : Variation during 1987-88 and 1988-89	13
4.	Number of Offices of Commercial Banks	57
5.	Average Population per Commercial Bank Office	57
6.	Co-operative Loans for Agricultural Purposes	117
7.	NABARD Credit for Agricultural Purposes	117
8.	Operations of NABARD (Schematic Finance)	117

Note : In the tables (..) indicate data are not available and (-) indicates nil or negligible. Wherever necessary, figures have been suitably rounded off; constituent items may not add up to the totals shown.

ABBREVIATIONS

AAPs	– Annual Action Plans
ACRC	– Agricultural Credit Review Committee
AIEAC	– All India Export Advisory Committee
ALPMs	– Advanced Ledger Posting Machines
BIFR	– Board for Industrial and Financial Reconstruction
CADA	– Comprehensive Area Development Authority
CAS	– Credit Authorisation Scheme
CCBs	– Central Co-operative Banks
CCI & E	– Chief Controller of Imports & Exports
CCS	– Cash Compensatory Support
CDs	– Certificates of Deposit
CD Ratio	– Credit-Deposit Ratio
CGUS	– Capital Gains Unit Scheme
CGGUS	– Children's Gift Growth Unit Scheme
CMA	– Credit Monitoring Arrangement
COD	– Committee of Direction
CP	– Commercial Paper
CRAFICARD	– Committee to Review Arrangements for Institutional Credit for Agriculture and Rural Development
CRR	– Cash Reserve Ratio
CRTs	– Charitable and Religious Trusts and Registered Societies
DCCs	– District Consultative Committees
DCCBs	– District Central Co-operative Banks
DCP	– District Credit Plan
DFHI	– Discount and Finance House of India Ltd.
DICs	– District Industries Centres
DICGC	– Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
DLRC	– District Level Review Committee
DPGs	– Deferred Payment Guarantees
DRI Scheme	– Differential Rate of Interest Scheme
DTL	– Demand and Time Liabilities
EAS	– Energy Audit (Subsidy) Scheme
ECD	– Exchange Control Department, RBI
ECGC	– Export Credit Guarantee Corporation
EEC	– European Economic Community
EFEC	– Equipment Finance for Energy Conservation
EWS	– Economically Weaker Sections
Exim Bank	– Export-Import Bank of India
FCI	– Food Corporation of India
FCNRA (Deposits)	– Foreign Currency (Non-Resident) Accounts Deposits

FCNR Scheme	–	Foreign Currency (Non-Resident) Scheme
FEDAI	–	Foreign Exchange Dealers' Association of India
FSS	–	Farmers' Service Societies
GIC	–	General Insurance Corporation
GIUS	–	Growing Income Unit Scheme
GLC	–	General Line of Credit
GOI	–	Government of India
HFC	–	Housing Finance Companies
HLAS	–	Home Loan Account Scheme
HPFC	–	Housing Promotion and Finance Corporation Ltd.
HUDCO	–	Housing and Urban Development Corporation
IBA	–	Indian Banks' Association
IBPs	–	Inter-Bank Participations
IBRD	–	International Bank for Reconstruction and Development
ICD Ratio	–	Investment Plus Credit-Deposit Ratio
ICICI	–	Industrial Credit and Investment Corporation of India
IDA	–	International Development Association
IDBI	–	Industrial Development Bank of India
IECD	–	Industrial and Export Credit Department, RBI
IFCI	–	Industrial Finance Corporation of India
IFFCO	–	Indian Farmers' and Fertilizers Co-operative Ltd.
IFUS	–	India Fund Unit Scheme
IGF	–	India Growth Fund
IRBI	–	Industrial Reconstruction Bank of India
IRCI	–	Industrial Reconstruction Corporation of India
IRDP	–	Integrated Rural Development Programme
ISB Component	–	Industry, Service and Business Component
ISI	–	Indian Standards Institution
IUS	–	Income Unit Scheme
KfW	–	Kreditanstalt fur Wiederaufbau
KRIBHCO	–	Krishak Bharati Co-operative Bank Ltd.
LAMPS	–	Large-size Adivasi Multi-purpose Society/Societies
LDBs	–	Land Development Banks
LDOs	–	Lead District Officers
LIC	–	Life Insurance Corporation of India
LIBOR	–	London Inter-Bank Offer Rate
LIG	–	Low Income Group
M_3	–	Broad Money
MDA	–	Marketing Development Assistance
MEA	–	Ministry of External Affairs
MICR	–	Magnetic Ink Character Recognition
MIG	–	Middle Income Group

MISG	–	Monthly Income Unit Scheme with extra Bonus Plus Growth
National Bank/ NABARD	–	National Bank for Agriculture and Rural Development
NAV	–	Net Asset Value
NDTL	–	Net Demand and Time Liabilities
NHB	–	National Housing Bank
NHC (LTO) Fund	–	National Housing Credit (Long-term Operations) Fund
NHDC	–	National Handloom Development Corporation
NIC (LTO) Fund	–	National Industrial Credit (Long-term Operations) Fund
NODP	–	National Oilseeds Development Project
NPBW Day	–	Non-Public Business Working Day
NRC (LTO) Fund	–	National Rural Credit (Long-term Operations) Fund
NRC (Stabilisation) Fund	–	National Rural Credit (Stabilisation) Fund
NRE Accounts	–	Non-Resident External Accounts
NR(E)RA Scheme	–	Non-Resident (External) Rupee Accounts Scheme
NRIs	–	Non-Resident Indians
NSP	–	National Seeds Project
NTC	–	National Textile Corporation
O & M	–	Organisation and Methods
OECF	–	Overseas Economic Co-operation Fund
OPEC	–	Organisation of Petroleum Exporting Countries
OPTP	–	Oilseeds Production Thrust Project
PACS	–	Primary Agricultural Credit Societies
PCs	–	Participation Certificates
PCBs	–	Primary (Urban) Co-operative Banks
PEXSEM	–	Preparing Ex-Servicemen for Self-Employment
PGGF	–	Parents' Gift and Growth Fund
PLDBs	–	Primary Land Development Banks
PMLS	–	Produce Marketing Loan Scheme
PPF	–	Public Provident Fund
QIS	–	Quarterly Information System
R & D Fund	–	Research and Development Fund
RBI/Reserve Bank	–	Reserve Bank of India
RRBs	–	Regional Rural Banks
SAA	–	Service Area Approach
SAFAUNS	–	Ships Acquired From Abroad Under New Scheme
SAO	–	Seasonal Agricultural Operations
SBI	–	State Bank of India
SCs/STs	–	Scheduled Castes/Scheduled Tribes
SCBs	–	State Co-operative Banks
SCEF	–	Standing Committee on Export Finance

SDC	– Swiss Development Corporation
SEBs	– State Electricity Boards
SEEUY	– Self-Employment Scheme for Educated unemployed Youth
SEPUP	– Self-Employment Programme for Urban Poor
SFCs	– State Finance Corporations
SFPP	– Special Foodgrains Production Programme
SHDCs	– State Handloom Development Corporations
SICA	– Sick Industrial Companies (Special Provision) Act, 1985
SIDBI	– Small Industries Development Bank of India
SLBC	– State Level Bankers' Committee
SLDB	– State Land Development Bank
SLR	– Statutory Liquidity Ratio
SRPP	– Special Rice Production Programme
SSI Units	– Small-Scale Industrial Units
ST	– Short-Term
SWCL	– Single Window Concept for Lending
SWIFT	– Society for Worldwide Inter-bank Financial Telecommunications
TDL	– Time and Demand Liabilities
TFCI	– Tourism Finance Corporation of India
TIIC	– Tamil Nadu Industrial and Investment Corporation
TME Cell	– Technical, Monitoring and Evaluation Cell
TPCs	– Training cum Production Centres
TT	– Telegraphic Transfer
ULIP	– Unit Linked Insurance Plan
UTI	– Unit Trust of India

अध्याय I
प्रस्तावना

वर्ष 1988-89 (जुलाई-जून) के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित हुई। बैंक ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जिसका कारण था खाद्येतर ऋण में तीव्र वृद्धि। परंतु, खाद्य ऋण में अत्यधिक गिरावट आयी। जहाँ तक ऋण के क्षेत्रीय वितरण का संबंध है, बैंक अपनी नियत भूमिका निभाते रहे तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से संबंधित अग्रिमों के मामले में वे निर्धारित लक्ष्यों एवं उप-लक्ष्यों का पालन करते रहे।

1.2 यद्यपि, समीक्षाधीन वर्ष के शुरू के भाग में मौद्रिक तथा ऋण नीतियाँ 1987 के सूखे के अनुवर्ती प्रभावों को ध्यान में रखकर बनायी गयी थीं, तथापि बाद में, उन्हें वर्ष 1988-89 में वास्तविक आय वृद्धि में हुए महत्वपूर्ण सुधार तथा वर्ष 1989-90 में होने वाले संभावित और अधिक वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में ऋण विषयक अपेक्षाओं की उपयुक्त रूप से पूर्ति के अनुकूल बनाया गया।

1.3 तात्कालिक परिस्थितियों से निपटने के अलावा, वर्ष के दौरान लागू किये गये नीति विषयक उपायों में संरचनात्मक परिवर्तनों पर अत्यधिक जोर दिया गया ताकि वित्तीय प्रणाली के परिचालनों की दक्षता में वृद्धि हो सके। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण उपाय थे: जमा दरों के पुनर्गठन को जारी रखना; बैंकों के बड़े उधारकर्ताओं की सामान्य श्रेणी के लिए उच्चतम दर के स्थान पर निम्नतम दर लागू करना; ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से पूर्ण प्राधिकरण प्राप्त करने से संबंधित अपेक्षा की समाप्ति तथा इसके स्थान पर स्वीकृत्योत्तर संवीक्षा लागू करना; बैंकों के मध्य उधार खातों के अंतरण की स्वतंत्रता; सहायता संघीय ऋण-दान से संबंधित शर्तों में ढील, संपूर्ण अल्पावधि मुद्रा बाज़ार को ब्याज दर विनियम से मुक्त करना; मुद्रा बाज़ार संबंधी नयी लिखतें शुरू करना तथा अढ़तिया सेवाओं से संबंधित प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाना।

1.4 नवीनीकरण एवं विशाखन द्वारा बैंकों ने व्यावसायिक बैंकिंग, पारस्परिक निधियों, पट्टेपर उपस्कर देने, उद्यम पूँजी तथा आवास के क्षेत्रों में अपने प्रयासों को तेज किया। इन कार्यों को करने के लिए कुछ बैंकों ने विशिष्ट प्रकार की सहयोगी संस्थाएँ खोलीं। कंपनी ग्राहकों तथा निवेशकर्त्री जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ बैंकों ने विशिष्ट प्रकार की शाखाएँ भी खोलीं।

1.5 शाखा विस्तार के क्षेत्र में समेकन की प्रक्रिया को जारी रखते हुए यह आवश्यक हो गया था कि अतिरिक्त शाखाएँ खोलने की अनुमति दी जाय ताकि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अंतर्गत—जो कि ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए एक नयी नीति है तथा जो 1 अप्रैल 1989 से लागू हुई है — उपयुक्त रूप से व्याप्ति सुनिश्चित की जा सके।

1.6 वर्ष 1988-89 (जुलाई-जून) के दौरान बैंकों की परिचालनात्मक क्षमता में और अधिक प्रगति हुई। यह अलग-अलग बैंकों से संबंधित कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से संभव हो सका। इसके लिए वर्ष 1985 से ही निरंतर प्रयास किये जाते रहे हैं।

1.7 राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूँजी आधार को सुदृढ़ करने के साथ-साथ, वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाये गये, जैसे कि, अरक्षितता जोखिम प्रबंधन के संबंध में

CHAPTER I
INTRODUCTION

During 1988-89 (July-June), aggregate deposits of scheduled commercial banks showed a sizeable increase. There was a marked expansion in bank credit accounted for by a sharp increase in non-food credit; food credit recorded a steep decline. As regards sectoral distribution of credit, banks continued to play their assigned role by adhering to the targets and sub-targets fixed in regard to priority sector advances.

1.2 Although the formulation and operation of monetary and credit policy were guided, in the early part of the year under review, by the after-effects of the 1987 drought, they were subsequently geared towards meeting adequately the credit requirements arising from the impressive recovery in real income growth in 1988-89 and the anticipated further growth during 1989-90.

1.3 Apart from responding to the immediate situation, the policy measures introduced during the year contained a strong thrust towards structural changes so as to promote efficiency in the operations of the financial system. Some of the important measures in this respect were: continuing the restructuring of deposit rates; replacing the ceiling rate by a floor rate for the general category of large bank borrowers; withdrawal of the requirement of prior authorisation by the Reserve Bank under the Credit Authorisation Scheme and its replacement by a post-sanction scrutiny; freedom for the transfer of borrowal accounts as between banks; relaxations in the stipulations regarding consortium lendings; the freeing of the entire short-term money market from interest rate regulation; the introduction of new money market instruments and the steps taken to implement proposals regarding factoring services.

1.4 By way of diversification and innovation, banks intensified their efforts in the areas of merchant banking, mutual funds, equipment leasing, venture capital and housing. Some banks set up specialised subsidiaries for performing these functions. Besides, some of the banks opened specialised branches to cater to the requirements of corporate customers and the investing public.

1.5 In the area of branch expansion, while the process of consolidation was continued, it became necessary to allow additional branches so as to achieve appropriate coverage under the Service Area Approach – a new strategy of rural lending which became operative on April 1, 1989.

1.6 The year 1988-89 (July-June), saw further progress in the operational efficiency of banks as a result of the sustained efforts initiated since 1985 through the implementation of Action Plans for individual banks.

1.7 Apart from strengthening the capital base of nationalised banks, a number of steps were taken during the year for strengthening the area of prudential supervision

मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करना तथा निष्क्रिय ऋणों का अभिज्ञान। अधिक स्पष्टता के प्रयोजन से लेखा संबंधी नीतियों एवं व्यवहारों पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

1.8 वर्ष 1988-89 (जुलाई-जून) के दौरान, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में 20,820 करोड़ रुपये (16.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जब कि वर्ष 1987-88 में इनमें 18,425 करोड़ रुपये (17.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। माँग जमाराशियों में 2,956 करोड़ रुपये (13.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 1987-88 में इनमें 2,653 करोड़ रुपये (13.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। मीयादी जमाराशियों में 17,864 करोड़ रुपये (17.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1987-88 में इनमें 15,772 करोड़ रुपये (17.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। प्रवृत्तियों के तिमाहीवार विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 1988 की जुलाई-सितंबर तथा वर्ष 1988 की अक्तूबर-दिसम्बर की तिमाहियों के दौरान पिछले वर्ष की तद्नुरूपी तिमाहियों की वृद्धि की तुलना में संपूर्ण एवं प्रतिशत दोनों रूपों में कुल जमाराशियों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि परिलक्षित हुई। जनवरी-मार्च 1989 की तिमाही में वर्ष 1988 की तदनुरूपी तिमाही की तरह कुल जमाराशियों में गिरावट आयी जबकि पिछले वर्ष के मुकाबले अप्रैल-जून 1989 की तिमाही में हुई वृद्धि संपूर्ण एवं प्रतिशत दोनों रूपों में कम थी।

1.9 वर्ष 1988-89 (जुलाई-जून) के दौरान बैंक ऋण में 15,961 करोड़ रुपये (22.0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी जो कि संपूर्ण एवं प्रतिशत दोनों ही रूपों में पिछले वर्ष (8,223 करोड़ रुपये अथवा 12.8 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी। पिछले वर्ष की 11,189 करोड़ रुपये (18.9 प्रतिशत) की तुलना में खाद्येतर ऋण में 16,371 करोड़ रुपये (23.3 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई जो कि अर्थव्यवस्था के विकास में हुए तेज सुधार के फलस्वरूप अंशतः अधिक उत्पादन ऋण की माँग को प्रदर्शित करती है। खाद्येतर ऋण में 410 करोड़ रुपये की गिरावट आयी जब कि वर्ष 1987-88 में इसमें 2,966 करोड़ रुपये की गिरावट आयी थी।

1.10 वर्ष 1988-89 के दौरान, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से संबंधित अग्रिमों के लिए निर्धारित लक्ष्यों एवं उप-लक्ष्यों से आगे निकलते रहना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने जारी रखा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से संबंधित अग्रिमों का अनुपात जून 1989 के अंत में शुद्ध बैंक ऋण का 44.6 प्रतिशत था जो कि 40 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से अधिक था। इसी प्रकार कमजोर वर्गों से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अग्रिमों का हिस्सा जून 1989 के अंत में 10 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले उनके कुल बकाया अग्रिमों का 11.1 प्रतिशत रहा। उक्त अवधि के अंत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी अग्रिमों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के ऋण का हिस्सा 7.6 प्रतिशत रहा। मार्च 1987 के अंत तक, बैंकों ने न केवल कृषि के लिए प्रत्यक्ष अग्रिमों के रूप में अपने कुल ऋण के न्यूनतम कम-से-कम 16 प्रतिशत तक के ऋण-दान के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया बल्कि वे 17 प्रतिशत के लक्ष्य के पास पहुँच गये जिस तक उन्हें मार्च 1989 तक पहुँचना था। जून 1989 के अंतिम शुक्रवार तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत 229.34 लाख उधार खातों में 11,270.18 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जो कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से संबंधित उनके कुल अग्रिमों का 32.3 प्रतिशत अथवा शुद्ध बैंक ऋण का 14.4 प्रतिशत थी। विभेदक ब्याज-दर योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि उनके पिछले वर्ष के अंत में बकाया अग्रिमों का कम-से-कम 1 प्रतिशत कमज़ोर वर्गों को दिया जाय। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रायः समस्त बैंकों ने उक्त योजना के अंतर्गत लक्ष्यों को पूरा कर लिया है; जून 1989 के अंत में बकाया राशि 665 करोड़ रुपये थी जो कि उनके कुल बकाया अग्रिमों का 0.9 प्रतिशत थी। उक्त योजना के अंतर्गत

such as the issuance of guidelines on the exposure risk management and recognition of non-performing loans. In order to achieve greater transparency, modification of accounting policies and practices of banks is also receiving attention.

1.8 During 1988-89 (July-June), aggregate deposits of scheduled commercial banks increased by Rs. 20,820 crores (16.5 per cent) as compared with a rise of Rs. 18,425 crores (17.1 per cent) in 1987-88. Demand deposits rose by Rs. 2,956 crores (13.5 per cent) as compared with an increase of Rs. 2,653 crores (13.8 per cent) in 1987-88. Time deposits increased by Rs. 17,864 crores (17.1 per cent) as compared with a rise of Rs. 15,772 crores (17.8 per cent) in 1987-88. Quarter-wise analysis of trends reveals that during the quarter July-September 1988 and October-December 1988, aggregate deposits recorded larger increases both in absolute and percentage terms as compared with the expansions in the corresponding quarters of the previous year; in the quarter January- March 1989, aggregate deposits declined as in the corresponding quarter of 1988 while the increase in the quarter April-June 1989 was lower both in absolute and percentage terms than in the previous year.

1.9 The expansion in bank credit during 1988-89 (July-June) at Rs. 15,961 crores (22.0 per cent) was substantially larger both in absolute and percentage terms than that in the preceding year (Rs. 8,223 crores or 12.8 per cent). Non-food credit registered a markedly larger rise of Rs. 16,371 crores (23.3 per cent) than that of Rs. 11,189 crores (18.9 per cent) in the previous year, reflecting in part the demand for larger production credit following a spurt in the growth of the economy. Food credit declined by Rs. 410 crores as compared with a decline of Rs. 2,966 crores in 1987-88.

1.10 During 1988-89, the public sector banks continued to exceed the targets and sub-targets fixed for priority sector advances. The proportion of priority sector advances of public sector banks was 44.6 per cent of net bank credit at the end of June 1989, which was above the prescribed target of 40 per cent. Similarly, the proportion of public sector banks' advances to the weaker sections was 11.1 per cent of their total outstanding advances at the end of June 1989 as against a target of 10 per cent. The share of credit to scheduled castes and scheduled tribes in priority sector advances stood at 7.6 per cent at the end of the above period. Banks had not only attained the target of lending at least 16 per cent of their total credit as direct advances for agriculture as at the end of March 1987, but were nearing the target of 17 per cent required to be reached by March 1989. The public sector banks provided financial assistance under the 20-Point Programme to the extent of Rs. 11,270.18 crores in 229.34 lakh borrowal accounts on the last Friday of June 1989 constituting 32.3 per cent of their total priority sector advances or 14.4 per cent of the net bank credit. Under the Differential Rate of Interest (DRI) Scheme, the public sector banks are required to ensure that at least 1 per cent of their advances (outstanding at the end of the preceding year) are lent to weaker sections. Almost all the public sector banks have fulfilled the target under the Scheme; the amount outstanding as at the end of June 1989 was Rs. 665 crores which constituted 0.9 per cent of their total outstanding advances. The advances granted under the Scheme to the beneficiaries belonging to

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के हिताधिकारियों को स्वीकृत अग्रिम भी विभेदक ब्याज-दर संबंधी अग्रिमों के 40 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से आगे निकल गये।

1.11 जून 1988 के अंत में निजी क्षेत्र के भारतीय बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त अग्रिमों की राशि उनके कुल अग्रिमों का 39.8 प्रतिशत रही; कृषि के लिए उनके प्रत्यक्ष अग्रिम उनके कुल अग्रिमों का 9.1 प्रतिशत रहे जबकि कमज़ोर वर्गों से संबंधित प्रत्यक्ष अग्रिम उनके कुल अग्रिमों का 5.2 प्रतिशत रहे। विभेदक ब्याज दर संबंधी अग्रिम, 1.0 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले उनके कुल अग्रिमों का केवल 0.4 प्रतिशत रहे। अगस्त 1988 में विदेशी बैंकों को सूचित किया गया कि मार्च 1989 के अंत तक उनके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से संबंधित अग्रिम उनके कुल बकाया अग्रिमों के 10 प्रतिशत के स्तर तक पहुँच जाने चाहिए तथा उन्हें पुनः बढ़कर मार्च 1980 तथा मार्च 1992 के अंत तक क्रमशः 12 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत के स्तर तक पहुँच जाना चाहिए।

1.12 रोज़गार प्रदान करने तथा गरीबी हटाने की योजनाओं में बैंकों का योगदान जारी रहा। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सग्राविका) के अंतर्गत 1988-89 के दौरान (अप्रैल-मार्च) 37.72 लाख हिताधिकारियों को सहायता प्रदान की गयी जिसमें 17.5 लाख हिताधिकारी (46.4 प्रतिशत) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के थे तथा 5.95 लाख (23.2 प्रतिशत) महिला हिताधिकारी थीं। यद्यपि, अनुसूचित जातियों/जनजातियों के संबंध मे सहायता प्राप्त हिताधिकारियों के 30 प्रतिशत के उप-लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया परंतु महिला हिताधिकारियों से संबंधित उसी प्रकार का उप-लक्ष्य अभी प्राप्त किया जाना है। वर्ष 1988-89 (अप्रैल-मार्च) के दौरान शिक्षित बेरोज़गार युवकों के लिए स्वरोज़गार योजना के अंतर्गत 1.88 लाख हिताधिकारियों को कुल 394.78 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 1.20 लाख हिताधिकारियों को 259.76 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया था। शहरी गरीबों के लिए स्व-रोज़गार योजना के अंतर्गत वर्ष 1988-89 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 3.41 लाख हिताधिकारियों को कुल 130.69 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये जबकि पिछले वर्ष 3.82 लाख हिताधिकारियों को 136.55 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये थे।

1.13 विशिष्ट खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम का क्षेत्र एक ऐसा अन्य क्षेत्र रहा है जिसमें बैंकों ने योगदान किया। उक्त कार्यक्रम एक द्विवर्षीय कार्यक्रम है जो 1988 के खरीफ मौसम से 14 राज्यों के 169 सघन प्रयासवाले (थ्रस्ट) जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, वाणिज्य बैंकों ने 352 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण प्रदान किया।

1.14 वर्ष 1985-90 के लिए सातवीं पंचवर्षी योजना के साथ समाप्त होनेवाली चालू शाखा लाइसेंसीकरण नीति की मुख्य-मुख्य बातों का उल्लेख पिछली रिपोर्टों में किया गया है। चालू योजना के अंतर्गत नये बैंक कार्यालय खोलने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अभिज्ञात 8,130 केन्द्रों में से 30 जून 1989 तक नये बैंक कार्यालय खोलने के लिए 5,360 ग्रामीण/अर्धशहरी पात्र केन्द्र, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित, वाणिज्य बैंकों को आवंटित किये गये थे। नयी शाखाएँ खोलने के लिए बैंकों को केन्द्र आवंटित करने में जनसंख्या तथा दूरी के आधार पर अंतरालों को भरने पर उचित ध्यान दिया जाता है। तथापि, सेवाक्षेत्र दृष्टिकोण की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए इसनीति में कुछ परिवर्तन किये गये हैं। अन्य क्षेत्रों में पूर्णतः लाभप्रदता के आधार पर शाखाएँ खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है।

1.15 एक वर्ष पूर्व के 57.3 प्रतिशत के मुकाबले, जून 1989 के अंत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का

the scheduled castes/tribes also exceeded the prescribed target of 40 per cent of DRI advances.

1.11 Advances to priority sector by the private sector Indian banks as at the end of June 1988 constituted 39.8 per cent of their total advances; their direct advances to agriculture formed 9.1 per cent of their total advances while those to weaker sections constituted 5.2 per cent of their total advances. The DRI advances formed only 0.4 per cent of their total advances as against the target of 1.0 per cent. In August 1988, foreign banks were advised that their priority sector advances should reach a level of 10 per cent of their aggregate outstanding advances by the end of March 1989, and increased further to 12 per cent and 15 per cent by the end of March 1990 and March 1992, respectively.

1.12 Banks' involvement in employment generating and poverty alleviating schemes continued. Under the Integrated Rural Development Programme (IRDP) during 1988-89 (April-March), 37.72 lakh beneficiaries were assisted of which 17.5 lakh beneficiaries (46.4 per cent) belonged to scheduled castes/scheduled tribes, and 8.74 lakh beneficiaries (23.2 per cent) were women. While the sub-target of 30 per cent of assisted beneficiaries prescribed in respect of scheduled castes/tribes was achieved, that for women beneficiaries with a similar sub-target is yet to be achieved. Under the Self-Employment Scheme for Educated Unemployed Youth (SEEUY), during the year 1988-89 (April-March), 1.88 lakh beneficiaries have been assisted with aggregate credit of Rs. 394.78 crores as against 1.20 lakh beneficiaries with Rs. 259.76 crores in the preceding financial year. Under the Self-Employment Programme for Urban Poor (SEPUP), during 1988-89 (April-March), loans aggregating Rs. 130.69 crores were sanctioned to 3.41 lakh beneficiaries as against an amount of Rs. 136.55 crores to 3.82 lakh beneficiaries in the previous year.

1.13 Yet another area of banks' involvement has been in the Special Foodgrains Production Programme (SFPP) which is a two-year programme being implemented in 169 'thrust districts' in 14 states from 1988 *Kharif* season onwards. Under this programme, commercial banks provided credit of the order of Rs. 352 crores.

1.14 The main features of the current branch licensing policy for the years 1985-90, coterminus with the Seventh Five Year Plan, were covered in the earlier Reports. Out of the 8,130 centres identified by the State Governments for opening new bank offices under the current plan, 5,360 rural/semi-urban eligible centres for opening new bank offices were allotted to commercial banks, including RRBs, upto June 30, 1989. In the allotment of centres to banks for opening new branches, due emphasis is placed on covering gaps in terms of population and distance criteria; some modification in this policy, however, has been made to cover the requirements of the Service Area Approach (SAA). In other areas, opening of branches is allowed entirely on viability criteria.

1.15 The credit-deposit (CD) ratio for the scheduled commercial banks increased to

ऋण जमा अनुपात बढ़ कर 60.1 प्रतिशत हो गया। समग्र रूप से बैंकिंग तंत्र के लिए दिसंबर 1988 के अंत में ग्रामीण शाखाओं के लिए ऋण जमा अनुपात 64.3 प्रतिशत था जो कि 60 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से काफी ऊपर था। 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण शाखाओं ने 60 प्रतिशत से अधिक का ऋण जमा अनुपात प्राप्त कर लिया है, परंतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ऋण जमा अनुपात उनकी अर्ध-शहरी शाखाओं के मामले में 60 प्रतिशत के परिकल्पित स्तर के मुकाबले लगभग 50 प्रतिशत रहा। अर्धशहरी क्षेत्रों की आर्थिक रूपरेखा, जिसमें व्यापारिक तथा सेवा संबंधी ऐसी गतिविधियों की प्रधानता होती है जो बैंक संबंधी ऋणदान के लिए कम संभावनाएँ रखती हैं परंतु जिनसे अपेक्षाकृत अधिक जमाराशियां प्राप्त होती हैं, उन क्षेत्रों में ऋण जमा अनुपात के निरंतर निम्न स्तर को स्पष्ट करती है।

1.16 *ग्रामीण ऋण-दान की नयी नीति अर्थात् सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण से संबंधित विवरण* पिछले वर्ष की रिपोर्ट में दिये गये थे। 1 अप्रैल 1989 से लागू सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का मूल उद्देश्य ग्रामीण ऋण-दान को और अधिक उत्पादक तथा उद्देश्यपूर्ण बनाना है। प्रत्येक शाखा के सेवा क्षेत्र में सामान्यतः 15 से 25 गाँव आते हैं। ऋण प्रदान करने की संभाव्यताओं के बारे में गाँवों का सर्वेक्षण करने के पश्चात् बैंकों की अभिज्ञात शाखाओं से अपने सेवा क्षेत्र में आने वाले गांवों के लिए समेकित ऋण योजनाएँ तैयार की हैं। जून 1989 के अंत तक, 6 लाख गाँवों को समाहित करते हुए सभी 42,000 शाखाओं द्वारा ऋण योजनाएँ तैयार की जा चुकी थीं। वार्षिक शाखा ऋण योजनाओं को ब्लॉक ऋण योजनाओं में मिला दिया गया है और इन्हें आगे जिला ऋण योजनाओं में मिला दिया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुपालन के लिए 3,049 में से 1,416 अभिज्ञात केंद्रों पर नवम्बर 1989 तक शाखाएँ खोलने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित बैंकों को अतिरिक्त लाइसेंस जारी किये गये हैं। ऋणदात्री संस्थाओं तथा क्षेत्रस्तरीय विकास एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिए ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समितियों की स्थापना की गयी है। यह सुनिश्चित किया गया है कि नयी नीति में संक्रमण से किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले तथा इस नीति को आवश्यक लचीलेपन के साथ कार्यान्वित किया जाय। ऐसी आशा है कि इस नयी प्रक्रिया से ग्रामीण ऋण-दान की गुणवत्ता में विशिष्ट सुधार आयेगा तथा इससे बैंक ऋण, उत्पादकता एवं आय स्तरों के बीच बेहतर संयोजन स्थापित हो सकेगा।

1.17 वाणिज्य बैंक व्यापारिक बैंकिंग, पट्टेदारी, पारस्परिक निधियों, उद्यम पूँजी तथा आवास वित्त-जैसी सेवाओं में अपनी गतिविधियों का विशाखन करते रहे हैं तथा कुछ ने ऐसे कार्यों के लिए विशिष्ट सहयोगी संस्थाएँ खोल रखी हैं। देश में शुरू किये गये आर्थिक उदारीकरण के उपायों के फलस्वरूप उत्पन्न अर्थ व्यवस्था की विभिन्न एवं सतत विकासशील आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वाभाविक सहवर्ती के रूप में इन सेवाओं का प्रावधान किया गया है जो कि वित्तीय प्रणाली की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के संबंध में वाणिज्य बैंकों की अनुकूलनशीलता को प्रदर्शित करती हैं। जून 1989 के अंत तक, तीन बैंकों, अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा को पारस्परिक निधियाँ स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी। भारतीय स्टेट बैंक तथा केनरा बैंक पहले ही अपनी परस्परिक निधियाँ स्थापित कर चुके हैं तथा अनेक अलग-अलग निवेश योजनाएँ शुरू कर चुके हैं परन्तु बैंक ऑफ बड़ौदा को अभी ऐसा करना शेष है। छः वाणिज्य बैंक अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया तथा वैश्य बैंक लिमिटेड को पूर्ण स्वत्वाधिकार में अथवा अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप में सहयोगी संस्थाएँ स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। जबकि उपर्युक्त सभी बैंकों को अपनी सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से व्यापारिक बैंकिंग, पट्टे पर उपस्कर देने तथा अन्य वित्तीय कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी थी, उनमें चार को, अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बैंक आफ वड़ौदा तथा सेंट्रल बैंक

60.1 per cent at end-June 1989 as against 57.3 per cent a year ago. The CD ratio as at the end of December 1988 for rural branches of all commercial banks stood at 64.3 per cent, which was well above the stipulated target of 60 per cent. The rural branches of the public sector banks have attained a CD ratio of more than 60 per cent in as many as 14 states/union territories; however, the CD ratio of public sector banks in respect of their semi-urban branches was around 50 per cent as against the envisaged level of 60 per cent. The economic profiles of semi-urban areas with predominance of trading and service activities which have less potential for bank lending but generate relatively larger deposits explain this persistently low level of credit-deposit ratios in those areas.

1.16 Details regarding the new strategy of rural lending, viz., Service Area Approach were presented in the preceding year's Report. The basic objective of the Service Area Approach, which has become operational from April 1, 1989, is to make rural lending more productive and purposeful. The service area of each branch normally comprises 15 to 25 villages. After carrying out surveys of villages in regard to the potentialities for lending, the identified branches of banks have prepared integrated credit plans for the villages that lie in their service area. As at the end of June 1989, credit plans had been prepared by all the 42,000 branches covering 6 lakh villages. The annual branch credit plans have been aggregated into block credit plans which in turn have been aggregated into district credit plans. In order to conform to the norms prescribed under this system, additional licences have been issued to banks (including RRBs) for opening branches at 1,416 out of 3,049 identified centres upto November 1989. The Block-Level Bankers' Committees have been constituted for effective co-ordination among credit institutions and with field-level development agencies. It has been ensured that transition to the new approach does not in any way lead to dislocation and is operated with the necessary flexibility. It is expected that the new system would lead to a distinct improvement in the quality of rural lending and help forge better links between bank credit, productivity and income levels.

1.17 The commercial banks have been diversifying their activities into services such as merchant banking, leasing, mutual funds, venture capital and housing finance and some have set up specialised subsidiaries for such activities. The provision of these services is a natural concomitant of the diverse and growing needs of the economy following the economic liberalisation measures initiated in the country and reflects the adaptability of commercial banks to the changing needs of the financial system. Upto the end of June 1989, three banks, viz., State Bank of India, Canara Bank and Bank of Baroda were permitted to set up mutual funds. While State Bank of India and Canara Bank have already set up their mutual funds, and introduced several individual investment schemes, Bank of Baroda was yet to do so. Six commercial banks viz., State Bank of India, Canara Bank, Punjab National Bank, Bank of Baroda, Central Bank of India and Vysya Bank Ltd. were granted permission to set up subsidiaries, either wholly-owned or jointly with other banks/financial institutions. While all the six banks were permitted to undertake merchant banking, equipment leasing and other financial services through their subsidiaries, four of them, viz., State Bank of India,

आफ इण्डिया को जोखिम पूँजी संबंधी वित्त पोषण का काम करने की भी अनुमति प्रदान की गयी थी। इन सभी छः बैंकों ने उपर्युक्त कार्य करने के लिए सहयोगी संस्थाओं की स्थापना कर ली है। इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति से पूर्णतः स्वत्वाधीन अथवा अन्य संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप में, आवास वित्त प्रदान करने के लिए अलग सहयोगी संस्थाओं की स्थापना की है। इस तरह कुल मिलाकर छः बैंकों ने विविध कार्यकलापों के लिए नौ सहयोगी संस्थाओं की स्थापना की है। बैंकों की इन सहयोगी संस्थाओं के विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है।

1.18 यद्यपि, बैंकिंग क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति प्रशंसनीय है, परंतु इससे बैंकिंग क्षेत्र पर काफी दबाव पड़ा है। अतः, बैंकिंग क्षेत्र में समेकन की स्थिति लाने के लिए एक उपाय के रूप में बैंकिंग नीति में इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि ग्राहक सेवा, हाउस कीपिंग, ऋण प्रबंधन, श्रमशक्ति की आयोजना, प्रशिक्षण, निधियों के पुनर्निवेश, उत्पादकता, दक्षता तथा लाभप्रदता के मामलों में बैंक के कार्य निष्पादन में सुधार लाया जाय। उपर्युक्त सभी पहलुओं पर कार्रवाई शुरू की गयी है तथा सुधार के परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं। इस संदर्भ में, वर्ष 1985-87 के दौरान बैंकों के लिए शुरू की गयी कार्ययोजनाओं का उल्लेख किया जा सकता है जिन्हें उनके समग्र कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए तैयार किया गया था। उक्त प्रक्रिया को जारी रखा गया है तथा बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अप्रैल 1988 से मार्च 1990 के लिए कार्य योजनाएँ तैयार करें। हाल में हुई चर्चाओं के संदर्भ में, बैंकों को सूचित किया गया था कि वे नियंत्रक कार्यालयों के कार्य निष्पादन में सुधार लायें ताकि उन्हें अधिक प्रभावी बनाया जा सके, असंतोषजनक श्रेणी की शाखाओं की पहचान करें ताकि उनके कार्यों के परिणामों में सुधार लाया जा सके तथा कतिपय सुसंचालित शाखाओं को प्रोन्नत करें ताकि वे आदर्श शाखाओं के रूप में काम कर सकें। इसके अतिरिक्त, बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे अपनी प्रशासनिक लागतों में कटौती करके तथा उत्पादकता में सुधार लाकर अपने कार्य परिणामों, अपनी वित्तीय स्थिति तथा लाभप्रदता में सुधार लायें।

1.19 राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजी आधार को बढ़ावा देने के लिए बनायी गयी योजना के अनुसार, भारत सरकार ने वर्ष 1988-89 के दौरान 200 करोड़ रुपये का अंशदान किय और इस तरह वर्ष 1985 से उक्त योजना के अंतर्गत भारत सरकार का कुल अंशदान 1,200 करोड़ रुपये का हो गया। भारतीय स्टेट बैंक की चुकता पूंजी में वृद्धि की गयी तथा उसे अक्तूबर 1985 के 5.625 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया तथा इसे नवंबर 1987 में और बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दिया गया। वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक की 99.20 प्रतिशत चुकता पूंजी की धारिता भारतीय रिज़र्व बैंक के पास है। अतिरिक्त पूँजी जुटाकर तथा प्रारक्षित निधियों में वृद्धि करके, दोनों ही माध्यमों से, निजी क्षेत्र में बैंकों की स्वामित्वाधीन निधियों में वृद्धि करने के उपाय किये जा रहे हैं। वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों ने भी अपनी पूंजी की अभिवृद्धि की।

1.20 बैंकों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिये स्थल पर जाकर निरीक्षण कार्य तथा अनुवर्ती कार्रवाई को जारी रखते हुए, विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण में सुधार लाने के लिए वर्ष के दौरान अनेक कदम उठाये गये। विदेशों की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, तुलन-पत्र से इतर कार्य सहित, जोखिम आस्तियों के संबंध में पूंजी पर्याप्तता संबंधी उपयुक्त मानदंडों को लागू करने के संबंध मे प्रस्ताव विचाराधीन हैं। स्वामित्वाधीन निधियों के संबंध में निधि विषयक तथा निधीतर दोनों तरह की सीमाओं को शामिल करते हुए, अलग-अलग/सामूहिक अरक्षितता के लिए मानदंड निर्धारित करते हुए देशी क्षेत्र में अरक्षितता जोखिम प्रबंधन के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं। बैंकों के समुद्रपारीय

Canara Bank, Bank of Baroda and Central Bank of India have been permitted to also operate, in addition, venture capital financing. All the six banks have established subsidiaries to undertake the above mentioned activities. In addition, State Bank of India, Canara Bank and Punjab National Bank have, with the permission of the Reserve Bank, set up separate subsidiaries—either wholly-owned or jointly with other institutions— for providing housing finance. Thus, in all six banks have established nine subsidiaries for undertaking diversified activities. The question of extending prudential supervision over the subsidiaries of banks is receiving attention.

1.18 The rapid strides made by the banking sector, though commendable, have put it under considerable strain. Therefore, as part of the consolidation process, the thrust of banking policy has been to improve banks' performance in customer service, housekeeping, credit management, manpower planning, training, recycling of funds, productivity, efficiency and profitability. Action on all the aforesaid aspects has been underway and improved results are noticeable. In this context, reference may be made to the Action Plans for banks initiated during 1985-87, which were designed to improve their overall performance. The process has been continued and banks were advised to draw up Action Plans from April 1988 to March 1990. In the light of recent discussions, banks were advised to gear up the performances of controlling tiers to make them more effective, to identify branches with unsatisfactory rating so as to improve their working results, and to upgrade certain well-run branches to serve as model branches. Furthermore, banks have been asked to improve their working results, financial position and profitability by pruning administrative costs and improving productivity.

1.19 In accordance with the scheme evolved to augment the capital base of nationalised banks, the Government of India contributed Rs. 200 crores during 1988-89 bringing their aggregate contribution to Rs. 1,200 crores under the scheme since 1985. The State Bank of India's (SBI) paid-up capital was raised from Rs. 5.625 crores to Rs. 50 crores in October 1985 and it was further increased to Rs. 150 crores in November 1987. As at present the Reserve Bank of India holds 99.20 per cent of the paid-up capital of SBI. Measures to strengthen the owned funds of private sector banks, both by raising additional capital and additions to reserves, are being pursued. Private sector banks also made additions to their capital during the year.

1.20 While continuing on-site inspections and follow-up as a major tool for evaluating the performance of banks, a number of steps were taken during the year for strengthening the area of prudential supervision. Keeping in view the developments abroad, proposals are under consideration regarding introduction of suitable capital adequacy norms, in relation to risk assets, including off-balance sheet business. Guidelines have been issued regarding exposure risk management in the domestic sector by laying down norms for individual/group exposure, covering both funded and non-funded limits in relation to owned funds. Such norms were already in vogue in respect of the overseas operations of banks. Suitable guidelines have also been issued

परिचालनों के संबंध में ऐसे मानदंड पहले से ही प्रचलन में रहे हैं। स्वास्थ्य कूट (हेल्थ कोडिंग) पर आधारित निष्क्रिय ऋणों की पहचान करने के बारे में भी उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं तथा बैंकों को सूचित किया है कि वे इस श्रेणी के ऋणों से संबंधित ब्याज को आय में शामिल न करें। बैंकों की लेखा नीतियों तथा व्यवहारों की स्पष्टता पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

1.21 ग्राहक सेवा में सुधार लाने तथा बड़ी शाखाओं के कारोबार के वृद्धिशील परिमाण से ताल-मेल बैठाने के लिए अभिज्ञात बैंक शाखाओ में एडवांस्ड लेज़र पोस्टिंग मशीनों (ए.एल.पी.एम.) की स्थापना तथा उनके प्रचालन के संबंध में बैंक संगठित प्रयास करते रहे हैं। शाखाओं पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त करने तथा उनके कार्यों की निगरानी करने के लिए बैंकों ने अपने क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों में लघु कम्प्यूटर प्रणालियां भी स्थापित की हैं। बैंकों में विभिन्न स्तरों पर मशीनीकरण में तेजी लाने के लिए वर्ष 1988 तथा 1989 के लिए उद्योग-स्तरीय वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार की गयीं हैं तथा इस संबंध में हुई प्रगति की रिज़र्व बैंक तथा सरकार द्वारा बारीकी से निगरानी की जा रही है। वर्ष के दौरान, चेकों की यांत्रिक जांच तथा समाशोधन गृह व्यवस्थापन परिचालनों के कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में और आगे प्रगति हुई। इस तरह, चारों महानगरीय केंद्रों, अर्थात् बंबई, कलकत्ता, मद्रास और नयी दिल्ली में चेकों की यांत्रिक जांच की व्यवस्था पूर्ण कर ली गयी है। बाहरी केन्द्रों के मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकाग्नीशन (माइकर) चेकों का राष्ट्रीय समाशोधन का कार्य चारों महा नगरीय केन्द्रों के बीच हो रहा है तथा अन्य चार केन्द्रों अर्थात् अहमदाबाद, बंगलूर, हैदराबाद एवं नागपुर में बाहरी केन्द्रों के माइकर चेकों का एक मार्गी समाशोधन चालू है।

1.22 1990-1994 तब की 5 वर्ष की अवधि के लिए बैंकिंग उद्योग के लिए कम्प्यूटरीकरण की भावी योजना तैयार करने के लिए तथा इस संबंध में की गई प्रगति एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अन्य संबद्ध मामलों पर विचार करने के वास्ते भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक उपगवर्नर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। ऐसी आशा है कि समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देगी।

1.23 रिज़र्व बैंक बैंकनेट की स्थापना में, जो कि बैंकिंग उद्योग के लिए एक आँकड़ा संचार केंद्र है, सक्रिय रूप से जुड़ा रहा है। बैंक ने प्रथम चरण के त्वरित कार्यान्वयन के लिए बैंकों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने तथा उपयोगकर्ता बैंकों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक उपयोगकर्ता दल का गठन किया गया है। इसी तरह भारत में सैंतीस बैंकों को (रिज़र्व बैंक सहित) विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार समिति (स्विफ्ट) के सदस्यों के रूप में स्वीकृत किया गया है। उक्त समिति एक सहकारी समिति है जो कि ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थापित है। बम्बई में स्विफ्ट के क्षेत्रीय प्रोसेसर की स्थापना के लिए, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय माध्यम के रूप में काम करेगा, कार्रवाई की जा रही है। स्विफ्ट के निर्धारणों के अनुसार संदेशों के फार्मेटों का रिज़र्व बैंक तथा भारतीय बैंक संघ द्वारा मानकीकरण किया जा रहा है।

बैंक-राष्ट्रीयकरण के दो दशक

1.24 19 जुलाई 1989 को भारत में बैंक राष्ट्रीकरण के बीस वर्ष पूरे हुए। पिछले दो दशकों में बैंकिंग नीतियों, कार्यक्रमों तथा परिचालनों ने ''एक बृहत्तर सामाजिक उद्देश्य'' की ओर तथा ''राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं लक्ष्यों की पूर्ति'' के लिए बैंकिंग तंत्र का पुनर्विन्यास किया है तथा राष्ट्रीयकरण के

regarding recognition of non-performing loans based on health coding and banks have been advised not to take to income, interest on loans so classified. The area of transparency of the accounting policies and practices of the banks is also receiving attention.

1.21 With a view to catering to growing volume of transactions as well as for improving customer service, banks have been making concerted efforts for installation and operationalisation of Advanced Ledger Posting Machines (ALPMs) in identified bigger bank branches. The banks have also installed mini-computer systems in their Regional/Zonal Offices in order to achieve improved control over branches and to monitor their performance. With a view to speeding up mechanisation at various levels in banks, industry level Annual Action Plans for mechanisation have been drawn up for the years 1988 and 1989 and the progress thereunder is being closely monitored by the Reserve Bank and the Government. Further progress was made during the year in the area of mechanised cheque processing and computerisation of clearing house settlement operations. Thus, mechanised cheque processing at all the four metropolitan centres, viz., Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi has been completed. The national clearing of Magnetic Ink Character Recognition (MICR) outstation cheques is in operation among the four metropolitan centres and one-way clearing of MICR outstation cheques is in operation at another four centres viz., Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad and Nagpur.

1.22 The Reserve Bank has set up a Committee under the Chairmanship of a Deputy Governor to draw up a perspective plan of computerisation for the banking industry for the five year period 1990-1994 and to consider other allied issues taking into account the progress made and requirements of the future. The Committee is expected to finalise its report shortly.

1.23 The Reserve Bank has been actively involved in the establishment of BANKNET, a data communication network for the banking industry. In order to assess the requirements of banks as well as to co-ordinate the activities of user banks for speedy implementation of BANKNET Phase I, a user group has been constituted. Similarly, thirty seven banks in India (including the Reserve Bank) have been accepted as members of the Society for Worldwide Inter-bank Financial Telecommunications (SWIFT), a co-operative society based in Brussels, Belgium. Action is underway for the installation of the SWIFT Regional Processor at Bombay which is to act as an international gateway. Message formats conforming to SWIFT specifications are being standardised by the Reserve Bank and the Indian Banks' Association.

Two Decades of Bank Nationalisation

1.24 July 19, 1989 marked the twentieth anniversary of bank nationalisation in India. Over the past two decades, banking policies, programmes and operations have sought to achieve the broader objectives of nationalisation by re-orienting the banking system

अधिक व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया है। परिणामस्वरूप, बैंकिंग तंत्र में परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही तरह के संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं जैसे कि, शाखाओं का, विशेषतः ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में, भारी विस्तार, वित्तीय बचतों का पर्याप्त संग्रहण; अपेक्षाकृत कुछ बड़े तथा मझौले उद्योग एवं लघु उद्योगों, लघु व्यापारों, व्यवसायियों तथा फुटकर व्यापार से संबंधित उधारकर्ताओं की बड़ी संख्या की ओर उन्मुख करना जिसमें समाज के अधिसंख्य कमजोर वर्ग भी शामिल हैं तथा जिन सबको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है; समाज के औद्योगिक एवं आर्थिक आधार को विस्तृत करने के लिए उद्यमियों के एक नये वर्ग का संवर्धन करना तथा बैंक प्रबंध एवं स्टाफ का व्यावसायिकीकरण।

1.25 बैंक कार्यालयों की कुल संख्या जो जून 1969 में लगभग 8,262 थी, बढ़कर जून 1989 में लगभग 57,197 हो गयी जिसमें ग्रामीण शाखाओं की संख्या 1,860 (अथवा कुल के 22.5 प्रतिशत) से बढ़कर 32,577 (57.0 प्रतिशत) हो गयी। जहां तक क्षेत्रवार स्थिति का प्रश्न है, पिछड़े हुए उत्तर-पूर्वी, पूर्वी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों के कुल बैंक कार्यालयों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है और यह संख्या 25 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गयी। प्रति बैंक कार्यालय द्वारा सेवित जनसंख्या के औसत आकार में कमी आयी और वह जून 1969 के 65,000 व्यक्ति प्रतिशाखा से घटकर जून 1989 में 12,000 व्यक्ति प्रति शाखा रह गया है। जमा खातों की संख्या, जो कि वर्ष 1969 में 18 मिलियन से थोड़ी अधिक थी, बढ़कर दिसम्बर 1986 में 246.3 मिलियन हो गयी। अर्थ व्यवस्था में बैंकिंग तंत्र की पैठ का पता इस बात से लगता है कि बैंक जमा खातों की अनुमानित औसत संख्या अब प्रति परिवार एक से अधिक है। ऋण खातों की संख्या जो कि वर्ष 1969 में 1.1 मिलियन थी, बढ़कर जून 1988 में 46.9 मिलियन हो गयी। दूसरी बात यह है कि, वाणिज्य बैंकों की जमाराशियाँ घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचतों के मुख्य स्रोत के रूप में सामने आयी हैं। वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियाँ जून 1969 के 4,646 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1989 में 1,47,000 करोड़ रुपये हो गयीं तथा राष्ट्रीय आय में उनका हिस्सा 15 प्रतिशत से बढ़कर 49 प्रतिशत हो गया। तीसरी बात यह है कि, जहां तक ऋण के निवेश का संबंध है, समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल बैंक ऋण में निर्धारित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का हिस्सा जो कि जून 1969 में लगभग 14 प्रतिशत था, बढ़कर जून 1989 में 42 प्रतिशत से ऊपर हो गया। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में बैंक ऋण का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनुसूचित जातियों और जन जातियों, खेतिहर मजदूरों, बंटाईदारों, काश्तकारों तथा शहरी गरीबों-जैसे समाज के कमजोर वर्गों को गया है।

1.26 शाखा बैंकिंग के तीव्र विस्तार, बैंकिंग कारोबार में आयी क्रांति-जैसी स्थिति तथा अधिकार एवं नियंत्रण की सीमाओं में विस्तार के कारण बैंकिंग तंत्र पर समग्रतः अत्यधिक तनाव एवं दबाव पड़ा है। इन प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए हाल के वर्षों में समेकन (कन्सोलिडेशन) की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता रहा है। इसके साथ ही तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के प्रति, जो कि विशेषतः उद्योग, विदेशी व्यापार एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आधुनिकीकरण एवं उदारीकरण के दौर से गुजर रही है, बैंकिंग उद्योग सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करता रहा है। मौद्रिक एवं ऋण नीतियों में भी इस बात का प्रयास किया गया है कि बंधनों को ढीला किया जाए, लचीलापन तथा दक्षता प्रदान की जाए तथा विशाखन एवं नवीनीकरण को बढ़ावा दिया जाए। नयी संस्थाओं एवं लिखतों को बढ़ावा देना इन नीतियों का मुख्य पक्ष रहा है।

1.27 बैंकिंग तंत्र के स्वस्थ विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा बाद के पैराग्राफों में की गयी है।

towards "a larger social purpose" and to "subserve national priorities and objectives." As a result, the system has undergone a structural transformation in both quantitative and qualitative terms: vast expansion in branch network particularly covering the rural and semi-urban areas; substantial mobilisation of financial savings; reorientation of the flow of bank credit from a relatively few large and medium industry and trade accounts to a massive number of borrowers from agriculture, small-scale industries, small businesses, professionals, and retail trade, including a vast number of weaker sections of society, all of which are categorised as 'priority sectors'; promoting a new class of entrepreneurs so as to widen the industrial and economic base of the society; and professionalisation of bank managements and staff.

1.25 The total number of bank offices rose from 8,262 in June 1969 to about 57,197 in June 1989 with the share of rural branches rising from 1,860 (or 22.5 per cent of the total) to 32,577 (57.0 per cent). Region-wise, the north-eastern, eastern and central regions improved their share in total bank offices from 25 per cent to 40 per cent. The average size of population served per bank office came down from 65,000 in June 1969 to 12,000 in June 1989. The number of deposit accounts, which was a little over 18 million in 1969, increased to 246.3 million in December, 1986. The permeation of the banking system into the economy is reflected in the fact that the number of bank deposit accounts is now estimated to average more than one per family. The number of loan accounts rose from 1.1 million in 1969 to 46.9 million in June, 1988. Secondly, commercial bank deposits have emerged as the major source of financial saving of the household sector; the aggregate deposits of commercial banks grew from Rs. 4,646 crores in June 1969 to Rs. 1,47,000 crores in June 1989 and their proportion to national income rose from 15 per cent to 49 per cent. As regards the deployment of credit, the share of the designated priority sectors in net bank credit of all scheduled commercial banks has gone up from about 14 per cent in June 1969 to over 42 per cent in June 1989. Within the priority sectors, a sizeable portion of bank credit has gone to weaker sections of society like scheduled castes and tribes, agricultural labourers, share croppers, tenants and urban poor.

1.26 The rapid expansion in branch banking, the virtual explosion in banking transactions and the lengthening of the lines of command and control have brought in their wake considerable stresses and strains on the banking system as a whole. To counter these adverse effects, the emphasis in recent years has been on process of consolidation. At the same time, the banking industry has been responding positively to the needs of a fast growing economy undergoing a process of modernisation and liberalisation, particularly in the areas of industry, external trade, and technology. Monetary and credit policies are also aimed at reducing rigidities, imparting flexibility and efficiency, and promoting diversification and innovation. Promotion of new institutions and instruments has been a major element in these policies.

1.27 Some key issues relevant to the healthy development of the banking system are discussed in the following paragraphs.

1.28 ऋण आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता पहले से ही महसूस की जा रही है। ऋण खातों से संबंधित स्वास्थ्यकूट आंकड़े, जो इस समय उपलब्ध हैं, इस तरह का सुधार लाने में उपयोगी सिद्ध होने चाहिए। इस समस्या का एक अच्छा समाधान यह होगा कि ऋण मूल्यांकन तथा निगरानी में सुधार लाया जाए एवं प्रारंभिक रुग्णता के मामलों में समय से उपचारात्मक कार्रवाई की जाए।

1.29 सेवाक्षेत्र दृष्टिकोण, जिसका लक्ष्य ग्रामीण ऋणदान प्रणाली में सुधार लाना है, 1 अप्रैल 1989 से शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन उन्मुख ऋण प्रदान किया जाए ताकि और अधिक रोज़गार तथा आय की प्राप्ति हो। सेवाक्षेत्र योजनाएँ पिछले वर्ष के मुकाबले वर्ष 1989-90 के दौरान अधिक ऋण वितरण का लक्ष्य प्रदर्शित करती हैं। बैंकों के शीर्ष प्रबंधकों को तथा उनके नियंत्रक तंत्र को यह सूचित किया गया है कि वे उक्त कार्यक्रम की बारीकी से निगरानी करें ताकि सभी शाखाओं द्वारा योजनाओं का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

1.30 बैंकों की लाभप्रदता पर दबाव मुख्यतः रुग्ण अथवा अव्यवस्थित औद्योगिक इकाइयों के अनियमित खातों के कारण एवं कृषि तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से संबंधित बकाया राशियों की असंतोषजनक वसूली के कारण है। जहां तक प्रथम श्रेणी का संबंध है, इस बात की आवश्यकता है कि बैंकों के दावों को लागू करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को और तेज तथा प्रभावी किया जाए। उस काम के लिए विशिष्ट न्यायाधिकरण की स्थापना की आवश्यकता हो सकती है। कृषि तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्र से संबंधित अग्रिमों की देय राशियों के संबंध में यह आवश्यक है कि बैंक अपनी निधियों के पुनर्निवेश के लिए अपने प्रयासों में तेजी लाएँ। इसके साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है कि वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों की बकाया राशियों की वसूली का सामान्य वातावरण नष्ट न हो। इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक तथा नाबार्ड इस बात के लिए उपाय करते रहे हैं कि राज्य सहकारी बैंकों का वित्तपोषण उनके द्वारा ब्याजदर तथा ऋण अनुशासन संबंधी अन्य निर्धारित शर्तों के आधार पर किया जाए।

1.31 बैंकिंग तंत्र के समेकन पर और अधिक जोर दिया जाता रहा है। वाणिज्य बैंकों द्वारा तैयार की गयी व्यापक कार्य-योजनाओं के माध्यम से इस लक्ष्य की प्राप्ति की जानी है। बैंकों के प्रबंधात्मक ढाँचे को सुदृढ़ बनाकर, आंतरिक पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण प्रणाली को विकसित करके, मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा क्षमता में वृद्धि करके, ग्राहक सेवा तथा हाउस कीपिंग में सुधार करके, अच्छे ऋण प्रबंधन, उच्चतर उत्पादकता, खर्च में मितव्ययिता बरतकर तथा बैंक की देय राशियों की वसूली करके तथा चरणबद्ध रूप में नयी तकनीक लागू करके बैंकों की परिचालनात्मक क्षमता में सुधार लाना इन कार्य योजनाओं का उद्देश्य है। यद्यपि इन प्रयासों के परिणाम सामने आ रहे हैं, तथापि और अधिक सुधार की काफी गुंजाइश है। घाटे में रहनेवाली शाखाओं की संख्या कम की जानी है। यद्यपि ग्राहक सेवा में सुधार हुआ है, फिर भी इसका निरंतर ध्यान बनाये रखना है।

1.32 बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए समय-समय पर उनका निरीक्षण किये जाने के मुख्य उपाय के अलावा कुछ अन्य तरीके भी विकसित किये गये हैं ताकि उत्पन्न परिस्थितियों से निपटा जा सके। बैंकों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित करने के लिए उपाय किये गये हैं, जैसे कि अरक्षितता जोखिम सीमाएँ तथा अलाभकर ऋणों की पहचान। ऐसा करने का प्रयोजन यह है कि ऐसे ऋणों से संबंधित ब्याज को आय से निकाला जा सके। निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित दोनों प्रकार की अरक्षितता के जोखिम से संबंधित पूँजी की उपयुक्त पर्याप्तता विषयक मानदंड लागू करने के प्रस्ताव

1.28 There is a continuing need for improvement in the quality of loan assets. The Health Code Data relating to the loan accounts that are now available should be of help in bringing about such an improvement. An enduring solution to this problem lies in improvements in credit evaluation and monitoring and initiation of timely remedial action in cases of incipient sickness.

1.29 The Service Area Approach which is aimed at improving the rural credit delivery system has become operational from April 1, 1989. The programme aims at providing production-oriented credit in the rural areas leading to higher employment and incomes. The Service Area plans project a higher level of credit disbursement during 1989-90 as compared with the previous year. The top management of banks and the controlling tiers have been advised to closely monitor the programme so as to ensure successful implementation of the plans by all branches.

1.30 The pressure on bank profitability is to a large extent attributable to irregular accounts of sick or mismanaged industrial units and unsatisfactory recovery of bank dues in respect of agricultural and other priority sector advances. As regards the first category, the legal processes for enforcing banks' claims should be made more expeditious and effective. It may be necessary to establish special tribunals for this purpose. With regard to the dues in respect of agricultural and other priority sector advances, banks need to step up their own efforts at recycling their funds. Besides, it is necessary to ensure that the general environment for recovery of dues to commercial and co-operative banks is not vitiated. Towards this end, the Reserve Bank and NABARD have been taking measures to make refinancing of State Co-operative Banks contingent upon the adherence to the prescribed interest rates and other credit disciplines.

1.31 There has been an increasing emphasis on consolidation in the banking system. This is sought to be achieved through comprehensive Action Plans prepared by commercial banks. The objectives of these Action Plans are : improvement of banks' operational efficiency by strengthening the organisational structure, upgradation of internal supervision and control systems, enhancing capacity and quality of training for human resources development, improving customer service and house-keeping, reinforcing financial viability by better credit management, higher productivity, economy of expenditure and recovery of bank dues and introducing new technology in a phased manner. Though these efforts are yielding results, there is considerable scope for further improvement. The number of loss-making branches would have to be brought down. Customer service, though it has shown improvement, needs to be kept under constant attention.

1.32 Apart from the periodical inspection as a major tool for bank supervision, other techniques have been evolved to meet the emerging environment. Measures have been taken to prescribe prudential norms for banks such as exposure risk limits and recognition of non-performing loans for the purpose of exclusion of interest on such loans from income. Proposals are under consideration to introduce appropriate capital adequacy norms related to riskiness of both fund based and non-fund based exposures.

विचाराधीन हैं। भारत में पहली बार कारोबार शुरू करने वाले विदेशी बैंकों के लिए भी एक न्यूनतम शुरूआती पूँजी प्रारंभ की गयी है।

1.33 गैर बैंकिंग संस्थाओं से उत्पन्न कड़ी प्रतिस्पर्धा से भी बैंकों की जमाराशियों के प्रभावित होने की संभावना है तथा इसके कारण निधियों के प्रबंधपर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसमें प्रारक्षित आस्तियों से संबंधित अर्जन को अधिकतम करना ही नहीं बल्कि आस्तियों के संविभाग की संरचना के साथ जमाराशियों की परिपक्वता के स्वरूप का अच्छी तरह तालमेल बैठाने की बात भी निहित है। पुनश्च, बैंकों को अपने विकासमान निधीतर कारोबार को दक्षता पूर्वक करने के लिए आवश्यक कार्यकुशलता विकसित करने की भी आवश्यकता होगी।

1.34 कुछ समय से बैंक प्रत्यक्ष रूप में अथवा अपनी सहायक संस्थाएँ स्थापित करके, पट्टेदारी, व्यापारी बैंकिंग, आवास तथा पारस्परिक निधियों—जैसे संबंधित क्षेत्रों में अपने कामों के विशाखन तथा नवीनीकरण का प्रयास करते रहे हैं। गैर-बैंकिंग संस्थाओं के कार्य में वृद्धि हो रही है तथा बैंकों एवं बैंकेतर संस्थाओं का अंतर घट सकता है एवं बैंकों तथा उनकी सहयोगी संस्थाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे उत्पन्न बाज़ार संबंधी परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपेक्षित कुशलता तथा विशेषज्ञता प्राप्त करें। बैंकों की सहयोगी संस्थाओं तथा बैंकेतर वित्तीय संस्थाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करें ताकि संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र का विकास ठीक तरह से हो सके।

A minimum start-up capital has also been introduced for foreign banks entering India for the first time.

1.33 The emergence of strong competition from non-banking institutions is likely to affect the composition of bank deposits and would call for greater attention on funds management. This involves not only maximising earnings on reserve assets but the efficient matching of the maturity pattern of deposits with the structure of asset portfolio. Furthermore, banks would also need to develop necessary skills for efficient handling of their growing non-fund business.

1.34 Banks have been, of late, attempting to innovate and diversify their operations in related fields like leasing, merchant banking, housing and mutual funds either directly or by setting up subsidiaries for the purpose. The role of non-banking institutions is expanding and the distinction between banks and non-banks could get blurred. Banks and their subsidiaries would, therefore, have to equip themselves with the requisite skills and expertise in order to cope with the emerging market situation. Bank subsidiaries as well as non-bank financial institutions, however, need to adhere to prudential norms in order that the entire financial sector develops on sound lines.

अध्याय II
वाणिज्य बैंकिंग

1. विहगावलोकन

1988-89 (जुलाई-जून) के दौरान बैंकिंग गतिविधियों की विशेषता यह रही कि कुल जमाराशियों की तुलना में खाद्येतर ऋण में काफी अधिक वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप खाद्येतर ऋण जमा अनुपात में तीव्र वृद्धि हुई और वह जून 1988 के अंत के 55.7 प्रतिशत से बढ़कर जून 1989 के अंत में 58.9 प्रतिशत हो गया।

2.2 अप्रैल 1988 की ऋण नीति में कुल जमाराशियों की वृद्धि से संबंधित कार्यकारी अनुमानों को वर्ष 1988-89 (अप्रैल-मार्च) के लिए 20,500 करोड़ रुपये (17.4 प्रतिशत) रखा गया था। इस संबंध में 1988-89 में वास्तविक वृद्धि 22,041 करोड़ रुपये अथवा 18.7 प्रतिशत थी जो कि कार्यकारी अनुमानों से अपेक्षाकृत कुछ अधिक थी। सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान कुल जमाराशियों में वार्षिक औसत वृद्धि 16,961 करोड़ रुपये (18.0 प्रतिशत) थी।

2.3 वर्ष के दौरान, प्रारंभिक महीनों में, मौद्रिक और ऋण नीति को तैयार करने और लागू करने का आधार था- गत वर्ष के सूखे के अनुप्रभावों (ऑफटर-ईफैक्ट) को बराबर ध्यान में रखना और बाद में, 1988-89 की वास्तविक आय वृद्धि में उल्लेखनीय सुधार और 1989-90 में अच्छे कार्य निष्पादन की संभावना। तथापि, पण्यों के मूल्यों पर जारी दबाव चिंता का विषय बना रहा। उत्पादन कार्यकलापों को प्रोत्साहन देनेवाले व्यापक नीतिगत सिद्धांतों को अपनाते हुए, और उसी तरह से, मुद्रास्फीतिकारी दबावों को रोकते हुए वित्तीय प्रणाली के परिचालन में तेजी लाने के उद्देश्य पर वर्ष के दौरान पर्याप्त जोर दिया गया है।

2. सामान्य बैंकिंग प्रवृत्तियां

जमाराशियों की प्रवृत्तियां

2.4 1988-89 (जुलाई-जून) के दौरान कुल जमाराशियों में हुई 20,820 करोड़ रुपये की वृद्धि 1987-88 के 18,425 करोड़ रुपये की तुलना में संपूर्ण रूप में अधिक थी, यद्यपि, प्रतिशतता की दृष्टि से 16.5 प्रतिशत की वृद्धि दर पूर्ववर्ती वर्ष के 17.1 प्रतिशत की अपेक्षा निम्नतर थी (सारणी II.1)। प्रवृत्तियों के तिमाहीवार विश्लेषण से पता चलता है कि पहली (जुलाई-सितंबर 1988) और दूसरी (अक्तूबर-दिसंबर 1988) तिमाहियों के दौरान कुल जमाराशियों में संपूर्ण और प्रतिशतता दोनों रूप में पिछले वर्ष की उन्हीं तिमाहियों की तुलना में अधिक वृद्धि हुई; तीसरी (जनवरी-मार्च 1989) तिमाही में कुल जमाराशियों में गिरावट आयी। चौथी (अप्रैल-जून 1989) तिमाही में यह वृद्धि संपूर्ण और प्रतिशतता दोनों रूपों में अपेक्षाकृत कम थी (सारणी II.2)। प्रथम तिमाही में, जमाराशियों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि बैंकों द्वारा पुनः खरीद व्यवस्थाओं को समाप्त करने के कारण हुई।

CHAPTER II
COMMERCIAL BANKING

1. Overview

The banking developments during 1988-89 (July-June) were characterised by a significantly larger growth in non-food credit than in aggregate deposits which resulted in sharp increase in the non-food credit-deposit ratio from 55.7 per cent at the end of June 1988 to 58.9 per cent at the end of June 1989.

2.2 In the credit policy exercises of April 1988, the working estimate relating to the growth of aggregate deposits was placed at Rs. 20,500 crores (17.4 per cent) for 1988-89 (April-March). The actual increase in 1988-89 at Rs. 22,041 crores, or 18.7 per cent, was somewhat higher than the working estimate. The annual average increase in aggregate deposits during the first four years of the Seventh Plan was Rs. 16,961 crores (18.0 per cent).

2.3 The formulation and operation of monetary and credit policy during the year was guided, in the initial months, by the continuing concern about the after-effects of the previous year's drought and later by the impressive recovery in real income growth in 1988-89 and prospects of a further good performance in 1989-90. However, the continuing pressure on commodity prices remained a matter of concern. While pursuing the broad policy tenet of supporting production activities and, at the same time, of containing inflationary pressures, the objective of promoting efficiency in the operation of the financial system was given a visible thrust during the year.

2. General Banking Trends

Trends in Deposits

2.4 During1988-89 (July-June) increase in aggregate deposits at Rs. 20,820 crores was higher, in absolute terms, than that of Rs. 18,425 crores in 1987-88 though in percentage terms the growth rate at 16.5 per cent was lower than that of 17.1 per cent in the preceding year (Table II.1). A quarter-wise analysis of trends reveals that during the first (July-September 1988) and second (October-December 1988) quarters, aggregate deposits recorded larger increase both in absolute and percentage terms as compared with the corresponding quarters of the previous year; in the third (January-March 1989) quarter, aggregate deposits declined. The increase in fourth (April-June 1989) quarter was lower both in absolute and percentage terms (Table II.2).

सारणी II.1 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़े

(करोड़ रुपये)

मदें	निम्नलिखित तारीखों को बकाया			वर्ष के दौरान घट-बढ़ (जुलाई-जून)	
	26 जून 1987	24 जून 1988	30 जून 1989*	1987-88	1988-89*
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. कुल जमाराशियां	1,07,898	1,26,323	1,47,143	+18,425 (+17.1)	+20,820 (+16.5)
क) मांग जमाराशियां	19,283	21,936	24,892	+2,653 (+13.8)	+2,956 (+13.5)
ख) मीयादी जमाराशियां	88,615	1,04,387	1,22,251	+15,772 (+17.8)	+17,864 (+17.1)
2. कुल बैंक ऋण	64,213	72,436	88,397	+8,223 (+12.8)	+15,961 (+22.0)
क) खाद्य ऋण	5,035	2,069	1,659	-2,966	-410
ख) खाद्येतर ऋण	59,178	70,367	86,738	+11,189 (+18.9)	+16,371 (+23.3)
3. निवेश	40,482	49,256	57,515	+8,774 (+21.7)	+8,259 (+16.8)
क) सरकारी प्रतिभूतियां	26,173	32,589	38,128	+6,416	+5,539
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	14,309	16,667	19,387	+2,358	+2,720
4. हाथ में नकदी और भा. रि. बैंक के पास शेष राशियां	18,113	20,624	23,774	+2,511	+3,150
क) हाथ में नकदी	1,541	1,503	1,718	- 38	+215
ख) भा. रि. बैंक के पास शेष राशियां	16,572	19,121	22,056	+2,549	+2,935
5. भा. रि. बैंक से लिये गये ऋण	1,136	831	2,174	- 305	+1,343
6. ऋण-जमा अनुपात	59.5	57.3	60.1		
7. खाद्येतर ऋण-जमा अनुपात	54.8	55.7	58.9		
8. निवेश-जमा अनुपात	37.5	39.0	39.1		

* अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

स्रोत : भा. रि. बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां।

सारणी II.2 : कुल जमाराशियों में वृद्धि : त्रैमासिक

तिमाही	1987-88		1988-89	
	राशि (करोड़ रुपये)	प्रतिशत वृद्धि	राशि (करोड़ रुपये)	प्रतिशत वृद्धि
1.	2.	3.	4.	5.
जुलाई- सितंबर	+2,401	+2.2	+4,547	+3.6
अक्तूबर- दिसंबर	+8,309	+7.5	+11,135	+8.5
जनवरी-मार्च	-563	-0.5	-1,855 @	-1.3@
अप्रैल-जून	+8,278	+7.0	+6,993*@	+5.0*@
जोड़ (जुलाई-जून)	+18,425	+17.1	+20,820*	+16.5*

* अनंतिम

@ मार्च में लिए गये आंकड़े अंतिम शुक्रवार को सूचित किये आंकड़ों से संबंधित और आंशिक रूप से संशोधित हैं।

Table II.1 : Scheduled Commercial Banks' Data

(Rs. Crores)

Items	Outstanding as on			Variations during the year (July-June)	
	June 26, 1987	June 24, 1988	June 30, 1989*	1987-88	1988-89*
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Aggregate Deposits	1,07,898	1,26,323	1,47,143	+18,425 (+17.1)	+20,820 (+16.5)
A) Demand Deposits	19,283	21,936	24,892	+2,653 (+13.8)	+2,956 (+13.5)
B) Time Deposits	88,615	1,04,387	1,22,251	+15,772 (+17.8)	+17,864 (+17.1)
2. Total Bank Credit	64,213	72,436	88,397	+8,223 (+12.8)	+15,961 (+22.0)
A) Food Credit	5,035	2,069	1,659	–2,966	–410
B) Non-food Credit	59,178	70,367	86,738	+11,189 (+18.9)	+16,371 (+23.3)
3. Investments	40,482	49,256	57,515	+8,774 (+21.7)	+8,259 (+16.8)
A) Government Securities	26,173	32,589	38,128	+6,416	+5,539
B) Other Approved Securities	14,309	16,667	19,387	+2,358	+2,720
4. Cash-in-hand and Balances with RBI	18,113	20,624	23,774	+2,511	+3,150
A) Cash-in-hand	1,541	1,503	1,718	– 38	+215
B) Balances with RBI	16,572	19,121	22,056	+2,549	+2,935
5. Borrowings from RBI	1,136	831	2,174	– 305	+1,343
6. Credit-Deposit Ratio	59.5	57.3	60.1		
7. Non-food Credit-Deposit Ratio	54.8	55.7	58.9		
8. Investment-Deposit Ratio	37.5	39.0	39.1		

* Provisional.
Note : Figures in brackets indicate percentage increase over the previous year.
Source : Returns received under Section 42(2) of the RBI Act, 1934.

Table II.2 : Growth in Aggregate Deposits : Quarterly

Quarter	1987-88		1988-89	
	Amount (Rs. Crores)	Percentage Growth	Amount (Rs. Crores)	Percentage Growth
1.	2.	3.	4.	5.
July-September	+2,401	+2.2	+4,547	+3.6
October-December	+8,309	+7.5	+11,135	+8.5
January-March	–563	–0.5	–1,855 @	–1.3@
April-June	+8,278	+7.0	+6,993*@	+5.0*@
Total (July-June)	+18,425	+17.1	+20,820*	+16.5*

* Provisional.
@ Data used for March relate to last reporting Friday and are partially revised.

जमाराशियों की मौसमी प्रवृत्तियां

2.5 कुल जमाराशियों में मौसमी विभिन्नताओं के विश्लेषण से पता चलता है कि जमाराशियों में वृद्धि 1988 के कम कामकाज के समय तथा 1988-89 के व्यस्त कामकाज के समय के दौरान संपूर्ण और प्रतिशतता दोनों ही रूपों में अधिक थी। 1988 के कम कामकाज के समय (मई-अक्तूबर 1988) के दौरान जमाराशियों में वृद्धि 11,536 करोड़ रुपये (9.6 प्रतिशत) रही जो कि 1987 के कम कामकाज के समय के दौरान की 8,506 करोड़ रुपये (8.3 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी। इसी प्रकार से 1988-89 के व्यस्त कामकाज के समय (नवंबर 1988 से अप्रैल 1989) के दौरान जमाराशियों की वृद्धि 11,433 करोड़ रुपये (8.7 प्रतिशत) थी जो कि 1987-88 के व्यस्त कामकाज के समय के दौरान की 8,703 करोड़ रुपये (7.8 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी।

मांग और मीयादी जमाराशियों में वृद्धि

2.6 घटकवार, मांग जमाराशियों में हुई 2,956 करोड़ रुपये की वृद्धि संपूर्ण रूप में 1987-88 में हुई 2,653 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में अधिक थी; तथापि, प्रतिशतता रूप में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि, 1987-88 में हुई वृद्धि (13.8 प्रतिशत) की तुलना में मामूली सी कम थी। इसी प्रकार से, मीयादी जमाराशियों में 17,864 करोड़ रुपये तक की वृद्धि गत वर्ष की 15,772 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में संपूर्ण रूप में अधिक थी, जबकि गत वर्ष की 17.8 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 17.1 प्रतिशत की यह वृद्धि अपेक्षाकृत कम थी। 1988-89 की पहली, दूसरी और तीसरी तिमाहियों में मीयादी जमाराशियों में संपूर्ण और प्रतिशतता दोनों रूपों में भारी वृद्धि हुई। चौथी तिमाही में, मीयादी जमाराशियों में वृद्धि संपूर्ण तथा प्रतिशतता दोनों रूपों में गत वर्ष की तदनुरूप तिमाही की तुलना में अपेक्षाकृत कम रही। मांग और मीयादी जमाराशियों में तिमाही वृद्धि से संबंधित आंकड़े सारणी II.3 में दिये गये हैं।

सारणी II.3 : मांग और मीयादी जमाराशियों में वृद्धि : त्रैमासिक

(करोड़ रुपये)

तिमाही	मांग जमाराशियों में वृद्धि		मीयादी जमाराशियों में वृद्धि	
	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89
1.	2.	3.	4.	5.
जुलाई-सितंबर	-343	+517	+2,744	+4,030
	(-1.8)	(+2.4)	(+3.1)	(+3.9)
अक्तूबर-दिसंबर	+2,337	+3,409	+5,972	+7,726
	(+12.3)	(+15.2)	(+6.5)	(+7.1)
जनवरी-मार्च	-1,030	-2,520@	+467	+665@
	(-4.8)	(-9.7)	(+0.5)	(+0.6)
अप्रैल-जून	+1,689	+1,550*@	+6,589	+5,443*@
	(+8.3)	(+6.6)	(+6.7)	(+4.7)
कुल (जुलाई-जून)	+2,653	+2,956*	+15,772	+17,864*
	(+13.8)	(+13.5)	(+17.8)	(+17.1)

* अनंतिम

@ मार्च के लिए इस्तेमाल किये गये आंकड़े सूचना देनेवाले अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं तथा आंशिक रूप से संशोधित हैं।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत वृद्धि को दर्शाते हैं।

Seasonal Trends in Deposits

2.5 An analysis of seasonal variations in aggregate deposits reveals that deposit accretion was higher both in absolute and percentage terms during the slack season of 1988 as well as the busy season of 1988-89. Deposit accretion during the 1988 slack season (May-October 1988) at Rs. 11,536 crores (9.6 per cent) was higher than that of Rs. 8,506 crores (8.3 per cent) in the 1987 slack season. Similarly, deposit accretion during the 1988-89 busy season (November 1988-April 1989) at Rs. 11,433 crores (8.7 per cent) was higher than that of Rs. 8,703 crores (7.8 per cent) in the 1987-88 busy season.

Growth in Demand and Time Deposits

2.6 Component-wise, the increase in demand deposits by Rs. 2,956 crores was higher in absolute terms than the increase of Rs. 2,653 crores in 1987-88; however, in percentage terms the growth at 13.5 per cent was marginally lower than that (13.8 per cent) in 1987-88. Similarly, the growth in time deposits by Rs. 17,864 crores was larger in absolute terms than that of Rs. 15,772 crores last year, while the growth rate at 17.1 per cent was lower than that of (17.8 per cent) last year. Time deposits recorded a larger increase in absolute as well as percentage terms in the first, second and third quarters of 1988-89. In the fourth quarter, the growth in time deposits was lower both in absolute and percentage terms as compared with that in the corresponding quarter of the preceding year. Data on quarterly growth in demand and time deposits are presented in Table II.3.

Table II.3 : Growth in Demand and Time Deposits : Quarterly

(Rs. Crores)

Quarter	Growth in Demand Deposits		Growth in Time Deposits	
	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89
1.	2.	3.	4.	5.
July-September	-343	+517	+2,744	+4,030
	(-1.8)	(+2.4)	(+3.1)	(+3.9)
October-December	+2,337	+3,409	+5,972	+7,726
	(+12.3)	(+15.2)	(+6.5)	(+7.1)
January-March	-1,030	-2,520@	+467	+665@
	(-4.8)	(-9.7)	(+0.5)	(+0.6)
April-June	+1,689	+1,550*@	+6,589	+5,443*@
	(+8.3)	(+6.6)	(+6.7)	(+4.7)
Total (July-June)	+2,653	+2,956*	+15,772	+17,864*
	(+13.8)	(+13.5)	(+17.8)	(+17.1)

* Provisional.

@ Data used for March relate to last reporting Friday (March 24, 1989) and are partially revised.

Note : Figures in brackets indicate percentage growth rates.

ऋण की प्रवृत्तियां

2.7 1988-89 (जुलाई-जून) के दौरान कुल बैंक ऋण में 15,961 करोड़ रुपये (22.0 प्रतिशत) की भारी वृद्धि वर्ष 1987-88 की तुलना में संपूर्ण और प्रतिशत दोनों रूपों में अधिक थी (8,223 करोड़ रुपये या 12.8 प्रतिशत)। खाद्य ऋण में, 1987-88 में 2,966 करोड़ रुपये की गिरावट की तुलना में 1988-89 के दौरान 410 करोड़ रुपये की गिरावट आयी। खाद्येतर ऋण में पिछले वर्ष के 11,189 करोड़ रुपये (18.9 प्रतिशत) की तुलना में 16,371 करोड़ रुपये (23.3 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई जो अर्थव्यवस्था में हुए सुधार के कारण ऋण में मांग की बढ़ोत्तरी को दर्शाती है। (सारणी II.1)

ऋण में मौसमी प्रवृत्तियां

2.8 बैंक ऋण में मौसमी प्रवृत्तियां यह दर्शाती हैं कि 1988 के कम काम के समय और 1988-89 के व्यस्त काम काज के समय, दोनों के दौरान गत तदनुरूप मौसमों की तुलना में भारी वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप, खाद्येतर ऋणों में व्यापक वृद्धि हुई। वर्ष 1988 के कम काम के समय के दौरान 5,096 करोड़ रुपये अथवा 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जो वर्ष 1987 के कम काम के समय के दौरान हुई 3,158 करोड़ रुपये अथवा 5.0 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में काफी अधिक थी। 1988-89 के व्यस्त काम के समय के दौरान बैंक ऋण में 11,249 करोड़ रुपये अथवा 14.8 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई जो 1987-88 के व्यस्त काम के समय के दौरान 4,874 करोड़ रुपये अथवा 7.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में अधिक थी। खाद्येतर ऋण में हुई 11,375 करोड़ रुपये की वृद्धि से खाद्य ऋण में मामूली सी गिरावट आयी जो 126 करोड़ रुपये थी। 1988-89 के अधिक कामकाज के समय में विद्यमान 99.5 प्रतिशत का वृद्धिशील खाद्येतर ऋण-जमा अनुपात 1987-88 के अधिक कामकाज के समय के 74.3 प्रतिशत अनुपात की तुलना में काफी अधिक था।

निवेश और नकदी शेष राशियां

2.9 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के निवेश में वर्ष 1988-89 के दौरान जो 8,259 करोड़ रुपये (16.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, वह वर्ष 1987-88 में हुई 8,774 करोड़ रुपये (21.7 प्रतिशत) की वृद्धि से संपूर्ण तथा प्रतिशत दोनों ही रूपों में अपेक्षाकृत कम थी। बैंकों के हाथ में नकदी और रिज़र्व बैंक के पास इनकी शेष राशियों में 3,150 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गयी जो गत वर्ष की 2,511 करोड़ रुपये की वृद्धि से अपेक्षाकृत अधिक थी (सारणी II.1)।

3. ऋण नीति में हुई गतिविधियां

समग्र दृष्टिकोण

2.10 प्रारक्षित निधि और समग्र चलनिधि (एम 3) की अत्यधिक वृद्धि के संदर्भ में कीमतों पर 1987 के सूखे के संभावित अनुवर्ती प्रभावों के प्रति चिंता महसूस की गयी थी। वर्ष की बाद वाली अवधि में, यह सुनिश्चित करने का प्रयास बना रहा कि उत्पादन कार्यकलापों—कृषि, उद्योग और निर्यात में संभावित सुधार में समयोचित और पर्याप्त बैंक ऋण के अभाव में बाधा न पड़े। इसी प्रकार से, वर्ष के दौरान वित्तीय प्रणाली परिचालनों में तेजी लाने के उद्देश्य पर पर्याप्त बल दिया गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उठाये गये कदमों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं- ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में परिचालन संबंधी बाधाओं को कम करना, मुद्रा बाजार संबंधी नये लिखतों को आरंभ करना और विद्यमान मौद्रिक लिखतों

अनुसूचित वाणिज्य बैंक-चुनी हुई मदें

1 SCHEDULED COMMERCIAL BANKS - SELECTED ITEMS

(अंतिम शुक्रवार को) (AS ON LAST FRIDAY)

करोड़ रुपये
CRORES OF RUPEES

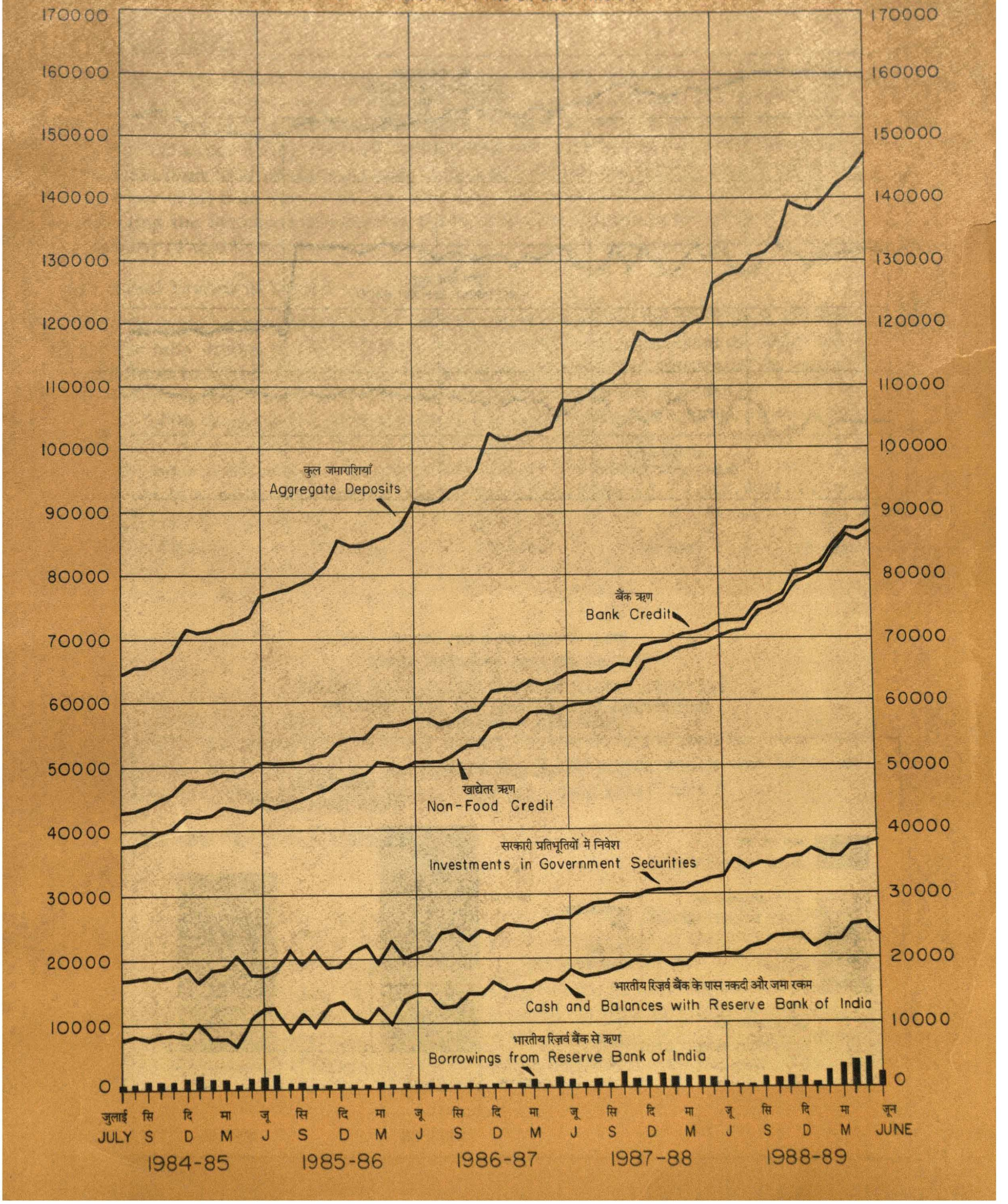

2

अनुसूचित वाणिज्य बैंक : जमाराशियों के संदर्भ में ऋण, निवेश और नकदी के अनुपात

SCHEDULED COMMERCIAL BANKS : RATIOS OF CREDIT, INVESTMENTS AND CASH TO DEPOSITS

(अन्तिम शुक्रवार को) (AS ON LAST FRIDAY)

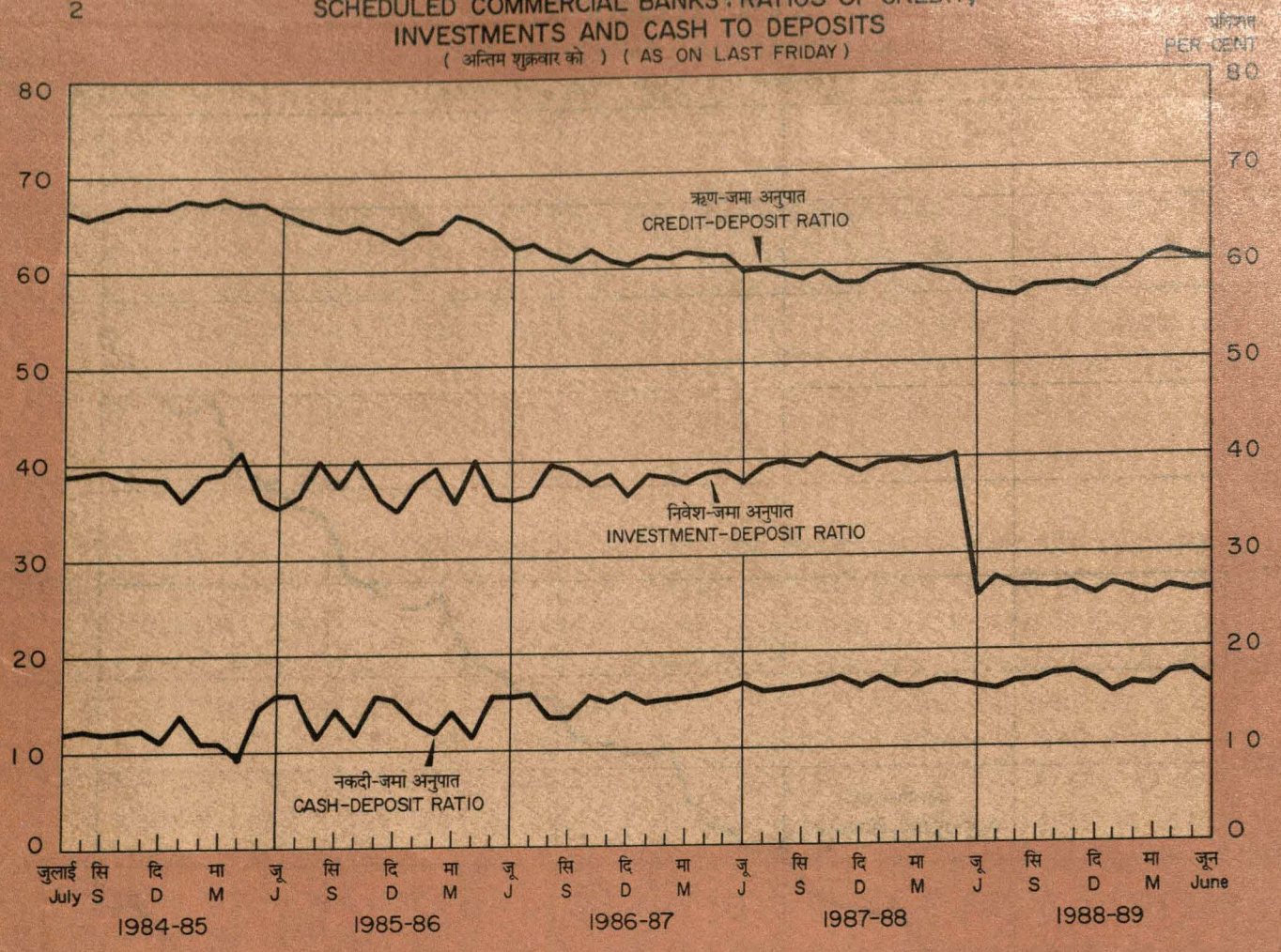

3

सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार वितरण 1987-88 और 1988-89 के दौरान घट-बढ़

SECTORAL DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT VARIATIONS DURING 1987-88 AND 1988-89

(अप्रैल - मार्च) (APRIL-MARCH)

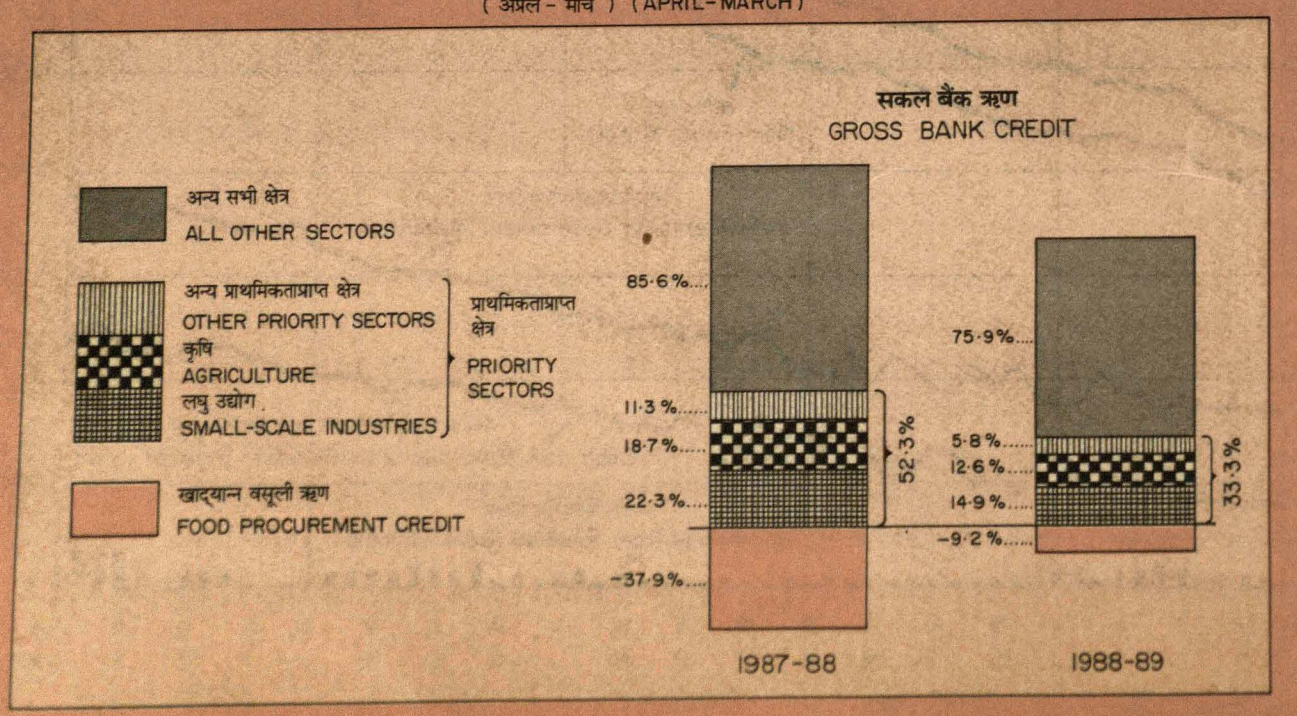

Trends in Credit

2.7 The expansion in total bank credit during 1988-89 (July-June) at Rs. 15,961 crores (22.0 per cent) was substantially larger both in absolute and percentage terms than that in 1987-88 (Rs. 8,223 crores or 12.8 per cent). Food credit declined by Rs. 410 crores during 1988-89 as compared with a decline of Rs. 2,966 crores in 1987-88. Non-food credit registered a markedly larger rise by Rs. 16,371 crores (23.3 per cent) than that of Rs. 11,189 crores (18.9 per cent) in the previous year, reflecting the increased demand for credit following a spurt in the growth of the economy (Table II.1).

Seasonal Trends in Credit

2.8 Seasonal trends in bank credit indicate that both during the 1988 slack season and the busy season of 1988-89 bank credit recorded higher increases as compared with those in the previous corresponding seasons as a result of substantial increases in non-food credit. During the 1988 slack season, bank credit recorded an increase of Rs. 5,096 crores or 7.2 per cent which was larger compared with an increase of Rs. 3,158 crores or 5.0 per cent in the 1987 slack season. During the 1988-89 busy season, bank credit registered a substantially larger increase of Rs. 11,249 crores or 14.8 per cent as compared with that of Rs. 4,874 crores or 7.4 per cent in the 1987-88 busy season, expansion in non-food credit of Rs. 11,375 crores being marginally offset by a fall of Rs. 126 crores in food credit. The incremental non-food credit-deposit ratio at 99.5 per cent was much higher in the 1988-89 busy season than that of 74.3 per cent in the 1987-88 busy season.

Investments and Cash Balances

2.9 Increase in investments of scheduled commercial banks in Government and other approved securities during the year 1988-89 of Rs. 8,259 crores (16.8 per cent) was lower in absolute as well as percentage terms than that of Rs. 8,774 crores (21.7 per cent) during 1987-88. Banks' cash-in-hand and their balances with the Reserve Bank recorded an increase of Rs. 3,150 crores which was larger as compared with that of Rs. 2,511 crores in the preceding year (Table II.1).

3. Developments in Credit Policy

Overall Approach

2.10 During the initial period a concern was felt about the possible impact on prices of the after-effects of the 1987 drought in the context of large expansion in reserve money and overall liquidity (M_3). In the subsequent part of the year, the endeavour was to ensure that the expected recovery in production activities — agriculture, industry and exports was not hampered for want of timely and adequate bank credit. At the same time, the objective of promoting efficiency in the operations of the financial system was given a visible impetus during the year. Towards

को सुदृढ़ करना। इस संबंध में एक उल्लेखनीय बात थी सामान्य श्रेणी के ऋणकर्ताओं पर से ब्याज दर की उच्चतम सीमा को हटाना तथा ऋणकर्ताओं की इस श्रेणी के लिए न्यूनतम ब्याज दर निर्धारित करना। यह कदम इस आशा से उठाया गया था कि बैंकों को उनके द्वारा जुटाई जानेवाली निधियों की लागत और उन निधियों पर मिलनेवाले प्रतिलाभ को संतुलित करने में मदद मिल सके, वहीं साथ ही प्रमुख ऋणकर्ताओं को इस बात के लिए समर्थ बनाया जाए कि वे अपने ऋणों की लागत को कम कर सकें। बैंकों ने अपने विवेकाधिकार का समझदारी से और सूझ-बूझ से उपयोग किया है और साथ ही सामान्य ऋण मूल्यांकन क्रियाविधियां स्थापित करने में उल्लेखनीय सीमा तक समन्वयन स्थापित किया है। बाद में, 15 प्रतिशत के प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में एकरूपता लायी गयी ताकि बहुविध अनुपातों को समाप्त किया जा सके और प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के परिचालनों को आसान बनाया जा सके। वर्ष के दौरान, 46 दिनों से 90 दिनों तक बैंक के पास रहनेवाली मीयादी जमाराशियों की ब्याज दर में वृद्धि करना, जमाराशि की दरों के समस्त ढांचे को युक्तियुक्त बनाने की प्रक्रिया का तर्क संगत विस्तार था; यह प्रक्रिया अप्रैल 1985 में आरंभ हुई थी। यह कार्यवाई इस इरादे से की गयी थी कि इन अल्पावधि दरों का प्रणाली की अन्य ब्याज करों के साथ बेहतर तालमेल बैठाया जा सके। मुद्रा बाजार में, मुद्रा बाजार संबंधी नयी लिखत अर्थात् अंतर बैंक सहभागिताएं, जोखिम और बिना जोखिम के, जमाराशियों के प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक पेपर, आरंभ किये गये। 1 मई 1989 से सभी मुद्रा बाजार लिखतों पर से ब्याज दर सीमाओं को हटाना, नियंत्रणों में ढील देने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके अलावा, ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत बड़ी ऋण सीमाओं के लिए पूर्व प्राधिकरण की शर्त हटाकर उसकी जगह पर पश्च स्वीकृति संवीक्षा की प्रक्रिया आरंभ करना तथा बैंकों से बैंकों में ऋण खातों का अंतरण करने में छूट देने का उद्देश्य ऋणकर्ताओं और बैंकों दोनों के लिए अपेक्षित सुविधा प्रदान करना था। प्रस्तावित फैक्टरिंग सुविधाएं आरंभ करने का उद्देश्य एक लंबे समय से लघु इकाइयों को सहायता प्रदान करने के लिए महसूस की जा रही जरूरत को पूरा करना है, इससे ये इकाइयां अपनी देय राशियों की शीघ्र वसूली कर सकेंगी और उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी

2.11 जुलाई 1988 से जून 1989 तक की अवधि के दौरान ऋण नीति से संबंधित किये गये उपायों के विवरण नीचे दिये गये हैं :

जुलाई 1988

प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि

2.12 प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को 30 जुलाई से 10.0 प्रतिशत से बढ़ाकर बैंकों की शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं का 10.5 प्रतिशत किया जाना था पर इसे 30 जुलाई के बजाय 2 जुलाई 1988 से ही लागू कर दिया गया क्योंकि खाद्य ऋण में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। चूंकि बैंकिंग तंत्र में विद्यमान अतिरिक्त चलनिधि में और वृद्धि हुई और इस बारे में भी चिंता व्यक्त की गयी कि मुद्रास्फीतिकारी दबावों में वृद्धि होगी, प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को 30 जुलाई 1988 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से 10.5 प्रतिशत से पुनः बढ़ाकर 11.0 प्रतिशत कर दिया गया। इसी प्रकार से, विदेशी मुद्रा (अनिवासी) जमाराशियों से संबंधित देयताओं पर भी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को 9.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10.0 प्रतिशत कर दिया था।

that end, steps taken included the easing of operational constraints in the credit delivery system, the introduction of new money market instruments and strengthening of the existing monetary instruments. A noteworthy feature was the removal of the interest rate ceiling on the general category of borrowers and the prescription of a minimum lending rate for this categories of borrowers. This step was expected to help banks to better equilibrate their cost of raising funds and the return on funds, while at the same time enabling prime borrowers to reduce their cost of borrowing. Banks have used their discretion with maturity and judgement and also achieved a notable degree of co-ordination in establishing modest credit rating procedures. Subsequently, the prescription of a uniform CRR of 15 per cent was designed to do away with the multiple prescriptions and simplify the CRR operations. The raising of the interest rate on term deposits with banks of 46 days to 90 days during the year was a logical extention of the process of rationalising the whole structure of deposit rates which began in April 1985; this was also intended to bring these short-term rates in better alignment with other interest rates in the system. In the money market, new money market instruments, viz., inter-bank participations, with risk and without risk, Certificates of Deposit (CDs) and Commercial Paper (CP) were introduced. The removal of interest rate ceilings on all money market instruments with effect from May 1, 1989 was a significant step in the process of easing controls. Furthermore, the withdrawal of the requirement of prior authorisation of large credit limits under the Credit Authorisation Scheme and its substitution by post-sanction scrutiny as well as the freedom given for the transfer of borrowal accounts as between banks is aimed at providing much needed flexibility both to the borrowers and the banks. The proposed introduction of factoring services is intended to meet a long-felt need to assist small-scale units to expeditiously recover their dues and thus help them to strengthen their financial position.

2.11 The details of the credit policy measures during the period July 1988 to June 1989 are set out below :

July 1988

Increase in Cash Reserve Ratio

2.12 The proposed increase in the cash reserve ratio (CRR) from 10.0 per cent to 10.5 per-cent of banks' net demand and time liabilities was advanced from July 30 to July 2, 1988 as the expected increase in food credit did not materialise. Since there was a further enlargement of the excess liquidity in the system and there were also concerns that the inflationary pressures would be accentuated, the CRR was again raised from 10.5 per cent to 11.0 per cent effective from the fortnight beginning July 30, 1988. Simultaneously, the CRR on Foreign Currency (Non-Resident) (FCNR) deposit liabilities was raised from 9.5 per cent to 10.0 per cent.

सितंबर 1988

चयनात्मक ऋण नियंत्रण—पंजाब में गेहूं पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन

2.13 पंजाब में मिलों/अभिसंस्करण इकाइयों द्वारा उठायी जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, राज्य में इन इकाइयों द्वारा रखे गये गेहूं के स्टॉक पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन को 19 सितंबर 1988 से 15 प्रतिशत प्वाइंट तक कम करके 30 प्रतिशत कर दिया गया।

वर्ष 1988-89 की दूसरी छमाही में किये गये नीतिगत उपाय : अक्तूबर 1988

2.14 वर्ष 1988-89 की दूसरी छमाही के लिए तैयार की गई ऋण नीति में इस बात पर बल दिया गया कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ी हुई ऋण आवश्यकताओं को भलीभांति पूरा किया जाये तथा प्रत्याशित वसूली को प्रोत्साहन दिया जाये। यद्यपि बैंकों की चलनिधि स्थिति संतोषजनक थी फिर भी बैंकों को अतिरिक्त चलनिधि रखने की अनुमति प्रदान की गयी थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वर्ष की दूसरी छमाही में अपेक्षित ऋण वृद्धि को पूरा करने के लिए बैंकों के पास प्रारक्षित निधियां थीं। अक्तूबर 1988 के दौरान जो नीतिगत उपाय आरंभ किये गये थे वे अनिवार्यतया संरचनात्मक मुद्दों से संबंधित थे- जैसे ब्याज दर और अन्य नियंत्रण संबंधी प्रक्रियाओं में छूट देना और मुद्रा बाजार की नयी लिखतों को आरंभ करना।

(क) **उधार ब्याज दरें** : जिन उधारकर्ताओं के ऋण रिकार्ड अच्छे थे उनको कुछ राहत पहुंचने की दृष्टि से, और साथ ही, बैंकों को उनके द्वारा अपने उधारकर्ताओं से वसूल की जानेवाली ब्याज दरों के मामले में लचीलापन प्रदान करने के लिए, 10 अक्तूबर 1988 से ऐसे सभी बैंक अग्रिमों पर कोई उच्चतम ब्याज दर सीमा निर्धारित नहीं की गई जिन पर तब तक 16.5 प्रतिशत वार्षिक दर से (निर्धारित) ब्याज लिया जाता था; इसके बजाय ऐसे अग्रिमों को 16.0 प्रतिशत वार्षिक की न्यूनतम दर के अंतर्गत कर दिया गया। बैंकों को सूचित किया गया कि वे इस विवेक को न्यायोचित रूप से इस्तेमाल करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वसूल की जानेवाली ब्याज दरों की रैंज उचित सीमाओं के भीतर ही हैं। यह आशा की गई थी कि इससे उधारकर्ताओं को ऋण का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। 25,000 रुपये से अधिक तथा एक लाख रुपये तक के फुटकर व्यापार अग्रिमों की वार्षिक ब्याज दर को 15.0 प्रतिशत से 16.5 प्रतिशत तक निर्धारित किया गया था और केवल यह एक ऐसी श्रेणी थी जो वार्षिक 15.0 प्रतिशत से 16.0 प्रतिशत तक की ब्याज दर की रैंज के अंतर्गत आती थी। केन्द्र और राज्य सरकार की वे एजेंसियां, जिन्हें वाणिज्यिक आधार पर बिक्री के लिए पण्यों को प्राप्त करने और उनका वितरण करने का कार्य सौंपा गया है, के लिए यह दर 16.0 प्रतिशत निर्धारित की गई, इससे पहले यह दर 16.5 प्रतिशत थी।

(ख) **अंतर-बैंक सहभागिता** : बैंकिंग प्रणाली में ही अल्पावधि चलनिधि को समान बनाने के लिए एक अतिरिक्त लिखत की व्यवस्था करने की दृष्टि से दो प्रकार की अंतर बैंक सहभागिताएं आरंभ की गयीं; इनमें से एक जोखिम को शेयर करने के आधार पर और दूसरी जोखिम न शेयर करने के आधार थी। ये विशुद्ध रूप से ऐसी अंतर बैंक लिखतें हैं जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों तक ही सीमित हैं। जोखिम शेयर करने से संबंधित अंतर बैंक सहभागिताएं 91-180 दिनों के लिए और स्वास्थ्य कूट सं. 1 की हैसियत@ के अंतर्गत केवल वर्गीकृत अग्रिमों के मामलों में ही जारी की जा सकती हैं।

@ समान ग्रेडिंग प्रणाली जो बैंक अग्रिम संविभाग के स्वास्थ्य उपायों के लिए आरंभ की गई है, के अंतर्गत वे उधार खाते संतोषजनक समझे जाते हैं या स्वास्थ्य कूट सं. 1 दी जाती है जिन खातों में लेनदेन संतोषजनक है, अग्रिम की सुरक्षा संदिग्ध नहीं है, सभी शर्तों का अनुपालन किया जाता है और सभी उधार-खाते सही हैं।

September 1988

Selective Credit Controls–Minimum Margin on Advances against Wheat in Punjab

2.13 Taking into account the difficulties faced by mills/processing units in Punjab, the minimum margin on advances against stocks of wheat to these units in the State was reduced by 15 percentage points to 30 per cent, effective September 19, 1988.

Policy Measures for the Second Half of 1988-89 : October 1988

2.14 The focus of credit policy for the second half of 1988-89 was on effectively meeting the increased credit needs of various sectors of the economy and thus support the expected recovery. Although the liquidity position of banks was comfortable, the banks were allowed to retain excess liquidity so as to ensure that banks had the resources to meet the requisite credit expansion in the second half of the year. The policy measures introduced during October 1988 related essentially to structural issues such as relaxation of interest rate and other control mechanisms and the introduction of new money market instruments.

(a) *Lending Rates :* With a view to providing some relief to borrowers with good credit record and, at the same time, providing flexibility to banks in the matter of interest rates charged to their borrowers, effective October 10, 1988, all bank advances which were till then subject to an interest rate of 16.5 per cent per annum (fixed), ceased to have any ceiling stipulation; instead they were subjected to a minimum of 16.0 per cent per annum. Banks were advised to use this discretion judiciously so as to ensure that the range of interest rates charged remained within reasonable limits. It was expected that this would promote better use of credit by borrowers and also increase competition among the banks. For retail trade advances of over Rs. 25,000 and upto Rs. 1 lakh which was the only category subject to a range of interest rates from 15.0 to 16.5 per cent per annum, the new range was fixed at 15.0-16.0 per cent per annum. For advances to Central and State Government agencies entrusted with the procurement and distribution of commodities for sale on a commercial basis, the rate was fixed at 16.0 per cent per annum as against 16.5 per cent hitherto.

(b) *Inter-bank Participations :* With a view to providing an additional instrument for evening out short-term liquidity within the banking system, two types of Inter-Bank Participations (IBPs) were introduced, one on risk-sharing basis and the other without risk-sharing. These are strictly inter-bank instruments confined to scheduled commercial banks excluding regional rural banks. The IBPs with risk-sharing can be issued for 91-180 days and only in respect of advances classified under Health Code No. 1 status@. The IBPs with risk-sharing provide flexibility in

---

@ Under the uniform grading system introduced to measure the health of bank advances portfolio, a borrowal account considered satisfactory or assigned Health Code No. 1, is the one in which the conduct of account is satisfactory, the safety of advance is not in doubt, all terms and conditions are complied with, and all accounts of the borrower are in order.

जोखिम शेयर वाली अंतर बैंक सहभागिताओं से बैंकों के ऋण संविभाग में लचीलापन आता है। निर्गमन बैंक और सहभागिता बैंक के बीच में ब्याज को निर्धारित हो जाने के लिए मुक्त छोड़ दिया जाता है बशर्ते यह न्यूनतम 14.0 प्रतिशत वार्षिक दर पर हो। निर्गम के समय किसी भी ऋण खाते के अंतर्गत ऐसी अंतर बैंक सहभागिता की कुल राशि खाते में बकाया राशि से 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। जोखिम शेयर न करने से संबंधित अंतर बैंक सहभागिता एक मुद्रा बाजार लिखत है जिसकी अवधि 90 दिन से अधिक नहीं होती है और दो संबंधित बैंकों के बीच में ऐसी अंतर बैंक सहभागिताओं पर ब्याज दर को निर्धारित हो जाने के लिए मुक्त छोड़ दिया जाता है लेकिन इसकी उच्चतम सीमा 12.5 प्रतिशत वार्षिक* दर से होगी। बिना जोखिम शेयर वाली इन अंतर बैंक सहभागिताओं को उधारकर्ता बैंक की निवल मांग और मीयादी देयताओं का हिस्सा ही माना जाएगा और इन पर नकदी प्रारक्षित निधि और सांविधिक चलनिधि की अपेक्षाएं लागू होंगी।

(ग) **भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह लि. के मुद्रा बाजार परिचालन :** भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह को 28 जुलाई 1988 से उधारदाता और उधारकर्ता दोनों ही रूपों में मांग और नोटिस मुद्रा बाजार में भाग लेने के लिए अनुमति दी गई थी। मुद्रा बाजार में कुछ लचीलापन लाने के प्रयास के रूप में, भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह के मांग और नोटिस मुद्रा बाजार संबंधी परिचालनों को अक्तूबर 1988 में भारतीय बैंक संघ द्वारा निर्धारित की गई ब्याज दर की उच्चतम सीमा के उपबंधों से छूट दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप, मांग मुद्रा बाजार दरों को एक सीमा तक मुक्त होने में सहायता मिली और भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह मुद्रा बाजार को समग्र रूप से स्थिरता प्रदान करने में योगदान दे सका।

(घ) **ऋण प्राधिकरण योजना :** समीक्षा करने पर पाया गया कि ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत आनेवाली पार्टियों की एक बहुत बड़ी संख्या चालू अनुपात के विहित स्तर का अनुपालन कर रही थी, और यह कि माल सूची के मानदंडों का अनुपालन करने में तथा तिमाही सूचना प्रणाली विवरणियों को प्रस्तुत करने में पर्याप्त सुधार आ गया था। इस अवधि के दौरान, निगमित क्षेत्र की माल सूची बिक्री अनुपात में भारी गिरावट आ गई थी। साथ ही, बकाया बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के शेयर, जो तीव्र गति से बढ़ रहे थे, 40 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी ऊपर थे। अतः यह प्रतीत होता था कि ऋण प्राधिकरण योजना के प्रायोजनों को व्यापक रूप से प्राप्त किया जा रहा है और इसका मुख्य कारण मूल वित्तीय अनुशासन को लागू करना है। इस समीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि कार्यकारी पूंजी की सीमाओं और निर्धारित उच्चतम ऋण सीमाओं से अधिक की राशि के मीयादी ऋणों की स्वीकृति के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करने की प्रणाली को वापस ले लिया जाए। तथापि, बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि मूल अनुशासन के मानदंडों का पालन किया जाए क्योंकि वे बहुत ही आवश्यक थे और उनको लागू किये जाने की आवश्यकता थी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण मानीटर प्रबंध नाम की एक पश्च स्वीकृति संवीक्षा की प्रणाली आरंभ की है। इस प्रकार की संवीक्षा के परिणामस्वरूप यदि यह पाया जाता था कि कोई विशेष बैंक मूल अनुशासन के मानदंडों को लागू नहीं कर रहा है तो रिज़र्व बैंक ऐसे बैंक को बड़ी राशि वाले खातों के मामलों को, उसके पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश दे सकता है।

(ङ) **उधार खातों का अंतरण :** उन सभी पार्टियों को, 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण सीमाओं का लाभ उठा रही पार्टियों सहित, अपने खातों को एक बैंक से दूसरे बैंक में, विद्यमान बैंक द्वारा अनापत्ति

---

* ब्याज की इस उच्चतम सीमा को अब 1 मई 1989 से हटा लिया गया है।

the credit portfolio of banks. The rate of interest is left free to be determined between the issuing bank and the participating bank subject to a minimum of 14.0 per cent per annum. The aggregate amount of such IBPs under any loan account at the time of issue is not to exceed 40 per cent of the outstandings in the account. The IBPs without risk-sharing is a money market instrument with a tenure not exceeding 90 days and the interest rate on such IBPs was left free to be determined by the two concerned banks subject to a ceiling of 12.5 per cent per annum*. These IBPs without risk would be treated as part of the net DTL of the borrowing bank and would be subject to cash reserve and statutory liquidity requirements.

(c) *Money Market Operations of Discount and Finance House of India Ltd. (DFHI) :* With effect from July 28, 1988, the DFHI was allowed to participate in the call and notice money market both as a lender and borrower. As a step towards providing some flexibility to the money market, the operations of DFHI in the call/ notice money market were exempted in October 1988 from the provisions of the ceiling on the rate of interest set out by the Indian Banks' Association (IBA). This resulted in a limited freeing of the call money market rates and also enabled DFHI to effectively contribute to the overall stability of the money market.

(d) *Credit Authorisation Scheme (CAS) :* On a review, it was found that the large majority of CAS parties were complying with the prescribed level of current ratio and that there had been substantial improvement in compliance with inventory norms and submission of Quarterly Information System (QIS) statements. Over a period, the inventory-sales ratio for the corporate sector had declined appreciably. Also, the share of priority sectors in outstanding bank credit which had been rising progressively stood at well above the target of 40 per cent. It thus appeared that the purposes of the CAS were being broadly achieved due mainly to the enforcement of the basic financial disciplines. In the light of this review, it was decided to withdraw the system of prior authorisation by the Reserve Bank for sanction of working capital limits and term loans for amounts beyond the stipulated cut-off points. However, banks were advised to ensure that the basic disciplines were observed as they were essential and required to be enforced. Towards that end, a system of post-sanction scrutiny called the Credit Monitoring Arrangement (CMA) has been instituted by the Reserve Bank. If, as a result of such scrutiny, it was found that any particular bank was not enforcing the basic disciplines, the Reserve Bank might instruct such a bank to refer cases of bigger accounts to it for prior authorisation.

(e) *Transfer of Borrowal Accounts :* All parties, including those enjoying credit limits in excess of Rs. 5 crores, were allowed to transfer their accounts from one bank to another without the requirement of a 'no objection' letter by the existing bank provided the transferee bank agreed to take over the entire liabilities of the party. If any industrial group seeks to transfer only a good account leaving an

* This ceiling on interest rate has since been removed with effect from May 1, 1989.

पत्र के बिना अंतरित करने की अनुमति दी गई थी बशर्ते जिस बैंक को ये खाते अंतरित किये जा रहे हैं वह बैंक संबंधित पार्टी की समस्त देयताएं लेने के लिए सहमत हो। यदि कोई औद्योगिक ग्रुप अच्छे खाते का अंतरण कराना चाहता है और असंतोषजनक खाता विद्यमान बैंक के पास ही रखना चाहता है तो विद्यमान बैंक इस प्रकार के अंतरण से मना कर सकता है तथा संबंधित पार्टी द्वारा विद्यमान बैंक की संतुष्टि के अनुसार प्रबंध करने पर ही अंतरण किया जा सकता है।

(च) **सहायता संघीय उधार** : परिचालन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए 50 करोड़ रुपये तक की ऋण सीमाओं के सहायता संघीय उधारों के संबंध में बैंकों की संख्या पर लगे पांच तक के प्रतिबंध को हटा लिया गया। तथापि, बैंकों को सूचित किया गया कि औपचारिक सहायता संघ व्यवस्था में बैंकों की संख्या लगभग 10 कर दी जाए।

(छ) ***आवास वित्त*** : आवास के लिए बैंक ऋण में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए आवास ऋणों की चुकौती की न्यूनतम अवधि, जो पहले 10 वर्ष थी, बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई और आवास अग्रिमों की विभिन्न श्रेणियों की मार्जिन अपेक्षाओं में वर्गीकृत मान के अंतर्गत छूट दी गई थी। अतः इस संबंध में अधिकतम मार्जिन 50 प्रतिशत से कम करके 35 प्रतिशत कर दिया गया। आवास-वित्त पर ली जानेवाली उधार ब्याज दरों में भी परिवर्तन किया गया था। 10 अक्तूर 1988 से लागू मार्जिन और उधार ब्याज दरें सारणी II.4 में दी गई हैं :

सारणी II.4 : आवास वित्त पर उधार दरें (10 अक्तूबर 1988 से लागू)

	ऋण की राशि	मार्जिन प्रतिशत	ब्याज की दर (वार्षिक-प्रतिशत)
	1.	2.	3.
(i)	20,000 रुपये तक	20	12.5
(ii)	20,000 रुपये से अधिक और 50,000 रुपये तक	25	13.5
(iii)	50,000 रुपये से अधिक और एक लाख रुपये तक	30	14.0
(iv)	1 लाख रुपये से अधिक	35	14.5-16.0

चयनात्मक ऋण नियंत्रण

(i) **चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत अग्रिमों पर ब्याज दर** : चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आनेवाले पण्यों के स्टाकों पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर ब्याज दर को 10 अक्तूबर 1988 से कम से कम 16 प्रतिशत कर दिया गया जबकि इस मामले में यह दर अधिकतम 16.5 प्रतिशत थी।

(ii) **राष्ट्रीय वस्त्र निगम के लिए छूट** : राष्ट्रीय वस्त्र निगम और उसकी सहायक संस्थाओं को रूई और कपास के स्टाक पर दिये जानेवाले बैंक अग्रिमों के लिए 10 अक्तूबर 1988 से न्यूनतम मार्जिनों, ऋण सीमाओं के उपबंधों से और चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत निर्धारित ब्याज दर से छूट दी गयी।

फरवरी 1989

चयनात्मक ऋण नियंत्रण

तिलहनों और वनस्पति तेलों पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन

2.15 तिलहनों और वनस्पति तेलों से संबंधित मूल्य- उत्पादन गतिविधियों की समीक्षा के उपरांत, तिलहनों और वनस्पति तेलों (वनस्पति सहित) पर अग्रिमों के न्यूतम मार्जिन में 10 फरवरी 1989 से

unsatisfactory account with the existing bank, the latter may refuse to allow such transfer unless arrangements are made by the party concerned to the bank's satisfaction.

(f) *Consortium Advances :* With a view to easing operational problems, the restriction on the number of banks to five, in respect of consortium advances of credit limits upto Rs.50 crores, was removed. Banks were, however, advised to limit the number of banks in formal consortia arrangements to around ten.

(g) *Housing Finance :* To encourage the flow of bank credit for housing, the maximum period of repayment of housing loans was extended to 15 years from 10 years and the margin requirements for different categories of housing advances were relaxed under a graded scale. The maximum margin was reduced to 35 per cent from 50 per cent. The lending rates on housing finance were altered. The margin and lending rates effective October 10, 1988, are given in Table II.4.

Table II.4 : Lending Rates on Housing Finance
(Effective October 10,1988)

Amount of Loan		Margin (per cent)	Rate of interest (per cent per annum)
1.		2.	3.
(i)	Upto Rs. 20,000	20	12.5
(ii)	Above Rs.20,000 and upto Rs. 50,000	25	13.5
(iii)	Above Rs. 50,000 and upto Rs. 1 lakh	30	14.0
(iv)	Above Rs. 1 lakh	35	14.5-16.0

Selective Credit Controls

(i) *Interest Rate on Advances under Selective Credit Controls :* Effective October 10, 1988, interest rate on advances against the stocks of commodities covered under selective credit controls was made subject to a minimum of 16 per cent instead of a maximum of 16.5 per cent as hitherto.

(ii) *Exemption to National Textile Corporation :* Effective October 10, 1988, bank advances against stocks of cotton and *kapas* to the National Textile Corporation including its subsidiaries were exempted from the provisions of minimum margins, levels of credit and rate of interest prescribed under selective credit controls.

February 1989

Selective Credit Controls

Minimum Margins on Advances against Oilseeds and Vegetable Oils

2.15 On a review of price-output developments relating to oilseeds and vegetable oils, effective February 10, 1989, the minimum margins on advances against

15 प्रतिशत बिन्दु तक की सपाट कमी दर दी गई थी। तिलहनों और वनस्पति तेलों (वनस्पति सहित) से संबंधित न्यूनतम मार्जिनों की नयी संरचना सारणी II.5 में प्रस्तुत की गई है।

सारणी II.5 : तिलहनों और वनस्पति तेलों पर न्यूनतम मार्जिन
(10 फरवरी 1989 से लागू)

(प्रतिशत)

पण्य	स्टाकों की जमानत पर		गोदाम रसीदों की जमानत पर
	अभिसंस्करण इकाइयां/मिलें	अन्य	
1.	2.	3.	4.
1. तिलहन (मूंगफली, तोरिया/सरसों, बिनौले, एरंडी, अलसी और सभी आयातित तिलहन)	30	45	30
2. वनस्पति तेल (मूंगफली तेल, तोरिया/सरसों तेल, बिनौला तेल, एरंडी तेल, अलसी तेल, वनस्पति और सभी आयातित तेल)	30*	60	45

* पंजीकृत तेल मिलों और वनस्पति विनिर्माताओं पर लागू।

तिलहनों और वनस्पति तेलों पर दिये जानेवाले अग्रिमों से संबंधित उच्चतम ऋण सीमा का स्तर

2.16 तिलहनों/वनस्पति तेलों (वनस्पति समेत) पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर ऋण स्तर की उच्चतम सीमा को 10 फरवरी 1989 से 85 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया था तथा यह वृद्धि 1985-86 (नवंबर-अक्तूबर) को समाप्त हो रहे तीन वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में पार्टी द्वारा रखे गये ऋण के शीर्ष स्तर पर आधारित थी।

विवेकाधीन पुनर्वित्त सुविधा

2.17 रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना विवेकाधीन पुनर्वित्त प्राप्त करने से संबंधित सुविधा को 17 फरवरी 1989 से 1986-87 में औसत कुल जमाराशियों के 1.0 प्रतिशत की सीमा से घटाकर 0.50 प्रतिशत कर दिया गया। इस प्रकार के पुनर्वित्त पर वसूल की जानेवाली वार्षिक ब्याज दर 14.0 और 16.0 प्रतिशत के बीच है।

मार्च 1989

2.18 छमाही ऋण नीति की घोषणा करने से पहले मार्च 1989 में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये थे :

(क) **निर्यात ऋण पर ब्याज दरें** : निर्यातों में वृद्धि करने के लिए और प्रोत्साहित देने की दृष्टि से पोतलदान पूर्व और पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण की वार्षिक ब्याज दरों को क्रमश: 2.0 प्रतिशत बिन्दु और 0.85 प्रतिशत बिन्दु तक कम किया गया था। 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए आस्थगित भुगतान के अंतर्गत निर्यात ऋणों पर वसूल की जानेवाली वार्षिक ब्याज दर में जो 8.65 प्रतिशत थी, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ये ब्याज दरें, जो 1 मार्च 1989 से लागू होती हैं, सारणी II.6 में प्रस्तुत की गई हैं।

oilseeds and vegetable oils (including *Vanaspati*) were reduced across-the-board by 15 percentage points. The new structure of minimum margins on oilseeds and vegetable oils (including *vanaspati*) is presented in Table II.5.

Table II.5 : Minimum Margins on Oilseeds and Vegetable Oils
(Effective February 10, 1989)

(Per cent)

Commodities	Against Stocks		Against Warehouse receipt
	Processing Units/Mills	Others	
1.	2.	3.	4.
1. Oilseeds (groundnut, rapeseed/mustard, cottonseed, castorseed, linseed and all imported oilseeds)	30	45	30
2. Vegetable Oils (groundnut oil, rapeseed/mustard oil, cottonseed oil, linseed oil, *vanaspati* and all imported oils)	30*	60	45

* Applicable to registered oil mills and *vanaspati* manufacturers.

Level of Credit Ceilings on Advances against Oilseeds and Vegetable Oils

2.16 Effective February 10, 1989, the level of credit ceilings on advances against oilseeds/vegetable oils (including *vanaspati*) was raised from 85 per cent to 100 per cent of the peak level of credit maintained by a party in any of the three years ending 1985-86 (November-October).

Discretionary Refinance Facility

2.17 Effective February 17, 1989, the facility to draw discretionary refinance without prior sanction of the Reserve Bank was reduced from a limit equivalent to 1.0 per cent to 0.50 per cent of the average aggregate deposits in 1986-87. The interest rate on such refinance ranges between 14.0 and 16.0 per cent per annum.

March 1989

2.18 The following policy changes were effected in March 1989, prior to the credit policy announcement :

(a) *Interest Rates on Export Credit :* With a view to providing further incentive to boost exports, interest rates on pre-shipment and post-shipment export credit were lowered by 2.0 percentage points and 0.85 percentage point per annum, respectively. The rate of interest on export credit under deferred payment for period beyond 180 days remained unchanged at 8.65 per cent per annum. These rates of interest, effective from March 1, 1989, are presented in Table II.6.

सारणी II.6 : निर्यात ऋण पर ब्याज दरें

श्रेणी	ब्याज की दर (प्रतिशत वार्षिक)	
	1 मार्च 1989 से पूर्व	1 मार्च 1989 से लागू
1.	2.	3.
1. **पोतलदान पूर्व ऋण**		
(क) (i) 180 दिनों तक	9.50	7.50
(ii) 180 दिनों से अधिक और कुल मिलाकर 270 दिनों तक (भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से)	11.50	9.50
(ख) भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. की गारंटी के अधीन नकदी प्रोत्साहन, आदि पर- 190 दिनों तक	9.50	7.50
2. **पोतलदानोत्तर ऋण**		
(i) मांग बिल-पारवहन अवधि के लिए (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा यथानिर्दिष्ट)		
(ii) मीयादी बिल–180 दिन तक जिसमें निर्यात बिल की मीयादी अवधि, भा. वि. मु. व्या. संघ द्वारा यथानिर्दिष्ट पारवहन अवधि और छूट अवधि, (जहां कहीं भी लागू हो) को शामिल हैं	9.50	8.65
(iii) निर्यात ऋण और गारंटी निगम की गारंटी के अंतर्गत सरकार से प्राप्य नकदी प्रोत्साहन, शुल्क वापसी आदि (90 दिनों तक)		
(iv) अनाहरित राशियां (90 दिनों तक)		
(v) पोतलदान की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय प्रतिधारण धन (केवल आपूर्ति के अंश के लिए) की जमानत पर (90 दिनों तक)		
3. (क) एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए आस्थगित ऋण	8.65*	–
(ख) 180 दिनों से अधिक दिनों की अवधि के लिए आस्थगित ऋण	–	8.65
4. **शुल्क वापसी ऋण योजना 1976**		
सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनंतिम रूप से प्रमाणित शुल्क वापसी पर (90 दिनों तक)	ब्याज रहित	ब्याज रहित
5. अन्यथा निर्दिष्ट न किये गये निर्यात ऋण	14.00 से 15.50	14.00 से 15.50

* 180 दिनों से अधिक दिन की अवधि के लिए 1 मार्च 1989 के बाद लागू की गयीं।

(ख) **किसानों को अल्पावधि ऋण** : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किसानों को 15,000 रुपये से 25,000 रुपये तक दिये जानेवाले अल्पावधि ऋणों की वार्षिक ब्याज दरों को 1 मार्च 1989 से 12.50 प्रतिशत से 14.00 प्रतिशत की अभिसीमा से घटाकर 12.00 प्रतिशत दर दिया गया था।

(ग) **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम-प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम** : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे कृषि (समद्ध कार्यकलापों सहित) के लिए दिये जानेवाले प्रत्यक्ष ऋणों को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 18 प्रतिशत तक कर दें तथा यह वृद्धि मार्च 1990 तक उनके कुल बकाया ऋणों के आधार पर की जाए। इस शर्त से 1989-90 में बैंकिंग तंत्र द्वारा कृषि के लिए उपब्ध कराये जानेवाले ऋण में वृद्धि लगभग 4,000 करोड़ रुपये होगी।

1989-90 की पहली छमाही हेतु नीतिगत उपाय : मार्च 1989

2.19 अर्थव्यवस्था में संभावित गतिविधियों के मूल्यांकन को दृष्टिगत रखते हुए, वर्ष 1989-90 की पहली छमाही हेतु ऋण नीति मार्च 1989 में निश्चित की गयी थी।

Table II.6 : Interest Rates on Export Credit

Category	Rate of Interest (Per cent per annum)	
	Prior to March 1, 1989	Effective March 1, 1989
1.	2.	3.
1. Pre-Shipment Credit		
(a) (i) upto 180 days	9.50	7.50
(ii) beyond 180 days, and in all upto 270 days (with the prior approval of the Reserve Bank of India)	11.50	9.50
(b) Against cash incentives, etc., covered by ECGC guarantee-upto 90 days	9.50	7.50
2. Post-Shipment Credit		
(i) Demand bills-for transit period (as specified by FEDAI)		
(ii) Usance bills-upto 180 days comprising usance period of export bills, transit period as specified by FEDAI and grace period wherever applicable		
(iii) Cash incentives, duty drawback, etc., receivable from Government covered by ECGC guarantee (upto 90 days)	9.50	8.65
(iv) Undrawn balances (upto 90 days)		
(v) Against retention money (for supplies portion only) payable within one year from the date of shipment (upto 90 days)		
3. (a) Deferred credit for period beyond one year	8.65*	–
(b) Deferred credit for period beyond 180 days	–	8.65
4. Duty draw-back credit Scheme 1976 Against duty draw-back as provisionally certified by the Customs Authorities (upto 90 days)	Free of Interest	Free of Interest
5. Export credit not otherwise specified	14.00 to 15.50	14.00 to 15.50

* After March 1, 1989, made applicable to period beyond 180 days.

(b) *Short-term Loans to Farmers :* Effective March 1, 1989, the lending rates on short-term loans to farmers granted by scheduled commercial banks, including RRBs, for the loan range of Rs. 15,000 to Rs. 25,000 were reduced from the range of 12.50 to 14.00 per cent to 12.00 per cent per annum.

(c) *Advances to Priority Sector–Direct Agricultural Advances :* The scheduled commercial banks were advised to step up direct lending to agriculture (including allied activities) from 17 per cent to at least 18 per cent of their total outstanding credit by March 1990. With this stipulation the increase in credit made available to agriculture by the banking system in 1989-90 would be about Rs. 4,000 crores.

Policy Measures for the First Half of 1989-90 : March 1989

2.19 Against the background of an assessment of the prospective developments in the economy, the credit policy for the first half of 1989-90 was set out in March 1989.

2.20 अनुमान यह था कि आर्थिक गतिविधियों के अपेक्षित स्तर को बनाये रखने के लिए अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता होगी, हाल ही के वर्षों के दौरान अतिरिक्त नकदी निधि निर्माण के प्रलंबन, 1988-89 के दौरान खाद्येतर ऋण में तीव्र वृद्धि और कीमतों पर निरंतर बढ़ते दबाव से यह पता चला कि 1989-90 के दौरान एम3 के विस्तार को पिछले चार वर्षों के औसत (अर्थात् 16.7 प्रतिशत) से कम स्तर पर रखना सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

2.21 चल निधि वृद्धि पर नियंत्रण के लक्ष्य के अनुसरण में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि अपने ऋण बजट को 1989-90 के दौरान, अपनी 24,000 करोड़ रुपये की कुल जमाराशि (17.3 प्रतिशत) की वृद्धि के कामकाजी अनुमान के आधार पर बनायें। इस वृद्धि में से करीबन 11,500 करोड़ रुपये पहली छमाही में और 6,500 करोड़ रुपये पहली तिमाही में उपचित होने की आशा थी।

2.22 इन रिपोर्टों के आधार पर कि 1989 की रबी फसल सब से अधिक होगी, गेहूँ की उगाही पिछले मौसम की तुलना में अधिक होने की आशा थी। इस आधार पर, जून 1989 को समाप्त होनेवाली तिमाही के दौरान खाद्य ऋण में लगभग 900 करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान था किन्तु आगामी तिमाही में लगभग इसी राशि तक उसमें गिरावट आने का अनुमान था। इस तरह, वित्तीय वर्ष 1989-90 की पहली छमाही में खाद्य ऋण में कोई वृद्धि होने की आशा नहीं थी। 1989-90 की पहली छमाही में खाद्येतर ऋण में 3,500 करोड़ रुपयों की वृद्धि अनुमानित थी, अर्थात् लगभग वही जो गत वर्ष की तुलनात्मक अवधि में थी। यह अनुमान किया गया था कि बैंक खाद्य ऋण और खाद्येतर ऋण की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और वर्ष की पहली छमाही में अपनी नकदी निधि को भी बना सकेंगे। प्रारक्षित नकदी निधि निर्धारण में युक्तिकरण तथा सावधि जमाराशियों की संरचना में परिपक्वता लाने और वित्तीय तंत्र के प्रचालनों में और अधिक लचीलापन लाने की दृष्टि से नयी लिखतों की शुरुआत करने हेतु इन एकमुश्त उपायों का निर्माण किया गया था।

प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात

2.23 पिछले वर्षों के दौरान, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) निर्धारणों का बाहुल्य रहा किन्तु ये सभी निर्धारण सामूहिक रूप से शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं के 15 प्रतिशत की सांविधिक उच्चतम सीमा के अधीन रहे। अधिकांश बैंकों ने पहले से ही सीआरआर को 15 प्रतिशत की सांविधिक उच्चतम सीमा के अनुपात पर बनाये रखा था अत: इन विविध निर्धारणों को एक ही अनुपात में सरल बनाने की आवश्यकता थी। तदनुसार, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित था कि वे 1 जुलाई, 1989 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से अपनी समस्त शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर 15 प्रतिशत का सीआरआर बनाए रखें और इसके साथ ही बहुविध निर्धारणों को समाप्त कर दिया गया। जहाँ वर्तमान प्रणाली में सीआरआर 15 प्रतिशत से कम था, उन कतिपय बैंको के मामले में 15 प्रतिशत का सीआरआर बनाए रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे अलग-अलग बैंकों के लिए समायोजन का चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया जो 29 जुलाई 1989 से लागू है।

पुनर्वित्त सुविधाएं

(क) निर्यात ऋण पुनर्वित्त

2.24 भारतीय रिज़र्व बैंक से निर्यात वित्त के निर्धारण के लिए आधार को प्रति वर्ष आगे लाना एक सामान्य व्यवहार रहा है। 10 मार्च 1989 को निर्यात पुनर्वित्त सीमाएं ऐतिहासिक रूप से 2,868 करोड़ रुपये के उच्च स्तर पर रहीं। यह स्तर मार्च 1986 के 13 प्रतिशत और मार्च 1988 के 43 प्रतिशत के

2.20 The stipulation was that while additional credit would be required to support the expected level of economic activity, the overhang of excess liquidity creation during recent years, the sharp increase in non-food credit during 1988-89 and the continuing pressure on prices suggested that it was necessary to ensure that the expansion of M_3 during 1989-90 was contained to a level lower than the average of the last four years (i.e. 16.7 per cent).

2.21 In pursuance of the goal of moderating liquidity growth, scheduled commercial banks were advised to plan their credit budgets on the basis of a working estimate of an increase in aggregate deposits of Rs. 24,000 crores (17.3 per cent) during 1989-90; of this increase the accrual during the first half of the year was expected at about Rs. 11,500 crores and in the first quarter, Rs. 6,500 crores.

2.22 Based on reports that the 1989 *Rabi* crop would be a record one, procurement of wheat was expected to be larger than in the previous season. On this basis, food credit was estimated to increase by about Rs. 900 crores during the quarter ending June 1989 but to decline by about the same amount during the next quarter. Thus, no increase in food credit was expected over the first half of the financial year 1989-90. The increase in non-food credit during the first half of 1989-90 was estimated at Rs. 3,500 crores, i.e., about the same as during the comparable period last year. It was perceived that the banks would be able to meet the requirements of food credit and non-food credit and also build up their liquidity during the first half of the year. The package of measures were designed to bring about a rationalisation of the cash reserve prescriptions and the maturity structure of term deposits and to introduce new instruments with a view to providing greater flexibility in the operations of the financial system.

Cash Reserve Ratio

2.23 Over the years, there has been a multiplicity of cash reserve ratio (CRR) prescriptions for scheduled commercial banks but all these prescriptions together have been subject to the statutory ceiling of 15 per cent of net demand and time liabilities. Most banks were already maintaining an effective CRR at the statutory ceiling ratio of 15 per cent and hence there was need to simplify the multiple prescriptions into a single ratio. Accordingly, with effect from the fortnight beginning July 1, 1989, scheduled commercial banks were required to maintain a CRR of 15 per cent on their entire net demand and time liabilities and simultaneously, the system of multiple prescriptions was withdrawn. In the case of a few banks where the existing effective CRR was less than 15 per cent, the Reserve Bank set out to individual banks a phased programme of adjustment, effective from July 29, 1989, for attaining a CRR of 15 per cent.

Refinance Facilities

(a) *Export Credit Refinance*

2.24 It has been the normal practice to bring forward, each year, the base for determining export refinance from the Reserve Bank. The export refinance limits were at a historically high level of Rs. 2,868 crores as on March 10, 1989 equivalent to 52

मुकाबले निर्यात ऋण बकाया के 52 प्रतिशत के बराबर था। 29 जुलाई 1989 से बैंकों को प्रदत्त निर्यात पुनर्वित्त अब तक 1986 के बजाय 1987 के मासिक औसत स्तर पर निर्यात ऋण में वृद्धि के 100 प्रतिशत के बराबर कर दिया गया था। यद्यपि बैंक की पुनर्वित्त सुविधाएं कम हो गयी थीं फिर भी पिछला अनुभव यह बताता है कि बैंकों को निर्यात-पुनर्वित्त संबंधी सीमाएँ पुनः प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि उनसे निर्यात ऋण में विस्तार होता है और बैंकों द्वारा उनकी पुनर्वित्त सीमाओं के पर्याप्त हिस्से का उपयोग करने से काफी पहले ही ऐसा होना चाहिए।

(ख) 182 दिवसीय खजाना बिल पुनर्वित्त

2.25 28 मार्च 1989 से 182 दिवसीय खजाना बिलों में आय प्राप्ति की निर्दिष्ट सीमा में वृद्धि को देखते हुए इस सुविधा के अन्तर्गत पुनर्वित्त पर ब्याज की दर 10.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 10.75 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी गयी थी।

चयनात्मक ऋण नियंत्रण

(क) वनस्पति तेलों की जमानत पर दिए जानेवाले अग्रिमों से संबंधित न्यूनतम मार्जिन

2.26 28 मार्च 1989 से तिलहनों और वनस्पति तेलों से संबंधित मूल्य उत्पादन गतिविधियों की समीक्षा के पश्चात् "अन्यों" के मामले में वनस्पति तेल (वनस्पति सहित) के स्टॉक की जमानत पर दिए जानेवाले अग्रिमों संबंधी न्यूनतम मार्जिन को 15 प्रतिशत बिन्दु तक कम कर दिया गया था तथा मिलों/अभिसंस्करण इकाइयों को गोदाम रसीदों पर दिये जानेवाले अग्रिमों की मार्जिन समान रूप से 30 प्रतिशत पर नियत की गयी तथा "अन्यों" के मामले में गोदाम रसीदों पर 45 प्रतिशत कर दी गयी।

(ख) पंजाब में गेहूं मिलों को न्यूनतम मार्जिन

2.27 गेहूं के बढ़ते हुए मूल्यों को देखते हुए, 28 मार्च 1989 से पंजाब की मिलों को गेहूं की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों से संबंधित न्यूनतम मार्जिन में 15 प्रतिशत बिन्दु की वृद्धि की गयी तथा जहाँ चयनात्मक ऋण नियंत्रण लागू है उन सभी क्षेत्रों में मिलों/अभिसंस्करण यूनिटों को 45 प्रतिशत की समान मार्जिन पर लाया गया।

(ग) ऋण की उच्चतम सीमा का स्तर

2.28 जहाँ ऋण की उच्चतम सीमाओं के स्तर का निर्धारण हुआ है, वहाँ पण्यों के लिए 1986-87 (नवम्बर-अक्तूबर) को समाप्त होनेवाली तीन वर्षों की आधार अवधि को 28 मार्च 1989 से एक वर्ष के लिए आगे लाया गया। फिर भी ऋण की उच्चतम सीमा के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। विभिन्न पण्यों हेतु ऋण की उच्चतम सीमाओं के स्तर सारणी II.7 में दिये गये हैं।

सारणी II.7 : ऋण की उच्चतम सीमा का स्तर

(प्रतिशत)

पण्य	28 मार्च, 1989 से लागू (संदर्भ अवधि : 1984-85, 1985-86 और 1986-87)
1.	2.
धान/चावल	85
गेहूँ	85
दालें	85
"अन्य खाद्यान्न"	85
रूई और कपास	85
तिलहन	100
वनस्पति सहित वनस्पति तेल	100

per cent of export credit outstanding, as against 13 per cent in March 1986 and 43 per cent in March 1988. Effective July 29, 1989, export refinance provided to banks was made equivalent to 100 per cent of the increase in export credit over the monthly average for 1987 instead of that for 1986 as hitherto. Although banks' refinance limits stood reduced, past experience suggested that banks' access to export refinance is quickly regained as they expanded export credit and this would happen well before the time banks needed to utilise a substantial part of their refinance limits.

(b) *182 Days Treasury Bill Refinance*

2.25 In view of the rise in the cut-off yields on 182 Days Treasury Bills, effective March 28, 1989, the interest rate on refinance under this facility was raised from 10.25 per cent to 10.75 per cent per annum.

Selective Credit Controls

(a) *Minimum Margins on Advances against Vegetable Oils*

2.26 Effective March 28, 1989, following a review of the price-output developments relating to oilseeds and vegetable oils, the minimum margins on advances against stocks of vegetable oils (including *vanaspati*) were reduced by 15 percentage points in the case of 'others' and against warehouse receipts, setting the margins uniformly at 30 per cent for mills/processing units and against warehouse receipts and 45 per cent for 'others'.

(b) *Minimum Margins to Wheat Mills in Punjab*

2.27 In view of the high prices of wheat, effective March 28, 1989, the minimum margin on advances against wheat to mills in Punjab was raised by 15 percentage points setting the margins uniformly at 45 per cent to mills/processing units in all areas where selective controls are applicable.

(c) *Level of Credit Ceilings*

2.28 For commodities where there are stipulations on the level of credit ceilings, the base period was brought forward by one year to the three-year period ending 1986-87 (November–October), with effect from March 28, 1989. No change was, however, made in the levels of credit ceilings. The level of credit ceilings for different commodities are presented in Table II.7.

Table II.7 : Level of Credit Ceilings

(Per cent)

Commodity	Effective March 28, 1989 (Reference period : 1984-85, 1985-86 and 1986-87)
1.	2.
Paddy/Rice	85
Wheat	85
Pulses	85
'Other Foodgrains'	85
Cotton and *Kapas*	85
Oilseeds	100
Vegetable Oils including *Vanaspati*	100

ब्याज की मुद्रा बाज़ार दरें

2.29 लचीलापन प्रदान करने के लिए प्रथम चरण के रूप में, भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड के प्रचालनों को अक्तूबर 1988 से भारतीय बैंक संघ द्वारा निर्धारित ब्याज की दरों संबंधी उच्चतम सीमा से मुक्त कर दिया गया। स्पष्टता और लचीलेपन के अगले कदम के रूप में मांग/नोटिस मुद्रा पर ब्याज दरों की उच्चतम सीमा को 1 मई 1989 से हटा दिया गया। इस परिवर्तन के क्रम में अंतर-बैंक सावधि मुद्रा पर 10.5-11.5 प्रतिशत, वाणिज्यिक बिलों की पुनर्भुनाई पर 12.5 प्रतिशत और बिना जोखिम के अंतर-बैंक सहभागिता पर 12.5 प्रतिशत की ब्याज दरों की उच्चतम सीमाओं को भी 1 मई 1989 से हटा दिया गया था। मुद्रा बाजार के ऋणदाताओं को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया था कि स्थायी तथा परिपक्व मुद्रा बाजार को ऊपर उठाने के लिए उनकी गतिविधियाँ प्रेरक हों, जबकि उधारकर्ताओं को सूचित किया गया था कि वे अपने स्रोतों का संतुलन बनाये रखने और निधियों के उपयोग के लिए सीमान्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मुद्रा बाजार पर अपनी निर्भरता को सीमित रखें। यह भी परिकल्पित था कि भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड (डीएफएचआई) को महत्वपूर्ण स्थिरीकरण की भूमिका निभानी होगी। यह अपेक्षित है कि इस प्रणाली का रूप ऐसे वातावरण की ओर होगा जिसमें सहभागी, ऋण देने और उधार लेनेवाली गतिविधियों में संलग्न होंगे और इससे बाज़ार को स्थिरता और गहनता प्राप्त होगी।

जमाराशियों की दरें

2.30 इस तंत्र में अन्य ब्याज दरों के साथ सावधि ब्याज दरों का बेहतर संरेखण करने के लिए हाल ही में अनेक उपायों को अपनाया गया। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, और अल्पकालिक अधिशेष निधियों पर प्रतिलाभ की बेहतर दर प्रदान करने के लिए 28 मार्च 1989 से 46 दिनों से 90 दिनों तक की मीयादी जमाराशियों की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दी गयी थी। साथही साथ, 15 दिनों से 45 दिनों की मीयादी जमाराशियों की श्रेणी, को जिसकी दर अब तक 3 प्रतिशत थी, समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार मीयादी जमाराशियों को अब तक की 15 दिनों की अवधि के बजाय अब 46 दिनों की न्यूनतम परिपक्वता अवधि की आवश्यकता होगी।जमाराशियों की दरों का वर्तमान और संशोधित ढाँचा (विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों और अनिवासी बाह्य रुपया खातों को छोड़कर)* सारणी II.8 में दर्शाया गया है।

सारणी II.8 : जमाराशियों पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज की दरें (विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों/अनिवासी बाह्य रुपया खातों को छोड़कर)

(प्रतिशत)

	खाते की श्रेणी	27 मार्च 1989 तक प्रभावी	28 मार्च 1989 से प्रभावी
	1.	2.	3.
1.	चालू खाते	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	बचत खाते	5.0	5.0
3.	मीयादी जमाराशियाँ		
	(क) 15 दिनों से 45 दिनों तक	3.0	**
	(ख) 46 दिनों से 90 दिनों तक	4.0	6.0+
	(ग) 91 दिनों से 1 वर्ष से कम अवधि तक	8.0	8.0
	(घ) 1 वर्ष से 2 वर्षों से कम अवधि तक	9.0	9.0
	(ङ) 2 वर्ष तथा उससे अधिक की अवधि तक	10.0	10.0

** इस परिपक्वता अवधि को समाप्त किया गया है और इसलिए बैंक 45 दिनों की अवधि तक के लिए ब्याज संबंधी मीयादी जमाराशियाँ स्वीकार नहीं कर सकते।
+ प्रभावी अक्तूबर 9, 1989 से बढ़ा दिया गया।

*विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों और अनिवासी बाह्य रुपया खातों की जमाराशियों पर ब्याज की दरों की समीक्षा पैरा 2.54 में की गयी है।

Money Market Rates of Interest

2.29 As a first step, towards providing some flexibility, effective October 1988, operations of the Discount and Finance House of India (DFHI) in the call/notice money market were freed from the ceiling on the rate of interest set by the IBA. As a further step towards greater transparency and flexibility, the interest rate ceiling on call/notice money was withdrawn with effect from May 1,1989. In line with this change, the interest rate ceilings of 10.5-11.5 per cent on inter-bank term money, 12.5 per cent on rediscounting of commercial bills and 12.5 percent on Inter-Bank Participations without risk were also withdrawn with effect from May 1,1989. Lenders in the money market were advised to ensure that their activities were conducive to the emergence of a stable and mature money market while borrowers were advised to limit their reliance on the money market to meeting marginal requirements for equilibrating their sources and uses of funds. It has also been envisaged that DFHI would also play an important stabilising role. It is expected that the system would move towards a milieu in which participants would move between lending and borrowing activity and this would give the market an element of stability and depth.

Deposit Rates

2.30 A number of measures have been taken in the recent period to bring short-term interest rates in better alignment with other interest rates in the system. In keeping with this approach, and with a view to providing a better rate of return on short-term surplus funds, effective March 28, 1989, the rate for term deposits of 46 days to 90 days was raised from 4 per cent to 6 per cent; simultaneously, the category of fixed deposits of 15 days to 45 days, which hitherto had a rate of 3.per cent, was abolished. Thus, fixed deposits will now require a minimum maturity of 46 days instead of 15 days hitherto. The existing and revised structure of deposit rates (excluding FCNR and NRE accounts)* are indicated in Table II.8.

Table II.8 : Scheduled Commercial Banks' Interest Rates on Deposits (excluding FCNR/NRE Accounts)

(Per cent per annum)

Category of Account	Effective upto March 27, 1989	Effective from March 28, 1989
1.	2.	3.
1. Current Accounts	Nil	Nil
2. Savings Accounts	5.0	5.0
3. Term Deposits		
(a) 15 days to 45 days	3.0	**
(b) 46 days to 90 days	4.0	6.0+
(c) 91 days to less than one year	8.0	8.0
(d) 1 year to less than two years	9.0	9.0
(e) 2 years and above	10.0	10.0

\+ Since raised to 8 per cent effective October 9, 1989.

** This maturity has been discontinued and hence banks cannot accept interest-bearing term deposits for any period upto and inclusive of 45 days.

* The rates of interest on FCNR and NRE deposits are reviewed in para No.2.54.

जमा प्रमाणपत्र

2.31 मुद्रा बाज़ार लिखतों की सीमा को और अधिक बढ़ाने और निवेशकों को उनकी अल्पकालिक अधिशेष निधियों के वितरण में अधिक से अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से जमा प्रमाणपत्र (सीडी) आरंभ करने का निर्णय किया गया है। जून 1989 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सीडी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेग्रा‌बैं) को छोड़कर केवल अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किये जा सकेंगे। किसी बैंक द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र और किसी भी समय बकाया राशि वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान बैंकों की कुल पाक्षिक औसत जमाराशि के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी अकेले ग्राहक को दी गयी सीडी की न्यूनतम राशि 1 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए और 1 करोड़ रुपये से अधिक की सीडी 25 लाख रुपये के गुणजों में होनी चाहिए। सीडी अलग-अलग व्यक्तियों, निगमों, कम्पनियों, न्यासों, निधियों, संघों आदि को जारी किया जा सकता है। अनिवासी भारतीय केवल गैर प्रत्यावर्तनीय आधार पर अंशदान कर सकते हैं और इस प्रकार के सीडी का गौण बाजार में अन्य अनिवासी भारतीय को बेचान नहीं किया जा सकेगा। सीडी की परिपक्वता अवधि 3 महीनों से कम और एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीडी अंकित मूल्य पर बट्टे पर जारी किए जाने चाहिए और जारी करनेवाला बैंक बट्टा दर तय करने के लिए स्वतंत्र है। बैंक को सीडी के कुल निर्गम मूल्य पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाए रखना होगा। जारी किये जाने की तिथि से 45 दिन के पश्चात् ही जमा प्रमाणपत्र बेचान और सुपुर्दगी द्वारा सरलता से हस्तांतरणीय हैं। साथ ही बैंक न तो सीडी पर ऋण प्रदान कर सकते हैं और न ही परिपक्वता से पहले अपने सीडी पुनः खरीद सकते हैं।

वाणिज्यिक पत्र

2.32 उच्च श्रेणी के कंपनी उधारकर्ताओं को अपने अल्पकालीन उधारों के स्रोतों का विशाखीकरण करने में समर्थ बनाने हेतु और साथ ही निवेशकों को अतिरिक्त लिखत प्रदान करने की दृष्टि से वाणिज्यिक पत्र (सीपी) आरंभ करने का निर्णय किया गया है। कम-से-कम शुद्ध 10 करोड़ रुपये की पूँजी वाली तथा कम-से-कम 25 करोड़ रुपये की कार्यशील पूँजी संबंधी सीमा और शेयर बाज़ार+ के सूचीकरण का लाभ उठानेवाली कंपनियों को सीपी बाजार में प्रवेश की अनुमति होगी। जारी करनेवाली कंपनी को रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित ऋण दर-निर्धारण एजेंसी से हर छह महीनों के बाद श्रेष्ठ दर निर्धारण प्राप्त करना होगा। जमा प्रमाणपत्र (सीडी) की परिपक्वता अवधि 3 माह से 6 माह तक की होगी। सीपी 25 लाख रुपये के गुणजों में जारी होंगे जिसके किसी एक निर्गम की न्यूनतम राशि 1 करोड़ रुपये होगी। सीपी अंकित मूल्य के बट्टे पर जारी होंगे और बट्टे की दर निर्गमों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। सीपी निर्बाध रूप से हस्तांतरणीय होंगे। सीपी के निर्गम की हामीदारी अथवा सह-स्वीकृति के संबंध में बैंक को अनुमति नहीं होगी। जारी करनेवाली कंपनी को व्यापारियों का शुल्क, दर-निर्धारण एजेंसी का शुल्क, आकस्मिक सुविधा प्रभार और अन्य संबंधित प्रभारों को वहन करना आवश्यक होगा। सीपी की वह अधिकतम राशि जिसे कंपनी जुटाना चाहती है, कार्यशील पूँजीगत सीमा के 20 प्रतिशत तक सीमित रहेगी।

अलग-अलग व्यक्तियों/उधारकर्ताओं के समूह की अरक्षितता संबंधी सीमाएँ

2.33 जोखिम प्रबन्ध हेतु विवेकपूर्ण मानदण्ड निश्चित करने तथा ऋण जोखिम के केन्द्रीकरण को टालने की आवश्यकता के संदर्भ में किसी बैंक की अरक्षितता संबंधी सीमाएँ बैंक की पूंजीगत निधियों के

+ शेयर बाजार में सूचीकरण संबंधी शर्तें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर लागू नहीं होगी।

Certificates of Deposit

2.31 With a view to further widening the range of money market instruments and to give investors greater flexibility in the deployment of their short-term surplus funds, it has been decided to introduce Certificates of Deposit (CDs). As per the detailed guidelines issued by the Reserve Bank in June 1989, CDs can be issued only by scheduled commercial banks excluding Regional Rural Banks (RRBs). CDs issued by a bank and outstanding at any point of time should not exceed one per cent of the fortnightly average aggregate deposits of the bank during the financial year 1988-89.The minimum amount of a CD issued to a single subscriber should not be less than Rs. 1 crore and CDs above Rs. 1 crore should be in multiples of Rs. 25 lakhs. CDs can be issued to individuals, corporations, companies, trusts, funds, associations, etc. Non-resident Indians (NRIs) may subscribe only on a non-repatriable basis and such CDs cannot be endorsed to another NRI in the secondary market. The maturity period of CDs should not be less than 3 months and not more than one year. CDs should be issued at a discount on face value and the issuing bank is free to fix the discount rate. Banks will have to maintain CRR and SLR on the total issue price of the CDs. CDs are freely transferable by endorsement and delivery only after 45 days of the date of issue. Furthermore, banks cannot grant loans against CDs nor buy-back their own CDs before maturity.

Commercial Paper

2.32 With a view to enabling highly rated corporate borrowers to diversify their sources of short-term borrowing and also providing an additional instrument to investors, it has been decided to introduce Commercial Paper (CP). Companies with a net worth of at least Rs. 10 crores and working capital limits of at least Rs. 25 crores and enjoying a listing on the Stock Exchange+ would be permitted to enter the CP market. The issuing company would need to obtain an excellent rating from a credit rating agency approved by the Reserve Bank. The maturity of the CP would be from 3 months to 6 months. The CP would be issued in multiples of Rs. 25 lakhs subject to the minimum size of an issue being Rs. 1 crore. The CP would be issued at the discount to face value and the discount rate would be freely determined. The CPs would be freely transferable. Banks would not be permitted to either underwrite or to co-accept issue of CPs. The issuing company would be required to meet dealers' fees, rating agency fees, stand-by facility charges and any other relevant charges. The maximum amount of CP that a company would be allowed to raise would be limited to 20 per cent of the working capital limit.

Limits on Exposure to Individual/Group of Borrowers

2.33 In the context of the need to fix prudential norms for risk management and avoid concentration of credit risks, limits on bank exposures have been set to an individual business concern at 25 per cent and to business concerns of a group at 50 per cent of a banks' capital funds. The exposure shall include all sanctioned funded and non-funded limits. In the case of existing credit limits, banks have been given

+ The stipulation regarding listing on the Stock Exchanges would not apply to public sector companies.

25 प्रतिशत पर व्यक्तिगत व्यावसायिक संस्थाओं के लिए और 50 प्रतिशत पर व्यावसायिक संस्थाओं के समूहों के लिए निश्चित की गयी हैं। अरक्षितता में सभी स्वीकृत निधीकृत एवं गैर-निधीकृत सीमाएं निहित हैं। वर्तमान ऋण सीमाओं के मामले में, बैंकों को आधिक्य, यदि कोई हो, के परिशोधन हेतु बारह महीनों की अवधि दी गयी थी तथापि, उच्चतम सीमाएं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा खाद्य ऋण-जैसी प्रत्यक्ष रूप से विनिर्धारित ऋण सीमाओं पर लागू नहीं हैं। कुछ मामलों में, सहायता संघीय व्यवस्था में इन प्रतिबंधों का समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

निवेश संविभाग का प्रबन्ध

2.34 सामान्यतः बैंकों द्वारा मध्यावधि/दीर्घावधि निधियों के संबंध में निवेश संविभाग/निधि प्रबंध सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 28 मार्च 1989 से निवेश संविभाग/निधि प्रबंध हेतु एक वर्ष का न्यूनतम समयावरोध लगाया गया। जो बैंक व्यापारी बैंकिंग सहायक संस्थाएं संचालित करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित करने हेतु कहा गया कि निवेश संविभाग/निधि प्रबंध के संबंध में जो कार्य स्वयं उनके लिए वर्जित हैं वे कार्य उनकी सहयोगी संस्थाओं द्वारा भी नहीं किये जाने चाहिए।

फैक्टरिंग सेवाओं का आरंभ

2.35 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी 1988 में श्री कल्याणसुंदरम् की अध्यक्षता में फैक्टरिंग संगठन को आरंभ करने की व्यवहार्यता तथा क्रियाविधि का परीक्षण करने और उनके गठन, संगठनात्मक ढाँचे, क्रियाकलापों के क्षेत्र तथा अन्य संबंधित मामलों के बारे में अपनी संस्तुति देने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया था। अध्ययन दल ने जनवरी 1989 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दल की अधिकांश सिफारिशें सिद्धांत रूप में रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकार कर ली गयी हैं। सब से अधिक प्राथमिकता वर्तमान नियमों के ढाँचे में देशी फैक्टरिंग सेवाओं की स्थापना को दी जाएगी। संपूर्ण आधार पर फैक्टरिंग आरंभ करने हेतु विशेष विधायी उपायों के संवर्धन के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं। कार्यकारी दल द्वारा की गयी सिफारिशों का सारांश अनुवर्ती पैरा 2.149 से 2.151 तक में दिया गया है

अप्रैल 1989

चयनात्मक ऋण नियंत्रण

(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत तिलहन अभिसंस्करण इकाइयों को छूट

2.36 3 अप्रैल 1989 से यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के तत्वावधान में स्थापित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के राज्य सहकारी विपणन संघों की तिलहन अभिसंस्करण इकाइयों को उत्पादक सदस्यों से प्राप्त तिलहनों तथा उनके तेलों के स्टॉक की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण की न्यूनतम मार्जिन तथा ऋण स्तर संबंधी शर्तों से छूट प्रदान की गयी।

(ख) **गेहूँ की जमानत पर दिए जानेवाले अग्रिमों के संबंध में न्यूनतम मार्जिन**

2.37 मूल्य-उत्पादन गतिविधियों और बाजार में गेहूँ के आने से संबंधित स्थिति की समीक्षा करने पर 22 अप्रैल 1989 से गेहूँ की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों से संबंधित न्यूनतम मार्जिन में 15 प्रतिशत बिन्दु की सपाट वृद्धि की गयी। न्यूनतम मार्जिनों को 15 प्रतिशत बिन्दु की सपाट वृद्धि तक बढ़ाया

twelve months time to rectify the excesses, if any. The ceilings will, however, not apply to credit limits directly allocated by the Reserve Bank such as for food credit. These stipulations may, in some cases, require adjustments in consortia arrangements.

Portfolio Management

2.34 Normally, portfolio/funds management services are offered by banks in respect of medium/long-term funds. Effective March 28, 1989, a minimum lock-in-period of one year has been stipulated for portfolio/funds management. Banks which operate merchant banking subsidiaries were advised to ensure that their subsidiaries do not do what they themselves are prohibited from doing in regard to portfolio/funds management.

Introduction of Factoring Services

2.35 The Reserve Bank had constituted in January 1988 a Study Group under the Chairmanship of Shri C.S. Kalayanasundaram to examine the feasibility and mechanics of starting factoring organisations and making recommendations regarding their constitution, organisational set-up, scope of activities and other related matters. The Study Group submitted its Report in January 1989. Most of the recommendations of the Group have, in principle, been accepted by the Reserve Bank. The first priority would be to establish domestic factoring services within the framework of the existing laws. Steps are also being taken for promotion of special legislative measures for introducing factoring on a full-fledged basis. A summary of the recommendations made by the Working Group is provided in subsequent paragraph Nos. 2.149 to 2.151.

April 1989

Selective Credit Controls

(a) *Exemption to Oilseeds Processing Units under the EEC-assisted project*

2.36 Effective April 3, 1989, the advances against stocks of oilseeds procured from grower-members and of oils thereof to oilseeds processing units of State Co-operative Marketing Federations in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan, set up under the aegis of the National Co-operative Development Corporation under the European Economic Community-assisted project were exempted from the minimum margin and level of credit stipulations of selective credit controls.

(b) *Minimum Margin on Advances against Wheat*

2.37 On a review of the price-output developments and the emerging situation regarding market arrivals of wheat, effective April 22, 1989, the minimum margins on advances against wheat were raised across-the-board by 15 percentage points, thereby

गया था। इसके द्वारा मिलों/अभिसंस्करण इकाइयों के स्टॉक पर और गोदाम रसीदों पर मार्जिन 60 प्रतिशत और अन्यों के मामले में 75 प्रतिशत* कर दी गयी। 22 अप्रैल 1989 से चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन आनेवाले पण्यों पर दिए जानेवाले अग्रिमों संबंधी न्यूनतम मार्जिन का नया ढाँचा सारणी II.9 में दर्शाया गया है।

सारणी II.9 चयनात्मक ऋण नियंत्रणों के अन्तर्गत आनेवाले पण्यों के स्टॉक पर बैंक अग्रिम के संबंध में न्यूनतम मार्जिन

(22 अप्रैल, 1989 से प्रभावी)

(प्रतिशत)

क्रम संख्या	पण्य	स्टॉक की जमानत पर		गोदाम रसीदों की जमानत पर
		अभिसंस्करण इकाई/ मिलें	अन्य	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	धान/चावल	45	60	45
2.	गेहूँ	60	75	60
3.	अन्य खाद्यान्न	45	60	45
4.	दालें	45	60	45
5.	तिलहन (मूंगफली, तोरिया/सरसो, बिनौला, अलसी, एरंड़ी और सभी आयातित तिलहन)	30	45	30
6.	वनस्पति तेल (मूँगफली तेल, तोरिया/सरसों तेल, अलसी तेल, एरंडी, बिनौला तेल, वनस्पति और सभी आयातित तेल)	30@	45	30
7.	रूई और कपास	x	45	30
8.	चीनी			
	(क) बफर	0	-	-
	(ख) अनिर्मुक्त स्टाक	17.5	-	-
	(ग) निर्मुक्त	60	60	45
9.	गुड़ और खांडसारी	30	60	45

@ : पंजीकृत तेल मिलों और वनस्पति विनिर्माताओं पर लागू।
× : चयनात्मक ऋण नियंत्रण की शर्तों से मुक्त।
— : लागू नहीं

(ग) रोलर आटा मिलों को ऋण की उच्चतम सीमा का स्तर

2.38 22 अप्रैल 1989 से उन रोलर आटा मिलों को, जिन्हें अभी तक गेहूँ की जमानत पर दिये गये अग्रिमों के संबंध में ऋण की उच्चतम सीमाओं के स्तर से छूट दी गयी थी, अन्य मिलों/अभिसंस्करण इकाइयों की तरह ऋण के उस उच्चतम स्तर के 85 प्रतिशत की शीर्ष ऋण सीमा की शर्त के अधीन लाया गया जो कि पार्टी द्वारा 1986-87 (नवम्बर-अक्तूबर) में समाप्त होनेवाले तीन वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में बनाये रखा गया था।

* 19 सितंबर 1988 को, अभिसंस्करण इकाइयों/मिलों हेतु गेहूं के स्टॉक पर दिए जानेवाले अग्रिमों संबंधी न्यूनतम मार्जिन को 15 प्रतिशत कम करके केवल पंजाब के लिए 45 प्रतिशत से 30 प्रतिशत दर दिया गया था; 28 मार्च 1989 को यह मार्जिन पुनः 45 प्रतिशत कर दिया गया; इस प्रकार जहाँ चयनात्मक ऋण नियंत्रण है उन सभी क्षेत्रों के लिए फिर से समान मार्जिन निर्धारित किया गया।

setting the margins against stocks to mills/processing units and against warehouse receipts at 60 per cent and for 'others' at 75 per cent.* The new structure of minimum margins on advances against the commodities covered under selective credit controls, effective April 22, 1989, is set out in Table II.9.

Table II.9 : Minimum Margins on Bank Advances against Stocks of Commodities Covered under Selective Credit Controls
(Effective April 22, 1989)

(Per cent)

Sr. No.	Commodities	Against Stocks		Against Warehouse receipts
		Processing units/ mills	Others	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Paddy/Rice	45	60	45
2.	Wheat	60	75	60
3.	'Other' foodgrains	45	60	45
4.	Pulses	45	60	45
5.	Oilseeds (groundnut, rapeseed/mustard, cottonseed, linseed, castorseed and all imported oilseeds)	30	45	30
6.	Vegetable oils (groundnut oil, rapeseed/mustard oil, linseed oil, castor oil, cottonseed oil, *vanaspati* and all imported oils)	30@	45	30
7.	Cotton and *Kapas*	x	45	30
8.	Sugar			
	(a) Buffer	0	-	-
	(b) Unreleased Stocks	17.5	-	-
	(c) Released	60	60	45
9.	*Gur* and *Khandsari*	30	60	45

@ : Applicable to registered oil mills and *vanaspati* manufacturers.

x : Exempt from the stipulations of selective credit controls.

- : Not applicable.

(c) Level of Credit Ceilings to Roller Flour Mills

2.38 Effective April 22, 1989, the roller flour mills which were hitherto exempt from the level of credit ceilings on advances against wheat were made subject to the level of credit ceiling stipulation of 85 per cent of the peak level of credit maintained by the party in any of the three years ending 1986-87 (November-October) as in the case of other mills/ processing units.

* On September 19, 1988, the minimum margin on advances against wheat for processing units/mills was reduced only for Punjab by 15 percentage points from 45 per cent to 30 per cent. On March 28, 1989 this margin was brought back to 45 per cent; thus a uniform margin was once again prescribed for all areas where selective credit controls are applicable.

ऋण बजट

2.39 समीक्षाधीन अवधि के दौरान 57 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण बजटों की जाँच की गयी। मई-अगस्त 1989 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों तथा तीन विदेशी बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ ऋण बजट विषयक चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान इस बात पर ज़ोर दिया गया कि 1988-89 में बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की मात्रा पुनरीक्षित ऋण बजटों में निर्धारित अनुमानों से उल्लेखनीय रूप में अधिक थी। इसके अलावा, इस बात पर भी बल दिया गया कि कुछ बैंकों ने अपने स्रोतों के विकास के अनुपात में अधिक ऋण प्रदान किया जिससे कतिपय बैंकों के लिए नकदी निधि संबंधी समस्या उत्पन्न हुई थी। बैंकों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया कि वे प्रारक्षित निधियों से संबंधित अपेक्षाओं का सावधानी से पालन करें क्यों कि इस संबंध में हुए व्यतिक्रम की बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि बैंकों को मुद्रा बाजार पर संरचनात्मक निर्भरता नहीं रखनी चाहिए तथा कोई भी उधार उत्पाद आधार पर एक या दो दिनों में समेकित नहीं होने चाहिए। बैंकों से यह भी दोहराया गया कि उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक से किसी प्रकार का विवेकाधीन अथवा आपाती पुनर्वित्त आहरित किया है तो वे मुद्रा बाजार में उधार नहीं दे सकते। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे बैंक आस्तियों/देयताओं के परिपक्वता ढॉचे के बीच बेहतर संतुलन लाने के लिए 182 दिवसीय खजाना बिलों का एक बृहदाकार संविभाग बनायें। बैंकों से यह भी कहा गया था कि वे सीडी और सीपी जैसी नयी मुद्रा बाजार लिखतों के साथ अपना अनुकूलन करें तथा उन्हें इस बात के लिए भी सावधान किया गया कि उचित विचारविमर्श के पश्चात् ही इन लिखतों का मूल्य निर्धारण किया जाय। अंत में, इस बात पर जोर दिया गया कि ऋण बजट संबंधी कार्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब वास्तविक ऋण परिचालनों तथा ऋण बजटों में पर्याप्त समानता हो।

ऋण का क्षेत्रवार वितरण

2.40 सकल बैंक ऋण के क्षेत्रीय वितरण संबंधी आँकड़े (जो कि उन 50 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं जो समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के 95 प्रतिशत बैंक ऋण से संबंधित हैं) सारणी II.10 में दिये गये हैं। जैसा कि सारणी से पता चलेगा वर्ष 1988-89 (जुलाई-जून) के दौरान, खाद्येतर सकल बैंक ऋण में 18,211 करोड़ रुपये (26.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान इसमें 11,079 करोड़ रुपये (18.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। वर्ष 1988-89 के दौरान, पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के मुकाबले, कुल वृद्धिशील खाद्येतर सकल बैंक ऋण में मझोले तथा बड़े उद्योगों एवं थोक व्यापार (खाद्य वस्तुओं की वसूली से इतर) का हिस्सा अधिक था। वर्ष 1988-89 के दौरान कुल वृद्धिशील बैंक ऋण में निर्यात ऋण 2,632 करोड़ रुपये (14.5 प्रतिशत) का रहा जो कि वर्ष 1987-88 की उसी अवधि के दौरान 488 करोड़ रुपये (4.4 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में अधिक था।

2.41 वर्ष 1988-89 के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से संबंधित ऋण में 5,397 करोड़ रुपये (18.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान इसमें 3,865 करोड़ रुपये (14.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। एक वर्ष पूर्व के 44.0 प्रतिशत के मुकाबले, जून 1989 के अंत में शुद्ध बैंक ऋण के अनुपात के रूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी अग्रिमों की राशि 42.2 प्रतिशत रही। वर्ष 1988-89 के दौरान कृषि संबंधी बैंक ऋण में 1,848 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। शुद्ध बैंक ऋण के अनुपात के रूप में यह लगभग 17 प्रतिशत था। लघु उद्योगों से संबंधित अग्रिमों में 2,513 करोड़ रुपये (22.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि 1987-88 के दौरान इसमें 1,639 करोड़ रुपये (17.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। प्राथमिकता प्राप्त अन्य क्षेत्रों, जिसमें कमजोर वर्ग, लघु परिवहन परिचालक, लघु व्यापार व्यवसायी तथा स्व-नियोजित व्यक्ति आदि शामिल हैं, से संबंधित बैंक ऋण में 1,036 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई (वर्ष 1987-88 में 793 करोड़ रुपये)।

Credit Budgets

2.39 During the period under review, the credit budgets of 57 scheduled commercial banks were examined. Credit budget discussions were held with the Chief Executives of 21 public sector banks and three foreign banks during May-August 1989. During the discussions, it was emphasised that banks' extension of credit in 1988-89 was significantly larger than the estimates set out in the revised credit budgets. Moreover, it was stressed that a number of banks over-extended themselves relative to their resources growth and this had caused liquidity problems for some banks. Banks were urged to ensure that reserve requirements were observed scrupulously as the costs of defaults were very high. It was also stressed that banks should not have a structural dependence on the money market and that any borrowings should not be bunched, on a product basis, into one or two days. It was reiterated to banks that they cannot lend in the money market if they have drawn any discretionary or stand-by refinance from the Reserve Bank. Banks were also advised to build up a sizeable portfolio of 182 Days Treasury Bills so as to bring about a better balance between maturity structure of banks' assets/liabilities. Banks were advised to gear themselves up to the new money market instruments such as CDs and CPs and they were cautioned that the pricing of these instruments should be undertaken after due deliberation. Finally, it was stressed that the credit budget exercise could be meaningful only if the actual credit operations bore close resemblance to the credit budgets.

Sectoral Deployment of Credit

2.40 Data on sectoral deployment of gross bank credit (which relate to 50 scheduled commercial banks accounting for 95 per cent of bank credit of all scheduled commercial banks) are presented in Table II.10. As would be seen from the Table, non-food gross bank credit increased by Rs. 18,211 crores (26.1 per cent) during 1988-89 (July-June) as compared with an increase of Rs. 11,079 crores (18.9 per cent) during the same period of the last year. Medium and large industry and wholesale trade (other than food procurement) received a larger share in the total incremental non-food gross bank credit during 1988-89 than in the corresponding period last year. The share of export credit in total incremental bank credit at Rs. 2,632 crores (14.5 per cent) during 1988-89 was also higher as compared with an increase of Rs. 488 crores (4.4 per cent) during the same period of 1987-88.

2.41 Credit to priority sectors increased by Rs. 5,397 crores (18.1 per cent) during 1988-89 as compared with a rise of Rs. 3,865 crores (14.9 per cent) in the same period of the previous year. Priority sector advances as a proportion of net bank credit at the end of June 1989 worked out to 42.2 per cent, as against 44.0 per cent a year ago. Bank credit to agriculture increased by Rs. 1,848 crores during 1988-89 (increase of Rs. 1,433 crores last year); as a proportion of net bank credit, it accounted for about 17 per cent. Advances to small-scale industries increased by Rs. 2,513 crores (22.5 per cent) as compared with the increase of Rs. 1,639 crores (17.2 per cent) in 1987-88. Bank credit to other priority sectors which includes weaker sections, small transport operators, small business, professionals and self-employed persons etc., increased by Rs. 1,036 crores (Rs. 793 crores in 1987-88).

सारणी II.10 : सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार वितरण

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	निम्नलिखित को बकाया			निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़	
	26 जून 1987	24 जून 1988	30 जून 1989	1987-88	1988-89
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. सकल बैंक ऋण (1+2)	63,695	71,808	89,609	+8,113	+17,801
1. सरकारी खाद्यान्न खरीद ऋण	5,035	2,069	1,659	-2,966	-410
2. खाद्येतर सकल बैंक ऋण	58,660	69,739	87,950	+11,079 (100.0)	+18,211 (100.0)
(क) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**25,980**	**29,845**	**35,242**	**+3,865 (+34.9)**	**+5,397 (+29.6)**
(i) कृषि	10,852	12,285	14,133	+1,433 (+12.9)	+1,848 (+10.1)
(ii) लघु उद्योग	9,525	11,164	13,677	+1,639 (+14.8)	+2,513 (+13.8)
(iii) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	5,603	6,396	7,432	+793 (+7.2)	+1,036 (+5.7)
(ख) उद्योग (मझौले एवं बड़े)	**21,643**	**26,067**	**33,735**	**+4,424 (+39.9)**	**+7,668 (+42.1)**
(ग) थोक व्यापार (वसूली से इतर)	**3,027**	**3,587**	**4,919**	**+560 (+5.1)**	**+1,332 (+7.3)**
(i) भारतीय रूई निगम	26	48	25	+22 (+0.2)	-23 (-0.1)
(ii) भारतीय खाद्य निगम उर्वरक वितरण के लिए	157	180	212	+23 (+0.2)	+32 (+0.2)
(iii) भारतीय जूट निगम	142	122	33	-20 (-0.1)	-89 (-0.5)
(iv) अन्य व्यापार	2,702	3,237	4,649	+535 (+4.8)	+1,412 (+7.8)
(घ) अन्य क्षेत्र	**8,010**	**10,240**	**14,054**	**+2,230 (+20.1)**	**+3,814 (+21.0)**
II. शुद्ध बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिम (सहभागिता प्रमाणपत्रों सहित)	**43.2**	**44.0**	**42.2**	**-**	**-**
III. निर्यात ऋण (मद 2 में सम्मिलित)	**3,436**	**3,924**	**6,556**	**+488 (+4.4)**	**+2,632 (+14.5)**

टिप्पणी : 1. अनंतिम आँकड़े उन 50 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं जो कि समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के 95 प्रतिशत बैंक ऋण से संबंधित हैं। सकल बैंक ऋण आंकड़ों में भा.रि.बैंक, भा.औ.वि.बैंक, एक्ज़िम बैंक तथा अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं के साथ पुनः भुनाये गये बिल तथा सहभागिता प्रमाणपत्र शामिल हैं। शुद्ध बैंक ऋण के आकड़ों में भा.रि. बैंक, भा.औ.वि. बैंक, एक्ज़िम बैंक तथा अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं के साथ पुनः भुनाये गये बिल शामिल नहीं हैं।

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े खाद्येतर वृद्धिशील ऋण का अनुपात प्रदर्शित करते हैं।

स्रोत : ऋण आयोजना कक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक

Table II.10 : Sectoral Deployment of Gross Bank Credit

(Rs. Crores)

Sectors	Outstanding as on			Variations during	
	June 26, 1987	June 24, 1988	June 30, 1989	1987-88	1988-89
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Gross Bank Credit (1+2)	**63,695**	**71,808**	**89,609**	**+8,113**	**+17,801**
1. Public Food Procurement Credit	5,035	2,069	1,659	-2,966	-410
2. Non-food Gross Bank Credit	58,660	69,739	87,950	+11,079 (100.0)	+18,211 (100.0)
(A) Priority Sectors	**25,980**	**29,845**	**35,242**	**+3,865 (+34.9)**	**+5,397 (+29.6)**
(i) Agriculture	10,852	12,285	14,133	+1,433 (+12.9)	+1,848 (+10.1)
(ii) Small Scale Industries	9,525	11,164	13,677	+1,639 (+14.8)	+2,513 (+13.8)
(iii) Other Priority Sectors	5,603	6,396	7,432	+793 (+7.2)	+1,036 (+5.7)
(B) Industry (Medium & Large)	**21,643**	**26,067**	**33,735**	**+4,424 (+39.9)**	**+7,668 (+42.1)**
(C) Wholesale Trade (other than procurement)	**3,027**	**3,587**	**4,919**	**+560 (+5.1)**	**+1,332 (+7.3)**
(i) Cotton Corporation of India	26	48	25	+22 (+0.2)	-23 (-0.1)
(ii) Food Corporation of India for fertiliser distribution	157	180	212	+23 (+0.2)	+32 (+0.2)
(iii) Jute Corporation of India	142	122	33	-20 (-0.1)	-89 (-0.5)
(iv) Other Trade	2,702	3,237	4,649	+535 (+4.8)	+1,412 (+7.8)
(D) Other Sectors	**8,010**	**10,240**	**14,054**	**+2,230 (+20.1)**	**+3,814 (+21.0)**
II. Priority Sector Advances as percentage of Net Bank Credit (including PCs)	**43.2**	**44.0**	**42.2**	**-**	**-**
III. Export Credit (included under item 2)	**3,436**	**3,924**	**6,556**	**+488 (+4.4)**	**+2,632 (+14.5)**

Note : 1. Provisional data relate to 50 scheduled commercial banks which account for about 95 per cent of bank credit of all scheduled commercial banks. Gross bank credit data include bills rediscounted with RBI, IDBI, Exim Bank and other approved financial institutions and Participation Certificates (PCs). Net bank credit data are exclusive of bills rediscounted with RBI, IDBI, Exim Bank and other approved financial institutions.

2. Figures in brackets are proportions to non-food incremental credit.

Source : Credit Planning Cell, Reserve Bank of India.

2.42 मझोले तथा बड़े उद्योगों से संबंधित अग्रिमों में 7,668 करोड़ रुपये (29.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान इसमें 4,424 करोड़ रुपये (20.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। इस तरह वृद्धिशील खाद्येतर बैंक ऋण में इसका हिस्सा जो कि 1987-88 में 39.9 प्रतिशत था, बढ़कर 42.1 प्रतिशत हो गया।

2.43 बैंक ऋण का उद्योगवार वितरण सारणी II.11 में दिया गया है। वर्ष 1988-89 के दौरान जिन उद्योगों के ऋणों में मुख्य रूप से वृद्धि हुई वे थे : सभी इंजीनियरिंग (1,918 करोड़ रुपये), रसायन समूह (1,505 करोड़ रुपये), लोहा और इस्पात (890 करोड़ रुपये), अन्य वस्त्र (714 करोड़ रुपये) एवं सूती वस्त्र (486 करोड़ रुपये)। जिन उद्योगों से संबंधित बकाया ऋणों में गिरावट आयी वे थे : चीनी (89 करोड़ रुपये), पेट्रोलियम (79 करोड़ रुपये), नयी योजना के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त जहाज (58 करोड़ रुपये) तथा कोयला (17 करोड़ रुपये)।

सारणी II.11 : सकल बैंक ऋण का उद्योगवार वितरण@

(करोड़ रुपये)

उद्योग	बकाया राशियाँ			निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़	
	26 जून, 1987	24 जून, 1988	30 जून, 1989	1987-88	1988-89
1.	2.	3.	4.	5.	6.
उद्योग (लघु, मझौले और बड़े उद्योगों का जोड़)	**31,168**	**37,231**	**47,412**	**+6,063**	**+10,181**
1. कोयला	114	104	87	-10	-17
2. लोहा और इस्पात	1,502	1,566	2,416	+64	+850
3. अन्य धातुएँ और धातुओं से बनी चीजें	1,041	1,292	1,656	+251	+364
4. सभी इंजीनियरिंग वस्तुएं	7,931	8,976	10,894	+1,045	+1,918
5. बिजली	573	855	1,195	+282	+340
6. सूती वस्त्र	2,466	2,818	3,304	+352	+486
7. जूट वस्त्र	303	296	296	-7	–
8. अन्य वस्त्र	1,889	2,199	2,913	+310	+714
9. चीनी	621	729	640	+108	-89
10. चाय	406	397	540	– 9	+143
11. वनस्पति तेल (वनस्पति सहित)	384	450	664	+66	+214
12. तंबाकू तथा तंबाकू से बनी चीजें	266	302	355	+36	+53
13. कागज तथा कागज से बनी चीजें	788	902	1,233	+114	+331
14. रबड़ और रबड़ से बनी चीजें	505	539	786	+34	+247
15. रसायन, रंग, पेंट	3,637	4,493	5,997	+856	+1,504
उनमें से : उर्वरक	(810)	(979)	(1,060)	(+169)	(+81)
16. सीमेंट	474	535	715	+61	+180
17. चमड़ा तथा चमड़े से बनी चीजें	415	558	736	+143	+178
18. निर्माण	368	477	890	+109	+413
19. पेट्रोलियम	52	106	27	+54	-79
20. नई योजना के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त जहाज	282	229	171	-53	-58
21. अन्य उद्योग	7,151	9,408	11,897	+2,257	+2,489

@ अनंतिम।

स्रोत : ऋण आयोजना कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक।

2.42 Advances to medium and large industry increased by Rs. 7,668 crores (29.4 per cent) as compared to an increase of Rs. 4,424 crores (20.4 per cent) during the same period last year; its share in the incremental non-food bank credit increased to 42.1 per cent from 39.9 per cent during 1987-88.

2.43 Industry-wise distribution of bank credit is presented in Table II.11. Industries which accounted for major increase in credit during 1988-89 were : All Engineering (Rs. 1,918 crores), Chemical Group (Rs. 1,504 crores), Iron and Steel (Rs. 850 crores), Other Textiles (Rs. 714 crores) and Cotton Textiles (Rs. 486 crores). Decline was noticed in the outstanding credit against Sugar (Rs. 89 crores), Petroleum (Rs. 79 crores), Ships Acquired From Abroad Under New Scheme (SAFAUNS) (Rs. 58 crores) and Coal (Rs.17 crores).

Table II.11 : Industry-wise Deployment of Gross Bank Credit@

(Rs. Crores)

Industry	Outstanding as on			Variations during	
	June 26, 1987	June 24, 1988	June 30, 1989	1987-88	1988-89
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Industry (Total of Small, Medium and Large Scale)	**31,168**	**37,231**	**47,412**	**+6,063**	**+10,181**
1. Coal	114	104	87	-10	-17
2. Iron and Steel	1,502	1,566	2,416	+64	+850
3. Other Metals & Metal Products	1,041	1,292	1,656	+251	+364
4. All Engineering	7,931	8,976	10,894	+1,045	+1,918
5. Electricity	573	855	1,195	+282	+340
6. Cotton Textiles	2,466	2,818	3,304	+352	+486
7. Jute Textiles	303	296	296	-7	-
8. Other Textiles	1,889	2,199	2,913	+310	+714
9. Sugar	621	729	640	+108	-89
10. Tea	406	397	540	-9	+143
11. Vegetable Oils (including *vanaspati*)	384	450	664	+66	+214
12. Tobacco & Tobacco Products	266	302	355	+36	+53
13. Paper & Paper Products	788	902	1,233	+114	+331
14. Rubber & Rubber Products	505	539	786	+34	+247
15. Chemicals, Dyes, Paints etc.	3,637	4,493	5,997	+856	+1,504
Of which : Fertilizer	(810)	(979)	(1,060)	(+169)	(+81)
16. Cement	474	535	715	+61	+180
17. Leather & Leather Products	415	558	736	+143	+178
18. Construction	368	477	890	+109	+413
19. Petroleum	52	106	27	+54	-79
20. Ships Acquired From Abroad Under New Scheme (SAFAUNS)	282	229	171	-53	-58
21. Residual	7,151	9,408	11,897	+2,257	+2,489

@ Provisional

Source : Credit Planning Cell, Reserve Bank India.

2.44 थोक व्यापार से संबंधित अग्रिमों (खाद्य वस्तुओं की वसूली से इतर) में 1,332 करोड़ रुपये (37.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1987-88 के दौरान इसमें 560 करोड़ रुपये (18.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी और इस तरह वृद्धिशील बैंक ऋण में इसका हिस्सा वर्ष 1987-88 के 5.1 प्रतिशत से बढ़कर 7.3 प्रतिशत हो गया। जबकि वर्ष 1988-89 के दौरान भारतीय जूट निगम तथा भारतीय रूई निगम के ऋणों में क्रमशः 89 करोड़ रुपये तथा 23 करोड़ रुपये की गिरावट आयी, भारतीय खाद्य निगम से संबंधित ऋण (उर्वरक वितरण संबंधी) में उसी अवधि में 32 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

2.45 अन्य क्षेत्रों से संबंधित ऋण की राशि जिसमें मुख्यतः होटल/रेस्तरॉं, सहकारी बैंक, पट्टे का कारोबार करनेवाली कंपनियाँ, नगर निगम एवं व्यक्तिगत/स्टॉफ ऋण संबंधी सेवाएँ शामिल हैं, वर्ष 1988-89 के दौरान 14,054 करोड़ रुपये की रही जो कि 3,814 करोड़ रुपये अथवा 37.2 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करती है जबकि वर्ष 1987-88 के दौरान इसमें 2,230 करोड़ रुपये अथवा 27.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त सहायता

2.46 वर्ष 1988-89 के दौरान रिज़र्व बैंक ने पुनर्वित्त सुविधाओं के संबंध में कुछ परिवर्तन किये। बैंकों की निर्यात पुनर्वित्त संबंधी सीमाओं के निर्धारण के प्रयोजन से आधार वर्ष को 27 अगस्त 1988 से वर्ष 1984 के निर्यात ऋण के मासिक औसत स्तर से आगे लाकर 1986+ के निर्यात ऋण के मासिक औसत स्तर पर कर दिया गया। जहाँ तक विवेकाधीन पुनर्वित्त का संबंध है, (भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व स्वीकृति के बगैर) 17 फरवरी 1989 से इन सीमाओं में कमी करके उन्हें 1986-87 के दौरान बैंक की औसत कुल जमाराशि के 0.50 प्रतिशत पर ला दिया गया जबकि पिछली सीमा उसी वर्ष की उनकी औसत कुल जमा राशि का 1.0 प्रतिशत थी। आपाती पुनर्वित्त तथा विवेकाधीन पुनर्वित्त दोनों के अंतर्गत पुनर्वित्त सीमाओं का उपयोग मार्च 1989 के अंत में उल्लेखनीय रहा जब कुछ बैंकों को चलनिधि संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। विभिन्न पुनर्वित्त सुविधाओं के उपयोग को सारणी II.12 में दिया गया है।

सारणी II.12 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से सहायता (पोतलदान ऋणों तथा शुल्क वापसी के तहत विशेष पुनर्वित्त को छोड़कर

(करोड़ रुपये)

	निर्यात ऋण पुनर्वित्त		आपाती पुनर्वित्त		विवेकाधीन पुनर्वित्त		182 दिवसीय खजाना बिल पुनर्वित्त		कुल पुनर्वित्त		
निम्नलिखित के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	तिमाही के दौरान शीर्ष स्तरीय उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1988											
मार्च	1,747.5	1,337.6	16.0	–	935.0	115.7	92.6	58.5	2,791.1	1,511.8	2,028.0 (3 मार्च)
जून	1,958.6	425.1	–	–	908.0	0.4	105.7	–	2,972.3	425.5	1,880.0 (24 मई)
सितंबर	1,573.9	720.2	–	–	925.0	1.7	304.3	–	2,803.2	721.9	1,737.0 (7 जुलाई)
दिसंबर	2,126.1	1,423.3	–	–	925.0	0.6	184.2	–	3,235.3	1,423.9	2,391.0 (11 नवंबर)
1989											
मार्च	3,002.1	2,873.8	74.0	54.0	462.5	365.0	53.2	21.2	3,591.8	3,314.0	3,314.0 (24 मार्च)
जून	4,345.8	1,987.8	9.0	–	484.5	–	134.3	–	4,973.6	1,987.8	4,292.1 (27 मई)

स्रोत : ऋण आयोजना कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक।

+ 29 जुलाई 1984 से, आधार वर्ष को आगे लाकर 1987 के निर्यात ऋण के मासिक औसत स्तर पर कर दिया गया।

2.44 Advances to wholesale trade (other than food procurement) increased by Rs. 1,332 crores (37.1 per cent) as compared with an increase of Rs. 560 crores (18.5 per cent) during 1987-88; its share in incremental bank credit increased to 7.3 per cent from 5.1 per cent in 1987-88. While credit to Jute Corporation of India and Cotton Corporation of India showed decline of Rs. 89 crores and Rs. 23 crores, respectively, during 1988-89, credit to Food Corporation of India (for fertilizer distribution) recorded a rise of Rs. 32 crores during the period.

2.45 Credit to 'Other Sectors' which mainly comprises of services like hotels/ restaurants, co-operative banks, leasing companies, municipal corporations and personal/staff loans, stood at Rs. 14,054 crores showing a rise of Rs. 3,814 crores or 37.2 per cent during 1988-89 as compared with the rise of Rs. 2,230 crores or 27.8 per cent in 1987-88.

Reserve Bank's Refinance Accommodation

2.46 The Reserve Bank effected a few changes during 1988-89 in refinance facilities. The base year for the purpose of determining export refinance limits of banks was brought forward, effective August 27, 1988 from the monthly average level of export credit for 1984 to the monthly average level of export credit for 1986.+ As regards discretionary refinance (without prior approval from the Reserve Bank) effective February 17, 1989, the limits were reduced to 0.50 per cent of the banks' average aggregate deposits during 1986-87 as against the earlier limit of 1.0 per cent of their average aggregate deposits for the same year. The utilisation of refinance limits both under stand-by refinance as well as discretionary refinance were pronounced towards the end of March 1989 when some banks experienced liquidity problems. The utilisation of various refinance facilities is set out in Table II.12.

Table II.12 : RBI Accommodation to Scheduled Commercial Banks (excluding special refinance against shipping loans and duty draw-back)

(Rs. Crores)

As on the last reporting Friday of	Export Credit Refinance		Stand-by Refinance		Discretionary Refinance		182 Days Treasury Bill Refinance		Total Refinance		
	Limit	Out-standings	Limit	Out-standings	Limit	Out-standings	Limit	Out-standings	Limit	Out-standings	Peak level utilisation during the quarter
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1988											
March	1,747.5	1,337.6	16.0	–	935.0	115.7	92.6	58.5	2,791.1	1,511.8	2,028.0 (March 3)
June	1,958.6	425.1	–	–	908.0	0.4	105.7	–	2,972.3	425.5	1,880.0 (May 24)
September	1,573.9	720.2	–	–	925.0	1.7	304.3	–	2,803.2	721.9	1,737.0 (July 7)
December	2,126.1	1,423.3	–	–	925.0	0.6	184.2	–	3,235.3	1,423.9	2,391.0 (November 11)
1989											
March	3,002.1	2,873.8	74.0	54.0	462.5	365.0	53.2	21.2	3,591.8	3,314.0	3,314.0 (March 24)
June	4,345.8	1,987.8	9.0	–	484.5	–	134.3	–	4,973.6	1,987.8	4,292.1 (May 27)

Source : Credit Planning Cell, Reserve Bank of India.

+ Effective July 29, 1989, the base year was brought forward to the monthly average level of export credit for 1987

निर्यात ऋण पुनर्वित्त

2.47 निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाएं जो कि 1 जुलाई 1988 को समाप्त पखवाड़े के दौरान 1,913 करोड़ रुपये थीं, उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 30 जून 1989 को समाप्त पखवाड़े के दौरान 4,346 करोड़ रुपये हो गयीं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान उपयोग 3.4 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत के बीच रहा। बैंकों की निर्यात पुनर्वित्त सीमाओं के निर्धारण के प्रयोजन हेतु 27 अगस्त 1988 से आधार वर्ष को 1984 से 1986 में परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप शुरू में बैंकों के निर्यात पुनर्वित्त में लगभग 450 करोड़ रुपये की कमी आयी परंतु बैंकों ने लगभग चार महीनों की अवधि के दौरान शीघ्र ही अपनी सीमाएं पुनः प्राप्त कर लीं। निर्यात पुनर्वित्त सीमाएं जो कि बकाया निर्यात ऋण के प्रतिशत के रूप में 26 अगस्त 1988 को 48.3 प्रतिशत थीं, घटकर 9 सितंबर, 1988 तक 39.1 प्रतिशत हो गयीं किन्तु 30 जून 1989 को बढ़कर 62.5 प्रतिशत हो गयीं।

आपाती पुनर्वित्त

2.48 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने जुलाई और अक्तूबर 1988 के बीच आपाती पुनर्वित्त सुविधा का उपयोग नहीं किया। नवम्बर 1988 के दौरान स्वीकृत 150 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा का पूर्ण उपयोग हुआ था। जनवरी 1989 से 30 जून 1989 तक बैंकों को 29 करोड़ रुपये और 125 करोड़ रुपये के बीच आपाती पुनर्वित्त सीमाएं पुनः स्वीकृत की गयीं थीं जिनका काफी हद तक उपयोग किया गया था।

विवेकाधीन पुनर्वित्त

2.49 यद्यपि इस सुविधा के अंतर्गत बैंकों की सीमाएँ, जो कि 1986-87 के दौरान उनकी औसत कुल जमाराशियों का 1.0 प्रतिशत थीं लगभग 925 करोड़ रुपये रहीं, फिर भी दिसंबर 1988 के अंत तक (नवम्बर 1988 में कुछ दिनों को छोड़कर) उनका लाभ बहुत ही कम उठाया गया जो कि बैंकों की चलनिधि संबंधी अच्छी स्थिति प्रदर्शित करता है। 17 फरवरी 1989 से सीमाएं घटाकर 463 करोड़ रुपये अर्थात् 1986-87 के दौरान बैंकों की औसत कुल जमाराशियों के 0.50 प्रतिशत के बराबर कर दी गयीं। जब कुछ बैंकों ने नकदी निधि समस्या का अनुभव किया तो मार्च-अप्रैल 1989 के दौरान उन्हें अतिरिक्त विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमाएं स्वीकृत की गयीं। जुलाई 1988 से 30 जून 1989 की अवधि के दौरान इस सुविधा के अंतर्गत 31 मार्च 1989 को अधिकतम उपयोग 616 क़रोड़ रुपये का रहा जो कि स्वीकृत सीमाओं का 83.2 प्रतिशत था।

182 दिवसीय खजाना बिलों पर पुनर्वित्त

2.50 182 दिवसीय खजाना बिलों से संबंधित पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत सीमाएँ जो 1 जुलाई 1988 को 125 करोड़ रुपये थीं, धीरे-धीरे बढ़ कर 23 सितम्बर 1988 को 304 करोड़ रुपये हो गयीं तथा इसके पश्चात् 30 जून 1989 को घट कर 134 करोड़ रुपये हो गयीं। बैंकों ने अक्तूबर 1988 के बाद ही इस सुविधा का लाभ उठाना आरंभ किया और 17 नवम्बर 1988 को इसके अंतर्गत उठाये गये लाभ का उच्चतम स्तर 132 करोड़ रुपये का रहा तथा उपयोग अनुपात 64.7 करोड़ रुपये का रहा। इस सुविधा के अंतर्गत स्थापित सीमाएँ एक तरह से काल्पनिक ही हैं क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त का उपयोग करने के बजाय भारतीय मिती काटा और वित्त-गृह लि. के साथ कारोबार करना अधिक आकर्षक है और इस तरह उपयोग की गयी सीमाएँ वस्तुतः भारतीय रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त आहरित करने की क्षमता नहीं प्रदर्शित करतीं।

Export Credit Refinance

2.47 Export credit refinance limits increased significantly from Rs. 1,913 crores during the fortnight ended July 1, 1988 to Rs. 4,346 crores during the fortnight ended June 30, 1989. The utilisation ranged between 3.4 per cent and 99.5 per cent during the period under review. The shifting of the base-year for the purpose of determining export refinance limits of banks from 1984 to 1986 with effect from August 27, 1988 initially resulted in a reduction of about Rs. 450 crores in the banks' access to export refinance; banks, however, rapidly regained their limits within a period of about four months. The export refinance limits as a percentage of outstanding export credit declined from 48.3 per cent as on August 26, 1988 to 39.1 per cent by September 9, 1988 but rose to 62.5 per cent as on June 30, 1989.

Stand-by Refinance

2.48 Scheduled commercial banks did not utilise the stand-by refinance facility between July and October 1988. The maximum limit of Rs. 150 crores sanctioned during November 1988 was fully utilised. Banks were again sanctioned stand-by refinance limits ranging between Rs. 29 crores and Rs. 125 crores from January 1989 to June 30, 1989 which were utilised to a sizeable extent.

Discretionary Refinance

2.49 Although the banks' limits under this facility at 1.0 per cent of their average aggregate deposits during 1986-87 amounted to around Rs. 925 crores, the availment was negligible upto the end of December 1988 (except for a few days in November 1988) reflecting the comfortable liquidity position of banks. Effective February 17, 1989, the limits were reduced to Rs. 463 crores, i.e., equivalent to 0.50 per cent of the banks' average aggregate deposits during 1986-87. While some banks experienced liquidity problems, they were sanctioned additional discretionary refinance limits during March-April 1989. The peak utilisation under this facility during the period July 1988 to June 30, 1989 was Rs. 616 crores on March 31,1989 which formed 83.2 per cent of the limits sanctioned.

Refinance against 182 Days Treasury Bills

2.50 The limits under the refinance facility against 182 Days Treasury Bills gradually increased from Rs. 125 crores as on July 1, 1988 to Rs. 304 crores as on September 23, 1988 and thereafter declined to Rs. 134 crores as on June 30, 1989. Banks started availing of the limits only after October 1988 and the peak level of availment at Rs. 132 crores was on November 17, 1988, the utilisation ratio being 64.7 per cent. The established limits under this facility are in a sense notional in that dealings with the DFHI are more attractive than utilising refinance from the Reserve Bank of India and as such the unutilised limits do not really represent a capacity to draw refinance from the Reserve Bank of India.

पुनर्वित्त की समग्र स्थिति

2.51 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत उपलब्ध कुल पुनर्वित्त सीमाएं (पोतलदान ऋणों, शुल्क वापसी आदि को छोड़कर) 1 जुलाई 1988 को 2,946 करोड़ रुपये की थीं जिनमें से केवल 176 करोड़ रुपये (6 प्रतिशत) का उपयोग उस तारीख तक हुआ था। बाद की अवधि में कुल पुनर्वित्त सीमाओं में तीव्र वृद्धि हुई जो कि मुख्यतः निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाओं के तीव्र विस्तार के कारण हुई। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल पुनर्वित्त सीमाएँ 30 जून 1989 को 4,974 करोड़ रुपये की रही। उस तारीख तक उपयोग की राशि 1,988 करोड़ रुपये अथवा स्वीकृत सीमाओं का 40 प्रतिशत रही। जनवरी-मार्च 1989 की तिमाही के दौरान उपयोग के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई क्योंकि कुछ बैंकों को उस अवधि के दौरान चलनिधि की समस्या का सामना करना पड़ा था। 27 मई 1989 को उपयोग की राशि 4,292 करोड़ रुपये अथवा 92.2 प्रतिशत रही जो कि शीर्षस्तर की थी (सारणी II.12)।

4. अनिवासी जमा खाते

अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता एवं विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजनाओं के अंतर्गत उपचय

2.52 पिछले वर्ष के 300 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1988-89 के राजकोषीय वर्ष के दौरान अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते के अंतर्गत 245 करोड़ रुपये का अंतर्वाह हुआ। वर्ष 1987-88 के 1,398 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1988-89 के दौरान विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते के अंतर्गत शुद्ध अंतर्वाह 2,075 करोड़ रुपये का रहा (सारणी II.13)। इन योजनाओं के अंतर्गत निधियों के निरंतर अंतर्वाह से पिछले कुछ वर्षों के दौरान अदायगियों के शेष को काफ़ी सहायता प्राप्त हुई है।

सारणी II.13 : अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता एवं विदेशी मुद्रा अनिवासी योजनाओं के अंतर्गत अंतर्वाह

(करोड़ रुपये)

राजकोषीय वर्ष	अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता@	विदेशी मुद्रा (अनिवासी खाता)	कुल
1.	2.	3.	4.
1984-85	358	275	633
1985-86	287	1,151	1,438
1986-87	483	1,169	1,652
1987-88	300	1,398	1,698
1988-89 (अनंतिम)	245	2,075	2,320

@ अनुमानित उपचित ब्याज को छोड़कर

2.53 मार्च 1989 के अंत में अनिवासी जमाराशियाँ 14,154 करोड़ रुपये की थीं (5,899 करोड़ रुपये अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत तथा 8,255 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना के अंतर्गत) (सारणी II.14)

Overall Position of Refinance

2.51 The total refinance limits available under various facilities to scheduled commercial banks (excluding special refinance against shipping loans, duty drawback, etc.,) stood at Rs. 2,946 crores as on July 1, 1988, which were utilised only to the extent of Rs. 176 crores (6 per cent) as on that date. In the subsequent period, total refinance limits increased rather sharply, largely due to the rapid expansion in export credit refinance limits. The total refinance limits of scheduled commercial banks as on June 30, 1989 amounted to Rs. 4,974 crores. The utilisation as on that date amounted to Rs. 1,988 crores or 40 per cent of the limits sanctioned. There was a marked increase in the level of utilisation during the quarter January-March 1989 as some banks had liquidity problems during that period. The peak level of the utilisation at Rs. 4,292 crores or 92.2 per cent of the limits was on May 27, 1989 (Table II.12).

4. Non-Resident Deposit Accounts

Accretions under NRE and FCNR Schemes

2.52 The inflow under the Non-Resident (External) Rupee Account (NRE) scheme during the fiscal year 1988-89 was Rs. 245 crores, as compared with Rs. 300 crores in the previous year. The net inflow under the Foreign Currency (Non-Resident) Account (FCNR) scheme during 1988-89 was Rs. 2,075 crores as against Rs. 1,398 crores during 1987-88 (Table II.13). The sustained inflow of funds under these schemes has provided considerable support to the balance of payments during the past few years.

Table II.13 : Inflows under NRE and FCNR Schemes

(Rs. Crores)

Fiscal Year	Non-Resident (External) Account@	Foreign Currency (Non-Resident) Account	Total
1.	2.	3.	4.
1984-85	358	275	633
1985-86	287	1,151	1,438
1986-87	483	1,169	1,652
1987-88	300	1,398	1,698
1988-89 (Provisional)	245	2,075	2,320

@ Excluding the estimated accrued interest.

2.53 As at the end of March 1989, non-resident deposits stood at Rs. 14,154 crores (Rs. 5,899 crores under NR(E)RA Scheme and Rs. 8,255 crores under FCNRA Scheme) (Table II.14).

सारणी II.14 : अनिवासी भारतीय जमा राशि संबंधी देयताएँ

(करोड़ रुपये)

मार्च के अंत में	अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता*	बिदेशी मुद्रा अनिवासी खाता@					
		अमेरिकी डालर	पौण्ड स्टर्लिंग	डयूश मार्क	येन	कुल@ (3 से 6 तक)	कुल योग (2+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1985	2,864	618	337	–	–	955	3,819
		(499)	(218)				
1986	3,461	1,759	430	–	–	2,189	5,650
		(1,419)	(236)				
1987	4,336	3,047	464	–	–	3,511	7,847
		(2,360)	(224)				
1988	5,107	4,406	541	–	–	4,947	10,054
		(3,410)	(222)				
1989	5,899	6,648	535	700	372	8,255	14,154
		(4,245)	(203)	(848)	(31,571)		

* उपचित ब्याज को शामिल करते हुए

@ इनमें उपचित ब्याज शामिल नहीं है।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आँकड़े मिलियन में संबंधित विदेशी मुद्राओं की बकाया जमाराशियाँ प्रदर्शित करते हैं।

अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज दरें

2.54 विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना जो कि पहले केवल पौण्ड स्टर्लिंग एवं अमेरिकी डालर पर प्रयोज्य थी, अगस्त 1988 से डयूश मार्क तथा येन पर भी लागू कर दी गयी तथा प्रत्येक मुद्रा के लिए अलग-अलग ब्याज दरें निर्धारित की गयीं। विदेश में ब्याज दरों में हुए परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए, ब्याज दरों में अनेक अवसरों पर संशोधन किये गये। समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभिन्न मुद्राओं के संबंध में विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाराशियों से संबंधित ब्याद दरें सारणी II.15 में दी गयी हैं।

सारणी II.15 : विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता जमाराशियों पर ब्याज दरें

(प्रतिशत में)

प्रभावी तारीख / परिपक्वता अवधि	अमेरिकी डालर				पौण्ड स्टर्लिंग				डयूश मार्क				येन			
	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	केवल 3 वर्ष	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	केवल 3 वर्ष	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	केवल 3 वर्ष	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	केवल 3 वर्ष
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
23 मार्च 1988	8.25	9.00	9.25	9.50	8.25	9.00	9.25	9.50	---------- लागू नहीं ----------							
13 जुलाई 1988	8.50	9.25	9.50	9.75	8.50	9.25	9.50	9.75								
1 अगस्त 1988	9.00	9.50	9.75	10.00	11.25	11.50	11.75	11.75	5.75	6.00	6.25	6.50	5.25	5.50	5.75	5.75
9 अगस्त 1988	9.00	9.50	9.75	10.00	11.25	11.50	11.75	11.75	6.00	6.25	6.50	6.75	5.25	5.50	5.75	5.75
15 अगस्त 1988	9.50	10.00	10.25	10.50	11.50	11.75	12.00	12.00	6.50	6.75	7.00	7.25	5.75	6.00	6.25	6.25
31 अक्तूबर 1988	9.25	9.75	10.25	10.50	11.50	11.75	12.00	12.00	5.75	6.00	6.50	7.00	5.25	5.50	5.75	6.00
5 दिसंबर 1988	9.75	10.25	10.50	10.50	11.50	11.75	12.00	12.00	5.75	6.00	6.50	7.00	5.25	5.50	5.75	6.00
2 जनवरी 1989	10.00	10.25	10.50	10.50	11.50	11.75	12.00	12.00	6.00	6.25	6.75	7.00	5.25	5.50	5.75	6.00
30 जनवरी 1989	10.00	10.50	10.50	10.50	11.50	11.75	12.00	12.00	6.00	6.75	7.25	7.50	5.25	5.50	5.75	6.00
22 फरवरी 1989	10.50	10.75	11.00	11.00	11.50	11.75	12.00	12.00	7.00	7.25	7.50	7.75	5.25	5.50	5.75	6.00
14 मार्च 1989	10.75	11.00	11.25	11.25	11.50	11.75	12.00	12.00	7.25	7.50	7.50	7.75	5.25	5.50	5.75	6.00
17 मई 1989	10.25	10.50	10.75	10.75	11.50	11.75	12.00	12.00	7.50	7.75	7.75	8.00	5.50	5.75	6.00	6.00
16 जून 1989	9.50	9.75	10.00	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	7.50	7.75	7.75	8.00	5.75	6.00	6.25	6.25

नोट : 1 अगस्त 1988 से विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना डयूश मार्क और येन पर भी लागू कर दी गयी है।

Table II.14 : NRI Deposit Liabilities

(Rs. Crores)

As at end-March	NRE A/c*	Foreign Currency Non-Resident Account@ U.S. dollar	Pound-Sterling	DM	Yen	Total@ (3 to 6)	Grand Total (2+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1985	2,864	618 (499)	337 (218)	–	–	955	3,819
1986	3,461	1,759 (1,419)	430 (236)	–	–	2,189	5,650
1987	4,336	3,047 (2,360)	464 (224)	–	–	3,511	7,847
1988	5,107	4,406 (3,410)	541 (222)	–	–	4,947	10,054
1989	5,899	6,648 (4,245)	535 (203)	700 (848)	372 (31,571)	8,255	14,154

* Inclusive of accrued interest.

@ Excludes accrued interest.

Note : Figures in brackets are outstanding deposits in the relevant foreign currencies in million.

Interest Rates on Non-Resident Deposits

2.54 The FCNRA Scheme, which was earlier applicable only to the pound sterling and the U.S. dollar, was extended with effect from August 1, 1988 to DM and Yen and separate interest rates were prescribed for each currency. The interest rates were revised on a number of occasions taking cognizance of developments in interest rates abroad. Table II.15 sets out the rates of interest on FCNR deposits for different currencies during the period under review.

Table II.15 : Interest Rates on FCNRA Deposits

(In percentage)

Effective Date / Maturity period	US $				Pound Sterling				DM				Yen			
	6 months to 1 year	1 year to 2 years	2 years to 3 years	3 years only	6 months to 1 year	1 year to 2 years	2 years to 3 years	3 years only	6 months to 1 year	1 year to 2 years	2 years to 3 years	3 years only	6 months to 1 year	1 year to 2 years	2 years to 3 years	3 years only
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
May 23, 1988	8.25	9.00	9.25	9.50	8.25	9.00	9.25	9.50	---------- Not applicable ----------							
July 13, 1988	8.50	9.25	9.50	9.75	8.50	9.25	9.50	9.75								
August 1, 1988	9.00	9.50	9.75	10.00	11.25	11.50	11.75	11.75	5.75	6.00	6.25	6.50	5.25	5.50	5.75	5.75
August 9, 1988	9.00	9.50	9.75	10.00	11.25	11.50	11.75	11.75	6.00	6.25	6.50	6.75	5.25	5.50	5.75	5.75
August 15, 1988	9.50	10.00	10.25	10.50	11.50	11.75	12.00	12.00	6.50	6.75	7.00	7.25	5.75	6.00	6.25	6.25
October 31, 1988	9.25	9.75	10.25	10.50	11.50	11.75	12.00	12.00	5.75	6.00	6.50	7.00	5.25	5.50	5.75	6.00
December 5, 1988	9.75	10.25	10.50	10.50	11.50	11.75	12.00	12.00	5.75	6.00	6.50	7.00	5.25	5.50	5.75	6.00
January 2, 1989	10.00	10.25	10.50	10.50	11.50	11.75	12.00	12.00	6.00	6.25	6.75	7.00	5.25	5.50	5.75	6.00
January 30, 1989	10.00	10.50	10.50	10.50	11.50	11.75	12.00	12.00	6.00	6.75	7.25	7.50	5.25	5.50	5.75	6.00
February 22, 1989	10.50	10.75	11.00	11.00	11.50	11.75	12.00	12.00	7.00	7.25	7.50	7.75	5.25	5.50	5.75	6.00
March 14, 1989	10.75	11.00	11.25	11.25	11.50	11.75	12.00	12.00	7.25	7.50	7.50	7.75	5.25	5.50	5.75	6.00
May 17, 1989	10.25	10.50	10.75	10.75	11.50	11.75	12.00	12.00	7.50	7.75	7.75	8.00	5.50	5.75	6.00	6.00
June 16, 1989	9.50	9.75	10.00	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	7.50	7.75	7.75	8.00	5.75	6.00	6.25	6.25

Note : FCNRA Scheme has been extended to DM and Yen with effect from August 1, 1988.

5. अल्पावधि मुद्रा बाज़ार की गतिविधियाँ

2.55 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अल्पावधि मुद्रा बाज़ार की गतिविधियाँ काफी महत्वपूर्ण रहीं। ऋण नीति संबंधी गतिविधियों की समीक्षा करते समय पहले ही मुद्रा बाजार विकास संबंधी उपायों का उल्लेख किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मुद्रा बाज़ार से संबंधित कुछ गतिविधियों का उल्लेख नीचे किया गया है।

(i) भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड (डिस्काउंट एण्ड फिनांस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड)

2.56 भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड, जिसने 25 अप्रैल 1988 से अपना कार्य शुरू किया, की स्थापना एक विशिष्ट मुद्रा बाज़ार संस्था के रूप में की गयी है तथा इसका मूल उद्देश्य मुद्रा बाज़ार की लिखतों को चलनिधि प्रदान करके मुद्रा बाजार की गतिविधियों को प्रत्साहित करना है। 182 दिवसीय खजाना बिलों तथा वाणिज्य बिलों की पुनर्भुनाई से संबंधित अपने कारोबार द्वारा भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि. मुद्रा बाजार लिखतों के संबंध में गौण बाजार विकसित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।

2.57 वर्ष 1988-89 में 182 दिवसीय खजाना बिलों तथा वाणिज्य बिलों से संबंधित भारतीय मितीकाटा और वित्तगृह लिमिटेड की धारिताएँ दिसम्बर 1988 तक कम थीं परन्तु उसके बाद इनमें बड़ी तीव्र वृद्धि हुई तथा मार्च 1989 के अंत में खजाना बिलों की धारिताएँ 382 करोड़ रुपये तथा वाणिज्य बिलों की धारिताएँ 628 करोड़ रुपये की हो गयीं। भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड की मुद्रा बाजार संबंधी इन आस्तियों की धारिताओं में जून 1989 में पुनः गिरावट आयी (सारणी II.16)।

सारणी II.16 : 182 दिवसीय खजाना बिलों तथा वाणिज्यिक बिलों की भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड की धारिताएँ

(करोड़ रुपये)

माह के अंत में	182 दिवसीय खजाना बिल	वाणिज्यिक बिल
1.	2.	3.
1988-89		
अप्रैल	10.34	–
मई	0.25	0.02
जून	1.31	0.02
जुलाई	73.50	–
अगस्त	69.25	–
सितंबर	50.00	–
अक्तूबर	30.25	–
नवंबर	30.75	8.00
दिसंबर	159.50	8.00
जनवरी	94.80	1.50
फरवरी	292.50	85.50
मार्च	381.80	627.79
1989-90		
अप्रैल	165.97	133.00
मई	256.01	231.85
जून	27.56	113.80

5. Developments in the Short-term Money Market

2.55 The year under review witnessed significant developments in the short-term money market. The measures relating to the development of the money market have already been described while reviewing the developments in credit policy. Some of the activities in the money market during the year are presented below :

(i) Discount and Finance House of India Ltd.

2.56 The Discount and Finance House of India Ltd., (DFHI), which commenced its operations from April 25, 1988, has been set up as a specialised money market institution and its basic objective is to stimulate activity in the money market by providing liquidity to money market instruments. With its dealings in 182 Days Treasury Bills and rediscounting of commercial bills, DFHI has been playing a vital role in developing a secondary market in money market instruments.

2.57 The DFHI's holdings of 182 Days Treasury Bills and commercial bills in 1988-89 were low upto December 1988 but thereafter these escalated very sharply to around Rs.382 crores of Treasury Bills and Rs. 628 crores of commercial bills at the end of March 1989. The holdings of these money market assets by DFHI were once again low in June 1989 (Table II.16).

Table II.16 : DFHI's Holdings of 182 Days Treasury Bills and Commercial Bills

(Rs. Crores)

As at the end of month	182 Days Treasury Bills	Commercial Bills
1.	2.	3.
1988-89		
April	10.34	-
May	0.25	0.02
June	1.31	0.02
July	73.50	-
August	69.25	-
September	50.00	-
October	30.25	-
November	30.75	8.00
December	159.50	8.00
January	94.80	1.50
February	292.50	85.50
March	381.80	627.79
1989-90		
April	165.97	133.00
May	256.01	231.85
June	27.56	113.80

2.58 भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड का प्रयास यह रहा है कि वह मुद्रा बाज़ार आस्तियों का केवल आधार बन कर न रह जाए बल्कि उनमें वृद्धि करे। इन उद्देश्य के अनुरूप भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड का 182 दिवसीय खजाना बिलों का संचयी पण्यावर्त वर्ष 1988-89 के राजकोषीय वर्ष के दौरान 11,024 करोड़ रुपये का रहा। चूंकि इस तंत्र में इन खजाना बिलों का मासिक औसत अतिदेय 612 करोड़ रुपये का था, अतः इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड उक्त तंत्र के खजाना बिलों से संबंधित धारिताओं को 18 बार पण्यावर्तित करने में सफल रहा। वर्ष 1989-90 में (24 जून तक) भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड का खजाना बिलों से संबंधित संचयी पण्यावर्त 5,029 करोड़ रुपये का रहा। भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड का वाणिज्यिक बिलों का अक्तूबर 1988 तक 15 करोड़ रुपये का मामूली पण्यावर्त रहा परंतु व्युत्पन्न मीयादी प्रामिसरी नोट की शुरूआत के साथ (जिसकी चर्चा नीचे की गयी है) भारतीय मितीकाटा और वित्तगृह लिमिटेड के संचयी पण्यावर्त में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और 1988-89 के पूरे वर्ष में यह राशि 2,866 करोड़ रुपये रही (सारणी II.17)। अप्रैल-जून 1989 की तिमाही के दौरान (24 जून 1989 तक) पण्यावर्त 3,958 करोड़ रुपये रहा।

सारणी II.17 : वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान (अब तक) 182 दिवसीय खजाना बिलों तथा वाणिज्यिक बिलों में भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड का संचयी पण्यावर्त

(करोड़ रुपये)

अवधि	खजाना बिल	वाणिज्यिक बिल
1.	2.	3.
1988-89		
अप्रैल	22.52	0.48
मई	189.81	1.76
जून	568.37	1.76
जुलाई	1,362.50	1.78
अगस्त	2,246.15	2.24
सितंबर	3,064.00	13.24
अक्तूबर	3,684.05	15.24
नवंबर	4,519.65	674.24
दिसंबर	5,254.50	770.24
जनवरी	6,614.10	880.74
फरवरी	8,432.00	1,242.74
मार्च	11,024.24	2,865.64
1989-90		
अप्रैल	2,429.23	2,038.39
मई	4,075.80	3,099.44
जून	5,028.74	3,958.41

2.59 जुलाई 1988 से भारतीय मितीकाटा वित्त गृह लिमिटेड को माँग मुद्रा का लेन-देन करने की अनुमति प्रदान की गयी तथा वर्ष 1988-89 में उसका संचयी पण्यावर्त 20,362 करोड़ रुपये अथवा प्रतिदिन लगभग 82 करोड़ रुपये था। वर्ष 1989-90 की प्रथम तिमाही में (1 जुलाई 1989 तक) भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड का संचयी पण्यावर्त 21,825 करोड़ रुपये था जो कि वर्ष 1988-89 के पण्यावर्त से अधिक था।

2.58 The endeavour of the DFHI has been to increase the turnover of money market assets rather than becoming a mere repository of these assets. In consonance with this objective, the DFHI's cumulative turnover of 182 Days Treasury Bills during the fiscal year 1988-89 was Rs. 11,024 crores. As the monthly average outstanding of these Treasury Bills in the system in 1988-89 was Rs. 612 crores, this meant that the DFHI was able to turnover the system's holdings of Treasury Bills by 18 times. In 1989-90 (upto June 24) the DFHI's cumulative turnover in Treasury Bills was Rs. 5,029 crores. The DFHI's cumulative turnover of the commercial bills was a nominal Rs. 15 crores upto October 1988 but with the introduction of the derivative usance promissory note (discussed below) there was a significant step up in DFHI's cumulative turnover and for the full year 1988-89 this amounted to Rs. 2,866 crores (Table II.17); during the quarter April-June 1989 (upto June 24, 1989), the turnover was Rs. 3,958 crores.

Table II.17 : DFHI's Cumulative Turnover in 182 Days Treasury Bills and Commercial Bills

(Rs. Crores)

Period	Treasury Bills	Commercial Bills
1.	2.	3.
1988-89		
April	22.52	0.48
May	189.81	1.76
June	568.37	1.76
July	1,362.50	1.78
August	2,246.15	2.24
September	3,064.00	13.24
October	3,684.05	15.24
November	4,519.65	674.24
December	5,254.50	770.24
January	6,614.10	880.74
February	8,432.00	1,242.74
March	11,024.24	2,865.64
1989-90		
April	2,429.23	2,038.39
May	4,075.80	3,099.44
June	5,028.74	3,958.41

2.59 The DFHI was permitted to transact in the call money market from July 1988 and DFHI's cumulative turnover was Rs. 20,362 crores in 1988-89 or about Rs. 82 crores per day. In the first quarter of 1989-90 (upto July 1, 1989), the DFHI's cumulative turnover at Rs. 21,825 crores had already exceeded the turnover achieved in 1988-89.

2.60 अप्रैल-जून 1989 की तिमाही के दौरान मुद्रा बाजार आस्तियों में भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड का पण्यावर्त इस तरह बहुत अधिक था और यह स्पष्ट है कि 1988-89 की तुलना में 1989-90 के पूरे वर्ष में भारतीय मिती काटा और वित्त गृह लि. के परिचालनों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

2.61 भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि. के अधिकार में रहने वाली निधियों की वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए, ताकि यह विकासात्मक एवं स्थिरीकरण दोनों ही प्रकार की भूमिका निभा सके, रिज़र्व बैंक ने 182 दिवसीय खजाना बिलों की संपार्श्विक प्रतिभूति पर तथा पात्र वाणिज्यिक विनिमय बिलों की धारिताओं पर पुनर्वित्त सीमाएँ प्रदान कीं। 182 दिवसीय खजाना बिलों पर भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि. को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त पुनर्वित्त सीमा में चरणबद्ध रूप में वृद्धि की गयी तथा उसे अप्रैल 1988 के 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर मार्च 1989 में 400 करोड़ रुपये कर दिया गया (सारणी II.18)।

सारणी II.18 : भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड को रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त

(करोड़ रुपये)

महीने के अंतिम दिन	182 दिवसीय खजाना बिलों की संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर पुनर्वित्त			अल्पावधि वाणिज्यिक बिलों पर पुनर्वित्त		
	सीमा	बकाया	माह के दौरान शीर्षस्तरीय उपयोग	सीमा	बकाया	माह के दौरान शीर्षस्तरीय उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1988						
अप्रैल	50.00	–	–	–	–	–
मई	50.00	–	–	–	–	–
जून	50.00	–	–	–	–	–
जुलाई	50.00	50.00	50.00 (30-7-88)	–	–	–
अगस्त	50.00	–	–	–	–	–
सितम्बर	50.00	–	–	50.00	–	–
अक्तूबर	50.00	–	30.18 (4-10-88)	50.00	–	–
नवंबर	100.00	–	90.00 (21-11-88)	50.00	–	–
दिसम्बर	100.00	–	–	50.00	–	–
1989						
जनवरी	100.00	–	52.67 (2-1-89)	50.00	–	–
फरवरी	250.00	250.00	250.00 (17-2-89)	100.00	26.32	73.39 (20-2-89)
मार्च	400.00	343.62	380.70 (21-3-89)	550.00	534.27	534.27 (31-3-89)
अप्रैल	250.00	150.27	361.62@ (3-4-89)	100.00	15.60	541.21* (4-4-89)
मई	250.00	230.41	248.41 (27-5-89)	200.00	58.29	147.43 (29-5-89)
जून	100.00	–	120.65 (8-6-89)	100.00	–	74.10 (5-6-89)

@ 3.4 1989 को सीमा : 400 करोड़ रुपये * 4.4 1989 को सीमा : 550 करोड़ रुपये

2.60 The DFHI's turnover in money market assets during the quarter April-June 1989 was thus very large and it is clear that the DFHI's operations in the full year 1989-90 would show a significant step up over 1988-89.

2.61 With a view to augmenting funds in the command of the DFHI so that it may play both a developmental as well as stabilising role in the money market, the Reserve Bank provided refinance limits against the collateral of 182 Days Treasury Bills and the holding of eligible commercial bills of exchange. The refinance limit provided by the Reserve Bank to DFHI against 182 Days Treasury Bills was increased in stages from Rs. 50 crores in April 1988 to Rs. 400 crores in March 1989 (Table II.18). The

Table II.18 : Reserve Bank Refinance to DFHI

(Rs. Crores)

As on the last day of the month	Refinance against the Collaterals of 182 Days Treasury Bills			Refinance against Short-term Commercial Bills		
	Limit	Out-standing	Peak level utilisation during the month	Limit	Out-standing	Peak level utilisation during the month
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1988						
April	50.00	–	–	–	–	–
May	50.00	–	–	–	–	–
June	50.00	–	–	–	–	–
July	50.00	50.00	50.00 (30-7-88)	–	–	–
August	50.00	–	–	–	–	–
September	50.00	–	–	50.00	–	–
October	50.00	–	30.18 (4-10-88)	50.00	–	–
November	100.00	–	90.00 (21-11-88)	50.00	–	–
December	100.00	–	–	50.00	–	–
1989						
January	100.00	–	52.67 (2-1-89)	50.00	–	–
February	250.00	250.00	250.00 (17-2-89)	100.00	26.32	73.39 (20-2-89)
March	400.00	343.62	380.70 (21-3-89)	550.00	534.27	534.27 (31-3-89)
April	250.00	150.27	361.62@ (3-4-89)	100.00	15.60	541.21* (4-4-89)
May	250.00	230.41	248.41 (27-5-89)	200.00	58.29	147.43 (29-5-89)
June	100.00	–	120.65 (8-6-89)	100.00	–	74.10 (5-6-89)

@ Limit as on 3-4-1989 : Rs. 400 crores.
* Limit as on 4-4-1989 : Rs. 550 crores.

वाणिज्यिक बिलों पर भारतीय मितीकाटा और वित्तगृह लि. को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त पुनर्वित्त में वृद्धि की गयी और उसे सितम्बर 1988 के 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर मार्च 1989 में 550 करोड़ रुपये कर दिया गया। वर्ष के दौरान भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड को कुल 950 करोड़ रुपये की शीर्षस्तरीय सीमा स्वीकृत की गयी तथा 3 अप्रैल 1989 को इन सीमाओं के तहत उपयोग की कुल राशि 902 करोड़ रुपये रही। इस तरह अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिज़र्व बैंक से प्राप्त प्रत्यक्ष पुनर्वित्त में महत्वपूर्ण वृद्धि के अलावा (125 करोड़ रुपये का आपाती तथा 225 करोड़ रुपये का विवेकाधीन पुनर्वित्त) रिज़र्व बैंक ने मार्च-अप्रैल 1989 की अवधि के दौरान बैंकिंग तंत्र को पर्याप्त संसाधन प्रदान किये ताकि कुछ बैंक, चल-निधि संबंधी उन समस्याओं से उबर सकें जिनका वे इस अवधि के दौरान सामना कर रहे थे। भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड को 12.0 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर सहायता संघीय आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के 28 बैंकों से एक ऋण श्रृंखला के लिए भी प्राधिकृत किया गया है, यद्यपि यह अभी परिचालित नहीं हुई है।

2.62 रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड को दिये गये पुनर्वित्त पर लगायी जानेवाली ब्याज दर को लचीला रखा गया है। खजाना बिलों से संबंधित पुनर्वित्त सुविधा की ब्याज दर में वृद्धि की गयी तथा उसे अप्रैल 1988 के 9.50 प्रतिशत से बढ़ाकर मार्च 1989 के अंत में 9.50 प्रतिशत कर दिया गया। वाणिज्यिक बिलों पर दिये जाने वाले पुनर्वित्त से संबंधित ब्याज दर को सितंबर 1988 के 13.00 प्रतिशत से बढ़ाकर मार्च 1989 में 15.25 प्रतिशत कर दिया गया तथा उसके बाद उसे घटा कर अप्रैल 1989 में 13.00 प्रतिशत कर दिया गया (सारणी II.19)।

सारणी II-19 : भारतीय मितीकाटा और वित्तगृह लिमिटेड को रिज़र्व बैंक के पुनर्वित्त की ब्याज दरें

182 दिवसीय खजाना बिलों पर पुनर्वित्त		वाणिज्यिक बिलों पर पुनर्वित्त	
प्रभावी तारीख	ब्याज-दर (प्रतिशत प्रतिवर्ष)	प्रभावी तारीख	ब्याज-दर (प्रतिशत प्रतिवर्ष)
1.	2.	3.	4.
23 अप्रैल 1988	9.50	30 सितम्बर 1988	13.00
18 नवंबर 1988	9.60	20 फरवरी 1989	13.50
8 फरवरी 1989	9.80	8 मार्च 1989	14.25
17 फरवरी 1989	10.0	15 मार्च 1989	15.25
15 मार्च 1989	10.50	11 अप्रैल 1989	15.00
20 मार्च 1989	11.00	12 अप्रैल 1989	14.50
11 अप्रैल 1989	10.25	19 अप्रैल 1989	14.00
3 जून 1989	10.00	27 अप्रैल 1989	13.00
6 जून 1989	9.75		
28 जून 1989	9.50		

(ii) वाणिज्यिक बिलों की पुनर्भुनाई

2.63 वाणिज्यिक बिलों की पुनर्भुनाई में हर बार बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। बिलों की इस तरह की पुनर्भुनाई में सुविधा की दृष्टि से सितम्बर 1988 में कुछ प्रक्रियागत परिवर्तन किये गये जिनसे इन बिलों से संबंधित चल-निधि को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला

refinance limit provided by the Reserve Bank to DFHI against commercial bills was increased from Rs. 50 crores in September 1988 to Rs. 550 crores in March 1989. The peak level of refinance limits sanctioned to DFHI during the year aggregated Rs. 950 crores and the total utilisation against these limits amounted to Rs. 902 crores on April 3, 1989. Thus, apart from the sizeable increase in direct refinance from the Reserve Bank to the scheduled commercial banks (Rs. 125 crores of stand-by and Rs. 252 crores of discretionary refinance), the Reserve Bank provided substantial resources to the banking system during March-April 1989 to ease the liquidity constraint faced by some banks during this period. The DFHI has also been authorised a line of credit of Rs. 100 crores from 28 public sector banks on a consortium basis at an interest rate of 12.0 per cent per annum, though this has yet to become operational.

2.62 The interest rates charged to the DFHI for refinance from the Reserve Bank were kept flexible. The interest rate on the Treasury Bills refinance facility was raised from 9.50 per cent in April 1988 to 11.00 per cent in March 1989, and thereafter it was gradually reduced to 9.50 per cent by the end of June 1989. The rate of interest for refinance against commercial bills was raised from 13.00 per cent in September 1988 to 15.25 per cent in March 1989 and thereafter reduced to 13.00 per cent in April 1989 (Table II.19).

Table II.19 : Interest Rates for Reserve Bank Refinance to the DFHI

Refinance against holdings of 182 Days Treasury Bills		Refinance against Commercial Bills	
Effective Date	Rate of Interest (per cent per annum)	Effective Date	Rate of Interest (per cent per annum)
1.	2.	3.	4.
April 23, 1988	9.50	September 30, 1988	13.00
November 18, 1988	9.60	February 20, 1989	13.50
February 8, 1989	9.80	March 8, 1989	14.25
February 17, 1989	10.00	March 15, 1989	15.25
March 15, 1989	10.50	April 11, 1989	15.00
March 20, 1989	11.00	April 12, 1989	14.50
April 11, 1989	10.25	April 19, 1989	14.00
June 3, 1989	10.00	April 27, 1989	13.00
June 6, 1989	9.75		
June 28, 1989	9.50		

(ii) Rediscounting of Commercial Bills

2.63 Banks and financial institutions were encountering considerable difficulty in successive rounds of rediscounting of commercial bills. To facilitate such rediscounting of bills, certain procedural changes were worked out in September 1988

तथा एक मुद्रा बाजार लिखत के रूप में बिलों की पुनर्भुनाई का विकास हुआ। नयी प्रक्रिया के अंतर्गत, सुविधाजनक हिस्सों एवं परिपक्वताओं में बैंक अपनी शाखाओं द्वारा भुनाये गये वास्तविक व्यापारिक बिलों के आधार पर मीयादी प्रॉमिसरी नोट प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि इन मीयादी प्रामिसरी नोटों पर दुबारा मूल्यानुसार स्टॉम्प शुल्क लगेगा जो कि बिल परंपरा के संवर्धन एवं विकास के मार्ग में गंभीर बाधा उपस्थित करेगा, अतः भारत सरकार ने बैंकों द्वारा प्राप्त ऐसे प्रामिसरी नोटों पर लगाये जाने वाले स्टॉम्प शुल्क को माफ कर दिया है। मीयादी प्रामिसरी नोट पुनर्भुनाई करने वाले अगले व्यक्ति को परांकित तथा प्रदान करके आगे पुनः भुनाये जा सकते हैं। व्युत्पन्न मीयादी प्रामिसरी नोट के प्रचलन के फलस्वरूप बिलों की पुनर्भुनाई को प्रोत्साहन मिला जैसा कि भारतीय मिती काटा और वित्त गृह लिमिटेड के कारोबार की क्रमिक वृद्धि से पता लगता है। बिल पुनर्भुनाई बाजार के क्षेत्र को विस्तृत करने की दृष्टि से वर्ष 1988-89 में अनेक संस्थाओं को बाजार में प्रवेश की अनुमति दी गयी। इस बाज़ार में जिन नयी संस्थाओं को प्रवेश की अनुमति दी गयी उनके नाम हैं : भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कंपनी लिमिटेड, भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि. और भारतीय निर्यात आयात बैंक। इसके कारण इस बाज़ार में कारोबार करने के लिए अनुमत संस्थाओं की संख्या वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों के अलावा बढ़कर 17 हो गयी है।

182 दिवसीय खजाना बिलों की नीलामी

2.64 182 दिवसीय खजाना बिलों की नीलामी, जो कि जून 1988 तक मासिक आधार पर होती थी, 13 जुलाई 1988 से पाक्षिक आधार पर कर दी गयी। प्रथम पाँच महीनों के दौरान नीलामियों के प्रति प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही परंतु दिसंबर 1988 से मार्च 1989 की अवधि के दौरान इसमें क्रमशः कभी प्रदर्शित हुई जो कि मुद्रा बाजार की परिवर्तनशील स्थितियों को दर्शाती है। केवल कुछ नीलामियों को छोड़कर स्वीकृत बोलियों के अंतिम वार्षिक प्रतिफल में समान्यतः वृद्धिशील प्रवृति दिखायी पड़ी तथा यह 13 जुलाई 1988 को हुई नीलामी के 9.45 प्रतिशत से बढ़कर 31 मई 1989 को हुई नीलामी में 9.75 प्रतिशत वार्षिक हो गयी। 29 जून 1989 को बकाया बिलों का कुल अंकित मूल्य 382.90 करोड़ रुपये था। (सारणी II.20)। नियमित पाक्षिक नीलामियों के साथ वे परिपक्वताएँ जो कि प्रायः सातत्य समझी जाती हैं, अब बाजार में उपलब्ध हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड ने वस्तुतः 182 दिवसीय खजाना बिलों को संपूर्ण चलनिधि प्रदान की और इस लिए उक्त लिखत वास्तविक रूप में अब एक अल्पावधि मुद्रा बाजार लिखत है।

(iii) मॉग मुद्रा दर की समाप्ति

2.65 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 1 मई 1989 से भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने अप्रैल 1989 में निर्धारित 10 प्रतिशत वार्षिक की माँग मुद्रा दर संबंधी शीर्ष सीमा को समाप्त कर दिया। शुरू में माँग मुद्रा दर की समाप्ति के कारण माँग बाजार में ब्याज दरों के मामले में काफी उथल-पुथल मची। रिपोर्ट करने वाले एक पखवाड़े में पखवाड़े के शुरू में दर शीर्ष सीमा पर पहुँच गयी है तथा पखवाड़े के अंत में उसमें गिरावट आ गयी है।

2.66 शुरू की अवधि में माँग मुद्रा दरों की समाप्ति के पश्चात् मई 1989 के उत्तरार्ध में दरों में 30 से 34 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई परंतु बाद में दरों में बड़ी तीव्र गिरावट आयी और वे गिरकर 5

which significantly enhanced the liquidity of these bills and thereby facilitated the development of bill rediscounting as a money market instrument. Under the new procedure, banks can raise usance promissory notes in convenient lots and maturities on the strength of genuine trade bills discounted by their branches. Since these usance promissory notes would attract a second round of *ad valorem* stamp duty, which would be a serious deterrent to the development and promotion of bills culture, the Government of India remitted the stamp duty chargeable on such usance promissory notes raised by banks. The usance promissory note can be further rediscounted by endorsing and delivering it to the next rediscounter. As a result of the introduction of the derivative usance promissory note, rediscounting of bills received a boost as is evident from the progressive step up in the transactions of the DFHI. With a view to enlarging the scope of the bills rediscounting market, a number of institutions were granted entry into the market in 1988-89. The new institutions so granted entry were : Industrial Finance Corporation of India, National Bank for Agriculture and Rural Development, National Housing Bank, Shipping Credit and Investment Company of India Ltd., Tourism Finance Corporation of India Ltd., and Export-Import Bank of India. This has raised the number of institutions permitted to operate in this market to 17 besides commercial and cooperative banks.

182 Days Treasury Bills Auctions

2.64 The auctions of 182 Days Treasury Bills which were held monthly upto June 1988 were made on a fortnightly basis from July 13, 1988. The response to the auctions was encouraging during the first 5 months and gradually weakened during the period December 1988 – March 1989, reflecting the changing money market conditions. The cut-off annual yield of the accepted bids generally showed an increasing trend, barring at a few auctions, and improved from 9.45 per cent in the auction held on July 13, 1988 to 9.75 per cent per annum in the auction held on May 31, 1989; it remained at that level till the end of June 1989. The total face value of the bills outstanding as on June 29, 1989 amounted to Rs. 382.90 crores (Table II.20). With regular fortnightly auctions, maturities that can be regarded almost as a continuum are now available in the market. As mentioned earlier, DFHI has provided virtually total liquidity to the 182 Days Treasury Bills and hence the instrument is now truly a short-term money market instrument.

(iii) **Freeing of the Call Money Rate**

2.65 As referred to earlier, with effect from May 1, 1989, the Indian Banks' Association (IBA) withdrew the ceiling on the call money rate of 10.00 per cent per annum fixed in April 1980. The freeing of the call money rate initially resulted in extreme volatility in interest rates in the the call market. In a reporting fortnight the rate rose to a peak in the early part of the fortnight and eased towards the end of the reporting fortnight.

2.66 The call money rates escalated to a range of 30-34 per cent by the latter part of May 1989; thereafter, the rates subsided very rapidly to levels as low as 5 per cent. It

सारणी II.20 : भारत सरकार के 182 दिवसीय खजाना बिल

नीलामी की तारीख		बोली गयी बोलियाँ		स्वीकृत बोलियाँ		100 रुपये के अंकित मूल्य के लिए अंतिम कीमत (रुपये)	अंतिम प्राप्तिफल (प्रतिशत प्रतिवर्ष)	पखवाड़े/माह के अंत में खजाना बिलों की कुल बकाया राशि (करोड़ रुपये)
		संख्या	कुल सांकेतिक राशि (करोड़ रुपये)	संख्या	कुल सांकेतिक राशि (करोड़ रुपये)			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1988								
जुलाई	13	25	126.50	12	68.50	95.49	9.45	378.75*
	27	15	122.00	5	74.00	95.50	9.42	421.60@
अगस्त	10	21	189.25	12	109.25	95.49	9.45	530.85*
	23	24	199.00	12	146.75	95.48	9.47	677.60@
सितम्बर	7	16	145.25	5	68.00	95.48	9.47	745.60*
	21	14	126.50	8	72.50	95.47	9.49	805.10@
अक्तूबर	5	19	66.50	2	10.00	95.48	9.47	815.10*
	18	23	115.05	7	35.30	95.48	9.47	778.30@
नवंबर	2	19	155.25	7	82.25	95.48	9.47	860.55*
	16	14	60.05	10	27.05	95.47	9.49	797.35@
	30	10	248.00	8	238.00	95.47	9.49	1035.35*
दिसंबर	14	11	26.00	5	10.50	95.47	9.49	942.10*
	28	8	28.00	6	20.00	95.47	9.49	962.10@
1989								
जनवरी	11	9	85.25	7	84.00	95.47	9.49	977.60*
	24	7	14.35	4	12.10	95.47	9.49	915.70@
फरवरी	8	12	25.25	12	25.25	94.45	9.53	831.70*
	22	8	14.65	8	14.65	95.42	9.60	699.60@
मार्च	8	2	5.15	2	5.15	95.50	9.42	636.75*
	20	2	2.25	2	2.25	95.50	9.42	566.50@
अप्रैल	4	4	21.00	4	21.00	95.42	9.60	577.50*
	19	9	69.00	9	69.00	95.41	9.62	611.20@
मई	3	12	40.50	12	40.50	95.40	9.64	569.45*
	17	6	9.50	6	9.50	95.38	9.69	551.90@
	31	9	18.50	9	18.50	95.35	9.75	332.40*
जून	14	11	16.25	6	8.50	95.35	9.75	330.40*
	27	23	79.00	16	72.50	95.35	9.75	382.90@

* आँकड़े पखवाड़े के अंत से संबंधित हैं।
@ आंकड़े माह के अंत से संबंधित हैं।

प्रतिशत तक पहुंच गयीं। यह बड़ी रोचक बात है कि 1 मई 1989 को शीर्ष सीमा की समाप्ति के बाद शुरू की अवधि में भारतीय मिती काटा और वित्त गृह लिमिटेड की माँग मुद्रा दरें तथा बैंकों की दरें 9 मई 1989 तक लगभग एक जैसी थीं। बाद में, यद्यपि बैंकों की माँग मुद्रा दरों में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई (26 मई 1989 तक) परंतु भारतीय मिती काटा और वित्त गृह लिमिटेड की दरों में उस तरह की तीव्र वृद्धि नहीं हुई। चूँकि निधियों के वैकल्पिक स्रोतों अपेक्षाकृत कम दरों पर उपलब्ध थे, अत: उधारकर्ताओं

Table II.20 : 182 Days Government of India Treasury Bills

Date of Auction		Bids Tendered		Bids Accepted		Cut-off price for Rs. 100 of face value Rs. P.	Cut-off yield (per cent per annum)	Total amount of Treasury Bills outstanding at the end of fortnight/ month (Rs. Crores)
		Number	Aggregate nominal amount (Rs. Crores)	Number	Aggregate nominal amount (Rs. Crores)			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1988								
July	13	25	126.50	12	68.50	95.49	9.45	378.75*
	27	15	122.00	5	74.00	95.50	9.42	421.60@
August	10	21	189.25	12	109.25	95.49	9.45	530.85*
	23	24	199.00	12	146.75	95.48	9.47	677.60@
September	7	16	145.25	5	68.00	95.48	9.47	745.60*
	21	14	126.50	8	72.50	95.47	9.49	805.10@
October	5	19	66.50	2	10.00	95.48	9.47	815.10*
	18	23	115.05	7	35.30	95.48	9.47	778.30@
November	2	19	155.25	7	82.25	95.48	9.47	860.55*
	16	14	60.05	10	27.05	95.47	9.49	797.35@
	30	10	248.00	8	238.00	95.47	9.49	1035.35*
December	14	11	26.00	5	10.50	95.47	9.49	942.10*
	28	8	28.00	6	20.00	95.47	9.49	962.10@
1989								
January	11	9	85.25	7	84.00	95.47	9.49	977.60*
	24	7	14.35	4	12.10	95.47	9.49	915.70@
February	8	12	25.25	12	25.25	94.45	9.53	831.70*
	22	8	14.65	8	14.65	95.42	9.60	699.60@
March	8	2	5.15	2	5.15	95.50	9.42	636.75*
	20	2	2.25	2	2.25	95.50	9.42	566.50@
April	4	4	21.00	4	21.00	95.42	9.60	577.50*
	19	9	69.00	9	69.00	95.41	9.62	611.20@
May	3	12	40.50	12	40.50	95.40	9.64	569.45*
	17	6	9.50	6	9.50	95.38	9.69	551.90@
	31	9	18.50	9	18.50	95.35	9.75	332.40*
June	14	11	16.25	6	8.50	95.35	9.75	330.40*
	27	23	79.00	16	72.50	95.35	9.75	382.90@

* Figure relates to end of the fortnight.
@ Figure relates to end of the month.

is of interest to observe that in the initial period after the removal of the ceiling on May 1, 1989, the DFHI call money rates and those of banks were closely aligned upto May 9, 1989. Thereafter, as the banks' call money rates rose to very high levels (upto May 26, 1989), the DFHI did not follow the rapid escalation of rates. Borrowers found it unremunerative to borrow at such high rates as alternative sources of funds were

सारणी II.21 : शीर्ष सीमादर* की समाप्ति के बाद मॉंग मुद्रा दरें

(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

दिनांक	भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड की दरें	आन्तर–बैंक बाज़ार दरें
1.	2.	3.
4.5.1989	10.25 - 11.00	10.25 - 11.00
5.5.1989 (प्र.शु.)	7.50 - 8.00	7.50 - 8.00
6.5.1989	12.25 - 12.50	12.50 - 14.00
9.5.1989	12.25 - 12.50	12.25 - 12.50
10.5.1989	12.25 - 13.25	13.50 - 14.50
11.5.1989	12.25 - 13.25	14.00 - 15.00
12.5.1989	12.25 - 13.75	15.00 - 16.50
13.5.1989	13.75	16.50 - 18.00
15.5.1989	13.75	18.00
16.5.1989	12.50 - 14.00	18.00 - 21.00
17.5.1989	12.50 - 14.50	15.50 - 21.00
18.5.1989	12.50 - 15.50	30.00
19.5.1989 (प्र.शु.)	15.50 - 16.00	14.00 - 30.00
22.5.1989	16.50 - 17.00	23.00
23.5.1989	17.00	20.00 - 30.00
24.5.1989	17.00	30.00 - 34.00
25.5.1989	17.50	30.00 - 34.00
26.5.1989	17.50	30.00 - 34.00
27.5.1989	17.50	22.00 - 32.00
29.5.1989	18.00	25.00
30.5.1989	15.50 - 17.50	14.00 - 27.00
31.5.1989	11.00 - 15.00	10.00 - 13.00
1.6.1989	8.00 - 9.00	7.00 - 9.00
2.6.1989 (प्र.शु.)	5.00	4.00 - 5.00
3.6.1989	15.50 - 16.00	15.50 - 16.00
5.6.1989	15.50 - 16.00	16.00 - 18.00
6.6.1989	13.50 - 16.00	12.50 - 16.00
7.6.1989	11.50 - 13.00	11.50 - 12.50
8.6.1989	11.75 - 12.00	11.50 - 12.00
10.6.1989	11.75 - 12.00	11.00 - 12.00
12.6.1989	11.25 - 11.50	10.50 - 11.50
13.6.1989	10.75	9.50 - 10.50
14.6.1989	9.00 - 9.25	9.00 - 9.25
15.6.1989	8.00 - 8.50	8.00 - 8.50
16.6.1989 (प्र.शु.)	8.00	6.00 - 8.00
17.6.1989	11.75 - 12.00	11.00 - 12.00
19.6.1989	11.50 - 11.75	11.50 - 12.00
20.6.1989	11.25	11.25
21.6.1989	10.50	10.00 - 11.00
22.6.1989	9.50 - 9.75	9.50 - 9.75
23.6.1989	9.75 - 10.00	9.75 - 10.00
24.6.1989	9.75 - 10.00	9.75 - 10.00
26.6.1989	9.50	10.00
27.6.1989	9.75 - 10.00	9.50 - 10.00
28.6.1989	9.50 - 10.00	9.25 - 10.00
29.6.1989	8.00	5.00 - 8.00

* उधार दरें

प्र.शु. : प्रतिवेदनाधीन शुक्रवार

TABLE II.21 : Call Money Rates after Removal of the Ceiling Rate*

(Per cent per annum)

Date	DFHI Rates	Inter-Bank Market Rates
1.	2.	3.
4.5.1989	10.25 - 11.00	10.25 - 11.00
5.5.1989 (RF)	7.50 - 8.00	7.50 - 8.00
6.5.1989	12.25 - 12.50	12.50 - 14.00
9.5.1989	12.25 - 12.50	12.25 - 12.50
10.5.1989	12.25 - 13.25	13.50 - 14.50
11.5.1989	12.25 - 13.25	14.00 - 15.00
12.5.1989	12.25 - 13.75	15.00 - 16.50
13.5.1989	13.75	16.50 - 18.00
15.5.1989	13.75	18.00
16.5.1989	12.50 - 14.00	18.00 - 21.00
17.5.1989	12.50 - 14.50	15.50 - 21.00
18.5.1989	12.50 - 15.50	30.00
19.5.1989 (RF)	15.50 - 16.00	14.00 - 30.00
22.5.1989	16.50 - 17.00	23.00
23.5.1989	17.00	20.00 - 30.00
24.5.1989	17.00	30.00 - 34.00
25.5.1989	17.50	30.00 - 34.00
26.5.1989	17.50	30.00 - 34.00
27.5.1989	17.50	22.00 - 32.00
29.5.1989	18.00	25.00
30.5.1989	15.50 - 17.50	14.00 - 27.00
31.5.1989	11.00 - 15.00	10.00 - 13.00
1.6.1989	8.00 - 9.00	7.00 - 9.00
2.6.1989 (RF)	5.00	4.00 - 5.00
3.6.1989	15.50 - 16.00	15.50 - 16.00
5.6.1989	15.50 - 16.00	16.00 - 18.00
6.6.1989	13.50 - 16.00	12.50 - 16.00
7.6.1989	11.50 - 13.00	11.50 - 12.50
8.6.1989	11.75 - 12.00	11.50 - 12.00
10.6.1989	11.75 - 12.00	11.00 - 12.00
12.6.1989	11.25 - 11.50	10.50 - 11.50
13.6.1989	10.75	9.50 - 10.50
14.6.1989	9.00 - 9.25	9.00 - 9.25
15.6.1989	8.00 - 8.50	8.00 - 8.50
16.6.1989 (RF)	8.00	6.00 - 8.00
17.6.1989	11.75 - 12.00	11.00 - 12.00
19.6.1989	11.50 - 11.75	11.50 - 12.00
20.6.1989	11.25	11.25
21.6.1989	10.50	10.00 - 11.00
22.6.1989	9.50 - 9.75	9.50 - 9.75
23.6.1989	9.75 - 10.00	9.75 - 10.00
24.6.1989	9.75 - 10.00	9.75 - 10.00
26.6.1989	9.50	10.00
27.6.1989	9.75 - 10.00	9.50 - 10.00
28.6.1989	9.50 - 10.00	9.25 - 10.00
29.6.1989	8.00	5.00 - 8.00

* Lending Rates.
RF - Reporting Friday.

को इतनी ऊँची दरों पर उधार प्राप्त करना अलाभकर लगा। पुनश्च, जब बैंकों के कम कामकाज का समय आया तो निधियों की माँग में कमी आ गयी। इस संदर्भ में 30 मई 1989 के बाद से बैंकों की माँग मुद्रा दरों में गिरावट आयी और उनकी दरें एक बार पुनः भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि. की दरों के लगभग एक-जैसी हो गयीं। (सारणी II.21)। यद्यपि जून 1989 के बाद के भाग में मांग मुद्रा दरों में गिरावट की प्रवृति देखी गयी है, फिर भी उथल-पुथल की स्थिति बनी हुई है जो कि मुख्यतः बैंकों द्वारा असमान रूप में उधार लेने के कारण है। माँग मुद्रा दर की समाप्ति के पहले यद्यपि दर की शीर्ष सीमा थी फिर भी एक मुश्त लेन-देन के कारण दर का उलंघन होता था।

6. ऋण-लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम

2.67 राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इस आशय के निर्देश दिये गये हैं कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान करें जिसमें कृषि तथा संबद्ध गतिविधियाँ, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, व्यवसायी तथा स्व-नियोजित व्यक्ति, लघु परिवहन परिचालक, खुदरा व्यापार तथा छोटे व्यापार शामिल हैं। पुनश्च, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में एक निश्चित न्यूनतम स्तर तक ऋण प्रदान करें तथा विशिष्ट लक्ष्य समूहों के लिए एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के भी कुछ गतिविधियों के लिए उप-लक्ष्य भी निर्धारित किये गये हैं। समय-समय पर निर्धारित किये गये लक्ष्यों/उपलक्ष्यों के विवरण सारणी सं. II.22 में दिये गये हैं।

सारणी II.22 : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से संबंधित लक्ष्य

प्रयोजन/हिताधिकारियों की श्रेणी	निर्धारित लक्ष्य (कुल शुद्ध बैंक ऋण का)	जब तक प्राप्त करना है
1. प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रों को कुल अग्रिम	40 प्रतिशत	मार्च 1985
2. कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए प्रत्यक्ष अग्रिम	16 प्रतिशत 17 प्रतिशत 18 प्रतिशत	मार्च 1987 मार्च 1989 मार्च 1990
3. कमजोर वर्गों को अग्रिम	10 प्रतिशत	मार्च 1985

2.68 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से संबंधित बकाया अग्रिमों के आँकड़े सारणी II.23 में दिये गये हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुल बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का हिस्सा जो कि जून 1988 के अंत में 45.7 प्रतिशत था, जून 1989 के अंत में गिरकर 44.6 प्रतिशत हो गया। परंतु यह 40 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से ऊपर था। प्राथमिकता प्राप्त क्षेतों से संबंधित अग्रिमों के 40 प्रतिशत के मानदण्ड को प्राप्त करने में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक समग्रतः समर्थ बने रहे। जून 1989 के अंत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से संबंधित अग्रिमों में कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों का अंश सर्वाधिक (41.2 प्रतिशत) रहा; इसके बाद लघु उद्योग (38.0 प्रतिशत) का स्थान आता है।

2.69 कुल बकाया प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की राशि जो जून 1988 के अंत में 10,700 करोड़ रुपये थी जून 1989 के अंत में बढ़कर 12,920 करोड़ रुपये हो गयी। कृषि विषयक प्रत्यक्ष वित्त के लक्ष्य को बढ़ाकर उसे शुद्ध ऋण का 18 प्रतिशत कर किया गया है जिसे मार्च 1990 तक प्राप्त करना है। सभी

available at lower rates; again, the underlying demand for funds eased as the banks entered the slack season. In this context, the banks' call money rate declined from May 30, 1989 onwards and was once again in broad alignment with the DFHI's call money rate (Table II.21). Although the call money rates have tended to ease in the latter part of June 1989, the volatility continued, mainly due to uneven borrowing by certain banks. Prior to the freeing of the call money rate, although there was a ceiling on the rate, the rate was breached through the means of package transactions.

6. Credit Targets and Achievements

Priority Sector Advances by Public Sector Banks

2.67 In accordance with national objectives, public sector banks have been directed to extend credit to priority sectors, which include agriculture and allied activities, village and cottage industries, small-scale industries, professionals and self-employed persons, small transport operators, retail trade and small business. Furthermore, banks have been advised to reach a certain minimum level of lending to specified sectors and sub-targets have also been prescribed for certain activities within the priority sectors and to specific target groups. The details in respect of targets/ sub-targets prescribed from time to time are shown in Table II.22.

Table II.22 : Priority Sector Targets

Purpose/Category of beneficiaries	Target prescribed (of net bank credit)	To be reached by
1. Aggregate advances to priority sectors	40 per cent	March 1985
2. Direct advances for agriculture and allied activities	16 per cent 17 per cent 18 per cent	March 1987 March 1989 March 1990
3. Advances to weaker sections	10 per cent	March 1985

2.68 Data in respect of outstanding advances to priority sectors by public sector banks are presented in Table II.23. The proportion of priority sector advances of public sector banks to their total bank credit, which had touched 45.7 per cent at the end of June 1988, moved down to 44.6 per cent by the end of June 1989, but was above the prescribed target of 40 per cent. All the public sector banks as a whole continued to fulfil the target of 40 per cent. Within the priority sectors, advances to agriculture and allied activities formed the major share (41.2 per cent) followed by advances to the small-scale industries (38.0 per cent) of total priority sector advances as at the end of June 1989.

2.69 The aggregate outstanding direct agricultural advances which stood at Rs. 10,700 crores as at the end of June 1988 increased to Rs. 12,920 crores as at the end of June 1989. The target for direct finance to agriculture has been raised to 18 per cent of

सारणी II.23 : सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम

(अंतिम शुक्रवार को)

क्षेत्र	खातों की संख्या (लाखों में)				बकाया राशि (करोड़ रुपयों में)			
	जून 1969	जून 1987	जून 1988@	जून 1989@	जून 1969	जून 1987	जून 1988@	जून 1989@
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. कृषि	1.65	178.08	191.28	197.48	162	10645	12111	14,369
					(5.4)	(18.8)	(18.9)	(18.4)
i) प्रत्यक्ष	1.60	168.56	182.72	190.26	40	9284	10700	12920
					(1.3)	(16.4)	(16.7)	(16.5)
ii) अप्रत्यक्ष	0.05	9.52	8.56	7.22	122	1361	1411	1449
					(4.0)	(2.4)	(2.2)	(1.9)
II. लघु उद्योग	0.53	19.89	23.57	27.07	257	9,298	10,874	13,248
					(8.5)	(16.4)	(17.0)	(16.9)
III. अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र*	0.42	82.20	95.40	106.46	22	5,464	6,245	7,257
					(0.7)	(9.6)	(9.8)	(9.3)
IV. कुल बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के	2.60	280.17	310.25	331.01	441	2,5407	29,230	34,874
					(14.6)	(44.8)	(45.7)	(44.6)
V. अग्रिमों का प्रतिशत शुद्ध बैंक ऋण	–	–	–	–	3,016	5,6668	63,950	78,178
					(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
VI. शुद्ध बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों का प्रतिशत	–	–	–	–	14.6	44.8	45.7	44.6
VII. कुल बैंक ऋण में प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों का प्रतिशत	–	–	–	–	1.3	16.4	16.7	16.5

* इसमें लघु परिवहन परिचालक, स्व-नियोजित व्यक्ति, ग्रामीण कारीगर आदि शामिल हैं।
@ आँकड़े अनंतिम हैं।
टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आँकड़े शुद्ध बैंक ऋण की तुलना में प्रतिशत प्रदर्शित करते हैं।
स्रोत : ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक।

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे कृषि संबंधी अपने प्रत्यक्ष अग्रिमों में वृद्धि करें। जून 1989 के अंत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से संबंधित अग्रिमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 7.6 प्रतिशत था।

प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली

2.70 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों से संबंधित वसूली कार्य निष्पादन में मामूली सुधार परिलक्षित हुआ (सारणी II.24)। पिछले वर्ष के 57.1 प्रतिशत की तुलना में जून 1988 में समाप्त वर्ष में थोड़ी-सी वृद्धि और वह 57.2 प्रतिशत रही।

Table II.23 : Advances to the Priority Sectors by Public Sector Banks
(As on the last Friday)

Sector	No. of Accounts (In Lakhs)				Amount Outstanding (Rs. Crores)			
	June 1969	June 1987	June 1988@	June 1989@	June 1969	June 1987	June 1988@	June 1989@
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Agriculture	1.65	178.08	191.28	197.48	162	10,645	12,111	14,369
					(5.4)	(18.8)	(18.9)	(18.4)
i) Direct	1.60	168.56	182.72	190.26	40	9,284	10,700	12,920
					(1.3)	(16.4)	(16.7)	(16.5)
ii) Indirect	0.05	9.52	8.56	7.22	122	1,361	1,411	1,449
					(4.0)	(2.4)	(2.2)	(1.9)
II. Small-Scale Industries	0.53	19.89	23.57	27.07	257	9,298	10,874	13,248
					(8.5)	(16.4)	(17.0)	(16.9)
III. Other Priority Sectors*	0.42	82.20	95.40	106.46	22	5,464	6,245	7,257
					(0.7)	(9.6)	(9.8)	(9.3)
IV. Total Priority Sector Advances	2.60	280.17	310.25	331.01	441	25,407	29,230	34,874
					(14.6)	(44.8)	(45.7)	(44.6)
V. Net Bank Credit	–	–	–	–	3,016	56,668	63,950	78,178
					(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
VI. Percentage of priority sector advances to net bank credit	–	–	–	–	14.6	44.8	45.7	44.6
VII. Percentage of direct agricultural advances to net bank credit	–	–	–	–	1.3	16.4	16.7	16.5

* Include small transport operators, self-employed persons, rural artisans, etc.
@ Data are provisional.
Note : Figures in brackets represent percentage to net bank credit.
Source : Rural Planning and Credit Department, RBI.

the net bank credit to be achieved by March 1990. All the banks have been advised to step up their direct advances to agriculture. The share of scheduled castes and scheduled tribes in the priority sector advances stood at 7.6 per cent as at the end of June 1989.

Recovery of Direct Agricultural Advances

2.70 The recovery performance of public sector banks relating to their direct agricultural advances showed marginal improvement (Table II.24). The recovery for the year ended June 1988 increased though fractionally to 57.2 per cent of demand from 57.1 per cent in the preceding year.

सारणी II.24 : प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली का कार्य निष्पादन (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक)

(करोड़ रुपये)

जून में समाप्त वर्ष	माँग	वसूली	बकाया	माँग की तुलना में वसूली का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.
1986	3,911	2,211	1,700	56.5
1987	4,468	2,551	1,917	57.1
1988	5,083	2,909	2,174	57.2*

* अनंतिम

स्रोत : ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक

वसूली कार्य निष्पादन में सुधार के लिए किये गये उपाय

2.71 अतिदेय राशियों की वसूली में तेजी लाने तथा बैंक की निधियों के और अच्छे पुनर्निवेश को दृष्टि में रखते हुए बैंकों को हाल ही में जो व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं उनमें इन प्रभावी उपायों का अपनाया जाना शामिल है, यथा, नियंत्रक कार्यालयों के स्तर पर तथा क्षेत्र स्तर पर भी उनके संगठनात्मक ढाँचे को मजबूत बनाना तथा सक्रिय करना, ऋण-दान के लिए योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाना, ऋण-दान से पूर्व की मूल्यांकन प्रणाली तथा ऋणदानोत्तर पर्यवेक्षण तकनीकों में सामंजस्य स्थापित करना, ब्लॉक स्तर पर राज्य सरकार के तंत्र की सहायता से वसूली अभियान शुरू करना आदि। पुनश्च, बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे नजदीक के उन शाखा समूहों के लिए जहाँ माँग की तुलना में बकाया राशि 50 प्रतिशत से अधिक हो तथा कृषि संबंधी अग्रिमों की राशि काफी बड़ी हो वहाँ सतत एवं प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए अलग वसूली कक्षों की स्थापना करें।

2.72 बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है कि उनकी ग्रामीण शाखाओं द्वारा निश्चित किये गये गैर-बैंकिंग कार्य दिवस का उपयोग प्रभावकारी ढंग से देय राशियों की वसूली के लिए जाय। अग्रणी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे जान बूझकर किये गये व्यतिक्रमों के मामलों में राज्य सरकार के तंत्र से उचित सहयोग प्राप्त करने के लिए जिला परामर्शदात्री समितियों, राज्यस्तरीय बैंकर समिति आदि के मंचों का प्रभावी ढंग से उपयोग करें। इसी तरह, सुखे, बाढ़ तथा तूफानों-जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को राहत/रियायतें प्रदान करने के लिए समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये थे।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण--दान निजीक्षेत्र के भारतीय बैंकों का कार्य-निष्पादन

2.73 जैसा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षित है उसी तरह निजी क्षेत्र के भारतीय बैंकों से भी यह अपेक्षित है कि वे विशिष्ट कार्यक्रमों से संबंधित ऋण-दान तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों से संबंधित विभिन्न लक्ष्यों एवं उप-लक्ष्यों को प्राप्त करें। जून 1988 के अंत में निजी क्षेत्र के भारतीय बैंकों की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से संबंधित अग्रिमों की राशि 1,238 करोड़ रुपये थी जो कि उनके कुल अग्रिमों का 39.8 प्रतिशत है। कृषि के लिए उनके प्रत्यक्ष अग्रिम उनके कुल अग्रिमों का 9.1 प्रतिशत थे तथा कमजोर वर्गों से संबंधित अग्रिम उनके कुल अग्रिमों का 5.2 प्रतिशत थे। पिछले वर्ष के अंत में 1.0 प्रतिशत के निर्धारित मानदण्ड के मुकाबले विभेदक ब्याज-दर योजना संबंधी अग्रिमों की राशि उनके कुल अग्रिमों का 0.4 प्रतिशत थी। इस तरह निजी क्षेत्र के बैंकों को अभी इस संबंध में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करना शेष है।

Table II.24 : Recovery Performance of Direct Agricultural Advances (Public Sector Banks)

(Rs. Crores)

Year ended June	Demand	Recoveries	Overdues	Percentage of recoveries to demand
1.	2.	3.	4.	5.
1986	3911	2211	1700	56.5
1987	4468	2551	1917	57.1
1988	5083	2909	2174	57.2*

* Provisional.
Source : Rural Planning and Credit Department, RBI.

Steps Taken to Improve Recovery Performance

2.71 With a view to speeding up recovery of overdues and achieving better recycling of bank funds, detailed guidelines have been issued to banks in the recent past which include taking effective measures such as strengthening and gearing up of their organisational structure, both at controlling offices and field level, adopting schematic approach to lending, toning up pre-lending appraisal system as well as post-lending supervision techniques, launching of recovery drives with the help of the State Government machinery at the block level, etc. Furthermore, banks have also been advised to create separate "Recovery Cells" for a cluster of nearby branches for continuous and effective supervision and recovery where overdues exceed 50 per cent of demand and agricultural advances are sizeable.

2.72 Banks have been advised to ensure that the non-banking working day observed by their rural branches is effectively used for recovery of dues. Lead Banks have been advised to effectively utilise the forums of District Consultative Committees (DCCs), State Level Bankers' Committee (SLBC), etc., for eliciting proper support from State Government machinery in dealing with cases of wilful default. Like-wise, guidelines have also been issued from time to time for providing relief measures/relaxations to various categories of borrowers affected by natural calamities such as droughts, floods and cyclones.

Priority Sector Lendings–Performance of Private Sector Indian Banks

2.73 The private sector Indian banks are also required to achieve various targets and sub-targets for priority sector advances and lending for special programmes in the same way as public sector banks. The Indian private sector banks' advances to priority sectors as at the end of June 1988 amounted to Rs. 1,238 crores, constituting 39.8 per cent of their total advances. Their direct advances to agriculture formed 9.1 per cent of total advances and advances to weaker sections constituted 5.2 per cent of total advances. The DRI advances constituted 0.4 per cent of their aggregate advances as at the end of previous year as against the prescribed norm of 1.0 per cent. Thus, the private sector banks have yet to reach various sub-targets prescribed in this regard.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से संबंधित लक्ष्य-विदेशी बैंक

2.74 भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों को अगस्त 1988 में सूचित किया गया था कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से संबंधित उनके अग्रिमों को मार्च 1989 के अंत तक उनके कुल बकाया अग्रिमों के 10 प्रतिशत के स्तर तक पहुँच जाना चाहिए। इन अग्रिमों को मार्च 1990 तथा 1992 के अंत तक बढ़कर क्रमशः 12 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत हो जाना चाहिए।

कमजोर वर्गों को अग्रिम

2.75 प्रामिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले कमजोर वर्ग ये हैं : (i) 5 एकड़ तक की जोत वाले लघु तथा सीमांत कृषक, भूमिहीन मजदूर, असामी कृषक तथा बॅटाईदार (ii) कारीगर, 25,000 रुपये की ऋण-सीमा का लाभ प्राप्त करने वाले ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग (iii) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विभेदक ब्याज-दर योजना, शहरी गरीबों के लिए स्व-रोज़गार कार्यक्रम के हिताधिकारी और (iv) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारी। जून 1989 के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कमजोर वर्गों से संबंधित अग्रिमों की कुल राशि 8,641.06 करोड़ रुपये थी जो कि उनके कुल बकाया अग्रिमों का 11.1 प्रतिशत थी जब कि इस प्रयोजन के लिए निर्धारित लक्ष्य 10 प्रतिशत का था।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को ऋण-सुविधाएँ

2.76 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों से संबंधित ऋण प्रवाह में तेजी लाने के लिए पिछले वर्षों के दौरान किये गये संगठित प्रयासों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इन श्रेणियों के उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण प्रवाह में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुल बकाया अग्रिमों की राशि जो जून 1988 के अंत में 37.58 लाख खातों में 2,095.19 करोड़ रुपये थी, जून 1989 के अंत में बढ़कर 84.80 लाख खातों में 2,658.39 करोड़ रुपये हो गयी।

अल्प संख्यक समुदायों को ऋण

2.77 अल्प संख्यक समुदायों को ऋण प्रदान करने के संबंध में बैंकों द्वारा किये जाने वाले विभिन्न उपायों से संबंधित विवरण पिछले वर्ष की रिपोर्ट में दिये गये थे (पैरा 2.122)। दिसंबर 1988 के अंत में 40 अभिज्ञात जिलों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी अग्रिमों की राशि 10.28 लाख उधारकर्ताओं में 571.51 करोड़ रुपये थी।

विभेदक ब्याज-दर योजना

2.78 बैंकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि उनके अग्रिमों का कम-से-कम 1.0 प्रतिशत (पिछले वर्ष के अंत में बकाया) 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती दर पर कमजोर वर्गों को प्रदान किया जाय।

2.79 जून 1989 के अंत में विभेदक ब्याज-दर योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिमों की राशि 664.94 करोड़ रुपये थी जबकि जून 1988 के अंत में यह राशि 624.47 करोड़

Priority Sector Targets — Foreign Banks

2.74 The foreign banks operating in India were advised in August 1988 that their advances to priority sectors should reach a level of 10 per cent of their total outstanding advances by the end of March 1989. Such advances should be increased progressively to 12 per cent and 15 per cent by end of March 1990 and 1992, respectively.

Advances to Weaker Sections

2.75 The weaker sections in priority sector comprise (i) small and marginal farmers with landholdings upto 5 acres, landless labourers, tenant farmers and share croppers, (ii) artisans, village and cottage industries enjoying credit limits upto Rs. 25,000, (iii) IRDP, DRI and SEPUP benificiaries, and (iv) beneficiaries belonging to scheduled castes/scheduled tribes. As at the end of June 1989, the advances of public sector banks to weaker sections aggregated Rs. 8,641.06 crores constituting 11.1 per cent of their total outstanding advances as against the target of 10 per cent prescribed for the purpose.

Credit Facilities to Scheduled Castes and Scheduled Tribes

2.76 The concerted measures taken over the years to step up the flow of credit to scheduled caste/scheduled tribe beneficiaries have resulted in sizeable flow of credit from the public sector banks to these categories of borrowers. The aggregate outstanding advances from public sector banks to scheduled castes and scheduled tribes increased from Rs. 2,095.19 crores in 37.58 lakh accounts at the end of June 1988 to Rs. 2,658.39 crores in 84.80 lakh accounts at the end of June 1989.

Credit to Minority Communities

2.77 Details regarding various steps required to be taken by banks in respect of credit to minority communities were given in the last year's Report (paragraph 2.122). As at the end of December 1988, priority sector advances of public sector banks to the minority communities in the 40 identified districts amounted to Rs. 571.51 crores in 10.28 lakh borrowal accounts.

Differential Rate of Interest Scheme

2.78 Banks are required to ensure that at least 1.0 per cent of their advances (outstanding as at the end of the previous year) is lent to weaker sections at the concessional rate of 4 per cent per annum.

2.79 As at the end of June 1989, the outstanding advances of public sector banks under the Differential Rate of Interest (DRI) Scheme amounted to Rs. 664.94 crores

रुपये थी। जून 1989 के अंत में उक्त योजना के अंतर्गत खातों की कुल संख्या 47.1 लाख के रूप में अपरिवर्तित बनी रही। पिछले वर्ष के अंत के मुकाबले जून 1988 के अंत में उक्त योजना के अंतर्गत अग्रिमों की राशि कुल बकाया अग्रिमों का 0.9 प्रतिशत थी। अनुसूचित जातियों/जनजातियों के हिताधिकारियों को उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत अग्रिम भी विभेदक ब्याजदर संबंधी अग्रिमों के 40 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से आगे बढ़ गये।

मीयादी ऋणों पर ब्याज लगाने के उद्देश्य के कृषकों का वर्गीकरण

2.80 लघु कृषकों तथा अन्य कृषकों के लिए कृषि प्रयोजनों के वास्ते मीयादी ऋणों के लिए अलग ब्याज दरें निर्धारित की गयी हैं। 5 एकड़ एवं उससे कम की जोत वाले कृषकों को लघु कृषकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जबकि 5 एकड़ से अधिक भूमि रखने वालों को 'अन्य कृषक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे उधारकर्ताओं के सुविधाजनक वर्गीकरण को दृष्टि में रखते हुए जिनके पास भूमि नहीं है (स्वामित्व वाली अथवा पट्टे की) तथा जो डेयरी, मुर्गीपालन, सुअरपालन आदि-जैसी कृषि से संबद्ध ऐसी गतिविधियों में लगे हैं जो कि भूमि पर आधारित नहीं हैं, तथा यह निश्चित करने के लिए कि ऐसे उधारकर्ता लघुकृषकों के लिए प्रयोज्य निम्नतर ब्याज-दर के पात्र हैं अथवा नहीं, बैंकों को फरवरी 1989 में यह सूचित किया गया था कि ऐसे प्रत्येक उधारकर्ता को जिस की वार्षिक आय, सभी स्रोतों से प्राप्त पारिवारिक आय सहित 6,400 रुपये तक है, 'लघुकृषक' माना जाएगा तथा जिनकी वार्षिक आय 6,400 रुपये से अधिक है, उन्हें 'अन्य कृषक' माना जाएगा।

कृषि अग्रिमों के लिए मार्जिन राशि तथा प्रतिभूति संबंधी मानदण्ड

2.81 इससे पूर्व 5,000 रुपये तक के कृषि ऋणों की कतिपय श्रेणियों के संबंध में मार्जिन राशि संबंधी अपेक्षाएँ समाप्त कर दी गयी थीं। 28 फरवरी 1989 से 10,000 रुपये तक के समस्त कृषि ऋणों के लिए (अल्पावधि तथा दीर्घावधि दोनों ही) उपर्युक्त रियायत प्रदान की गयी है।

2.82 बैंकों को यह विवेकाधिकार प्राप्त था कि वे 5,000 रुपये से अधिक के फसल ऋणों अथवा 5,000 रुपये से अधिक के उन मीयादी ऋणों के लिए जिनमें चल आस्तियाँ निर्मित हुई हों, जमीन के बंधक अथवा तीसरी पार्टी की गारंटी के रूप में संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त करें। जहाँ कृषि विषयक मीयादी ऋणों के लिए आस्तियाँ निर्मित न हुई हों वहाँ 1,000 रुपये से अधिक के ऋणों के लिए बंधक लिया जा सकता था। बैंकों को सूचित किया गया है कि जिन मामलों में चल आस्तियाँ निर्मित हुई हों उनमें 10,000 रुपये तक के फसल ऋणों तथा 10,000 तक के मीयादी ऋणों के लिए भूमि के बंधक, भूमि-प्रभार अथवा तीसरी पार्टी की गारंटी के रूप में वे भविष्य में संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त न करें। तथापि, फसल संबंधी/चल आस्तियों के दृष्टिबंधक के रूप में प्राथमिक प्रतिभूति ले जानी चाहिए। जहाँ कहीं अपेक्षित हो, भूमि के बंधक/भूमि-प्रभार की निर्मिति में वास्तविक कठिनाईयों के मामले में बैंक तीसरी पार्टी की गारंटी अथवा कोई अन्य प्रतिभूति जो कि उपयुक्त समझी जाए, ले सकते हैं।

20-सूत्री कार्यक्रम

2.83 अगस्त 1986 में भारत सरकार द्वारा घोषित पुनरीक्षित 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत 20 में से 15 का संबंध बैंकिंग प्रणाली से है। उपलब्ध अनंतिम आँकड़ों के अनुसार जून 1989 के अनंतिम शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र के 28 बैंकों ने 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत 229.34 लाख उधार खातों में

as against Rs. 624.47 crores as at the end of June 1988. The total number of accounts under the scheme remained unchanged at 47.01 lakhs as at the end of June 1989. The advances under the scheme as at the end of June 1989 formed 0.9 per cent of the total advances outstanding as at the end of the previous year. The advances granted under the scheme to the beneficiaries belonging to scheduled castes/scheduled tribes also exceeded the prescribed target of 40 per cent of DRI advances.

Classification of Farmers for the Purpose of Charging Interest on Term Loans

2.80 Different interest rates have been stipulated for term loans for agricultural purposes for small farmers and other farmers. The farmers with land holding of 5 acres and less are classified as 'small farmers' while those having land in excess of 5 acres as 'other farmers'. To facilitate the classification of the borrowers who do not posses land (owned or leased) and are engaged in non-land based activities allied to agriculture such as dairy, poultry, piggery, etc., for the purpose of determining whether they are eligible for lower lending rates applicable to small farmers, banks were advised in February 1989 that such borrowers, having an annual income upto Rs. 6,400 each inclusive of family income from all sources be deemed as 'small farmers' and those having annual income of over Rs. 6,400 as 'other farmers'.

Margin Money and Security norms for Agricultural Advances

2.81 Earlier, the requirement of margin money had been waived in respect of certain categories of agricultural loans upto Rs. 5,000. With effect from February 28, 1989, the above concession has been extended to all agricultural loans upto Rs. 10,000 (both short-term and term loans).

2.82 The banks had the discretion to take collateral security by way of mortgage of land or third party guarantee for crop loans over Rs. 5,000 or term loans over Rs.5,000 where movable assets are created. Where movable assets are not created for agricultural term loans mortgage could be taken for loans over Rs. 1,000. The banks have been advised that they should not in future obtain collateral security by way of mortgage of land, charge on land or third party guarantee for crop loans upto Rs. 10,000 and term loans upto Rs. 10,000 where movable assets are created. Primary security by way of hypothecation of crops/movable assets should however be taken. In the case of genuine difficulties in the creation of mortgage of land/charge on land wherever it is required, banks can take third party guarantee or such other security as is considered appropriate.

20-Point Programme

2.83 Under the revised 20-Point Programme announced by the Government of India in August 1986, fifteen out of the twenty points have relevance to the banking system. According to the provisional data available, 28 public sector banks had extended

11,270.18 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जो कि प्राथमिकता प्राप्त क्षत्रों से संबंधित उनके कुल अग्रिमों का 32.3 प्रतिशत अथवा शुद्ध बैंक ऋण का 14.4 प्रतिशत है जबकि जून 1988 के अंत में यह राशि 201.94 लाख उधार खातों में 9,456.32 करोड़ रुपये थी (सारणी II.25)।

सारणी II.25 : 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए बैंक ऋण

मदें	जून 1987	जून 1988	जून 1989
1.	2.	3.	4.
राशि (करोड़ रुपये)	8,344.19	9,456.32	11,270.18
उधार खाते (लाख)	182.07	201.94	229.34

स्रोत : ग्रामीण आयोजना और विभाग

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सग्राविका)

2.84 वर्ष 1988-89 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 37.72 लाख हिताधिकारियों को सहायता प्रदान की गयी जिसमें 17.50 लाख हिताधिकारी (46.4 प्रतिशत) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के थे तथा 8.74 लाख (23.2 प्रतिशत) महिला हिताधिकारी थीं। अनुसूचित जातियों/जनजातियों के संबंध में सहायता प्रदत्त 30 प्रतिशत हिताधिकारियों 30 प्रतिशत के उप-लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया जबकि महिला हिताधिकारियों से संबंधित उप-लक्ष्य प्राप्त न किया जा सका। सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीयन की प्रगति संबंधी आँकड़े सारणी II.26 में दिये गये हैं। जैसा कि उससे परिलक्षित होगा, सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान इन चार वर्षों के लिए 131.3 लाख परिवारों के संचयी वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले बैंकों ने 148.3 लाख परिवारों को सहायता प्रदान की। सहायता प्राप्त 148.3 लाख परिवारों में से 66.5 लाख परिवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के थे तथा 25.7 लाख महिला हिताधिकारी थीं। चार वर्षों के दौरान वाणिज्य बैंकों तथा सहकारी संस्थाओं दोनों द्वारा सामूहिक रूप से उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 4,152 करोड़ रुपये की राशि का बैंक ऋण वितरित किया गया।

सारणी II.26 : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हिताधिकारी

(वर्ष : अप्रैल-मार्च, संख्या लाख में, राशि करोड़ रुपये में)

मद	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
1.	2.	3.	4.	5.
सहायता प्रदान किये जानेवाले परिवारों की संख्या–लक्ष्य	24.71	35.00	39.64	31.94
सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या	30.61	37.47	42.47	37.72
अनु. जाति/अनु. जनजाति के सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या	13.23	16.80	18.99	17.50
सहायता प्राप्त महिला हिताधिकारियों की संख्या	3.03	5.67	8.30	8.74
वाणिज्य/सहकारी बैंकों द्वारा वितरित ऋण	730.15	1,014.88	1,175.35	1,231.62

स्रोत : ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक

financial assistance under the 20-Point Programme of the order of Rs. 11,270.18 crores in 229.34 lakh borrowal accounts on the last Friday of June 1989, constituting 32.3 per cent of their total priority sector advances or 14.4 per cent of net bank credit as compared with Rs. 9,456.32 crores in 201.94 lakh borrowal accounts as at the end of June 1988 (Table II.25).

Table II.25 : Bank Credit for 20-Point Programme

Items	June 1987	June 1988	June 1989
1.	2.	3.	4.
Amount (Rs. crores)	8,344.19	9,456.32	11,270.18
Borrowal Accounts (lakhs)	182.07	201.94	229.34

Source :– Rural Planning and Credit Department, RBI.

Integrated Rural Development Programme (IRDP)

2.84 During 1988-89, under the IRDP, 37.72 lakh beneficiaries were assisted consisting of 17.50 lakh beneficiaries (46.4 per cent) belonging to SC/ST and 8.74 lakh women beneficiaries (23.2 per cent). The sub-target of 30 per cent of assisted beneficiaries prescribed in respect of scheduled castes/tribes was achieved whereas for women beneficiaries, it could not be achieved. The data regarding the progress in financing under IRDP during the first 4 years of Seventh Plan are indicated in Table II.26. As may be seen therefrom, during the first four years of the Seventh Plan, banks assisted 148.3 lakh families against the cumulative annual target for these four years of 131.3 lakh families; of the 148.3 lakh families assisted, 66.5 lakh belonged to scheduled castes/scheduled tribes and 25.7 lakh were women. The amount of bank credit disbursed to the beneficiaries under the Programme by commercial banks and co-operative institutions together during the four years totalled Rs. 4,152 crores.

Table II.26 : Beneficiaries under IRDP

(Year : April-March; No. in lakhs; Rs. Crores)

Items	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
1.	2.	3.	4.	5.
No. of families to be assisted-Target	24.71	35.00	39.64	31.94
No. of families assisted	30.61	37.47	42.47	37.72
No. of SC/ST families assisted	13.23	16.80	18.99	17.50
No. of women beneficiaries assisted	3.03	5.67	8.30	8.74
Credit disbursed by commercial/ co-operative banks	730.15	1,014.88	1,175.35	1,231.62

Source : Rural Planning and Credit Department, RBI.

शिक्षित बेरोज़गार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना

2.85 उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 1988-89 के दौरान सहायता प्रदान किये जानेवाले हिताधिकारियों की संख्या पिछले वर्ष की 1.25 लाख के मुकाबले 2.50 लाख निश्चित की गयी थी। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 1.88 लाख हिताधिकारियों को कुल 394.78 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये जबकि वित्तीय वर्ष में 1.20 लाख हिताधिकारियों को 259.76 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये थे।

शहरी गरीबों के लिए स्व-रोज़गार योजना

2.86 शहरी गरीबों को स्व-रोज़गार प्रदान करने के लिए वर्ष 1986-87 के दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान 5 लाख व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के अनुमानित लक्ष्य के साथ जारी रखा गया। वर्ष 1988-89 के दौरान उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 3.41 लाख हिताधिकारियों को कुल 130.69 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये जबकि पिछले वर्ष 3.82 लाख हिताधिकारियों को 136.55 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये थे।

विशिष्ट खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के लिए ऋण- 1988-89 और 1989-90

2.87 विशिष्ट खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम भारत सरकार का एक द्विवर्षीय कार्यक्रम है जिसका कार्यान्यवन खरीफ 1988 के मौसम से 14 राज्यों में संभाव्य क्षमतावाले 169 सघन जिलों में किया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह है कि खाद्यानों का कुल उत्पादन बढ़ाकर वर्ष 1989-90 में 175 मिलियन टन कर दिया जाय। उक्त कार्यक्रम में पाँच फसलें शामिल हैं, यथा—चावल, गेहूँ, मक्का, चना और अरहर। सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा वाणिज्य बैंकों से उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1988-89 के लिए लगभग 2,800 करोड़ रुपये के ऋण की आवश्यकता का अनुमान किया गया था।

आंध्र प्रदेश के दंगा पीड़ितों को बैंक से सहायता

2.88 आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में दंगा पीड़ितों तथा उन जिलों में उपद्रवों के कारण भंग हुई औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों के पुनर्वास को दृष्टि में रखते हुए यह निर्णय किया गया था कि आंध्र प्रदेश के चार जिलों आर्थात् विजयवाड़ा, गुंटूर, पूर्व गोदावरी तथा पश्चिम गोदावरी में उधारकर्ताओं को कुछ अतिरिक्त रियायतें उपलब्ध करायी जाएँ। तदनुसार, 11 जनवरी 1989 को सभी वाणिज्य बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे उपर्युक्त चारों जिलों के उधारकर्ताओं को निम्नलिखित अतिरिक्त रियायतें प्रदान करें : (i) प्रत्येक मामले की गुणवत्ता के आधार पर 10 लाख रुपये की अधितम सीमा के अधीन वर्तमान कार्यशील पूँजीगत सीमाओं के 25 प्रतिशत तक की अतिरिक्त सीमाएँ स्वीकृत की जा सकती हैं। इन अतिरिक्त सीमाओं में से 5 लाख रुपये तक की राशि तुरंत प्रदान करने के लिए शाखा प्रबंधकों को प्राधिकृत किया गया तथा 5 लाख रुपये से ऊपर की सीमाएँ, यदि कोई हों, उच्च अधिकारियों द्वारा सप्ताह की भीतर स्वीकृत की जा सकती है। (ii) शाखा प्रबंधकों को खरीदे/भुनाये गये बिलों की वसूली की अवधि एक माह तक बढ़ाने के लिए अधिकृत किया जाए (iii) उपयुक्त मामलों में चुकौती की अवधि एक वर्ष तक बढ़ाकर वर्तमान मीयादी ऋणों की किस्तों की चुकौती का उचित रूप से पुनर्निधारण किया जा सकता है। (iv) इस संबंध में वर्णित अतिरिक्त सुविधाओं से संबंधित उधारकर्ताओं की प्रार्थना को अस्वीकृत करने का अधिकार क्षेत्रीय प्रबंधक/आंचलिक प्रबंधक के स्तर के उच्च अधिकारियों को दिया गया है। (v) उपर्युक्त रियायतें 30 जून 1989 तक लागू थीं।

Self-Employment Scheme for Educated Unemployed Youth (SEEUY)

2.85 The number of beneficiaries to be assisted during 1988-89 under the scheme was fixed at 3.50 lakhs as against 1.25 lakhs for the preceding year. According to available data, public sector banks sanctioned loans to 1.88 lakh beneficiaries aggregating Rs. 394.78 crores during the financial year 1988-89 as against 1.20 lakh beneficiaries for Rs. 259.76 crores in the preceding financial year.

Self-Employment Programme for Urban Poor (SEPUP)

2.86 The programme introduced by the Government of India during 1986-87 for providing self-employment opportunities to urban poor, was continued during the financial year 1988-89 with an estimated target of about 5 lakh persons. During 1988-89, according to available data, public sector banks sanctioned loans to 3.41 lakh beneficiaries aggregating Rs. 130.69 crores as against an amount of Rs. 136.55 crores to 3.82 lakh beneficiaries in the preceding year.

Credit for Special Foodgrains Production Programme : 1988-89 and 1989-90

2.87 The Special Foodgrains Production Programme (SFPP) is a two-year programme of the Government of India being implemented in 169 potential 'Thrust Districts' in 14 States from the *Kharif* 1988 season. The programme aims at increasing total foodgrains production to 175 million tonnes in 1989-90. The programme covers five crops, viz., rice, wheat, maize, gram and *arhar*. Short-term credit requirements for 1988-89 under the programme from the co-operative banks, regional rural banks and commercial banks were estimated to be about Rs. 2,800 crores.

Bank Assistance to Riot Affected Victims of Andhra Pradesh

2.88 With a view to facilitating rehabilitation of the riot victims in certain districts of Andhra Pradesh, as also industrial and commercial activities which got disrupted due to the disturbances in those districts, it was decided that certain additional concessions be made available to borrowers in the four districts of Andhra Pradesh, viz., Vijayawada, Guntur, East Godavari and West Godavari. Accordingly, all scheduled commercial banks were advised on January 11, 1989 to make available the following additional concessions to borrowers in the aforesaid districts : (i) Additional limits to the extent of 25 per cent of existing working capital limits, subject to a maximum of Rs. 10 lakhs, could be sanctioned on the merits of each case. Of the additional limits, branch managers were authorised to extend credit upto a sum of Rs. 5 lakhs immediately, while limits in excess of Rs. 5 lakhs, if any, could be sanctioned by higher authorities within a period of two weeks. (ii) The branch managers were authorised to extend the period for realisation of bills purchased/discounted by one month. (iii) The repayment of instalments of existing term loans could be suitably rescheduled, in deserving cases, by extending the period of repayment by one year. (iv) The power to reject the borrower's request for additional facilities outlined in this respect was vested at the higher level of Regional Manager/Zonal Manager. (v) These relaxations as above were in force till June 30, 1989.

जम्मू तथा ऊधमपुर के दंगापीड़ितों को बैंक–सहायता

2.89 जम्मू और कश्मीर में सामान्य जीवन तथा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को अस्तव्यस्त करनेवाले उपद्रवों के पश्चात् 18 जनवरी 1989 को सभी वाणिज्य बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे तुरंत अपनी समस्त शाखाओं तथा अपने समस्त नियंत्रक कार्यालयों को इस आशय के उपयुक्त निदेश जारी करें कि वे जम्मू और कश्मीर में प्रभावित व्यक्तियों के लिए उसी तरह की सहायता/रियायतें प्रदान करें जैसी सहायता/रियायतें रिज़र्व बैंक द्वारा आंध्र प्रदेश के पीड़ितों के लिए सूचित की गयी थीं।

पंजाब में उद्योग के लिए ऋण संबंधी रियायतें

2.90 उन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, जिनका सामना पंजाब के उधारकर्ताओं को निरंतर करना पड़ रहा है, वहाँ 1986-87 में बैंकों द्वारा ग्राहकों को स्वीकृत रियायतों को 19 सितंबर 1988 से मार्च 1990 के अंत तक के लिए अधिक उदार बनाया गया है जिसकी मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं : (i) शाखा तथा नियंत्रक कार्यालय के स्तरों के अधिकारियों को इस बात के लिए प्राधिकृत किया गया कि वे गुणवत्ता के आधार पर 10 लाख की वर्तमान शीर्ष सीमा के स्थान पर 20 लाख की शीर्ष सीमा के अधीन वर्तमान कार्यशील पूँजी संबंधी सीमाओं के 50 प्रतिशत तक की अतिरिक्त सीमाएँ स्वीकृत करें तथा इसके लिए शाखा प्रबंधकों/आंचलिक प्रबंधकों की प्रत्योजित शक्तियों में उचित रूप से वृद्धि करें। 20 लाख से अधिक की अतिरिक्त सीमाओं की स्वीकृति दो सप्ताह के भीतर उच्च अधिकारियों द्वारा प्रदान कि जानी चाहिए (ii) पंजाब में मिलों/अभिसंस्करण इकाइयों को गेहूँ की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिमों से संबंधित 45 प्रतिशत की न्यूनतम निर्धारित मार्जिन को घटा कर सितंबर 1980 में 30 प्रतिशत कर दिया गया।* (iii) मालसूचियों तथा प्राप्य वस्तुओं आदि के लिए वर्तमान मानदण्डों में रियायत सहित अपने अग्रिमों की स्वीकृति से संबंधित शर्तों में उचित छूट प्रदान करने पर विचार करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया।

आवास वित्त–बैंकों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

2.91 आवास वित्त प्रदान करने में, विशेषतः समाज के कमज़ोर वर्गों को, बैंक ऋण की आपूर्ति बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने विभिन्न कदम उठाये हैं। 225 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 1988 के दौरान आवास वित्त के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वितरित राशि 237.2 करोड़ रुपये थी।

2.92 नवंबर 1988 में बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये जाने वाले आवास वित्त के बारे में संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये जिसकी प्रमुख बातें थीं : (i) विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रयोज्य ब्याज-दरों तथा मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं में ढील दी गयी जैसा कि सारणी II.4 में दर्शाया गया है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को 5,000 रुपये तक के आवास ऋणों पर लागू ब्याज दर 4 प्रतिशत वार्षिक के रूप में अपरिवर्तित बनी रही (ii) प्रति व्यक्ति बैंक ऋण की राशि 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी थी। (iii) चुकौती की अवधि 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी थी जबकि अब तक यह अवधि 10 वर्ष की थी (iv) यदि संपत्ति का बंधक/सरकारी गारंटी संभव न हो तो, बैंक

---

* यह छूट मार्च 1989 में समाप्त कर दी गयी।

Bank Assistance to Riot Affected Victims of Jammu & Udhampur

2.89 Following the disturbances in Jammu & Udhampur districts which disrupted normal life and industrial and commercial activities, scheduled commercial banks were advised on January 18, 1989 to issue suitable instructions immediately to all of their branches and controlling offices to extend assistance/concessions to the affected people in Jammu & Udhampur similar to those advised by the Reserve Bank for the riot affected victims of Andhra Pradesh.

Credit Relaxations to Industries in Punjab

2.90 Taking into account the continued difficulties faced by the borrowers in Punjab, the concessions granted to customers in Punjab by banks in 1986-87 were further relaxed with effect from September 19, 1988 upto the end of March 1990, the salient features of which were as follows : (i) Officials at branch and controlling office levels were authorised to sanction, on merit, additional limits to the extent of 50 per cent of the existing working capital limits subject to a ceiling of Rs. 20 lakhs instead of the existing ceiling of Rs. 10 lakhs by suitably enhancing the delegated powers of branch/regional managers. Additional limits in excess of Rs. 20 lakhs were required to be cleared by higher authorities within a period of two weeks. (ii) The minimum margin of 45 per cent stipulated in respect of advances to mills/processing units in Punjab against wheat was reduced to 30 per cent in September, 1988.* (iii) Banks were advised to consider granting suitable relaxations in the terms and conditions of the sanction of their advances, including relaxations in the existing norms for inventories and receivables, etc.

Housing Finance Guidelines to Banks

2.91 The Reserve Bank has taken various steps for increasing the flow of bank credit to housing sector, especially for the weaker sections of the society. The amount disbursed by the scheduled commercial banks under housing finance during the year 1988 was Rs. 237.2 crores as against the target of Rs. 225 crores.

2.92 In November 1988, the Bank issued revised guidelines on housing finance by scheduled commercial banks, the salient features of which were : (i) Rates of interest applicable to different loan slabs and the margin requirements were relaxed, as set out in Table II.4. The rate of interest applicable for housing loans to persons belonging to scheduled castes/scheduled tribes upto and inclusive of Rs. 5,000 remained unchanged at 4 per cent per annum, (ii) The amount of bank loan per individual was not to exceed Rs. 3 lakhs, (iii) The repayment period was not to exceed 15 years as against 10 years hitherto, (iv) If mortgage of property/Government guarantee is not feasible, banks can

* This concession was withdrawn in March, 1989.

आवास वित्त के लिए अपने विवेकानुसार जीवन बीमा निगम की पॉलिसी सरकारी प्रामिसरी नोटों, शेयरों तथा डिबेंचरों के रूप में अथवा उचित मूल्य की कोई अन्य उपयुक्त प्रतिभूति प्राप्त कर सकते हैं (v) आवश्यकता के आधार पर बैंक मकान मालिकों को मरम्मत, अतिरिक्त निर्माण कार्य आदि के लिए ऋण प्रदान कर सकते हैं चाहे वे मकान मकान मालिकों के कब्जे में हों अथवा किरायेदारों के, (vi) बैंक सार्वजनिक एजेंसियों को भूमि के अभिग्रहण तथा विकास के लिए वित्त प्रदान कर सकते हैं बशर्ते यह जल प्रणाली, ड्रेनेज, सड़कों, बिज़ली के प्रावधान आदि-जैसी मूलभूत वस्तुओं के विकास सहित संपूर्ण परियोजना का भाग हो, (vii) आवास वित्त संस्थाओं के (दीर्घावधि) ऋण इक्विटी अनुपात, निष्पादन संबंधी रेकार्ड, वसूली संबंधी निष्पादन तथा अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बैंक उन्हें ऋण स्वीकृत कर सकते हैं (viii) बैंक प्राइवेट भवन निर्माताओं को वाणिज्यिक शर्तों पर ऐसे माँग ऋणों के रूप में जो कि प्रत्येक विशिष्ट परियोजना से संबद्ध हो, 18 महीने की अधिकतम अवधि तक के लिए ऋण प्रदान कर सकते हैं बशर्ते कि ऐसा करते समय सामान्य सुरक्षा नियमों का पालन किया गया हो तथा कोई ऐसी प्रतिभूति प्राप्त की गयी हो जिसे उन्होंने उचित समझा हो।

2.93 वर्ष 1989 के दौरान उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को बैंकिंग तंत्र द्वारा प्रदान किये जाने वाले आवास वित्त की समग्र निर्धारित मात्रा प्रारंभ में 300 करोड़ रुपये निश्चित की गयी थी। परंतु बाद में उनकी लेखा आवधि में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए बैंकों को सूचित किया गया कि वे आवास वित्त के अपने संबंधित हिस्से की संगणना पिछले वर्ष के तदनुरूप स्तर की तुलना में वृद्धिशील जमाराशियों के 1.5 प्रतिशत की दर पर करें। इस तरह मार्च 1990 में समाप्य वर्ष के दौरान आवास के लिए उधार देने के लिए 385 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होने की आशा है। यदि कोई बैंक एक उचित सीमा तक इस स्तर से अधिक ऋण प्रदान करता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते उसने संसाधन संबंधी अपनी स्थिति का ध्यान रखा हो तथा प्रारक्षित निधि संबंधी सांविधिक अपेक्षाओं का पालन किया हो। पुनश्च, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रदत्त पुनर्वित्त चालू आबंटन के अतिरिक्त तथा उससे अलग होगा।

2.94 हिताधिकारियों को सीधे उधार दिये गये आवास वित्त के हिस्से में वृद्धि की दृष्टि से कुछ उप-लक्ष्य निर्धारित किये गये थे जो कि ये हैं : (i) कम-से-कम 30 प्रतिशत आबंटन सीधे ऋण दान के लिए प्रारक्षित होना चाहिए। इसमें से कम-से-कम आधा (कुल आबंटन का 15 प्रतिशत) ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विपरित किया जाना चाहिए। (ii) 30 प्रतिशत का और आबंटन आवास वित्त कंपनियों, आवास बोर्डों तथा अन्य सार्वजनिक आवास एजेंसियों की मीयादी ऋणों के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। (iii) आवंटन की 40 प्रतिशत की शेष राशि राष्ट्रीय आवास बैंक तथा आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के गारंटी कृत बॉण्डों एवं डिबेंचरों में अभिदान के रूप में प्रदान की जानी चाहिए।

2.95 दिसंबर 1988 के अंत में आवास वित्त श्रेणी के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण की कुल बकाया राशि 1,87.72 करोड़ रुपये थी। इसमें से 69.18 करोड़ रुपये की राशि (6.4 प्रतिशत) अलग-अलग व्यक्तियों तथा व्यक्ति-समूहों जैसे कि सहकारी आवास समितियों के लिए प्रत्यक्ष वित्त के रूप में थी जबकि 1,018.54 करोड़ रुपये की शेष राशि (93.6 प्रतिशत) अप्रत्यक्ष रूप में या तो आवास वित्त संस्थाओं को ऋण के रूप में दी गयी थी अथवा हुडको तथा राज्य आवास बोर्डों के गारंटीकृत बाण्डों में निविष्ट की गयी थी।

accept at their discretion, security of adequate value in the form of LIC policy, Government promissory notes, shares and debentures or any other appropriate security for the housing loan, (v) Banks can extend need-based credit to house-owners for repairs, additions etc., whether houses are owner-occupied or tenant-occupied, (vi) Banks may extend finance to public agencies for acquisition and development of land provided it is a part of the complete project including development of infrastructure such as water systems, drainage, roads, provision of electricity, etc., (vii) Banks may grant term loans to housing finance institutions upto a stipulated level taking into consideration their (long-term) debt-equity ratio, track record, recovery performance and other relevant factors, (viii) Banks may extend credit to private builders on commercial terms by way of demand loans linked to each specific project for a maximum period upto 18 months, subject to usual safeguards and after obtaining such security as they may deem appropriate.

2.93 The overall quantum earmarked for housing finance to be provided by the banking system to various categories of borrowers during 1989 was initially fixed at Rs. 300 crores. Subsequently, however, keeping in view the change in their accounting period, banks were advised to compute their respective share of housing finance at 1.5 per cent of incremental deposits during the year ended March 1989 over the corresponding level in the previous year. Thus, a sum of Rs. 385 crores is expected to be available for lending for housing during the year ending March 1990. There is no objection to a bank exceeding this level upto a reasonable limit having regard to its resources position and compliance with the statutory reserve requirements. Furthermore, the refinance provided by the National Housing Bank (NHB) will be in addition to, and separate from, the current allocation.

2.94 With a view to increasing the share of housing finance lent directly to the beneficiaries, the following sub-targets were prescribed : (i) At least 30 per cent of the allocation should be reserved for direct lending. Of this, at least one-half (15 per cent of the total allocation) should be disbursed in rural and semi-urban areas. (ii) A further 30 per cent of the allocation may be channelled by way of term loans to housing finance companies, housing boards and other public housing agencies. (iii) The balance 40 per cent of the allocation would be in the form of subscription to guaranteed bonds and debentures of the National Housing Bank and the Housing and Urban Development Corporation (HUDCO).

2.95 As at the end of December 1988, aggregate outstanding amount of credit by scheduled commercial banks under the category of 'housing finance' stood at Rs. 1,087.72 crores. Of this, a sum of Rs. 69.18 crores (6.4 per cent) was by way of direct finance to individuals and groups of individuals such as co-operative housing societies, while the balance of Rs. 1,018.54 crores (93.6 per cent) was given indirectly either as loans to housing finance institutions or invested in the guaranteed bonds of HUDCO and State Housing Boards.

7. ऋण का क्षेत्रीय वितरण

ऋण-जमा अनुपात

2.96 पिछले कुछ वर्षों के दौरान अखिल भारतीय आधार पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई। यह गिरावट प्रारक्षित निधि और चलनिधि की अपेक्षाओं में बढ़ोत्तरी होने के कारण आयी है। जून 1985 के अंत में ऋण-जमा अनुपात (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों के आंकड़ों पर आधारित) उच्चतर अर्थात् 66.1 प्रतिशत था जो जून 1988 के अंत में घटकर 57.3 प्रतिशत परंतु जून 1989 के अंत में बढ़कर 60.1 प्रतिशत हो गया। अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित राज्यवार और जनसंख्यावार ऋण-जमा अनुपात का विश्लेषण आगे दिया गया है।

ऋण-जमा अनुपात का क्षेत्रवार और राज्यवार विश्लेषण

2.97 ऋण की स्वीकृति और उपयोग के अनुसार ऋण-जमा और निवेश + ऋण-जमा अनुपातों का क्षेत्रवार और राज्यवार विश्लेषण सारणी संख्या II.27 में दर्शाया गया है। ये आंकड़े दिसंबर 1986 तक के हैं और वे दर्शाते हैं कि ऋण की स्वीकृति के अनुसार जिन क्षेत्रों के राज्यों में ऋण-जमा अनुपात अखिल भारतीय औसत से उच्चतर रहा है वे इस प्रकार हैं : दक्षिणी क्षेत्र में सभी 4 राज्य, पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र, पूर्वी क्षेत्र में उड़िसा और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में मणिपुर और त्रिपुरा तथा उत्तरी क्षेत्र में राजस्थान और हरियाणा।

2.98 उपयोग के अनुसार ऋण-जमा अनुपात में अंतरण परिलक्षित होता है। यह अंतरण ऋण स्वीकृती के जिले अथवा राज्य से उन अन्य जिले अथवा राज्य में हुआ है जहाँ ऋण का उपयोग किया गया है। यह अंतरण उत्तरी क्षेत्र में उभरकर सामने आया है। उत्तरी क्षेत्र के दिल्ली अथवा चंडीगढ़ में स्वीकृत किये गये बैंक ऋण का उपयोग क्षेत्र के अन्य राज्यों में हुआ है। यह तथ्य विषेश रूप से हरियाणा के मामले में अधिक सही जान पड़ता है जहाँ स्वीकृती के अनुसार उसका ऋण-जमा अनुपात दिसंबर 1986 में 61.0 प्रतिशत था परन्तु उपयोग के अनुसार वह बढ़कर 84.7 प्रतिशत हो गया। पूर्वी क्षेत्र और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उड़िसा और असम ऐसे महत्वपूर्ण राज्य हैं जिन्हें उपयोग के अनुसार लाभ हुआ है। अन्य क्षेत्रों के जिन राज्यों में कुछ मामूली सुधार हुआ है वे इस प्रकार हैं : मध्य प्रदेश, गुजरात और अन्य सभी दक्षिणी राज्य (तमिलनाडु को छोड़कर)।

2.99 जमाराशियों में निवेश और ऋण का अनुपात (उपयोग के अनुसार) (निवेश+ऋण जमा अनुपात) बैंक निधियों का एक ऐसा व्यापक निर्देशांक है जिसका राज्य विशेष में बैंकों द्वारा जुटाई गयी निधियों के संदर्भ में उनका निवेश किया गया है। इस प्रकार का निर्देशांक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के मामले में उल्लेखनीय अंतर निर्माण करता है–विशेष रूप से असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड और त्रिपुरा के मामले में। इन राज्यों का निवेश-ऋण-जमा अनुपात दिसम्बर 1986 में 79 प्रतिशत से 150 प्रतिशत के दरम्यान घटता-बढ़ता रहा जबकि इसकी तुलना में अखिल भारतीय औसत अनुपात 71 प्रतिशत था (देखें सारणी II.27)।

ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में ऋण-जमा अनुपात

2.100 ऋण-जमा अनुपातों में शहरी-ग्रामीण विकास असमानताओं को कम करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया है कि वे मार्च 1979 तक अपने ग्रामीण और

7. Regional Dispersal of Credit

Credit-Deposit Ratio

2.96 The Credit-Deposit (CD) ratio of scheduled commercial banks on an all-India basis has tended to decline during the last few years following the step up in reserve and liquidity requirements. The CD ratio, based on data as per returns received under Section 42(2) of the RBI Act, 1934, which was as high as 66.1 per cent as on the last Friday of June 1985 declined to 57.3 per cent at the end of June 1988 but increased to 60.1 per cent at end-June 1989. A review of the CD ratio, state-wise and population group-wise, based on latest available data, is given below.

Region-wise and State-wise Analysis of Credit-Deposit Ratio

2.97 Region-wise and state-wise credit-deposit and investment *plus* credit-deposit ratios, according to *sanction* and *utilisation,* are presented in Table II.27. These data available upto December 1986 show that, as per *sanction,* all the four states in the Southern region, Maharashtra in the Western region, Orissa in the Eastern region, Manipur and Tripura in the North-Eastern region, and Rajasthan and Haryana in the Northern region, had ratios higher than the all-India average.

2.98 The CD ratio, as per *utilisation,* captures the migration of credit from the centre or state of sanction to another centre or state where it is being utilized. This phenomenon now seems conspicuous in the Northern region where bank credit sanctioned in Delhi or Chandigarh is being utilised in other states of the region; this is particularly true of Haryana where the CD ratio in December 1986 was 61.0 per cent as per *sanction* but 84.7 per cent as per *utilisation*. In the Eastern and North-Eastern regions, Orissa and Assam are the important states to gain in terms of *utilisation.* In other regions, some moderate gains are noticed in the case of Madhya Pradesh, Gujarat and all the Southern States except Tamil Nadu.

2.99 The ratio of investment *plus* credit *(utilisation)* to deposits (ICD ratio) is a more comprehensive indicator of bank funds deployed in relation to funds mobilised by banks in a State. Such an indicator makes significant difference in the case of the States in the North-Eastern region, particularly Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland, and Tripura; the ICD ratio in respect of these States ranged from 79 per cent to 150 per cent in December 1986, as compared with the all-India average of 71 per cent (see Table II.27).

Credit-Deposit Ratio in Rural and Semi-Urban Centres

2.100 In order to reduce the rural-urban disparities in credit-deposit ratios, the Government of India had advised the public sector banks that they should achieve, by

सारणी II-27 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण-जमा अनुपात एवं निवेश + ऋण-जमा अनुपात
(निम्नलिखित के अंतिम शुक्रवार को)

(प्रतिशत)

क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ऋण-जमा अनुपात				निवेश + ऋण-जमा अनुपात			
	दिसंबर1985		दिसंबर 1986*		दिसंबर 1985		दिसंबर 1986*	
	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
उत्तरी क्षेत्र	**54.3**	**54.2**	**49.4**	**48.9**	**62.4**	**62.3**	**56.3**	**55.8**
हरियाणा	65.0	86.8	61.0	84.7	83.4	105.2	76.4	100.1
हिमाचल प्रदेश	38.1	39.4	36.9	39.5	54.8	56.1	51.6	54.2
जम्मू और कश्मीर	35.8	36.3	36.0	37.1	52.8	53.3	51.0	52.1
पंजाब	45.3	56.2	43.0	47.8	51.7	62.6	48.4	53.2
राजस्थान	66.6	68.8	61.5	64.9	96.0	98.2	87.2	90.6
चंडीगढ़	136.5	51.7	105.6	54.0	136.8	52.0	105.8	54.2
दिल्ली	50.7	46.2	45.5	40.3	51.4	46.9	46.1	40.9
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**45.9**	**61.9**	**42.6**	**54.8**	**74.3**	**90.3**	**66.5**	**78.7**
असम	50.1	71.3	43.5	58.6	77.7	98.9	67.7	82.8
मणिपुर	72.4	74.6	82.1	82.3	159.8	162.0	149.9	150.1
मेघालय	24.9	23.5	35.4	41.8	59.5	58.1	68.4	74.8
नागालैंड	35.6	41.5	41.7	51.6	82.6	88.5	82.0	91.9
सिक्किम	15.7	40.0	14.7	23.6	15.7	40.0	14.7	23.6
त्रिपुरा	65.4	67.1	70.8	72.1	95.5	97.2	95.6	96.9
अरुणाचल प्रदेश	16.0	28.6	41.3	49.0	31.7	44.3	41.3	49.0
मिज़ोरम	24.7	27.6	13.2	25.3	24.7	27.6	13.2	25.3
पूर्वीक्षेत्र	**48.9**	**47.7**	**48.1**	**46.6**	**64.9**	**63.7**	**62.5**	**61.0**
बिहार	36.3	39.0	33.8	34.9	56.7	59.4	52.3	53.4
उड़ीसा	81.7	84.3	76.9	82.2	125.1	127.7	112.7	118.0
पश्चिम बंगाल	50.6	47.3	51.0	47.5	61.6	58.3	61.0	57.5
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	33.8	41.8	37.1	38.3	33.8	41.8	37.1	38.3
मध्यवर्ती क्षेत्र	**49.2**	**50.3**	**44.0**	**46.0**	**67.5**	**68.6**	**59.3**	**61.3**
मध्य प्रदेश	59.3	61.3	58.7	60.1	82.3	84.3	77.7	79.1
उत्तर प्रदेश	45.6	46.4	38.9	41.1	62.2	63.0	52.9	55.1
पश्चिमी क्षेत्र	**76.2**	**75.0**	**69.9**	**68.5**	**84.7**	**83.5**	**77.6**	**76.2**
गुजरात	50.9	55.0	55.6	59.4	65.7	69.8	68.5	72.3
महाराष्ट्र	86.5	83.5	76.4	73.2	93.4	90.4	82.8	79.6
दादरा और नगर हवेली	69.8	111.5	80.7	117.9	69.8	111.5	80.7	117.9
गोवा दमण और दीव	31.3	31.8	30.3	31.3	32.0	32.5	30.8	31.8
दक्षिणी क्षेत्र	**76.7**	**77.2**	**78.2**	**79.1**	**91.3**	**91.8**	**91.2**	**92.1**
आन्ध्र प्रदेश	74.0	74.7	77.7	78.8	89.7	90.4	91.5	92.6
कर्नाटक	84.1	85.6	84.2	86.5	98.3	99.8	97.8	100.1
केरल	60.8	61.9	60.2	61.1	76.3	77.4	73.2	74.1
तमिलनाडु	84.1	83.4	86.3	85.8	97.7	97.0	98.3	97.8
लक्षद्वीप	22.7	20.4	28.8	31.2	22.7	20.4	28.8	31.2
पांडिचेरी	42.3	46.7	46.4	48.2	42.4	46.8	46.5	48.3
अखिल भारतीय	**63.0**	**63.0**	**59.6**	**59.6**	**75.6**	**75.6**	**70.7**	**70.7**

* अनंतिम

टिप्पणी : जमाराशियाँ एवं ऋण (स्वीकृति और उपयोग) मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी-1 और 2 सर्वेक्षण पर आधारित हैं। निवेश संबंधी आँकड़े क्रमशः मार्च 1986 और 1987 के मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी-5 सर्वेक्षण के आधार पर अनुमानित हैं।

स्रोत : बैंकिंग सांख्यिकीय प्रभाग विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक.

Table II-27 Credit – Deposit Ratio and Investment + Credit – Deposit ratio of Scheduled Commercial Banks
(As on the last Friday)

(Per cent)

Region/State/Union Territory	Credit Deposit Ratio				Investment + Credit - Deposit Radio			
	December 1985		December 1986*		December 1985		December 1985 1986*	
	As per Sanction	As per Utilisation	As per Sanction	As per Utilisation	As per Sanction	As per Utilisation	As per Sanction	As per Utilisation
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
NOTHERN REGION	**54.3**	**54.2**	**49.4**	**48.9**	**62.4**	**62.3**	**56.3**	**55.8**
Haryana	65.0	86.8	61.0	84.7	83.4	105.2	76.4	100.1
Himachal Pradesh	38.1	39.4	36.9	39.5	54.8	56.1	51.6	54.2
Jammu and Kashmir	35.8	36.3	36.0	37.1	52.8	53.3	51.0	52.1
Punjab	45.3	56.2	43.0	47.8	51.7	62.6	48.4	53.2
Rajasthan	66.6	68.8	61.5	64.9	96.0	98.2	87.2	90.6
Chandigarh	136.5	51.7	105.6	54.0	136.8	52.0	105.8	54.2
Delhi	50.7	46.2	45.5	40.3	51.4	46.9	46.1	40.9
NORTH-EASTERN REGION	**45.9**	**61.9**	**42.6**	**54.8**	**74.3**	**90.3**	**66.5**	**78.7**
Assam	50.1	71.3	43.5	58.6	77.7	98.9	67.7	82.8
Manipur	72.4	74.6	82.1	82.3	159.8	162.0	149.9	150.1
Meghalaya	24.9	23.5	35.4	41.8	59.5	58.1	68.4	74.8
Nagaland	35.6	41.5	41.7	51.6	82.6	88.5	82.0	91.9
Sikkim	15.7	40.0	14.7	23.6	15.7	40.0	14.7	23.6
Tripura	65.4	67.1	70.8	72.1	95.5	97.2	95.6	96.9
Arunachal Pradesh	16.0	28.6	41.3	49.0	31.7	44.3	41.3	49.0
Mizoram	24.7	27.6	13.2	25.3	24.7	27.6	13.2	25.3
EASTERN REGION	**48.9**	**47.7**	**48.1**	**46.6**	**64.9**	**63.7**	**62.5**	**61.0**
Bihar	36.3	39.0	33.8	34.9	56.7	59.4	52.3	53.4
Orissa	81.7	84.3	76.9	82.2	125.1	127.7	112.7	118.0
West Bengal	50.6	47.3	51.0	47.5	61.6	58.3	61.0	57.5
Andaman and Nicobar Islands	33.8	41.8	37.1	38.3	33.8	41.8	37.1	38.3
CENTRAL REGION	**49.2**	**50.3**	**44.0**	**46.0**	**67.5**	**68.6**	**59.3**	**61.3**
Madhya Pradesh	59.3	61.3	58.7	60.1	82.3	84.3	77.7	79.1
Uttar Pradesh	45.6	46.4	38.9	41.1	62.2	63.0	52.9	55.1
WESTERN REGION	**76.2**	**75.0**	**69.9**	**68.5**	**84.7**	**83.5**	**77.6**	**76.2**
Gujarat	50.9	55.0	55.6	59.4	65.7	69.8	68.5	72.3
Maharashtra	86.5	83.5	76.4	73.2	93.4	90.4	82.8	79.6
Dadara and Nagar Haveli	69.8	111.5	80.7	117.9	69.8	111.5	80.7	117.9
Gao, Daman and Diu	31.3	31.8	30.3	31.3	32.0	32.5	30.8	31.8
SOUTHERN REGION	**76.7**	**77.2**	**78.2**	**79.1**	**91.3**	**91.8**	**91.2**	**92.1**
Andhra Pradesh	74.0	74.7	77.7	78.8	89.7	90.4	91.5	92.6
Karnataka	84.1	85.6	84.2	86.5	98.3	99.8	97.8	100.1
Kerala	60.8	61.9	60.2	61.1	76.3	77.4	73.2	74.1
Tamil Nadu	84.1	83.4	86.3	85.8	97.7	97.0	98.3	97.8
Lakshadweep	22.7	20.4	28.8	31.2	22.7	20.4	28.8	31.2
Pondicherry	42.3	46.7	46.4	48.2	42.4	46.8	46.5	48.3
ALL-INDIA	**63.0**	**63.0**	**59.6**	**59.6**	**75.6**	**75.6**	**70.7**	**70.7**

*Provisional

Note : Deposit and Credit (Sanction and Utilisation) data are based on BSR-1 and 2 Surveys. The investment figures are estimated based on BSR-5 survey for March 1986 and 1987 respectively.

Source : Banking Statistics Division, Department of Statistical Analysis & Computer Services, RBI.

अर्धशहरी शाखाओं के संबंध में अलग-अलग कम-से-कम 60 प्रतिशत का ऋण-जमा अनुपात हासिल करें। निजी क्षेत्र के बैंकों से भी यह अपेक्षा की गयी है कि वे समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर यह लक्ष्य पूरा करें। सारणी संख्या II.28 में दर्शाये गये राज्यवार आंकड़े यह बताते हैं कि सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों* की ग्रामीण शाखाओं का ऋण-जमा अनुपात दिसंबर 1988 के अंतिम शुक्रवार को 64.3 प्रतिशत था जो कि निर्धारित 60 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी अधिक था। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 59.7 प्रतिशत था। यह निर्धारित लक्ष्य से थोड़ा-सा कम था जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों का ऋण-जमा अनुपात निर्धारित लक्ष्य से काफी कम अर्थात् 49.8 प्रतिशत रहा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण शाखाओं का ऋण-जमा अनुपात 14 राज्यों/संघ राज्यों में 60 प्रतिशत से अधिक रहा।

2.101 सरकारी क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के बैंकों को अर्धशहरी शाखाओं के ऋण-जमा अनुपात के संदर्भ में उनका निष्पादन क्रमशः 49.9 प्रतिशत और 49.4 प्रतिशत रहा। यह 60 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से कम बना रहा। दिसंबर 1988 के अंत में केवल 7 राज्यों के अर्धशहरी केन्द्रों के संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने ऋण-जमा अनुपात का निर्धारित लक्ष्य हासिल किया।

2.102 दिसंबर 1988 के अंत में ग्रामीण और अर्धशहरी कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों के आवर्ती वितरण संबंधी आंकड़े सारणी संख्या II.29 और II.30 में दर्शाये गये हैं। सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ग्रामीण कार्यालयों के संबंध में जिन जिलों का ऋण-जमा अनुपात 60 प्रतिशत और इससे अधिक रहा उनकी संख्या दिसंबर 1987 में 245 थी जो बढ़कर दिसंबर 1988 में 261 हो गयी। जहाँ तक अर्धशहरी कार्यालयों का संबंध है जिन जिलों का ऋण-जमा अनुपात 60 प्रतिशत और इससे अधिक रहा उनकी संख्या तदनुरूप अवधि के दौरान 2 के योग के साथ 133 हो गयी।

2.103 दिसंबर 1988 के अंतिम शुक्रवार को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ग्रामीण और अर्धशहरी कार्यालयों के लिए ऋण जमा-अनुपातों पर आधारित जिलों के राज्यवार आवर्ती वितरण संबंधी आंकड़े यह दर्शाते हैं कि जिन राज्यों/संघ राज्यों के 50 प्रतिशत जिलों का ऋण-जमा अनुपात 60 प्रतिशत और इससे अधिक था वे राज्य/संघ राज्य इस प्रकार हैं : हरियाणा, राजस्थान, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, उड़िसा, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी और चंडीगढ़। अर्धशहरी कार्यालयों के मामले में दिसम्बर 1988 तक जिन राज्यों के 50 प्रतिशत से अधिक जिलों का 60 प्रतिशत और इससे अधिक ऋण-जमा अनुपात पहुँचा है वे राज्य इस प्रकार हैं : मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु।

8. शाखा विस्तार और बैंकिंग का क्षेत्रीय विस्तार

शाखा लाइसेंसीकरण और शाखा विस्तार नीति तथा प्रगति

2.104 सातवीं पंचवर्षीय योजना के साथ समाप्त होनेवाली अवधि के लिए वर्तमान शाखा लाइसेंसीकरण नीति के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांतों इत्यादि के ब्यौरों का उल्लेख 1986-87 और

---

* इस खण्ड में विश्लेषण के प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों में शामिल नहीं किया गया परंतु उन्हें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या
NUMBER OF OFFICES OF COMMERCIAL BANKS

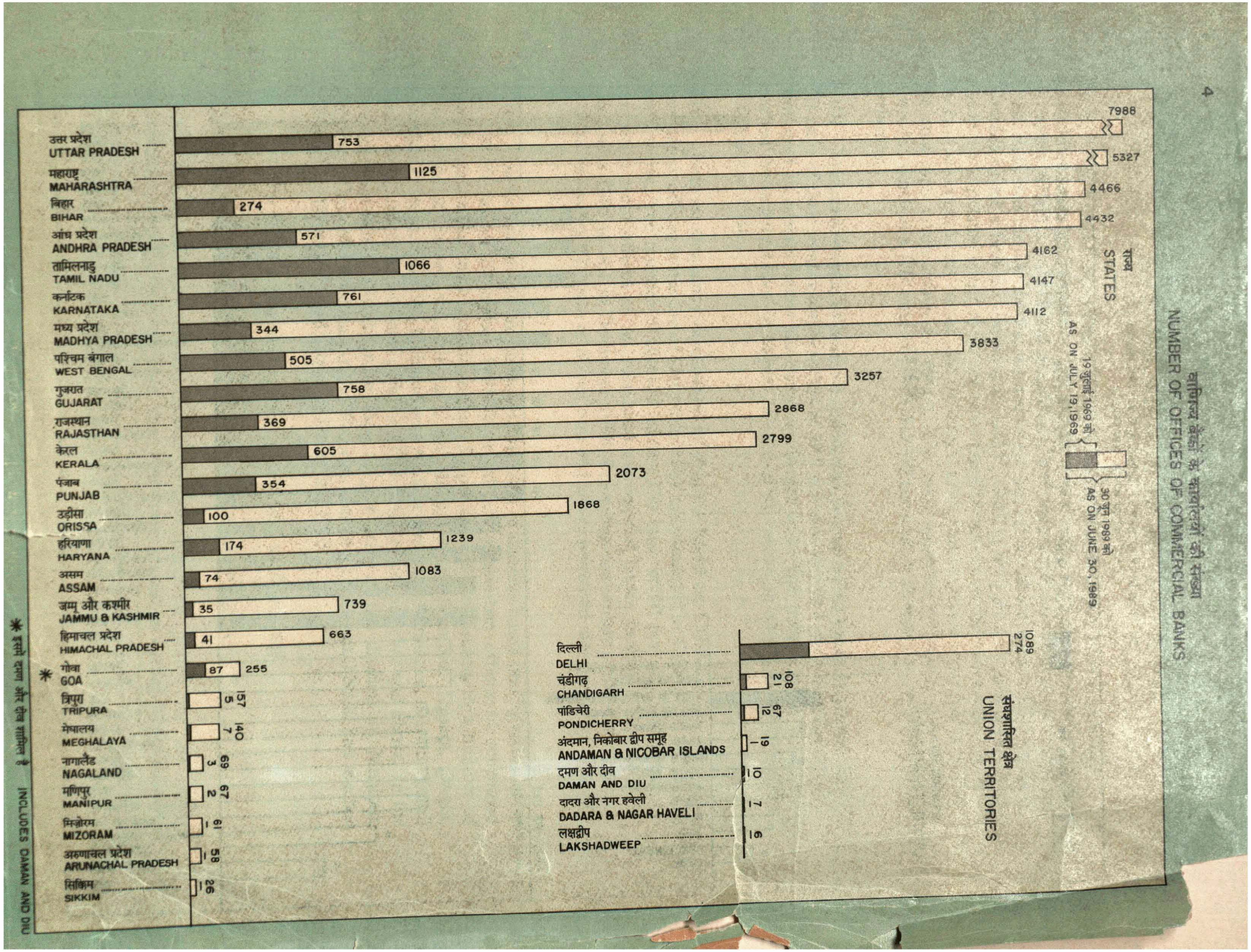

प्रति वाणिज्य बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या
(हजार में)
20 जून, 1969 को (आंकड़े हजार में)
आंकड़े 1981 की जनगणना पर आधारित हैं

AVERAGE POPULATION PER COMMERCIAL BANK OFFICE
AS ON JUNE 30, 1969 (FIGURES ARE IN THOUSANDS)
DATA ARE BASED ON 1981 CENSUS

UPTO 9,999 तक
10,000 से 14,999 TO
15,000 से 19,999 TO
20,000 और अधिक AND ABOVE

संघशासित क्षेत्र
UNION TERRITORIES

चंडीगढ़ CHANDIGARH	4
दिल्ली DELHI	6
लक्षद्वीप LAKSHADWEEP	7
दमण और दीव DAMAN & DIU	8
पांडिचेरी PONDICHERRY	9
अंदमान, निकोबार द्वीप समूह ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	11
दादरा और नगर हवेली DADRA & NAGAR HAVELI	17

राज्य
STATES

अखिल भारत (12) ALL INDIA (12)	12
गोवा GOA	4
हिमाचल प्रदेश HIMACHAL PRADESH	6
जम्मू और कश्मीर JAMMU & KASHMIR	8
पंजाब PUNJAB	8
कर्नाटक KARNATAKA	8
मिज़ोरम MIZORAM	8
केरल KERALA	9
मेघालय MEGHALAYA	9
हरियाणा HARYANA	10
गुजरात GUJARAT	10
अरुणाचल प्रदेश ARUNACHAL PRADESH	11
नागालैंड NAGALAND	11
आंध्र प्रदेश ANDHRA PRADESH	12
महाराष्ट्र MAHARASHTRA	12
राजस्थान RAJASTHAN	12
सिक्किम SIKKIM	12
तामिलनाडु TAMIL NADU	12
मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH	13
त्रिपुरा TRIPURA	13
उड़ीसा ORISSA	14
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH	14
पश्चिम बंगाल WEST BENGAL	14
बिहार BIHAR	15
असम ASSAM	18
मणिपुर MANIPUR	21

March 1979, a credit-deposit ratio of at least 60 per cent in respect of their rural and semi-urban branches separately. The private sector banks were also required to reach this target within a time-bound programme. It is observed from the state-wise data in Table II.28 that the CD ratio at the end of the last Friday of December 1988 for rural branches of all scheduled commercial banks* stood at 64.3 per cent which was well above the stipulated target of 60 per cent. The CD ratio of public sector banks at 59.7 per cent was marginally lower than the target, while that of private sector banks at 49.8 per cent was much below the target. The rural branches of public sector banks however, reached a CD ratio of more than 60 per cent in as many as 14 states/union territories.

2.101 The performance of both the public and private sector banks in respect of the CD ratio of their semi-urban branches at 49.9 per cent and 49.4 per cent, respectively, continued to remain below the target of 60 per cent. The public sector banks had reached the targetted level in respect of semi-urban centres in only 7 States by the end of December 1988.

2.102 Data on frequency distribution of districts based on CD ratios for rural and semi-urban offices at the end of December 1988 are presented in Table II.29 and II.30, respectively. The number of districts having CD ratio of 60 per cent and above in respect of rural offices of all scheduled commercial banks increased from 245 in December 1987 to 261 in December 1988. Regarding semi-urban offices, the number of districts having CD ratio of 60 per cent and above increased marginally by 2 to 133 during the period.

2.103 Data on state-wise frequency distribution of districts based on CD ratios as on the last Friday of December 1988 for rural and semi-urban offices of scheduled commercial banks show that more than 50 per cent of the districts in a number of states/union territories, viz., Haryana, Rajasthan, Assam, Manipur, Tripura, Orissa, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Pondicherry and Chandigarh, had CD ratios of 60 per cent and above. In the case of semi-urban offices, more than 50 per cent of the districts in Manipur, Tripura, Orissa, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu had reached CD ratios of 60 per cent and above by December 1988.

8. Branch Expansion and Regional Spread of Banking

Branch Licensing and Branch Expansion Policy and Progress

2.104 The guidelines, on the current branch licensing policy for the period co-terminus with the Seventh Five Year Plan were set out in earlier Reports for the

* For the purpose of analysis in this Section, RRBs are excluded both from public and private sector banks, but are included under all scheduled commercial banks.

सारणी II.28 : जनसंख्या समूह के अनुसार सरकारी* और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों का राज्यवार ऋण जमा-अनुपात

(दिसम्बर 1988 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति)

(प्रतिशत)

क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण			अर्धशहरी			शहरी/महानगरीय			कुल		
	सरकारी*	निजी	कुल+	सरकारी*	निजी	कुल+	सरकारी*	निजी	कुल+	सरकारी*	निजी	कुल+
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
उत्तरी क्षेत्र	**43.1**	**33.7**	**45.2**	**45.1**	**39.9**	**45.0**	**52.6**	**86.3**	**55.3**	**49.9**	**76.4**	**52.1**
हरियाणा	67.9	40.9	70.0	53.7	41.6	53.7	62.3	59.1	62.3	60.6	55.3	61.3
हिमाचल प्रदेश	33.9	-	34.2	35.0	9.3	34.3	-	-	-	34.3	9.3	34.2
जम्मू और कश्मीर	20.9	27.8	26.5	29.8	43.4	35.5	36.5	86.3	57.3	32.0	62.3	45.5
पंजाब	35.3	16.5	35.9	41.0	8.7	40.9	45.2	41.2	45.1	41.0	38.5	41.2
राजस्थान	72.6	56.0	77.6	54.0	42.1	53.1	59.8	44.8	57.9	60.3	45.7	60.4
चण्डीगढ़	36.7	-	36.7	16.3	-	16.3	73.2	28.1	72.6	71.4	28.1	70.8
दिल्ली	18.5	-	18.5	13.8	-	13.8	51.4	96.7	55.1	50.6	96.7	54.3
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**57.2**	**39.9**	**64.6**	**40.4**	**27.2**	**40.4**	**48.5**	**46.2**	**48.3**	**47.4**	**38.3**	**49.2**
अरुणाचल प्रदेश	21.4	25.3	21.6	9.5	-	9.5	-	-	-	21.2	25.3	21.3
असम	66.6	44.5	72.0	40.9	30.0	40.4	59.3	52.8	58.8	53.6	43.5	54.6
मणिपुर	146.2	-	146.7	95.6	-	96.0	41.5	-	42.2	60.8	-	62.4
मेघालय	43.3	-	46.1	19.5	46.9	20.0	16.8	9.8	16.3	21.1	12.6	21.6
मिजोरम	31.9	-	39.4	23.5	-	25.6	-	-	-	25.2	-	29.1
नागा लैंड	49.6	-	50.2	41.7	12.7	40.2	-	-	-	43.2	12.7	42.0
त्रिपुरा	60.3	-	93.8	60.9	-	66.9	37.1	46.9	37.9	46.1	46.9	57.9
पूर्वी क्षेत्र	**48.1**	**24.6**	**56.0**	**32.0**	**30.0**	**32.6**	**49.6**	**93.7**	**53.3**	**45.5**	**89.0**	**49.5**
बिहार	45.8	-	53.5	32.0	18.1	32.5	34.1	28.0	33.9	36.1	26.5	38.7
उड़ीसा	90.7	-	110.9	63.0	-	63.9	81.6	73.7	81.2	78.1	73.7	83.9
सिक्किम	32.6	-	32.6	30.7	-	30.7	-	-	-	31.1	-	31.1
पश्चिम बंगाल	38.5	24.6	42.2	24.1	31.4	24.8	51.4	95.2	56.4	45.9	90.6	50.3
अंदमान और निकोबार समूह	35.2	-	35.2	34.6	-	34.6	-	-	-	34.7	-	34.7
मध्यवर्ती क्षेत्र	**50.0**	**25.4**	**55.0**	**45.7**	**38.1**	**45.2**	**48.4**	**44.3**	**48.3**	**48.0**	**40.4**	**49.0**
मध्यप्रदेश	68.4	-	76.7	52.9	37.3	52.0	66.0	56.9	65.6	62.6	51.1	63.8
उत्तरप्रदेश	44.3	25.4	48.6	42.5	38.2	42.3	41.3	43.0	41.4	42.3	39.5	43.4
पश्चिमी क्षेत्र	**64.3**	**64.4**	**66.7**	**48.5**	**66.8**	**49.0**	**69.9**	**77.8**	**71.0**	**66.1**	**77.2**	**67.5**
गोवा	20.5	34.5	20.5	38.0	55.6	38.4	-	-	-	32.5	54.6	32.9
गुजरात	61.6	-	62.9	44.8	48.2	44.8	64.5	55.3	64.4	58.2	55.2	58.3
महाराष्ट्र	81.9	64.8	84.5	59.7	68.6	60.3	71.2	78.1	72.3	70.9	77.6	72.1
दादरा और नगर हवेली	54.9	-	54.9	-	-	-	-	-	-	54.9	-	54.9
दमण और दीव	33.0	-	33.0	21.9	-	21.9	-	-	-	22.2	-	22.2
दक्षिणी क्षेत्र	**101.7**	**61.5**	**104.4**	**68.7**	**51.5**	**67.0**	**92.5**	**83.0**	**91.2**	**86.5**	**68.9**	**85.6**
आंध्र प्रदेश	103.5	55.2	111.5	75.1	37.0	73.8	84.1	50.5	81.6	84.7	48.2	84.7
कर्नाटक	106.5	53.4	111.4	81.9	47.1	78.2	97.5	67.2	94.4	95.6	60.2	93.8
केरल	70.5	56.1	75.2	50.0	53.3	52.5	84.9	74.8	83.1	62.7	58.9	63.8
तमिलनाडु	106.5	75.1	103.3	80.3	53.9	76.3	98.2	104.2	99.1	95.1	88.9	94.4
लक्षद्वीप	20.3	-	20.3	-	-	-	-	-	-	20.3	-	20.3
पांडीचेरी	67.4	30.3	65.8	29.2	23.5	29.1	55.1	38.3	53.3	51.8	36.9	50.5
अखिल भारतीय	**59.7**	**49.8**	**64.3**	**49.9**	**49.4**	**50.2**	**63.4**	**81.5**	**65.2**	**60.0**	**74.0**	**61.9**

\+ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित

* सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, उसके 7 सहायक बैंक तथा 20 राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल हैं।

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण से संबंधित त्रैमासिक विवरणी, बैंकिंग सांख्यिकीय प्रभाग, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक।

Table II.28 : State-wise Credit-Deposit Ratios of Offices of Public* and Private Sector Scheduled Commercial Banks According to Population Group
(As on the last Friday of December 1988)

(Per cent)

Region/State/Union Territory	Rural			Semi-Urban			Urban/Metropolitan			Total		
	Public*	Private	Total+	Public*	Private	Total+	Public*	Private	Total+	Public*	Private	Total+
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
NORTHERN REGION	**43.1**	**33.7**	**45.2**	**45.1**	**39.9**	**45.0**	**52.6**	**86.3**	**55.3**	**49.9**	**76.4**	**52.1**
Haryana	67.9	40.9	70.0	53.7	41.6	53.7	62.3	59.1	62.3	60.6	55.3	61.3
Himachal Pradesh	33.9	-	34.2	35.0	9.3	34.3	-	-	-	34.3	9.3	34.2
Jammu & Kashmir	20.9	27.8	26.5	29.8	43.4	35.5	36.5	86.3	57.3	32.0	62.3	45.5
Punjab	35.3	16.5	35.9	41.0	8.7	40.9	45.2	41.2	45.1	41.0	38.5	41.2
Rajasthan	72.6	56.0	77.6	54.0	42.1	53.1	59.8	44.8	57.9	60.3	45.7	60.4
Chandigarh	36.7	-	36.7	16.3	-	16.3	73.2	28.1	72.6	71.4	28.1	70.8
Delhi	18.5	-	18.5	13.8	-	13.8	51.4	96.7	55.1	50.6	96.7	54.3
NORTH-EASTERN REGION	**57.2**	**39.9**	**64.6**	**40.4**	**27.2**	**40.4**	**48.5**	**46.2**	**48.3**	**47.4**	**38.3**	**49.2**
Arunachal Pradesh	21.4	25.3	21.6	9.5	-	9.5	-	-	-	21.2	25.3	21.3
Assam	66.6	44.5	72.0	40.9	30.0	40.4	59.3	52.8	58.8	53.6	43.5	54.6
Manipur	146.2	-	146.7	95.6	-	96.0	41.5	-	42.2	60.8	-	62.4
Meghalaya	43.3	-	46.1	19.5	46.9	20.0	16.8	9.8	16.3	21.1	12.6	21.6
Mizoram	31.9	-	39.4	23.5	-	25.6	-	-	-	25.2	-	29.1
Nagaland	49.6	-	50.2	41.7	12.7	40.2	-	-	-	43.2	12.7	42.0
Tripura	60.3	-	93.8	60.9	-	66.9	37.1	46.9	37.9	46.1	46.9	57.9
EASTERN REGION	**48.1**	**24.6**	**56.0**	**32.0**	**30.0**	**32.6**	**49.6**	**93.7**	**53.3**	**45.5**	**89.0**	**49.5**
Bihar	45.8	-	53.5	32.0	18.1	32.5	34.1	28.0	33.9	36.1	26.5	38.7
Orissa	90.7	-	110.9	63.0	-	63.9	81.6	73.7	81.2	78.1	73.7	83.9
Sikkim	32.6	-	32.6	30.7	-	30.7	-	-	-	31.1	-	31.1
West Bengal	38.5	24.6	42.2	24.1	31.4	24.8	51.4	95.2	56.4	45.9	90.6	50.3
Andaman & Nicobar Islands	35.2	-	35.2	34.6	-	34.6	-	-	-	34.7	-	34.7
CENTRAL REGION	**50.0**	**25.4**	**55.0**	**45.7**	**38.1**	**45.2**	**48.4**	**44.3**	**48.3**	**48.0**	**40.4**	**49.0**
Madhya Pradesh	68.4	-	76.7	52.9	37.3	52.0	66.0	56.9	65.6	62.6	51.1	63.8
Uttar Pradesh	44.3	25.4	48.6	42.5	38.2	42.3	41.3	43.0	41.4	42.3	39.5	43.4
WESTERN REGION	**64.3**	**64.4**	**66.7**	**48.5**	**66.8**	**49.0**	**69.9**	**77.8**	**71.0**	**66.1**	**77.2**	**67.5**
Goa	20.5	34.5	20.5	38.0	55.6	38.4	-	-	-	32.5	54.6	32.9
Gujarat	61.6	-	62.9	44.8	48.2	44.8	64.5	55.3	64.4	58.2	55.2	58.3
Maharashtra	81.9	64.8	84.5	59.7	68.6	60.3	71.2	78.1	72.3	70.9	77.6	72.1
Dadra & Nagar Haveli	54.9	-	54.9	-	-	-	-	-	-	54.9	-	54.9
Daman & Diu	33.0	-	33.0	21.9	-	21.9	-	-	-	22.2	-	22.2
SOUTHERN REGION	**101.7**	**61.5**	**104.4**	**68.7**	**51.5**	**67.0**	**92.5**	**83.0**	**91.2**	**86.5**	**68.9**	**85.6**
Andhra Pradesh	103.5	55.2	111.5	75.1	37.0	73.8	84.1	50.5	81.6	84.7	48.2	84.7
Karnataka	106.5	53.4	111.4	81.9	47.1	78.2	97.5	67.2	94.4	95.6	60.2	93.8
Kerala	70.5	56.1	75.2	50.0	53.3	52.5	84.9	74.8	83.1	62.7	58.9	63.8
Tamil Nadu	106.5	75.1	103.3	80.3	53.9	76.3	98.2	104.2	99.1	95.1	88.9	94.4
Lakshadweep	20.3	-	20.3	-	-	-	-	-	-	20.3	-	20.3
Pondicherry	67.4	30.3	65.8	29.2	23.5	29.1	55.1	38.3	53.3	51.8	36.9	50.5
ALL-INDIA	**59.7**	**49.8**	**64.3**	**49.9**	**49.4**	**50.2**	**63.4**	**81.5**	**65.2**	**60.0**	**74.0**	**61.9**

+ Including Regional Rural Banks.

* Public Sector Banks include State Bank of India, 7 Associate Banks of SBI and 20 Nationalised Banks.

Note : Data are provisional.

Source : Quarterly Return on Aggregate Deposits and Gross Bank Credit, Banking Statistics Division, Department of Statistical Analysis and Computer Services, RBI.

सारणी II.29 : ग्रामीण केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण

(दिसम्बर 1988 के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि लाख रुपयों में)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	आवृत्ति (ऋण-जमा अनुपात)								
	20% तक			20% - 30%			30% - 40%		
	जिलों की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
उत्तरी क्षेत्र	**10**	**1,237,61**	**207,40**	**8**	**560,00**	**133,88**	**14**	**824,56**	**295,47**
हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	1	85,72	13,07	4	268,72	61,22	5	247,43	84,24
जम्मू और कश्मीर	6	133,76	22,41	2	116,21	27,87	5	122,98	45,62
पंजाब	2	812,32	127,29	2	175,08	44,78	2	395,26	143,20
राजस्थान	–	–	–	–	–	–	1	35,68	13,89
चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–	1	23,20	8,52
दिल्ली	1	241,80	44,63	–	–	–	–	–	–
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**7**	**59,79**	**9,76**	**3**	**18,73**	**5,13**	**8**	**45,76**	**16,34**
अरुणाचल प्रदेश	6	45,12	6,87	2	16,22	4,55	2	15,78	5,27
असम	1	14,67	2,89	–	–	–	–	–	–
मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मेघालय	–	–	–	–	–	–	1	6,25	2,32
मिजोरम	–	–	–	–	–	–	3	14,11	5,57
नागा लैंड	–	–	–	1	2,50	59	2	9,61	3,18
त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पूर्वी क्षेत्र	**2**	**229,06**	**44,34**	**3**	**124,99**	**31,51**	**11**	**1,015,92**	**356,80**
बिहार	1	124,60	24,59	–	–	–	5	409,17	141,91
उड़ीसा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सिक्किम	–	–	–	1	10,50	2,29	1	1,13	43
पश्चिम बंगाल	1	104,46	19,75	1	112,88	28,82	4	598,79	211,88
अंदमान और निकोबार समूह	–	–	–	1	1,62	40	1	6,82	2,57
मध्यवर्ती क्षेत्र	**3**	**124,68**	**18,07**	**6**	**477,18**	**116,35**	**10**	**901,63**	**318,25**
मध्यप्रदेश	–	–	–	1	75,28	16,11	2	95,49	33,98
उत्तरप्रदेश	3	124,68	18,07	5	401,90	100,24	8	806,13	284,28
पश्चिमी क्षेत्र	**2**	**361,35**	**62,27**	**2**	**216,72**	**49,14**	**6**	**538,41**	**204,23**
गोवा	1	207,48	40,98	1	127,93	27,77	–	–	–
गुजरात	1	153,87	21,29	–	–	–	3	384,84	146,87
महाराष्ट्र	–	–	–	1	88,78	21,36	2	152,60	57,07
दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दमण और दीव	–	–	–	–	–	–	1	98	32
दक्षिणी क्षेत्र	**–**	**–**	**–**	**3**	**23,94**	**5,73**	**–**	**–**	**–**
आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कर्नाटक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
केरल	–	–	–	1	7,07	1,52	–	–	–
तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	–	–	–
लक्षद्वीप	–	–	–	1	5,78	1,18	–	–	–
पांडीचेरी	–	–	–	1	11,08	3,04	–	–	–
अखिल भारतीय	**24**	**2,053,49**	**341,85**	**25**	**1,421,57**	**341,74**	**49**	**3,326,27**	**1,191,09**

(जारी...)

Table II.29 : State-wise Frequency Distribution of Districts Based on Credit-Deposit Ratios for Scheduled Commercial Bank Offices in Rural centres
(As on the last Friday of December 1988)

(Rs. lakhs)

Region/State/Union Territory	Frequency (Credit-Deposit Ratio)								
	Upto 20%			20% - 30%			30% - 40%		
	No. of Dists.	Deposits	Advances	No. of Dists.	Deposits	Advances	No. of Dists.	Deposits	Advances
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
NORTHERN REGION	**10**	**1,237,61**	**207,40**	**8**	**560,00**	**133,88**	**14**	**824,56**	**295,47**
Haryana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Himachal Pradesh	1	85,72	13,07	4	268,72	61,22	5	247,43	84,24
Jammu & Kashmir	6	133,76	22,41	2	116,21	27,87	5	122,98	45,62
Punjab	2	812,32	127,29	2	175,08	44,78	2	395,26	143,20
Rajasthan	-	-	-	-	-	-	1	35,68	13,89
Chandigarh	-	-	-	-	-	-	1	23,20	8,52
Delhi	1	241,80	44,63	-	-	-	-	-	-
NORTH-EASTERN REGION	**7**	**59,79**	**9,76**	**3**	**18,73**	**5,13**	**8**	**45,76**	**16,34**
Arunachal Pradesh	6	45,12	6,87	2	16,22	4,55	2	15,78	5,27
Assam	1	14,67	2,89	-	-	-	-	-	-
Manipur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meghalaya	-	-	-	-	-	-	1	6,25	2,32
Mizoram	-	-	-	-	-	-	3	14,11	5,57
Nagaland	-	-	-	1	2,50	59	2	9,61	3,18
Tripura	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EASTERN REGION	**2**	**229,06**	**44,34**	**3**	**124,99**	**31,51**	**11**	**1,015,92**	**356,80**
Bihar	1	124,60	24,59	-	-	-	5	409,17	141,91
Orissa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sikkim	-	-	-	1	10,50	2,29	1	1,13	43
West Bengal	1	104,46	19,75	1	112,88	28,82	4	598,79	211,88
Andaman & Nicobar Islands	-	-	-	1	1,62	40	1	6,82	2,57
CENTRAL REGION	**3**	**124,68**	**18,07**	**6**	**477,18**	**116,35**	**10**	**901,63**	**318,25**
Madhya Pradesh	-	-	-	1	75,28	16,11	2	95,49	33,98
Uttar Pradesh	3	124,68	18,07	5	401,90	100,24	8	806,13	284,28
WESTERN REGION	**2**	**361,35**	**62,27**	**2**	**216,72**	**49,14**	**6**	**538,41**	**204,23**
Goa	1	207,48	40,98	1	127,93	27,77	-	-	-
Gujarat	1	153,87	21,29	-	-	-	3	384,84	146,87
Maharashtra	-	-	-	1	88,78	21,36	2	152,60	57,07
Dadra & Nagar Haveli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Daman & Diu	-	-	-	-	-	-	1	98	32
SOUTHERN REGION	**-**	**-**	**-**	**3**	**23,94**	**5,73**	**-**	**-**	**-**
Andhra Pradesh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karnataka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerala	-	-	-	1	7,07	1,52	-	-	-
Tamil Nadu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakshadweep	-	-	-	1	5,78	1,18	-	-	-
Pondicherry	-	-	-	1	11,08	3,04	-	-	-
ALL-INDIA	**24**	**2,053,49**	**341,85**	**25**	**1,421,57**	**341,74**	**49**	**3,326,27**	**1,191,09**

(Contd.)

सारणी II.29 : ग्रामीण केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण (समाप्त)

(दिसम्बर 1988 के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि लाख रुपयों में)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	आवृत्ति (ऋण-जमा अनुपात)											
	40% - 50%			50% - 60%			60% और अधिक			जोड़		
	जिलों की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
उत्तरी क्षेत्र	**6**	**606,66**	**287,07**	**7**	**444,92**	**254,22**	**34**	**1231,13**	**1056,88**	**79**	**4945,88**	**2234,92**
हरियाणा	2	185,13	89,40	3	173,82	100,74	7	323,86	288,07	12	682,80	478,21
हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	2	82,13	75,82	12	684,01	233,85
जम्मू और कश्मीर	1	29,59	11,98	–	–	–	–	–	–	14	407,54	107,89
पंजाब	1	309,65	148,19	2	218,25	123,27	3	233,54	183,42	12	2144,10	770,16
राजस्थान	2	82,29	37,50	2	52,85	30,22	22	591,60	510,06	27	762,41	591,66
चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	23,20	8,52
दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	241,80	44,63
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**3**	**27,65**	**12,17**	**3**	**83,68**	**45,82**	**30**	**335,48**	**279,62**	**54**	**571,08**	**368,85**
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	77,13	16,69
असम	–	–	–	2	77,16	42,22	15	264,70	211,50	18	356,53	256,61
मणिपुर	–	–	–	–	–	–	8	8,23	12,08	8	8,23	12,08
मेघालय	3	27,65	12,17	–	–	–	1	4,68	3,30	5	38,58	17,79
मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	14,11	5,57
नागा लैंड	–	–	–	1	6,52	3,59	3	8,09	6,04	7	26,72	13,41
त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	3	49,78	46,71	3	49,78	46,71
पूर्वी क्षेत्र	**13**	**845,34**	**373,54**	**15**	**676,40**	**368,38**	**30**	**913,07**	**957,03**	**74**	**3804,79**	**2131,60**
बिहार	7	470,95	207,71	13	476,84	257,80	13	307,01	325,60	39	1788,57	957,62
उड़ीसा	1	37,74	16,84	–	–	–	12	435,45	507,87	13	473,19	524,71
सिक्किम	1	3,35	1,55	–	–	–	1	1,80	1,20	4	16,78	5,47
पश्चिम बंगाल	4	333,30	147,44	2	199,57	110,58	4	168,82	122,35	16	1517,81	640,83
अंदमान और निकोबार समूह	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8,44	2,97
मध्यवर्ती क्षेत्र	**17**	**1297,99**	**599,42**	**9**	**316,88**	**173,37**	**57**	**1598,84**	**1367,28**	**102**	**4717,21**	**2592,75**
मध्यप्रदेश	3	155,78	67,67	4	69,50	36,34	35	670,40	663,52	45	1066,45	817,61
उत्तरप्रदेश	14	1142,22	531,75	5	247,38	137,04	22	928,44	703,77	57	3650,76	1775,13
पश्चिमी क्षेत्र	**4**	**250,88**	**113,07**	**2**	**114,46**	**60,05**	**36**	**1299,04**	**1365,88**	**52**	**2780,87**	**1854,64**
गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	335,41	68,75
गुजरात	4	250,88	113,07	–	–	–	11	492,32	525,46	19	1281,91	806,69
महाराष्ट्र	–	–	–	1	102,43	53,45	25	806,72	840,42	29	1150,54	972,28
दादरा और नगर हवेली	–	–	–	1	12,03	6,60	–	–	–	1	12,03	6,60
दमण और दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	98	32
दक्षिणी क्षेत्र	**2**	**219,12**	**93,34**	**1**	**25,14**	**13,10**	**74**	**3819,33**	**4156,69**	**80**	**4087,53**	**4268,87**
आंध्र प्रदेश	1	95,66	41,50	–	–	–	22	1227,79	1433,57	23	1323,45	1475,07
कर्नाटक	–	–	–	–	–	–	20	1150,37	1281,59	20	1150,37	1281,59
केरल	1	123,46	51,85	1	25,14	13,10	11	332,60	300,85	14	488,27	367,31
तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	19	1085,46	1121,23	19	1085,46	1121,23
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5,78	1,18
पांडीचेरी	–	–	–	–	–	–	2	23,11	19,46	3	34,20	22,50
अखिल भारतीय	45	3247,64	1478,62	37	1661,49	914,95	261	9196,90	9183,38	441	20907,35	13451,63

स्रोत : जमाराशियों और सकल बैंक ऋण से संबंधित तिमाही विवरण, बैंकिंग सांख्यिकीय प्रभाग, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक

Table II.29 : State-wise Frequency Distribution of Districts Based on Credit-Deposit Ratios for Scheduled Commercial Bank Offices in Rural centres (Concld.)

(As on the Last Friday of December 1988)

(Rs. lakhs)

Region/State/Union Territory	Frequency (Credit-Deposit Ratio)											
	40% - 50%			50% - 60%			60% and above			Total		
	No. of Dists.	Deposits	Advances	No. of Dists.	Deposits	Advances	No. of Dists.	Deposits	Advances	No. of Dists.	Deposits	Advances
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
NORTHERN REGION	**6**	**606,66**	**287,07**	**7**	**444,92**	**254,22**	**34**	**1231,13**	**1056,88**	**79**	**4945,88**	**2234,92**
Haryana	2	185,13	89,40	3	173,82	100,74	7	323,86	288,07	12	682,80	478,21
Himachal Pradesh	–	–	–	–	–	–	2	82,13	75,82	12	684,01	233,85
Jammu & Kashmir	1	29,59	11,98	–	–	–	–	–	–	14	407,54	107,89
Punjab	1	309,65	148,19	2	218,25	123,27	3	233,54	183,42	12	2144,10	770,16
Rajasthan	2	82,29	37,50	2	52,85	30,22	22	591,60	510,06	27	762,41	591,66
Chandigarh	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	23,20	8,52
Delhi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	241,80	44,63
NORTH-EASTERN REGION	**3**	**27,65**	**12,17**	**3**	**83,68**	**45,82**	**30**	**335,48**	**279,62**	**54**	**571,08**	**368,85**
Arunachal Pradesh	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	77,13	16,69
Assam	–	–	–	2	77,16	42,22	15	264,70	211,50	18	356,53	256,61
Manipur	–	–	–	–	–	–	8	8,23	12,08	8	8,23	12,08
Meghalaya	3	27,65	12,17	–	–	–	1	4,68	3,30	5	38,58	17,79
Mizoram	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	14,11	5,57
Nagaland	–	–	–	1	6,52	3,59	3	8,09	6,04	7	26,72	13,41
Tripura	–	–	–	–	–	–	3	49,78	46,71	3	49,78	46,71
EASTERN REGION	**13**	**845,34**	**373,54**	**15**	**676,40**	**368,38**	**30**	**913,07**	**957,03**	**74**	**3804,79**	**2131,60**
Bihar	7	470,95	207,71	13	476,84	257,80	13	307,01	325,60	39	1788,57	957,62
Orissa	1	37,74	16,84	–	–	–	12	435,45	507,87	13	473,19	524,71
Sikkim	1	3,35	1,55	–	–	–	1	1,80	1,20	4	16,78	5,47
West Bengal	4	333,30	147,44	2	199,57	110,58	4	168,82	122,35	16	1517,81	640,83
Andaman & Nicobar Islands	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8,44	2,97
CENTRAL REGION	**17**	**1297,99**	**599,42**	**9**	**316,88**	**173,37**	**57**	**1598,84**	**1367,28**	**102**	**4717,21**	**2592,75**
Madhya Pradesh	3	155,78	67,67	4	69,50	36,34	35	670,40	663,52	45	1066,45	817,61
Uttar Pradesh	14	1142,22	531,75	5	247,38	137,04	22	928,44	703,77	57	3650,76	1775,13
WESTERN REGION	**4**	**250,88**	**113,07**	**2**	**114,46**	**60,05**	**36**	**1299,04**	**1365,88**	**52**	**2780,87**	**1854,64**
Goa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	335,41	68,75
Gujarat	4	250,88	113,07	–	–	–	11	492,32	525,46	19	1281,91	806,69
Maharashtra	–	–	–	1	102,43	53,45	25	806,72	840,42	29	1150,54	972,28
Dadra & Nagar Haveli	–	–	–	1	12,03	6,60	–	–	–	1	12,03	6,60
Daman & Diu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	98	32
SOUTHERN REGION	**2**	**219,12**	**93,34**	**1**	**25,14**	**13,10**	**74**	**3819,33**	**4156,69**	**80**	**4087,53**	**4268,87**
Andhra Pradesh	1	95,66	41,50	–	–	–	22	1227,79	1433,57	23	1323,45	1475,07
Karnataka	–	–	–	–	–	–	20	1150,37	1281,59	20	1150,37	1281,59
Kerala	1	123,46	51,85	1	25,14	13,10	11	332,60	300,85	14	488,27	367,31
Tamil Nadu	–	–	–	–	–	–	19	1085,46	1121,23	19	1085,46	1121,23
Lakshadweep	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5,78	1,18
Pondicherry	–	–	–	–	–	–	2	23,11	19,46	3	34,20	22,50
ALL INDIA	**45**	**3247,64**	**1478,62**	**37**	**1661,49**	**914,95**	**261**	**9196,90**	**9183,38**	**441**	**20907,35**	**13451,63**

Source : Quarterly Return on Deposits and Gross Bank Credit, Banking Statistics Division, Department of Statistical Analysis and Computer Services, RBI.

सारणी II.30 : अर्धशहरी केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण

(दिसम्बर 1988 के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि लाख रुपयों में)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	आवृत्ति (ऋण-जमा अनुपात)								
	20% तक			20% - 30%			30% - 40%		
	जिलों की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
उत्तरी क्षेत्र	**4**	**460,15**	**60,98**	**8**	**731,39**	**182,58**	**18**	**1340,27**	**478,40**
हरियाणा	–	–	–	–	–	–	1	149,62	53,76
हिमाचल प्रदेश	–	–	–	2	46,27	10,43	3	237,77	78,02
जम्मू और कश्मीर	1	9,67	85	1	33,50	8,35	3	82,24	26,68
पंजाब	1	375,98	49,35	2	539,64	136,33	3	386,79	147,95
राजस्थान	–	–	–	3	111,97	27,47	8	483,85	171,99
चण्डीगढ़	1	19,67	3,21	–	–	–	–	–	–
दिल्ली	1	54,84	7,57	–	–	–	–	–	–
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**4**	**39,51**	**6,87**	**3**	**57,74**	**14,62**	**13**	**396,24**	**139,26**
अरुणाचल प्रदेश	1	1,89	18	–	–	–	–	–	–
असम	–	–	–	–	–	–	12	393,06	138,16
मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मेघालय	2	34,00	6,22	1	10,15	2,62	–	–	–
मिजोरम	–	–	–	1	38,36	9,54	1	3,18	1,09
नागा लैंड	1	3,62	47	1	9,22	2,46	–	–	–
त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पूर्वी क्षेत्र	**7**	**553,38**	**97,14**	**23**	**2434,52**	**579,34**	**12**	**585,00**	**203,78**
बिहार	5	256,40	42,85	13	968,01	249,33	7	363,07	129,55
उड़ीसा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सिक्किम	–	–	–	–	–	–	1	55,50	17,02
पश्चिम बंगाल	2	296,98	54,28	10	1466,51	330,00	2	135,13	46,37
अंदमान और निकोबार समूह	–	–	–	–	–	–	2	31,30	10,84
मध्यवर्ती क्षेत्र	**4**	**131,56**	**21,82**	**13**	**613,03**	**159,14**	**27**	**1593,14**	**554,39**
मध्यप्रदेश	1	54,47	10,46	4	120,60	31,55	9	280,66	98,12
उत्तरप्रदेश	3	77,09	11,36	9	492,43	127,58	18	1312,48	456,27
पश्चिमी क्षेत्र	**1**	**18,09**	**1,09**	**3**	**1118,59**	**238,00**	**6**	**811,24**	**282,68**
गोवा	–	–	–	–	–	–	1	398,53	131,06
गुजरात	–	–	–	2	1081,76	229,25	1	67,40	26,84
महाराष्ट्र	–	–	–	1	36,82	8,75	3	325,04	117,46
दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दमण और दीव	1	18,09	1,09	–	–	–	1	20,27	7,32
दक्षिणी क्षेत्र	**2**	**579,95**	**97,62**	**–**	**–**	**–**	**3**	**344,18**	**124,11**
आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कर्नाटक	–	–	–	–	–	–	1	44,96	17,10
केरल	1	561,01	95,17	–	–	–	1	298,01	106,56
तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	–	–	–
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पांडीचेरी	1	18,94	2,45	–	–	–	1	1,21	44
अखिल भारतीय	**22**	**1782,64**	**285,52**	**50**	**4955,25**	**1173,67**	**79**	**5070,06**	**1782,61**

(जारी)

Table II.30 : State-wise Frequency Distribution of Districts Based on Credit-Deposit Ratios for Scheduled Commercial Bank Offices in Semi-urban centres
(As on the last Friday of December 1988)

(Rs. lakhs)

Region/State/Union Territory	Frequency (Credit-Deposit Ratio)								
	Upto 20%			20% - 30%			30% - 40%		
	No. of Dists.	Deposits	Advances	No. of Dists.	Deposits	Advances	No. of Dists.	Deposits	Advances
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
NORTHERN REGION	**4**	**460,15**	**60,98**	**8**	**731,39**	**182,58**	**18**	**1340,27**	**478,40**
Haryana	–	–	–	–	–	–	1	149,62	53,76
Himachal Pradesh	–	–	–	2	46,27	10,43	3	237,77	78,02
Jammu & Kashmir	1	9,67	85	1	33,50	8,35	3	82,24	26,68
Punjab	1	375,98	49,35	2	539,64	136,33	3	386,79	147,95
Rajasthan	–	–	–	3	111,97	27,47	8	483,85	171,99
Chandigarh	1	19,67	3,21	–	–	–	–	–	–
Delhi	1	54,84	7,57	–	–	–	–	–	–
NORTH-EASTERN REGION	**4**	**39,51**	**6,87**	**3**	**57,74**	**14,62**	**13**	**396,24**	**139,26**
Arunachal Pradesh	1	1,89	18	–	–	–	–	–	–
Assam	–	–	–	–	–	–	12	393,06	138,16
Manipur	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Meghalaya	2	34,00	6,22	1	10,15	2,62	–	–	–
Mizoram	–	–	–	1	38,36	9,54	1	3,18	1,09
Nagaland	1	3,62	47	1	9,22	2,46	–	–	–
Tripura	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EASTERN REGION	**7**	**553,38**	**97,14**	**23**	**2434,52**	**579,34**	**12**	**585,00**	**203,78**
Bihar	5	256,40	42,85	13	968,01	249,33	7	363,07	129,55
Orissa	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sikkim	–	–	–	–	–	–	1	55,50	17,02
West Bengal	2	296,98	54,28	10	1466,51	330,00	2	135,13	46,37
Andaman & Nicobar Islands	–	–	–	–	–	–	2	31,30	10,84
CENTRAL REGION	**4**	**131,56**	**21,82**	**13**	**613,03**	**159,14**	**27**	**1593,14**	**554,39**
Madhya Pradesh	1	54,47	10,46	4	120,60	31,55	9	280,66	98,12
Uttar Pradesh	3	77,09	11,36	9	492,43	127,58	18	1312,48	456,27
WESTERN REGION	**1**	**18,09**	**1,09**	**3**	**1118,59**	**238,00**	**6**	**811,24**	**282,68**
Goa	–	–	–	–	–	–	1	398,53	131,06
Gujarat	–	–	–	2	1081,76	229,25	1	67,40	26,84
Maharashtra	–	–	–	1	36,82	8,75	3	325,04	117,46
Dadra & Nagar Haveli	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Daman & Diu	1	18,09	1,09	–	–	–	1	20,27	7,32
SOUTHERN REGION	**2**	**579,95**	**97,62**	**–**	**–**	**–**	**3**	**344,18**	**124,11**
Andhra Pradesh	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Karnataka	–	–	–	–	–	–	1	44,96	17,10
Kerala	1	561,01	95,17	–	–	–	1	298,01	106,56
Tamil Nadu	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lakshadweep	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pondicherry	1	18,94	2,45	–	–	–	1	1,21	44
ALL INDIA	**22**	**1782,64**	**285,52**	**50**	**4955,25**	**1173,67**	**79**	**5070,06**	**1782,61**

(Contd.)

सारणी II.30 : अर्धशहरी केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों के ऋण-जमा अनुपात पर आधारित जिलों का राज्यवार आवृत्ति वितरण (समाप्त)

(दिसम्बर 1988 के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि लाख रुपयों में)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	आवृत्ति (ऋण जमा-अनुपात)											
	40% - 50%			50% - 60%			60% और अधिक			जोड़		
	जिलों की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम	जिलों की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
उत्तरी क्षेत्र	**9**	**843,82**	**400,00**	**11**	**702,45**	**391,93**	**20**	**1074,04**	**804,75**	**70**	**5152,11**	**2318,63**
हरियाणा	4	226,47	107,94	3	294,67	162,44	4	272,02	181,72	12	942,78	505,86
हिमाचल प्रदेश	1	13,58	5,72	–	–	–	1	23,50	15,88	7	321,12	110,05
जम्मू और कश्मीर	–	–	–	2	21,93	11,65	3	10,41	8,54	10	157,74	56,07
पंजाब	2	505,38	241,48	2	305,75	175,11	2	393,54	275,96	12	2507,08	1026,19
राजस्थान	2	98,39	44,86	4	80,09	42,72	10	374,58	322,64	27	1148,88	609,68
चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	19,67	3,21
दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	54,84	7,57
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**6**	**327,79**	**151,88**	**3**	**35,19**	**18,68**	**5**	**33,93**	**28,80**	**34**	**890,40**	**360,11**
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1,89	18
असम	3	203,87	98,78	3	35,19	18,68	–	–	–	18	632,12	255,63
मणिपुर	1	4,34	1,84	–	–	–	3	6,08	8,17	4	10,42	10,01
मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	44,15	8,84
मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	41,54	10,63
नागा लैंड	1	108,31	45,72	–	–	–	–	–	–	3	121,15	48,66
त्रिपुरा	1	11,27	5,54	–	–	–	2	27,85	20,64	3	39,12	26,17
पूर्वी क्षेत्र	**11**	**461,76**	**201,51**	**8**	**427,10**	**236,56**	**10**	**297,34**	**234,70**	**71**	**4759,10**	**1553,02**
बिहार	6	228,78	99,40	6	277,74	154,53	2	7,89	6,84	39	2101,91	682,52
उड़ीसा	4	190,43	82,17	1	44,48	24,92	8	289,44	227,86	13	524,36	334,95
सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	55,50	17,02
पश्चिम बंगाल	1	42,55	19,94	1	104,88	57,10	–	–	–	16	2046,04	507,70
अंदमान और निकोबार समूह	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	31,30	10,84
मध्यवर्ती क्षेत्र	**24**	**1480,60**	**644,97**	**10**	**516,15**	**277,90**	**23**	**933,26**	**725,19**	**101**	**5267,73**	**2383,40**
मध्यप्रदेश	8	311,23	136,72	6	253,68	136,70	17	570,36	413,49	45	1590,98	827,04
उत्तरप्रदेश	16	1169,37	508,25	4	262,47	141,20	6	362,90	311,70	56	3676,74	1556,36
पश्चिमी क्षेत्र	**9**	**927,85**	**419,19**	**10**	**769,10**	**433,89**	**22**	**1427,31**	**1110,39**	**51**	**5072,18**	**2485,25**
गोवा	1	356,46	158,82	–	–	–	–	–	–	2	754,99	289,88
गुजरात	5	348,14	156,30	4	502,03	288,34	6	531,43	432,80	18	2530,77	1133,53
महाराष्ट्र	3	223,25	104,07	6	267,07	145,55	16	895,88	677,59	29	1748,07	1053,42
दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दमण और दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	38,35	8,41
दक्षिणी क्षेत्र	**8**	**1130,76**	**504,03**	**13**	**1885,57**	**1061,08**	**53**	**5031,24**	**4222,63**	**79**	**8971,69**	**6009,47**
आंध्र प्रदेश	3	234,16	108,68	3	252,70	132,37	17	1593,19	1293,61	23	2080,06	1534,65
कर्नाटक	–	–	–	3	183,52	98,13	16	1205,60	1006,08	20	1434,08	1121,31
केरल	2	699,18	303,36	4	1031,52	597,30	6	731,70	643,00	14	3321,42	1745,39
तमिलनाडु	2	172,82	81,87	3	417,83	233,28	14	1500,75	1279,95	19	2091,39	1595,11
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पांडीचेरी	1	24,60	10,12	–	–	–	–	–	–	3	44,75	13,01
अखिल भारतीय	**67**	**5172,58**	**2321,58**	**55**	**4335,56**	**2420,03**	**133**	**8797,11**	**7126,47**	**406**	**30113,21**	**15109,88**

स्रोत : सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक

Table II.30 : State-wise Frequency Distribution of Districts Based on Credit-Deposit Ratios for Scheduled Commercial Bank Offices in Semi-urban centres (Concld.)

(As on the last Friday of December 1988)

(Rs. lakhs.)

Region/State/Union Territory	Frequency (Credit-Deposit Ratio)											
	40% - 50%			50% - 60%			60% and above			Total		
	No. of Dists.	Deposits	Advances	No. of Dists.	Deposits	Advances	No. of Dists.	Deposits	Advances	No. of Dists.	Deposits	Advances
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
NORTHERN REGION	**9**	**843,82**	**400,00**	**11**	**702,45**	**391,93**	**20**	**1074,04**	**804,75**	**70**	**5152,11**	**2318,63**
Haryana	4	226,47	107,94	3	294,67	162,44	4	272,02	181,72	12	942,78	505,86
Himachal Pradesh	1	13,58	5,72	-	-	-	1	23,50	15,88	7	321,12	110,05
Jammu & Kashmir	-	-	-	2	21,93	11,65	3	10,41	8,54	10	157,74	56,07
Punjab	2	505,38	241,48	2	305,75	175,11	2	393,54	275,96	12	2507,08	1026,19
Rajasthan	2	98,39	44,86	4	80,09	42,72	10	374,58	322,64	27	1148,88	609,68
Chandigarh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19,67	3,21
Delhi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	54,84	7,57
NORTH-EASTERN REGION	**6**	**327,79**	**151,88**	**3**	**35,19**	**18,68**	**5**	**33,93**	**28,80**	**34**	**890,40**	**360,11**
Arunachal Pradesh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,89	18
Assam	3	203,87	98,78	3	35,19	18,68	-	-	-	18	632,12	255,63
Manipur	1	4,34	1,84	-	-	-	3	6,08	8,17	4	10,42	10,01
Meghalaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	44,15	8,84
Mizoram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	41,54	10,63
Nagaland	1	108,31	45,72	-	-	-	-	-	-	3	121,15	48,66
Tripura	1	11,27	5,54	-	-	-	2	27,85	20,64	3	39,12	26,17
EASTERN REGION	**11**	**461,76**	**201,51**	**8**	**427,10**	**236,56**	**10**	**297,34**	**234,70**	**71**	**4759,10**	**1553,02**
Bihar	6	228,78	99,40	6	277,74	154,53	2	7,89	6,84	39	2101,91	682,52
Orissa	4	190,43	82,17	1	44,48	24,92	8	289,44	227,86	13	524,36	334,95
Sikkim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	55,50	17,02
West Bengal	1	42,55	19,94	1	104,88	57,10	-	-	-	16	2046,04	507,70
Andaman & Nicobar Islands	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	31,30	10,84
CENTRAL REGION	**24**	**1480,60**	**644,97**	**10**	**516,15**	**277,90**	**23**	**933,26**	**725,19**	**101**	**5267,73**	**2383,40**
Madhya Pradesh	8	311,23	136,72	6	253,68	136,70	17	570,36	413,49	45	1590,98	827,04
Uttar Pradesh	16	1169,37	508,25	4	262,47	141,20	6	362,90	311,70	56	3676,74	1556,36
WESTERN REGION	**9**	**927,85**	**419,19**	**10**	**769,10**	**433,89**	**22**	**1427,31**	**1110,39**	**51**	**5072,18**	**2485,25**
Goa	1	356,46	158,82	-	-	-	-	-	-	2	754,99	289,88
Gujarat	5	348,14	156,30	4	502,03	288,34	6	531,43	432,80	18	2530,77	1133,53
Maharashtra	3	223,25	104,07	6	267,07	145,55	16	895,88	677,59	29	1748,07	1053,42
Dadra & Nagar Haveli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Daman & Diu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	38,35	8,41
SOUTHERN REGION	**8**	**1130,76**	**504,03**	**13**	**1885,57**	**1061,08**	**53**	**5031,24**	**4222,63**	**79**	**8971,69**	**6009,47**
Andhra Pradesh	3	234,16	108,68	3	252,70	132,37	17	1593,19	1293,61	23	2080,06	1534,65
Karnataka	-	-	-	3	183,52	98,13	16	1205,60	1006,08	20	1434,08	1121,31
Kerala	2	699,18	303,36	4	1031,52	597,30	6	731,70	643,00	14	3321,42	1745,39
Tamil Nadu	2	172,82	81,87	3	417,83	233,28	14	1500,75	1279,95	19	2091,39	1595,11
Lakshadweep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pondicherry	1	24,60	10,12	-	-	-	-	-	-	3	44,75	13,01
ALL INDIA	67	5172,58	2321,58	55	4335,56	2420,03	133	8797,11	7126,47	406	30113,21	15109,88

Source : Quarterly Return of Deposits and Gross Bank Credit, Banking Statistics Division, Department of Statistical Analysis & Computer Services, R.B.I.

1987-88 की रिपोर्टों में किया गया है। नये बैंक कार्यालय खोलने के लिए अग्रणी बैंक समूह राज्य सरकारों से प्राप्त पता लगाये गये केन्द्रों की सूचियों के आधार पर 1985-90 के लिए वर्तमान शाखा लाइसेंसीकरण नीति के अंतर्गत वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण और अर्धशहरी केन्द्रों के आबंटन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

2.105 अग्रणी बैंक समूह/राज्य सरकारों द्वारा पता लगाये गये 8,130 केन्द्रों में से चालू योजना में नये बैंक कार्यालय खोलने के लिए वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 30 जून 1989 तक 5,360 ग्रामीण/अर्धशहरी पात्र केन्द्रों का आबंटन किया गया। उपर्युक्त आबंटन के अलावा वाणिज्य बैंकों को अपनी शाखाएं खोलने के लिए 306 शहरी और 324 महानगरीय/पत्तन नगर केन्द्रों का आबंटन किया गया। 5,990 ग्रामीण/अर्धशहरी/शहरी/महानगरीय/पत्तन शहर केन्द्रों के कुल आबंटन में से 2031 केन्द्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 3,753 केन्द्र सरकारी क्षेत्र के बैंकों को और 206 निजी क्षेत्र के बैंकों को आबंटित किये गये।

2.106 ग्रामीण ऋण प्रणाली में सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाने के साथ-साथ यह आवश्यक हो गया कि जिन खण्डों में ग्रामीण शाखा को आबंटित गावों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक है (15 से 25 गावों तक) वहाँ कुछ अतिरिक्त ग्रामीण केन्द्र आबंटित किये जाये। यह महसूस किया गया कि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अंतर्गत पता लगाये गये केन्द्र, जो आमतौर पर सेवा क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में होंगे, केवल बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में भौगोलिक अंतराल को पूरा करेंगे बल्कि जनसंख्या के मानदण्डों के आधार पर भी बैंकिंग की व्यापकता संबंधी कमी को पूरा करेंगे। उपर्युक्त व्यवस्था को ध्यान में रख कर यह निर्णय किया गया है कि खण्डों में केन्द्रों की कमियों को पूरा करने और सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अंतर्गत पाये जानेवाली कमियों को पूरा करने के लिए केन्द्रों की संयुक्त सूची प्राप्त की जाये। राज्य सरकारों से प्राप्त पता लगाये केन्द्रों की सूची के आधार पर 30 जून 1989 तक वाणिज्य बैंकों को 1,236 केन्द्र आबंटित किये गये (14 केन्द्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 1,217 केन्द्र सरकारी क्षेत्र के बैंकों को और 5 केन्द्र निजी क्षेत्र के बैंकों को)। इस प्रकार सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अंतर्गत ग्रामीण/अर्धशहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का विस्तृत जाल फैलेगा और प्रत्येक गाँव को बैंकिंग की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। जून 1989 के अंत में देश में कुल 57,197 बैंक शाखाएँ थीं। जुलाई 1988 से जून 1989 तक की अवधि के दौरान बैंकों द्वारा 1,785 शाखाएँ खोली गयीं। बैंकिंग सुविधा रहित केन्द्रों में खोले गये कार्यालय कुल कार्यालय का 78.8 प्रतिशत होते हैं।

2.107 1969 से शाखा विस्तार काफी तेज़ हुआ है। इसके अनुसरण में सुविधा प्राप्त व्यक्तियों की प्रति बैंक संख्या में काफी गिरावट आयी है; जून 1969 के अंत में यह संख्या 65,000 थी। जो बढ़कर जून 1989 के अंत में 12,000 प्रति बैंक हो गयी। वाणिज्य बैंक शाखाओं का राज्यवार वितरण सारणी संख्या II.31 में दर्शाया गया है।

2.108 जून 1989 के अंत में कुल 57,197 कार्यालयों में से 7,905 (13.8 प्रतिशत) कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक के, 3,554 (6.2 प्रतिशत) कार्यालय उसके सहयोगी बैंकों के, 27,297 (47.7 प्रतिशत) कार्यालय 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के और 14,024 (24.5 प्रतिशत) कार्यालय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के हैं; शेष 4,417 (7.8 प्रतिशत) कार्यालय अन्य वाणिज्य बैंकों के थे, (सारणी II.32)।

years 1986-87 and 1987-88. The allotment of rural and semi-urban centres to commercial banks, including Regional Rural Banks (RRBs) under the current branch licensing policy for 1985-90 on the basis of lists of identified centres received from Lead Bank Groups/State Governments for opening new bank offices has been almost completed.

2.105 Out of the 8,130 centres identified by Lead Bank Groups/State Governments, 5,360 rural/semi-urban eligible centres for opening new bank offices in the current plan were allotted to commercial banks including Regional Rural Banks upto June 30, 1989. In addition to the above, 306 urban and 324 metropolitan/port town centres have been allotted to the commercial banks for opening their branches. Of the total allotment of 5,990 rural/semi-urban/urban/metropolitan/port-town centres, 2,031 centres were alloted to RRBs, 3,753 centres to public sector banks and 206 centres to private sector banks.

2.106 With the adoption of the Service Area Approach to rural lending, it became necessary to allow some more rural centres in blocks where number of villages allocated to a rural branch exceeded the prescribed limit of 15 to 25 villages. It was felt that the centres identified under the Service Area Approach which will normally be located centrally within the service area, will take care not only of the spatial gaps in the availability of banking facilities but also the deficiency in banking coverage on population norms. In view of the above, it was decided to obtain a combined list of centres for covering deficits in blocks and also under the Service Area Approach. On the basis of identified lists of centres received from the State Governments, 1,236 centres were allotted to commercial banks upto June 30, 1989 (14 to RRBs, 1,217 to public sector banks and 5 to private sector banks). Thus, under the Service Area Approach, the rural/semi-urban areas will have a wide network of bank branches and banking facilities will be available to every village. There were 57,197 bank branches in the country as at the end of June 1989. During the period July 1988 to June 1989, 1,785 branches were opened by the banks of which offices opened at unbanked centres constituted 78.8 per cent.

2.107 Following the rapid branch expansion which took place since 1969, the population served per bank office showed a sizeable decline from 65,000 at the end of June 1969 to 12,000 at the end of June 1989. State-wise distribution of commercial bank branches is set out in Table II.31.

2.108 Of the 57,197 offices as at the end of June 1989, 7,905 (13.8 per cent) belonged to State Bank of India, 3,554 (6.2 per cent) to its associate banks, 27,297 (47.7 per cent) to 20 nationalised banks and 14,024 (24.5 per cent) to RRBs; the balance of 4,417 (7.8 per cent) offices were with other commercial banks (Table II.32).

सारणी II.31 : वाणिज्य बैंकों की शाखाओं का राज्यवार वितरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निम्नलिखित के अंत में कार्यालयों की संख्या		निम्नलिखित के दौरान खोले गये कार्यालयों की संख्या			निम्नलिखित के अंत में प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या (हजार में)				
	जून 1969	जून 1988	जून 1989	जुलाई 1987 जून 1988	उनमें से बैंक रहित केन्द्रों में	जुलाई 1988 जून 1989	उनमें से बैंक रहित केन्द्रों में	जून 1969	जून 1988+	जून 1989+
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
आंध्र प्रदेश	567	4308	4432	108	92	124	94	75	12	12
अरुणाचल प्रदेश	–	57	58	1	1	1	1	–	11	11
असम	74	1031	1083	43	41	52	42	198	19	18
बिहार	273	4317	4466	76	68	149	124	207	16	15
गोवा	85*	253	255	2	2	2	2	8	4	4
गुजरात	752	3163	3257	69	60	94	72	34	11	10
हरियाणा	172	1220	1239	73	71	21	10	57	11	10
हिमाचल प्रदेश	42	624	663	46	45	39	39	80	7	6
जम्मू और कश्मीर	35	731	739	2	–	8	4	114	8	8
कर्नाटक	756	4026	4147	67	55	121	85	38	9	8
केरल	601	2775	2799	54	27	24	4	35	9	9
मध्य प्रदेश	343	3919	4112	114	103	193	180	116	13	13
महाराष्ट्र	1118	5117	5327	157	145	210	170	44	12	12
मणिपुर	2	67	67	2	1	–	–	497	21	21
मेघालय	7	135	140	2	–	5	5	147	10	9
मिज़ोरम	–	50	61	–	–	11	11	–	10	8
नागालैंड	2	68	69	–	–	1	1	205	11	11
उड़ीसा	100	1812	1868	47	42	56	39	212	14	14
पंजाब	346	2058	2073	23	18	15	9	42	8	8
राजस्थान	364	2796	2868	85	83	72	58	70	12	12
सिक्किम	–	21	26	2	2	5	5	–	15	12
तमिलनाडु	1060	4039	4162	103	97	124	100	37	12	12
त्रिपुरा	5	145	157	8	6	12	11	276	14	13
उत्तर प्रदेश	747	7758	7988	231	192	231	192	119	14	14
पश्चिम बंगाल	504	3656	3833	152	139	177	143	87	15	14
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	15	19	1	–	4	2	82	13	11
चंडीगढ़	20	107	108	–	–	1	–	7	4	4
दादरा और नगर हवेली	–	6	7	–	–	1	1	–	17	17
दमण और दीव	–	10	10	–	–	–	–	–	8	8
दिल्ली	274	1062	1089	7	–	27	–	10	6	6
लक्षद्वीप	–	5	6	–	–	1	1	–	8	7
पांडिचेरी	12	63	67	–	–	4	1	31	10	9
जोड़	**8262**	**55414****	**57197@**	**1519**	**1351**	**1785**	**1406**	**65**	**12**	**12**

+ 1981 की जनगणना के आधार पर

* इसमें दमण और दीव के आँकड़े शामिल हैं।

** संशोधित आंकड़े

@ 2 बैंक कार्यालय की समाप्ति को समायोजित किया गया।

स्रोत : बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भा.रि.बैंक

Table II.31 : State-wise Distribution of Commercial Bank Branches

State/Union Territory	No. of Offices as at end of		No. of Offices opened					Population per Bank Office (in thousands) as at end of		
	June 1969	June 1988	June 1989	July-1987 June-1988	of which at unbanked centres	July-1988 June-1989	of which at un banked centres	June 1969	June 1988+	June 1989+
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Andhra Pradesh	567	4308	4432	108	92	124	94	75	12	12
Arunanchal Pradesh	–	57	58	1	1	1	1	–	11	11
Assam	74	1031	1083	43	41	52	42	198	19	18
Bihar	273	4317	4466	76	68	149	124	207	16	15
Goa	85*	253	255	2	2	2	2	8	4	4
Gujarat	752	3163	3257	69	60	94	72	34	11	10
Haryana	172	1220	1239	73	71	21	10	57	11	10
Himachal Pradesh	42	624	663	46	45	39	39	80	7	6
Jammu & Kashmir	35	731	739	2	–	8	4	114	8	8
Karnataka	756	4026	4147	67	55	121	85	38	9	8
Kerala	601	2775	2799	54	27	24	4	35	9	9
Madhya Pradesh	343	3919	4112	114	103	193	180	116	13	13
Maharashtra	1118	5117	5327	157	145	210	170	44	12	12
Manipur	2	67	67	2	1	–	–	497	21	21
Meghalaya	7	135	140	2	–	5	5	147	10	9
Mizoram	–	50	61	–	–	11	11	–	10	8
Nagaland	2	68	69	–	–	1	1	205	11	11
Orissa	100	1812	1868	47	42	56	39	212	14	14
Punjab	346	2058	2073	23	18	15	9	42	8	8
Rajasthan	364	2796	2868	85	83	72	58	70	12	12
Sikkim	–	21	26	2	2	5	5	–	15	12
Tamil Nadu	1060	4039	4162	103	97	124	100	37	12	12
Tripura	5	145	157	8	6	12	11	276	14	13
Uttar Pradesh	747	7758	7988	231	192	231	192	119	14	14
West Bengal	504	3656	3833	152	139	177	143	87	15	14
Andaman & Nicobar Islands	1	15	19	1	–	4	2	82	13	11
Chandigarh	20	107	108	–	–	1	–	7	4	4
Dadra & Nagar Haveli	–	6	7	–	–	1	1	–	17	17
Daman & Diu	–	10	10	–	–	–	–	–	8	8
Delhi	274	1062	1089	7	–	27	–	10	6	6
Lakshadweep	–	5	6	–	–	1	1	–	8	7
Pondicherry	12	63	67	–	–	4	1	31	10	9
Total	**8262**	**55414****	**57197@**	**1519**	**1351**	**1785**	**1406**	**65**	**12**	**12**

+ Based on 1981 census.
* Includes figures for Daman & Diu.
** Revised figures.
@ Closure of two offices adjusted.
Source : Department of Banking Operations and Development, RBI.

सारणी II.32 :भारत में वाणिज्य बैंकों का बैंक समूहवार/जनसंख्यावार वितरण

निम्नलिखित दिनांक को कर्यालयों की संख्या

बैंक समूह	19-07-1969*					30-06-1988$					30-06-1989$				
	ग्रामीण	अर्धशहरी	शहरी	महा-नगरीय	जोड़	ग्रामीण	अर्धशहरी	शहरी	महा-नगरीय	जोड़	ग्रामीण	अर्धशहरी	शहरी	महा-नगरीय	जोड़
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
भारतीय स्टेट बैंक	462	797	163	150	1571	3651	2153	1079	760	7643	3842	2163	1116	784	7905
	(29.4)	(50.7)	(10.4)	(9.5)	(100.0)	(47.8)	(28.2)	(14.1)	(9.9)	(100.0)	(48.6)	(27.4)	(14.1)	(9.9)	(100.0)
भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक्	358	375	86	75	894	1320	1170	570	385	3445	1404	1171	582	397	3554
	(40.0)	(42.0)	(9.6)	(8.4)	(100.0)	(38.3)	(34.0)	(16.5)	(11.2)	(100.0)	(39.5)	(32.9)	(16.4)	(11.2)	(100.0)
राष्ट्रीयकृत बैंक	703	1465	928	1072	4168@	12267	5464	4714	3962	26407	12948	5498	4803	4048	27297
	(16.9)	(35.1)	(22.3)	(25.7)	(100.0)	(46.5)	(20.7)	(17.8)	(15.0)	(100.0)	(47.4)	(20.2)	(17.6)	(14.8)	(100.0)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–	–	–	–	–	12515	910	140	3	13568	12960	921	140	3	14024
						(92.3)	(6.7)	(1.0)	–	(100.0)	(92.4)	(6.6)	(1.0)	–	(100.0)
अन्य वाणिज्य बैंक	337	708	279	364	1688	1398	1401	835	717	4351	1423	1404	854	736	4417
	(20.0)	(41.9)	(16.5)	(21.6)	(100.0)	(32.1)	(32.2)	(19.2)	(16.5)	(100.0)	32.2	(31.8)	(19.3)	(16.7)	(100.0)
जोड़	**1860**	**33.44**	**1456**	**1661**	**8321**	**31151**	**11098**	**7338**	**5827**	**55414(*)**	**32577**	**11157**	**7495**	**5968**	**57197**
	(22.5)	**(40.2)**	**(17.5)**	**(20.0)**	**(100.0)**	**(56.2)**	**(20.0)**	**(13.3)**	**(10.5)**	**(100.0)**	**(57.0)**	**(19.5)**	**(13.1)**	**(10.4)**	**(100.0)**

* जनसंख्यावार समूह के अनुसार शाखाओं का वर्गीकरण 1961 के जनगणना पर आधारित है।
@ ये आंकड़े केवल 14 बैंकों के हैं।
कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रत्येक समूह में कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
** संसोधित आँकड़े

सारणी II.33 : दर्शाये गये तारीखों को वाणिज्य बैंक कार्यालयों का जनसंख्या समूहवार वितरण

जनसंख्या समूह	जून 1986		जून1987		जून1988		जून1989	
	जोड़	% जोड़	जोड़	% जोड़	जोड़	% जोड़	जोड़	% जोड़
ग्रामीण	29,718	55.8	30,201	56.1	31,151	56.2	32,577	57.0
अर्ध-शहरी	10,567	19.8	10,629	19.7	11,098	20.0	11,157	19.5
शहरी	7,195	13.5	7,215	13.4	7,338	13.3	7,495	13.1
महानगर/पत्तन	5,785	10.9	5,795	10.8	5,827	10.5	5,968	10.4
जोड़	53,265	100.0	53,840	100.0	55,414*	100.0	57,197	100.0

* संशोधित आंकड़े

टिप्पणी : जन संख्या समूह 1981 की जनगणना पर आधारित है।
ग्रामीण केन्द्र- 9,999 तक की जनसंख्या वाले स्थान
अर्ध-शहरी केन्द्र-10,000 और 99,999 तक की जनसंख्यावाले स्थान
शहरी केन्द्र-1,00,000 और 9,99,999 तक की जनसंख्यावाले स्थान
महानगरीय केन्द्र-10,00,000 और इससे अधिक की जनसंख्यावाले स्थान

Table II.32 : Bank Group-wise/Population Group-wise Distribution of Commercial Bank Offices in India

Bank Group	Number of Offices as on														
	19-07-1969*					30-06-1988$					30-06-1989$				
	Rural	Semi-urban	Urban	Metro-politan	Total	Rural	Semi-urban	Urban	Metro-politan	Total	Rural	Semi-urban	Urban	Metro-politan/ Port town	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
State Bank of India	462 (29.4)	797 (50.7)	163 (10.4)	150 (9.5)	1,571 (100.0)	3,651 (47.8)	2,153 (28.2)	1,079 (14.1)	760 (9.9)	7,643 (100.0)	3,842 (48.6)	2,163 (27.4)	1,116 (14.1)	784 (9.9)	7,905 (100.0)
Associate Banks of State Bank of India	358 (40.0)	375 (42.0)	86 (9.6)	75 (8.4)	894 (100.0)	1,320 (38.3)	1,170 (34.0)	570 (16.5)	385 (11.2)	3,445 (100.0)	1,404 (39.5)	1,171 (32.9)	582 (16.4)	397 (11.2)	3,554 (100.0)
Nationalised Banks	703 (16.9)	1,465 (35.1)	928 (22.3)	1,072 (25.7)	4,168@ (100.0)	12,267 (46.5)	5,464 (20.7)	4,714 (17.8)	3,962 (15.0)	26,407 (100.0)	12,948 (47.4)	5,498 (20.2)	4,803 (17.6)	4,048 (14.8)	27,297 (100.0)
Regional Rural Banks	–	–	–	–	–	12,515 (92.3)	910 (6.7)	140 (1.0)	3 –	13,568 (100.0)	12,960 (92.4)	921 (6.6)	140 (1.0)	3 –	14,024 (100.0)
Other Commercial Banks	337 (20:0)	708 (41.9)	279 (16.5)	364 (21.6)	1,688 (100.0)	1,398 (32.1)	1,401 (32.2)	835 (19.2)	717 (16.5)	4,351 (100.0)	1,423 32.2	1,404 (31.8)	854 (19.3)	736 (16.7)	4,417 (100.0)
Total	1,860 (22.5)	3,344 (40.2)	1,456 (17.5)	1,661 (20.0)	8,321 (100.0)	31,151 (56.2)	11,098 (20.0)	7,338 (13.3)	5,827 (10.5)	55,414(*) (100.0)	32,577 (57.0)	11,157 (19.5)	7,495 (13.1)	5,968 (10.4)	57,197 (100.0)

* Classification of branches according to population groups based on 1961 census.
$ Classification of branches according to population groups based on 1981 census.
@ Figures of 14 nationalised banks only.
Figures in brackets indicate % to total in each group
(*) Revised Figures

Table II.33 : Population Group-wise Distribution of Commercial Bank Offices (as at end of)

Population Group	June 1986		June 1987		June 1988		June 1989	
	Total	% to total	Total	% to total	Total	% to total	Total	% to total
Rural	29,718	55.8	30,201	56.1	31,151	56.2	32,577	57.0
Semi-Urban	10,567	19.8	10,629	19.7	11,098	20.0	11,157	19.5
Urban	7,195	13.5	7,215	13.4	7,338	13.3	7,495	13.1
Metropolitan/ Port-Town	5,785	10.9	5,795	10.8	5,827	10.5	5,968	10.4
Total :	53,265	100.0	53,840	100.0	55,414*	100.0	57,197	100.0

* Revised figures

Note : Population group based on 1981 census.
Rural Centres - Places with population upto 9,999.
Semi-Urban Centres-Places with population of 10,000 and upto 99,999.
Urban Centres-Places with population of 1,00,000 and upto 9,99,999.
Metropolitan Centres-Places with population of 10,00,000 and above.

ग्रामीण शाखा विस्तार

2.109 ग्रामीण शाखा विस्तार के संबंध में जनसंख्या समूहवार आंकड़े सारणी II.33 में दिये गये हैं। इस सारणी से पता चलता है कि देश में कार्यरत शाखाओं की कुल संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के बैंक कार्यालयों का प्रतिशत जून 1989 के अंत में और बढ़कर 57.0 हो गया। जबकि इसकी तुलना में 30 जून 1969 को केवल 22 प्रतिशत था। इससे पता चलता है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण केन्द्रों में बैंक कार्यालयों के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

अग्रणी बैंक योजना

2.110 अप्रैल 1989 के अंत में अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत देश के 445 जिले शामिल किये गये। प्रत्येक जिले के वाणिज्य बैंकों में से एक अग्रणी बैंक के रूप में कार्य करता है। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों और निजी क्षेत्र के दो बैंकों को जिले के संबंध में अग्रणी भूमिका सौंपी गयी। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत ऋण निवेश के लिए जिला ऋण योजनाएं तैयार की जाती हैं और बैंकरों तथा सरकारी पदाधिकारियों के जिला और राज्य स्तर पर क्रमशः जिला परामर्शदात्री समिति और राज्य स्तरीय बैंकरों की समिति की बैठकों में इस योजना के अंतर्गत की गयी प्रगति की समीक्षा हर तिमाही में की जाती है। प्रत्येक जिले के अग्रणी बैंक जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करते हैं। ये बैठकें जिला ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए हर छमाही के बाद आयोजित की जाती हैं। अप्रैल 1989 में अग्रणी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे स्थानीय सांसदों/विधायकों को अपने द्वारा आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित करें।

जिला ऋण योजनाएँ (डीसीपी) और वार्षिक कार्य योजना (एएपी)

2.111 इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 1988 के लिए अग्रणी बैंकों ने वार्षिक कार्य योजनाएँ तैयार कीं और उन्हें कार्यान्वित किया। वार्षिक कार्य योजना में खण्डवार और बैंकवार निर्धारित लक्ष्य तथा कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलाप, ग्रामीण उद्योग, लघु व्यावसाय और विभिन्न प्रकार की सेवाओं के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंकों से प्राप्त होनेवाली ऋण सहायता का उल्लेख होता है। वार्षिक कार्य योजनाओं के अंतर्गत निष्पादित कार्य संबंधी आंकड़े जून 1988 तक उपलब्ध हैं जिन्हें सारणी II.34 में दिया गया है। चूँकि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण लागू कर दिया गया है, अतः उसके अंतर्गत बनायी गयी शाखा ऋण योजनाओं का समावेश ब्लाक और जिला ऋण योजनाओं में 1989 से महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए।

सारणी II.34 : वार्षिक कार्य योजना 1988

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य	जून 1988 तक उपलब्धि
1. कृषि	8,170.87	4,461.38
2. उद्योग	2,250.30	947.02
3. सेवाएँ	2,326.69	1,245.88
जोड़	12,747.86	6,654.28

Rural Branch Expansion

2.109 Population group-wise data are given in Table II.33. It is observed therefrom that the percentage of bank offices in rural areas to the total number of branches in the country rose further to 57.0 per cent as at the end of June 1989 as compared with only 22 per cent as on June 30, 1969, indicating the phenomenal progress in branch expansion in rural areas after the nationalisation of banks.

Lead Bank Scheme

2.110 As at the end of April 1989, the Lead Bank Scheme covered 445 districts in the country. In each district one of the commercial banks functions as a lead bank. The lead responsibility has been assigned to all public sector banks and two of the private sector banks. District Credit Plans for deployment of credit under various activities of priority sectors are prepared and the progress under the plans is reviewed every quarter in the forums of bankers and government officials at the district and state-levels in District Consultative Committee and State Level Bankers Committee meetings, respectively. The District Level Review Committee (DLRC) meetings are convened by lead banks in each district at half-yearly intervals to review the progress in the implementation of District Credit Plans. The lead banks were advised in April 1989 to invite local MPs/MLAs to the DLRC meeting convened by them.

District Credit Plans (DCPs) and Annual Action Plans (AAPs)

2.111 The lead banks prepared and implemented the Annual Action Plans (AAPs) for 1988 according to the guidelines issued by the Reserve Bank in that regard. The AAPs indicate block-wise and bank-wise targets to be achieved with credit support from banks under various schemes for the development of agriculture and allied activities, rural industries, small business and various types of services. Data on performance under AAPs which are available upto June 1988 are given in Table II.34. As the Service Area Approach has become operational, branch credit plans prepared thereunder should constitute an important input into the block and district credit plans from 1989 onwards.

Table II.34 : Annual Action Plan 1988

(Rs. Crores)

Sector	Target for the year (1988)	Achievement upto June 1988
1. Agriculture	8,170.87	4,461.38
2. Industries	2,250.30	947.02
3. Services	2,326.69	1,245.88
Total	12,747.86	6,654.28

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड को बैंक ऋण

2.112 राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को रंग सामग्री और रसायनों की खरीद और आपूर्ति के लिए कार्यकारी पूंजीगत वित्त मंजूर किया गया है जिसे प्राथमिकता प्राप्त ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया। पहली अप्रैल 1989 से राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड को राज्य हथकरघा विकास निगम और शिखर/राष्ट्रीय बुनकर सहकारी समितियों जैसी राज्य स्तरीय एजेंसियों को रेशों की खरीद और आपूर्ति के लिए कार्यकारी पूंजीगत वित्त मंजूर किया गया। तदनुसार, इन अग्रिमों पर 12.5 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राभारित किया जायेगा जैसे कि कारीगर, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योगों को निविष्टयों की खरीद और आपूर्ति के लिए और/या अपने उत्पादन के विपणन के लिए राज्य स्तरीय निगमों को दिये जानेवाले अग्रिमों पर प्रभारित की जानेवाली ब्याज दरों के संबंध में वर्तमान निदेशों में प्रावधानित है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड को अन्य प्रयोजनों के लिए मंजूर की गयी ऋण सीमाओं से उपर्युक्त ऋण सीमाओं को पृथक किया जाना चाहिए और राज्य हघकरघा विकास निगमों और शिखर/क्षेत्रीय बुनकर सहकारी समितियों जैसी राज्य स्तरीय एजेंसियों को रेशों की खरीद और आपूर्ति के प्रयोजन के लिए ही उसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को इस आशय का वचन पत्र देना होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि ये रेशे केवल प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों तथा व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों को, जो सहकारी संस्थाओं से बाहर हैं, को रेशे प्रदान किये जायेंगे और राज्य स्तरीय एजेंसियाँ उक्त निगम द्वारा आपूर्त रेशों का व्यापार नहीं करेंगी।

भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता-स्वनियोजनार्थ तैयार करने के लिए योजना

2.113 भूतपूर्व सैनिक स्वनियोजन योजना देश के 11 राज्यों के 29 जिलों में पहले ही लागू की गयी थी। यह योजना अब जून 1989 से और 10 जिलों में लागू की गयी है। तदनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया है कि वे इन 39 जिलों में स्थित अपनी शाखाओं को और अपने नियंत्रक कार्यालयों को उपयुक्त अनुदेश जारी करें ताकि वे इस योजना के अंतर्गत प्राप्त ऋण प्रस्तावों पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये जानेवाले अग्रिमों पर लागू होने वाले मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर विचार कर सकें।

9. ग्रामीण ऋण और सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण

ग्रामीण विकास के लिए नई नीति—सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण

2.114 पिछली रिपोर्ट में ग्रामीण ऋण से संबंधित नई नीति का उल्लेख किया गया था अर्थात् वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ग्रामीण ऋण को बेहतर बनाने के लिए सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाना। ऋण प्रदान करने की संभावनाओं के संबंध में गावों का सर्वेक्षण करने के बाद बैंकों की सभी शाखाओं ने उन गावों के लिए समेकित ऋण योजनाएं तैयार कीं जो उनके सेवा क्षेत्र में स्थित हैं। वार्षिक शाखा ऋण योजनाओं को खंड ऋण योजनाओं में सम्मिलित किया गया तथा खंड ऋण योजनाओं को जिला ऋण योजनाओं में सम्मिलित किया गया। प्रत्येक शाखा के सेवा क्षेत्र में सामान्यत: 15 से 25 गांव शामिल किये गये हैं। मार्च 1989 के अंत में 42,000 शाखाओं तथा 6 लाख गांवों में से 33,410 शाखाओं के लिए ऋण योजनाएं तैयार की गयीं जिनमें 5.06 लाख गांव शामिल किये गये। अग्रणी बैंक

Bank Credit to National Handloom Development Corporation Ltd. (NHDC)

2.112 Working capital finance to NHDC for procurement and supply of dyes and chemicals was classified as priority sector credit. Since April 1, 1989 working capital finance sanctioned to NHDC for procurement and supply of yarn to State-level agencies like State Handloom Development Corporations (SHDCs) and Apex/ Regional Weavers' Co-operative Societies is also classified as priority sector credit. Accordingly, these advances are charged interest at the rate of 12.5 per cent per annum as stipulated in the current directive on interest rates on lendings for advances to State-level Corporations for purchase and supply of inputs to artisans, village and cottage industries and/or marketing their output. The relative credit limits are required to be segregated from the credit limits sanctioned to the NHDC for other purposes and utilised exclusively for the purpose of purchase and supply of yarn to State-level agencies like SHDCs and Apex/Regional Weavers' Co-operative Societies. Further, NHDC has to give an undertaking that it will ensure that yarn will be supplied only to primary weavers' co-operative societies as also to individual handloom weavers outside the cooperative fold and the State-level agencies do not trade in yarn supplied by the Corporation.

Financial Assistance to Ex-Servicemen–Scheme for Preparing Ex-Servicemen for Self-Employment (PEXSEM)

2.113 The PEXSEM which was in operation in 29 districts in 11 states of the country, has been extended to 10 more districts from June 1989. All scheduled commercial banks have been advised that they may issue suitable instructions to their branches located in these 39 districts as also to their controlling offices to consider credit proposals received under the scheme on the basis of the guidelines applicable for advances to priority sector.

9. Rural Credit and Service Area Approach

New Strategy for Rural Development – Service Area Approach

2.114 A reference was made in the last Report to the new strategy of rural lending viz., Service Area Approach for improving quality of rural lending by commercial banks, including RRBs. After carrying out surveys of the villages in regard to potentialities for lending, bank branches have prepared integrated credit plans for the villages that lie in their service area. The annual branch credit plans have been aggregated into block credit plans which in turn have been aggregated into disctrict credit plans. The service area of each branch normally comprise 15 to 25 villages. As at the end June 1989, credit plans had been prepared by all the 42,000 branches covering 6 lakh villages. The Lead Bank Groups have identified new centres for opening of branches in areas where villages alloted exceeded the prescribed norm and

समूहों ने उन क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए नये केन्द्रों का पता लगाया है जहाँ आबंटित ग्रामों की संख्या निर्धारित मानदंड से अधिक हो गयी। इन केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को लाइसेंस जारी किये गये। ऋण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निरंतर आधार पर ऋण संस्थाओं और क्षेत्र स्तरीय विकास एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए बैंकरों की खंड स्तरीय समितियां गठित की गयीं। यह नयी प्रणाली पहली अप्रैल 1989 से लागू की गयी। यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये कि नयी प्रणाली को सुविधाजनक ढंग से अपनाया जा सके और ग्रामीण ऋण प्रदान करने संबंधी कार्यकलापों में अस्त-व्यस्तता न आये ताकि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के कार्यान्वयन में लचीलापन बना रहे। आशा है कि इस नये दृष्टिकोण से ग्रामीण ऋण पद्धति में उल्लेखनीय सुधार होगा और ऋण की सुपुर्दगी प्रणाली बेहतर और अधिक एकीकृत होगी। यह भी आशा है कि यह दृष्टिकोण बैंक ऋण और उत्पादन, उत्पादकता और आय के स्तरों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करेगा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति

2.115 पिछले वर्ष की तरह 1988-89 (जुलाई-जून) के दौरान भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या 196 पर अपरिवर्तित रही। फिर भी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य क्षेत्र में समाविष्ट जिलों की संख्या 363 से बढ़कर 370 हो गयी। मार्च 1989 के अंत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 14,090 शाखाएं थीं। मार्च 1989 के अंत में उपलब्ध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की राज्यवार स्थिति सारणी II.35 में दर्शायी गयी है। इन सारणी से यह पता चलता है कि शाखाओं की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में (2,998) थी; इसके बाद बिहार (1,820) और मध्य प्रदेश (1,586) का स्थान आता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में शाखाओं की संख्या 800 और 1100 के दरम्यान रही तथा असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, केरल और महाराष्ट्र में शाखाओं की संख्या 200 और 500 के दरम्यान रही।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शाखा विस्तार कार्यक्रम

2.116 जैसाकि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में बताया गया था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शाखा विस्तार कार्यक्रम अप्रैल 1985 से मार्च 1989 के अंत तक की अवधि (यह अवधि और सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि साथ-साथ समाप्त होगी) के दौरान के लिए शाखा लाइसेंसीकरण नीति के आधार पर जारी रहेगी। इस नीति में दर्शाया गया कि कम सुविधा प्राप्त ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की व्यवस्था विशेष रूप से ऐसे स्थानों पर जहां भौगोलिक अंतराल उभरकर सामने आया है। सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण लागू करने से यह महसूस किया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सेवा क्षेत्र से इतर समूहों को वित्त प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अतः यह निर्णय किया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पता लगाये गये और अधिक केन्द्र आबंटित किये जाएंगे। अतः यह निर्णय किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अभिज्ञात केंद्रों का आबंटन इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा कि यदि किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्यक्षेत्र में एक जिला आता हो तो उसकी 25 शाखाएं होंगी तथा यदि एक से अधिक जिले आते हों तो उसकी 40 शाखाएं होंगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य

2.117 दिसंबर 1988 के अंत में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल जमाराशियां 2,456 करोड़ रुपये रहीं जबकि दिसंबर 1987 के अंत में 1,910 करोड़ रुपये की जमाराशियां थीं। दिसंबर 1988 के अंत में

licences have been issued to banks for opening of branches to fill the gaps. The Block Level Bankers' Committees have been constituted for co-ordination between credit institutions and field level developmental agencies on an ongoing basis for the effective implementation of credit plans. The new approach has become operational from April 1, 1989. Guidelines have been issued to banks to ensure that transition to the new approach is brought about in a smooth manner without any dislocation in the rural lending operations with flexibility in implementation. The new approach is expected to effect a distinct improvement in the quality of rural lending and lead to a better and more integrated system of credit delivery. This approach is also expected to forge a better link between bank credit and production, productivity and income levels.

Regional Rural Banks

Progress of Regional Rural Banks (RRBs)

2.115 During the year 1988-89 (July-June), the total number of Regional Rural Banks (RRBs) remained unchanged at 196 as in the preceding year. The number of districts covered by RRBs, however, increased from 363 to 370 districts. As at the end of March 1989, RRBs had 14,090 branches. The State-wise position of number of branches of RRBs available as at the end of the March 1989 is set out in Table II.35 which shows that Uttar Pradesh had the largest number of branches (2,998), followed by Bihar (1,820) and Madhya Pradesh (1,586). The number of branches ranged between 800 and 1,100 in Andhra Pradesh, Karnataka, Rajasthan, Orissa and West Bengal and between 200 and 600 in Assam, Gujarat, Harayana, Jammu and Kashmir, Kerala and Maharashtra.

Branch Expansion Programme of RRBs

2.116 As reported in the previous year, the branch expansion programme of RRBs is considered on the basis of the branch licensing policy for the period April 1985 to end-March 1990 (co-terminus with the Seventh Five Year Plan) which envisages provision of banking facilities in deficient rural areas, specially where identifiable spatial gaps exist. With the introduction of the Service Area Approach, it was felt that non-target groups in the service areas of RRBs may face some difficulties in obtaining finance. It has, therefore, been decided that allotment of identified centres would be made to RRBs selectively, keeping in view that an RRB has 25 branches if it covers one district and 40 branches if it covers more than one district.

Operations of RRBs

2.117 As at the end of December 1988, aggregate deposits of 196 RRBs amounted to Rs. 2,966 crores as against Rs. 1,910 crores as at end-December 1987. Aggregate out-

सारणी II.35 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्यवार शाखाएं

राज्य/संघ शासित राज्य	31 मार्च 1989 को क्षे.ग्रा.बैं. की संख्या	31 मार्च 1989 को शामिल जिलों की संख्या	31 मार्च 1988 को शाखाओं की संख्या
1.	2.	3.	4.
1. अरुणाचल प्रदेश	1	4	16
2. आंध्र प्रदेश	16	23	1,101
3. असम	5	18	361
4. बिहार	22	38	1,820
5. गुजरात	9	17	386
6. हरियाणा	4	11	289
7. हिमाचल प्रदेश	2	4	125
8. जम्मू और कश्मीर	3	10	261
9. कर्नाटक	13	20	1,059
10. केरल	2	6	269
11. मध्य प्रदेश	24	44	1,586
12. महाराष्ट्र	10	17	567
13. मणिपुर	1	8	24
14. मेघालय	1	3	46
15. मीजोरम	1	3	44
16. नागालैंड	1	7	8
17. उड़ीसा	9	13	815
18. पंजाब	5	10	158
19. राजस्थान	14	27	1,058
20. तमिलनाडु	3	7	198
21. त्रिपुरा	1	3	84
22. उत्तर प्रदेश	40	59	2,998
23. पश्चिम बंगाल	9	18	817
जोड़	**196**	**370**	**14,090**

स्रोत : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

कुल बकाया अग्रिम राशियां 2,804 करोड़ रुपये थीं जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष इस प्रकार के अग्रिम 2,232 करोड़ रुपये थे। दिसंबर 1988 के अंत में बकाया अग्रिम राशियों के ब्योरों का प्रयोजनवार विश्लेषण सारणी II.36 में दर्शाया गया है।

सारणी II.36 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रयोजनवार अग्रिम राशियां

प्रयोजन	राशि (करोड़ रुपये)
1.	2.
अल्पावधि (फसल ऋण)	496
निम्नलिखित के लिए मीयादी ऋण कृषि कार्यकलाप	530
संबद्ध गतिविधियां	471
ग्रामीण कारीगर, ग्राम एवं कुटीर उद्योग	201
फुटकर व्यापार और स्वनियोजन	794
उपभोग ऋण	16
अन्य प्रयोजन •	253
अप्रत्यक्ष अग्रिम	43
जोड़	**2,804**

Table II.35 : State-wise Branches of Regional Rural Banks

State/Union Territory	No. of RRBs as on March 31, 1989	No. of districts covered as on March 31, 1989	No. of branches as on March 31, 1989
1.	2.	3.	4.
1. Arunachal Pradesh	1	4	16
2. Andhra Pradesh	16	23	1,101
3. Assam	5	18	361
4. Bihar	22	38	1,820
5. Gujarat	9	17	386
6. Haryana	4	11	289
7. Himachal Pradesh	2	4	125
8. Jammu & Kashmir	3	10	261
9. Karnataka	13	20	1,059
10. Kerala	2	6	269
11. Madhya Pradesh	24	44	1,586
12. Maharashtra	10	17	567
13. Manipur	1	8	24
14. Meghalaya	1	3	46
15. Mizoram	1	3	44
16. Nagaland	1	7	8
17. Orissa	9	13	815
18. Punjab	5	10	158
19. Rajasthan	14	27	1,058
20. Tamil Nadu	3	7	198
21. Tripura	1	3	84
22. Uttar Pradesh	40	59	2,998
23. West Bengal	9	18	817
Total	**196**	**370**	**14,090**

Source : National Bank for Agriculture and Rural Development. (Figures are Provisional).

standing advances (direct and indirect) as at end-December 1988 stood at Rs. 2,804 crores as compared with Rs. 2,232 crores a year earlier. Details of purpose-wise break-up of outstanding advances at the end of December 1988 are indicated in Table II.36.

Table II.36 : Purpose-wise Advances of RRBs
(As at end - December 1988)

Purpose	Amount (Rs. Crores)
1.	2.
Short-term (crop loans)	496
Term Loans for Agricultural Activities	530
Allied activities	471
Rural artisan, village & cottage industries	201
Retail trade and self-employed	794
Consumption loans	16
Other purposes	253
Indirect advances	43
Total :	**2,804**

2.118 कैलेंडर वर्ष 1988 के अंत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 31.77 लाख खातों पर 959 करोड़ रुपये की ऋण राशि वितरित की। जारी किये गये कुल ऋण में से 36.28 प्रतिशत या 348 करोड़ रुपये सरकार द्वारा प्रायोजित समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विभेदक ब्याज दर योजना इत्यादि कार्यक्रमों के लिए थे। इसके अलावा कुल अग्रिमों के लगभग 92 प्रतिशत ऋण समाज के कमजोर वर्गों को प्रदान किये गये।

राष्ट्रीय बैंक से पुनर्वित्त :

2.119 1988-89 के दौरान (जून 1989 तक) राष्ट्रीय बैंक ने 164 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 379.02 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण सीमाएं मंजूर कीं (राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के लिए 17.78 करोड़ रुपये), अल्पावधि (मौसमी कृषि कार्यों के लिए) 262.40 करोड़ रुपये तथा मौसमी कृषि कार्यों से इतर अल्पावधि प्रयोजनों के लिए 98.84 करोड़ रुपये और 94.79 करोड़ रुपये तक मध्यावधि (योजनेतर) की सीमाएं 131 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मंजूर की गयी थीं। जून 1989 के अंतिम शुक्रवार को इन सीमाओं पर अल्पावधि ऋण 344.75 करोड़ रुपये और मध्यावधि ऋण (योजनेतर) 238.42 करोड़ रुपये का दिया गया। 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 5.24 करोड़ रुपये की मध्यावधि (परिवर्तन) ऋण सीमाएं मंजूर की गयी थीं। उक्त अवधि के अंत में इन सीमाओं के अंतर्गत बकाया राशि 11.59 करोड़ रुपये थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने राष्ट्रीय बैंक से दीर्घावधि पुनर्वित्त भी प्राप्त किया। 31 दिसंबर 1988 के अंत को 3,488 योजनाओं के लिए नाबार्ड की 1,159.23 करोड़ रुपये की वचनबद्धता राशि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्वीकृत की गयी। उसी दिनांक को इन बैंकों ने 1,055.87 करोड़ रुपयों का आहरण किया जबकि इसकी तुलना में 2,814 योजनाओं के लिए 890.45 करोड़ रुपये की बचनबद्धता थी तथा दिसंबर 1987 के अंत में 793.42 करोड़ रुपये का आहरण किया गया था।

प्रायोजक बैंकों और अन्य संस्थाओं से पुनर्वित्त

2.120 प्रायोजक बैंकों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने जून 1988 के अंत में 267.39 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त लिया जबकि पिछले वर्ष 227.29 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त लिया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने दिसंबर 1988 के अंत में भारतीय औद्योगित विकास बैंक से 28.63 करोड़ रुपये लिया और अन्य स्रोतों से उनके उधार इसी अवधि के दौरान 13.27 करोड़ रुपये हुए।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन अधिनियम, 1987

2.121 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार द्वारा एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है इसके अध्यक्ष स्वर्गीय श्री एस.एस. केलकर थे। कार्यकारी दल का उद्देश्य इन बैंकों के कार्यनिष्पादन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना और उनकी समग्र क्षमता बढ़ाने के लिए संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए उपुक्त उपायों का पता लगाना है। इस कार्यकारी दल की सिफारिशों पर आधारित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधन किया गया था; यह संशोधन 28 सितंबर 1988 से लागू हुआ। संशोधित अधिनियम की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :- (i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये और प्रदत्त शेयर पूंजी 25 लाख रुपये से

2.118 During the calendar year 1988, RRBs disbursed a sum of Rs. 959 crores in 31.73 lakh accounts. Of the total loans issued 36.28 per cent or Rs. 348 crores were under Government sponsored programmes such as IRDP, DRI, etc. Furthermore, approximately 92 per cent of aggregate advances were provided to weaker sections of society.

Refinance from National Bank

2.119 During the year 1988-89 (upto June 1989) the National Bank had sanctioned short-term limits aggregating Rs. 379.02 crores to 164 RRBs (Rs. 17.78 crores for National Oilseeds Development Project purposes), Rs. 262.40 crores for short-term [Seasonal Agricultural Operations (SAO) purposes] and Rs. 98.84 crores for short-term purposes other than SAO; medium-term (non-schematic) limits to the extent of Rs. 94.79 crores had been sanctioned to 131 RRBs. The outstandings against these limits were Rs. 34.7 crores short-term (ST) and Rs. 238.42 crores medium-term (non-schematic) as on the last Friday of June 1989. Medium-term (conversion) loans amounting to Rs. 5.24 crores were also sanctioned to 10 RRBs and the outstanding balance under the same was Rs. 11.59 crores as at the end of above period. The RRBs also availed of long-term refinance from the National Bank. As at the end of December 31, 1988, 3,488 schemes involving NABARD's commitment of Rs. 1,159.23 crores were sanctioned to RRBs and drawals amounted to Rs. 1,055.87 crores as on that date as compared with 2,814 schemes involving a commitment of Rs. 890.45 crores and drawal of Rs. 793.42 crores at the end of December 1987.

Refinance from Sponsor Banks and Other Institutions

2.120 The amount of refinance availed of by RRBs from the sponsor banks was Rs. 267.39 crores as at the end of December 1988 as against Rs. 227.29 crores a year ago. The RRBs have also availed of refinance from IDBI to the tune of Rs. 28.63 crores as at the end of December 1988 and their borrowings from other sources amounted to Rs. 13.27 crores during the same period.

RRB (Amendment) Act, 1987

2.121 Mention was made in the previous year's Report about the constitution by the Government of India of a Working Group under the Chairmanship of the late Shri S.M. Kelkar, to go into various aspects of the working of these banks and to identify appropriate measures for strengthening their organisational structure for improving their overall capabilities. Based on the recommendations of the Working Group, the Regional Rural Banks Act, 1976 was amended by the Regional Rural Bank (Amendment) Act, 1987 which was brought into effect from September 28, 1988. The salient features of the Amendment Act are as follows : (i) The authorised capital of the

बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गयी। (ii) राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित प्रायोजक बैंक द्वारा राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से की जाएगी। (iii) राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों के संबंध में प्रायोजक बैंकों को और अधिक उत्तरदायित्व सौंपा गया। अब इन बैंकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर पूंजी में अभिदान करने के अतिरिक्त उनकी और अधिक सहायता करनी होगी अर्थात् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रथम 5 वर्ष की कार्यावधि के दौरान उनके कार्मिकों को प्रशिक्षण देना होगा और प्रबंधकीय तथा वित्तीय सहायता भी प्रदान करनी होगी। (iv) इस अधिनियम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्मेलन का भी प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय बैंक और संबंधित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक के परामर्श से दो या इससे अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन किया जा सकता है। इस पर उचित विचार किये जाने के बाद इस संबंध में सरकार के राजपत्र में केंद्रीय सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाएगी। इस प्रकार का समामेलन सार्वजनिक हित, संबंधी क्षेत्र के विकास और स्वयं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के हित को भी ध्यान में रखकर करना होगा। प्रायोजक बैंकों को अधिकार दिया है कि वे अपने प्रायोजक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति पर समय-समय पर निगरानी रखें और उनका निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण, और उनकी संवीक्षा करवायें तथा जहां आवश्यक हो वहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुधारात्मक उपाय सुझाएं।

अनुसंधान और विकास निधि

2.122 राष्ट्रीय बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को तकनीकी निगरानी और मूल्यांकन कक्षों की स्थापना करने के लिए अनुसंधान और विकास निधि में अपना योगदान जारी रखा। इन कक्षों का उद्देश्य परियोजना ऋण प्रणाली के अंतर्गत योजनाएं तैयार करना और उनका मूल्यांकन करना है। इस संबंध में योजना का लाभ 196 पात्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से केवल 65 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने उठाया है। इस योजना में वेतन और भत्ते आदि के रूप में प्रतिवर्ष एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता शामिल है। यह सहायता 5 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम 4 तकनीकी अधिकारियों के लिए दी जायेगी। 5 वर्ष की अवधि बीत जाने पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तकनीकी निगरानी और मूल्यांकन कक्षों की लागत अपने ही स्रोतों से पूरी करनी होगी। यह महसूस किया गया कि उपर्युक्त शर्त के कारण अनेक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस योजना में शामिल होने में हिचकिचा रहे हैं। अत: शीघ्र ही वित्तीय सहायता की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिये जाने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण की आपूर्ति की समीक्षा करने के लिए कार्रकारी दल

2.123 उच्च अधिकार प्राप्त स्थायी समिति द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल ने ''ग्रामीण क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण की आपूर्ति'' पर अपनी रिपोर्ट पहली जुलाई 1988 को प्रस्तुत कर दी है। रिज़र्व बैंक की उच्च अधिकार प्राप्त स्थायी समिति ने 3 सितंबर 1988 को आयोजित अपनी पांचवीं बैठक में उक्त रिपोर्ट पर विचार किया। कार्यकारी दल की सिफारिशों पर नाबार्ड/भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

कृषि ऋण पुनरीक्षण समिति

2.124 वरिष्ठ विशेषज्ञ दल का नया नाम इस प्रकार है– कृषि ऋण पुनरीक्षण समिति। इस समिति ने मार्च 1989 में भारतीय रिज़र्व बैंक को अपनी ड्राफ्ट (अंतिम) रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा इस रिपोर्ट की सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है। विस्तृत अध्ययन करने के लिए पांच परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया था। उन्होंने भी अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। दिनांक 30 सितंबर 1989 को अंतिम रिपोर्ट कृषि ऋण पुनरीक्षण समिति को प्रस्तुत कर दी गयी है।

RRBs has been raised from Rs. 1 crore to Rs. 5 crores and the paid-up share capital from Rs. 25 lakhs to Rs. 1 crore, (ii) The chairman of an RRB is to be appointed by the concerned sponsor bank in consultation with the National Bank, (iii) The sponsor banks have been given greater responsibilities in respect of the functioning of the RRBs; they are to aid and assist the RRBs in greater measure by imparting training to the personnel and providing necessary managerial and financial assistance to the RRBs during the first five years of their functioning, (iv) A provision also has been made in the Act for amalgamation of the RRBs. Amalgamation can be done between two or more RRBs after consultation with the National Bank, concerned State Government and sponsor bank. (v) The sponsor banks have also been empowered to monitor the progress of their sponsored RRBs from time to time and also to cause inspection, internal audit and scrutiny and to suggest necessary corrective measures.

R&D Fund

2.122 The National Bank continues to offer assistance to RRBs from its R&D Fund for setting up Technical Monitoring and Evaluation (TME) cells for preparation and evaluation of schemes under project lending. At present only 65 out of 196 eligible RRBs have taken advantage of the scheme. The scheme involves financial assistance of Rs. 1 lakh per year by way of pay, allowances, etc., for a maximum of 4 Technical Officers for a period of 5 years. After the lapse of 5 years, the RRBs are to meet the cost of the TME cells out of their own resources. It is felt that because of the above-mentioned condition, many RRBs are hesitant in joining the scheme. It is proposed to increase the period of availability of financial assistance from 5 to 10 years.

Working Group to Review the Flow of Institutional Credit for Rural Sector

2.123 The Working Group appointed by the High Level Standing Committee submitted its report on 'Flow of Institutional Credit for Rural Sector' on July 1, 1988. The report was considered by the High Level Standing Committee of the Reserve Bank at its fifth meeting held on September 3, 1988. Follow-up action on the recommendations of the Working Group is being taken by NABARD/GOI/ RBI.

Agricultural Credit Review Committee

2.124 The Senior Expert Group, since renamed the Agricultural Credit Review Committee (ACRC) submitted to the Reserve Bank of India its draft (final) report in March 1989 and the final report in September 1989. The five consultants appointed for conducting detailed studies have also submitted their final reports. The Reserve Bank and Government of India are examining its recommendations.

10. ऋण अनुशासन

ऋण निगरानी व्यवस्था

2.125 गत वर्ष की रिपोर्ट में बैंकों दारा स्वीकृत कार्य शील पूंजी ऋण सीमाओं/मीयादी ऋणों की स्वीकृति के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करने की पद्धति को 10 अक्तूबर 1988 से वापस लेने की चर्चा पहले ही की गयी थी। इस आहरण के औचित्य को और इसे पूर्व प्राधिकरण पद्धति को उत्तर स्वीकृति संवीक्षा पद्धति द्वारा जिसे ऋण निगरानी व्यवस्था कहा जाता है, प्रतिस्थापित करने के लिए इस रिपोर्ट के पूर्ववर्ती खण्ड में स्पष्ट किया जा चुका है। इसे सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत अनुशासन का पालन किया जा रहा है। यह निर्णय लिया गया है कि 5 करोड़ रुपये से अधिक की कुल कार्यशील पूंजी की मंजूरी संबंधी बैंकिंग प्रणाली के समस्त प्रस्तावों पर रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृति पश्चात् समीक्षा की जाएगी। जहां तक मीयादी ऋण का प्रश्न है, यह निर्णय लिया गया कि उन समस्त प्रस्तावों पर जिनमें बैंकिंग प्रणाली के शेयर 2 करोड़ से अधिक हैं, अब इसके बाद स्वीकृति पश्चात् समीक्षा की जाएगी।

2.126 बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि उकारकर्ताओं को ऋण देने के मामले में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और कार्यशील पूंजी की मांगों का मूल्यांकन बैंकों द्वारा निम्नलिखित आधारभूत वित्तीय अनुशासनों के अनुरूप होना चाहिए :- (i)बिक्री, प्रमाण चालू आस्तियों, चालू देयताओं, (बैंक उधारों के अलावा) और शुद्ध कार्यशील पूंजी से संबंधित अनुमानों/प्रक्षेपणों का औचित्य। (ii) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गत मान दण्डों के अनुरूप चालू आस्तियों और चालू देयताओं का वर्गीकरण (iii) न्यूनतम अनुपात 1 : 33 : 1 (केवल कुछ छूट प्राप्त वर्गों को छोड़कर) का अनुरक्षण (iv) तिमाही प्रवर्तन विवरण का त्वरित प्रस्तुतीकरण और (v) उधारकर्ता द्वारा इस आशय का वचन कि वे अपने वार्षिक लेखा तुरंत प्रस्तुत करेंगे और बैंक द्वारा नियमित वार्षिक समीक्षा, उन मामलों पर भी की जाएगी जहां ऋण-सीमा बढ़ाने की बात न हो।

2.127 बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत किये गये मीयादी ऋण, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुरूप होने चाहिए और मीयादी ऋण, ऋण या गारंटी/स्वीकृतियों के रूप में मूलभूत कार्यकलापों के लिए होने चाहिए जो सामान्य तथा बज़ट संसाधनों से वित्त पोषित होते हैं।

2.128 बैंको से अभिवेदन प्राप्त हुए हैं कि त्रैमासिक सूचना पद्धति के अंतर्गत निर्यातक उधारकर्ताओं और ऋण/कमज़ोर यूनिटों के संबंध में जमा किये जाने वाले विवरण में विलम्ब के संबंध में निर्धारित दण्ड को माफ किया जाना चाहिए। इस बात पर सहमति प्रकट की गयी है कि बैंकों को, रुग्ण इकाइयों से जो बंद थीं, और राजनीतिक विप्लवों, दंगों, प्राकृतिक आपदाओं आदि से प्रभावित उधारकर्ताओं आदि से दण्ड स्वरूप लिए जानेवाले ब्याज को मामले की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए माफ कर देना चाहिए।

2.129 आयकर, चुंगीकर और विद्युत प्रभारों के रूप में कुछ विवादग्रस्त देयताएँ जो आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रतीत होती हैं या बैलेंस शीट की टिप्पणियां जो चालू देयताओं के रूप में प्रतीत होती हैं, के मामलों का पुनरीक्षण किया गया है और बैंकों को सूचित किया गया है कि वे उक्त देयताओं को

10. Credit Discipline

Credit Monitoring Arrangement (CMA)

2.125 A reference was already made in the previous year's Report regarding withdrawal of the system of prior authorisation by the Reserve Bank for sanction of working capital credit limits/term loans sanctioned by banks with effect from October 10, 1988. The rationale for this withdrawal and that for replacing the system of prior authorisation by a system of post-sanction scrutiny called the Credit Monitoring Arrangement have been explained in an earlier section of this Report. To ensure that the basic disciplines are being observed, it was decided that all proposals involving sanction of aggregate working capital limits exceeding Rs. 5 crores from the banking system would be subject to post-sanction scrutiny by the Reserve Bank. As far as term loans are concerned, it was decided that all proposals in which the share of the banking system exceeded Rs. 2 crores would hereafter be subjected to post-sanction scrutiny.

2.126 Banks were also advised that there was no change in the criteria of lending to borrowers and the assessment of the working capital requirements by banks should be in conformity with the following basic financial disciplines : (i) reasonableness of estimates/projection in regard to sales, chargeable current assets, current liabilities (other than bank borrowings) and net working capital, (ii) classification of current assets and current liabilities in conformity with the guidelines issued by the Reserve Bank, (iii) maintenance of minimum current ratio of 1.33 : 1 (except in certain exempted categories); (iv) prompt submission of quarterly operation statements; and (v) an undertaking by the borrower to submit his annual accounts promptly and regular annual review of the limits by the bank, even where no enhancement in credit limits is involved.

2.127 Banks were also advised that term loans granted to industrial units should be in consonance with the priorities laid down by the Government of India and that term credit, either as loan or as guarantee/acceptances, should not be provided for infrastructural activities financed from budgetary sources.

2.128 Representations had been received form banks that the penalty for default in submission of the statements under the quarterly information system should be waived in respect of exporter-borrowers and sick/weak units. It has been agreed that banks may exempt sick units which remain closed and borrowers affected by political disturbances, riots, natural calamities, etc. from payment of penal interest on the merits of the case.

2.129 The treatment of certain disputed liabilities by way of income-tax, customs duty and electricity charges appearing as contingent liabilities or notes to the balance sheet as current liabilities has been reviewed and banks have been advised that such

सिर्फ उपबंधित सीमा तक छोड़कर अनुमत बैंक वित्त का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए चालू देयताएं न मानें। तथापि, बैंकों को सावधान किया गया है कि वे पूरी निगरानी रखें और सुनिश्चित करें कि उधारकर्ता उत्पन्न देयताओं को पूरा करने की स्थिति में हों और बैंकों को उन्हें पूरा करने के लिए न कहा जाए।

ऋण प्राधिकरण योजना की कार्यपद्धति

2.130 ऋण प्राधिकरण योजना ऋण निगरानी व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित ऋण सीमाओं के साथ पार्टियों की संख्या मार्च 1989 में बढ़कर 931 हो गयी जबकि यह मार्च 1988 के अंत में 712 थी। मार्च 1988 के अंत में 20,936 करोड़ रुपये की तुलना में मार्च 1989 के अंत में 931 पार्टियों से संबंधित प्रचलित सकल सीमाओं की राशि 22,897 करोड़ रुपये की थी। मार्च 1989 के अंत में कुल सीमाओं में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का हिस्सा 11,106 करोड़ रुपये अर्थात् कुल राशि का 48.5 प्रतिशत था।

2.131 मार्च 1989 के अंत में प्रचलित सकल सीमाओं का हिस्सा कार्यशील पूंजी के प्रयोजनों के लिए 92.7 प्रतिशत (बैंकिंग ऋण, अंतर्देशीय और विदेशी बिलों सहित) मीयादी वित्त के लिए 6.3 प्रतिशत तथा आस्थगित भुगतान के आधार पर मशीनरी की बिक्री के लिए 1.0 प्रतिशत था।

2.132 21,223 करोड़ रुपये की कुल कार्यशील पूंजी सीमाओं की गतिविधि-वार इंजीनियरिंग उद्योग का हिस्सा 16.9 प्रतिशत था तथा उसके बाद रसायन एवं रासायनिक उत्पाद के विनिर्माण (14.0 प्रतिशत), सूती वस्त्र (6.9 प्रतिशत), और मूलधातु एवं धातु उत्पाद (5.7 प्रतिशत) का स्थान था। समग्र रूप से उद्योग को स्वीकृत कुल कार्यशीन पूंजी सीमाएँ 15.705 करोड़ रुपये अर्थात् कुल राशि का 74.0 प्रतिशत थीं। सरकारी क्षेत्र से संबंधित 10,476 करोड़ रुपये की प्रचलित कार्यशील पूंजी सीमाओं में व्यापार की राशि 41.6 प्रतिशत (कुलयोग में खाद्यान्नों की वसूली का हिस्सा 21.4 प्रतिशत और उर्वरक वितरण का हिस्सा 8.5 प्रतिशत था), उर्वरक (उत्पादन) 11.2 प्रतिशत, इंजीनीयरिंग उद्योग 11.7 प्रतिशत, पेट्रोलियम उद्योग 6.0 प्रतिशत और मूल धातु और धातु उत्पादन के लिए 6.2 प्रतिशत एवं बिजली के उत्पादन और वितरण के लिए 3.2 प्रतिशत थी।

वस्तु-सूची/प्राप्यों से संबंधित मानदण्डों का पुनरीक्षण

2.133 निदेश समिति की सिफारिशों पर आधारित स्पेयर्स के लिए पुनरीक्षित मानदण्ड बैंकों को दिसम्बर 1988 में भेजे गये जिसमें उन्हें वस्तु सूची के एक हिस्से के रूप में रखने की अपेक्षा उपभोग के स्तर पर स्थिर रखने का निदेश दिया गया।

उर्वरक उद्योग

2.134 उर्वरक उद्योगों के लिए संस्थागत वित्त के वास्ते स्थायी समिति ने एक उपदल का गठन, उर्वरक उद्योग के लिए प्राप्य और वस्तु सूची संबंधी मानदण्डों पर पुनः विचार करने के लिए किया। इसके अतिरिक्त, उपदल को उर्वरक उद्योग द्वारा महसूस की जा रही निर्धारित बिलों के अनुशासन संबंधी विशिष्ट समस्याओं पर भी विचार करना था। उपदल ने अपनी रिपोर्ट 21 जुलाई 1989 को प्रस्तुत की।

liabilities need not be treated as current liabilities for the purpose of arriving at permissible bank finance except to the extent provided for. Banks have, however, been cautioned to keep a close watch to ensure that borrowers would be in a position to meet the liabilities as they accrue and banks would not be called upon to meet them.

Working of CAS

2.130 The number of parties with credit limits stipulated under CAS/CMA increased to 931 by the end of March 1989 from 712 at the end of March 1988. The total limits in force relating to 931 parties amounted to Rs. 22,897 crores at the end of March 1989 as compared with Rs. 20,936 crores as at the end of March 1988. The share of public sector undertakings in the total limits at the end of March 1989 was Rs. 11,106 crores, i.e., 48.5 per cent of the total.

2.131 Of the total limits in force at the end of March 1989, 92.7 per cent was for working capital purposes (including packing credit, inland and foreign bills), 6.3 per cent for term finance and 1.0 per cent for sale of machinery on deferred payment basis.

2.132 Activity-wise, of the total working capital limits of Rs. 21,223 crores, the share of engineering industry was 16.9 per cent, followed by manufacture of chemical and chemical products (14.0 per cent), cotton textiles (6.9 per cent) and basic metal and metal products (5.7 per cent). Aggregate working capital limits sanctioned to industry as a whole accounted for Rs. 15,705 crores, i.e., 74.0 per cent of the total. Working capital limits of Rs. 10,476 crores were in force in respect of public sector, of which trade accounted for 41.6 per cent (the share of food procurement being 21.4 per cent and that of fertiliser distribution 8.5 per cent of the total), 11.2 per cent for fertiliser production, 11.7 per cent for engineering industry, 6.0 per cent for petroleum industry, 6.2 per cent for basic metal and metal products and 3.2 per cent for generation and distribution of electricity.

Revision of Inventory/Receivable Norms

Norms for Spares

2.133 Based on the recommendations of the Committee of Direction (COD), revised norms for spares were advised to banks in December 1988 relating the same to the level of consumption instead of as a portion of inventories.

Fertilizers Industry

2.134 The Standing Committee for Institutional Finance for the Fertilizer Industry, constituted a Sub-Group to take a fresh look at the receivable and inventory norms for the fertilizer industry. In addition, the Sub-Group was to look into special problems, if any, faced by the fertilizer industry in relation to the prescribed bills discipline. They submitted its report on July 31, 1989.

वस्त्र उद्योग

2.135 यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम और राज्य वस्त्र निगमों की उन वस्त्र यूनिटों के लिए जिन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/अन्य वित्तीय संस्थाओं के आधुनिकीकरण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की है, ऋण देने की पद्धति I के अंतर्गत राष्ट्रीय वस्त्र निगम के लिए कार्यशील पूंजी सीमा के मूल्यांकन लाभ को एक वर्ष की अस्थायी अवधि के लिए बढ़ा दिया जाय। वस्त्र उद्योग में फैली मंदी की स्थिति के कारण और तैयार मालों के इकट्ठा होने और विस्तृत प्राप्यों के कारण जुलाई 1989 में यह निर्णय लिया गया था कि तैयार मालों और प्राप्यों के अन्तर्गत 3 माह के सामान्य मानदण्ड के बदले उसे एक वर्ष की अवधि के लिए $3^1/_2$ माह करने के प्रश्न पर विचार किया जाए। यह बाद में जून 1989 तक के लिए बढ़ाया गया। अब यह जून 1990 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

कागज उद्योग

2.136 कागज़ उद्योग के संबंध में कार्यशील पूंजी मूल्यांकन टंडन समिति द्वारा अनुशंसित, अन्य बातों के साथ-साथ, वस्तुसूची और प्राप्यों के लिए मानदण्डों के आधार पर किया जा रहा था। निदेश समिति की उप समिति द्वारा उपर्युक्त मानदंडों की समीक्षा की गयी और इन अनुशंसाओं के आलोक में कागज उद्योग के लिए वर्तमान मानदंडों का उचित रूप से दिसम्बर 1988 में निम्नलिखित रूप से संशोधन किया गया :–

क्रमांक	मद	संशोधित मानदंड
1.	2.	3.
I.	**कच्चा माल**	
	अ. आयातित	
	(i) लुगदी, रद्दी कागज, कागज के कटे हुए टुकड़े आदि	4 माह
	(ii) फेल्ट और वायर	6 माह
	आ. देशी	
	(i) (क) बाँस, लकड़ी, खोई और पुआल आदि	6 माह
	(ख) रद्दी कागज, चिथड़े, सीसे आदि	3 माह
	(ii) रसायन	2 माह
	(iii) कोयला	2 माह (+2 माह उन मिलों के लिए, जो कच्चे माल के रूप में खोई का प्रयोग कर रही हैं)
	(iv) फेल्ट और वायर	3 माह
II.	**अभिसंस्करणगत स्टॉक**	7 दिन
III.	**तैयार माल**	1 माह ⎫ संयुक्त स्तर
IV.	**प्राप्य वस्तुएँ**	2 माह ⎭ 2 माह

टिप्पणी : * उन कागज यूनिटों के लिए जो कच्चे माल के रूप में उपयोग करने के लिए चीनी मिलों से खोई प्राप्त करने के लिए उन्हें (चीनी मिलों को) कोयले की आपूर्ति कर रही हों, अतिरिक्त स्तर।

आटा-चक्की मिल उद्योग

2.137 आटा-चक्की मिलों की वस्तु सूची और प्राप्यों के लिए मानदण्डों से पहले दिसम्बर 1987 में

Textile Industry

2.135 It was decided to extend to the National Textile Corporation for a temporary period of one year the benefit of assessing working capital limits under Method I of lending in the case of those textile units of NTC and State Textile Corporations which have availed of financial assistance for modernisation, etc., from IDBI/other financial institutions. Due to the recessionary conditions prevailing in the textile industry and the consequent accumulation of finished goods and extended receivables, it was decided in July 1987 to consider a level of upto $3^1/_2$ months as against the usual norm of 3 months under finished goods and receivables, for a period of one year, which was later extended upto June 1989. It has now been further extended upto June 1990.

Paper Industry

2.136 The working capital assessment in respect of paper industry was being made *inter alia* on the basis of norms for inventory and receivables recommended by the Tandon Committee. The aforesaid norms were reviewed by a Sub-Committee of the Committee of Direction (COD) and in the light of its recommendations, the existing norms for paper industry were suitably revised in December 1988 as follows :

Sr. No.	Item	Revised norms
1.	2.	3.
I.	**Raw materials**	
	A. Imported	
	(i) Pulp, waste paper, paper cuttings, etc.	4 months
	(ii) Felts and Wires	6 months
	B. Indigenous	
	(i) (a) Bamboo, wood, bagasse and straw etc.	6 months
	(b) Waste paper, rags, leads etc.	3 months
	(ii) Chemicals	2 months
	(iii) Coal	*(+2 months for mills using bagasse as raw material)
	(iv) Felts and Wires	3 months
II.	**Stock-in-Process**	7 days
III.	**Finished goods**	1 month } Combined level
IV.	**Receivables**	2 months } 2 months

Note : * Additional level for those paper units which are supplying coal to the sugar mills for procuring bagasse from the latter for using as raw material.

Flour Mills Industry

2.137 The norms for inventory and receivables for flour mills were earlier stipulated in December 1987. However, in view of changes in the market conditions since

अनुबद्ध किये गये थे। तथापि, तब से बाज़ार की स्थितियों में परिवर्तन को मद्देनज़र रखते हुए निम्नांकित मदों के लिए, बैंकों को नवम्बर 1988 में पुनरीक्षित मानदंड सूचित किए गये।

मद	वर्तमान मानदंड	पुनरीक्षित मानदंड
1.	2.	3.
i) कच्चा माल	1/2 माह	1 माह
ii) प्राप्य	1/4 माह	1 माह

हीरा उद्योग

2.138 जहां तक हीरा उद्योग का प्रश्न है, नवंबर 1987 में निर्धारित वस्तु-सूचि और प्राप्यों से सम्बंधित मानदण्डों को निम्नांकित रूप मे अशोधित किये गये।

मद	6 नवंबर 1987 को निर्धारित मानदंड	6 अक्तूबर 1988 से प्रभारी पुनरीक्षण मानदंड
1.	2.	3.
(क) **वस्तु सूची** (प्रक्रियांतर्गत स्टाक सहित)	2.5 माह की खपत	3.5 माह की खपत
तैयार वस्तुएँ	बिक्री की 1 (एक माह) की लागत	बिक्री की 1.5 माह की लागत
	3.5 माह	5.0 माह
(ख) प्राप्य	2.5 माह कीर बिक्री	3 माह की बिक्री

2.139 वस्तु सूची के लिए 5 माह के पुनरीक्षित मानदण्ड में दृश्य धारको के मामले में अपरिष्कृत हीरे की प्राप्ति 15 दिनों की मार्गस्थ अवधि भी शामिल है। अदृश्य धारकों के मामले में लागू मानदंड अधिक से अधिक 4.5 माह तक घटाया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत सामान्य प्रक्रिया चक्र को पूरा किया जाना चाहिए। हीरा व्यापार कार्यप्रणाली के अनुसार कार्य पूरा होने के पश्चात ही प्रक्रिया के लिए मंजदूरी देनी होती है, कच्चे मालों की कीमत के आधार पर ही प्रक्रिया के अंतर्गत स्टॉक का मूल्य आँकना चाहिए। पुनरीक्षित मार्गदर्शी सिद्धांत हीरा निर्यातकों की मांग पर आश्रित समीक्षा के शर्त के साथ एक वर्ष के लिए अर्थात् सितंबर 1989 के अंत तक लागू रहेंगे।

पेराई मौसम 1988-89 के लिए चीनी उद्योगों को अग्रिम

2.140 29 सितम्बर 1988 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया गया कि वे 1888-89 पेराई मौसम (अक्तूबर-सितंबर) के लिए चीनी मिलों को रिज़र्व बैंक से पहले प्राधिकार प्राप्त किए बिना (अस्थायी अधिक आहरण को छोड़कर) विगत मौसम के दौरान उपर्युक्त अधिकतम राशि की 115% तक की आवश्यकता पर आधारित ऋण सीमाओं की स्वीकृति प्रदान करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे 7 नवंबर 1988 से चीनी मिलों को इनकी गुणवत्ता पर गैर-जमानती ऋण स्वीकृत करें ताकि वे संयंत्र और मशीनरी में मौसमी दोषों को दूर कर सकें और यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व प्राधिकार प्राप्त किये बिना प्रति यूनिट 25 लाख रुपयों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

then, revised norms for the following items were advised to banks in November 1988 :

Item	Existing Norms	Revised Norms
1.	2.	3.
i) Raw materials	1/2 months	1 month
ii) Receivables	1/4 month	1 month

Diamond Industry

2.138 As regards the diamond industry the norms for inventory and receivables prescribed in November 1987, were modified as follows :

Item	Norms prescribed on November 6, 1987	Revised Norms effective from October 6, 1988
1.	2.	3.
(A) Inventory		
Raw Materials (including stock-in-process)	2.5 months consumption	3.5 months consumption
Finished Goods	1 month's cost of sales	1.5 months' cost of sales
	3.5 months	5.0 months
(B) Receivables	2.5 months' sales	3 months' sales

2.139 The revised norm of 5 months for inventory is inclusive of the transit period of 15 days for receipt of rough diamonds in the case of sight-holders. In the case of non-sight holders, the norms applicable should be reduced to a maximum of 4.5 months within which the normal processing cycle should be completed. As the practice in diamond trade is to pay labour charges for processing after the job is executed, stock-in-process should be valued on the basis of cost of raw materials only. The revised guidelines will remain in force for one year, i.e., till the end of September 1989, subject to review.

Advances to Sugar Industry for 1988-89 Crushing Season

2.140 Scheduled commercial banks were advised on September 29, 1988 to sanction to sugar mills for the 1988-89 crushing season (October-September), need-based credit limits upto 115 per cent of the maximum amount availed during the previous season (excluding temporary excess drawings) without obtaining the Reserve Bank's prior authorisation. Effective November 7, 1988, banks were also advised to sanction on merits clean loans to sugar mills for meeting off-season repairs to plant and machinery for amounts not exceeding Rs. 25 lakhs per unit without obtaining the Reserve Bank's prior authorisation.

चूक उधारकर्ताओं पर वित्तीय अनुशासन लागू करने के उपाय

2.141 अखिल भारतीय या राज्य स्तरों पर अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप से या उन्हें छोड़कर चूककर्ता कम्पनियों के वर्तमान यूनिटों के विस्तार या नयी परियोजनाओ के लिए नये मीयादी वित्त आस्थागित भुगतान गारंटी सहित की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्रों पर विचार करने संबंधी बैंकों को दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करते हुए बैंकों को पुनः सूचित किया गया कि इस सीमित प्रयोजन के लिए आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड को भी मीयादी ऋण देने वाली संस्था समझी जाए। तद्नुसार ऐसी पार्टियाँ जिन्होंने आवास और शहरी विकास निगम के साथ चूक की है कि नये मीयादी ऋण आस्थागित भुगतान गारंटी आदि की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र पर विचार करते समय अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ की गयी चूक के समान समझना चाहिए।

ऋण प्रदान विषयक अनुशासन/त्रैमासिक सूचना प्रणाली

2.142 रिज़र्व बैंक ऋण प्रदान करने संबंधी अनुशासन में त्रैमासिक सूचना प्रणाली के महत्व को तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दोहराता आ रहा है कि बैंकिंग तंत्र के 50 लाख रुपये तथा उससे अधिक की कार्यशील पूंजी संबंधी सीमाओं का लाभ उठाने वाले उधारकर्ता निर्धारित अपेक्षाओं का पालन करते हैं। अगस्त 1988 में बैंकों को स्पष्ट कर दिया गया था कि उधारकर्ताओं द्वारा त्रैमासिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित विवरण जमा न करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज के साथ-साथ बैंकों से दण्डात्मक/अतिरिक्त ब्याज भी वसूल किये जाएँगे किन्तु यह इस शर्त के साथ होगी कि किसी भी हालत में कुल दण्डात्मक/अतिरिक्त दरें रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा दर से 2 प्रतिशत वार्षिक से अधिक न हो।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा मीयादी ऋण प्रदान करना

2.143 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मीयादी ऋण संबंधी आंकड़े दिसंबर 1986 के अंतिम शुक्रवार (सारणी II.37) तक उपलब्ध हैं। मीयादी ऋण खातों की संख्या दिसंबर 1985 से दिसंबर 1986 के अंत

सारणी II.37 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा मीयादी ऋण

(करोड़ रुपये)

निम्नलिखित के अंतिम शुक्रवार को	खातों की संख्या		ऋण सीमा		बकाया राशि		खाद्येतर बैंक ऋण	स्तम्भ 5 और 7 का प्रतिशत
	मीयादी ऋण	सभी खातों का जोड़	मीयादी ऋण	कुल बैंक ऋण	मीयादी ऋण	कुल बैंक ऋण		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
दिसम्बर 1984	7,32,810 (54.6)	13,41,118	13,688 (28.2)	48,558	10,444 (28.3)	36,873	31,245	33.4
दिसम्बर 1985	8,80,519 (56.9)	15,48,625	15,214 (28.7)	53,051	12,323 (30.1)	40,992	34,907	35.3
दिसम्बर 1986	9,72,773 (56.9)	17,10,429	15,343 (26.5)	57,885	12,474 (26.9)	46,287	40,698	30.7

टिप्पणी : 1. आँकड़े 25,000 रुपये से उपर की ऋण सीमा वाले खातों से संबंधित हैं।
2. कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े प्रत्येक मद के अन्तर्गत कुल मीयादी ऋणों का प्रतिशत है।
3. 1986 के लिए आँकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : बैंकिंग सांख्यिकी रिपोर्ट : सर्वेक्षण, बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग, सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग।

Measures to Enforce Financial Discipline on Defaulting Borrowers

2.141 Following instructions to banks not to consider applications for sanction of fresh term finance including Deferred Payment Guarantees (DPGs) for new projects or expansion of existing units of defaulting companies, either exclusively or jointly with other banks/financial institutions at all-India or State levels, banks were further advised that for this limited purpose Housing and Urban Development Corporation Ltd., (HUDCO) also should be considered as a term lending institution. Accordingly, parties having committed defaults to HUDCO should be treated on par with those having committed defaults to other financial institutions while considering their applications for sanction of fresh term loans, DPGs, etc.

Lending Discipline — Quarterly Information System (QIS)

2.142 The Reserve Bank has been reiterating the importance of Quarterly Information System (QIS) in the lending discipline and the need to ensure that borrowers enjoying working capital limits of Rs. 50 lakhs and over from the banking system comply with the prescribed requirements. It was clarified to banks in August 1988, that penal/additional interest to be charged by banks, including that prescribed by the Reserve Bank of India for non-submission of returns prescribed under the Quarterly Information System (QIS) by the borrowers, should be subject to the condition that under no circumstances the aggregate penal/additional rates should exceed 2 per cent per annum over the ceiling rates prescribed by the Reserve Bank.

Term Lending by Scheduled Commercial Banks

2.143 Data on term loans of scheduled commercial banks are available upto the last Friday of December 1986 (Table II.37). Between end-December 1985 and 1986, the

Table II.37 : Term Lending by Scheduled Commercial Banks

(Rs. Crores)

As on last Friday of	Number of Accounts		Credit Limit		Amount outstanding		Non-Food Bank Credit	Percentage of column 6 to column 8
	Term Loans	Total of all accounts	Term loans	Total Bank Credit	Term loans	Total Bank Credit		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
December 1984	7,32,810 (54.6)	13,41,118	13,688 (28.2)	48,558	10,444 (28.3)	36,873	31,245	33.4
December 1985	8,80,519 (56.9)	15,48,625	15,214 (28.7)	53,051	12,323 (30.1)	40,992	34,907	35.3
December 1986	9,72,773 (56.9)	17,10,429	15,343 (26.5)	57,885	12,474 (26.9)	46,287	40,698	30.7

Note : 1. Data relate to accounts with credit limit over Rs.25,000 each.
2. Figures in brackets indicate percentage of term loans to total under each item.
3. Data for 1986 are provisional.

Source : BSR-1, Survey, Banking Statistics Division, Department of Statistical Analysis & Computer Services, RBI.

में 92,000 से बढ़कर 9,73,000 हो गयी। मीयादी ऋण के अंतर्गत ऋण सीमा दिसंबर 1986 के अंतिम शुक्रवार को कुल 15,343 करोड़ रुपये थी जबकि यह एक वर्ष पूर्ण 15.241 करोड़ रुपये थी। बकाया मीयादी ऋण की राशि 151 करोड़ से बढ़कर 12,474 करोड़ रुपये हो गयी। बकाया मीयादी ऋण की राशि दिसंबर 1986 के अंत में खाद्येतर बकाया बैंक ऋण का लगभग 30.7 प्रतिशत थी जबकि यह एक वर्ष पूर्व 35.3 प्रतिशत थी।

2.144 मीयादी ऋण अग्रिमों के एक नये वर्ग या यथा बंजर भूमि विकास को ''कृषि'' के अंतर्गत शामिल किया गया था। इस वर्ग के अंतर्गत विभिन्न उधारकर्ताओं के लिए उधार की ब्याज दर निम्नांकित रूप से निर्धारित थी :-

निम्नलिखित द्वारा बंजर भूमि विकास	वार्षिक प्रतिशत
(क) व्यक्तिगत या व्यक्तियों के समूह यथा सहकारिताएँ	10.00
(ख) कम्पनी और अन्य उधारकर्ता	12.00

निदेश समिति

2.145 वर्ष 1988-89 के दौरान निदेश समिति की एक बैठक हुई उसमें कागज उद्योग के लिए वस्तुसूची/प्राप्यों के वास्ते मानदंडों को पुनरीक्षित करने के लिए गठित उप समिति की रिपोर्ट पर विचार किया। फालतु वस्तुओं के लिए भी निदेश समिति ने मानदण्डों पर विचार किया। निदेश समिति के दो उपसमितियों का गठन किया जिनमें पहली उप समिति स्टाकों पर वित्त पोषण की प्रक्रिया में पुनरीक्षण के लिए है और दूसरी ऋण प्राधिकरण योजना के आँकड़ों के आधार के पुनरीक्षण के लिए है।

चीनी उद्योगों के लिए स्थायी समिति

2.146 ऋण अपेक्षाओं और चीनी उद्योगों से संबंधित मामलों पर समन्वित दृष्टिकोण रखने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान चीनी उद्योगों को प्रभावित करने वाले विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए समिति की दो बार बैठकें हुईं।

चाय उद्योग के लिए स्थायी समिति

2.147 समिति की सातवीं बैठक जुलाई 1988 में हुई। बड़े वित्त पोषक बैंकों, चाय उद्योग, चाय बोर्ड, नाबार्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रतिनिधियों/अधिकारियों ने विचार विमर्श में भाग लिया। चाय उद्योग के वित्तपोषण से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श किया गया। यह निर्णय लिया गया कि चाय उद्योग में बड़े उधारकर्ताओं के वित्त पोषण के लिए नकद बज़ट व्यवस्था को कुछ संशोधनों के साथ ज़ारी किया जाए।

संघीय सहायता के आधार पर बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की एकल गवाक्षीय संकल्पना

2.148 नित्य प्रति संवितरण और वसूली के लिए ''एकल गवाक्षीय'' दृष्टिकोण के अनुसरण में सामना की जाने वाली कठिनाइयों पर विचार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक और वाणिज्य बैंकों के

number of term loans accounts increased by about 92,000 to 9,73,000. Credit limits under term loans aggregated Rs. 15,343 crores as on the last Friday of December 1986 as compared to Rs. 15,214 crores a year earlier. Outstanding term loans rose by Rs. 151 crores to Rs. 12,474 crores. Outstanding term loans formed about 30.7 per cent of outstanding non-food bank credit as at the end of December 1986, as against 35.3 per cent a year earlier.

2.144 A fresh category of term loan advances viz., Wastelands Development was included under 'Agricluture'. Lending rates of interest for different borrowers under this category were prescribed as under :

Wastelands Development by	Per cent per annum
(a) Individuals or group of individuals such as co-operatives	10.00
(b) Corporate and other borrowers	12.50

Committee of Direction (COD)

2.145 The Committee of Direction met once during 1988-89 and considered the report of the Sub-Committee set up to revise norms for inventory/receivables for the paper industry. The COD also considered norms for spares. The COD has appointed two Sub-Committees—one to review the procedure for financing against stocks and the other for revision of CAS data base.

Standing Committee for Sugar Industry

2.146 This Committee has been set up to take co-ordinated view on credit requirements and related issues of the sugar industry. During the year under review, the committee met twice to discuss various problems affecting the sugar industry.

Standing Commitee for Tea Industry

2.147 The seventh meeting of this Committee was held in July 1988. Representatives/officials from major financing banks, tea industry, Tea Board, National Bank and RBI participated in the discussions. Various issues relating to financing of tea industry were discussed. It was decided to continue with certain modifications the cash budget system for financing large borrowers in the tea industry.

Single Window Concept for Lending (SWCL) by Banks on Consortium Advances

2.148 The Committee comprising officials from the Reserve Bank and commercial banks set up to examine the difficulties encountered in following the 'Single Window' approach for day-to-day disbursements and recoveries, recommended that the approach be adopted only for documentation and first disbursement. In pursuance of the

अधिकारियों के साथ गठित समिति ने सिर्फ प्रलेखीकरण और प्रथम संवितरण के लिए एकल गवाक्षीय दृष्टिकोण की संकल्पना को लागू करने की सिफारिश की। समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसरण में इन पक्षों पर बैंकों के लिए अगस्त 1988 में अनुदेश जारी किये गये थे। तदनुसार सभी संघीय सहायता व्यवस्था में अग्रणी बैंक को सदस्य बैंकों से प्राधिकार पत्र लेना अपेक्षित है और उधारकर्ताओं की प्रारंभिक आवश्यकताओं को मुक्त करना तथा उनके शेयरों के संबंध में उनसे प्रतिपूर्ति प्राप्त करना चाहिए। प्रतिपूर्ति में एक सप्ताह से अधिक अवधि के विलम्ब होने की स्थिति में अग्रणी बैंक विलम्ब करने वाले बैंक से पूरी विलम्ब अवधि के लिए दण्ड स्वरूप 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अधिक लेने के पात्र होंगे। अग्रणी बैंक के साथ उधारकर्ता द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले प्रलेखों के एक सेट को जो भारतीय बैंक संघ की विधि समिति द्वारा तैयार किया गया है, अपनाने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है।

आढ़तिया सेवाओं पर अध्ययन दल

2.149 चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यह देखा गया है कि आढ़तिया सेवाओं का विस्तार उन उपायों में एक है जो बकाया राशियों की, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वसूली में सहायता प्रदान करता है, अतः बैंक ने जनवरी 1988 में, भारत में आढ़तिया संगठन(नों) को आरंभ करने की प्रक्रिया और संभावनाओं के परीक्षण के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया।

2.150 अध्ययन दल के लिए विचारणीय विषयों में, देश के अन्दर एक या अधिक आढ़तिया संगठनों की आवश्यकता और प्रक्रिया पर विचार करना, उनके गठन का स्वरूप तय करना तथा यह बताना कि वे सरकारी निजी, या संयुक्त क्षेत्र में हों, आढ़तिया व्यवसाय की उन्नति के लिए आढ़तिया सेवाओं के विकास की संभावनाएं तथा आढ़तिया सेवाओं से संबंधित अन्य मामले शामिल हैं। दल ने अपने रिपोर्ट जनवरी 1989 में जमा की। दल की सिफारिशें रिज़र्व बैंक द्वारा सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गयी हैं और आढ़तियां संगठनों ने गठन की रूपरेखा बनाया जा रही है।

2.151 अध्ययन दल द्वारा की गयी महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित हैं:-

(i) सभी संगत विषयों को ध्यान में रखते हुए दल ने अनुभव किया कि भारत में आढ़तियां सेवाएँ शुरू करने की पर्याप्त संभावनाएं हैं जो बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं की पूरक होंगी; (ii) दल की राय थी कि भारत में निर्यात-आढ़तिया सेवाओं की शुरूआत, निर्यातकों को सुविधाएं प्रदान करेंगी; (iii) जबकि आढ़तियां सेवाओं की मांग का परिमाण बताना संभव नहीं हो सका है, फिर भी यह मूल्यांकन किया जाता है कि इसकी मांग पर्याप्त रूप से बढ़ेगी जिससे आढ़तियां रोजगार दो/तीन वर्षों के अंदर व्यावसायिक दृष्टि से व्यावहारिक बन सकेगा; (iv) निर्यात के मामले में यह देखा गया है कि निर्यात उपकरणों के द्वारा अर्पित विभिन्न सेवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेंगी; (v) इस प्रयोजन से कि जोखिमों का संतुलित बटवारा हो, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों और सभी उद्योगों के लिए उपकरण की सेवाएँ उपलब्ध होनी चाहिए; (vi) उपकरणों द्वारा दी गयी सेवाओं का मूल्यनिर्धारण निधियों के लागत पर निर्भर करेगा। निधियों की लागत को यथासंभव कम करने के लिए निधियों के विभिन्न स्रोतों के बीच

recommendations made by the Committee, instructions were issued to banks in August 1988 on these aspects. Accordingly, the lead bank in all consortium arrangements is required to obtain a letter of authority from member banks and release the initial requirements of borrowers and thereafter obtain reimbursement from them in respect of their shares. In the event of a delay beyond a period of one week in effecting the reimbursement, the lead bank would be entitled to charge the delaying bank a penal interest of 2 per cent per annum for the entire period of delay. A single set of documents to be executed by the borrower with the lead bank has been drafted by the Legal Committee of the Indian Banks' Association and banks have been advised to adopt these documents.

Study Group on Factoring Services

2.149 As the extension of factoring services was perceived by the Reserve Bank to be one of the measures which could assist in expediting collection of dues by suppliers, it constituted, in January 1988, a Study Group under the chairmanship of Shri C.S. Kalyanasundaram to examine the feasibility and mechanics of starting factoring organisations in India.

2.150 The terms of reference for the Study Group included consideration of the need and scope for one or more factoring organisations in the country, the nature of their constitution, whether they should be in public, private or joint sector, the changes in legal framework that would be necessary for promoting factoring business, feasibility of extension of factoring services to exporters and other matters relating to factoring. The Group submitted its report in January 1989. The recommendations of the Group have since been accepted in principle by the Reserve Bank and the modalities for setting up factoring organisations are being worked out.

2.151 The important recommendations made by the Study Group are set out below :

(i) Taking all the relevant aspects into account, the Group felt that there is sufficient scope for introduction of factoring services in India, which would be complementary to the services provided by banks; (ii) The Group was of the view that the introduction of export factoring services in India would provide an additional facility to exporters; (iii) While quantification of the demand for factoring services has not been possible, it is assessed that it would grow sufficiently so as to make factoring business a commercially viable proposition within a period of two/three years; (iv) On the export front, it is perceived that there would be a fairly good availment of various services offered by Export Factors; (v) With a view to attaining a balanced dispersal of risks, Factors should offer their services to all industries and all sectors in the economy; (vi) The pricing of various services by Factors will essentially depend upon the cost of funds. Factors should attempt a mix from among the various sources of funds to keep

उपकरणों में एक तालमेल रखने का प्रयास करना चाहिए जो किसी भी हालत में 13.5 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं होना चाहिए ताकि यथोचित कीमत लागत अंतर बना रहे; (vii) दल ने सिफारिश की है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, आढ़तिया संगठनों को भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि. से तथा अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं से उनके द्वारा दी गयी आढ़तियां सेवाओं के संबंध में, प्राप्यों का उल्लेख करते हुए लिखित मीयादी वचन पत्रों पर, बिल पुनर्भुनाई योजना के अंतर्गत पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार निधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने पर विचार कर सकता है; (vii) दल की राय थी कि वित्तीय सेवाओं के लिए लगभग 16 प्रतिशत वार्षिक कीमत होगी तथा अन्य सभी सेवाओं के लिए दिये गये ऋणों की कीमत 2.5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत होगी; (ix) दल की राय में कुछ चुनी हुई उन्नायक संस्थाओं दलों/व्यक्तियों, जिनके वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में अच्छे रिकार्ड हैं और जिनके सक्षम प्रबंधक वर्ग है, को इस नये क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। यह प्रस्ताव किया है कि आरंभ में संगठन को मंडलीय (जोनल) आधार पर प्रोत्साहित किया जाय; (xi) बैंकों को आढ़तिया सेवाओं से सम्बद्ध होने में लाभ है। बैंकों की सहायक अथवा सहयोगी संस्थाएं इस कार्य को करने दे लिए उपयुक्त हैं। प्रारंभ में यह उचित होगा कि चार या पाँच संगठनों को अकेले या अग्रणी बैंकों या अनेक शाखाओं के साथ फैले हुए कुछ बड़े बैंकों के साथ या संयुक्त रूप मे प्रोत्साहित किया जाए; (xii) आढ़तिया कार्य प्रस्तावित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा भी अधिमानतः एक या अधिक वाणिज्य बैंकों के साथ मिलकर किया जा सकता है। (xiii) व्यावसायिक समुदाय को बैंक की शाखाओं के माध्यम से प्रथमतः इन सेवाओं के स्वरूप, क्षेत्र तथा उनसे प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में शिक्षित करना चाहिए; (xiv) आढ़तिया अपनी सेवाएं अच्छी तरह, प्रभावशाली रूप से कम खर्च में बिना कम्प्यूटर की सहायता के तथा आवागमन के अच्छे साधनों को नहीं दे सकता। साथ ही साथ आढ़तिया कार्यों की शुरूआत से संबंधित विभिन्न पक्षों पर भी विचार करना आवश्यक है। अतः प्रवर्तकों को चाहिए कि प्रवर्तकों को आढ़तिया कारोबार के लिए कम्प्यूटरों के जाल बिछाने/शाखाओं को जोड़ने वाली अच्छी व्यवस्था करने, लेखांकन अनुवर्ती कार्रवाई, प्रेषण तथा आढ़तिया कारोबार संबंधी अन्य गतिविधियों के लिए देश के विभिन्न भागों में एजेंटों की व्यवस्था करने संबंधी उपाय शुरू करने चाहिए; (xv) केन्द्रीय सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक को ऋण संबंधी शोध के लिए विशिष्ट एजेंशियां गठित करने के लिए उचित उपाय शीघ्र करना चाहिए। जब तक ये एजेंसियां पूर्ण रूपेण काम करने न लग जाएं, घटकों को अपने ग्राहकों की उन सूचनाओं पर विश्वास करना चाहिए जो बैंकों या अन्य स्रोतों से इकट्ठे किये जाएँ; (xvi) चूंकि यह परिकल्पना की जाती है कि आपूर्तिकर्ता, बैंकों और आढ़तिया संगठन दोनों से वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने योग्य होंगे, अतः यह आवश्यक है कि बैंकों और घटकों के बीच अच्छे संबंध बनाये रखे जायें। ऐसे सहयोगी प्रयासो से यूनिटों में रुग्णता से बचा जा सकता है; (xvii) लघु उद्योग यूनिटों के लिए आढ़तिया सेवाएं घटको और लघु उद्योग यूनिटों दोनों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकती हैं। घटकों को पूरा प्रयास करना चाहिये कि इस क्षेत्र से संभाव्य अपेक्षाओं को निश्चित रूप देने के लिए अपनी रणनीति तय करें; (xviii) भारत में निर्यात आढ़तिया सेवा की शुरूआत निर्यातकों को निश्चित रूप से एक अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेगी; चूंकि घटकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में परिचालन के लिए नियमों में एक रूपता की आवश्यकता होगी अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय आढ़तिया सेवा पर यूनिड्रायट सम्मेलन का अनुसमर्थन करे और उसे स्वीकार करे और यह निर्यात घटकों के लिए घटकों की एक अंतर्राष्ट्रीय कड़ी में प्रवेश करने में लाभदायक सिद्ध होगा। बैंक और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड निर्यात आढ़तिया सेवाओं के चलाने के लिए अधिक उपयुक्त प्रतीत होते हैं; (xix)निर्यातकों को संतोषजनक सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना अत्यंत आवश्यक है और उन्हें अवसर

the cost of funds as low as possible, in any case not exceeding 13.5 per cent per annum so that a reasonable spread is available; (vii) The Group recommended that the RBI could consider allowing factoring organisations to raise funds from the Discount and Finance House of India Ltd., as also other approved financial institutions, against their usance promissory notes covering receivables factored by them, on the lines of revised procedure under Bills Rediscounting Scheme; (viii) The Group was of the view that the price for financing services would be around 16 per cent per annum and the aggregate price for all other services may not exceed 2.5 per cent to 3 per cent of the debts serviced; (ix) In the Group's opinion, in the beginning only select promoter institutions/groups/individuals with good track record in financial services and competent management should be permitted to enter into this new field; (x) It has been suggested that initially the organisations may be promoted on a zonal basis; (xi) There are distinct advantages in the banks being associated with handling of factoring business. The subsidiaries or associates of banks are ideally suited for undertaking this business; initially, it would be desirable to have only four or five organisations which could be promoted, either individually by the leading banks or jointly by a few major banks having a large network of branches; (xii) Factoring activities could perhaps be taken up by the proposed Small Industries Development Bank of India, preferably in association with one or more commercial banks; (xiii) The business community should first be educated through bank branches about the nature and scope of these services and the benefits accruing therefrom; (xiv) Factors cannot extend their services efficiently, effectively and economically without the support of computers, as also quick and dependable means of communication. Concurrent with consideration of various aspects relating to commencement of factoring operations, the promoters should initiate measures for organising a network of computers/dedicated lines linking the branches/agents in different parts of the country for accounting, follow-up, remittances, and other activities involved in factoring business; (xv) The Central Government and RBI should initiate appropriate measures immediately for setting up specialised agencies for credit investigation; until such agencies become fully operative, Factors may have to rely on such information on clients/customers as could be collected through banks or other sources; (xvi) Since it is envisaged that the suppliers will be able to obtain financial services from both banks and factoring organisations, it is necessary to provide for proper linkages between banks and Factors; (xvii) The Factoring for SSI units could prove to be mutually beneficial to both Factors and SSI units and Factors should make every effort to orient their strategy to crystalize the potential demands from this sector; (xviii) Introduction of export factoring in India will certainly provide an additional window of facility to the exporters; as Factors will need uniform rules to operate in the international market, it is suggested that India may ratify and accept the Unidroit Convention on International Factoring, and it would also be beneficial for Export Factors to join one of the international chains of Factors; the banks and ECGC appear to be more eminently suitable for handling export factoring; (xix) An element of competition is absolutely necessary for ensuring satisfactory services to the exporters and they should have the

मिलना चाहिए कि वे अपनी पसंद और घटकों के बारे में यह निर्णय ले सकें कि वे किनकी सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं; (xx) आढ़तिया सेवा एक सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली के रूप में केवल व्यावहारिक आधार पर काम कर सकती हैं बशर्ते कि इसके लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाए और इसे प्रोत्साहित किया जाए। केन्द्र सरकार द्वारा विधान बनाने संबंधी कार्रवाई शीघ्र की जाए तथा आढ़तिया सेवा को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान नियमों से अपेक्षित छूट दी जाए तथा उनमें यथा आवश्यक संशोधन किया जाए।

11. निर्यात ऋण

निर्यात ऋण (ब्याज के संबंध में सहायता) योजना, 1968

2.152 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की विपणन विकास सहायता में से उपलब्ध करायी गयी निधियों से भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों तथा पात्र सहकारी बैंकों को उनके द्वारा निर्यातकों को दिये गये निर्यात ऋण पर 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज-सहायता वितरित की। साथ ही विदेश मंत्रालय की ओर से बंगला देश को भारत से किये गये उसके आयातों के लिए कुछ विशिष्ठ प्रकार के ऋणों के संबंध में विभिन्न दरों पर विशेष अनुदान भी भारतीय रिजर्व बैंक ने वितरित किये।

2.153 पहली अप्रैल 1988 से 30 मार्च 1989 तक की अवधि के दौरान अदा किये गये ब्याज-सहायता के विवरण निम्न लिखित अनुसार हैं :-

(क) बिपणन विकास सहायता से 3 प्रतिशत वार्षिक की दर पर सामान्य अनुदान	10,189 लाख रुपये
(ख) विदेश मंत्रालय की ओर से अदा किया गया विशिष्ट अनुदान	
1. **25 करोड़ रुपये का ऋण** एक्ज़िम बैंक और युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया को 3 प्रतिशत की दर पर दिया गया ऋण	2,047 लाख रुपये
2. **10 करोड़ रुपये का ऋण** एक्ज़िम बैंक और भारतीय स्टेट बैंक को 2 प्रतिशत की दर से अनुदान	14.56 लाख रुपये
3. 7 करोड़ रुपये का ऋण एक्ज़िम बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को 1.5 प्रतिशत की दर से दिया गया अनुदान	2.48 लाख रुपये

शुल्क वापसी ऋण योजना, 1976

2.154 नवम्बर 1988 से अक्तूबर 1989 तक की अवधि के लिए 26 बैंकों को कुल 36.30 करोड़ रुपये की ऋण सीमाएँ स्वीकृत की गयीं ताकि वे योजना के अंतर्गत स्वीकार्य ब्याज मुक्त पुनर्वित्त का लाभ प्राप्त कर सकें। 30 अप्रैल 1989 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंकों ने 6.11 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त प्राप्त किया। 30 जनवरी 1989 को बकाया राशि 5.57 करोड़ थी।

महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन

2.155 (i) देश के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्यात ऋण (पोतलदान पूर्व/

opportunity to make their own choice and decision regarding the Factor whose services they will avail of; (xx) As an efficient financial system, like factoring service, can sustain itself on a viable basis only if a conducive environment is created and fostered, expeditious steps may be taken by Government of India to promote legislation, as also to grant appropriate exemptions from and make amendments to the existing laws, to subserve the objectives of promoting factoring.

11. Export Credit

Export Credit (Interest Subsidy) Scheme, 1968

2.152 From the funds made available to it out of the Marketing Development Assistance (MDA) of the Government of India, Ministry of Commerce, the Reserve Bank disbursed interest subsidy to commercial banks and eligible co-operative banks at 3 per cent per annum on the export credit extended by them to the exporters. Besides, on behalf of the Ministry of External Affairs (MEA), the Bank also disbursed at different rates special subsidy in respect of certain special lines of credit extended to Bangladesh for its imports from India.

2.153 The particulars of interest subsidy paid during the period April 1, 1988 to March 31, 1989 are as under :

(A) General Subsidy at 3 per cent per annum from MDA	Rs. 10,189 lakhs
(B) Special subsidy paid on behalf of MEA	
1. Rs. 25 crores credit	
Subsidy at 3 per cent paid to Exim Bank and United Bank of India	Rs. 20.47 lakhs
2. Rs. 10 crores credit	
Subsidy at 2 per cent paid to Exim Bank and State Bank of India	Rs. 14.56 lakhs
3. Rs. 7 crores credit	
Subsidy at 1.5 per cent paid to Exim Bank and Punjab National Bank	Rs. 2.48 lakhs

Duty Draw Back Credit Scheme, 1976

2.154 For the period November 1988 to October 1989, 26 banks have been sanctioned limits aggregating Rs. 36.30 crores to enable them to avail themselves of interest free refinance admissible under the Scheme. In the quarter ended April 30, 1989, refinance to the extent of Rs. 6.43 crores was availed of by banks and the outstanding as on April 30, 1989 stood at Rs. 5.57 crores.

Important Policy Changes

2.155 (i) In order to boost the country's exports, interest rates on export credit

पोतलदानोत्तर) पर ब्याज दर 1 मार्च 1989 से घटा दी गयी है। (ब्यौरों के लिए पैरा 2.18 देखें)।

2.156 (ii) अच्छे रिकार्ड वाले निर्यातकों के लिए बने-बनाए पोशाकों (बने हुए पोशाकों सहित) के संबंध में पैकिंग ऋण अग्रिम उपलब्ध कराने के समय, फर्म निर्यात आदेश या साख पत्र प्रस्तुत करने संबंधी शर्त फरवरी 1989 से हटा दी गयी। प्रत्येक निर्यात आदेश के लिए अलग-अलग खाता खोलने के बदले उन्हें खाता रखने की सुविधा प्रदान की गयी। उपर्युक्त ढील मार्च 1989 मे रेशमी कपड़ों के टुकड़ों से बनी वस्तुएं तथा रेशम से बनी वस्तुओं के लिए भी दी गयी। यह ढील पुनरीक्षण की शर्त के साथ मार्च 1990 तक के लिए दी गयी और बैंकों को सूचित किया गया कि वे मार्च 1990 के बाद भी उपर्युक्त सुविधा जारी रखें।

2.157 (iii) मार्च 1989 में बैंकों को सूचित किया गया है कि वे कुछ शर्तों के अधीन भारतीय मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा निर्धारित मार्गस्थ अवधि के लिए निर्यात के वास्ते अग्रिम भुगतान के प्रयोजन से सीधे प्राप्त चेकों/ड्राफ्टों आदि पर रियायती ऋण दें।

2.158 (iv) मार्च 1989 में बैंकों को सूचित किया गया कि वे निर्माता निर्यातकों को अग्रिम लाइसेंस आयात-निर्यात पास बुक योजना के अंतर्गत आयात के वित्तपोषण के लिए रियायती पैकिंग ऋण स्वीकृत करें किन्तु इसके पूर्व संतुष्ट हो लें कि आयातित कच्चे मालों का उपयोग आयात लाइसेंस में दी गयी शर्तों के अनुसार निर्यात की जाने वाली मदों के लिए किया जाएगा तथा साख पत्र या फर्म आदेश, अग्रिम की तिथि से 60 दिनों की अवधि के अंदर निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किये जाएंगे।

2.159 भारत सरकार द्वारा निर्यातकों को उपलब्ध नकद प्रतिपूर्ति सहायता वर्तमान समय में मुख्य नियंत्रक निर्यात और आयात द्वारा वितरित की जाती है। 1 सितंबर 1989 से सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अधिकृत किंया गया है कि वे भारत सरकार की ओर से एक अतिरिक्त चैनल के रूप में नकद प्रतिपूर्ति सहायता वितरित करें ताकि निर्यातकों को नकद प्रतिपूर्ति सहायता के दावों का शीघ्र निपटान हो सके।

बैंकों का निर्यात ऋण निष्पादन

2.160 निर्यात ऋण तथा कुल बैंक ऋण के तुलनात्मक आँकड़ों में निर्यात ऋण में सुधार परिलक्षित होता है। समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल बकाया राशियाँ मार्च 1988 के अंत मे 68,194.61 करोड़ रुपये थीं; जबकि मार्च 1987 की तुलना में इसमें 11 प्रतिशत वृद्धि परिलक्षित हुई तथा पिछले वर्ष इसी अवधि में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तथापि, 4,140.53 करोड़ रुपये की राशि की बकाया निर्यात ऋण 28.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है जबकि मार्च 1987 की समाप्त अवधि में वर्ष 1986 की इसी अवधि की तुलना में 24.2 प्रतिशत की वृद्धि थी। इसके अतिरिक्त निर्यात ऋण मार्च 1988 के अंत में कुल बैंक ऋण का 6.1 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष इसी तिथि को 5.2 प्रतिशत था।

(pre-shipment/post-shipment) were reduced with effect from March 1, 1989. (For details refer paragraph 2.18).

2.156 (ii) The condition relating to lodgement of letter of credit or firm export order at the time of providing packing credit advances was waived in respect of readymade garments (including knitwear garments) in February 1989 for exporters whose track record has been good; they were also allowed the facility of running accounts instead of separate accounts for each export order. The aforesaid relaxation has also been extended to silk fabrics, silk piece goods and silk made-ups in March 1989. These relaxations have been given upto the end of March 1990, subject to review and banks have been advised to offer their recommendations for continuing the facility beyond March 1990.

2.157 (iii) Banks were advised in March 1989 to grant concessive credit against proceeds of cheques, drafts, etc., received directly towards advance payment for exports for the transit period stipulated by FEDAI, subject to certain conditions.

2.158 (iv) Banks were advised in March 1989 to grant concessive packing credit to manufacturer exporters for financing imports against entitlements under Advance Licence/Import-Export Passbook Scheme, after satisfying themselves that the imported raw materials will be utilised for items to be exported as per the condition laid down in the import licence as also subject to the condition that the Letter of Credit or firm order is produced by the exporter within a period of 60 days from the date of advance.

2.159 (v) The Cash Compensatory Support (CCS) provided by the Government of India to the exporters is at present disbursed through the Chief Controller of Imports and Exports (CCI & E). With effect from September 1, 1989, all public sector banks are authorised to disburse CCS on behalf of the Government of India as an additional channel to facilitate exporters getting their CCS claims promptly.

Export Credit Performance of Banks

2.160 The comparative data on export credit vis-a-vis total bank credit exhibited an improved performance. The total outstanding bank credit of all scheduled commercial banks at Rs. 68,194.61 crores as at the end of March 1988 increased by 11 per cent over March 1987 as against an increase of 9.6 per cent over the corresponding period last year. The outstanding export credit at Rs. 4,140.53 crores, however, showed an increase of 28.2 per cent over the period ended March 1987 as against an increase of 24.2 per cent in March 1987 over March 1986. Furthermore, export credit formed 6.1 per cent of total bank credit as at the end of March 1988 as compared with 5.2 per cent on the corresponding date of the previous year.

निर्यात वित्त पर स्थायी समिति

2.161 निर्यात वित्त पर गठित स्थायी समिति की बैठक दिसम्बर 1988 में हुई और समिति ने निर्यात वित्त से संबंधित कई मुद्दो पर विचार विमर्श किया। अग्रिम भुगतान के बारे में निर्यातकों द्वारा सीधे प्राप्त चेकों, ड्राफ्टों आदि के आगमों, अग्रिम आयात लाइसेंस/आयात-निर्यात पास बुक योजना के अंतर्गत पात्रता पर निर्यातकों के लिए पैकिंग ऋण खाता रखने की सुविधा का विस्तार और बनाये पोशाकों, रेशमी-वस्त्रों और रेशमी वस्त्रों के बने बनाये पोशाकों पर रियायती वित्त देने के संबंध में लिए गये महत्वपूर्ण निर्णयों से बैंकों को फरवरी 1989 में अवगत करा दिया गया (पूर्व संदर्भित)।

अखिल भारतीय निर्यात परामर्शदात्री समिति

2.162 निर्यात ऋण और विदेशी मुद्रा की समस्याओं पर निर्यातक समुदायों से पर्याप्त अनुसूचनाएं और बातचीत जारी रखने के प्रयोजन से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित समिति की दो बैठकें इस वर्ष के दौरान हुईं। समिति की कई सिफारिशें, निर्यात वित्त पर गठित स्थायी समिति की जानकारी/आवश्य कार्रवाई के लिए प्रस्तुत की गई।

परियोजना निर्यातों के लिए कार्यदल

2.163 कार्यदल, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्यात ऋण और गारंटी निगम तथा एक्ज़िम बैंक शामिल हैं तथा जिसमें एक्जिम बैंक केन्द्रीय बिन्दु के रूप में कार्य करता है एवं जो आस्थगित अदायगी की शर्तों पर सम्पूर्ण परियोजनाओं एवं विदेशों में सिविल निर्माण संविदाओं सहित निर्यातकों को निर्यात सामानों एवं सेवाओं के सम्बंध में एकमुश्त मंजूरी देने के लिए गठित किया गया है, 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक राशि के परियोजना मूल्य वाले प्रस्तावों पर विचार करता है। 5 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक के किन्तु 20 करोड़ रुपये तक के प्रस्तावों पर केवल एक्जिम बैंक द्वारा विचार किया जाता है, तथा 5 करोड़ रुपये तक के प्रस्तावों पर अधिकृत व्यापारियों द्वारा विचार किया जाता है। अधिकृत व्यापारियों को भी अब अधिकार दिये गये हैं कि यदि बोलियों का मूल्य 2 करोड़ रुपये से अधिक न हो और एक्ज़िम बैंक के मामले में बोलियों का मूल्य 5 करोड़ से अधिक न हो तो वे विदेशों प्रबंधकीय/तकनीकी परामर्श सेवाओं का कार्य करें। 5 करोड़ से अधिक के मूल्य की संविदाओं पर कार्यदल द्वारा विचार किया जाएगा। जुलाई 1988 से जून 1989 के दौरान दल की 144 बैठकें हुईं और 127 प्रस्ताव अनुमोदित किये गये। इसके अतिरिक्त चालू परियोजनाओं के संबंध मे 167 पुनरीक्षण बैठकें आयोजित की गयीं।

12. औद्योगिक रुग्णता और बैंक ऋण

रुग्ण औद्योगिक उपक्रम

2.164 यह निश्चय किया गया था कि रुग्ण इकाइयो के पुनर्वास के व्यक्तिगत मामलों मे राहत/छूट की स्वीकृति के लिए पूर्व अनुमोदन के वास्ते प्राप्त आवेदन पत्रों पर रिज़र्व बैंक का निर्णय प्रत्येक आवेदन पत्र की प्राप्ति तिथि से 10 कार्य दिवसों के अंदर बैंक को भेज दिया जाएगा।

Standing Committee on Export Finance (SCEF)

2.161 The Standing Committee on Export Finance met in December 1988 and discussed various issues relating to export finance. The important decisions taken were advised to banks in February/March 1989 in respect of concessive finance against proceeds of cheques, drafts, etc., received directly by exporters towards advance payments, extension of Packing Credit running accounts facility to exporters against entitlements under advance import licence/import-export passbook scheme, and to exporters of ready-made garments, silk fabrics and made-ups (referred to earlier).

All-India Export Advisory Committee (AIEAC)

2.162 The Committee constituted by the Reserve Bank of India, in order to have a continuing dialogue and adequate feedback from the exporting community on problems of export credit and foreign exchange, met twice during the year. The various recommendations of the Committee were brought to the notice of the Standing Committee on Export Finance for information/decision thereon.

Working Group for Project Exports

2.163 The Working Group comprises of the Reserve Bank (Industrial and Export Credit Department and Exchange Control Department), ECGC and Exim Bank with Exim Bank functioning as focal point, for giving a package clearance to exporters for export of goods and services including turnkey projects and civil construction contracts abroad on deferred payment terms of project value of Rs. 20 crores and above. The proposals of Rs. 5 crores and above but upto Rs. 20 crores are considered by the Exim Bank alone and those upto Rs. 5 crores by the Authorised Dealers. Powers have now been delegated to Authorised Dealers to clear proposals for managerial/technical/consultancy services abroad if the bid value does not exceed Rs. 2 crores and to Exim Bank if the bid value does not exceed Rs. 5 crores. Contracts of value of more than Rs. 5 crores will, however, be considered by the Working Group. The Group held 144 meetings and cleared 127 proposals during the year July 1988-June 1989. In addition, 167 review meetings were held in respect of the ongoing projects.

12. Industrial Sickness and Bank Credit

Sick Industrial Undertakings

2.164 It was decided that the Reserve Bank's decision on applications referred to it for prior approval for grant of reliefs/concessions in individual cases of rehabilitiation of sick units would be conveyed to the banks within a period not exceeding 10 working days from the date of receipt of each application.

2.165 स्थायी समन्वय समिति की बैठकों में लिए निर्णयों के आधार पर बैंकों को निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये: (i)उक्त अवधि के लिए किसी इकाई को एक से अधिक पैकेज होने के स्थिति में रियायतें मंजूर की जा सकती हैं; (ii) रूग्ण/कमजोर इकाइयों की सूचियों से औद्योगिक इकाइयों को हटाना तथा (iii) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा ब्याज वसूल करने के लिए एक समान दृष्टिकोण की आवश्यकता। गैर लघु उद्योग, कमजोर औद्योगिक इकाई की परिभाषा भी संशोधित कर दी गयी है क्योंकि यह देखा गया है कि पूर्व की परिभाषा में चालू अनुपात और नकदी की हानी से संबंधित मानदण्ड इकाइयों के पुनर्वास के लिए उचित समय पर कदम उठाने के वास्ते उनकी पहचान करने में सहायक होने की अपेक्षा बाधक सिद्ध हो रहे हैं। संशोधित परिभाषा के अनुसार गैर लघु उद्योग इकाई को अब 'कमजोर' माना जायेगा जिसे किसी लेखा वर्ष की समाप्ति पर तुरंत पहले के पांच वर्षों में इसकी संचित हानि ''उच्चतम शुद्ध आस्तियों'' के बराबर या उसके 50 प्रतिशत से अधिक हो। ''कमजोर'' इकाइयों के इस वर्गीकरण में औद्योगिक इकाइयों की सभी श्रेणियां आ जाती हैं। ऐसी इकाइयाँ भी रुग्ण औद्योगिक कम्पनी विशेष प्रावधान (अधिनियम 1985) (एस.आई.सी.ए.) के क्षेत्र में नहीं आतीं, इस श्रेणी के अंतर्गत आ जाती हैं। साथ ही बैंकों को यह सूचित किया गया है कि सितंबर 1989 को समाप्त होने वाली छमाही से रिपोर्ट देने की पद्धति को पुनरीक्षित परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक ने यह अनुदेश जारी किया है कि कोई भी अकेली एजेंसी किसी इकाई को दी गयी राहतों को तबतक एक पक्षीय रूप में समाप्त नहीं कर सकती, जबतक कि सभी सम्बंधित पक्ष ऐसा करने के लिए सहमत न हो जाएँ।

2.166 रुग्ण औद्योगिक कम्पनी विशिष्ट प्रावधान अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के गठन के पश्चात किये गये अनुभवों के संदर्भ में स्थिति की समीक्षा की गयी और अतिरिक्त अनुदेश जारी किये गये कि (i) बैंकों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष वायदा करने के पूर्व रिज़र्व बैंक का अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। (ii) परिचालन एजेंसियों द्वारा संयुक्त बैठक के पर्याप्त समय पूर्व पृष्ठ भूमि संबंधी टिप्पणियां सभी संबंधितों को उपलब्ध करानी चाहिये। (iii) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को बैंकों द्वारा रुग्ण यूनिटों की विस्तृत स्थिति के बारे में प्रेषित रिपोर्टों को, बोर्ड द्वारा सुनवाई के वास्ते लिए जाने वाले मामलों के पहले लेना चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि पैकेज के अंतर्गत उनके अपने दायित्वों को कार्यान्वित करने में बैंकों को पीछे नहीं रहना चाहिए। उन्हें पुनर्वास पैकेजों के कार्यान्वयन और उन्हें शीघ्र बनाने के लिए प्रभावकारी व्यवस्था करनी चाहिए। उनके द्वारा वित्त पोषित रुग्ण/बीमार यूनिटों के बारे में वार्षिक समीक्षा नोट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

रुग्ण लघु उद्योगेतर और लघु इकाइयां

2.167 दिसंबर 1987 के अंत तक के उपलब्ध अद्यतन आँकड़ों के अनुसार बैंकों द्वारा रुग्ण रूप में अभिज्ञान (जैसा कि ए.आई.सी.ए. परिभाषित है) लघु उद्योगेतर इकाइयों की कुल संख्या 1,119 थी जिनसे संबंधित बकाया बैंक ऋण 2,801.79 करोड़ रुपये थे। इनमें 905 इकाइयों के संबंध में अर्थक्षमता संबंधी अध्ययन पूरे किये गये और 223 इकाइयाँ अर्थक्षम मानी गयीं। अर्थक्षम समझी गयी इकाइयों में से 223 इकाइयों को बैंकों द्वारा पोषण कार्यक्रम को अंतर्गत रखा गया।

2.168 बैंकों द्वारा ''कमजोर'' समझी गयी लघु उद्योगेतर इकाइयों की कुल संख्या दिसम्बर 1987 के अंत में 720 थीं जिनसे संबंधित बकाया बैंक ऋण की राशि 1,657.30 करोड़ रुपये थी। इनमें से 555

2.165 Based on the decisions taken in the meeting of the Standing Co-ordination Committee, guidelines were issued to banks regarding (i) period upto which concessions can be granted to a unit when there is more than one package, (ii) deletion of industrial units from the lists of sick/weak units, and (iii) need for uniform approach for funding of interest by banks and financial institutions. The definition of non-SSI 'weak' industrial unit has also been modified as it was observed that the criteria relating to current ratio and cash loss in the earlier definition units were proving to be restrictive rather than helpful in the identification of units for initiating timely steps for their rehabilitation. In terms of the modified definition, a non-SSI unit is to be termed as 'weak' if it had, at the end of any accounting year, accumulated losses equal to or exceeding fifty per cent of its 'peak net worth' in the immediately preceding five years. This classification of weak units covers all categories of industrial units, including those which do not fall within the purview of Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (SICA). Banks have been advised that the revised definition should be taken into account for the purposes of the reporting system, starting from the half-year ending September 1989. The Reserve Bank has also issued instructions that no single agency should unilaterally withdraw concessions/reliefs extended to a unit unless this has been agreed upon by all the parties concerned.

2.166 In the light of the experience gained following the establishment of the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) under the provisions of SICA, the position was reviewed and further instructions were issued relating to (i) need for banks obtaining the Reserve Bank's requisite clearance before committing to the BIFR, (ii) Operating Agencies providing all concerned with background notes sufficiently in advance of the joint meeting, and (iii) banks sending detailed status reports on sick units to the BIFR prior to the cases being taken up for hearing by the Board. Banks were also advised that they should not lag behind in implementing their part of the obligations assumed under the package. They should make effective organisational arrangements for quick formulation and implementation of rehabilitation packages and also put up review notes to the Board annually on sick/weak units financed by them.

Sick non-SSI and SSI Units

2.167 According to the latest data available as at end-December 1987, the total number of non-SSI units identified by banks as sick (as defined under SICA) was 1,119 with outstanding bank credit of Rs. 2,801.79 crores. Out of these, viability studies in respect of 905 units were completed and 343 units were considered as viable. Of the units considered viable, 223 units were put under nursing programme by the banks.

2.168 The total number of non-SSI units identified by banks as 'weak' as at end-December 1987 was 720 with outstanding bank credit of Rs. 1,657.30 crores. Out

इकाइयों के संबंध में अर्थक्षमता विषयक अध्ययन पूरे किये गये तथा 270 इकाइयों को अर्थक्षम माना गया। अर्थक्षम मानी गयी इकाइयों में से 158 इकाइयों को बैंकों द्वारा पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया।

रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयां

2.169 रुग्ण लघु इकाइयों के विवरण सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वित्तपोषित लघु औद्योगिक इकाइयों से संबंधित दिसम्बर 1987 के अंत तक के आंकड़े सारणी II.38 में दिये गये हैं :-

सारणी II.38 रुग्ण लघु उद्योग

	इकाइयों की संख्या (लाख में)	बकाया राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	2.	3.
i) कुल वित्त पोषित लघु उद्योग इकाइयाँ-	21.71	10,166.32
ii) उनमें से रुग्ण लघु इकाइयाँ	2.04	1,797.31
iii) (रुग्ण इकाइयों में से वे जो		
(क) अर्थक्षमता की संभावना वाली है	0.12	389.50
(ख) अर्थक्षम नहीं है	1.87	1,284.99
iv) अर्थक्षमता अभी तक अनिर्णीत है	0.05	122.82
v) अर्थक्षमता की संभावनावाली इकाइयों में से पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत	0.08	287.48

2.170 सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लघु उद्योगों के लिए बकाया अग्रिम जो दिसंबर 1987 के अंत में 21.71 लाख खातों में 10,166.32 करोड़ रुपये था, बढ़कर मार्च 1989 के अन्तिम शुक्रवार को 26.59 लाख खातों (अनन्तिम) में 13,129.86 करोड़ रुपये हो गया। दिसम्बर 1987 के अन्तिम शुक्रवार को 21.71 लाख उधारकर्त्री इकाइयों में से 2.04 लाख इकाइयाँ जिनसे सम्बंधित बैंक ऋण की कुल बकाया राशि 1,797.31 करोड़ रुपये है, बैंकों द्वारा रुग्ण इकाइयों के रूप में निर्धारित की गयी हैं। यद्यपि संख्या में केवल 9.3 प्रतिशत लघु उद्योग उधारकर्त्री इकाइयां रुग्ण थीं, परन्तु इन रुग्ण इकाइयों में अवरुद्ध राशि लघु उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त कुल अग्रिमों का 17.7 प्रतिशत थी।

13. संगठनात्मक मामले/समस्याएँ बैंककारी, लोक वित्तीय संस्था और परक्राम्य लिखत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1988

2.171 बैंककारी, लोक वित्तीय संस्था और परक्राम्य लिखत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1988 संसद द्वारा 1988 में पारित किया गया और इसे इसकी धारा 4.12 और 13 को छोड़कर 30 दिसम्बर 1988 से प्रभावी बनाया गया है। धारा 4 अर्थात् चेकों की अस्वीकृति दिनांक 1 अप्रैल 1989* से दंडनीय अपराध माना जाएगा। शेष दो धाराएं अर्थात् 12 और 13 जिन्हें अभी भी प्रभावी बनाना है, भारतीय स्टेट बैंक और उसके स्थानीय बोर्डों के गैर-सरकारी निदेशकों के कार्यकाल से संबंधित हैं। ये

* शेष दो धाराएँ, अर्थात् 12 और 13, जो अभी प्रभावी की जानी हैं, भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके स्थानीय निदेशक मण्डलों के गैर-अधिकारी निदेशकों की अवधि से संबंधित हैं।

of these, viability studies in respect of 555 units were completed and 270 units were considered as viable. Of the viable units, 158 units were put under nursing programme by banks.

Sick Small-Scale Industrial Units

2.169 Data relating to SSI units financed by the public sector banks with details of sick SSI units as at the end of December 1987 are presented in Table II.38.

Table II.38 : Sick Small-Scale Industries

	No. of Units (In lakhs)	Amount Outstanding (Rs. Crores)
1.	2.	3.
i) Aggregate SSI Units financed	21.71	10,166.32
ii) Of which, sick units	2.04	1,797.31
iii) Of the sick units, those which are		
(a) potentially viable	0.12	389.50
(b) non-viable	1.87	1,284.99
iv) Viability not yet determined	0.05	122.82
v) Of the potentially viable units, those under nursing programme	0.08	287.48

2.170 The outstanding advances of public sector banks to small scale industries as on the last Friday of March 1989 increased to Rs. 13,129.86 crores in 26.59 lakh accounts (provisional) from Rs. 10,166.32 crores in 21.71 lakh accounts as at end-December 1987. Out of the 21.71 lakh borrowing units as on the last Friday of December 1987, 2.04 lakh units with outstanding bank credit of Rs. 1,797.31 crores have been identified by banks as sick. Although in physical terms only 9.3 per cent of the borrowing SSI units were sick, the amount locked up in them formed 17.7 per cent of the aggregate outstanding advances to the SSI sector.

13. Organisational Matters/Issues

Banking, Public Financial Institutions and Negotiable Instruments Laws (Amendment) Act, 1988

2.171 Banking, Public Financial Institutions and Negotiable Instruments Laws (Amendment) Act, 1988 was passed by Parliament in December 1988 and has been brought into force except Sections 4, 12 and 13, with effect from December 30, 1988. Section 4, i.e., treating bouncing of cheques a penal offence has been brought into force with effect from April 1, 1989.* These amendments relate to thirteen statutes

* The remaining two Sections, i.e., 12 and 13, which are yet to be made effective relate to the tenure of non-official directors of SBI and its Local Boards.

संशोधन, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 सहित, 13 विधियों से संबंधित हैं। इन संशोधनों के माध्यम से प्राप्त लक्ष्य, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित थे:-

(i)राष्ट्रीयकृत बैंकों की चुकता पूँजी में वृद्धि लाने के लिए सरकार को सक्षम बनाना ताकि बैंकों के ऋण ईक्विटी अनुपात और लाभप्रदता में सुधार लाया जा सके। (ii) केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदत्त करना ताकि वे किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थाओं के लेखा-वर्ष में सरकार के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परिवर्तन कर सकें। इससे केन्द्र सरकार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के वर्तमान लेखा वर्ष वित्तीय वर्ष (अप्रैल मार्च) के अनुरूप परिवर्तन ला सकेगी, जो आयकर प्रयोजन के लिए गत वर्ष में परिलक्षित है। (iii)रिज़र्व बैंक समाशोधन गृहों, जिनके अनुसूतिचत बैंकों के अलावा अन्य बैंक और डाकघर बचत बैंक आदि सदस्य हैं, के संबंध में विनियमों का निर्माण कर सके। (iv)इमानदार आहर्ताओं को परेशानी से बचाने की पर्याप्त सुरक्षा के साथ-साथ देयताओं के भुगतान में चेकों की स्वीकार्यता को बढ़ाना ताकि खाते में निधि की कमी के कारण चेक अस्वीकार किये जाने या चेक काटने वाले द्वारा की गयी व्यवस्था से अधिक राशि का चेक होने पर चेक काटने वाला दण्ड का भागी हो।

बैंकों में प्रशिक्षण व्यवस्था के समन्वय, निगरानी और मार्गदर्शन के लिए स्थायी समन्वय समिति की तीसरी बैठक

2.172 रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर की अध्यक्षता में उपर्युक्त समिति की तीसरी बैठक 20 जून 1988 को आयोजित की गयी। बैठक में लिए गये कुछ निर्णय निम्नलिखित हैं :-

(i) मूल स्तर के अधिकारियों (सीधी भर्ती और प्रोन्नत अधिकारियों) के लिए प्रवेश कार्यक्रमों के अंत में प्रशिक्षणार्थियों के लिए बैंक को एक मूल्यांकन परीक्षा लेनी चाहिए। (ii) मूल स्तर के अधिकारियों के लिए प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम के वास्ते आदर्श पाठ्यक्रम की रूपरेखा बैंकों द्वारा अपनाने के लिए अंतिम रूप दिया गया, और (iii) अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय बैंकों को कार्मिक, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय परामर्शदात्री समिति के विचारों को ध्यान में रखने की सलाह दी गयी है। इन निर्णयों में यह बात दोहराई गई है कि सभी स्तरों पर बैंक के पदाधिकारियों को समुचित रूप से सरकार के विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के स्वरूप, क्षेत्र और ब्यौरों के बारे में यथोचित रूप से प्रशिक्षण देकर बता देने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी कि इन पदाधिकारियों को इस बात की ओर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि वे गरीबों पर अविश्वास करने की अपनी पुरानी धारणाओं को बदले और दृष्टिकोण में उपर्युक्त परिवर्तन लाकर उन्हें विकासात्मक कार्यों के क्षेत्र में वास्तविक रूचि लेने के लिए प्रेरित करें जिससे कि वे इन गतिविधियों को अवांछित अपरिहार्य कवायद के रूप में स्वीकार न करें।

बैंक की लेनदारियां वसूल करने के लिए न्यायालय की डिक्रियों को लागू करना

2.173 रिज़र्व बैंक ने 3 मार्च 1989 को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के मुख्य कार्यपालकों से यह जोर देकर कहा था कि बैंकों चाहिए कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी लेनदारियों की अविलंब वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है, न्यायालयों से प्राप्त आदेशों/डिक्रियों की जाँच शीघ्रता से कराने की

including the RBI Act, 1934 and the Banking Regulation Act, 1949. The objectives achieved through these amendments, among others, were as follows :

(i) to enable the Government to increase the paid-up capital of the nationalised banks so as to improve the banks' debt-equity ratio and profitability; (ii) to empower the Central Government to change the accounting year of any bank or financial institution by notification in the Official Gazette which would enable the Central Government to change the present accounting year of banks and financial institutions to coincide with the financial year (April-March) which is envisaged as the previous year for income-tax purposes; (iii) to enable the Reserve Bank to make regulations to govern Clearing Houses which have as members, besides scheduled banks, other banks and post office savings banks; and (iv) to enhance the acceptability of cheques in settlement of liabilities by making the drawer liable for penalties in case of bouncing of cheques due to insufficiency of funds in the accounts or for the reason that it exceeds the arrangements made by the drawer, with adequate safeguards to prevent harassment to honest drawers.

Third Meeting of the Standing Co-ordination Committee to Co-ordinate, Monitor and Guide Training Arrangements in Banks

2.172 The Third meeting of the above committee was held on June 20, 1988, under the Chairmanship of a Deputy Governor of Reserve Bank. Some of the important decisions taken at the meeting were as follows :

(i) Banks should conduct an evaluation test for the trainees at the end of the induction programmes for base level officers (both direct recruits and promotee officers), (ii) The model course design for induction training programme for base level officers was finalised for adoption by banks, and (iii) While drawing up training programme for officers, banks were advised to keep in mind the views of the Parliamentary Consultative Committee attached to the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension. These reiterate that bank officials at all levels need to be suitably briefed about the nature, scope and details of various development programmes of the Government by suitable training inputs and that there is even greater need for these functionaries to be diverted of their preconceived notion of mistrust of the poor and to engender suitable attitudinal changes to make them take real interest in the sphere of development administration rather than treat these activities as unwelcome but unavoidable chores.

Execution of Court Decrees Towards Realisation of Bank Dues

2.173 The Reserve Bank impressed upon the Chief Executives of all public sector banks on March 3, 1989 that banks should have arrangements to quickly examine the orders/decrees obtained from the courts with a view to ensuring that action is taken to

व्यवस्था करे। साथ ही, बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे अपने-अपने संगठनों में प्रचलित व्यवस्थाओं पर भी गौर करें और यह सुनिश्चित करें कि यदि इसकी पद्धति में कोई खामियां या कमियां हों तो उन्हें शीघ्रतापूर्वक दूर कर दिया जाए।

बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना

2.174 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत 1988-89 की अवधि के दौरान कोई नया लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया। लाइसेंस प्राप्त वाणिज्यिक बैंकों की कुल संख्या 49 है। (इसमें 28 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मिलित नहीं हैं, जिन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है)। गैर अनुसूचित बैंकों की संख्या 3 है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल संख्या 9 जुलाई 1988 से ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड को, जिसका कि मई 1988 में बैंक ऑफ बड़ौदा में समामेलन हो गया था, दूसरी अनुसूची से निकाले जाने पर, 78 ही बनी रही।

2.175 15 दिसम्बर 1987 से, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को सिक्किम राज्य पर भी लागू कर दिये जाने से सिक्किम बैंक लिमिटेड उक्त अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में आ गया है। उक्त बैंक ने अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत भारत मे बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है, जो कि विचाराधीन है।

समामेलन

2.176 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी बैंक का समामेलन नहीं किया गया है। बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 45 के अन्तर्गत समामेलित बैंकों की कुल संख्या 54 पर अपरिवर्तित रही। संबंधित योजनाओं में यथा प्रावधानित 33 बैंकों की आस्तियों का अंतिम रूप से मूल्य निर्धारण किया गया। आलोच्य वर्ष के दौरान संवीक्षा रिपोर्टों के आधार पर 13 बैंकों की आस्तियों के अंतिम रूप से मूल्य निर्धारण के विषय के संबंध में संबंधित अन्तरिती बैंकों से संपर्क किया गया। एक बैंक के सम्बंध में अंतिम मूल्य निर्धारण विवरण शेष है जो अंतरिती बैंक से प्राप्त नहीं हुआ है। 2 बैंकों के संबंध में अंतिम रूप से मूल्य निर्धारण के लिए भारत सरकार ने समय बढ़ाया है। 1985-88 के दौरान भारत सरकार ने 5 बैंकों के समामेलन की योजनाओं को मंजूरी दी है।

परिसमापन

2.177 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 3 बैंकों को भंग किया गया। 30 जून 1989 को 128 बैंक परिसमापनाधीन थे। परिसमापन की कार्रवाई शीघ्र पूरी करने से संबंधित मामले पर परिसमापनकर्ता पदाधिकारियों/न्यायालयों से अनुरोध किया जा रहा है।

विदेशों में भारतीय बैंकों के कार्यालय

2.178 वर्ष 1988-89 के दौरान भारतीय बैंकों द्वारा विदेश में कोई नयी शाखाएं नहीं खोली गयीं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने विदेश स्थित मोबाईल एजेंसी अर्थात् किसुमू पर आधारित मोबाईल एजेंसी जो केन्या

realise the dues without any delay. Furthermore, banks have also been advised to look into the arrangements obtaining in their respective organisations, and ensure that the loopholes and lacunae, if any, in the system are promptly plugged.

Licensing of Banks

2.174 No new licence was granted to any bank during the period 1988-89 under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949. The total number of licensed commercial banks is 49 (excluding 28 public sector banks which do not require a licence to carry on banking business). The number of non-scheduled banks stands at 3. The total number of scheduled commercial banks remains unchanged at 78 with the exclusion from the second schedule with effect from July 9, 1988 of the Traders Bank Ltd., which was merged with Bank of Baroda in May 1988.

2.175 Consequent upon the extension of the Banking Regulation Act, 1949 to the State of Sikkim with effect from December 15, 1987, Sikkim Bank Ltd., has come under the purview of that Act. The bank has applied for a licence under Section 22 of the Act to carry on banking business in India and the same is under consideration.

Amalgamation

2.176 No bank was amalgamated during the year under review. The total number of banks amalgamated under Section 45 of the Banking Regulation Act, remained unchanged at 54. The final valuation of the assets of thirty-three banks as provided in the relative schemes was completed. During the period under review, the matter with regard to the final valuation of the assets of 13 banks on the basis of scrutiny reports was pursued with the concerned transferee banks. The final valuation statement which is due in respect of one bank has not been received from the transferee bank. In regard to 2 banks, extension of time for the final valuation has been granted by the Government of India. The Government has sanctioned schemes of amalgamation of 5 banks during 1985-88.

Liquidation

2.177 During the period under review 3 banks were dissolved. As on June 30, 1989, 128 banks were under liquidation. The matter with regard to the early completion of the liquidation proceedings is being pursued with the Official/Court Liquidators.

Indian Banks' Offices Abroad

2.178 During the year 1988-89, no new branches were opened abroad by Indian banks. Bank of Baroda closed an overseas Mobile Agency, viz., Kisumu based Mobile

में थी, बंद कर दी। इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने भी अपनी दो शाखाएं अर्थात् क्वुन टांग और हांगकांग, जो दोनों हांगकांग में थीं, बंद कर दीं। इस प्रकार विदेशी शाखाओं की संख्या (8 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एक निजी क्षेत्र का बैंक) 30 अप्रैल 1989 को 119 से घटकर 116 हो गयी। 4 भारतीय बैंकों के प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या 10 ही बनी रही।

बैंकिंग अनुषंगी शाखाएं/जमा संग्रह करनेवाली कंपनियां

2.179 भारतीय बैंकों की अप्रैल 1989 की समाप्ति पर 6 पूर्णतः स्वाधिकृत अनुषंगी शाखाएं (3 जमाराशि स्वीकार करनेवाली कंपनियां हांगकांग में तथा विदेशों में 6 संयुक्त उद्यम बैंक/संबद्ध बैंक (50 प्रतिशत से कम शेयरधारिता रखनेवाले) थे।

भारत में विदेशी बैंक

2.180 वर्ष 1988-89 के दौरान ड्यूश बैंक की एक शाखा खोली गयी और 30 अप्रैल 1989 को 21 विदेशी बैंकों की शाखाओं की संख्या बढ़कर 137 हो गयी। डेस्डनर बैंक, बी एच एफ बैंक (पश्चिम जर्मन) बैंक कमर्शियल इटालियन (इंटली) बैंक इंडोसियूज (फ्रांस) और मितसुई बैंक लिमिटेड (जापान) तथा नेशनल बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया (आस्ट्रेलिया) में से प्रत्येक ने एक-एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला। इस प्रकार 30 जून 1989 को 21 विदेशी बैंकों के प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या 21 हो गयी।

विदेशों में भारतीय बैंकों के परिचालनों पर कार्यकारी दल

2.181 लगभग पिछले 10 वर्षों के दौरान भारतीय बैंकों के विदेशी क्षेत्रों में कार्य की मात्रा में तथा उसके कारोबार के विशाखीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। बैंकों के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि वे स्पष्ट संभावनाओं वाली मजबूत विपणन और कारोबार नीतियों के विकास के संबंध में पर्याप्त ध्यान दें। बैंकों को अपने अंतरराष्ट्रीय क्रियाकलापों को उच्च श्रेणी के निदेश देने के लिए नये सिरे से प्रयास करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में रिज़र्व बैंक ने विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंकों के वर्तमान क्रियाकलापों का मूल्यांकन करने तथा उनकी वृद्धि की संभावनाओं का पता लगाने और बैंकों के कारोबार को सुधारने के लिए यथोचित सिफारिशें करने के संबंध में एक कार्यकारी दल गठन करने का निर्णय लिया है। तदनुसार 29 जुलाई 1988 को रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के मुख्य अधिकारी को उक्त दल का संयोजक तथा विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग के नियंत्रक के अलावा भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान के कार्यपालकों को सदस्य के रूप में लेकर एक अनौपचारिक कार्यकारी दल नियुक्त किया है।

2.182 इस कार्यकारी दल के कार्य क्षेत्रों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कार्य भी होंगे: मुख्य बाज़ार तत्वों को निर्दिष्ट करना जिन पर बैंकों को अपना ध्यान एकाग्र करना चाहिए और उनके निकट भविष्य के लिए योजना बनाना, उन्हें उपलब्ध करायी हुई पूंजी का मूल्यांकन और परिकलन करना, उनकी आंतरिक अपेक्षाओं के लिए प्रावधान करना तथा ऐसी पूंजी बढ़ाने के लिए कार्य विधि सुझाना, विदेशी शाखाओं के संबंध में कार्मिक नीति का अध्ययन करना तथा उनके चयन, पदापन

Agency in Kenya. Indian Overseas Bank also closed down its two branches, viz., Kwun Tong and Hongkok both in the Hongkong. Thus, the number of foreign branches (of 8 public sector banks and one private sector bank) was reduced from 119 to 116 as on June 30, 1989. The number of representative offices of four Indian banks remained unchanged at 10.

Banking Subsidiaries/Deposit-taking Companies

2.179 Indian banks had 6 wholly-owned subsidiaries (including 3 deposit-taking companies in Hongkong) and 6 joint venture banks/affiliates abroad (having less than 50 per cent shareholding) as at the end of June 1989.

Overseas Banks in India

2.180 During the year 1988-89, a branch of Deutsche Bank was opened and the number of branches of 21 foreign banks increased to 137 as on June 30, 1989. Desdner Bank, BHF Bank (West Germany), Banca Commercial Italiana (Italy), Banque Indosuez (France), Mitsui Bank Ltd. (Japan) and National Bank of Australia (Australia) opened a representative office each. Thus, the number of representative offices of foreign banks stood at 21 as on June 30, 1989.

Working Group on Operations of Indian Banks Abroad

2.181 There has been a quantum jump in the volume of business as also certain diversification of such business during the last decade or so in the overseas sector of the Indian banks. It appears necessary for banks to focus adequate attention in the development of sound marketing and business strategies with clear perspectives. Banks have also to take fresh initiatives necessary to give a high sense of direction to their international operations. It is in this context that the Reserve Bank decided to set up a Working Group to undertake an appraisal of the current operations of Indian banks operating abroad, assess their growth potential and make suitable recommendations for improvement of business performance of the banks. Accordingly, the Reserve Bank appointed on July 29, 1988 an informal Working Group with Chief Officer, Department of Banking Operations and Development, as convenor of the Group and executives from State Bank of India, Bank of India, Bank of Baroda and National Institute of Bank Management in addition to Controller, Exchange Control Department, as members of the Group.

2.182 The terms of reference of this group included, *inter alia,* to identify the main market segments that banks should concentrate and work out a plan for the immediate future, to assess and estimate their assigned capital, provisioning and infrastructural requirements and suggest modalities for raising such capital, to study personnel policy and suggest norms for selection, placement, transfer, training, etc., in respect of

(नियुक्ति), स्थानांतरण, प्रशिक्षण आदि के लिए मानदंडों का सुझाव देना तथा वर्तमान नियंत्रण एवं निगरानी पद्धतियों की समीक्षा करना तथा जहां आवश्यक हो यथोचित परिवर्तन सुझाना आदि। यह कार्यकारी दल अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत कर देगा, ऐसी संभावना है।

बैंकों का पूंजीगत आधार

2.183 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार से परामर्श करके सातवीं योजना की अवधि के दौरान 2,000 करोड़ रुपये का अंशदान करके राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजीगत आधार को बढ़ाने की योजना बनायी है। तदनुसार सरकार ने 31 मार्च 1989 को 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच में आबंटन के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि का और अंशदान किया। 1985 से लेकर अब तक उक्त योजना के अंतर्गत सरकार 1200 करोड़ रुपये का अंशदान कर चुकी है। भारतीय स्टेट बैंक की चुकता पूंजी अक्तूबर 1985 में 50 करोड़ रुपये बढ़कर 5,625 करोड़ रुपये हो गयी और नवम्बर 1987 में इसमें 150 करोड़ रुपये की और वृद्धि हुई। फिलहाल, भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय स्टेट बैंक की पूंजी का 99.20 प्रतिशत भाग रखता है। निजी क्षेत्र के बैंकों की स्वाधिकृत निधि की स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाकर तथा प्रारक्षित राशि में वृद्धि करके, ये दोनों प्रकार के उपाय किये जा रहे हैं।

पूंजीगत लाभ लेखा योजना, 1988

2.184 भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी पूंजीगत लाभ लेखा योजना 1988 के अंतर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 1 जुलाई 1988 को यह निदेश दिये गये थे कि वे उक्त योजना के अंतर्गत जमाराशि स्वीकार करें और उनके लेखे रखें।

न्यूनतम पूंजी एवं प्रारक्षित राशि की अपेक्षाएं – विदेशी बैंक

2.185 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 11 (2) (ख) (ii) के अनुसार भारत में कार्यरत प्रत्येक विदेशी बैंक से यह अपेक्षित है कि वह जितनी जल्दी हो सके, यह प्रत्येक खाता वर्ष की समाप्ति के बाद हो सकता है, रिज़र्व बैंक के पास नकदी रूप में अथवा भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में अथवा आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से ऐसी प्रतिभूतियों के रूप में भारत वर्ष में अपनी शाखाओं के माध्यम से किये गये कुल कारोबार के संबंध में उस वर्ष के अपने लाभ की 20 प्रतिशत की गणना की गयी राशि जमा करें। यह राशि उक्त अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत उस वर्ष के संदर्भ में तैयार किये गये लाभ-हानि खाते में दर्शायी गयी राशि के आधार पर होगी। भारत में कार्यरत सभी विदेशी बैंकों को 27 मार्च 1989 को यह सूचित किया गया था कि उपर्युक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए उन्हें चाहिए कि वे अलग प्रारक्षित खाते में भारतीय बहियों में ऐसे लाभों को रखें अर्थात् 31 मार्च 1989 को समाप्त अवधि के संदर्भ में तैयार किये गये खातों में शुरू होनेवाले प्रत्येक वर्ष के वार्षिक खाते में निर्दिष्ट किये गये अनुसार भारत वर्ष में किये गये कार्यकलापों पर लाभों का 20 प्रतिशत रखें। साथ ही उन्हें यह भी सूचित किया गया है कि इस प्रकार रोके रखे गये लाभ से नये बनाये गये प्रारक्षित खाते स्थायी स्वरूप के होंगे और वे बैंक की स्वाधिकृत निधि का हिस्सा होंगे। साथ ही इनमें से कोई आहरण केवल रिज़र्व बैंक की अनुमति से ही किया जा सकेगा। प्रथम बार भारत में कारोबार शुरू करने वाले विदेशी बैंकों के लिए एक न्यूनतम शुरूआती पूँजी का भी प्रावधान किया गया है।

overseas branches, and to review the present control and monitoring systems and suggest suitable changes wherever required, etc. The Group is expected to submit its report shortly.

Capital Base of Banks

2.183 Mention was made in the previous year's Report about the scheme evolved by the Reserve Bank in consultation with Government of India to augment the capital base of nationalised banks by contributing Rs. 2,000 crores during the Seventh Plan period. Accordingly, the Government contributed on March 31, 1989 a further sum of Rs. 200 crores for allocation among the 20 nationalised banks; the Government have so far contributed Rs. 1,200 crores under the scheme since 1985. The State Bank of India's (SBI) paid up capital was raised from Rs. 5.625 crores to Rs. 50 crores in October 1985 and further to Rs. 150 crores in November 1987. As at present the Reserve Bank of India holds 99.20 per cent of the capital of SBI. Measures to strengthen owned funds of private sector banks, both by raising additional capital and additions to reserves, are also being taken.

Capital Gains Accounts Scheme, 1988

2.184 Under the Capital Gains Accounts Scheme, 1988 introduced by the Government of India, all the public sector banks were advised with effect from July 1, 1988 to receive deposits and maintain accounts under the said scheme.

Minimum Capital and Reserves Requirements — Foreign Banks

2.185 Under Section 11(2)(b)(ii) of the Banking Regulation Act, 1949, each foreign bank operating in India is required as soon as may be after the expiration of each accounting year to keep deposited with the Reserve Bank either in cash or in the form of unencumbered approved securities or partly in cash and partly in the form of such securities, an amount calculated at 20 per cent of its profits for that year in respect of all business transacted through its branches in India, as disclosed in the profit and loss account prepared with reference to that year under Section 29 of the said Act. All foreign banks operating in India were advised on March 27, 1989 that while complying with the above requirements, they should also retain in Indian books, in a separate reserve account, such profits, namely, 20 per cent of the profits of Indian operations, as disclosed in the annual accounts every year commencing with the accounts prepared with reference to the period ending March 31, 1989. Furthermore, they have also been advised that the separate reserve account so created out of retained profits will be permanent in nature and form part of the owned funds of the bank and that any withdrawals from it can be made only with the approval of the Reserve Bank. A minimum start up capital has also been prescribed for foreign banks starting operations in India for the first time.

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कारोबार के परिणाम

2.186 वर्ष 1986 और 1987 के लिए 78 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (28 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, 21 विदेशी बैंकों और 29 अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों) के कारोबार के परिणाम से संबंधित आंकड़े, जो कि बैंकों के प्रकाशित लाभ और हानि खातों के आधार पर तैयार किये गये हैं, सारणी II.39 में दिये गये हैं। बैंकों द्वारा अपनायी गयी विभिन्न लेखा प्रक्रियाओं के कारण सभी बैंकों के आंकड़ों का समेकन करना कठिन बना रहा। उदाहरण के लिए जब कि अधिकांश बैंक आकस्मिक प्रारक्षित निधि का प्रावधान दिखाते हैं तो कुछ बैंक उसे स्थापना संबंधी खर्चों, जिसमें वेतन मजदूरी आदि आते हैं, में सम्मिलित करते हैं। आकस्मिक प्रारक्षित राशि में अन्य प्रयोजनों के लिए भी प्रावधानों को सम्मिलित करती है और इसलिए अदा किये गये बोनस की वास्तविक राशि आकस्मिक प्रारक्षित राशि मे दिखाये गये आंकड़ों से कम होगी। चूंकि उनके ब्योरे उपलब्ध नहीं है, अतः शुद्ध लाभ निकालने के लिए संपूर्ण आकस्मिक प्रारक्षित राशि को घटा दिया गया है।

सारणी II.39 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कारोबारी परिणाम– 1986 तथा 1987

(करोड़ रुपयों में)

	स्टेट बैंक समूह (8)		20 राष्ट्रीयकृत बैंक		अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्यक बैंक (29)		विदेशी बैंक (21)		जोड़ (78)	
	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. कुल आय	**3791.70**	**4518.11**	**7457.55**	**8792.44**	**554.78**	**657.56**	**642.60**	**837.82**	**12446.53**	**14805.93**
	(15.6)	(19.2)	(18.2)	(17.9)	(12.5)	(18.5)	(32.1)	(30.4)	(17.8)	(19.0)
इसमें से										
ब्याज और बट्टा	3317.21	3983.67	6908.63	8118.00	504.37	595.06	538.84	690.07	11269.05	13386.80
	(14.7)	(20.1)	(16.9)	(17.5)	(11.5)	(18.0)	(33.3)	(28.1)	(16.7)	(18.8)
II. कुल व्यय	**3750.44**	**4470.70**	**7355.45**	**8657.13**	**545.00**	**644.72**	**572.66**	**752.40**	**12223.55**	**14524.95**
	(15.6)	(19.2)	(17.4)	(17.7)	(12.2)	(18.3)	(27.3)	(31.4)	(17.0)	(18.8)
इसमें से										
क) जमाराशियों, उधार आदि पर अदा किया गया ब्याज	2460.05	2988.84	5092.81	6067.12	339.96	409.04	314.12	417.17	8206.94	9882.17
	(16.8)	(21.5)	(18.5)	(19.1)	(14.4)	(20.3)	(32.3)	(32.8)	(18.3)	(20.4)
ख) कर्मचारियों को अदा किये गये वेतन, भत्ते, भविष्य निधि बोनस तथा अनुग्रह राशि	908.23	1018.59	1579.45	1733.86	149.76	168.77)	71.08	95.11	2708.52	3016.33
	(9.9)	(12.2)	(12.7)	(9.8)	(10.1)	(12.7)	(11.6)	(33.8)	(11.6)	(11.4)
III. कराधान तथा कर्मचारियों के लिए बोनस, अनुग्रह राशि का प्रावधान करने के बाद लाभ	**41.26**	**47.41**	**102.10**	**135.31**	**9.78**	**12.84**	**69.94**	**85.42**	**223.08**	**280.98**
	(20.9)	(14.9)	(122.5)	(32.5)	(37.6)	(31.3)	(92.1)	(22.1)	(80.6)	(26.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।
स्रोत : *बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक*

2.187 कराधान, कर्मचारियों के लिए बोनस/अनुग्रह राशि की अदायगी के लिए प्रावधान करने के

Working Results of Scheduled Commercial Banks

2.186 Data relating to the working results of 78 scheduled commercial banks (28 public sector banks, 21 foreign banks and 29 other Indian scheduled commercial banks) for the year 1986 and 1987 which were based on the published profit and loss accounts of banks are presented in Table II.39. Consolidation of the data for all banks continues to be difficult due to the different accounting procedures adopted by banks. For example, while most of the banks show provision for bonus under contingency reserves, a few include it as part of establishment expenses comprising salaries, wages, etc. Again contingency reserves also include provision for other purposes and hence the actual amount of bonus paid would be lower than the figures shown by contingency reserves. Since the details are not available, the entire contingency reserves have been deducted for arriving at net profit.

Table II.39 : Working Results of Scheduled Commercial Banks 1986 and 1987

(Rs. Crores)

	State Bank Group (8)		20 Nationalised Banks		Other Indian Scheduled Commercial Banks (29)		Foreign Banks (21)		Total (78)	
	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Total Earnings	**3791.70**	**4518.11**	**7457.55**	**8792.44**	**554.78**	**657.56**	**642.60**	**837.82**	**12446.53**	**14805.93**
	(15.6)	(19.2)	(18.2)	(17.9)	(12.5)	(18.5)	(32.1)	(30.4)	(17.8)	(19.0)
Of which										
Interest and Discount	3317.21	3983.67	6908.63	8118.00	504.37	595.06	538.84	690.07	11269.05	13386.80
	(14.7)	(20.1)	(16.9)	(17.5)	(11.5)	(18.0)	(33.3)	(28.1)	(16.7)	(18.8)
II. Total Expendture	**3750.44**	**4470.70**	**7355.45**	**8657.13**	**545.00**	**644.72**	**572.66**	**752.40**	**12223.55**	**14524.95**
	(15.6)	(19.2)	(17.4)	(17.7)	(12.2)	(18.3)	(27.3)	(31.4)	(17.0)	(18.8)
Of which										
a) Interest paid on Deposits, Borrowings, etc.	2460.05	2988.84	5092.81	6067.12	339.96	409.04	314.12	417.17	8206.94	9882.17
	(16.8)	(21.5)	(18.5)	(19.1)	(14.4)	(20.3)	(32.3)	(32.8)	(18.3)	(20.4)
b) Salaries, Allowances, Provident Fund & Bonus, Ex-gratia Payment to Staff	908.23	1018.59	1579.45	1733.86	149.76	168.77	71.08	95.11	2708.52	3016.33
	(9.9)	(12.2)	(12.7)	(9.8)	(10.1)	(12.7)	(11.6)	(33.8)	(11.6)	(11.4)
III. Profit after provision for taxation and bonus/ ex-gratia payment to staff	**41.26**	**47.41**	**102.10**	**135.31**	**9.78**	**12.84**	**69.94**	**85.42**	**223.08**	**280.98**
	(20.9)	(14.9)	(122.5)	(32.5)	(37.6)	(31.3)	(92.1)	(22.1)	(80.6)	(26.0)

Note : Figures in brackets indicate percentage change over the previous year.

Source : Department of Banking Operations and Development, RBI.

2.187 Net profit of scheduled commercial banks, after providing for taxation, bonus/ex-gratia

पश्चात् अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के शुद्ध लाभ में 1987 के दौरान और सुधार दिखाई दिया हालांकि वृद्धि की दर में गिरावट आयी। 1987 में 78 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कुल शुद्ध लाभ 280.98 करोड़ रुपये का रहा। इस प्रकार इसमें पिछले वर्ष के शुद्ध लाभ के भुगतान के मुकाबले 57.90 करोड़ रुपये अथवा 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लाभों में वृद्धि की दर विभिन्न बैंक समूहों में अलग-अलग रही। स्टेट बैंक समूह (आठ बैंकों) के मामले में कुल शुद्ध लाभ 1987 में 47.41 करोड़ रुपये रहा, जबकि 1986 में यह 41.26 करोड़ रुपये था। इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले 14.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बीस राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1986 के 102.10 करोड़ रुपये के मुकाबले 1987 में 135.31 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्शाया। इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 32.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निजी क्षेत्र में अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने 1986 के 9.78 करोड़ रुपये के लाभ के मुकाबले 1987 में 12.84 करोड़ रुपये अर्थात् 31.3 प्रतिशत लाभ दर्शाया। विदेशी बैंकों का शुद्ध लाभ 1986 के 69.94 करोड़ रुपये से बढ़कर 1987 में 85.42 करोड़ रुपये हो गया जिसकी वृद्धि दर पिछले वर्ष के मुकाबले 22.1 प्रतिशत की रही।

2.188 समीक्षाधीन वर्ष के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (78) की कुल आय में 2,359.30 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इसी प्रकार कुल व्यय में 2,301.40 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। आय की तरह जो मुख्य मदें हैं, ब्याज और बट्टा, उनसे हुई आय में 2,117.75 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि जमाराशियों पर तथा उधार ली गयी राशियों पर अदा किया गया ब्याज 1,675.23 करोड़ रुपये बढ़ गया। स्थापना संबंधी खर्चे 307.81 करोड़ रुपये बढ़ गये, जबकि 1986 में इनमें 281.04 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

बैंकों के लिए कार्य-योजना : 1988-90

2.189 बैंकों के कार्यों में 1970 से तीव्र गति से वृद्धि होने के पश्चात् ऐसी आवश्यकता महसूस की गयी कि बैंकों के कार्यकलापों और सेवाओं की गुणवत्ता को समन्वित करके उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने समग्र कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए 1985-87 की अवधि के दौरान विशेष कार्य योजनायें बनायें और उनका अनुपालन करें। बैंकों में जागरूकता और गतिशीलता की नयी भावना तथा समयबद्ध रूप में अनेक क्षेत्रों में अब तक प्राप्त किये गये सकारात्मक परिणामों से प्रेरित होकर, इस प्रक्रिया को जारी रखा गया है तथा बैंकों को सूचित किया गया कि वे अप्रैल 1988 से मार्च 1990 तक की अवधि के लिए कार्य योजना बनायें (जो कि सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के साथ ही पूरी होगी।) उपर्युक्त कार्य योजना में संगठनात्मक ढांचे, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, ग्राहक सेवा, जमा संग्रहण, ऋण प्रबंध, हाउस कीपिंग, लाभप्रदता, आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है। इस योजना के अनुपालन की प्रगति पर वाणिज्य बैंकों और रिज़र्व बैंक दोनों के सर्वोच्च स्तर से निगरानी की जा रही है जो बैंकों के समग्र क्रियाकलापों और कार्य निष्पादनों में कुछ सुधार लायी है। 1988-89 के दौरान गवर्नर महोदय ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के साथ तिमाही समीक्षा बैठकें की हैं। विचार-विमार्शों से निकले परिणामों से निम्नलिखित पहलुओं का पता चला है :

(i) बैंकों ने सामान्यत: विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक ढांचों को पुनर्गठित और मजबूत किया है, नियमों और दायित्वों को परिभाषित किया है और विभिन्न स्तरों पर शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के कार्य पूर्ण कर लिये हैं। फिर भी नियंत्रणकर्ता स्तरों को और सुधारने की आवश्यकता है ताकि उनको अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जा सके। इसी प्रकार, नियंत्रक कार्यालय के स्तर पर स्टाफ नियोजन संबंधी पद्धति को यथोचित रूप से सुधारा जाना है। (ii) इस चालू कार्य योजना का एक कार्य क्षेत्र, जिसपर बल

payment to the staff showed further improvement during 1987, although the rate of increase showed deceleration. The aggregate net profits of 78 scheduled commercial banks in 1987 amounted to Rs. 280.98 crores, recording an increase of Rs. 57.90 crores or 26 per cent over the net profits of the previous year. The rate of increase in profits varied among different bank groups. In the case of State Bank Group (8 banks), the aggregate net profits amounted to Rs. 47.41 crores in 1987 as against Rs. 41.26 crores in 1986, recording an increase of 14.9 per cent over the previous year. Twenty nationalised banks recorded an increase in net profit from Rs. 102.10 crores in 1986 to Rs. 135.31 crores in 1987, showing an increase of 32.5 per cent over the year. In the private sector, other scheduled commercial banks recorded an increase in profit from Rs. 9.78 crores in 1986 to Rs. 12.84 crores in 1987, i.e., by 31.3 per cent over the year. Net profits of foreign banks rose from Rs. 69.94 crores in 1986 to Rs. 85.42 crores in 1987, showing a growth rate of 22.1 per cent over the year.

2.188 During the year under review, total earnings of all the scheduled commercial banks (78 banks) recorded an increase of Rs. 2,359.30 crores. Similarly, total expenditure rose by Rs. 2,301.40 crores. Income from interest and discount which are the major items on the income side rose by Rs. 2,117.75 crores while interest paid on deposits and borrowings went up by Rs. 1,675.23 crores. Establishment expenses increased by Rs. 307.81 crores as compared with a rise of Rs. 281.04 crores during 1986.

Action Plans for Banks : 1988-90

2.189 After a phase of rapid expansion of banks' activities since 1970, a need was felt to consolidate and improve the quality of banks' operations and services. Banks were requested to draw up and implement specific Action Plans during the period 1985-87 designed to improve their overall performance. Encouraged by the new sense of awareness and involvement of the banks and positive results achieved in a number of areas so far, the process has been continued and banks were advised to draw up Action Plans for the period from April 1988 to March 1990 (to be co-terminus with the Seventh Five Year Plan). The aforesaid Action Plans covered important areas like organisational structure, training and human resources development, customer service, deposit mobilisation, credit management, house-keeping, profitability, etc. Progress in the implementation of the Plans is being monitored at the highest level both in commercial banks and the Reserve Bank which has brought about some improvements in the overall operations and performances of banks. During 1988-89, the Governor held quarterly review meetings with the Chairmen and Senior Executives of all public sector banks. The results of the discussions revealed the following aspects :

(i) Banks have generally reorganised and revamped the organisational set up at various levels, defined roles and responsibilities and completed delegation of powers at various levels. The performance of controlling tiers, however, needs to be geared up

दिया गया है, वह है शाखाओं की कार्य-पद्धति में गुणात्मक सुधार लाने की आश्यकता। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बैंक ऐसी शाखाओं को निर्दिष्ट कर रहे हैं, जिनका कार्य असंतोषजनक है ताकि उनके कारोबारी परिणामों को सुधारा जा सके। ऐसी शाखाओं को सक्षम और अनुभवी प्रबंधकों द्वारा संभाला जाना होगा और उनके द्वारा बनायी गयी योजनाओं पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखनी होगी। कुछ अच्छी प्रकार से चल रही शाखाओं को बैंकों द्वारा आदर्श शाखाओं के रूप में उच्च स्तरित किया जायेगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बैंकों से कहा गया है कि वे अपव्यय वाले कार्यकलापों को निर्दिष्ट करके उन्हें समाप्त कर दें तथा पद्धतियों और प्रक्रियाओं को सुधारकर कार्य परिणामों में सुधार लायें। (iii) ग्रामीण ऋण के उपयोग को और अधिक प्रयोजन पूर्ण तथा उत्पादक बनाने की आवश्यकता के संदर्भ में, बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे 1 अप्रैल 1989 से सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण को लागू करें। इस उद्देश्य के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे उन्हें आबंटित ग्रामीण और अर्ध शहरी केन्द्रों पर शाखायें खोलने के लिए शीघ्र कार्रवाई करें। यद्यपि कार्यपालन के स्तर पर कुछ प्रारंभिक कठिनाइयां आना अपरिहार्य है, परंतु बैंकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि नयी व्यवस्था की ओर जाने की प्रक्रिया में ऋण के प्रवाह में किसी भी प्रकार की कोई बाधा न आये। (iv) यद्यपि ग्राहक सेवा के क्षेत्र में कुछ सुधार हुआ है, फिर भी उनसे कहा गया कि वे इन उपायों के प्रभाव को मद्देनजर रखते हुए इस पहलू पर अधिक ध्यान दें। (v) बैंकों की ऋण संबंधी आस्तियों की गुणवत्ता बैंकों और रिज़र्व बैंक दोनों के लिए ही चिंता का विषय है। इस क्षेत्र में बैंकों को सूचित किया गया है कि वे ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन की गुणवत्ता को और सुधारने के लिए, समीक्षा/खातों के नवीकरण, ऋणकर्ता इकाइयों के निरीक्षण तथा सहायता प्रदान की गयी इकाइयों के कार्य निष्पादन की निगरानी के लिए अन्य उपाय करने के लिए निरंतर प्रयास करें। बैंकों को सूचित किया गया है कि वसूली कार्य को सुधारने के लिए सभी स्तरों पर एक निपुण प्रबंध तंत्र के साधन के रूप में स्वास्थ्य कूट वर्गीकरण का अधिकाधिक प्रयोग करें। (vi) यद्यपि आंतरिक व्यवस्था (हाउस कीपिंग) के क्षेत्र में कुछ सुधार देखा गया है फिर भी, बैंकों से कहा गया है कि वे इस दिशा में और सुधार करें तथा अब तक हुई उपलब्धियों को समन्वित करें। (vii) इस बात पर पुनः बल दिया गया है कि बैंकों को अपनी कार्य पद्धति और आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाना चाहिए और इस प्रकार अपनी प्रशासनिक लागत को कम करके और सभी स्तरों पर उत्पादकता में सुधार लाकर अपनी समग्र लाभप्रदता में सुधार लायें।

बैंकों में हिन्दी की प्रगति/हिन्दी का प्रयोग

2.190 सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों ने अपने कार्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए अपने प्रयास जारी रखे। भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये समयबद्ध कार्यक्रम को बैंकों में परिचालित किया गया और निर्धारित अवधियों पर उसकी अनुपालन रिपोर्ट नियमित रूप से प्राप्त की गयीं। इन रिपोर्टों की समीक्षा करने पर पता चला है कि बैंकों ने हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में अच्छी प्रगति की है। अधिकांश बैंकों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में हैं। सभी बैंकों ने राजभाषा नियमावली के नियम 10(4) के अंतर्गत क्षेत्र ''क'' में अपनी अधिकांश शाखाओं को अधिसूचित कर दिया है। क्षेत्र ''क'' और ''ख'' में पत्राचार के अलावा अपने विभिन्न प्रकार के आंतरिक कार्य हिन्दी में करने में अधिकांश बैंकों ने अच्छी प्रगति दर्शायी है। अधिकांश बैंकों ने अपने कोडों, मैन्युअलों, नियमों, प्रशिक्षण सामग्री आदि का अनुवाद करके उन्हें डिग्लॉट फॉर्म में छपवाने का कार्य पूरा कर लिया है।

14. बैंकिंग में नयी तकनीक

बैंकिंग उद्योग में मशीनीकरण/कम्प्यूटरीकरण

2.191 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इंडियन बैंक्स एसोशियेशन और कर्मचारी यूनियनों के बीच मार्च

to make them more effective. Similarly, the staffing pattern at the controlling office has to be suitably rationalised. (ii) The need for bringing about qualitative improvement in the working of branches is one of thrust areas of the current Action Plan. In order to attain that objective banks are identifying branches with unsatisfactory rating so as to upgrade their working results. Such branches would have to be manned by competent and experienced managers and the plans drawn by them need to be carefully monitored. Certain well-run branches will be upgraded to model branches by the banks. In order to achieve the objective, banks have been asked to identify and eliminate wasteful working methods and improve the work flow by streamlining the systems and procedures. (iii) In view of the implementation of the Service Area Approach with effect from April 1, 1989, banks have been advised to expedite opening of branches at the rural and semi-urban centres allotted to them. (iv) Although there is some improvement in the area of customer service they have been asked to give greater attention to this aspect taking into account impact of various measures at the field level. (v) In order to improve quality of loan assets, which is a matter of great importance, banks have been advised to make sustained efforts to further improve the quality of credit appraisal, review/renewal of accounts, inspection of borrowal units and other measures for monitoring the performance of assisted units. Banks have been advised to increasingly make use of the Health Code classification as an efficient management tool at all tiers for improving the recovery performance. (vi) Although some improvement has been noticed in the areas of house-keeping, banks have been asked to further improve and consolidate the gains made so far. (vii) It has been reiterated that banks should strengthen their working and financial position and thus improve their overall profitability by reducing administrative costs and improving productivity at all the levels.

Promotion/Use of Hindi in Banks

2.190 All public sector banks continued their efforts for the progressive use of Hindi in their working. A time bound annual programme prepared by the Government of India was circulated amongst the banks and implementation reports thereof were obtained regularly at prescribed intervals. A review of these reports shows that the banks have made steady progress in the use of Hindi. Most of the banks have sufficient staff having working knowledge of Hindi. All banks have notified most of their branches in Region 'A' under Rule 10(4) of Official Language Rules. A majority of banks have made good progress in carrying on various types of internal work in Hindi in Regions A and B. Most of the banks have completed translation and printing of their codes, manuals, rules, training materials, etc. in *diglot* form.

14. New Technology in Banking

Mechanisation/Computerisation in the Banking Industry

2.191 Reference was made in last year's Report about the agreement signed in

1987 में हुए करार के बारे में उल्लेख किया गया था जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सितंबर 1989 के अंत तक अपनी शाखाओं में 5,480 एडवान्स लैज़र पोस्टिंग मशीन लगाने की अनुमति दी गयी थी। जून 1989 के अंत तक बैंकों ने अपनी शाखाओं में 4,264 एएलपीएमएस मशीनें लगा ली थीं, जिनमें से 3,997 चालू कर दी गयी हैं और 2,962 एएलपीएमएस मशीनें चल रही हैं। उसी तारीख को बैंकों ने 218* मिनी कम्प्यूटर पद्धति भी अपने क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों में लगा लिये थे। जहाँ तक बैंकों के मुख्यालयों में प्रमुख फ्रेम पद्धति का प्रश्न है, स्वदेश में निर्मित 3 पद्धतियों के मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है और उसके परिणाम बैंकों को सूचित कर दिये गये हैं। दो बैंकों ने मुख्य फ्रेम लगा लिये हैं और अन्य बैंक डिजाइन तैयार करने के विभिन्न स्तरों पर हैं। इस बीच बैंकों को सूचित किया गया है कि वे स्थान की तैयारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करें और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने तथा सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए अभ्यास शुरू करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन मशीनों के लग जाने पर इनका भरपूर प्रयोग किया जाएगा। बैंकों में विभिन्न स्तरों पर मशीनीकरण की प्रगति जारी रखने की दृष्टि से वर्ष 1988 और 1989 के लिए उद्योग स्तर पर वार्षिक कार्य योजना तैयार की गयी है और उसके अंतर्गत की गयी प्रगति पर रिज़र्व बैंक और सरकार द्वारा बड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि उद्योग स्तर पर सॉफ्टवेयर को मानक रूप दे दिया जाए। मुख्यालय स्तर पर एक अंतर्बैंक दल दो कार्यक्रमों अर्थात् अग्रणी बैंक योजना निगरानी और सरकारी लेख समन्वय को लागू करने के लिए मानक सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है।

2.192 अब तक प्राप्त की गयी प्रगति तथा ग्राहक सेवा और उत्पादकता को सुधारने के लिए बैंकों की भावी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर की अध्यक्षता में तथा प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थानों, सरकारी विभागों और रिज़र्व बैंक से सदस्य लेकर सितंबर 1988 में एक समिति का गठन किया जो 1990 से 1994 तक की अवधि के अगले पांच वर्षों के लिए बैंकों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए भावी योजना तैयार करेगी तथा अन्य संबंधित मामलों पर विचार करेगी। समिति ने उसे सौंपे गये विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श पूरा कर लिया है जिसको शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

मशीनीकृत चेक अभिसंस्करण तथा समाशोधन गृह निपटान संबंधी कार्यों का कम्प्यूटरीकरण

2.193 कलकत्ता में रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित समाशोधन गृह में स्थानीय तथा दूसरे शहरों के माइकर चेकों के अभिसंस्करण के लिए एक उच्च गति की रीडर शार्टर प्रणाली शुरू करके माइकर तकनीक प्रयोग में लाते हुए मशीनीकृत चेक समाशोधन का प्रथमचरण पूरा कर लिया है। (यह कार्य बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में क्रमशः जून 1987, जुलाई 1987 और मार्च 1988 से पहले ही शुरू कर दिया गया है)। समाशोधन गृह के निपटान को कम्प्यूटरीकृत किये जाने का कार्य जो कि अहमदाबाद, बंगलूर, हैदराबाद और कानपुर में पहले से ही प्रचलित था, इस वर्ष नागपुर में शुरू कर दिया गया। जयपुर, तिरुवनन्तपुरम तथा गुवाहाटी में समाशोधन गृह निपटान को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए प्रबंध किये जा रहे हैं। बाह्य माइकर चेक अब राष्ट्रीय समाशोधन योजना के अंतर्गत औसतन 4/5 दिनों में निपटा दिया जाता है, जबकि पहले इनके लिए 3 से 4 सप्ताह का समय लगता था। समाशोधन गृह निपटान कार्यों को मशीनीकृत करने का कार्य कुछ बड़े समाशोधन गृहों पर भी लागू किया जा रहा है, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक संचालित करता है।

2.194 बाहरी माइकर चेकों के राष्ट्रीय समाशोधन का कार्य बम्बई, नई दिल्ली कलकत्ता और मद्रास

March 1987 between the Indian Banks' Association (IBA) and Employees' Unions under which the public sector banks were allowed to install 5, 480 Advanced Ledger Posting Machines (ALPMs) at their branches by September 1989. As at the end of June 1989, banks have installed 4,264 ALPMs at their branches of which 3,997 ALPMs have been operationalised and 2,962 ALPMs are on live run. As on the same date, banks have also installed 218 mini-computer systems at their Regional/Zonal Offices. As regards Mainframe Systems at the Head Offices of banks, the bench-marking for selection of three indigenously manufactured systems has been completed and the results have been communicated to the banks. Two banks have installed the mainframes and others are in the various stages of decision making. In the meanwhile, banks have been advised to initiate steps for site preparation and training of personnel and commence exercises for software development so as to ensure optimal utilisation of the systems on installation. In order to keep up the progress of mechanisation at various levels in banks, industry level Annual Action Plans had been drawn up for the years 1988 and 1989 and the progress made thereunder is being closely monitored by the Reserve Bank and the Government. Efforts are being made to standardise software at the industry level. At Head Office level, an inter-bank group is developing standardised software for two applications, namely, Lead Bank Scheme Monitoring and Government Accounts Co-ordination.

2.192 Taking into account the progress achieved so far and the requirements of banks in the future to improve customer service and productivity, the Reserve Bank has constituted a Committee in September 1988 under the Chairmanship of a Deputy Governor of the Reserve Bank and members drawn from major public sector banks, financial institutions, training institutions, Government departments and the Reserve Bank to prepare a perspective plan for computerisation of banks for the next five years covering the period 1990 to 1994 and consider other allied issues. The Committee has since deliberated on the various issues referred to it and it will be finalised shortly.

Mechanised Cheques Processing and Computerisation of Clearing House Settlement Operations

2.193 The first phase of mechanised cheque clearance using Magnetic Ink Character Recognition (MICR) technology has been completed with the introduction of a high speed reader sorter system for processing of local as well as inter-city MICR cheques at the clearing house managed by the Reserve Bank in Calcutta. (This was already introduced in Bombay, Madras and New Delhi with effect from June 1987, July 1987 and March 1988, respectively). Computerisation of clearing house settlement, which was already in operation in Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad and Kanpur, was extended to Nagpur during the year. Arrangements are being made to computerise clearing house settlement operations in Jaipur, Trivandrum and Guwahati.

2.194 National clearing of outstation MICR cheques has been operative among

स्थित समाशोधन गृहों के बीच चालू कर दिया गया है। उपर्युक्त चार महानगरीय केन्द्रों में स्थित बैंकों पर बाहरी माइकर चेकों की एकतरफा समाशोधन सुविधा जो कि अहमदाबाद, बंगलूर तथा हैदराबाद में स्थित समाशोधन गृहों में पहले से ही है, उसे मई 1989 से नागपुर में भी बढ़ा दिया गया है।

2.195 1 लाख रुपये से अधिक के चेकों का विशेष समाशोधन-कार्य बंबई में अक्तूबर 1988 से और मद्रास में मार्च 1989 में शुरू कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप अब यह संभव हो गया है कि उच्च मूल्य वाले चेकों को उसी दिन ग्राहकों के खातों में जमा कर दिया जाये। अन्तर्बैंक चेकों का विशेष समाशोधन-कार्य भी बम्बई और मद्रास में शुरू कर दिया गया है जिसमें उसी दिन खाते में राशि जमा करने की सुविधा प्रदान की गयी है।

2.196 भारतीय रिज़र्व बैंक के कहने पर इंडियन बैंक एसोसियेशन द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल ने समाशोधन गृहों के लिए एँक समान विनियम और नियमों को अंतिम रूप दे दिया है और देश में सभी समाशोधन गृहों द्वारा इन्हें अपनाया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 48 (2) (त) जिसके द्वारा रिज़र्व बैंक को केवल अनुसूचित बैंकों के लिए समाशोधन गृहों हेतु विनियम बनाने के लिए शक्ति प्रदान की गयी थी उसे संसद द्वारा दिसंबर 1988 में संशोधित करके सभी सदस्य बैंकों, इनमें गैर अनुसूचित, सहकारी तथा डाक घर बचत बैंक भी सम्मिलित हैं, को नियंत्रित करने के लिए समाशोधन गृहों के विनियम बनाने के लिए शक्ति प्रदान की गयी है। एक विशेषज्ञ दल मई 1989 में गठित किया गया है जिसमें रिज़र्व बैंक के संबंधित विभागों, इंडियन बैंक एसोसिएशन तथा भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हैं। यह दल समाशोधन गृहों के लिए वर्तमान एक समान विनियमों और नियमों की समीक्षा करेगा ताकि उन्हें उक्त अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक आधार दिया जा सके। यह निर्णय किया गया है कि जहां 5 या 5 से अधिक बैंक हों ऐसे केन्द्रों पर समाशोधन गृह स्थापित किये जायें। तदनुसार वर्ष 1985-89 के दौरान 23 नये समाशोधन गृहों ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

दूर संचार संबंधी नेटवर्क

2.197 बैंकों के लिए संचार-नेटवर्क पर गठित समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसरण में, बैंकों के लिए ''बैंक नेट'' नामक पूर्णतः आंकड़ा संचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं जिसके माध्यम से भारत में (रिज़र्व बैंक सहित) 37 बैंक विश्वव्यापी अंतर्बैंक वित्तीय दूरसंचार समिति (स्विफ्ट) जो कि ब्रुसेल्स, बेलजियम में स्थित एक सहकारी समिति है, के सदस्य बन चुके हैं। स्विफ्ट के क्षेत्रीय अभिसंस्करण की बम्बई में प्रस्थिापना के लिए कार्यवाई की जा रही है, इसे अंतर्राट्रीय द्वार (गेट वे) के रूप में कार्य करना है। स्विफ्ट के विनिर्देशों के अनुसार संदेशों के प्रारूपों को रिज़र्व बैंक तथा भारतीय बैंक संघ द्वारा मानक रूप दिया जा रहा है। इस नेट वर्क के माध्यम से नेटवर्क पर स्थिति कोई भी बैंक अपने कार्यालयों से तथा किसी अन्य बैंक/कार्यालय/कम्प्यूटर, जो नेट वर्क के अंतर्गत हो, से संबंध स्थापित कर सकता है। नेट वर्क में दिये गये कनेक्शनों, जिन्हें ''पोर्ट्स'' कहा गया है, मिनी-माइक्रो प्रणाली और मेनफ्रेम कम्प्यूटरों के टर्मिनल हो सकेंगे। बैंक नेट सामान्य प्रयोजन के लिए 25 नेट वर्क से युक्त है और यह सारे देश में भौगोलिक रूप से विभिन्न स्थितियों में फैले स्थानों से/को मूलभूत संबंध प्रदान करेगा। रिज़र्व बैंक के राष्ट्रीय समाशोधन कक्षों में 4 महानगरों में स्थापित आई बी एम कम्प्यूटर इस नेट वर्क के लिए आधार (हब) होंगे। नेट वर्क की विभिन्न प्रणालियों के बीच

clearing houses in Bombay, New Delhi, Calcutta and Madras. One way clearing of outstation MICR cheques drawn on banks in the said four metropolitan centres, which was already operative in the clearing houses in Ahmedabad, Bangalore and Hyderabad, has been extended to Nagpur from May 1989.

2.195 Special clearing of cheques above Rs. 1 lakh has been introduced in Bombay from October 1988 and in Madras from March 1989. As a result, it is now possible to credit customers' accounts in respect of high value cheques on the same day. Special clearing of inter-bank cheques has also been introduced in Bombay and Madras extending the benefit of same day credit. Outstation MICR cheques are now being cleared under the National Clearing Scheme within 4/5 days on an average as against 3 to 4 weeks in the past. Mechanisation of clearing house settlement operations is also being extended to a few large clearing houses managed by State Bank of India.

2.196 The Working Group appointed by the Indian Banks' Association at the instance of the Reserve Bank had finalised the Uniform Regulations and Rules for Clearing House and these had been adopted by all Clearing Houses in the country. Section 58(2)(P) of the RBI Act, 1934, which earlier empowered the Reserve Bank to frame regulations for Clearing Houses only for scheduled banks, was amended by Parliament in December 1988 to provide for framing of regulations of Clearing Houses to govern all member-banks, including non-scheduled, co-operative and post office savings banks. An Expert Group comprising senior officers drawn from concerned departments of the Bank, Indian Banks' Association and State Bank of India has been constituted in May 1989 to review the existing Uniform Regulations and Rules for Clearing Houses in order to place the same on a statutory basis under the said Act. It has been decided to establish Clearing Houses at centres with five or more banks. Accordingly, 23 new Clearing Houses started functioning during the year 1988-89.

Telecommunication Network

2.197 Pursuant to the recommendations made by the Committee on Communication Network for Banks, steps are being taken to set up an exclusive data communication network for banks called BANKNET. Thereby, 37 banks in India (including the Reserve Bank) have become members of the Society for Worldwide Inter-bank Financial Telecommunications (SWIFT), a co-operative society based in Brussels, Belgium. Action is under way for the installation of the SWIFT Regional Processor at Bombay which is to act as an international gateway. Message formats conforming to SWIFT specifications are being standardised by the Reserve Bank and the Indian Banks' Association. Through this network any bank on the network will be able to establish connection with its own offices and with any other banks/offices/computers in the network. The connections in the network called 'Ports' could be terminals of mini-micro systems and mainframe computers. BANKNET is a general purpose x.25

आधारभूत संबंध, दूर संचार विभाग द्वारा प्रदान की गयी आंकड़ा संप्रेषण लाइनों के माध्यम से उपलब्ध होगा। ''बैंकनेट'' अर्थात् जिसमें डॉट सरकिटों को लगाना, कुछ आवश्यक संचार उपकरणों का आयात, इसके लागू करने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण तथा संदेश फार्मेट तैयार करने और स्थान तैयार करने के कार्य, जिससे कि इसका पहला चरण लागू किया जा सके, प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में है।

15. ग्राहक सेवा और संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत

बैंकों में ग्राहक सेवा का सर्वेक्षण

2.198 रिज़र्व बैंक ने ग्राहक सेवा के क्षेत्र में बैंकों को सूचित किये विभिन्न उपायों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के प्रयोजन के लिए बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से एक सर्वेक्षण कराया। इस सर्वेक्षण से यह पता चला है कि यद्यपि बैंकों द्वारा ग्राहक सेवा सुधारने के उपायों का अनुपालन सामान्यतया संतोषप्रद है, परंतु ग्राहक सेवा को कुछ क्षेत्रों में अपेक्षित स्तर तक लाने के लिए बैंकों को अपनी सेवा में सुधार लाने की आवश्यकता है। अतः बैंकों को सूचित किया गया है कि वे आवश्यक सुधारात्मक उपाय करें।

सार्वजनिक भविष्य निधि खाते खोलना

2.199 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मई 1988 में यह सूचित किया गया था कि वे अपनी सभी प्राधिकृत शाखाओं को यह अनुदेश जारी करें कि वे (सार्वजनिक भविष्य निधि में जमाराशि स्वीकार करने के संबंध में) प्राप्त अनुरोध पर सकारात्मक कार्रवाई करें और जब भी ग्राहक सार्वजनिक भविष्य निधि के खाते खोलने के लिए उनसे अनुरोध करें वे उन्हें सभी संभव सहायता जुटायें।

मृतक ग्राहकों के खातों में शेष राशि का उत्तरजीवियों/दावेदारों को भुगतान

2.200 जुलाई 1987 में बैंकों को पहले ही यह सूचित किया गया था कि वे मृतक जमाकर्ता के उत्तराधिकारी/उत्तरजीवियों को शेष राशि की अदायगी के लिए यदि वह 25,000/- रुपये से अधिक न हो तो वे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जोर न दें, बशर्ते कि ऐसे दावों को निपटाने में, जहां अपेक्षित हो, क्षतिपूर्ति बांड लेने सहित सामान्य सुरक्षोपाय कर लिए गये हों। सितंबर 1988 में बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे बैंक के पास छोड़ी गयी 25,000/- रुपये तक की मृतक की अन्य आस्तियों को मुक्त करने में भी इन अनुदेशों की भावना का पालन करें। इस प्रकार अग्रिमों के प्रति रखे गये स्वर्ण आभूषण या अन्य प्रतिभूतियां भी संबंधित अग्रिमों का समायोजन करने के पश्चात् जारी की जा सकती हैं। फिर भी, बैंकों को इस प्रयोजन के लिए और उच्चतर सीमा निर्धारित करने की अनुमति दी गयी थी, बशर्ते वे इसे उपयुक्त समझें।

ड्राफ्टों का नकदीकरण

2.201 बैंकों को जनवरी 1989 में सूचित किया गया कि वे अपनी शाखाओं को यह अनुदेश दें कि वे

network and it provides basic connectivity from/to geographically dispersed locations across the country. The IBM Computers installed at National Clearing Cells of the Reserve Bank at the 4 metropolitan centres viz., Bombay, Madras, Delhi & Calcutta would form the hub of the network. The basic connectivity between the systems on the network would be through dedicated data transmission lines leased from the Department of Telecommunications. The first phase of activities towards operationalisation of 'BANKNET' viz., commissioning of DOT circuits, import of some essential communication equipments, defining of application areas and preparation of message formats and preparation of sites, are in various stages of progress.

15. Customer Service and Related Guidelines

Survey on Customer Service in Banks

2.198 A survey was undertaken by the Reserve Bank through the Regional Offices of DBOD for the purpose of evaluating implementation of various measures advised to banks in the area of customer service. The survey has revealed that although the implementation of customer service measures by banks have been, by and large, satisfactory, banks need to upgrade service in certain areas to the desired level. Banks have, therefore, been advised to take necessary corrective measures.

Opening of PPF Accounts

2.199 Public sector banks were advised in May 1988 to issue instructions to all authorised branches to respond positively to requests for receiving deposits towards Public Provident Fund (PPF) and render all possible assistance for opening PPF Accounts when approached by customers.

Payment of Balance in Accounts of the Deceased Customers of Survivors/Claimants

2.200 Banks were already advised in July 1987 not to insist upon succession certificate where the amount to the credit of the deceased depositor does not exceed Rs. 25,000 for release of balance to his heirs/survivors, subject to observing the usual safeguards in settling such claims including obtaining of indemnity bonds, where required. Banks have also been advised in September 1988 that they may extend the spirit of these instructions to release other assets of the deceased clients left with the bank to the extent of the value not exceeding Rs. 25,000. Thus, gold ornaments or other securities held against advances can also be released on adjustment of the relative advances. Banks were, however, allowed to have higher limit fixed for the purpose if they consider it so appropriate.

Encashment of Drafts

2.201 Banks were advised in January 1989 to issue instructions to their branches to make payment against drafts promptly without awaiting receipt of confirmatory

पुष्टिकारक सूचनाओं की प्रतीक्षा किये बिना ही ड्राफ्टों की तत्काल अदायगी करें तथा पासपोर्ट या डाक द्वारा प्राप्त पहचान पत्रों को पहचान के लिए पर्याप्त साधन के रूप में स्वीकार करें।

ग्रामीण शाखाओं द्वारा गैर-कारोबारी कार्य दिवस मनाना

2.202 यह देखा गया था कि अप्रैल 1988 में विशिष्ट अनुदेश जारी किये जाने के बावजूद बैंक कुछ ग्रामीण केन्द्रों पर जनता से कारोबार न करने वाला दिन नहीं मना रहे हैं तथा यह कि जहां सरकारी लेनदेन किया जाता है अथवा जो शाखायें औद्योगिक/शहरी ग्राहकों की आवश्यकतायें पूरी करती हों, उन शाखाओं को छोड़कर सभी ग्रामीण शाखाओं पर जनता से कारोबार न करनेवाला दिन मनाया जाना अपेक्षित है। इन अनुदेशों को फरवरी 1989 में बैंकों को पुनः बताया गया।

डाक अंतरण द्वारा प्रेषण

2.203 जनता से प्राप्त इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कि बैंक डाक अंतरण द्वारा भेजे गये प्रेषणों की राशि उनके खातों में जमा करने में काफी अधिक समय लगते हैं, जिससे ऐसी निधियों पर उन्हें ब्याज की हानि होती है। बैंको को यह सूचित किया गया कि डाक अंतरण की राशि ग्राहकों के खाते में डाक अंतरण के लिए राशि जमा करने की तारीख से अधिकतम 7 दिनों के भीतर जमा कर दी जाए। यदि किसी कारण से डाक अंतरण की सूचनायें गंतव्य शाखा में 7 दिनों के बाद पहुंचती हैं, तो 5 प्रतिशत वार्षिक की एक समान दर पर विलंब की अवधि के लिए तार अंतरणों की राशि के लिए बैंकों को ब्याज की अदायगी करनी चाहिए चाहे तार अंतरण की राशि चालू/बचत बैंक/सावधि जमा/उधार खाते में जमा की जानी हो और चाहे डाक मार्ग/इधर-उधर हो जाने के कारण विलंब क्यों न हुआ हो। ब्याज की गणना करने के प्रयोजनों के लिए जमाराशि 8वें दिन से प्रभावी मानी जाएगी। तथापि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम को/से भेजे गये डाक अंतरणों के मामले में डाक अंतरण की जमा राशि लागू करने की कुछ लंबी अर्थात् 10 दिन की अवधि दी गयी है।

तार अंतरण द्वारा प्रेषण

2.204 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उपलब्ध वर्तमान तार अंतरण भुनाई सुविधायें 31 अक्तूबर 1989 तक बढ़ा दी गयीं। तार अंतरण भुनाई सुविधायें जिन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को प्रदान की गयीं, उनकी संख्या 50 रही।

भारत में विभिन्न एसोशियेशनों/संगठनों द्वारा विदेशी अभिदानों की प्राप्ति

2.205 रिज़र्व बैंक ने जुलाई 1987 में बैंकों को सूचित किया था कि वे विदेशी अभिदानों की प्राप्तियों को विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार उचित रूप से विनियमित करें। रिज़र्व बैंक के ध्यान में कुछ ऐसे दृष्टांत लाये गये हैं जहां बैंकों की कुछ शाखाओं ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना एसोशियेशनों के खातों में ये अभिदाय जमा किये जाने की अनुमति दी है और इस प्रकार उक्त अधिनियम के खातों का उल्लंघन किया है। रिज़र्व बैंक ने अपने अनुदेश को पुनः दोहराया है कि बैंक सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठायें तथा बैंकों को इस ओर

advices and also accept passports or postal identification as adequate means of identification.

Observance of Non-Business Working Day by Rural Branches

2.202 As it was observed that banks were not observing Non-Public Business Working Day at some of the rural centres despite specific instructions issued in April 1988, that such a day is required to be observed at all rural branches except where Government transactions are conducted or which cater to industrial/urban clientele, these instructions have been reiterated to banks in February 1989.

Remittances by Mail Transfers

2.203 In view of the complaints received from members of the public that banks were taking unreasonably long time to credit remittances by mail transfers resulting in loss of interest on such funds, banks were advised to afford credit of mail transfers to clients' account within a maximum period of 7 days from the date of deposit of funds for mail transfer. In case the mail transfer advices reach the destination branch after 7 days for any reason, banks should pay interest on the proceeds of the MTs for the delayed period at a uniform rate of 5 per cent per annum irrespective of whether the proceeds of the MTs are meant for credit to current/savings bank/fixed deposits/ borrowal accounts and also whether delay occurs in postal transit/due to misplacement etc. In the case of Mail Transfers to/from branches in the North-Eastern region and Sikkim, however, a longer period, viz., 10 days has been permitted for effecting credits of mail transfers.

Payment of Interest on Fixed Deposit

2.204 Banks were advised that in cases where the due date of payment of proceeds of fixed deposit falls on a holiday or on Sunday or non-business working day, banks should pay interest at the originally contracted rate on the deposit amount for the holidays/non-business working day/Sunday intervening between the date of expiry of the specified term of the deposit and the date of actual payment of the proceeds of the deposit on the succeeding working day.

Receipt of Foreign Contributions by Various Associations/Organisations in India

2.205 The Reserve Bank had advised banks in July 1987 to properly regulate the receipt of foreign contributions as per the provisions of Foreign Contribution (Regulation) Amendment Act, 1976. As certain instances were brought to the Reserve Bank's notice where some branches of banks had allowed credit to the Accounts of Associations without obtaining prior permission of the Central Government as required under the aforesaid Act, thus violating the provisions of the Act, the Bank reiterated its instruction to take effective steps to ensure compliance with the

से सावधान भी किया गया है कि इस संबंध में किये गये किसी उल्लंघन का पता चलने पर उसे गंभीरता से लिया जायेगा।

सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा

2.206 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लॉकर सुविधा के लिए जनता की व्यापक मांग और इसके मुकाबले उपलब्ध करायी गयी सीमित क्षमता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्राहक सेवा और सुरक्षा व्यवस्था पर गठित संसदीय आकलन समिति ने अपनी चौसठवीं रिपोर्ट में यह महसूस किया है कि बैंकों को लॉकरों के लिए जनता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में इन्हें जुटाना चाहिये। इसे वे अपने कारोबार की दृष्टि से न देखें, बल्कि व्यापक रूप में इसे जन समुदाय की सेवा मानकर करें। तदनुसार रिज़र्व बैंक ने 13 जुलाई 1988 में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया था कि वे अपनी लॉकर सुविधा की क्षमता को चरणबद्ध रूप में बढ़ायें। साथ ही यह भी सूचित किया गया कि वे अपनी शाखाओं के 80 प्रतिशत लॉकरों को ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर आबंटित करें।

दान

2.207 बैंकों को यह सूचित किया गया था कि नये लेखा वर्ष अप्रैल 1989 के प्रारंभ से वे अपने निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) की अनुमति से विशेष प्रयोजनों के लिए अलग-अलग मामलों में 20,000/- रुपये तक के दान दे सकते हैं। यह सीमा पहले 5,000/- रुपये की थी।

शेयरों और डिबेंचरों के लिए आवेदित राशियों की व्यवस्था

2.208 रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि शेयरों/डिबेंचरों को जारी करने, बांडों आदि के लिए प्राप्त आवेदित राशियों को अलग खाते में रखा जाए और उन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 73 (3क) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग में न लाया जाए। बैंक प्राप्त हुई आवेदन राशि को ब्याज अर्जित करने वाली अल्पकालिक जमाराशियों के रूप में निवेश कर सकते हैं, परन्तु ये निवेश केवल उन्हीं बैंकों के पास किये जायेंगे जो आवेदन राशि प्राप्त करते हैं। इन जमाराशियों पर रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार निर्धारित दरों पर ब्याज अर्जित करने की अनुमति होगी साथ ही उन पर परिपक्वता (मीयाद) से पूर्व आहरण करने पर दण्ड भी लागू होगा।

ग्राहक कष्ट निवारण

2.209 रिज़र्व बैंक के कष्ट निवारण कक्ष (शिकायत स्कंध) ने (30 अप्रैल 1989 तक) आम जनता से 4,093 शिकायतें और भारत सरकार से 148 संदर्भ प्राप्त किये जो वाणिज्यिक बैंकों/उनके पदाधिकारियों आदि के विरुद्ध जनता द्वारा की गयी शिकायतों/लगाये गये आरोपों के संबंध में थे। नेमी स्वरूप की शिकायतों को संबंधित बैंकों से स्थिति/तथ्यों का पता लगाने के पश्चात् निपटा दिया गया था परंतु गंभीर स्वरूप की शिकायतों के बारे में केंद्रीय/क्षेत्रीय कार्यालयों से अधिकारी प्रतिनियुक्त करके छानबीन की गयी। की गयी जांच के निष्कर्षों के आधार पर बैंकों को दोषी अधिकारियों के विरुद्ध

provisions of the statute and cautioned banks that any violations noticed in this behalf will be viewed seriously.

Safe Deposit Locker Facility

2.206 In its 64th Report, the Estimates Committee of the Parliament on Customer Services and Security Systems in nationalised banks, after taking note of the widespread public demand for locker facility *vis-a-vis* the limited installed capacity thereof in public sector banks, felt that the banks should come in a big way to meet the needs of the public for lockers, not as a case of business proposition but as a service to the community at large. Accordingly, the Reserve Bank advised all public sector banks on July 13, 1988 to prepare a scheme for augmenting the installed capacity of locker facility available with them in a phased manner. Further, they were also advised to allot 80 per cent of the lockers by branches on first-come-first served basis.

Donations

2.207 Banks were advised that beginning from the new accounting year April 1989, they could make donations with the approval of their Board of Directors in individual cases upto an amount of Rs. 20,000 as against the earlier limit of Rs. 5,000 for specified purposes.

Treatment of Application Moneys for Shares and Debentures

2.208 The Reserve Bank advised banks that the application monies received for shares/debentures issues, bonds etc., may be kept in separate accounts and shall not be utilised for purposes other than those specified under Section 73(3a) of the Companies Act, 1956. Since there is not any bar under the Act, if the company pays interest to its clients from the date of realisation of cheques, banks were asked to ensure that companies are paying such interest before allowing them to utilise application money. Banks may invest application money received in interest bearing short term deposits but only with the banks which receive the application money. Such deposits may be allowed interest at the rate prescribed by the Reserve Bank directive and subjected to the penalty for premature withdrawal.

Customer Grievances Redressal

2.209 The Reserve Bank received 4,093 complaints (upto April 30, 1989) from general public and 148 references from the Government of India on the complaints/allegations against commercial banks/their officials, etc., made by the public. While the complaints of routine nature were disposed of after ascertaining the position/facts from the banks concerned, the complaints of serious nature were investigated into by deputing officers. On the basis of the findings of the investigation,

यथोचित कार्रवाई करने अथवा शिकायतकर्ताओं के कष्टों का निवारण करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने की सूचना दी गयी थी। शिकायतकर्ताओं/सरकार को भी इस संबंध में जहाँ आवश्यक था यथोचित रूप से सूचित किया गया था।

16. विविध

बैंकों का निरीक्षण

2.210 जुलाई 1988 से जून 1989 की अवधि के दौरान 31 दिसम्बर 1987 को समाप्त वर्ष के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वार्षिक वित्तीय समीक्षाएँ पूरी कर ली गयीं थीं और उनकी रिपोर्ट बैंकों को भेज दी गयी। इस अवधि के दौरान 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, 13 निजी क्षेत्र के बैंकों और 6 विदेशी बैंकों के वित्तीय निरीक्षण भी पूरे किये गये। समुद्रपारीय शाखाओं वाले आठ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभागों के संविभागीय निरीक्षण भी किये गये। ऋण संविभाग तथा साख प्रबंध, वसूली कार्य निष्पादन, नियंत्रण व्यवस्थाओं में निपुणता तथा लाभदायकता एवं उत्पादकता की मात्रा विशेष ध्यान एकाग्र करने के क्षेत्र के रूप में उभरकर आये हैं। निरीक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में तथा कार्य योजना के एक भाग के रूप में बैंक के प्रबंध तंत्रों के साथ विचार-विमर्श के दौरान एक निश्चित कार्य निष्पादन के स्तरों पर सहमति हुई, जिन्हें प्राप्त किया जाना है और जिनका अनुपालन किया जाना है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों का गठन

2.211 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध तंत्र तथा विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में अन्यों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार और रिज़र्व बैंक प्रत्येक के एक-एक पदाधिकारी तथा दो निदेशक होते हैं जिनमें से एक संबंधित बैंक के कामगार कर्मचारियों का और दूसरे गैर कामगार कर्मचारियों का प्रतिनिधि होता है। अन्य निदेशक जमाकर्ताओं, कृषकों, कामगारों, शिल्पकारों, अथवा ऐसे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें लेखा पद्धति, लघु उद्योगों आदि के क्षेत्र में, विशेष ज्ञान अथवा अनुभव है। उक्त योजना के खंड 9 में संशोधन हो जाने पर पूर्णकालिक निदेशकों और रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों को छोड़कर अन्य निदेशकों का कार्यकाल 3 वर्ष या उनकी नियुक्ति के समय केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होगा और उसके पश्चात् जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता है, तब तक वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि ऐसा कोई भी निदेशक 6 वर्ष से अधिक अवधि के लिए लगातार पद नहीं संभालेगा।

बैंकों में धोखाधड़ी

2.212 जनवरी 1988 से दिसम्बर 1988 की अवधि के दौरान भारत में वाणिज्य बैंकों की शाखाओं में 2,048 धोखा धड़ी के मामलों की सूचना दी गयी जो 36.64 करोड़ रुपये की राशि से संबंधित थे, जबकि 1987 के दौरान 30.51 करोड़ रुपये की राशि से संबंधित 1,341 धोखाधड़ी के मामलों की सूचना दी गयी। इसके अतिरिक्त 1988 में 4.69 करोड़ रुपये से संबंधित 16 धोखाधड़ी के मामले वाणिज्य बैंकों की विदेशी शाखाओं में हुए, जबकि 1987 में 4.71 करोड़ रुपये से संबंधित 50

banks were advised to take suitable action against the erring officials or necessary corrective steps to redress the grievances of the complainants. The complainants/ Government were also suitably advised in the matter, wherever necessary.

16. Miscellaneous

Inspection of Banks

2.210 During the period July 1988 to June 1989, Annual Financial Reviews of all public sector banks were completed for the year ended December 31, 1987 and reports issued to the banks. Financial Inspections of 9 public sector banks, 13 private sector banks and 6 foreign banks were also completed during the period. Portfolio inspections of International Banking Divisions of 8 public sector banks having overseas branches were also carried out. Quality of loan portfolio and credit management, recovery performance, efficacy of control arrangements, and profitability and productivity have emerged as areas of focus. During discussions with bank managements as a follow-up of the inspections and as part of Action Plans, definite performance levels to be achieved are being arrived at and followed up.

Composition of the Board of Directors of Nationalised Banks

2.211 In accordance with the provisions of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970/1980, the Boards of nationalised banks include, *inter alia,* an official each from the Central Government and the Reserve Bank and two directors, one representing the workmen staff and the other the non-workmen staff of respective banks. The other directors represent the interest of depositors, farmers, workers, artisans or of those who have special knowledge or experience in the field of accounting, small scale industries, etc. With the amendments to Clause 9 of the Scheme, the term of directors other than wholetime directors and directors nominated by the Reserve Bank and the Government of India will be not exceeding 3 years as the Central Government may specify at the time of his/her appointment and thereafter until his/her successor has been appointed and shall be eligible for reappointment, provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding 6 years.

Frauds in Banks

2.212 During the period January-December 1988, 2,048 cases of frauds involving an amount of Rs. 36.64 crores were reported in the branches of commercial banks in India as against 1,341 cases of frauds involving a sum of Rs. 30.51 crores during 1987. Besides, 16 cases of frauds amounting to Rs. 4.69 crores were reported in overseas branches of commercial banks during 1988 as against 50 cases of frauds amounting to Rs. 4.71 crores reported in the year 1987. The major cases of frauds which came to

धोखाधड़ी के मामलों की सूचना दी गयी। जानकारी में आये धोखाधड़ी के प्रमुख मामलों में रिज़र्व बैंक तथा बैंकों द्वारा छानबीन की कार्रवाई की गयी। केन्द्रीय सतर्कता आयोग भी बैंकों तथा रिज़र्व बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श करते हैं ताकि बैंकों में सतर्कता के विभिन्न पहलुओं पर निगरानी रखी जा सके।

2.213 इस संबंध में बैंकों को निम्नलिखित अनुदेश जारी किये गये : (i) निर्धारित प्रक्रिया की जानबूझ कर की गयी किसी अवहेलना अथवा कर्मचारी की ओर से घोर उपेक्षा के किसी मामले में जिससे जालसाजी के कार्य करने में सुविधा होती हो अथवा जालसाजी करने में बाहरी व्यक्तियों के साथ उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मिली भगत या सहयोग को गंभीरता से लिया जाएगा। दंड न केवल कठोर बल्कि समय पर दिया जाना चाहिए तथा उसकी कार्यवाही बिना अनावश्यक बिलंब के शीघ्र पूरी की जानी चाहिए; (ii) कुछ छोटे-मोटे अथवा हल्की-फुल्की जालसाजी के मामलों के अलावा सभी मामलों की सूचना पूलिस को दी जानी चाहिए; (iii) भर्ती के समय कर्मचारियों के पूर्ण वृत्त की पूरी छानबीन की जानी चाहिए और समय-समय पर उनकी नियमित जाँच किये जाते रहना चाहिए तथा (iv) बैंक को चाहिए कि वह बैंक में हुए जालसाजी के मामलों पर यथेष्ठ वरिष्ठ अधिकारी के स्तर पर आंतरिक समिति गठित करे तथा जालसाजियों के मामलों पर उपयोगी साहित्य प्रकाशित करके अपने स्टाफ सदस्यों में वितरित करे।

2.214 बैंकों को वर्तमान निरीक्षण और लेखा परीक्षा की पद्धतिं की समीक्षा करने को कहा गया था तथा उन्हें यह भी सूचित किया गया था कि वे निरीक्षण अधिकारियों पर इस बात पर बल दें कि जालसाजी जिन क्षेत्रों में ज्यादा होती है अपने निरीक्षण के दौरान उन पर गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है।

सतर्कता कक्ष

2.215 रिज़र्व बैंक सावर्जनिक क्षेत्र के बैंक के संबंध में सतर्कता संबंधी व्यवस्थाओं और बकाया अनुशासनिक मामलों की प्रगति पर निगरानी रखे हुए हैं। इसके लिए यह विभिन्न विवरणियों, समीक्षाओं को मंगाता है जिनकी पूरी छानबीन की जाती है और जहां आवश्यक हो अनुदेश और मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये जाते हैं। बकाया मामलों को प्रायः 3 वर्ष की अवधि के अंदर तेजी से निपटाने की आवश्यकता को दोहराया जाता है।

बैंकों में सुरक्षा प्रबंध

2.216 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि उप गवर्नर की अध्यक्षता में मार्च 1987 में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक राज्य की राजधानी में राज्य स्तर की सुरक्षा समितियां बनायी गयी हैं जिसमें रिज़र्व बैंक के स्थानीय कार्यालय का प्रबंधक संयोजक होता है तथा गृह और पुलिस विभाग के प्रतिनिधि तथा 3 प्रमुख बैंकों से प्रतिनिधि लेकर यह समिति बनायी गयी है। इन समितियों की समय-समय पर बैठक होती है और अपनी सुरक्षा के संबंध में बैंकों द्वारा अनुभव की जानेवाली विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की जाती है। अपने-अपने केन्द्रों पर ये समितियां प्रारंभिक बैठकें कर चुकी हैं जिनमें बैंकों की सुरक्षा के पहलुओं पर उस क्षेत्र की स्थिति और वहां के नियमों के संदर्भ में विस्तृत विचार-विमर्श हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्थाओं आदि को सुधारने के लिए निर्णय लिये गये हैं जिनमें संबंधित राज्यों के गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग लिया गया है।

light were investigated and appropriate remedial action was taken by the Reserve Bank and banks. The Central Vigilance Commission also held periodic discussions with the chief vigilance officers of banks and the Reserve Bank to monitor several aspects of vigilance in banks.

2.213 In this connection, the following instructions were issued to banks : (i) any case of wilful disobedience of prescribed procedure or gross negligence on the part of the employees which facilitates commission of frauds or their direct or indirect involvement or collusion with outsiders in committing frauds must be viewed seriously. Punishment should not only be deterrent but also be timely and proceedings must be finalised without unnecessary delay; (ii) all cases of frauds excepting minor or trivial ones should be reported to the police; (iii) a thorough checking of the antecedents of the bank employees should be made at the time of recruitment and should be followed by regular screening at periodical intervals; and (iv) the banks should set up internal committees on bank frauds at appropriate senior levels and circulate amongst their staff useful information on frauds.

2.214 Banks were advised to review the existing system of inspection and audit and also impress upon the inspecting officials the need for making in depth study of the fraud prone areas during the course of inspection.

Vigilance Cell

2.215 The Reserve Bank continues to monitor the vigilance arrangements and pending disciplinary cases in the public sector banks by calling for various returns/reviews, which are scrutinised and instructions/guidelines are issued wherever necessary. The need for speedy disposal of pending cases generally within a period of 3 months has been reiterated.

Security Arrangements in Banks

2.216 A reference was made in last year's Report that on the basis of the recommendations of a Committee constituted in March, 1987 under the Chairmanship of a Deputy Governor, State Level Security Committees at each State capital with Manager, Reserve Bank of India, Local Office as the convenor and representative from the Home and Police Departments and three major banks, have been constituted. These Committees meet periodically and discuss the various problems faced by banks in regard to their security. The Committee in the respective centres have already held preliminary meetings where the security aspects in respect of banks were extensively discussed in the light of the law and order situation in the area and decisions were taken to improve the security arrangements, etc., in co-ordination with the senior officials of the Home and Police Departments of the concerned states. There have been 95 cases of robberies/dacoities involving an amount of Rs. 140.10 lakhs during the

वर्ष 1988 के दौरान 140.10 लाख रुपये की राशि के 95 लूट मार/डकैती के मामले हुए हैं जबकि पिछले वर्ष 724.05 लाख रुपये के 94 मामले हुए थे जिनमें 568.91 लाख रुपये की एक बड़ी डकैती का मामला भी शामिल था।

स्थगन आदेश

2.217 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थगन आदेश के संबंध में दिये गये आवेदन पर विचार करने के पश्चात् भारत सरकार ने यूनाइटेट इंडस्ट्रीयल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता–एक प्राइवेट क्षेत्र के बैंक के संबंध में स्थगन आदेश जारी किये हैं जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 के प्रावधानों को लागू किया गया है। अब जमाकर्ताओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हुए उक्त बैंक को इलाहाबाद बैंक के साथ मिला दिया गया है। इसके पश्चात् उन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत चार और निजी क्षेत्र के बैंकों अर्थात् (i) बैंक ऑफ तमिलनाडु लि., (ii) बैंक ऑफ तंजौर लि., (iii) दि पारूल सैन्ट्रल बैंक लि., तथा (iv) दि पूर्वांचल बैंक लि. के संबंध में भारत सरकार ने 22 अगस्त 1989 को स्थगन आदेश जारी किये। अब स्थगन आदेश को 19 फरवरी 1989 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

सरकारी गारंटियाँ

2.218 सितम्बर 1988 में रिज़र्व बैंक ने केन्द्र और राज्य सरकारों के विभागों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था कि जिन मामलों में उनके द्वारा दी गयी गारंटियों को बैंकों द्वारा लागू किया जाता है वहाँ संबंधित सरकारों को अपनी गारंटी संबंधी बाध्यताओं को पूरा करने में सहयोग करना चाहिए।

year 1988 as against 94 cases last year involving an amount of Rs. 724.05 lakhs, of which one major robbery involved an amount of Rs. 568.91 lakhs.

Moratorium

2.217 The Government of India, after considering an application made by the Reserve Bank in this regard, issued an order of moratorium in respect of United Industrial Bank Ltd., Calcutta — a private sector bank — by invoking the provisions of Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949. The bank has since been merged with Allahabad Bank, with full protection to depositors. Subseqently, the Government of India also issued orders of moratorium in August 22, 1989 in respect of four more private sector banks, viz., (i) Bank of Tamilnadu Ltd., (ii) Bank of Thanjavur Ltd., (iii) The Parur Central Bank Ltd., and (iv) The Purbanchal Bank Ltd. The moratorium has since been extended upto February 19, 1989.

Government Guarantees

2.218 In September 1988, the Reserve Bank urged Central and State Government departments to ensure that in cases where the guarantees executed by them are invoked by banks, the concerned governments should co-operate in meeting these guarantee commitments.

परिशिष्ट I
1 अप्रैल 1989 से लागू ब्याज की दर का स्वरूप

अग्रिमों की श्रेणी	ब्याज दर (वार्षिक प्रतिशत) 1 अप्रैल 1989 से लागू
I. सार्वजनिक वसूली और वितरण एजेंसियाँ	
1. भारत सरकार की पूर्ण मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों (गेहूं, धान/चावल तथा मोटे अनाज) की वसूली के लिए भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों/भारतीय खाद्य निगम की एजेंसियों के रूप में कार्यरत एजेंसियां, जहाँ बिक्री सरकार द्वारा अनुमादित दुकानों के माध्यम से निश्चित दरों पर की जाती है।	14.00
2. (i) केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को अग्रिम जिन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित दुकानों के माध्यम से निश्चित दरों पर बिक्री के लिए निर्दिष्ट अत्यावश्यक उपभोक्ता पण्यों की वसूली/वितरण का कार्य सौंपा गया है, ये पण्य हैं : दालें, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, नमक और चीनी।	15.00
(ii) केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को अग्रिम जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा समर्थित मूल्यों पर दालों और तिलहनों की खरीद का कार्य सौंपा गया है।	15.00
3. (i) केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को अग्रिम जिन्हें उपर्युक्त श्रेणी 2 में निर्दिष्ट पण्यों से इतर अत्यावश्यक उपभोक्ता पण्यों की वसूली और वितरण का कार्य सौंपा गया है।	15.50
(ii) केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को अग्रिम जिन्हें ऐसी नकदी फसलों की वसूली का कार्य सौंपा गया है जहां मूल्य समर्थन दिया जाता है।	15.50
(iii) केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को अग्रिम जिन्हें उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों की वसूली और वितरण का कार्य सौंपा गया है।	15.50
4. केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों को अग्रिम जिन्हें वाणिज्यिक आधार पर बिक्री के लिए पण्यों की वसूली और वितरण का कार्य सौंपा गया है।	16.00 (न्यूनतम)

APPENDIX I
Interest Rate Structure Effective from April 1, 1989

Category of Advances	Rate of Interest (per cent per annum) Effective April 1, 1989
I. Public Procurement and Distribution Agencies	
1. FCI, State Governments/agencies acting as agencies of FCI for procurement of foodgrains (wheat, paddy/rice and coarse foodgrains) under the full price support scheme of the Government of India, where the sales are at fixed prices through Government approved outlets.	14.00
2. (i) Advances to Central and State Government agencies entrusted with procurement/distribution of specified essential consumer commodities for sale at fixed prices through Government approved outlets, the commodities being pulses, edible oils, kerosene, salt and sugar.	15.00
(ii) Advances to Central and State Government agencies entrusted with the procurement of pulses and oil-seeds at support prices fixed by the Central Government.	15.00
3. (i) Advances to Central and State Government agencies entrusted with the procurement and distribution of essential consumer commodities other than those specified in category 2 above.	15.50
(ii) Advances to Central and State Government agencies entrusted with the procurement of cash crops where there is an element of price support.	15.50
(iii) Advances to Central and State Government agencies entrusted with the procurement and distribution of fertilizers, pesticides and seeds.	15.50
4. Advances to Central and State Government agencies entrusted with the procurement and distribution of commodities for sale on a commercial basis.	16.00 (minimum)

परिशिष्ट I (जारी)
1 अप्रैल 1989 से लागू ब्याज की दर का स्वरूप

अग्रिमों की श्रेणी	ब्याज दर (वार्षिक प्रतिशत)
	1 अप्रैल 1989 से लागू
II. उधार दरें (चयनात्मक ऋण नियंत्रण की सीमा के भीतर आनेवाले पण्यों के लिए)	
(i) चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन पण्यों की जमानत पर दिये जानेवाले ऋण/अग्रिम/नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट	16.00 (न्यूनतम)
(ii) सभी स्टाकों के संदर्भ में चीनी मिलें	16.00 (न्यूनतम)
III. निर्यात	
1. पोतलदानपूर्व ऋण :	
(i) 180 दिन तक	7.50
(ii) 180 दिन से अधिक और 270 दिन तक	9.50*
(iii) निर्यात ऋण गारंटी निगम की गारंटी के अंतर्गत आनेवाले नकदी प्रोत्साहनों आदि पर (90 दिनों तक)	7.50
2. पोतलदानोत्तर ऋण :	
(i) मांग बिल-पारवहन अवधि के लिए (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा यथानिर्दिष्ट)	8.65
(ii) मीयादी बिल-180 दिन तक	8.65
(iii) निर्यात ऋण और गारंटी निगम की गारंटी के अंतर्गत सरकार से प्राप्य नकदी प्रोत्साहन, शुल्क वापसी आदि (90 दिनों तक)	8.65
(iv) अनाहरित राशियां (90 दिनों तक)	8.65
(v) पोतलदान की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय प्रति धारण धन (केवल आपूर्ति के अंश के लिए) की जमानत पर (90 दिनों तक)	8.65

* रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ।

APPENDIX I (Contd.)
Interest Rate Structure Effective from April 1, 1989

Category of Advances	Rate of Interest (per cent per annum)
	Effective April 1, 1989
II. Lending Rate *(for commodities coming within the purview of selective credit control)*	
(i) Loans/advances/cash credit/overdrafts against commodities subject to selective credit control.	16.00 (minimum)
(ii) Sugar mills in respect of all stocks	16.00 (minimum)
III. Exports	
1. Pre-shipment Credit :	
(i) Upto 180 days	7.50
(ii) Beyond 180 days and upto 270 days	9.50*
(iii) Against cash incentives, etc. covered by ECGC guarantee (upto 90 days)	7.50
2. Post-shipment Credit :	
(i) Demand bills for transit period (as specified by FEDAI)	8.65
(ii) Usance bills-upto 180 days	8.65
(iii) Cash incentives, duty draw-back, etc., receivable from Government covered by Guarantee of ECGC (upto 90 days)	8.65
(iv) Undrawn balances (upto 90 days)	8.65
(v) Against retention money (for supplies portion only) payable within one year from the date of shipment (upto 90 days)	8.65

* With the prior approval of the Reserve Bank.

परिशिष्ट I (जारी)
1 अप्रैल 1989 से लागू ब्याज की दर का स्वरूप

अग्रिमों की श्रेणी	ब्याज दर (वार्षिक प्रतिशत)
	1 अप्रैल 1989 से लागू
3. आस्थगित ऋण	
एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए आस्थगित ऋण	8.65
4. शुल्क-वापसी ऋण योजना, 1976	
सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनंतिम रूप से प्रमाणित शुल्क वापसी पर (90 दिनों तक)	ब्याज रहित
5. अन्यथा निर्दिष्ट न किये गये निर्यात ऋण	14.00 से 15.50 तक
IV. कृषि (प्रत्यक्ष वित्त)$$	
(अ) कृषकों को दिये जानेवाले अल्पावधि ऋण :	
(क) 7,500 रु. तक	10.00
(ख) 7,500 रु. से अधिक और 15,000 तक	11.50
(ग) 15,000 रु. से अधिक और 25,000 रु. तक	12.00
(घ) 25,000 रु. से अधिक	14.00 से 15.50 तक
आ. बीजों के उत्पादन एवं वितरण, दोनो में लगी इकाइयों को अग्रिम	14.00
इ. उर्वरकों के वितरण के लिए अग्रिम :	
(क) 5,000 रु. तक	11.50
(ख) 5,000 रु. से अधिक और 25,000 रु. तक	11.50 से 14.00 तक
(ग) 25,000 रु. से अधिक	14.00 से 15.50 तक
V. लघु उद्योग	
1. 25,000 रु. तक के संमिश्र ऋण :	
(क) पिछड़े क्षेत्र	10.00
(ख) अन्य क्षेत्र	12.00

$$ परोक्ष वित्त के मामले में, अर्थात् प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/कृषक सेवा समितियों/बड़े आकार वाली बहुउद्देशीय समितियों के जरिये अग्रिमों के मामले में, अंतिम उधारकर्ता के संदर्भ में लगायी जानेवाली दर इस क्षेत्र विशेष में सहकारी समितियों द्वारा लगायी जानेवाली दर के समकक्ष होनी चाहिए और यह दर किसी भी मामले में प्रत्यक्ष वित्त पर लागू दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/कृषक सेवा समितियों/बड़े आकारवाली बहुउद्देशीय समितियों से बैंकों द्वारा लगायी जानेवाली दर संबद्ध श्रेणी की उक्त दरों की तुलना में कम से कम 2.5 प्रतिशत अंक कम होनी चाहिए।

APPENDIX I (Contd.)
Interest Rate Structure Effective from April 1, 1989

Category of Advances	Rate of Interest (per cent per annum) Effective April 1, 1989
3. Deferred Credit	
Deferred Credit for period beyond one year	8.65
4. Duty Draw-back Credit Scheme, 1976	
Against duty draw-back as provisionally certified by the Customs Authorities (upto 90 days)	Free of Interest
5. Export credit not otherwise specified	14.00 to 15.50
IV. Agriculture (Direct Finance)$$	
(A) Short-term loans to farmers :	
(a) Upto Rs. 7,500	10.00
(b) Over Rs. 7,500 and upto Rs. 15,000	11.50
(c) Over Rs. 15,000 and upto Rs. 25,000	12.00
(d) Over Rs. 25,000	14.00 to 15.50
(B) Advances to units engaged in both production and distribution of seeds.	14.00
(C) Advances for distribution of fertilizers :	
(a) Upto Rs. 5,000	11.50
(b) Over Rs. 5,000 and upto Rs. 25,000	11.50 to 14.00
(c) Over Rs. 25,000	14.00 to 15.50
V. Small-Scale Industry	
1. Composite loans upto Rs. 25,000 :	
(a) Backward areas	10.00
(b) Other areas	12.00

$$ In the case of indirect finance i.e., advances through PACS/FSS/LAMPS, the rate to the ultimate borrowers should be the same as charged by co-operatives in the area and in any case not exceeding the rates applicable to direct finance. The rate to be charged by the banks to PACS/FSS/LAMPS should be atleast 2.5 percentage points lower than the rates for the respective category.

परिशिष्ट I (जारी)
1 अप्रैल 1989 से लागू ब्याज की दर का स्वरूप

अग्रिमों की श्रेणी	ब्याज दर (वार्षिक प्रतिशत)
	1 अप्रैल 1989 से लागू
2. निम्नलिखित सीमाओं के अल्पावधि अग्रिम :	
(क) 2 लाख रुपये सहित और 2 लाख रुपये तक	12.50 से 14.00 तक
(ख) 2 लाख रुपये से अधिक और 25 लाख रुपये तक	14.00 से 15.50 तक
(ग) 25 लाख रुपये से अधिक	16.00 (न्यूनतम)
3. कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों (निविष्टियों) की खरीद और आपूर्ति और/अथवा हिताधिकारियों के उत्पादनों के विपणन के प्रयोजनार्थ) के सहायतार्थ राज्य-स्तरीय निगमों को अग्रिम	12.50
4. राज्य-प्रायोजित अनुसूचित जातियों/जनजातियों के विकास निगमों को (निविष्टियों की खरीद और आपूर्ति और/अथवा हिताधिकारियों के उत्पादनों के विपणन के लिए) अग्रिम	12.50
VI. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों को ऋण*	10.00
VII. अन्य श्रेणियां	
1. विभेदक ब्याज दर अग्रिम	4.00
2. फुटकर व्यापार अग्रिम :	
(क) 5,000 रु. सहित और 5,000 रु. तक की सीमाएं	12.50
(ख) 5,000 रु. से अधिक और 25.000 रु. तक	12.50 से 15.00 तक
(ग) 25,000 रु. से अधिक	15.00 से 16.00 तक
(घ) 1 लाख रु. तक और 1 लाख रु. से अधिक	16.00 (न्यूनतम)
3. शैक्षिक अग्रिम :	
(क) भारत में उच्च अध्ययन के प्रयोजन के लिए निर्धन विद्यार्थी	बैंक दर से कम नहीं
(ख) अन्य शैक्षिक अग्रिम	14.00 से 15.50 तक
4. अन्यथा निर्दिष्ट न किये गये प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र	14.00 से 15.50 तक

* ब्याज की निर्धारित दर ली जायेगी, चाहे राष्ट्रीय बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त किया गया हो या नहीं।

APPENDIX I (Contd.)
Interest Rate Structure Effective from April 1, 1989

Category of Advances	Rate of Interest (per cent per annum)
	Effective April 1, 1989
2. Short-term advances, limits of :	
(a) Upto and inclusive of Rs. 2 lakhs	12.50 to 14.00
(b) Over Rs. 2 lakhs and upto Rs. 25 lakhs	14.00 to 15.50
(c) Over Rs. 25 lakhs	16.00 (minimum)
3. Advances to State-level corporations for assisting artisans, village and cottage industries (for purchase and supply of inputs to and/or the marketing of the outputs of the beneficiaries).	12.50
4. Advances to State-sponsored SC/ST development corporations (for purchase and supply of inputs to and/or the marketing of the outputs of the beneficiaries)	12.50
VI. Loans to IRDP Beneficiaries*	10.00
VII. Other Categories	
1. DRI advances	4.00
2. Retail trade advances :	
(a) Limits upto and inclusive of Rs. 5,000	12.50
(b) Over Rs. 5,000 and upto Rs. 25,000	12.50 to 15.00
(c) Over Rs. 25,000	15.00 to 16.00
(d) Upto Rs. 1 lakh and over Rs. 1 lakh	16.00 (minimum)
3. Educational advances :	
(a) Indigent students for purpose of higher education in India.	Not less than Bank Rate
(b) Other educational advances	14.00 to 15.50
4. Priority sectors not otherwise specified	14.00 to 15.50

* The prescribed rates will be charged irrespective of whether refinance is obtained from National Bank or not.

परिशिष्ट I (जारी)
1 अप्रैल 1989 से लागू ब्याज की दर का स्वरूप

अग्रिमों की श्रेणी	ब्याज दर (वार्षिक प्रतिशत)
	1 अप्रैल 1989 से लागू
5. अन्य सभी अग्रिम	16.00 (न्यूनतम)
6. 16.5 प्रतिशत ब्याज की अधिकतम दर की शर्त पर उधारकर्ताओं की श्रेणियों के लिए विनियम बिल भुनाई पर ब्याज दर	15.50
VIII. मीयादी ऋण	
1. लघु उद्योग की इकाइयाँ :	
(i) पिछड़े क्षेत्र में	12.50**
(ii) अन्य क्षेत्रों में	13.50
2. कृषि (प्रत्यक्ष वित्त) $	
(i) लघु सिंचाई और भूमि विकास	10.00
(ii) अन्य प्रयोजन	
(क) लघु कृषक	10.00
(ख) अन्य कृषक	12.50
(iii) उधारकर्ता/कृषक ''लघु कृषक'' है या नहीं इसको ध्यान में रखे बिना कृषि प्रयोजनों के लिए नये और नवीकरणीय उर्जा-स्रोतों पर आधारित उपकरणों की खरीद के लिए मीयादी ऋण	10.00
(iv) बंजर भूमि का विकास	
(क) व्यक्तिगत अथवा व्यक्तिगतों का समूह	10.00
(ख) कंपनी अथवा दूसरे उधारकर्ता	12.50

** यह ब्याज दर पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित नयी इकाइयों पर लागू है। वर्तमान लघु उद्योग इकाइयों के विस्तार/विशाखन के लिए, 13.50 प्रतिशत की दर लागू होनी चाहिए।

$ अप्रत्यक्ष वित्त के मामले में ये दरें अंतिम उधारकर्ताओं को दिये जानेवाले ऋणों पर जो कि प्राथमिक कृषि ऋण समिति/बड़े आकार वाली बहुउद्देशीय समिति/कृषक सेवा समितियों के जरिये दिये जाते हैं, लागू हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समिति/बड़े आकारवाली बहुउद्देशीय समिति/कृषक सेवा समितियों के संदर्भ में, बैंकों द्वारा ली जानेवाली दर अंतिम उधारकर्ता से ली जानेवाली दर से 1.5 प्रतिशत अंकों से कम होनी चाहिए।

APPENDIX I (Contd.)
Interest Rate Structure Effective from April 1, 1989

Category of Advances	Rate of Interest (per cent per annum)
	Effective April 1, 1989
5. All other advances	16.00 (minimum)
6. Interest rate on discounting of bills of exchange for categories of borrowers subject to the maximum rate of interest of 16.5 per cent.	15.50
VIII. Term-Loans	
1. Small-scale industrial units in :	
(i) Backward areas	12.50**
(ii) Other areas	13.50
2. Agriculture (Direct Finance)$	
(i) Minor irrigation and land development	10.00
(ii) Other purposes	
(a) Small farmers	10.00
(b) Other farmers	12.50
(iii) Term-loans for purchase of equipment based on new and renewable sources of energy for agricultural purposes; irrespective of whether the borrower/ farmers is "small farmer" or otherwise.	10.00
(iv) Wastelands Development	
(a) Individual or group of individuals	10.00
(b) Corporate or other borrowers	12.50

** This rate of interest is applicable for new units set up in backward areas. For expansion/diversification of existing small-scale units, the rate of 13.50 per cent should be applied.

$ In the case of indirect finance these rates are applicable to the loans to the ultimate borrowers where the loans are routed through PACS/LAMPS/FSS. The rates to be charged by the banks to the PACS/LAMPS/FSS should be lower than the rates to the ultimate borrowers by 1.5 percentage points.

परिशिष्ट I (समाप्त)
1 अप्रैल 1989 से लागू ब्याज की दर का स्वरूप

अग्रिमों की श्रेणी	ब्याज दर (वार्षिक प्रतिशत)
	1 अप्रैल 1989 से लागू
3. गृह निर्माण	
(i) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को 5,000 रु. सहित और 5,000 रु. तक	4.00
(ii) अन्यों को 5,000 रु. सहित और 5,000 रु. तक	12.50
(iii) 5,000 रु. से अधिक और 5,000 रु. तक	13.50
(iv) 50,000 रु. से अधिक और 1 लाख रुपये तक	14.00
1 लाख रुपये से अधिक	14.50 से 16.00 तक
4. सड़क परिवहन चालक :	
(i) दो वाहनों तक	12.50$$
(ii) तीन या अधिक वाहन	15.00$$
5. अन्य सभी मीयादी ऋण	15.00
IX अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्ति तथा व्यवसायी और स्वनियोजित महिलाएं (मीयादी ऋण) @***	13.50
X अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्ति तथा व्यवसायी और स्वनियोजित महिलाएं (मीयादी ऋणों से भिन्न) @***	14.00
XI शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने की योजना	
(क) विशेष पिछड़े क्षेत्र	10.00
(ख) अन्य क्षेत्र	12.00
XII शहरी निर्धनों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण	10.00
XIII विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत शामिल व्यक्तियों को छोड़कर विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंगों और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता–प्रत्येक मामले में अधिकतम 2,500 रु. तक	15.00 से अनधिक

$$ अधिक से अधिक 6 वाहनों के समूह के स्वामित्व वाले लघु परिवहन परिचालक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अल्पावधि वित्त पर दर 14.00 से 15.00 प्रतिशत की सीमा के भीतर होनी चाहिए। किन्तु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उक्त दरें मद VIII(4)के अंतर्गत दर्शाये गये मीयादी ऋणों के लिए निर्धारित दरों से कम न हों।

@ *"व्यावसायिक और स्वरोज़गार प्राप्त व्यक्ति" अभिव्यक्ति का तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को फरवरी, 1983 के आरपीसीडी सं. पीएस. बीसी. 21/सी. 682-83 के माधयम से दी गयी सूचना के अनुबंध 1 के पैराग्राफ 6 में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुरूप माना जायेगा।*

*** *व्यावसायिक और स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों तथा छोटे कारोबारों को दिये गये उन अग्रिमों पर जो विशिष्ट रूप से मद IX और X के अंतर्गत नहीं आते हैं मीयादी ऋण के लिए ब्याज की दर 15 प्रतिशत और अल्पावधि वित्त के लिए 15.00 से 15.50 प्रतिशत होनी चाहिए।*

स्रोत : *बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भा. रि. बैंक.*

APPENDIX I (Concld.)
Interest Rate Structure Effective from April 1, 1989

Category of Advances	Rate of Interest (per cent per annum)
	Effective April 1, 1989
3. Housing	
(i) SCs/STs upto and inclusive of Rs. 5,000	4.00
(ii) Others upto and inclusive of Rs. 5,000	12.50
(iii) Over Rs. 5,000 and upto Rs. 50,000	13.50
(iv) Over Rs. 50,000 and upto Rs. 1 lakh	14.00
(v) Over Rs. 1 lakh	14.50 to 16.00
4. Road Transport Operators :	
(i) Upto two vehicles	12.50$$
(ii) Three or more vehicles	15.00$$
5. All other term-loans	
IX Professionals and self-employed persons belonging to SC/ST and professional and self-employed women (term-loans)@***	13.50
X Professionals and self-employed persons belonging to SC/ST and professional and self-employed women (other than term-loans) @***	14.00
XI Scheme for providing self-employment to educated unemployed youth :	
(a) Specified backward areas	10.00
(b) Other areas	12.00
XII Loans under self-employment programme for urban poor.	10.00
XIII Financial assistance to physically handicapped persons other than those covered under the DRI Scheme for purchase of artificial limbs and aids subject to maximum of Rs. 2,500 in each case.	Not exceeding 15.00

$$ Small transport operators owning a fleet not exceeding 6 vehicles come within the purview of priority sector. The rate on short-term finance should be within the range of 14.00 to 15.50 per cent. For term loans the rates should not be less than the rates indicated under item VIII (4).

@ The expression 'professionals and self-employed persons' shall be as clarified in RBI's advice to commercial banks set out in RPCD No. PS BC. 21/C 682-83 dated February 7, 1983.

*** For advances to professionals and self-employed persons and small business not specifically covered under items IX and X the rate should be : term loan– 15 per cent, and short-term finance – 15.00 to 15.50 per cent.

Source : Department of Banking Operations and Development, RBI.

परिशिष्ट II

रिज़र्व बैंक की प्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत तार अंतरणों, बैंक ड्राफ्टों और डाक अंतरणों की दरें

बैंकिंग संस्थाओं के लिए

बैंकिंग संस्थाएं रिज़र्व बैंक के कार्यालयों और एजेंसियों के माध्यम से तार अंतरणों, डाक अंतरणों या ड्राफ्टों द्वारा नीचे दर्शाये अनुसार निधियां प्रेषित कर सकती हैं :

	सममूल्य पर या प्रीमियम पर	राशियों के संबंध में सीमा	प्रेषणों की आवृत्ति	टिप्पणी
(अ) अनुसूचित बैंक				
1. रिज़र्व बैंक कार्यालयों में रखे खातों के बीच	सममूल्य पर	50,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 10,000 रु. के गुणजों में	कोई सीमा नहीं	–
2. (क) किसी एजेंसी कार्यालय से रिज़र्व बैंक के पास रखे खाते में	सममूल्य पर	25,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 5,000 रु. के गुणजों में	एक सप्ताह में चार बार	अनुसूचित बैंक कार्यालयों, शाखाओं, उपकार्यालयों या भुगतान कार्यालयों में से प्रत्येक को प्रेषण की अनुमति है, किंतु यह पिछले स्तंभों में दी गयी शर्तों के अधीन होगी।
(ख) रिज़र्व बैंक के पास रखे किसी खाते से किसी एजेंसी कार्यालय में	सममूल्य पर	वही	एक सप्ताह में पंद्रह बार	–
3. किसी एजेंसी कार्यालय से रिज़र्व बैंक में रखे उसके खाते में किये गये अन्य प्रेषण	प्रीमियम पर- 2 पैसे% न्यूनतम 1 रु.	कोई सीमा नहीं	कोई सीमा नहीं	–
4. निम्नलिखित के पक्ष में किये गये अन्य प्रेषण-				
(क) स्वयं या वाणिज्य या सहकारी बैंक या सहकारी समिति	5,000 रु. तक 3 पैसे%; न्यूनतम 1 रु.* 5,000 रु. से अधिक 2 पैसे%; न्यूनतम 1.50 रु.	कोई सीमा नहीं	कोई सीमा नहीं	–
(ख) अन्य पार्टियां	5,000 रु. तक 6 पैसे%; न्यूनतम 1 रु.* 5,000 रु. से अधिक 3 पैसे% न्यूनतम 3 रु.	कोई सीमा नहीं	कोई सीमा नहीं	–
(आ) गैर-अनुसूचित बैंक				
1. रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में रखे खातों के बीच	सममूल्य पर	20,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 5,000 रु. के गुणजों में	कोई सीमा नहीं	–

APPENDIX II

Rates For Telegraphic Transfers, Bank Drafts and Mail Transfers Under the Reserve Bank's Remittance Facilities Scheme

BANKING INSTITUTIONS

Banking institutions may remit funds by telegraphic transfers, mail transfers or drafts through offices of the Bank and agencies as detailed below :

	Whether at par or at premium	Limits on amounts	Frequency of remittances	Remarks
(A) SCHEDULED BANKS				
1. Between accounts at RBI offices	At par	In multiples of Rs. 10,000, subject to a minimum of Rs. 50,000	No limit	–
2. (a) From an agency office to an account maintained with RBI	At par	In multiples of Rs. 5,000, subject to a minimum of Rs. 25,000	Four times a week	Remittances are permitted to each of the scheduled bank offices, branches, sub-offices or pay offices, subject to the conditions specified in the preceding columns.
(b) From any account with RBI to an agency office	At par	-do-	Fifteen times a week	–
3. Other remittances to its account with RBI from an agency office	At premium 2 P%; minimum Re. 1	No limit	No limit	–
4. Other remittances favouring-				
(a) Themselves or a commercial or co-operative bank or a co-operative society	Upto Rs. 5,000-3P%; minimum Re. 1* Over Rs. 5,000-2P%; Minimim Rs. 1.50	No Limit	No Limit	–
(b) Other parties	Upto Rs. 5,000-6P%; minimum Re. 1* Over Rs. 5,000-3P%; minimum Rs. 3	No Limit	No Limit	–
(B) NON-SCHEDULED BANKS				
1. Between accounts at RBI offices	At par	In multiples of Rs. 5,000, subject to a minimum of Rs. 20,000	No limit	–

परिशिष्ट II (जारी)

रिज़र्व बैंक की प्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत तार अंतरणों, बैंक ड्राफ्टों और डाक अंतरणों की दरें

	सममूल्य पर या प्रीमियम पर	राशियों के संबंध में सीमा	प्रेषणों की आवृति	टिप्पणी
2. (i) किसी एजेंसी कार्यालयों में रिज़र्व बैंक के पास रखे खाते में	सममूल्य पर	10,000 के न्यूनतम के अधीन 5,000 रु. के गुणजों में	एक सप्ताह में चार बार	अनुसूचित बैंक कार्यालयों, शाखाओं, उपकार्यालयों या भुगतान कार्यालयों में से प्रत्येक को प्रेषण की अनुमति है, किन्तु यह पिछले स्तंभों में दी गयी शर्तों के अधीन होगी।
(ii) रिज़र्व बैंक के पास रखे किसी खाते से किसी एजेंसी कार्यालय में	सममूल्य पर	10,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 5,000 रु. के गुणजों में	एक सप्ताह में पंद्रह बार	–
3. निम्नलिखित के पक्ष में किये गये अन्य प्रेषण :				
(क) स्वयं को	प्रीमियम पर 5,000 रु. तक 3 पैसे% न्यूनतम 1 रु.* 5,000 रु. से अधिक 2 पैसे% न्यूनतम 1.50 रु.	–	–	–
(ख) तीसरी पार्टियां	प्रीमियम पर 5,000 रु. तक 6 पैसे% न्यूनतम 1 रु.* 5,000 रु. से अधिक 3 पैसे% न्यूनतम 3 रु.	–	–	–
(इ) राज्य सहकारी बैंक				
1. रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में रखे खातों के बीच	सममूल्य पर	50,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 10,000 रु. के गुणजों में	कोई सीमा नहीं	किन्हीं दो राज्य सहकारी बैंकों के खातों के बीच भी प्रेषणों की अनुमति है
2. (i) किसी एजेंसी कार्यालय से (क) रिज़र्व बैंक के पास रखे किसी खाते में (ख) किसी एजेंसी कार्यालय के पास रखे राज्य सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय के खाते में	सममूल्य पर	25,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 5,000 रु. के गुणजों में	एक सप्ताह में चार बार	मध्यवर्ती और औद्योगिक सहकारी बैंकों को उन राज्य सहकारी बैंकों की शाखाओं के रूप में माना गया है जिनके साथ वे इन सुविधाओं के प्रयोजन के लिए संबद्ध किये गये हैं
(ii) रिज़र्व बैंक के पास रखे किसी खाते से किसी एजेंसी कार्यालय में	सममूल्य पर	25,000 रु. के न्यूनतम के अधीन 5,000 रु. के गुणजों में	एक सप्ताह में पंद्रह बार	राज्य सहकारी बैंक देश के केन्द्रों में स्थित अपनी शाखाओं को एक सप्ताह में कुल मिलाकर केवल 15 प्रेषण कर सकता है, न कि अपनी प्रत्येक शाखा को 15 प्रेषण

APPENDIX II (Contd.)

Rates For Telegraphic Transfers, Bank Drafts and Mail Transfers Under the Reserve Bank's Remittance Facilities Scheme

	Whether at par or at premium	Limits on amounts	Frequency of remittances	Remarks
2. (i) From an agency office to an account maintained with the RBI	At par	In multiples of Rs. 5,000, subject to a minimum of Rs. 10,000	Four times a week	Remittances are permitted to each of the non-scheduled bank offices, branches, sub-offices or pay offices, subject to the conditions specified in the preceding columns.
(ii) From an account with the RBI to an agency office	At par	In multiples of Rs. 5,000, subject to a minimum of Rs. 10,000.	Fifteen times a week	-
3. Other remittances favouring :				
(a) Themselves	At premium Upto Rs.5,000-3 P%; minimum Re. 1* Over Rs. 5,000-2 P%; minimum Rs. 1.50	-	-	-
(b) Third parties	At premium Upto Rs.5,000-6 P%; minimum Re. 1* Over Rs. 5,000-3 P%; minimum Rs. 3	-	-	-
(C) STATE CO-OPERATIVE BANKS				
1. Between accounts at RBI offices	At par	In multiples of Rs. 10,000, subject to a minimum of Rs. 50,000	No limit	Remittances are also allowed between accounts of any two state co-operative banks
2. (i) From an agency office				
(a) to an account maintained with RBI (b) to the head office account of the state co-op. bank maintained with an agency office	At par	In multiples of Rs. 5,000, subject to a minimum of Rs. 25,000	Four times a week	Central and industrial co operative banks are treated as branches of state co-operative banks to which they are affiliated for the purpose of these facilities
(ii) From an account with RBI to an agency office	At par	In multiples of Rs. 5,000, subject to a minimum of Rs. 25,000	Fifteen times a week	A state co-operative bank can make only 15 remittances in all in a week to any of its branches at upcountry centres and not 15 remittances to each of its branches

परिशिष्ट II (समाप्त)

रिज़र्व बैंक की प्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत तार अंतरणों, बैंक ड्राफ्टों और डाक अंतरणों की दरें

	सममूल्य पर या प्रीमियम पर	राशियों के संबंध में सीमा	प्रेषणों की आवृति	टिप्पणी
3. किसी एजेंसी कार्यालय से उसके द्वारा रिज़र्व बैंक के पास रखे खाते में किये जाने वाले अन्य प्रेषण	प्रीमियम पर 2 पैसे% न्यूनतम 1 रु.	–	कोई सीमा नहीं	–
4. निम्नलिखित के पक्ष में किये जानेवाले अन्य सभी प्रेषण :				
(क) स्वयं को	प्रीमियम पर 5,000 रु. तक 3 पैसे%; न्यूनतम 0.25 रु. 5,000 रु. से अधिक 2 पैसे% न्यूनतम 1.50 रु.	–	कोई सीमा नहीं	(i) किसी राज्य सहकारी बैंक के साथ संबद्ध मध्यवर्ती और औद्योगिक सहकारी बैंकों को राज्य सहकारी बैंकों की शाखाओं के रूप में माना गया है। (ii) किसी राज्य सहकारी बैंक या समिति को उसके पक्ष में राज्य सहकारी बैंक की सूचना पर किसी केन्द्र में प्रेषण जारी किये जायेंगे, चाहे उस केन्द्र में उसका कार्यालय हो या न हो।
(ख) तीसरी पार्टियां	प्रीमियम पर 5,000 रु. तक 6 पैसे% न्यूनतम 0.25 रु. 5,000 रु. से अधिक 3 पैसे% न्यूनतम 3 रु.	–	कोई सीमा नहीं	–

* छोटी राशियों के लिए ड्राफ्ट 12 पै.%; न्यूनतम 0.25 रु.

टिप्पणी : (i) "सप्ताह" से आशय है शनिवार से प्रारंभ होनेवाली और आगामी शुक्रवार को समाप्त होनेवाली अवधि।
(ii) जिन मामलों में प्रेषण तार अंतरण द्वारा भेजे जाते हैं उन मामलों में विनिमय प्रभारों के अतिरिक्त तार प्रभार भी देय है।
(iii) 'अन्य प्रेषण' ट्रेजरी एजेंसियों को अथवा उनसे भी भेजे जा सकते हैं।
(iv) वे राज्य सहकारी बैंक, जो अनुसूचित बैंक हैं, केवल योजना 'इ' के अंतर्गत प्रेषण सुविधाओं का लाभ स्वयं उठा सकते हैं, न कि योजना 'अ' के अंतर्गत।
(v) वे सहकारी बैंक/समितियां भी उपर्युक्त मद इ (4) के अनुसार प्रेषण 'सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं जिनका किन्हीं राज्य सहकारी बैंकों से संबंध नहीं है।

स्रोत : सरकारी और बैंक लेखा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक प्रेषण सुविधा योजना, 1975 की पुस्तिका

APPENDIX II (Concld.)

Rates For Telegraphic Transfers, Bank Drafts And Mail Transfers Under The Reserve Bank's Remittance Facilities Scheme

	Whether at par or at premium	Limits on amounts	Frequency of remittances	Remarks
3. Other remittances to an account which it maintains with the RBI from an agency office	At premium 2 P%; minimum Re. 1	-	No limit	-
4. Other remittances favouring :				
(a) Themselves	At premium Upto Rs.5,000-3 P%; minimum Re. 0.25 Over Rs. 5,000-2 P%; minimum Rs. 1.50	-	No limit	(i) Central and industrial co-op. banks affiliated to a state co-op. bank are treated as branches of the latter (ii) Remittances will be issued to a state co-op. bank are society in its own favour on any centre at the instance of the state co-op. bank irrespective of whether it has an office at that centre or not
(b) Third parties	At premium Upto Rs.5,000-6 P%; minimum Re. 0.25 Over Rs. 5,000-3 P%; minimum Rs. 3	-	No limit	-

* Drafts for small amounts at 12 P.%; minimum Re. 0.25

Note : (i) 'Week' means the period commencing from a Saturday and ending with the succeeding Friday.
(ii) Where remittances are sent by telegraphic transfer, telegram charges are payable in addition to the exchange charges.
(iii) Other 'Remittances' can also be made to or from treasury agencies.
(iv) State-operative banks which are scheduled banks, will be able to avail themselves of remittance facilities only under Scheme C and not under Scheme A.
(v) Co-operative banks/societies which are not affiliated to any state co-operative bank are also entitled to remittance facilities as in item C(4) above.

ource : Department of Government and Bank Accounts, RBI and Booklet on Reserve Bank of India Remittance Facilities Scheme, 1975.

अध्याय III
सहकारी बैंकिंग

1. विहगावलोकन

वर्ष 1987-88 (जुलाई-जून), जिसके सहकारी बैंकों के संबंध में अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान सहकारी क्षेत्र (राज्य, मध्यवर्ती और प्राथमिक स्तरों को मिलाकर) की कुल जमाराशियों में 2,886 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और वे 18,180 करोड़ रुपये हो गयीं। 1987-88 के दौरान जमाराशियों में पायी गयी 18.9 प्रतिशत की वृद्धि दर 1986-87 की 19.2 प्रतिशत की वृद्धि दर से थोड़ी कम थी परन्तु वह 1985-86 की 15.9 प्रतिशत की दर से अधिक थी (सारणी III.1)। इन संस्थाओं द्वारा जारी किये गये ऋण की कुल राशि 1986-87 के दौरान स्थित 16,770 करोड़ रुपये से बढ़कर 1987-88 के दौरान 21,525 करोड़ रुपये हो गयी (राज्य/मध्यवर्ती भूमि विकास बैंकों द्वारा जारी दीर्घावधि ऋणों को छोड़कर), इस प्रकार उनमें 1986-87 और 1985-86 के क्रमशः 4.9 प्रतिशत और 17.7 प्रतिशत की तुलना में 28.4 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी।

3.2 1988-89 (जुलाई-मार्च) के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (राष्ट्रीय बैंक) ने अपने ऋण योग्य संसाधन मुख्य रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त किये और उनकी राशि करीब 1,010 करोड़ रुपये थी जबकि 1987-88 (जुलाई-जून) में वह 467 करोड़ रुपये थी। मौसमी कृषि कार्यों के लिए मंजूर अल्पावधि ऋण सीमाओं की राशि 1988-89 (जुलाई-जून) में 2,554 करोड़ रुपये थी, जबकि 1987-88 (जुलाई-जून) में वह 2,000 करोड़ रुपये थी।

3.3 सरकार द्वारा शुरू किये गये विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—जैसे उपायों से 1988-89 के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने और लगातार सूखे के वर्षों के कारण दीर्घावधि कृषि विकास की गति में आयी कमी को ठीक करने में सहायता मिली। भारतीय रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय बैंक द्वारा बनायी गयी कृषि ऋण नीति में कृषकों को संस्थागत सहायता देने तथा छोटे और सीमान्त कृषकों पर तथा शुष्क भूमि पर खेती, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना जैसे विशेष कार्यक्रमों के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्रों को अधिक ऋण की सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय बैंक ने ग्रामीण क्षेत्र को अधिक ऋण प्रदान करने तथा साथ ही सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखा ताकि इस तंत्र की अर्थक्षमता और सुव्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके।

2. सहकारी ऋण संस्थाओं की प्रगति

3.4 1985-86 से 1987-88 (जुलाई-जून) तक के वर्षों के दौरान सहकारी ऋण संस्थाओं का कार्य-निष्पादन सारणी III.1 में दिया गया है। 29 राज्य सहकारी बैंकों की जमाराशियां जून 1987 के अंत के 3,818 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1988 के अंत में 4,440 करोड़ रुपये हो गयीं और इस प्रकार उनमें 16.3 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी जबकि इसकी तुलना में यह वृद्धि 1986-87 के दौरान 12.8 प्रतिशत और 1985-86 के दौरान 14.1 प्रतिशत थी। राज्य सहकारी बैंकों द्वारा 1987-88 के दौरान जारी किये गये ऋणों की कुल राशि 9,323 करोड़ रुपये थी और उसमें 2,045 करोड़ रुपये या 28.1 प्रतिशत की सराहनीय वृद्धि हुई। बकाया ऋणों में अतिदेय राशियों का प्रतिशत जून 1988 के अंत में 8.4 प्रतिशत था जो जून 1987 के अंत के 9.0 प्रतिशत की तुलना में कम था। मांग में अतिदेय राशियों का प्रतिशत भी जून 1987 के 12.1 प्रतिशत से थोड़ा-सा कम होकर जून 1988 में 11.3 प्रतिशत हो गया।

CHAPTER III
CO-OPERATIVE BANKING

1. Overview

During 1987-88 (July-June), for which the latest data on co-operative banks are available, total deposits of the co-operative sector (State/Central and Primary levels taken together) increased by Rs. 2,886 crores to Rs. 18,180 crores. The growth rate in deposits at 18.9 per cent during 1987-88 was marginally lower than 19.2 per cent recorded in 1986-87 but higher than 15.9 per cent in 1985-86 (Table III.1). Total loans issued by these institutions went up from Rs. 16,770 crores during 1986-87 to Rs. 21,525 crores during 1987-88 (excluding long-term loans by State/Central LDBs), thus registering a growth of 28.4 per cent as compared with that of 4.9 per cent and 17.7 per cent during 1986-87 and 1985-86, respectively.

3.2 During 1988-89 (July-March), the National Bank for Agriculture and Rural Development (National Bank) obtained its lendable resources mainly from the Reserve Bank of India to the extent of Rs. 1,010 crores as against Rs. 467 crores in 1987-88 (July-June). The short-term credit limits sanctioned for Seasonal Agricultural Operations (SAO) aggregated Rs. 2,554 crores in 1988-89 (July-June) as against Rs. 2,000 crores in 1987-88 (July-June).

3.3 The measures initiated by the Government such as the Special Foodgrains Production Programme, helped to achieve increase in foodgrains production during 1988-89 and recover the lost momentum of long-term agricultural growth following the years of successive droughts. The agricultural credit policy formulated by the Reserve Bank of India and the National Bank provides institutional support to farmers with special focus on small and marginal farmers and with provision of large credit support to areas covered by special programmes such as Dryland Farming, Special Foodgrains Production Programme (SFPP), Special Rice Production Programme (SRPP) and National Oilseeds Development Project (NODP). The National Bank continued its efforts at augmenting the flow of credit to the rural sector as also at strengthening the co-operatives in order to ensure the viability and health of the system.

2. Progress of Credit Co-operatives

3.4 The performance of co-operative credit institutions during the years 1985-86 to 1987-88 (July-June) is indicated in Table III.1. Deposits with 29 State Co-operative Banks (SCBs) rose from Rs. 3,818 crores as at the end of June 1987 to Rs. 4,440 crores at the end of June 1988, registering an increase of 16.3 per cent as compared with 12.8 per cent during 1986-87 and 14.1 per cent during 1985-86. Total amount of loans issued by the SCBs during 1987-88 at Rs. 9,323 crores showed an appreciable increase of Rs. 2,045 crores or 28.1 per cent. The percentage of overdues to loans outstanding was slightly lower at 8.4 per cent at the end of June 1988 as compared with 9.0 per cent as at the end of June 1987. The percentage of overdues to demand also came down marginally from 12.1 per cent in June 1987 to 11.3 per cent in June 1988.

सारणी III.1 : भारत में सहकारी ऋण संबंधी गतिविधियों की प्रगति

(करोड़ रुपये)

संस्था का प्रकार	मदें	सहकारी वर्ष (जुलाई-जून)		
		1985-86 $	1986-87 $	1987-88 $
1	2	3	4	5
(क) राज्य सहकारी बैंक	संख्या	29	29	29
	स्वाधिकृत निधियां	616	655	726
	जमाराशियां	3,385	3,818	4,440
	रिज़र्व बैंक/राष्ट्रीय बैंक से लिये गये ऋण	923	992	1,467
	उसमें से :			
	अल्पावधि कृषि प्रयोजन	550	660	910
	कार्यकारी पूंजी	5,547	6,239	7,459
	जारी किये गये ऋण	5,516	7,278	9,323
	बकाया ऋण	3,852	4,066	4,805
	अतिदेय ऋण	292	366	401
	निम्नलिखित में अतिदेयों का % :			
	(i) बकाया ऋण	7.6	9.0	8.4
	(ii) मांग	9.2	12.1	11.3
(ख) मध्यवर्ती सहकारी बैंक	संख्या	352	353	354**
	स्वाधिकृत निधियां	1,007	1,119	1,290
	जमाराशियां	4,932	5,928	7,143
	रिज़र्व बैंक/राष्ट्रीय बैंक से लिये गये ऋण	2,351	2,685	3,296
	कार्यकारी पूंजी	8,663	10,221	12,268
	जारी किये गये ऋण	7,333	6,343	8,515
	बकाया ऋण	5,444	6,217	7,915
	अतिदेय ऋण	1,696	1,883	2,044
	निम्नलिखित में अतिदेयों का % :			
	(i) बकाया ऋण	31.2	30.3	25.8
	(ii) मांग	37.8	39.0	37.0
(ग) राज्य/मध्यवर्ती भूमि विकास बैंक	संख्या	19	19	19
	स्वाधिकृत निधियां	473	514	548
	बकाया डिबेंचर	..	..	..
	कार्यकारी पूंजी	3,532	3,901	4,214
	जारी किये गये ऋण +	533	552	1,024
	बकाया ऋण @+	2,625	2,829	3,085
	अतिदेय ऋण @	323	405	495

—(जारी)

Table III.1 : Progress of Co-operative Credit Movement in India

(Rs. Crores)

Type of Institution	Items	Co-operative Year (July-June)		
		1985-86 $	1986-87 $	1987-88 $
1	2	3	4	5
(a) State Co-operative Banks	Number	29	29	29
	Owned Funds	616	655	726
	Deposits	3,385	3,818	4,440
	Borrowings from RBI/National Bank	923	992	1,467
	Of which for :			
	Short-term agricultural purposes	550	660	910
	Working capital	5,547	6,239	7,459
	Loans issued	5,516	7,278	9,323
	Loans outstanding	3,852	4,066	4,805
	Loans overdue	292	366	401
	% of overdues to :			
	(i) Loans outstanding	7.6	9.0	8.4
	(ii) Demand	9.2	12.1	11.3
(b) Central Co-operative Banks	Number	352	353	354**
	Owned Funds	1,007	1,119	1,290
	Deposits	4,932	5,928	7,143
	Borrowings from RBI/ National Bank/Apex Banks	2,351	2,685	3,296
	Working capital	8,663	10,221	12,268
	Loans issued	7,333	6,343	8,515
	Loans outstanding	5,444	6,217	7,915
	Loans overdue	1,696	1,883	2,044
	% of overdues to :			
	(i) Loans outstanding	31.2	30.3	25.8
	(ii) Demand	37.8	39.0	37.0
(c) State/Central Land Development Banks	Number	19	19	19
	Owned Funds	473	514	548
	Debentures outstanding	..	..	..
	Working capital	3,532	3,901	4,214
	Loans issued +	533	552	1,024
	Loans outstanding @+	2,625	2,829	3,085
	Loans overdue @	323	405	495

(Contd.)

सारणी III.1 : भारत में सहकारी ऋण संबंधी गतिविधियों की प्रगति (समाप्त)

(करोड़ रुपये)

संस्था का प्रकार	मदें	सहकारी वर्ष (जुलाई-जून)		
		1985-86 $	1986-87 $	1987-88 $
1	2	3	4	5
	निम्नलिखित में अतिदेयों का % :			
	(i) बकाया ऋण	12.3	14.3	16.0
	(ii) मांग	45.0	48.1	50.3
(घ) प्राथमिक कृषि ऋण समितियां $$	संख्या (हजारों में)	92	89	90
	सदस्यता (हजारों में)	72,118	71,963	87,346
	स्वाधिकृत निधियां	1,128	1,194	1,331
	जमाराशियां	572	710	808
	उधार	3,927	4,326	4,934
	जारी किये गये कुल ऋण	3,140	3,149	3,687
	कुल बकाया ऋण	4,324	4,635	5,262
	कुल अतिदेय ऋण	1,807	1,896	2,132
	निम्नलिखित में अतिदेयों का % :			
	(i) बकाया ऋण	41.8	40.9	40.5
	(ii) मांग	44.1	40.7	40.2
(ङ) प्राथमिक सहकारी बैंक*	संख्या	1,306 सं	1,314 सं	1,325सं
	स्वाधिकृत निधियाँ	612	734	886
	जमाराशियां	3,939	4,838	5,789
	उधार	214	238	317
	बकाया ऋण	3,046	3,693	4,636

$: अनंतिम
.. : अनुपलब्ध
+ : दीर्घावधि ऋण
@ : अतिदेय ब्याज शामिल हैं।
* : वेतनभोगी समितियां शामिल हैं।
** : इनमें जम्मू और कश्मीर के तीन मध्यवर्ती सहकारी बैंक शामिल हैं जिनके संबंधित आंकड़े अनुपलब्ध हैं।
$$: बड़े आकारवाली आदिवासी बहु-उद्देशीय समितियां और कृषक सेवा समितियां शामिल हैं।
सं. : संशोधित
स्रोत : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक

Table III.1 : Progress of Co-operative Credit Movement in India (Concld.)

(Rs. Crores)

Type of Institution	Items	Co-operative Year (July-June)		
		1985-86 $	1986-87 $	1987-88 $
1	2	3	4	5
	% of overdues to :			
	(i) Loans outstanding	12.3	14.3	16.0
	(ii) Demand	45.0	48.1	50.3
(d) Primary Agricultural Credit Societies $$	Number (000's)	92	89	90
	Membership (000's)	72,118	71,963	87,346
	Owned Funds	1,128	1,194	1,331
	Deposits	572	710	808
	Borrowings	3,927	4,326	4,934
	Total loans issued	3,140	3,149	3,687
	Total loans outstanding	4,324	4,635	5,262
	Total loans overdue	1,807	1,896	2,132
	% of overdues to :			
	(i) Loans outstanding	41.8	40.9	40.5
	(ii) Demand	44.1	40.7	40.2
(e) Primary Co-operative Banks*	Number	1,306 R	1,314 R	1,325R
	Owned Funds	612	734	886
	Deposits	3,939	4,838	5,789
	Borrowings	214	238	317
	Loans outstanding	3,046	3,693	4,636

$: Provisional.
.. : Not available.
+ : Long-term loans.
@ : Includes interest overdue.
* : Includes Salary Earners' Societies.
** : Includes three CCBs in Jammu & Kashmir, related data of which are not available.
$$: Includes Large-Sized Adivasi Multi-Purpose Societies (LAMPS) and Farmers Service Societies (FSS).
R : Revised.
Source : National Bank for Agriculture and Rural Development and Reserve Bank of India.

3.5 1987-88 (जुलाई-जून) के दौरान मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या 1986-87 के 353 से बढ़कर 354 हो गयी। मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के पास विद्यमान जमाराशियां जून 1987 के अंत के 5,928 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1988 के अंत में 7,143 करोड़ रुपये हो गयीं जिससे 1987-88 के दौरान 20.5 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई जबकि 1986-87 के दौरान 20. 2 प्रतिशत की वृद्धि दर विद्यमान थी। मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा जारी ऋणों की कुल राशि 8,515 करोड़ रुपये थी तथा उसमें पिछले वर्ष की 13.5 प्रतिशत की गिरावट के एकदम विपरीत 1987-88 के दौरान 34.2 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। बकाया ऋणों में अतिदेयों का प्रतिशत जून 1987 के अंत के 30.3 प्रतिशत से और घटकर जून 1988 के अंत में 25.8 प्रतिशत हो गया तथा मांग में अतिदेयों का प्रतिशत भी उसी अवधि में 39.0 प्रतिशत से कम होकर 37.0 प्रतिशत हो गया।

3.6 1987-88 (जुलाई-जून) के दौरान राज्य/मध्यवर्ती भूमि विकास बैंकों द्वारा जारी दीर्घावधि ऋण की राशि 1,024 करोड़ रुपये थी जबकि 1986-87 में उक्त राशि 552 करोड़ रुपये थी, इस प्रकार उसमें एक वर्ष में 85.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बकाया ऋण की कुल राशि जून 1987 के अंत के 2,829 करोड़ रुपये से 9.0 प्रतिशत बढ़कर जून 1988 के अंत में 3,085 करोड़ रुपये हो गयी।

3.7 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या जून 1977 के अंत में 89,010 थी जो जून 1988 के अंत में बढ़कर 90,081 हो गयी। वर्ष के दौरान सदस्यता भी 720 लाख से काफी बढ़कर 873 लाख हो गयी। हालांकि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की जमाराशियां जून 1987 के अंत के 710 करोड़ रुपये से काफी बढ़कर जून 1988 के अंत में 808 करोड़ रुपये हो गयीं, किन्तु उनकी वृद्धि दर 1986-87 के 24.1 प्रतिशत से घटकर 1987-88 के दौरान 13.8 प्रतिशत हो गयी। 1987-88 (जुलाई-जून) के दौरान प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा वितरित ऋण की कुल राशि 3,687 करोड़ रुपये थी, जो पिछले वर्ष की 0.3 प्रतिशत की थोड़ी-सी वृद्धि के मुकाबले 17.1 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्शाती है।

3.8 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की अतिदेय राशियां जून 1987 के अंत के 1,896 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1988 के अंत में 2,132 करोड़ रुपये हो गयीं, वे 1987-88 में कुल बकाया ऋण का 40.5 प्रतिशत थीं जबकि 1986-87 में वे 40.9 प्रतिशत थीं। मांग में अतिदेयों का प्रतिशत भी 30 जून 1987 के 40.7 प्रतिशत से थोड़ा-सा घटकर 30 जून 1988 को 40.2 प्रतिशत हो गया।

3.9 वर्ष 1987-88 (जुलाई-जून) के दौरान, 11 प्राथमिक सहकारी बैंक स्थापित किये गये जिससे प्राथमिक सहकारी बैंकों की कुल संख्या बढ़कर जून 1988 के अंत में 1,325 हो गयी। जून 1988 के अंत में उनकी कुल जमाराशियां 5,789 करोड़ रुपये थीं, जो जून 1987-88 के दौरान 951 करोड़ रुपये या 19.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं जबकि 1986-87 में 22.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। प्राथमिक सहकारी बैंकों के कुल बकाया ऋणों की राशि 943 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और वह जून 1988 के अंत में 4,636 करोड़ रुपये हो गयी, इस प्रकार इसमें वर्ष 1987-88 के दौरान 25.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष हुई 21.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में अधिक थी।

3.10 अल्पावधि और मध्यावधि कृषि ऋणों के संदर्भ में तीनों ही स्तरों पर सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा ली जानेवाली ब्याज दरों के ब्योरे सारणी III.2 और III.3 में दिये गये हैं।

3.5 During 1987-88 (July-June), the number of Central Co-operative Banks (CCBs) increased to 354 as against 353 in 1986-87. Deposits with CCBs increased from Rs. 5,928 crores at the end of June 1987 to Rs. 7,143 crores at the end of June 1988, showing a growth rate of 20.5 per cent during 1987-88 as against 20.2 per cent recorded during 1986-87. The total amount of loans issued by CCBs at Rs. 8,515 crores recorded an impressive increase of 34.2 per cent during 1987-88 in sharp contrast to a decline of 13.5 per cent in the preceding year. The percentage of overdues to loans outstanding decreased further from 30.3 per cent at the end of June 1987 to 25.8 per cent at the end of June 1988 and the percentage of overdues to demand also came down in the same period from 39.0 per cent to 37.0 per cent.

3.6 During 1987-88 (July-June), the long-term loans issued by State/Central Land Development Banks amounted to Rs. 1,024 crores as against Rs. 552 crores in 1986-87, recording an increase of 85.5 per cent over the year. The total amount of loans outstanding went up from Rs. 2,829 crores as at the end of June 1987 to Rs. 3,085 crores or by 9.0 per cent by the end of June 1988.

3.7 The number of Primary Agricultural Credit Societies (PACS) increased from 89,010 at the end of June 1987 to 90,081 at the end of June 1988. The membership also went up appreciably from 720 lakhs to 873 lakhs during the year. Although deposits of PACS increased from Rs. 710 crores as at the end of June 1987 to Rs. 808 crores as at the end of June 1988, their growth rate, however, slackened from 24.1 per cent in 1986-87 to 13.8 per cent in 1987-88. During 1987-88 (July-June), loans aggregating Rs. 3,687 crores were disbursed by PACS, showing a substantial rise of 17.1 per cent as against a small rise of only 0.3 per cent in the preceding year.

3.8 The overdues of PACS went up from Rs.1,896 crores as at the end of June 1987 to Rs. 2,132 crores as at the end of June 1988 and formed 40.5 per cent of the total loans outstanding in 1987-88 as against 40.9 per cent in 1986-87. The percentage of overdues to demand also declined marginally from 40.7 per cent as on June 30, 1987 to 40.2 per cent as on June 30, 1988.

3.9 During the year 1987-88 (July-June), 11 Primary Co-operative Banks (PCBs) were established, raising the total number of PCBs to 1,325 as at end-June 1988. Their total deposits at the end of June 1988 at Rs. 5,789 crores showed an increase of Rs. 951 crores or 19.7 per cent during the year 1987-88 as compared with an increase of 22.8 per cent in 1986-87. The total outstanding loans of PCBs increased by Rs. 943 crores to Rs. 4,636 crores at the end of June 1988, registering an increase of 25.5 per cent during the year 1987-88 which was higher than that of 21.2 per cent recorded in the preceding year.

3.10 The details of interest rates charged by co-operative credit institutions at all the three levels in respect of short-term and medium-term agricultural loans are given in Table III.2 and III.3.

सारणी III-2 : सहकारी विन्यास के विभिन्न स्तरों पर ली जानेवाली ब्याज दरें (30 जून 1989 की स्थिति)

(अल्पावधि कृषि ऋण)

(प्रतिशत वार्षिक)

राज्य/संघशासित क्षेत्र	शिखर बैंक	मध्यवर्ती सहकारी बैंक	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	3.50 से 5.00	..	10.00 से 15.50
अरुणाचल प्रदेश	..	@	10.00 से 15.50
असम	..	..	..
बिहार	..	7.50	10.00 से 15.50
गोवा	8.00 से 13.50	@	10.00 से 15.50
गुजरात	..	..	10.00 से 15.50
हरियाणा	7.25	9.00	11.50
हिमाचल प्रदेश	7.60	7.50 से 13.00*	10.00 से 15.50
जम्मू और कश्मीर	3.50	7.50	10.00 से 15.50
कर्नाटक	3.75	7.50	10.00 से 15.50
केरल	3.00	7.50	10.00 से 14.00
मध्य प्रदेश	4.00	7.50	10.00 से 15.00
महाराष्ट्र	..	..	..
मणिपुर	7.50	@	10.00
मेघालय	8.50 से 14.00	@	10.00 से 15.00
मिज़ोरम	..	..	..
नागालैंड	7.50	@	10.00 से 12.00
उड़ीसा	5.00	7.50	10.00 से 15.50
पंजाब	3.50	7.50	10.00 से 12.00 $
राजस्थान	3.50	7.50	10.00 से 15.50
सिक्किम	..	..	..
तमिलनाडु	3.50	7.50	10.00 से 14.00
त्रिपुरा	7.50	@	10.00 से 15.50
उत्तर प्रदेश	4.50	6.75	10.00 से 15.50
पश्चिम बंगाल	4.00	7.50	10.00 से 15.50
अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	7.50	@	10.00 से 15.50
चंडीगढ़	12.00	@	..
नयी दिल्ली	7.50	@	10.00 से 15.50
पांडिचेरी	6.50 से 7.50	@	10.00 से 14.50

@ = इन क्षेत्रों में कोई मध्यवर्ती सहकारी बैंक नहीं है।
.. = अनुपलब्ध
$ = 15,000 रुपये तक
* = ऋणकर्ता के स्तर पर ऋण की मात्रा के अनुसार

स्रोत : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

Table III.2 : Rates of Interest Charged at Various Levels of Co-operative Structure (Position as on June 30, 1989)

(Short-term agricultural loans)

(Per cent per annum)

States/Union Territories	Apex Banks	Central Co-operative Banks	Primary Agricultural Credit Societies
1	2	3	4
Andhra Pradesh	3.50 to 5.00	..	10.00 to 15.50
Arunachal Pradesh	..	@	10.00 to 15.50
Assam	..	..	..
Bihar	..	7.50	10.00 to 15.50
Goa	8.00 to 13.50	@	10.00 to 15.50
Gujarat	..	..	10.00 to 15.50
Haryana	7.25	9.00	11.50
Himachal Pradesh	7.60	7.50 to 13.00*	10.00 to 15.50
Jammu & Kashmir	3.50	7.50	10.00 to 15.50
Karnataka	3.75	7.50	10.00 to 15.50
Kerala	3.00	7.50	10.00 to 14.00
Madhya Pradesh	4.00	7.50	10.00 to 15.00
Maharashtra	..	..	..
Manipur	7.50	@	10.00
Meghalaya	8.50 to 14.00	@	10.00 to 15.00
Mizoram	..	..	..
Nagaland	7.50	@	10.00 to 12.00
Orissa	5.00	7.50	10.00 to 15.50
Punjab	3.50	7.50	10.00 to 12.00 $
Rajasthan	3.50	7.50	10.00 to 15.50
Sikkim	..	..	..
Tamil Nadu	3.50	7.50	10.00 to 14.00
Tripura	7.50	@	10.00 to 15.50
Uttar Pradesh	4.50	6.75	10.00 to 15.50
West Bengal	4.00	7.50	10.00 to 15.50
Andaman & Nicobar Islands	7.50	@	10.00 to 15.50
Chandigarh	12.00	@	..
New Delhi	7.50	@	10.00 to 15.50
Pondicherry	6.50 to 7.50	@	10.00 to 14.50

@ = There are no CCBs in these areas.
.. = Not available.
$ = Upto Rs. 15,000.
* = As per quantum of loan at borrower level.

Source : National Bank for Agriculture and Rural Development.

सारणी III-3 : सहकारी विन्यास के विभिन्न स्तरों पर ली जानेवाली ब्याज दरें (30 जून 1989 की स्थिति)*

(मध्यावधि कृषि ऋण)

(प्रतिशत वार्षिक)

राज्य/संघशासित क्षेत्र	शिखर बैंक	मध्यवर्ती सहकारी बैंक	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	7.50	8.25 से 9.50	10.00 से 12.50
अरुणाचल प्रदेश	..	..	..
असम	9.00 से 10.50	@	10.00 से 12.50
बिहार	7.50 से 8.50	8.50 से 9.50	10.25 से 12.50
गोवा	8.00 से 10.50	@	10.00 से 12.50
गुजरात	..	..	10.00 से 12.50
हरियाणा	7.25 से 7.50	8.25 से 9.50	10.25 से 12.50
हिमाचल प्रदेश	7.60	10.50	13.00
जम्मू और कश्मीर	7.50	7.75 से 9.50	10.00 से 12.50
कर्नाटक	7.50 से 7.75	8.75 से 10.00	10.25 से 12.50
केरल	7.50 से 7.75	8.25 से 9.50	10.25 से 12.50
मध्य प्रदेश	7.50 से 7.75	8.25 से 9.50	10.25 से 12.50
महाराष्ट्र	..	..	..
मणिपुर	8.50 से 10.50	@	10.25 से 12.50
मेघालय	8.50 से 11.00	@	10.00 से 12.50
मिज़ोरम	..	..	..
नागालैंड	..	..	..
उड़ीसा	7.50	10.00	10.25 से 12.50
पंजाब	7.50	9.00 से 10.00	11.50 से 12.50
राजस्थान	7.25	8.25 से 10.00	10.25 से 12.50
सिक्किम	..	..	..
तमिलनाडु	7.25 से 7.66	8.25 से 10.00	10.25 से 12.50
त्रिपुरा	8.25	@	10.25
उत्तर प्रदेश	7.20	8.75 से 10.00	10.25 से 12.50
पश्चिम बंगाल	..	..	..
अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	8.25	@	10.25
चंडीगढ़	12.00	@	..
नयी दिल्ली	9.00 से 12.50	@	11.00 से 14.50
पांडिचेरी	9.00 से 9.50	@	10.25 से 12.50

@ = इन क्षेत्रों में कोई मध्यवर्ती बैंक नहीं है। .. अनुपलब्ध

स्रोत : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

Table III.3 : Rates of Interest Charged at Various Levels of Co-operative Structure (Position as on June 30, 1989)

(Medium-term agricultural loans)

(Per cent per annum)

States/Union Territories	Apex Banks	Central Co-operative Banks	Primary Agricultural Credit Societies
1	2	3	4
Andhra Pradesh	7.50	8.25 to 9.50	10.00 to 12.50
Arunachal Pradesh	..	..	..
Assam	9.00 to 10.50	@	10.00 to 12.50
Bihar	7.50 to 8.50	8.50 to 9.50	10.25 to 12.50
Goa	8.00 to 10.50	@	10.00 to 12.50
Gujarat	..	..	10.00 to 12.50
Haryana	7.25 to 7.50	8.25 to 9.50	10.25 to 12.50
Himachal Pradesh	7.60	10.50	13.00
Jammu & Kashmir	7.50	7.75 to 9.50	10.00 to 12.50
Karnataka	7.50 to 7.75	8.75 to 10.00	10.25 to 12.50
Kerala	7.50 to 7.75	8.25 to 9.50	10.25 to 12.50
Madhya Pradesh	7.50 to 7.75	8.25 to 9.50	10.25 to 12.50
Maharashtra	..	..	..
Manipur	8.50 to 10.50	@	10.25 to 12.50
Meghalaya	8.50 to 11.00	@	10.00 to 12.50
Mizoram	..	..	..
Nagaland	..	..	..
Orissa	7.50	10.00	10.25 to 12.50
Punjab	7.50	9.00 to 10.00	11.50 to 12.50
Rajasthan	7.25	8.25 to 10.00	10.25 to 12.50
Sikkim	..	..	..
Tamil Nadu	7.25 to 7.66	8.25 to 10.00	10.25 to 12.50
Tripura	8.25	@	10.25
Uttar Pradesh	7.20	8.75 to 10.00	10.25 to 12.50
West Bengal	..	..	..
Andaman & Nicobar Islands	8.25	@	10.25
Chandigarh	12.00	@	..
New Delhi	9.00 to 12.50	@	11.00 to 14.50
Pondicherry	9.00 to 9.50	@	10.25 to 12.50

@ = There are no CCBs in these areas. .. = Not available.

Source : National Bank for Agriculture and Rural Development.

3. राष्ट्रीय बैंक के कार्यकलाप*

राष्ट्रीय बैंक के संसाधन

3.11 1988-89 (जुलाई-मार्च) के दौरान राष्ट्रीय बैंक के वित्तीय संसाधनों में मुख्य रूप से सामान्य ऋण व्यवस्था के अधीन रिज़र्व बैंक से उधार लेकर तथा राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि तथा राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि में भारतीय रिज़र्व बैंक के अंशदान द्वारा वृद्धि की गयी। 1988-89 (जुलाई-मार्च) के दौरान राष्ट्रीय बैंक द्वारा जुटाये गये कुल शुद्ध संसाधनों की राशि 1,596 करोड़ रुपये थी जो सारणी III.4 में दी गयी है।

सारणी III.4 : राष्ट्रीय बैंक द्वारा जुटाये गये संसाधन (शुद्ध)

(करोड़ रुपये)

संसाधन	1987-88 (जुलाई-जून)	1988-89 (जुलाई-मार्च)
1	2	3
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष	45	34
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	585	565
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण)निधि	20	20
जमाराशियां	3	(-)6
बांड एवं डिबेंचर	19	(-)44
भारत सरकार से लिये गये उधार	196	(-)6
भारतीय रिज़र्व बैंक से लिये गये उधार	467	1,010
अन्य देयतायें	10	23
कुल :	1,345	1,596

3.12 1988-89 के दौरान रिज़र्व बैंक ने अपने लाभ में से राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में 330 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि में 10 करोड़ रुपये का अंशदान किया जबकि पिछले वर्ष उक्त अंशदान की राशि क्रमश: 300 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये थी। इसी तरह, इस वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि में राष्ट्रीय बैंक के अंशदानों की राशि क्रमश: 235 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये थी, जबकि पिछले वर्ष उसके अंशदानों की राशि क्रमश: 285 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये थी। कृषि और अन्य प्रयोजनों के लिए अल्पावधि उधारों के वास्ते सामान्य ऋण व्यवस्था के अंतर्गत जुलाई 1988 से मार्च 1989 तक की अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक से लिए गये उधारों की शुद्ध राशि 1,010 करोड़ रुपये थी जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4ङ) के अंतर्गत 1987-88 (जुलाई-जून) के दौरान वह 467 करोड़ रुपये थी। इस ऋण व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1988-89 (जुलाई-मार्च) के दौरान मंजूर सीमा 2,700 करोड़ रुपये थी (सामान्य ऋण व्यवस्था-I के अंतर्गत मौसमी कृषि कार्यों के लिए 2,100 करोड़ रुपये और सामान्य ऋण व्यवस्था-II के अंतर्गत मौसमी कृषि कार्यों से भिन्न प्रयोजनों के लिए 600 करोड़ रुपये) जबकि 1987-88 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा 1,950 करोड़ रुपये की समेकित सीमा मंजूर की गयी थी।

* राष्ट्रीय बैंक ने जुलाई 1988 से अपने लेखा वर्ष को जुलाई-जून से बदलकर अप्रैल-मार्च कर दिया है। अत: जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाये तब तक इस अध्याय में उसके कार्यकलापों से संबंधित आंकड़े जुलाई 1988 से मार्च 1989 की नौ महीनों की अवधि से संबंधित हैं।

3. Operations of the National Bank*

Resources of the National Bank

3.11 The financial resources of the National Bank were augmented during 1988-89 (July-March), mainly by borrowing from the Reserve Bank under the General Line of Credit and contributions from the Reserve Bank of India to the National Rural Credit (Long-Term Operations) Fund and National Rural Credit (Stabilisation) Fund. The aggregate net resources mobilised by the National Bank during 1988-89 (July-March), amounted to Rs. 1,596 crores as indicated in Table III.4.

Table III.4 : Resources (net) Mobilised by the National Bank

(Rs. Crores)

Resources	1987-88 (July-June)	1988-89 (July-March)
1	2	3
Reserves and Surplus	45	34
NRC (LTO) Fund	585	565
NRC (Stabilisation) Fund	20	20
Deposits	3	(-) 6
Bonds & Debentures	19	(-) 44
Borrowings from Government of India	196	(-) 6
Borrowings from RBI	467	1,010
Other Liabilities	10	23
Total :	**1,345**	**1,596**

3.12 During 1988-89, the Reserve Bank contributed Rs. 330 crores to NRC (LTO) Fund and Rs. 10 crores to NRC (Stabilisation) Fund out of its profits as against Rs. 300 crores and Rs. 10 crores, respectively, in the previous year. Similarly, the contributions of the National Bank were Rs. 235 crores to NRC (LTO) Fund and Rs. 10 crores to NRC (Stabilisation) Fund during the year, as compared with Rs. 285 crores and Rs. 10 crores, respectively, in the previous year. Net borrowings from the Reserve Bank during the period July 1988 to March 1989 amounted to Rs. 1,010 crores under the General Line of Credit (GLC) for short-term lending operations for agriculture and other purposes, as against those of Rs. 467 crores during 1987-88 (July-June), under Section 17 (4E) of the Reserve Bank of India Act, 1934. The limit under this line of credit sanctioned by the Reserve Bank of India during 1988-89 (July-March) was Rs. 2,700 crores (Rs. 2,100 crores under GLC-I for seasonal agricultural operations and Rs. 600 crores under GLC-II for purposes other than seasonal agricultural operations) as against a consolidated limit of Rs. 1,950 crores during 1987-88.

* The National Bank has changed its accounting year from July-June to April-March with effect from July, 1988. Therefore, the data on its operations in this Chapter pertain to the nine months period from July 1988 to March 1989, unless indicated otherwise.

3.13 1988-89 (जुलाई-मार्च) की अवधि के दौरान भारत सरकार से लिए गये उधारों की राशि 93 करोड़ रुपये थी। उक्त अवधि के दौरान 99 करोड़ रुपये की चुकौती को हिसाब में लेने पर, चुकौती की शुद्ध राशि 6 करोड़ रुपये थी, जबकि 1987-88 (जुलाई-जून) के दौरान उधारों की शुद्ध राशि 196 करोड़ रुपये थी।

3.14 1988-89 (जुलाई-मार्च) के दौरान राष्ट्रीय बैंक ने बाज़ार ऋण का आश्रय नहीं लिया। पहले के कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के बांडों की XIVवीं श्रृंखला के लिए 44 करोड़ रुपये की उक्त अवधि के दौरान चुकौती की गयी। अतः 1988-89 के दौरान चुकौती की शुद्ध राशि 44 करोड़ रुपये थी जबकि 1987-88 (जुलाई-जून) में बाज़ार उधारों की शुद्ध राशि 19 करोड़ रुपये थी।

3.15 राष्ट्रीय बैंक को चाय विकास खाता योजना, 1985 के अंतर्गत चाय कंपनियों से तथा निवेश जमा खाता योजना, 1986 (चाय) के अंतर्गत जमाराशियाँ प्राप्त हुईं। मार्च 1989 के अंत में इन योजनाओं के अंतर्गत जमा शेष क्रमशः 14 करोड़ रुपये और 16 करोड़ रुपये था जबकि जून 1988 के अंत में संबंधित योजनाओं के अंतर्गत जमा शेष की राशि 20 करोड़ रुपये और 16 करोड़ रुपये थी। राष्ट्रीय बैंक व्यापक क्षेत्र विकास प्राधिकरण परियोजनाओं के अंतर्गत अपात्र किसानों के वित्तपोषण के लिए विशेष ऋण खाते के अधीन केन्द्रीय और राज्य सरकारों से जमाराशियां भी प्राप्त करता है। इस खाता-शीर्ष के अधीन 31 मार्च 1989 को बकाया शेष राशि केन्द्रीय सरकार के संदर्भ में 18 करोड़ रुपये और राज्य सरकारों के संदर्भ में 11 करोड़ रुपये थी जबकि जून 1988 के अंत में उक्त राशि क्रमशः 18 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये थी।

कृषि और अन्य संबंधित कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय बैंक की सहायता

अल्पावधि ऋण

3.16 1988-89 (जुलाई-जून) के दौरान राष्ट्रीय बैंक ने मौसमी कृषि कार्यों के लिए कुल 2,554 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण सीमाएँ मंजूर कीं जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में उक्त राशि 2,000 करोड़ रुपये थी। 1988-89 (जुलाई-जून) के दौरान मंजूर की गयी उक्त राशि में राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अंतर्गत मंजूर 243 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल थी। जून 1989 तक इन सीमाओं के अंतर्गत किये गये आहरण की राशि 3,677 करोड़ रुपये थी जबकि 1987-88 (जुलाई-जून) में उक्त राशि 2,576 करोड़ रुपये थी। जुलाई 1988 से जून 1989 (जून 1989 के अंत तक) तक की अवधि के दौरान चुकौतियों की कुल राशि 2,935 करोड़ रुपये थी जबकि 1987-88 (जुलाई-जून) में उक्त राशि 2,326 करोड़ रुपये थी। बकाया राशि जून 1988 के अंत के 910 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1989 के अंत में 1,652 करोड़ रुपये हो गयी राष्ट्रीय बैंक द्वारा कृषि और अन्य कार्यकलापों—जैसे फसलों के विपणन और उर्वरकों के वितरण आदि के लिए प्रदत्त वित्तीय सहायता के ब्यौरे सारणी III.5 में दिये गये हैं।

मध्यावधि ऋण

3.17 कैलेंडर वर्ष 1988 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों को मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ओर से मध्यावधि कृषि प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय बैंक द्वारा मंजूर ऋण सीमाओं और इन सीमाओं में से किये गये आहरणों की राशि क्रमशः 18 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये थी जबकि 1987 में वह क्रमशः 21 करोड़ रुपये और 13 करोड़ रुपये थी। दिसम्बर 1988 के अंत में बकाया राशि 27 करोड़ रुपये थी जबकि 1987 के अंत में वह 31 करोड़ रुपये थी (सारणी III.5)।

3.13 The borrowings from the Government of India during the period 1988-89 (July-March) amounted to Rs. 93 crores. If repayments of Rs. 99 crores during the period were taken into account, there was a net repayment of Rs. 6 crores, as against a net borrowings of Rs. 196 crores during 1987-88 (July-June).

3.14 The National Bank did not resort to market borrowings during 1988-89 (July-March). The bonds of the erstwhile Agricultural Refinance & Development Corporation (ARDC) XIV Series for Rs. 44 crores were redeemed during the period. There was, therefore, a net repayment of Rs. 44 crores during 1988-89 as against a net market borrowing of Rs. 19 crores in 1987-88 (July-June).

3.15 The National Bank received deposits from tea companies under the Tea Development Account Scheme, 1985 and Investment Deposit Account Scheme, 1986 (Tea). The balances under these schemes as at the end of March 1989 were Rs. 14 crores and Rs. 16 crores, respectively, as against the balances of Rs. 20 crores and Rs. 16 crores in the respective schemes at the end of June 1988. Deposits are also received by the National Bank from the Central and State Governments under the Special Loan Account for financing ineligible farmers under Comprehensive Area Development Authority (CADA) Projects. The balances outstanding as on March 31, 1989 under this head of account were Rs. 18 crores from the Central Government and Rs. 11 crores from State Governments, as against Rs. 18 crores and Rs. 10 crores, respectively, at the end of June 1988.

National Bank's Assistance to Agriculture and Other Allied Activities

Short-term Credit

3.16 During 1988-89 (July-June), the National Bank sanctioned short-term credit limits for Seasonal Agricultural Operations (SAO) aggregating Rs. 2,554 crores as against Rs. 2,000 crores in the corresponding period last year. The sanctions during 1988-89 (July-June) also included an amount of Rs. 243 crores under the National Oilseeds Development Project (NODP). The drawals against these limits upto June 1989 were Rs. 3,677 crores as compared with Rs. 2,576 crores in 1987-88 (July-June). Total repayments during the period July 1988 to June 1989 (upto end-June 1989) were of the order of Rs. 2,935 crores as against Rs. 2,326 crores in 1987-88 (July-June). The outstanding amount increased from Rs. 910 crores at the end of June 1988 to Rs. 1,652 crores by the end of June 1989. The details of financial accommodation provided by the National Bank for agriculture and other activities such as marketing of crops and distribution of fertilizers etc., are set out in Table III.5.

Medium-term Credit

3.17 During the calendar year 1988, credit limits for medium-term agricultural purposes sanctioned by the National Bank to SCBs on behalf of CCBs and drawals against these limits amounted to Rs. 18 crores and Rs. 10 crores, respectively, as against Rs. 21 crores and Rs. 13 crores, respectively, in 1987. The amount of outstanding credit at the end of December 1988 was Rs. 27 crores as against Rs. 31 crores, at the end of December 1987 (Table III.5).

सारणी III.5 : राष्ट्रीय बैंक द्वारा सहकारी संस्थाओं और राज्य सरकारों को दिये गये ऋण (1987-88 और 1988-89)

(करोड़ रुपये)

राष्ट्रीय बैंक अधिनियम; 1981 की धारा	अवधिवार/प्रयोजनवार वित्त	अवधि जिसके लिये ऋण सीमाएं मंजूर की गयीं	1987-88				1988-89			
			मंजूर की गयी ऋण सीमाएं	निकाली गयी राशियां	चुकाई गयी राशियां	बकाया	मंजूर की गयी ऋण सीमाएं	निकाली गयी राशियां	चुकाई गयी राशियां	बकाया
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	I. अल्पावधि	**कुल**	**2,496**	**3,380**	**3,038**	**1,132**	**3,015**	**4,576**	**3,718**	**1,990**
21(1)(i)/2(i)	(क) मौसमी कृषि-कार्य@ (मार्च 1978 से बैंक दर से 3 प्रतिशत कम दर पर)	जुलाई-जून	2,000	2,576	2,326	910	2,554	3,677	2,935	1,652
21(1)(i)/3	(ख) जिसमें से राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना/तिलहन उत्पादन पर बल देने की परियोजना के लिए	जुलाई-जून	192	197	142	68	243	538	486	120
	(ग) मौसमी कृषि कार्यों के लिए अनतिदेय रक्षा के निर्माणार्थ अंतरिम सीमाएं	जुलाई-जून	102	35	32	3	33	25	28	-
21(1)(i)/3(ख)	रूई और कपास को छोड़कर अन्य फसलों का विपणन (जून 1987 से बैंक दर पर)	जुलाई-जून	3	-	-	1	9	5	1	5
21(1)(i)/3(ख)	रूई की एकाधिकार वसूली सहित रूई और कपास का विपणन (जून 1987 से बैंक दर पर)	जुलाई-जून	2	-	-	-	-	-	-	-
21(1)(ii)/3(ख)	उर्वरकों की खरीद और उनका वितरण (जून 1978 से बैंक दर से 1 प्रतिशत अधिक दर पर)	जनवरी-दिसंबर	37	33	35	15	42	19	19	15
21(1)(v)/3(क)	हथकरघा उत्पादों का उत्पादन और विपणन (मार्च 1978 से बैंक दर से $2^1/_2$ प्रतिशत कम दर पर)	अप्रैल-मार्च	313	694	613	183	338	796	689	290
	बुनकर समितियों के बारे में अनतिदेय रक्षा के निर्माणार्थ अंतरिम सीमाएं	अप्रैल-मार्च	2	-	-	-	-	-	-	-
21(1)(v)/3(क)	अन्य कुटीर और लघु उद्योगों का वित्त पोषण (मार्च 1978 से बैंक दर से $2^1/_2$ प्रतिशत कम दर पर)$	अप्रैल-मार्च	14	10	9	9	16	12	9	12
21(1)(iv)/21(4)	धागों की खरीद और बिक्री (बैंक दर पर)	अप्रैल-मार्च	13	22	23	1	15	42	34	9

—(जारी)

Table III.5 : The National Bank's Credit to Co-operatives and State Governments (1987-88 and 1988-89)

(Rs. Crores)

Section of the NABARD Act, 1981	Term-wise/Purpose-wise Finance	Period for which limits are sanctioned	1987-88				1988-89			
			Limits sanctioned	Drawals	Repayments	Outstandings	Limits sanctioned	Drawals	Repayments	Outstandings
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	I. Short-term	**Total**	**2,496**	**3,380**	**3,038**	**1,132**	**3,015**	**4,576**	**3,718**	**1,990**
21(1)(i)/2(i)	(a) Seasonal agricultural operations @(at 3% below Bank Rate from March 1978)	July-June	2,000	2,576	2,326	910	2,554	3,677	2,935	1,652
21(1)(i)/3	(b) Out of which for National Oilseeds Development Project/Oilseeds Production Thrust Project	July-June	192	197	142	68	243	538	486	120
	(c) Interim limits for creation of non-overdue cover in respect of SAO	July-June	102	35	32	3	33	25	28	-
21(1)(i)/3(b)	Marketing of crops other than cotton and *kapas* (at Bank Rate from June 1978)	July-June	3	-	-	1	9	5	1	5
21(1)(i)/3(b)	Marketing of cotton and *kapas* including monopoly procurement of cotton (at Bank Rate from June 1978)	July-June	2	-	-	-	1	-	-	-
21(1)(ii)/3(b)	Purchase and distribution of fertilizers (at 1% above Bank Rate from June 1978)	January-December	37	33	35	15	42	19	19	15
21(1)(v)/3(a)	Production and marketing of handloom products (at $2^1/_2$% below Bank Rate from March 1978)	April-March	313	694	613	183	338	796	689	290
	Interim limits for creation of non-overdue cover in respect of weavers' societies	April-March	2	-	-	-	-	-	-	-
21(1)(v)/3(a)	Financing of other cottage and small-scale industries ($2^1/_2$% below Bank Rate from March 1978)$	April-March	14	10	9	9	16	12	9	12
21(1)(iv)/21(4)	Purchase and sale of yarn (at Bank Rate)	April-March	13	22	23	1	15	42	34	9

(Contd.)

सारणी III.5 : राष्ट्रीय बैंक द्वारा सहकारी संस्थाओं और राज्य सरकारों को दिये गये ऋण (1987-88 और 1988-89) (समाप्त)

(राशि करोड़ रुपये में)

राष्ट्रीय बैंक अधिनियम; 1981 की धारा	अवधिवार/प्रयोजनवार वित्त	अवधि जिसके लिये ऋण सीमाएं मंजूर की गयीं	1987-88				1988-89			
			मंजूर की गयी ऋण सीमाएं	निकाली गयी राशियां	चुकाई गयी राशियां	बकाया	मंजूर की गयी ऋण सीमाएं	निकाली गयी राशियां	चुकाई गयी राशियां	बकाया
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
21(1)(iii)/ 21 (3)(क) और (ख)	चीनी की गिरवी पर बैंक दर से 5 प्रतिशत अधिक दर पर	जुलाई-जून	-	-	-	-	-	-	-	-
21(1)(iii)/ 21(2)(i)	मध्यावधि परिवर्तन ऋणों में राज्य सहकारी बैंक के अंश की पूर्ति के लिए कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि में उद्दिष्ट प्रतिभूतियों की गिरवी पर (बैंक दर)	निर्दिष्ट अवधि	10	10	-	10	7	-	3	7
21(1)(iii)/ 21(3)(क)	लघु वन-उत्पादों की वसूली और विपणन (बैंक दर)	जुलाई-जून	-	-	-	-	-	-	-	-
	II. मध्यावधि	**कुल**	**356**	**293**	**156**	**339**	**174**	**135**	**145**	**329**
24	कृषि प्रयोजनों के लिए@ (बैंक दर से 3 प्रतिशत कम दर पर)	जनवरी-दिसंबर	21	13	16	31	18	10	14	27
	सहकारी अभिसंस्करण समितियों/चीनी मिलों में शेयरों का क्रय (बैंक दर)	जनवरी-दिसंबर	-	-	-	-	-	-	-	-
22	अभावग्रस्त क्षेत्रों में अल्पावधि ऋणों का मध्यावधि ऋणों में परिवर्तन जिसमें ऋणों की अदायगी फिर से निर्धारित करने और उनकी अदायगी अवधि बदलना भी शामिल है (जनवरी 1979 से बैंक दर से 3 प्रतिशत कम दर पर)	जुलाई-जून	335	280	140	308	156	125	131	302
	III. दीर्घावधि	**कुल**	**88**	**88**	**15**	**169**	**51**	**45**	**19**	**195**
27	सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों को दिये गये ऋण (6 प्रतिशत वार्षिक की दर से)	अप्रैल-मार्च	88	88	15	169	51	45	19	195
	कुल ऋण (I+II+III)		**2,940**	**3,761**	**3,209**	**1,640**	**3,240**	**4,756**	**3,882**	**2,514**

\- : कुछ नहीं अथवा नगण्य

$: इसमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से अलग-अलग ग्रामीण कारीगरों को दी गयी वित्तीय सहायता शामिल है।

@ : इसमें राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना/तिलहन उत्पादन पर बल देने की परियोजना संबंधी स्वीकृत सीमाएँ तथा परिचालन शामिल हैं जो कि "ख" पर अलग से दर्शाये गये हैं।

स्रोत : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के बैंक

Table III.5 : The National Bank's Credit to Co-operatives and State Governments (1987-88 and 1988-89) (Concld.)

(Rs. Crores)

Section of the NABARD Act, 1981	Term-wise/Purpose-wise Finance	Period for which limits are sanctioned	1987-88				1988-89			
			Limits sanc-tioned	Drawals	Repay-ments	Out-stand-ings	Limits sanc-tioned	Drawals	Repay-ments	Out-stand-ings
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
21(1)(iii)/ 21(3)(a) & (b)	Against pledge of sugar (at 5% above Bank Rate)	July-June	-	-	-	-	-	-	-	-
21(1)(iii)/ 21(2)(i)	Against pledge of securities earmarked under Agricultural Credit Stabilisation Fund for meeting SCB share in M.T. Conversion loans (Bank Rate)	Specified period	10	10	-	10	7	-	3	7
21(1)(iii)/ 21(3)(a)	Collection & marketing of minor forest produce (Bank Rate)	July-June	-	-	-	-	-	-	-	-
	II. Medium-term	**Total**	**356**	**293**	**156**	**339**	**174**	**135**	**145**	**329**
24	Agricultural Purposes @ (3% below Bank Rate)	Jan-Dec.	21	13	16	31	18	10	14	27
	Purchase of shares in co-op. processing societies/sugar factories (Bank Rate)	Jan-Dec.	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Conversion of short-term loans into medium-term loans in scarcity affected areas including rephasement and reschedulement (at 3% below Bank Rate from January 1979)	July-June	335	280	140	308	156	125	131	302
	III. Long-term	**Total**	**88**	**88**	**15**	**169**	**51**	**45**	**19**	**195**
27	Loans to State Govts. for contribution to share capital of co-op. credit institutions (at 6% per annum)	April-March	88	88	15	169	51	45	19	195
	Total credit (I+II+III)		**2,940**	**3,761**	**3,209**	**1,640**	**3,240**	**4,756**	**3,882**	**2,514**

\- : Nil or Negligible.
$: Includes financing of individual rural artisans through PACS.
@ : Includes Limits sanctioned and operations for NODP/OPTP which is separately indicated at "b".
Source : National Bank for Agriculture and Rural Development.

परिवर्तन ऋण

3.18 1988-89 (जुलाई-जून) के दौरान राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को 156 करोड़ रुपये की ऋण सीमाएँ मंजूर की गयीं जो कृषकों को अल्पावधि कृषि ऋणों (पुनर्व्यवस्थित करने और चुकौती अवधि पुनर्निर्धारित करने सहित) को सूखे, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप फसल को हुई भारी हानि के कारण मध्यावधि ऋणों में बदलने के लिए थीं। जून 1989 तक इन सीमाओं के अंतर्गत 125 करोड़ रुपये की राशि आहरित की गयी और जून 1989 के अंत में ऋण की बकाया राशि 302 करोड़ रुपये थी।

दीर्घावधि ऋण

3.19 वित्तीय वर्ष 1988-89 (अप्रैल-मार्च) के दौरान सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों को 51 करोड़ रुपये की दीर्घावधि ऋण सीमाएँ मंजूर की गयीं जबकि 1987-88 के दौरान 88 करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे। 1988-89 के दौरान इन सीमाओं से किये गये आहरणों की राशि 45 करोड़ रुपये थी, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 88 करोड़ रुपये थी। किन्तु इन ऋणों की बकाया राशि मार्च 1988 के अंत के 169 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 1989 को 195 करोड़ रुपये हो गयी।

विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाओं की प्रगति

3.20 1969 से विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त वित्तीय सहायता से 44 परियोजनाओं के कार्यान्वयन से राष्ट्रीय बैंक सम्बद्ध रहा है। इन परियोजनाओं में से 39 परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक समूह ने सहायता प्रदान की है, अन्य दो परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आइएफएडी) से एवं एक-एक परियोजना संघीय जर्मन गणराज्य के क्रेडिटांस्टाल्डफर वेडरॉफबाउ, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) की निधि तथा स्विस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से सहायता प्राप्त है। 29 द्वितीय ऋणों के संदर्भ में (सामान्य ऋण व्यवस्थाओं के सह-वित्तपोषण के रूप में) प्राप्त सहायता सहित इन परियोजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंक के माध्यम से दी जानेवाली कुल सहायता की राशि 30 जून 1989 को 2,783 मिलियन अमेरिकी डालर थी जबकि 30 जून 1988 को उक्त राशि 2,700 मिलियन अमेरिकी डालर थी। उक्त 44 परियोजनाओं में से 31 मार्च 1989 तक 40 परियोजनाएँ पूरी हो गयीं/बंद हो गयी हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंक द्वारा ऋण घटक का उपयोग करीब-करीब 96 प्रतिशत रहा।

3.21 31 मार्च 1989 को चालू परियोजनाएँ इस प्रकार थीं: नाबार्ड ऋण परियोजना-I, हरियाणा सिंचाई परियोजना - चरण II, ओपेक निधि परियोजना (उत्तर प्रदेश में तीन लघु सिंचाई योजनाओं की सहायता के लिए) तथा कृषि से भिन्न क्षेत्र के कार्यकलापों और संस्थागत विकास की ऋण सहायता के लिए पांचवीं भारत-स्विस नाबार्ड परियोजना। जुलाई 1988 से मार्च 1989 तक की अवधि के दौरान नीदरलैंड्स की शाही सरकार द्वारा पिछले वर्ष की 45 मिलियन डीएफएल की राशि के अलावा 50 मिलियन डीएफएल की सहायता उपलब्ध करायी। यह सहायता नाबार्ड ऋण परियोजना-I के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंक के कार्यकलापों के सह-वित्तपोषण के रूप में प्राप्त हुई और उपयोग की गयी। नाबार्ड ऋण परियोजना-I के अंतर्गत 375 मिलियन अमेरिकी डालर की विश्व बैंक की सहायता में से 31 मार्च 1989 तक आहरण की संचयी राशि 314.5 मिलियन अमेरिकी डालर थी। नाबार्ड ऋण परियोजना-I के अंतर्गत

Conversion Loans

3.18 During 1988-89 (July-June), SCBs/CCBs were sanctioned credit limits of Rs. 156 crores to convert short-term agricultural loans (including rephasing and re-scheduling of loans) granted to farmers into medium-term loans, due to the occurrence of widespread crop failure following drought, floods or other natural calamities. The drawals against these limits upto June 1989 amounted to Rs. 125 crores and the amount of outstanding credit at the end of June 1989 was Rs. 302 crores.

Long-term Credit

3.19 During the financial year 1988-89 (April-March), long-term credit limits amounting to Rs. 51 crores were sanctioned to State Governments for contribution to the share capital of co-operative credit institutions as against Rs. 88 crores sanctioned during 1987-88. The drawals during 1988-89 against these limits amounted to Rs. 45 crores, as against Rs.88 crores last year. The amount outstanding against these loans have, however, increased from Rs. 169 crores at the end of March 1988 to Rs. 195 crores as on March 31, 1989.

Progress of Externally Aided Projects

3.20 The National Bank has been associated with the implementation of 44 projects with financial assistance from the World Bank and other international agencies since 1969. The World Bank Group has provided assistance for 39 of these projects, another two are assisted by the International Fund for Agricultural Development (IFAD) and one each by *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* (KfW) of the Federal Republic of Germany, the Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) Fund and Swiss Development Corporation (SDC). The total assistance negotiated for routing through the National Bank under these projects, including assistance received in respect of 29 bilateral credits (by way of co-financing of general lines of credit), aggregated US $ 2,783 million as on June 30, 1989 as against US $ 2,700 million as on June 30, 1988. Of the 44 projects, 40 projects have been completed/closed as on March 31, 1989. The utilisation of credit component under these projects by the National Bank was to the extent of 96 per cent.

3.21 The on-going projects as on March 31, 1989 are NABARD Credit Project-I, Haryana Irrigation Project-Phase-II, OPEC Fund Project (to supplement three minor irrigation schemes in Uttar Pradesh) and the fifth Indo-Swiss NABARD Project in support of non-farm sector activities and institutional development. During the period July 1988 to March 1989, credit assistance to the extent of Dfl. 50 million, in addition to an amount of Dfl. 45 million of last year, was made available by the Royal Government of the Netherlands. This assistance was received and utilised by way of co-financing of the National Bank's operations under the NABARD Credit Project-I. Of the World Bank assistance of US $ 375 million under NABARD Credit Project-I, the cumulative drawals as on March 31, 1989 amounted to US $ 314.5 million. The overall progress under the NABARD Credit Project-I has been quite satisfactory.

समग्र प्रगति काफी संतोषजनक है। किन्तु प्रायोगिक परियोजना ने अभी अपना पूरा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है तथा इस प्रयोजन के लिए, विश्व बैंक सिद्धांत रूप में इसके कार्यान्वयन की अवधि बढ़ाने के लिए सहमत हो गया है।

प्रक्रियाधीन परियोजनाएँ

राष्ट्रीय बीज परियोजना-III

3.22 राष्ट्रीय बीज परियोजना-III के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक से बातचीत की है। उक्त सहायता की राशि 29.9 मिलियन अमेरिकी डालर होगी और यह राष्ट्रीय बैंक के माध्यम से उक्त परियोजना के अधीन सहभागी बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के लिए निवेश ऋण घटक के रूप में प्रदान की जायेगी। जिस तारीख से उक्त परियोजना लागू होगी उसे अभी निश्चित नहीं किया गया है।

महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन
अल्पावधि ऋण

(क) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना

3.23 राष्ट्रीय बैंक ने यह निश्चय किया है कि मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तिलहन उत्पादन पर बल देने की परियोजना वाले ज़िलों के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के लिए अलग अल्पावधि ऋण सीमाएँ मंजूर की जायें। साथ ही, जो मध्यवर्ती सहकारी बैंक अतिदेयों का उच्च स्तर होने के कारण मौसमी कृषि कार्यों का वित्तपोषण करने के लिए सीमाओं की मंजूरी के पात्र नहीं हैं उन्हें उक्त परियोजना के अधीन तिलहन उगानेवालों का वित्तपोषण करने के सीमित प्रयोजन के लिए सरकारी गारंटी पर विशेष सीमाएँ मंजूर की जायेंगी। राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन पर बल देने की परियोजना के अंतर्गत आनेवाले ज़िलों के संदर्भ में, राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के लिए मंजूर ऋण सीमाओं का उपयोग तिलहन उत्पादन पर बल देने की परियोजना के अंतर्गत तिलहनों की खेती के वित्तपोषण के लिए भी किया जा सकता है।

(ख) विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम

3.24 भारत सरकार द्वारा शुरू किये गये विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत आनेवाले मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अलग से इस बात का उल्लेख करें कि इस योजना के अंतर्गत कुल कितना एकड़ क्षेत्र लाने का प्रस्ताव है तथा अनुमानित ऋण जरूरतें कितनी हैं। राष्ट्रीय बैंक द्वारा इन ऋण आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है और तदनुसार विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम के ज़िलों में कार्यरत बैंकों को अधिक ऋण सीमाएँ मंजूर की जाती हैं।

(ग) कमज़ोर राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की पुनर्व्यवस्था के लिए
12-सूत्री कार्रवाई कार्यक्रम

3.25 वर्ष 1987-88 से राष्ट्रीय बैंक ने द्विस्तरीय ढाँचे के अधीन कमज़ोर राज्य सहकारी बैंकों के लिए तथा त्रिस्तरीय ढाँचे के अधीन कमज़ोर मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए ऋण सीमाओं के लिए पात्रता बनाये रखने के लिए तीन वर्षीय समयबद्ध 12-सूत्री कार्रवाई कार्यक्रम शुरू किया है। राष्ट्रीय बैंक ऐसे बैंकों को मौसमी कृषि कार्यों के वित्तपोषण के लिए तदर्थ अल्पावधि ऋण सीमाएँ मंजूर करने के लिए सहमत हो गया है जो उक्त 12-सूत्री कार्यक्रम के अधीन आते हैं और जो अन्यथा राष्ट्रीय बैंक से ऋण सीमा का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं हैं, परन्तु शर्त यह है कि ये बैंक उक्त कार्यक्रम में निर्दिष्ट अन्य शर्तों का पालन करें।

However, the pilot project component is yet to fully achieve its objective and for this purpose, the World Bank has agreed in principle to extend the period of its implementation.

Projects in Pipeline

National Seeds Project-Phase III

3.22 The National Seeds Project (NSP)-III has been negotiated by the Government of India with World Bank for IDA assistance aggregating US $ 29.9 million to be routed through the National Bank as investment credit component for providing refinance support to the participating banks under the project. The date from which the project would become effective is yet to be finalised.

Important Policy Changes

Short-term Credit

(a) National Oilseeds Development Project

3.23 The National Bank has decided to sanction separate short-term credit limits to CCBs and RRBs for providing credit to areas under the Oilseeds Production Thrust Project (OPTP) districts. Also, those CCBs which are ineligible for sanction of limits for financing SAO on account of high level of overdues will be sanctioned special credit limits against Government guarantee for the limited purpose of financing oilseeds growers under OPTP. In respect of the districts covered under National Oilseeds Development Project (NODP) and OPTP, the credit limits sanctioned for NODP can also be utilised for financing cultivation of oilseeds under OPTP.

(b) Special Rice Production Programme (SRPP)

3.24 The CCBs which are covered under the Special Rice Production Programme (SRPP) launched by the Government of India are required to indicate separately, the total acreage proposed to be brought under the scheme and the estimated credit requirements. These credit requirements are taken into consideration by the National Bank and accordingly higher credit limits are sanctioned to the banks functioning in SRPP districts.

(c) 12-Point Action Programme for Rehabilitation of Weak SCBs/CCBs

3.25 The National Bank has launched from the year 1987-88, a three year time-bound 12-Point Action Programme for restoration of eligibility for credit limits for weak SCBs under two-tier and weak CCBs in the three-tier structure. The National Bank agreed to sanction *ad hoc* short-term credit limits for financing Seasonal Agricultural Operations to such of the weak banks covered under the 12-Point Programme which were otherwise ineligible to enjoy a credit limit from the National Bank provided these banks complied with the other conditions stipulated in the Programme.

(घ) ऐसे मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तपोषण जिनके पास पर्याप्त अनतिदेय रक्षा नहीं है

3.26 इस उद्देश्य से कि सहकारी बैंक उन किसानों को फसल ऋण प्रदान कर सकें जिन्होंने अपनी पूरी देय राशियां चुका दी हैं, राष्ट्रीय बैंक ने उन मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ओर से आहरण किये जाने की अनुमति देने का निश्चय किया है जिनके पास ऋण सीमाओं से आहरण करने के लिए पर्याप्त अनतिदेय रक्षा उपलब्ध नहीं है। परन्तु यह अनुमति इस शर्त पर दी गयी है कि ऐसे आहरणों की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर बैंक किये गये ऐसे आहरणों की सीमा तक प्राथमिक कृषि ऋण समिति के अंतर्गत बकाया में वृद्धि को सुनिश्चित करेगा।

(ङ) उत्पादन विपणन ऋण

3.27 भारत सरकार ने उत्पादन विपणन ऋण योजना नामक एक योजना बनायी है जिससे कि छोटे किसानों को किसानों के परिसरों में रखे गये कृषि उत्पाद के दृष्टिबंधक पर ऋण दिया जा सके। यह योजना विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत आनेवाले 14 चुने हुए जिलों में प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित की जायेगी और इसके अंतर्गत धान, गेहूं, सरसों, मूंगफली, चना, अरहर/तुअर आयेगी। ऋण की मात्रा फसल ऋण की दुगुनी या बंधक रखे गये उत्पाद के मूल्य का 75 प्रतिशत (जो भी कम हो) होगी, परन्तु एक व्यक्ति के मामले में यह अधिकतम 10,000 रुपये होगी। इस ऋण पर ब्याज दर वही होगी जो फसल ऋण पर ली जाती है। राष्ट्रीय बैंक इस प्रयोजन के लिए मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को शत-प्रतिशत पुनर्वित्त देने के लिए सहमत हो गया है, और मौसमी कृषि कार्यों के लिए दिये जानेवाले ऋणों पर लागू दर ही इन पर भी लागू होगी।

मध्यावधि ऋण

(क) अल्पावधि ऋणों का मध्यावधि ऋणों में परिवर्तन

3.28 राष्ट्रीय बैंक किसानों को प्रदान किये गये अल्पावधि फसल ऋणों (उपदान को घटाकर) के संदर्भ में प्राकृतिक विपत्तियों की स्थिति में परिवर्तन सुविधाएं प्रदान करता रहा है। अब यह निश्चय किया गया है कि साधारण बीमा निगम द्वारा दावों का निपटान किये जाने तक प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि ऋण समिति के सदस्यों के नाम पर बकाया अल्पावधि ऋणों की पूरी राशि के लिए मध्यावधि ऋण सुविधाएं प्रदान की जायें, परन्तु शर्त यह है कि राज्य सरकार साधारण बीमा निगम को फसल की कटाई संबंधी आँकड़े प्रदान करे। बाद में निपटाये जानेवाले बीमा दावों को परिवर्तन ऋणों के रूप में उसी अनुपात में समायोजित किया जायेगा जिस रूप में विभिन्न संबंद्ध संस्थाओं के बीच बांटा जाता है।

3.29 राष्ट्रीय बैंक ने निश्चय किया है कि अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदलने के लिए दिये जानेवाले पुनर्वित्त के संदर्भ में वही ब्याज दर लगायी जायेगी जो मौसमी कृषि कार्यों के वित्तपोषण के लिए लगायी जाती है। यह संशोधित ब्याज दर केवल उन अल्पावधि कृषि ऋणों के मामले में लागू होगी जो 1 मार्च 1988 को या उसके बाद जारी किये गये और प्राकृतिक विपत्तियों के कारण परिवर्तित किये गये।

(ख) सूखा/बाढ़ राहत संबंधी उपाय

3.30 हाल के पिछले कुछ समय में देश के कई राज्यों में बार-बार पड़े सूखे/बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपत्तियों को देखते हुए राष्ट्रीय बैंक ने वही सुविधाएं देने का निश्चय किया है जो लगातार 3 वर्ष या अधिक वर्षों तक प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित किसानों को दी जाती हैं। वर्ष 1988-89 में दी जानेवाली रियायतों/फसल ऋणों की चुकौती के पुन: निर्धारण के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

(d) Finance for CCBs not having Sufficient Non-overdue Cover

3.26 With a view to enabling the co-operative banks to provide crop loans to the farmers who have repaid their dues in full, the National Bank has decided to allow drawals on behalf of those CCBs which are not having sufficient non-overdue cover to operate on the credit limits, with a condition that within a period of 3 months from the date of such drawals the banks will ensure an increase in the loans outstanding against PACS to the extent of such drawals made.

(e) Produce Marketing Loans

3.27 The Government of India has formulated a scheme, viz., the Produce Marketing Loan Scheme (PMLS) to extend loans to small farmers against hypothecation of the agricultural produce stored in the farmers' premises. The scheme is to be implemented on a pilot basis in 14 selected districts covered under the Special Foodgrains Production Programme (SFPP) covering paddy, wheat, mustard and groundnut, *chana, arhar/tur*. The quantum of the loan will be twice the crop loan or 75 per cent of the value of the produce pledged whichever is lower, subject to a maximum of Rs. 10,000 per individual. The loan will carry the same rate of interest as that of crop loans. The National Bank has agreed to provide cent per cent refinance to the co-operative banks for the purpose at the same rate as that of loans for SAO.

Medium-term Credit

(a) Conversion of Short-term Loans into Medium-term Loans

3.28 The National Bank has been providing conversion facilities in the event of natural calamities in respect of short-term crop loans provided to farmers as net of subsidy. It has since been decided to grant medium-term credit facilities pending settlement of claims by the General Insurance Corporation (GIC) for the entire amount of short-term loans outstanding against members of PACS in affected areas, provided the State Government furnishes crop-cutting data to the GIC. The insurance claims settled afterwards will be adjusted in the same ratio as conversion loans are shared between the various institutions involved.

3.29 The National Bank has decided to charge the same rate of interest as that for financing SAO in respect of refinance provided for conversion of short-term agricultural loans into medium-term loans. This revised interest rate will be applicable only in respect of those short-term agricultural loans issued on or after March 1, 1988 and converted on account of natural calamities.

(b) Measures for Drought/Flood Relief

3.30 In view of the frequent occurrence of natural calamities such as drought/floods in several States of the country in the recent past, the National Bank decided to extend the facilities granted to the farmers affected by natural calamities for 3 or more years in succession. The details of concessions/rescheduling of crop loans in the year 1988-89 are enumerated on the following page.

(i) राज्य सहकारी बैंक/मध्यवर्ती सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मध्यावधि ऋणों के रूप में परिवर्तित/पुनः निर्धारित अल्पावधि (फसल) ऋणों के संदर्भ में चालू वर्ष (जुलाई 1988 से जून 1989) में मूलधन तथा ब्याज के रूप में देय राशि की वसूली अगले सामान्य वर्ष तक स्थगित रखेंगे।

(ii) सूखे/बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक वर्ष के लिए बैंक प्रभावित ऋणकर्ताओं को (5वर्ष की सामान्य अवधि के बजाय) 7 वर्ष की अवधि के लिए परिवर्तन/पुनः निर्धारण सुविधा प्रदान करेगा; इसमें उपर्युक्त उप-पैरा (i) में उल्लेख किये गये अनुसार एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि शामिल है। इस प्रकार सूखे/बाढ़ के बाद के तीन और अधिक वर्षों के दौरान ऋणकर्ता द्वारा लिए गये ऋणों को 10 वर्ष की कुल अवधि के लिए पुनः निर्धारित किया जायेगा।

(iii) इस प्रकार पुनः निर्धारित ऋणों के लिए वही ब्याज दर ली जायेगी जो फसल ऋणों के लिए ली जाती है।

(iv) लगातार सूखे/बाढ़ के 3 या अधिक वर्षों की अवधि के दौरान लिये गये 25,000 रुपये तक के अलग-अलग कृषि ऋणों पर बैंक दण्डस्वरूप ब्याज नहीं लगायेंगे। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा इस प्रकार छोड़ा गया दण्डस्वरूप ब्याज संबंधित राज्य सहकारी बैंक/मध्यवर्ती सहकारी बैंक/प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा ऐसे ऋणों में उनकी सहभागिता (बकाया) के अनुपात में वहन किया जायेगा।

(v) बैंक परिवर्तित/पुनः निर्धारित देय राशियों पर ब्याज को चक्रवृद्धि नहीं करेंगे।

3.31 साथ ही, चालू वर्ष (अर्थात् 1988 या 2 लगातार वर्षों 1987-88 और 1988-89) के दौरान फसल खराब हो जाने से प्रभावित ऋणकर्ताओं को कुछ रियायतें प्रदान की गयी हैं। 1987-88 में प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित फसल ऋणों को पहले ही तीन वर्षीय ऋणों में परिवर्तित कर दिया गया है। ऐसे ऋणों को पांच वर्षीय ऋणों के रूप में पुनः निर्धारित किया जायेगा। केवल चालू वर्ष अर्थात् 1988-89 के दौरान सूखे/बाढ़ से प्रभावित ऋणों को तीन वर्षीय ऋणों में परिवर्तित किया जायेगा और छोटे किसानों के मामले में ब्याज स्थगित कर अगले वर्ष वसूल किया जायेगा।

3.32 अल्पावधि (फसल) ऋणों के मामले में छोटे और सीमांत किसानों द्वारा देय कुल ब्याज मूल राशि से अधिक नहीं होना चाहिए। यह उन मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मामले में भी लागू होगा जिन्होंने छोटे और सीमान्त किसानों के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को (फसल) ऋण दिये हैं।

(ग) ऋणों के परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय बैंक की सहायता

3.33 बैंकों द्वारा दी गयी परिवर्तन/पुनः निर्धारण सुविधाओं के संबंध में राष्ट्रीय बैंक उसी तरह की सुविधाएं प्रदान करेगा जिनमें मूलधन तथा ब्याज का स्थगन तथा चुकौती की लम्बी अवधि, जहाँ लागू हो, शामिल हैं। राष्ट्रीय बैंक सहकारी बैंकों के लिये परिवर्तन और पुनः निर्धारण के 60 प्रतिशत तक के वास्ते पुनर्वित्त प्रदान करता है जो क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है। यह अंश प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर राज्य सहकारी बैंकों के अंश को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत, मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के अंश को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर बढ़ाया जायेगा तथा अपवादात्मक मामलों में, यदि इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार की सूखा सहायता उपलब्ध नहीं है तो राज्य सरकारों को भी यह सुविधा दी जा सकती है। इसी तरह, यदि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 5 प्रतिशत के अपने अंश की पूर्ति करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके मामले में राष्ट्रीय बैंक का 70 प्रतिशत का अंश बढ़ा दिया जायेगा।

(i) The SCBs/CCBs/RRBs shall defer, till the next normal year, the recovery of the amounts falling due on account of principal as well as interest in the current year (July 1988 to June 1989) in respect of short-term (crop) loans converted/rescheduled as medium-term loans.

(ii) For each of the years affected by drought/floods, banks shall grant the conversion/rescheduling facility to the affected borrowers for a period of 7 years (instead of the usual period of 5 years) inclusive of the one-year moratorium period as referred to in sub-paragraph (i) above. The loans borrowed during three or more consecutive years of drought/floods will thus be rescheduled over a total period of 10 years.

(iii) The rate of interest charged for such rescheduled loans shall be the same as that for crop loans.

(iv) Banks shall not charge penal interest on individual agricultural loans upto Rs. 25,000 borrowed during the period of 3 or more years of consecutive drought/floods. The penal interest so foregone by PACS shall be borne by the respective SCB/CCB/PACS in the same proportion of their involvement (outstandings) in such loans.

(v) Banks shall not compound interest on the dues converted/rescheduled.

3.31 Furthermore, certain concessions to borrowers affected by crop failure during the current year (i.e., 1988 or 2 consecutive years 1987-88 and 1988-89) have been granted. The crop loans affected by natural calamities in 1987-88 would have been already converted into three-year loans. Such loans may be rescheduled as five-year loans. Loans affected only during the current year, i.e., 1988-89, by drought/floods may be converted into three-year loans and interest may be deferred and collected next year in the case of small farmers.

3.32 In the case of short-term (crop) loans, the total interest payable by small and marginal farmers shall not exceed the principal amount. This will apply to CCBs also which have advanced (crop) loans to PACS for small and marginal farmers.

(c) National Bank's Assistance for Conversion of Loans

3.33 In regard to the conversion/rescheduling facilities granted by banks, the National Bank will provide corresponding facilities including the deferment of principal and interest, and longer period of repayment, wherever applicable. For co-operative banks, the National Bank provides refinance upto 60 per cent of the conversions and rescheduling to be effected at the field level. This share will be raised by reducing, on merits of each case, the shares of the SCBs from 10 per cent to 5 per cent, CCBs from 15 per cent to 5 per cent and in exceptional cases, also of the State Governments if the Central Government drought assistance is not available for the purpose. Similarly, the share of the National Bank of 70 per cent in the case of RRBs will be raised if RRBs are unable to meet their share of 5 per cent.

दीर्घावधि ऋण

3.34 राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन) निधि से सहकारी ऋण संस्थानों की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राष्ट्रीय बैंक ने राज्य सरकारों को ऋण देना जारी रखा। जिन क्षेत्रों में लगातार तीन बार सूखा पड़ा है उनमें कार्यरत प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बैंक ने राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करने का निश्चय किया है ताकि वे प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की शेयर पूंजी में अंशदान कर सकें चाहे उनके अतिदेयों का स्तर कुछ भी क्यों न हो। प्रत्येक प्राथमिक भूमि विकास बैंक के मामले में ऐसा अंशदान 2 लाख रुपये है।

3.35 यह निश्चय किया गया है कि राज्य सरकारों को सहकारी संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए प्रदान किये गये ऋण की किस्तों की चुकौती में चूक के मामले में दण्डस्वरूप ब्याज लगाया जाये और जब तक उक्त चुकौती नहीं की जाती तब तक और ऋण प्रदान न किया जाये।

1988-89 में देय दीर्घावधि ऋण (निवेश ऋण) किस्तों का स्थगन

3.36 दीर्घावधि ऋणों के मामले में राष्ट्रीय बैंक द्वारा मंजूर योजनाओं के अधीन सूखे/बाढ़ के वर्षों में देय किस्तें आमतौर पर स्वत: स्थगित हो जाती हैं। किन्तु 1988-89 में समाप्त लगातार तीन या अधिक समय तक सूखे/बाढ़ से प्रभावित किसानों के मामले में यह जरूरी होगा कि मूलधन और ब्याज दोनों की देय राशियों की वसूली में रियायत दी जाये। अत: यह निश्चय किया गया है कि उन ऋणकर्ताओं के संदर्भ में, जिन के मामले में चालू वर्ष (1988-89) के दौरान देय मीयादी ऋण किस्त और उस पर देय ब्याज पूर्वान्तिम या अंतिम किस्त है, बैंक विशेष मामले के रूप में देय किस्त की चुकौती और ब्याज की अदायगी के लिए अगले सामान्य वर्ष तक अधिस्थगन प्रदान करेंगे। प्रभावित क्षेत्रों में अन्य सभी मामलों में बैंक वर्तमान क्रियाविधि के अनुसार वर्ष 1988-89 के दौरान देय ऋण किस्तों की वसूली को एक वर्ष तक ऋण की कुल अवधि बढ़ाकर स्थगित करेंगे। किन्तु बैंक प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर अधिकतम 15 वर्ष तक ऋण की अवधि पुन: निर्धारित कर सकते हैं।

4. राज्य भूमि विकास बैंक

राज्य भूमि विकास बैंकों का ऋण कार्यक्रम और संसाधन

3.37 वर्ष 1988-89 (अप्रैल-मार्च) के लिए राज्य भूमि विकास बैंकों के ऋण कार्यक्रम की कुल राशि 840 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी जबकि वर्ष 1987-88 के लिए 695 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी थी। उक्त कार्यक्रम के लिए संसाधन 746 करोड़ रुपये के विशेष विकास डिबेंचर जारी करके जुटाये जायेंगे जिसमें राष्ट्रीय बैंक तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारें अभिदान करेंगी तथा 94 करोड़ रुपये के सामान्य डिबेंचर जारी करके जुटाये जायेंगे जिसमें राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा परस्पर सहायता/स्व-सहायता के अलावा संस्थागत निवेशकर्ता जैसे, जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक समूह, वाणिज्य बैंकों, केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अभिदान किया जायेगा। वर्ष 1987-88 और 1988-89 के लिए सामान्य और विशेष कार्यक्रमों के अधीन समग्र उपलब्धियों सहित सामान्य डिबेंचर कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थागत निवेशकों से प्राप्त सहायता सारणी III.6 में दर्शायी गयी है।

3.38 वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य भूमि विकास बैंकों को पहले की 10 वर्ष और 15 वर्ष

कृषि प्रयोजनों के लिए सहकारी ऋण

CO-OPERATIVE LOANS FOR AGRICULTURAL PURPOSES

(करोड़ रुपये CRORES OF RUPEES)

निर्गमित ISSUED — बकाया OUTSTANDING

अल्पावधि और मध्यावधि ऋण (कुल)
SHORT-TERM AND MEDIUM-TERM LOANS (TOTAL)

उनमें से मध्यावधि ऋण
OF WHICH MEDIUM-TERM LOANS

6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89

अलग-अलग व्यक्तियों को दीर्घावधि ऋण
LONG-TERM LOANS TO INDIVIDUALS

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89

(जुलाई-जून JULY-JUNE)

कृषि प्रयोजनों के लिए नाबार्ड ऋण

(करोड़ रुपये)

सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों को ऋण

7 NABARD CREDIT FOR AGRICULTURAL PURPOSES

(CRORES OF RUPEES)

LOANS TO STATE GOVERNMENTS FOR CONTRIBUTION TO SHARE CAPITAL OF CO-OPERATIVE CREDIT INSTITUTIONS

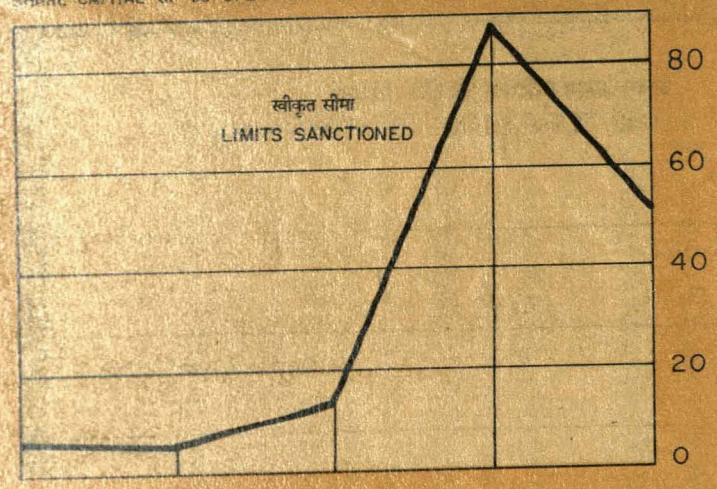

(अप्रैल – मार्च APRIL-MARCH)

राज्य सहकारी बैंकों को प्रदान किए गए अल्पावधि ऋण

SHORT-TERM LOANS PROVIDED TO STATE CO-OPERATIVE BANKS FOR SEASONAL AGRICULTURAL OPERATIONS

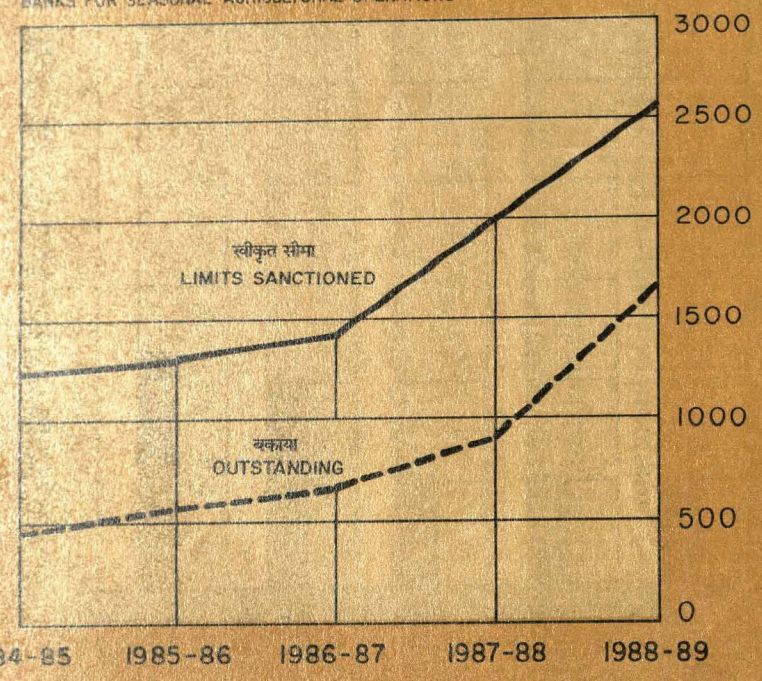

(जुलाई – जून JULY-JUNE)

नाबार्ड के कार्य (योजनाबद्ध वित्त)

(करोड़ रुपये)

8 OPERATIONS OF NABARD (SCHEMATIC FINANCE)

(CRORES OF RUPEES)

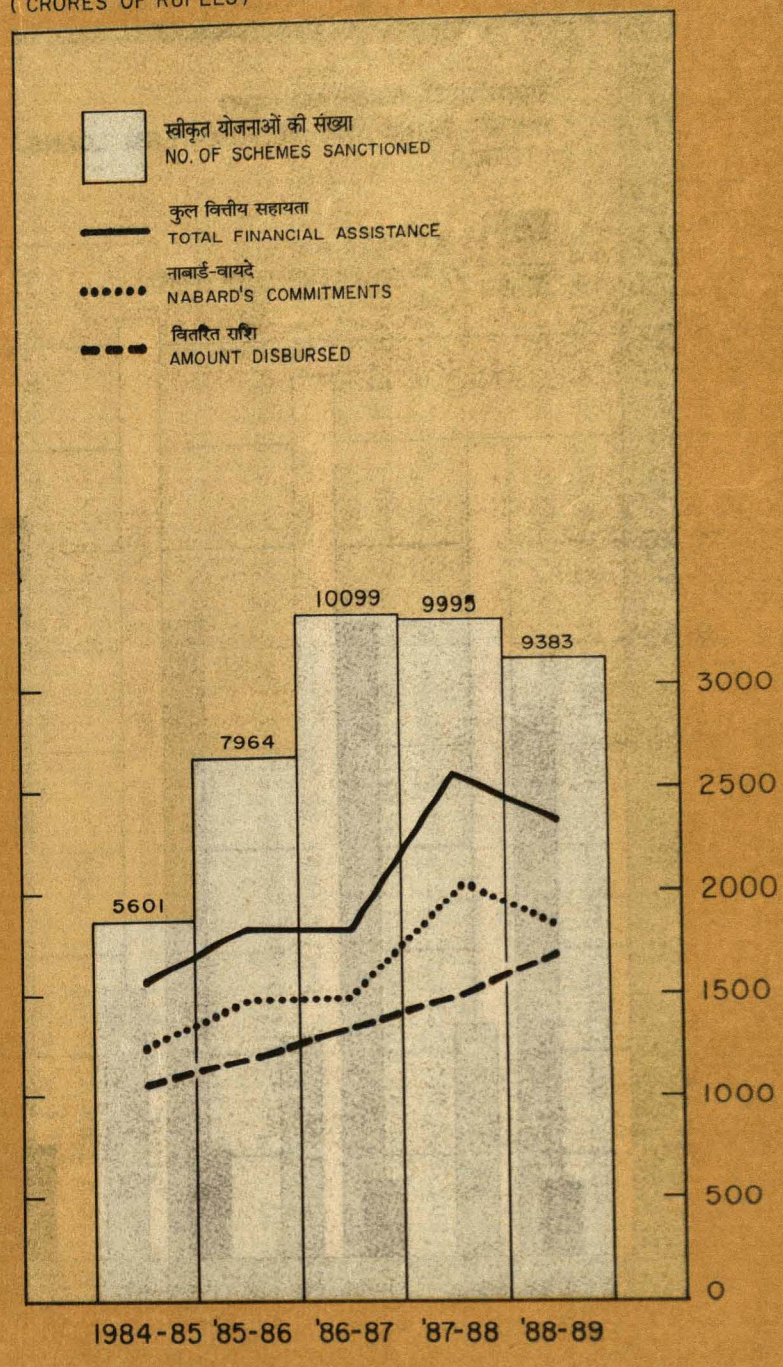

(जुलाई – जून JULY-JUNE)

Long-term Credit

3.34 The National Bank continued to provide loans to State Governments for contributing to the share capital of co-operative credit institutions out of NRC (LTO) Fund. In order to extend relief to the PLDBs functioning in the area of operation where there has been three consecutive droughts, the National Bank decided to provide loans to State Governments for contribution to the share capital of PLDBs irrespective of their level of overdues. Such contribution is Rs. 2 lakhs to each of the PLDBs.

3.35 It has been decided to charge penal interest in case of default by the State Governments in repayment of the loan instalments provided to them for contribution to the share capital of co-operative institutions and to stop providing further loans till such defaults are cleared.

Postponement of Long-term Loans (Investment Credit) Instalment Dues in 1988-89

3.36 In the case of long-term loans, normally the instalments falling due in drought/flood years are automatically deferred under the schemes sanctioned by the National Bank. However, relaxation in the recovery of dues, both principal and interest, will be necessary in the case of farmers affected by drought/flood for three or more years in succession, ending with 1988-89. It has, therefore, been decided that in respect of those borrowers in whose cases the term loan instalment and interest thereon payable during the current year (1988-89) is the penultimate or the last instalment, the banks shall grant, as a special case, a moratorium, till the next normal year, for the repayment of the instalment due and the payment of interest. In all other cases in the affected areas, the banks shall postpone, as per the existing procedure, the recovery of loan instalments due during the year 1988-89 by extending the total period of the loan by one year. The banks may, however, on the merits of each case, refix the period of loan upto a maximum of 15 years.

4. State Land Development Banks (SLDBs)

Lending Programme and Resources of SLDBs

3.37 The total lending programme of the SLDBs for the year 1988-89 (April-March) was fixed at Rs. 840 crores as compared with that of Rs. 695 crores for the year 1987-88. The resources for the programme were to be raised by flotation of special development debentures to the extent of Rs. 746 crores, subscribed to by the National Bank and the Central and State Governments and by issue of ordinary debentures for Rs. 94 crores, subscribed to by institutional investors, viz., LIC, SBI Group, commercial banks, Central and State Governments, besides mutual support/self-help by SLDBs themselves. The support availed of from institutional investors under the ordinary debenture programme together with the overall achievements under both normal and special programmes for the years 1987-88 and 1988-89 are indicated in Table III.6.

3.38 During the financial year 1988-89, SLDBs were permitted to float ordinary

की समाप्ति अवधि के बजाय 15 वर्ष और 20 वर्ष की समाप्ति अवधियों के दो सेटों में सामान्य डिबेंचर जारी करने की अनुमति दी गयी। 15 और 20 वर्ष के डिबेंचरों की ब्याज दरें क्रमशः वार्षिक 11 और 11.5 प्रतिशत थीं।

सारणी III.6 : राज्य भूमि विकास बैंकों के संसाधन

(करोड़ रुपये में)

मद	उपलब्धियाँ		(लक्ष्य)
	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4
ऋण कार्यक्रम	695	840	826
1. विशेष विकास डिबेंचर			
(क) कार्यक्रम	600	746	728
(ख) उपलब्धि	514	552	–
2. आंतरिक संसाधन	–	–	–
3. सामान्य डिबेंचर			
(क) लक्ष्य	95	94	98
(ख) वास्तव में जारी किये गये	87	98	–
(i) केन्द्र और राज्य सरकारों से प्राप्त साधारण डिबेंचरों के लिए अंशदान	15	18	–
(ii) जीवन बीमा निगम	35	35	–
(iii) भारतीय स्टेट बैंक समूह	15	15	–
(iv) वाणिज्य बैंक	12	13	–
(v) पारस्परिक समर्थन/अपनी स्वयं की सहायता	10	17	–
कुल बढ़ी हुई राशि [1(ख)+2+3(ख)]	601	650	-

स्रोत : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

3.39 राज्य भूमि विकास बैंकों को उनके उधारों पर सामान्य कार्यक्रम के अधीन वर्तमान ब्याज दरों पर उपलब्ध अल्प मार्जिन को ध्यान में रखते हुए तथा इस संबंध में राज्य भूमि विकास बैंकों और राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के महा संघ से प्राप्त अभिवेदनों के आधार पर राष्ट्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 1988-89 के दौरान सामान्य डिबेंचर जारी करने संबंधी शर्तों में नीचे दिये अनुसार रियायतें दीं :

(i) वार्षिक 11.5 प्रतिशत की दर पर जुटाई जानेवाली निधियां राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा ट्रैक्टर और/या अन्य किसी ऐसे प्रयोजन के वित्तपोषण के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं जिसके लिए अंतिम ऋणकर्ताओं से ली जानेवाली ब्याज दर 12.5 प्रतिशत हो, बशर्ते ऐसे प्रयोजनों के लिए मांग उस राशि से अधिक हो जो विशेष विकास डिबेंचर कार्यक्रम के अंतर्गत पूरी की जा सकती है।

(ii) किन्तु ऐसे वितरण चालू सहकारी वर्ष 1988-89 के लिए योजनाबद्ध उधार कार्यक्रम के वास्ते प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/राज्य भूमि विकास बैंकों की शाखाओं की उधार पात्रता के भीतर होने चाहिए।

भूमि विकास बैंकों द्वारा सहकारी चीनी फैक्ट्रियों में शेयरों की खरीद के लिए दीर्घावधि ऋण जारी करना

3.40 सहकारी चीनी फैक्ट्रियों के गन्ना उगानेवाले सदस्यों की शेयर धारण आवश्यकताओं में अद्यतन परिवर्तनों को देखते हुए, राष्ट्रीय बैंक ने प्रति ऋणकर्ता शेयर धारण की उच्चतम सीमा को इस प्रयोजन

debentures in two sets of 15 and 20 years maturity instead of 10 and 15 years maturity as in the past. The rates of interest on 15 and 20 years debentures respectively, were 11 and 11.5 per cent per annum.

Table III.6 : Resources of SLDBs

(Rs. Crores)

Items	Achievements		Target
	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4
Lending Programme	695	840	826
1. Special development debentures			
(a) Programme	600	746	728
(b) Achievements	514	552	-
2. Internal resources	-	-	-
3. Ordinary debentures			
(a) Target	95	94	98
(b) Actual flotation	87	98	-
(i) Subscription to ordinary debentures from the Central and State Governments	15	18	-
(ii) LIC	35	35	-
(iii) SBI Group	15	15	-
(iv) Commercial Banks	12	13	-
(v) Mutual Support/Self-help	10	17	-
Total amount raised {1(b)+2+3(b)}	**601**	**650**	**-**

Source : National Bank for Agriculture and Rural Development.

3.39 Keeping in view the small margin available to SLDBs on their lending under ordinary programme at the present interest rates on ordinary debentures and based on the representations received from SLDBs and the National Co-operative Agricultural and Rural Development Banks' Federation in this regard, the National Bank relaxed the terms and conditions for flotation of ordinary debentures during the financial year 1988-89 as under :

(i) The funds to be raised at 11.5 per cent per annum may be utilised by SLDBs for financing tractors and/or any other purpose, for which the interest rates to be charged to ultimate borrowers is 12.5 per cent, if the demand for such purposes was in excess of the amount that could be met under the special development debenture programme.

(ii) Such disbursements should, however, be within the lending eligibility of the Primary Land Development Banks (PLDBs)/branches of SLDBs for the schematic lending programme for the current co-operative year 1988-89.

Issue of Long-term Loans by LDBs for Purchase of Shares in Co-operative Sugar Factories

3.40 Taking into account the latest changes in the share holding requirements of grower members of co-operative sugar factories, the National Bank enhanced the

के लिए भूमि विकास बैंकों द्वारा दीर्घावधि ऋण प्रदान करने लिए 5,000 रुपये के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया।

भूमि विकास बैंकों द्वारा सहकारी कताई मिलों में शेयरों की खरीद के लिए अलग-अलग व्यक्तियों को दीर्घावधि ऋण जारी करना

3.41 राष्ट्रीय बैंक ने भूमि विकास बैंकों को यह अनुमति देने का निश्चय किया कि वे कपास उत्पादकों को संमिश्र ऋण के भाग के रूप में सहकारी कताई मिलों में शेयरों की खरीद के प्रयोजन के लिए या जहां इस प्रयोजन के लिए अल्पावधि ऋण ढांचे के माध्यम से उपलब्ध मध्यावधि ऋण अलग-अलग किसानों की चुकौती क्षमता के भीतर नहीं हैं वहां दीर्घावधि ऋण जारी करें। भूमि विकास बैंकों को यह अधिकार केवल उन मामलों में ऐसे ऋण जारी करने के लिए दिया गया है जहां ऋणकर्ता ऐसी सहकारी कताई मिलों के शेयर प्राप्त करना चाहते हैं जो स्थापित किये जाने के काफी आगे के चरण पर हैं। ऐसे ऋण प्रदान करने के लिए ऋणकर्ता द्वारा प्राप्त किये जानेवाले शेयरों के मूल्य पर 6,000 रुपये की उच्चतम सीमा भी निर्दिष्ट की गयी है।

प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित क्षेत्रों में चालू मांग का स्थगन

3.42 राष्ट्रीय बैंक के पूर्व अनुमोदन से भूमि विकास बैंक 1988-89 के दौरान प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित ऋणकर्ताओं को ऋण की अवधि के दौरान अधिकतम 4 बार स्थगन की सुविधा दे सकते हैं।

राज्य भूमि विकास बैंकों का पुनर्व्यवस्था कार्यक्रम

3.43 राष्ट्रीय बैंक ने संगठन और पद्धति के अध्ययन की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित राज्य सरकारों/राज्य भूमि विकास बैंकों के साथ कमज़ोर राज्य भूमि विकास बैंकों की पुनर्व्यस्था के मामले को आगे बढ़ाया। उक्त राज्य हैं बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल तथा (आंध्र प्रदेश को छोड़कर) ऐसे अन्य राज्य भूमि विकास बैंक जहां अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण ढांचे को इस बीच समेकित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और पांडिचेरी के राज्य भूमि विकास बैंकों ने उक्त सिफारिशों को पूर्णतः कार्यान्वित कर लिया है।

भूमि विकास बैंक ढांचे को मजबूत करने के लिए कार्रवाई कार्यक्रम

3.44 राष्ट्रीय बैंक ने वर्ष 1986 में भूमि विकास बैंक ढांचे में कमजोर प्राथमिक यूनिटों की पुनर्व्यवस्था का 10-सूत्री कार्रवाई कार्यक्रम शुरू किया था। उक्त कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों के लिए भी प्रावधान था : विनिर्दिष्ट यूनिटों के कार्यों के क्षेत्र में अतिदेयों की विस्तृत जांच करने के लिए ज़िला स्तरीय समीक्षा समितियां बनाना, अनुमानित अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने या राज्य/केन्द्रीय सरकार से अनुदानों के माध्यम से प्रावधान करने के लिए कदम उठाना, अन्य कठोर कदमों के माध्यम से सभी जान बूझकर चूक करनेवालों से समयबद्ध वसूली करना, जान बूझकर चूक न करनेवालों के संदर्भ में उपयुक्त राहत प्रदान करना, जहां कहीं जरूरी हो वहां ऋण देने की नीतियों और क्रियाविधियों को सुसंगत बनाना तथा स्टाफ बढ़ाना और उनको प्रशिक्षित करना। 30 जून 1985 को अतिदेयों की स्थिति तथा 10 सूत्री कार्रवाई कार्यक्रम में शामिल करने की पात्रता के आधार पर इस तारीख को देश में कार्यरत कुल 1,784 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/राज्य भूमि विकास बैंकों में से 194 यूनिटों को 10-सूत्री कार्रवाई कार्यक्रम के अधीन पुनर्व्यवस्था के लिए चुना गया। पता लगाये गये

ceiling on share holding per borrower from the existing level of Rs. 5,000 to Rs. 6,000 for providing long-term loans by LDBs for this purpose.

Issue of Long-term Loans to Individuals by LDBs for Purchase of Shares in Co-operative Spinning Mills

3.41 The National Bank has decided to permit LDBs to issue long-term loans to cotton growers for purchase of shares in co-operative spinning mills as part of a composite loan or where the medium-term loans available through short-term credit structure for the purpose are not within the repaying capacity of the individual farmer. LDBs have been empowered to issue such loans only where the borrowers want to acquire shares in the co-operative spinning mills which are in advanced stages of installation. A ceiling of Rs. 6,000 on value of shares to be acquired by a borrower has also been stipulated for grant of such loans.

Postponement of Current Demand in Areas Affected by Natural Calamities

3.42 The Land Development Banks (LDBs) may with the prior approval of the National Bank, allow postponement facilities to borrowers affected by natural calamities during 1988-89, upto a maximum of 4 occasions during the loan period.

Rehabilitation Programme of SLDBs

3.43 The National Bank pursued with the State Governments/SLDBs concerned with the implementation of the recommendations of Organisation and Methods (O & M) study for the rehabilitation of the weak SLDBs, in Bihar, Gujarat, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura and West Bengal and also other SLDBs except in Andhra Pradesh, where the short-term and longterm credit structure has since been integrated. The SLDBs in Himachal Pradesh, Karnataka and Pondicherry have fully implemented the recommendations.

Action Programme for Strengthening of LDB Structure

3.44 The 10-Point Action Programme for rehabilitation of weak primary units in the LDB structure was launched in the year 1986 by the National Bank. The programme provides for, among others, formation of District Level Review Committees to conduct detailed investigation of overdues in the areas of operations of identified units, steps to write off or provide for the estimated bad debts through grants from State/Central Governments, time bound recovery of all wilful defaults through coercive and other steps, appropriate reliefs in respect of non-wilful defaulters, streamlining of loaning policies and procedures wherever called for and strengthening and training of staff. Based on the overdues position as on June 30, 1985 and eligibility for inclusion in the 10-Point Action Programme, 194 units were selected out of the total number of 1,784 PLDBs/branches of SLDBs functioning in the country as on that date, for rehabilitation under the 10-Point Action Programme. The identified weak units are located in the States of Assam, Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh,

कमजोर यूनिट असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित हैं। 139 कमजोर यूनिटों के लिए बनाया गया पुनर्व्यवस्था कार्यक्रम गुजरात (61), हिमाचल प्रदेश (3), कर्नाटक (33), राजस्थान (8), तमिलनाडु (14), त्रिपुरा (2), उत्तर प्रदेश (12) और पश्चिम बंगाल (6) में फैला है तथा यह राष्ट्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है। राष्ट्रीय बैंक ने राज्य सरकारों को अतिरिक्त शेयर पूंजी अंशदान के लिए कुल 14 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है जिसमें शेयर पूँजी में अतिरिक्त अंशदान के लिए राज्य सरकारों को दिये जाने वाले 13 करोड़ रुपये तथा तकनीकी स्टाफ और राज्य भूमि विकास बैंकों के पुनर्व्यवस्था कक्ष के स्टाफ के लिए एक करोड़ रुपये का उपदान शामिल है। 30 जून 1989 तक राष्ट्रीय बैंक ने राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल की सरकारों को अतिरिक्त शेयर पूंजी अंशदान के लिए कुल 3.17 करोड़ रुपये के ऋण जारी किये हैं। कार्यक्रम के लिए किये गये प्रावधान के अनुसार राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में राज्य भूमि विकास बैंकों को 22.9 लाख रुपये का उपदान भी दिया गया है।

3.45 असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में कमजोर यूनिटों के संदर्भ में तैयार किये गये पुनर्व्यवस्था कार्यक्रमों में संशोधन किया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा पुनर्व्यवस्था कार्यक्रम अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. राष्ट्रीय बैंक से पुनर्वित्त सहायता @

योजनाबद्ध उधार देना

3.46 1988-89 (जुलाई-मार्च) अवधि के दौरान राष्ट्रीय बैंक ने 7,037 योजनाएं मंजूर कीं जिनके संदर्भ में पुनर्वित्त के वायदों की राशि 1,381 करोड़ रुपये थी जबकि 1987-88 की उसी अवधि में 7,349 योजनाओं के लिए पुनर्वित्त के वायदों की राशि 1,404 करोड़ रुपये थी। 1988-89 (जुलाई-मार्च) में वितरणों की राशि 1,270 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में उक्त राशि 965 करोड़ रुपये थी। मार्च 1989 के अंत में राष्ट्रीय बैंक द्वारा मंजूर योजनाओं की कुल संख्या 69,652 थी तथा और वायदों की राशि 14,165 करोड़ रुपये एवं कुल वितरणों की राशि 10,705 करोड़ रुपये थी (सारणी III.7)।

3.47 योजना के अनुसार देखने पर, लघु सिंचाई के लिए मंजूर योजनाओं और किये गये वायदों (समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंर्तगत आनेवाली से भिन्न) दोनों के संबंध में अकेली सबसे बड़ी मद बनी रही। 1988-89 (जुलाई-मार्च) के दौरान राष्ट्रीय बैंक ने लघु सिंचाई के लिए 2,162 योजनाएं मंजूर कीं जिनके संदर्भ में वायदों की राशि 400 करोड़ रुपये थी तथा विविध प्रयोजनों (लघु सिंचाई और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से भिन्न) के लिए 4,875 योजनाएं मंजूर कीं जिनके संदर्भ में वायदों की राशि 573 करोड़ रुपये थी (सारणी III.7)। एजेंसीवार देखने पर, 1988-89 (जुलाई-मार्च) के दौरान राष्ट्रीय बैंक के कुल वितरणों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), राज्य भूमि विकास बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों का अंश क्रमशः 814 करोड़ रुपये (64 प्रतिशत), 381 करोड़ रुपये (30 प्रतिशत) और 75 करोड़ रुपये (6 प्रतिशत) था (सारणी III.8)।

3.48 क्षेत्रवार देखा जाये तो कुल वितरणों में उत्तर-पूर्वी, मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्रों के अंश 1987-88 (जुलाई-मार्च) के 1.6 प्रतिशत, 19.5 प्रतिशत और 27.7 प्रतिशत से बढ़कर 1988-89 (जुलाई-मार्च)

@ जुलाई से मार्च की नौ महीनों की अवधि शामिल है जो नयी लेखा अवधि के साथ पड़ती है।

Jammu & Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal. Rehabilitation programmes for 139 weak units spread in Gujarat (61), Himachal Pradesh (3), Karnataka (33), Rajasthan (8), Tamil Nadu (14), Tripura (2), Uttar Pradesh (12) and West Bengal (6) have been approved by the National Bank. A total financial assistance of Rs. 14 crores, comprising Rs. 13 crores as loans to State Governments towards additional share capital contribution and Rs. 1.0 crore as subsidy towards technical staff and staff of rehabilitation cell of SLDBs has been sanctioned by the National Bank. As on June 30, 1989, the National Bank has released loans totalling Rs. 3.17 crores to the Governments of Rajasthan, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka and West Bengal towards additional share capital contribution. Subsidy amounting to Rs. 22.9 lakhs has also been released to the SLDBs in Rajasthan, Himachal Pradesh and Karnataka as provided for in the programme.

3.45 The rehabilitation programmes prepared by the National Bank in respect of weak units in Assam, Bihar, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh and Orissa are under modification. The Maharashtra SLDB is yet to submit the rehabilation programme.

5. Refinance Assistance from National Bank@

Schematic Lending

3.46 During the period 1988-89 (July-March), the National Bank sanctioned 7,037 schemes involving refinance commitments of Rs. 1,381 crores as against 7,349 schemes with refinance commitments of Rs. 1,404 crores during the corresponding period of 1987-88. Disbursements amounted to Rs. 1,270 crores in 1988-89 (July-March) as against Rs. 965 crores during the corresponding period of the previous year. As at the end of March 1989, the cumulative number of schemes sanctioned by the National Bank stood at 69,652 with commitments at Rs. 14,165 crores and the cumulative disbursements stood at Rs. 10,705 crores (Table III.7).

3.47 Scheme-wise, minor irrigation continued to be the single largest item both in regard to the number of schemes sanctioned and commitments made (other than under the IRDP). During 1988-89 (July-March), the National Bank sanctioned 2,162 schemes for minor irrigation, involving commitments of Rs. 400 crores and 4,875 schemes for diversified purposes (i.e., other than minor irrigation and IRDP) involving commitments of Rs. 573 crores (Table III.7). Agency-wise, the share of scheduled commercial banks (including RRBs), State Land Development Banks (SLDBs) and State Co-operative Banks (SCBs) in the National Bank's total disbursements stood at Rs. 814 crores (64 per cent), Rs. 381 crores (30 per cent) and Rs. 75 crores (6 per cent), respectively, during 1988-89 (July-March) (Table III.8).

3.48 Region-wise, the shares of North-Eastern, Central and Southern Regions in total disbursements rose from 1.6 per cent, 19.5 per cent and 27.7 per cent in 1987-88

@ Covers nine months period July to March, coinciding with the new accounting period.

सारणी III.7 : राष्ट्रीय बैंक द्वारा दी गयी पुनर्वित्त सहायता की प्रयोजनवार मंजूरियां और वितरित राशि (जुलाई-मार्च)

(करोड़ रुपये)

प्रयोजन	1987-88			1988-89			31 मार्च 1989 को संचयी स्थिति		
	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	प्रतिबद्ध-तायें	वितरित राशि	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	प्रतिबद्ध-तायें	वितरित राशि	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	प्रतिबद्ध-तायें	वितरित राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
लघु सिंचाई	2,651	631	335	2,162	400	387	24,575	5,840	4,244
भूमि विकास/सीएडी	85	23	21	67	27	18	2,037	449	278
कृषि मशीनीकरण	813	117	120	1,113	179	158	11,246	1,903	1,787
बागान/बागवानी	818	107	48	789	95	65	6,896	1,004	502
मुर्गी पालन/भेड़ पालन/सूअर पालन	655	38	22	689	52	45	5,276	364	234
मत्स्य पालन	284	28	12	268	38	19	2,633	291	144
डेरी विकास	601	81	35	473	61	51	5,181	492	292
भंडारण/मंडियाँ	82	24	22	22	4	16	1,930	299	254
अन्य	1,360	355	350	1,454	525	511	9,878	3,523	2,970
कुल	**7,349**	**1,404**	**965**	**7,037**	**1,381**	**1,270**	**69,652**	**14,165**	**10,705**

स्रोत : राष्ट्रीय कृषि और गामीण विकास बैंक

सारणी III.8 : 1987-88 (जुलाई-जून) और 1988-89 (जुलाई-मार्च) के दौरान राष्ट्रीय बैंक द्वारा पुनर्वित्त की एजेंसीवार मंजूरियां और वितरित राशि

(करोड़ रुपये)

एजेंसी	योजनाओं की संख्या*		वित्तीय सहायता		राष्ट्रीय बैंक की प्रतिबद्धताएँ		राष्ट्रीय बैंक द्वारा वितरित राशि		31 मार्च 1989 को संचयी स्थिति $			
	1987-88 (जुलाई-जून)	1988-89 (जुलाई-मार्च)	1987-88 (जुलाई-जून)	1988-89 (जुलाई-मार्च)	1987-88 (जुलाई-जून)	1988-89 (जुलाई-मार्च)	1987-88 (जुलाई-जून)	1988-89 (जुलाई-मार्च)	योजनाओं की संख्या	एजेंसियों द्वारा वित्तीय सहायता	राष्ट्रीय बैंक की प्रतिबद्ध-तायें	राष्ट्रीय बैंक द्वारा वितरित राशि @
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1. राज्य भूमि विकास बैंक	2,911	1,868	811	519	726	461	467	381	19,204	5,979	5,298	3,870
2. अनुसूचि वाणिज्य बैंक@@	6,747	4,918	1,628	1,132	1,203	823	951	814	48,699	10,883	8,299	6,436
3. राज्य सहकारी बैंक	337	251	122	109	108	97	64	75	1,749	648	568	399
कुल	**9,995**	**7,037**	**2,561**	**1,760**	**2,037**	**1,381**	**1,482**	**1,270**	**69,652**	**17,510**	**14,165**	**10,705**

@ अल्पावधि वित्त को छोड़कर
@@ इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं.
* समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को छोड़कर
$ संचयी स्थिति में समायोजन शामिल है
स्रोत : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

Table III.7 : Purpose-wise Sanctions and Disbursements of Refinance by National Bank (July-March)

(Rs. Crores)

Purpose	1987-88			1988-89			Cumulative position as on March 31, 1989		
	No. of Schemes Sanctioned	Commitments	Disbursements	No. of Schemes Sanctioned	Commitments	Disbursements	No. of Schemes Sanctioned	Commitments	Disbursements
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Minor Irrigation	2,651	631	335	2,162	400	387	24,575	5,840	4,244
Land Development/CAD	85	23	21	67	27	18	2,037	449	278
Farm Mechanisation	813	117	120	1,113	179	158	11,246	1,903	1,787
Plantation/Horticulture	818	107	48	789	95	65	6,896	1,004	502
Poultry/Sheep breeding/Piggery	655	38	22	689	52	45	5,276	364	234
Fisheries	284	28	12	268	38	19	2,633	291	144
Dairy Development	601	81	35	473	61	51	5,181	492	292
Storage/Market Yards	82	24	22	22	4	16	1,930	299	254
Others	1,360	355	350	1,454	525	511	9,878	3,523	2,970
Total	**7,349**	**1,404**	**965**	**7,037**	**1,381**	**1,270**	**69,652**	**14,165**	**10,705**

Source : National Bank for Agriculture and Rural Development.

Table III.8 : Agency-wise Sanctions and Disbursements of Refinance by National Bank during 1987-88 (July-June) and 1988-89 (July-March)

(Rs. Crores)

Agency	Number of Schemes*		Financial Assistance		National Bank Commitments		Disbursements by National Bank		Cumulative position as on March 31, 1989 $			
	1987-88 (July-June)	1988-89 (July-March)	1987-88 (July-June)	1988-89 (July-March)	1987-88 (July-June)	1988-89 (July-March)	1987-88 (July-June)	1988-89 (July-March)	No. of schemes	Financial assistance by agencies	National Bank Commitments	Disbursements by National Bank @
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1. State Land Development Banks	2,911	1,868	811	519	726	461	467	381	19,204	5,979	5,298	3,870
2. Scheduled Commercial Banks@@	6,747	4,918	1,628	1,132	1,203	823	951	814	48,699	10,883	8,299	6,436
3. State Co-operative Banks	337	251	122	109	108	97	64	75	1,749	648	568	399
Total	**9,995**	**7,037**	**2,561**	**1,760**	**2,037**	**1,381**	**1,482**	**1,270**	**69,652**	**17,510**	**14,165**	**10,705**

@ Excludes short-term finance.
@@ Including RRBs.
* Excludes IRDP.
$ Cumulative position includes adjustments.
Source: National Bank for Agriculture and Rural Development.

के दौरान क्रमशः 2.0 प्रतिशत, 23.0 प्रतिशत तथा 32.6 प्रतिशत हो गये। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के अंश में गिरावट आयी, पश्चिमी क्षेत्र के अंश में भी उक्त अवधियों में थोड़ी-सी गिरावट पायी गयी (सारणी III.9)।

सारणी III.9 : 1987-88 और 1988-89 (जुलाई-मार्च) के दौरान राष्ट्रीय बैंक द्वारा पुनर्वित्त सहायता का क्षेत्रवार वितरण

क्षेत्र	1987-88		1988-89	
	राशि (करोड़ रुपये)	कुल का प्रतिशत	राशि (करोड़ रुपये)	कुल का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.
उत्तरी	189	19.6	191	15.0
उत्तर-पूर्वी	16	1.6	25	2.0
पूर्वी	161	16.7	167	13.2
मध्यवर्ती	188	19.5	292	23.0
पश्चिमी	144	14.9	181	14.2
दक्षिणी	267	27.7	414	32.6
कुल	**965**	**100.0**	**1,270**	**100.0**

उत्तरी क्षेत्र : चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान.
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र : असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश.
पूर्वी क्षेत्र : सिक्किम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह.
मध्यवर्ती क्षेत्र : मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश.
पश्चिमी क्षेत्र : गोवा, दमण और द्वीव, वादरा और नगर हवेली, गुजरात और महाराष्ट्र.
दक्षिणी क्षेत्र : आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी और तमिलनाडु

स्रोत : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक.

3.49 राष्ट्रीय बैंक ने कम विकसित राज्यों में कृषि निवेश के विकास और उसे बढ़ावा देने की नीति को अपनाना जारी रखा। उक्त राज्यों में राष्ट्रीय बैंक के वितरणों की राशि 1987-88 (जुलाई-मार्च) के 428 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1988-89 (जुलाई-मार्च) में 551 करोड़ रुपये हो गयी, इसमें से 201 करोड़ रुपये या 36 प्रतिशत का प्रमुख अंश उत्तर प्रदेश को मिला (सारणी III.10)। असम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों का अंश 25 करोड़ रुपये या 4.5 प्रतिशत था। संचयी आधार पर, इन राज्यों में कुल वितरण की राशि मार्च 1989 के अंत तक 4,473 करोड़ रुपये थी।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

3.50 1988-89 (जुलाई-मार्च) के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन राष्ट्रीय बैंक की पुनर्वित्त सहायता 403 करोड़ रुपये थी, इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अंश 41 प्रतिशत, वाणिज्य बैंकों का 47 प्रतिशत तथा राज्य सहकारी बैंकों का अंश 12 प्रतिशत था। उद्योग, सेवा और कारोबार घटक का अंश 225 करोड़ रुपये था जो 1988-89 (जुलाई-मार्च) के दौरान कुल वितरित राशि का 56 प्रतिशत था (सारणी III.11)।

(July-March) to 2.0 per cent, 23.0 per cent and 32.6 per cent, respectively, during 1988-89 (July-March). The shares of Northern and Eastern Regions showed declines; the share of Western Region too recorded a marginal fall in the above periods (Table III.9).

Table III.9 : Region-wise Disbursements of Refinance by National Bank during 1987-88 and 1988-89 (July-March)

Region	1987-88		1988-89	
	Amount (Rs. crores)	Percentage to total	Amount (Rs. crores)	Percentage to total
1	2	3	4	5
Northern	189	19.6	191	15.0
North-Eastern	16	1.6	25	2.0
Eastern	161	16.7	167	13.2
Central	188	19.5	292	23.0
Western	144	14.9	181	14.2
Southern	267	27.7	414	32.6
Total	**965**	**100.0**	**1,270**	**100.0**

Northern Region : Chandigarh, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab and Rajasthan.
North-Eastern Region : Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, and Arunachal Pradesh.
Eastern Region : Sikkim, Bihar, Orissa, West Bengal and Andaman & Nicobar Islands.
Central Region : Madhya Pradesh and Uttar Pradesh.
Western Region : Goa, Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli, Gujarat and Maharashtra.
Southern Region : Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Pondicherry and Tamil Nadu.

Source : National Bank for Agriculture and Rural Development.

3.49 The National Bank continued to pursue the policy of development and promotion of agricultural investments in the less developed States. The National Bank's disbursements in those States rose from Rs. 428 crores in 1987-88 (July-March) to Rs. 551 crores during 1988-89 (July-March), of which a major share of Rs. 201 crores or 36 per cent went to Uttar Pradesh (Table III.10). Assam and other North-Eastern States accounted for a share of Rs. 25 crores or 4.5 per cent. On a cumulative basis, total disbursements in these States upto the end of March 1989 amounted to Rs. 4,473 crores.

Integrated Rural Development Programme (IRDP)

3.50 During 1988-89 (July-March), the National Bank's refinance assistance under IRDP amounted to Rs. 403 crores, of which the share of RRBs accounted for 41 per cent, commercial banks for 47 per cent and SCBs and SLDBs together for 12 per cent. The Industry, Service and Business (ISB) component accounted for Rs. 225 crores constituting 56 per cent of the total disbursements during 1988-89 (July-March) (Table III.11).

सारणी III.10 : 1987-88 और 1988-89 (जुलाई-मार्च) के दौरान कम विकसित और/अथवा कम बैंक सुविधावाले राज्यों को राष्ट्रीय बैंक द्वारा पुनर्वित्त सहायता की राशि का वितरण

(योजनाबद्ध ऋण)

(करोड़ रुपये)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1987-88	1988-89
1.	2.	3.
उत्तर प्रदेश	127	201
मध्य प्रदेश	61	91
बिहार	96	71
राजस्थान	50	54
उड़ीसा	32	39
जम्मू और कश्मीर	6	7
पश्चिम बंगाल	33	56
असम तथा अन्य उत्तर-पूर्वी राज्य	16	25
हिमाचल प्रदेश	7	6
अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	–	1
सिक्किम	–	–
(अ) उक्त राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का जोड़	428	551
(आ) कुल वितरण (अखिल भारतीय)	965	1,270
आ से अ का प्रतिशत	(44.4)	(43.4)

स्रोत : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

सारणी III.11 : 1987-88 (जुलाई-जून) और 1988-89 (जुलाई-मार्च) के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय बैंक का पुनर्वित्त

(करोड़ रुपये)

एजेंसी	वितरित राशि				मार्च 1989 के अंत तक संचयी	
	1987-88 (जुलाई-जून)		1988-89 (जुलाई-मार्च)			
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
राज्य भूमि विकास बैंक	10	2.2	6	1.5	84	3.4
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
वाणिज्य बैंक	237	52.9	188	46.6	1,270	51.0
	(109)	(49.3)	(102)	(45.3)	(444)	(46.4)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	166	37.1	166	41.2	910	36.5
	(98)	(44.4)	(107)	(47.6)	(463)	(48.3)
राज्य सहकारी बैंक	35	7.8	43	10.7	228	9.1
	(14)	(6.3)	(16)	(7.1)	(51)	(5.3)
कुल	**448**	**100.0**	**403**	**100.0**	**2,492**	**100.0**
	(221)	**(100.0)**	**(225)**	**(100.0)**	**(958)**	**(100.0)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े उद्योग, सेवा, कारोबार (आई.एस.बी.) षटक के वितरणों को दर्शाते हैं।

स्रोत : राष्ट्रीय कृषि और गामीण विकास बैंक।

Table III.10 : Disbursements of refinance by National Bank to less developed States during 1987-88 and 1988-89 (July-March)

(Schematic Lending)

(Rs. Crores)

States/Union Territories	1987-88	1988-89
1.	2.	3.
Uttar Pradesh	127	201
Madhya Pradesh	61	91
Bihar	96	71
Rajasthan	50	54
Orissa	32	39
Jammu & Kashmir	6	7
West Bengal	33	56
Assam and Other North-Eastern States	16	25
Himachal Pradesh	7	6
Andaman & Nicobar Islands	-	1
Sikkim	-	-
(A) Total of above States/Union Territories	**428**	**551**
(B) Total Disbursements (All-India)	**965**	**1,270**
Percentage of A to B	(44.4)	(43.4)

Source : National Bank for Agriculture and Rural Development.

Table III.11 : National Bank's Refinance for IRDP during 1987-88 (July-June) and 1988-89 (July-March)

(Rs. Crores)

Agency	Disbursements				Cumulative upto the end of March 1989	
	1987-88 (July-June)		1988-89 (July-March)			
	Amount	Percentage to total	Amount	Percentage to total	Amount	Percentage to total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
SLDBs	10	2.2	6	1.5	84	3.4
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Commercial Banks	237	52.9	188	46.6	1,270	51.0
	(109)	(49.3)	(102)	(45.3)	(444)	(46.4)
RRBs	166	37.1	166	41.2	910	36.5
	(98)	(44.4)	(107)	(47.6)	(463)	(48.3)
SCBs	35	7.8	43	10.7	228	9.1
	(14)	(6.3)	(16)	(7.1)	(51)	(5.3)
Total	**448**	**100.0**	**403**	**100.0**	**2,492**	**100.0**
	(221)	**(100.0)**	**(225)**	**(100.0)**	**(958)**	**(100.0)**

Note : Figures in brackets indicate disbursements for ISB Component.
Source : National Bank for Agriculture and Rural Development.

ऊसर भूमि का विकास

3.51 राष्ट्रीय बैंक ने ऊसर भूमि के विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए पुनर्वित्त प्रदान करना जारी रखा, जैसे ऊसर भूमि पर बागान के लिए पौध उगाने के वास्ते वाणिज्यिक आधार पर नर्सरियां स्थापित करना, ऊसर भूमि (वृक्ष पट्टा योजना के अंतर्गत आनेवाली भूमि सहित) पर वनरोपण तथा उपभोक्ता उद्योगों द्वारा आबद्ध बागान उगाना।

3.52 एक महत्वपूर्ण गतिविधि है अंतिम ऋणकर्ताओं के स्तर पर ब्याज दर में कमी करना, उसे अलग-अलग ऋणकर्ताओं और/या अलग-अलग व्यक्तियों के समूहों, जैसे सहकारी संस्थाओं की सभी श्रेणियों, के लिए एक समान रूप से वार्षिक 10 प्रतिशत करना। किन्तु कंपनी क्षेत्र तथा अन्य ऋणकर्ताओं से वार्षिक 12.5 प्रतिशत की ब्याज दर वसूल की जाती रहेगी। राष्ट्रीय बैंक द्वारा अपने पुनर्वित्त पर इन दो श्रेणियों के संदर्भ में लगायी जानेवाली ब्याज दर क्रमशः 6.5 प्रतिशत और 8 प्रतिशत निश्चित की गयी है। 1987-88 के दौरान वानिकी और ऊसर भूमि के विकास के लिए 73 योजनाएं मंजूर की गयीं। उनके संदर्भ में पुनर्वित्त सहायता की राशि 32.3 करोड़ रुपये थी। वर्ष के दौरान किये गये वितरणों की राशि 19.1 करोड़ रुपये थी।

बुनकरों के लिए वित्त

बुनकर समितियों का वित्तपोषण

3.53 देश के ऐसे कुछ भागों में वर्ष 1988-89 के दौरान सूखे/बाढ़ को देखते हुए जिनका वर्ष 1989-90 के दौरान बुनकरों के उत्पादों की बिक्री पर असर पड़ता रहा, राष्ट्रीय बैंक ने यह निश्चय किया है कि प्राथमिक बुनकर समितियों के उत्पादन और विपणन कार्यकलापों के संबंध में पुनर्वित्त सुविधा तथा शिखर/क्षेत्रीय बुनकर समितियों के वसूली और विपणन कार्यकलापों में निम्नलिखित ढील दी जाये :

(i) कुल राशि अर्थात् सामान्य और अतिरिक्त सीमा प्रत्याशित उत्पादन के 75 प्रतिशत तक मंजूर की जायेगी।

(ii) 6 महीने तक छूट के दावों/सरकारी कर्मचारियों को ऐसी उधार बिक्री जिसके लिए दावे प्रस्तुत किये गये हैं परन्तु वे 6 महीने तक अनिर्णीत हैं तथा जनता कपड़े के संदर्भ में 6 महीने तक के दावों को उधारों के लिए रक्षा के रूप में गिना जायेगा।

(iii) नयी और पुनः अर्थक्षम बनायी गयी समितियों की कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं का 2 वर्ष के बजाय 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रति करघा आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।

6. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

प्राथमिक सहकारी बैंकों की प्रगति

3.54 30 जून 1989 को देश में प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 1,331 थी (इनमें 92 वेतनभोगियों के बैंक और 33 महिला बैंक शामिल हैं), जबकि जून 1988 के अंत में इन बैंकों की संख्या

Wastelands Development

3.51 Various types of wastelands development schemes, viz., setting up of commercial nurseries for raising seedlings for plantation on wastelands, afforestation of wastelands (including those under *Tree Patta Scheme*) and raising of captive plantation by user industries, etc., continued to receive refinance support from the National Bank.

3.52 One significant development has been the reduction in the rate of interest at the ultimate borrowers' level, making it 10 per cent per annum uniformly for all categories of individual borrowers and/or groups of individuals such as co-operatives. Corporate and other borrowers would, however, continue to be charged at the rate of 12.5 per cent per annum. The rate of interest to be charged by the National Bank on its refinance in respect of these two categories has been fixed at 6.5 per cent and 8 per cent, respectively. During 1987-88, 73 schemes were sanctioned for forestry and wastelands development, involving refinance assistance to the tune of Rs. 32.3 crores. The disbursements made during the year amounted to Rs. 19.1 crores.

Weavers' Finance

Financing of Weavers' Societies

3.53 In the context of drought/floods during the year 1988-89 in some parts of the country which had continued to affect the sale of weavers' products during the year 1989-90, the National Bank has decided to provide the following relaxations in respect of refinance facility for production and marketing activities of primary weavers' societies and procurement and marketing activities of apex/regional weavers' societies:

(i) The total limit viz., normal and additional limit would be sanctioned to the extent of 75 per cent of the anticipated production.

(ii) Rebate claims upto 6 months/credit sales to Government servants for which claims have been submitted but pending upto 6 months and subsidy claims in respect of Janatha cloth upto 6 months would be reckoned towards cover for the borrowings and

(iii) The working capital requirements of new and revitalised societies would be assessed on a per loom basis for a period of 4 years instead of 2 years.

6. Primary (Urban) Co-operative Banks

Progress of PCBs

3.54 The number of Primary Urban Co-operative Banks (PCBs) in the country as on June 30, 1989 were 1,331 (including 92 Salary Earners' Banks and 33 Mahila Banks)

1,325 थी (इनमें समापनाधीन बैंक शामिल नहीं हैं)। प्राथमिक सहकारी बैंकों के कार्यालयों की संख्या जून 1988 के अंत के 3,119 से बढ़कर 31 दिसंबर 1988 तक 3,183 हो गयी। इनमें से वेतनभोगियों के बैंकों के कार्यालयों की संख्या उक्त अवधि के दौरान 250 से बढ़कर 254 हो गयी। प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा जुटाई गयी जमाराशियाँ जून 1987 के अंत के 4,838 करोड़ रुपयों से बढ़कर जून 1988 के अंत में 5,789 करोड़ रुपये हो गयीं और इस प्रकार उनमें 19.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उसी अवधि के दौरान बकाया ऋणों की राशि भी सहकारी वर्ष 1987-88 के अंत में 25.5 प्रतिशत बढ़कर 4,636 करोड़ रुपये हो गयी। शहरी सहकारी बैंकों और वेतनभोगी बैंकों दोनों ही की स्वाधिकृत निधियों की राशि जून 1988 के अंत में 886 करोड़ रुपये अनुमानित है। 1984-85 से 1988-89 तक के वर्षों में प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा की गयी प्रगति सारणी III.12 में दर्शायी गयी है।

सारणी III.12 : प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की प्रगति

(करोड़ रुपये)

	सहकारी वर्ष (जुलाई-जून)				
	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
1.	2.	3.	4.	5.	6.
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की संख्या*	1,289$ (100)	1,300$ (97)	1,314$ (94)	1,325 (92)	1,331$ (92)
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के कार्यालयों की संख्या*	2,855$ (234)	2,985$ (243)	3,014$ (249)	3,119$ (250)	3,183@ (254)
जमाराशियां	3,255	3,939	4,838	5,789	..
बकाया ऋण	2,524	3,046	3,693	4,636	..

*वेतनभोगी बैंकों के आंकड़े कोष्ठकों में दिये गये हैं।
@31 दिसंबर 1988 तक
$संशोधित
.. :अनुपलब्ध

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में प्राथमिक सहकारी बैंकों को शामिल करना

3.55 50 करोड़ रुपये और अधिक की मीयादी और मांग देयताओं वाले ग्यारह शहरी सहकारी बैंकों को 1 सितंबर 1988 से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया। इनमें से आठ बैंक महाराष्ट्र में और तीन गुजरात में स्थित हैं।

लाइसेंस देना और निरीक्षण

3.56 जुलाई 1988 से जून 1989 तक की अवधि के दौरान 18 प्राथमिक सहकारी बैंकों (सात नये बैंक और ग्यारह वर्तमान बैंक) को बैंकिंग कारोबार शुरू करने और/या चलाने के लिए लाइसेंस जारी किये गये, इससे लाइसेंस प्राप्त प्राथमिक सहकारी बैंकों की कुल संख्या जून 1988 के अंत के 964 से बढ़कर 982 हो गयी। 29 प्राथमिक सहकारी बैंकों को कारोबार के 33 नये कार्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गयी। साथ ही, दो शहरी सहकारी बैंकों तथा एक वेतनभोगियों के बैंक को एक-एक विस्तार काउंटर खोलने की अनुमति दी गयी। वर्ष 1988-89 (जुलाई-जून) के दौरान 500 प्राथमिक सहकारी बैंकों का निरीक्षण किया गया। एक बैंक के संदर्भ में काफी कमियां पायी गयीं और उसके संदर्भ में भारत सरकार ने मार्च 1989 में छह महीने की अवधि के लिए अधिस्थगन का आदेश जारी किया। पांच प्राथमिक सहकारी बैंक निदेशों के अधीन कार्य करते रहे।

as compared to 1,325 banks at end-June 1988 (excluding banks under liquidation). There were 3,119 offices of PCBs at end-June 1988 which increased to 3,183 by December 31, 1988. Of this, the number of offices of Salary Earners' Banks increased from 250 to 254 during this period. Deposits mobilised by the PCBs increased to Rs. 5,789 crores at end-June 1988 from Rs. 4,838 crores at end-June 1987 registering an increase of 19.7 per cent. Loans outstanding over the same period also increased by 25.5 per cent to Rs. 4,636 crores at the end of the co-operative year 1987-88. Owned funds of both the urban co-operative banks and Salary Earners' Banks are placed at Rs. 886 crores at end-June 1988. The progress made by PCBs over the years 1984-85 to 1988-89 is presented in Table III.12.

Table III.12 : Progress of Primary (Urban) Co-operative Banks

(Rs. Crores)

	Co-operative Year (July-June)				
	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Number of PCBs*	1,289$ (100)	1,300$ (97)	1,314$ (94)	1,325$ (92)	1,331$ (92)
Number of Offices of PCBs*	2,855$ (234)	2,985$ (243)	3,014$ (249)	3,119$ (250)	3,183@ (254)
Deposits	3,255	3,939	4,838	5,789	..
Loans Outstanding	2,524	3,046	3,693	4,636	..

* Figures for Salary Earners' Banks are indicated in brackets.
@ As on December 31, 1988.
$ Revised.
.. : Not Available.

Inclusion of PCBs to the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act

3.55 Eleven urban co-operative banks with time and demand liabilities of over Rs. 50 crores each were included to the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from September 1,1988. Eight of these Banks are located in Maharashtra and three in Gujarat.

Licensing and Inspection

3.56 During the period July 1988 to June 1989, 18 PCBs (seven new banks and eleven existing banks) were issued licences to commence and/or carry on banking business, taking the total number of licensed PCBs to 982 from 964 as at end-June 1988. Permission was granted to 29 PCBs to open 33 new places of business. Further, two urban co-operative banks and one Salary Earners' Bank were granted permission for opening an extension counter each. During the year 1988-89 (July-June), 500 PCBs were inspected. In respect of one bank where major deficiencies were noticed, the Government of India issued in March 1989, an order of moratorium for a period of six months. Five PCBs continued to work under directions.

अल्पावधि-ऋण सीमाएं

3.57 वर्ष 1988-89 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 52 प्राथमिक सहकारी बैंकों की ओर से 5 राज्य सहकारी बैंकों को रियायती दरों अर्थात् बैंक दर से 2.5 प्रतिशत कम की दर पर कुल 26 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण सीमाएं मंजूर की गयीं, जबकि पिछले वर्ष 57 प्राथमिक सहकारी बैंकों की ओर से 28 करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे। ये सीमाएं कुटीर/लघु उद्योग यूनिटों के 22 स्थूल समूहों की कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए हैं। इन सीमाओं के अंतर्गत बकाया उधारों की राशि 31 मार्च 1989 को 22 करोड़ रुपये थी, जबकि पिछले वर्ष अर्थात् मार्च 1988 के अंत में उक्त राशि 24 करोड़ रुपये थी।

स्टॉक संबंधी मानदंड

3.58 प्राथमिक सहकारी बैंकों को कागज़ उद्योग और उपभोग्य वस्तुओं के अतिरिक्त पुर्जों से संबंधित स्टॉक संबंधी मानदंड सूचित किये गये और उन्हें ये अनुदेश दिये गये कि बैंकिंग तंत्र से 10 लाख रुपये और अधिक की कार्यकारी पूंजीगत सीमाएं प्राप्त करनेवाले ऋणकर्ता यूनिटों के संदर्भ में वे इन मानदंडों का पालन करें।

जमाराशि संबंधी ब्याज दरें

3.59 46 दिन से 90 दिन तक की मीयादी जमाराशियों की ब्याज दर को 28 मार्च 1989 से 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया। 15 दिन से 45 दिन तक की मीयादी जमाराशियों पर ब्याज की दर वार्षिक 3 प्रतिशत थी, इस श्रेणी को उसी तारीख से समाप्त कर दिया गया है। 91 दिन से अधिक परन्तु छह महीने से कम की मीयादी जमाराशियों की ब्याज दर वार्षिक 8.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित है। प्राथमिक सहकारी बैंकों को यह सुविधा दी गयी थी कि वे 14 दिन तक की जमाराशियों पर और सूचना पर आहरित की जानेवाली या प्रतिदेय जमाराशियों पर वार्षिक 0.5 प्रतिशत की ब्याज दर प्रदान करें, 28 मार्च 1989 से इस सुविधा को भी वापस ले लिया गया है। किन्तु प्राथमिक सहकारी बैंकों को दी गयी यह अनुमति जारी है कि वे अपने विवेकानुसार जमाराशियों पर 1 प्रतिशत अधिक का ब्याज प्रदान करें। विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाते के अंतर्गत स्वीकार की गयी जमाराशियों की ब्याज दरों को वर्ष के दौरान कई बार संशोधित किया गया (वाणिज्य बैंकों पर लागू ब्याज दरों के ब्यौरे अध्याय II में दिये गये हैं)।

रुपये में अनिवासी (विदेशी/सामान्य) खाता खोलना और रखना

3.60 अप्रैल 1989 के अंत में 40 प्राथमिक सहकारी बैंकों को रुपये में अनिवासी (विदेशी) और अनिवासी (सामान्य) रुपया खाते खोलने और रखने के लिए प्राधिकृत किया गया।

अग्रिमों के संबंध में ब्याज दर

3.61 अच्छी साखवाले ऋणकर्ताओं की कतिपय श्रेणियों को कुछ राहत प्रदान करने और साथ ही उधार संबंधी ब्याज दरों में लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से 10 अक्तूबर 1988 से 16.5 प्रतिशत की (निश्चित) उच्चतम दर हटा दी गयी और 16 प्रतिशत की न्यूनतम दर लागू की गयी।

Short-term Credit Limits

3.57 During the year 1988-89 (April-March), short-term credit limits aggregating Rs. 26 crores were sanctioned at concessional rates of interest, i.e., 2.5 per cent below the Bank Rate to 5 State Co-operative Banks on behalf of 52 PCBs, as against Rs. 28 crores sanctioned on behalf of 57 PCBs in the previous year. These are meant for financing the working capital requirements of 22 broad groups of cottage/small scale industrial units. The outstanding borrowings against these limits amounted to Rs.22 crores as on March 31, 1989 as against Rs. 24 crores in the previous year i.e., end-March 1988.

Inventory Norms

3.58 The inventory norms relating to paper industry and consumable spares were advised to PCBs and they were instructed to observe these norms in respect of the borrowing units enjoying working capital limits of Rs. 10 lakhs or more from the banking system.

Interest Rates on Deposits

3.59 The interest rate on term deposits for 46 days to 90 days was raised from 4 per cent to 6 per cent per annum with effect from March 28, 1989. The category of term deposits for 15 days to 45 days on which rate of interest of 3 per cent per annum had been prescribed was abolished with effect from the same date. The term deposit rate for 91 days and above but less than six months remained unchanged at 8.0 per cent per annum. The facility given to PCBs to allow interest at 0.5 per cent per annum on deposits upto 14 days and on deposits subject to withdrawal or repayment by notice was also withdrawn from March 28, 1989. However, the PCBs are allowed to continue to pay 1 per cent higher interest on deposits at their discretion. Interest rates on deposits accepted in Foreign Currency (Non-Resident) Account were revised on a number of occasions during the year (Details as applicable to commercial banks are given in chapter II).

Opening and Maintaining Non-Resident (External/Ordinary) Accounts in Rupees

3.60 As at end-April 1989, 40 PCBs were authorised to open and maintain Non-Resident (External), and Non-Resident (Ordinary) Accounts in rupees.

Interest Rate on Advances

3.61 With a view to providing some relief to certain categories of borrowers with good credit record and at the same time to provide flexibility in lending rates, it was decided that with effect from October 10, 1988, the ceiling rate of 16.5 per cent (fixed) was removed and a minimum rate of 16 per cent was introduced.

शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम

3.62 प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा किसी एक पार्टी को कंपनियों की प्रतिभूतियों पर दिये जानेवाले अग्रिमों से संबंधित उच्चतम सीमा 11 जनवरी 1989 से संशोधित कर दी गयी। एक करोड़ रुपये से कम, एक करोड़ रुपये और अधिक परन्तु 10 करोड़ रुपये से कम तथा 10 करोड़ रुपये और अधिक की कुल मीयादी और मांग देयताओं वाले प्राथमिक सहकारी बैंकों के मामले में संशोधित उच्चतम सीमा क्रमश: 50,000 रुपये, एक लाख रुपये और 3 लाख रुपये है।

आवास के लिए दिये गये अग्रिमों पर ब्याज दरें

3.63 प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा दिये जानेवाले आवास ऋण पहले 'अन्य मीयादी ऋण' श्रेणी के अंतर्गत आते थे और वे 'वार्षिक 15 प्रतिशत से अनधिक' की ब्याज दर की शर्त के अधीन थे। 10 अक्तूबर 1988 से संशोधित ब्याज दरें सारणी III.13 में दी गयी हैं।

सारणी III.13 : आवास वित्त संबंधी उधार दरें

ऋण की राशि	ब्याज की दर (वार्षिक प्रतिशत)
1	2
20,000 रुपये तक	12.5
20,000 रुपये से अधिक और 50,000 रुपये तक	13.5
50,000 रुपये से अधिक और एक लाख रुपये तक	14.0
एक लाख रुपये से अधिक	14.5 से 16.0

3.64 शहरी बैंकों को यह अनुमति दी गयी है कि वे राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की तरह ही अलग-अलग ऋणकर्ता को एक लाख रुपये तक का आवास वित्त प्रदान करें। अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों को यह अनुमति दी गयी है कि वे प्रति ऋणकर्ता 3 लाख रुपये तक आवास वित्त प्रदान करें।

आवास योजनाओं के लिए सहकारी बैंक से वित्त

3.65 राज्य/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों से भिन्न) द्वारा आवास वित्त प्रदान करने के लिए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत 31 मार्च 1989 को जारी किये गये थे। हालांकि उक्त मार्गदर्शी सिद्धांत आमतौर पर उसी आधार पर जारी किये गये थे जिस आधार पर वाणिज्य बैंकों और प्राथमिक सहकारी बैंकों को जारी किये गये थे, परन्तु उनमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर अन्य वर्गों, जिनमें कम आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग शामिल हैं, पर बल दिया गया है। राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा आवास के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, कम आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के अलग-अलग ऋणकर्ताओं को दिये जानेवाले ऋण की अधिकतम मात्रा एक लाख रुपये होगी तथा मरम्मत, परिवर्धन और परिवर्तन के लिए हर अलग-अलग ऋणकर्ता को दिये जानेवाले

Advances against Shares and Debentures

3.62 The ceiling on advances by PCBs to a single party against the corporate securities was revised with effect from January 11,1989. The revised ceilings are Rs. 50,000, Rs. 1 lakh and Rs. 3 lakhs, in the case of PCBs with total time and demand liabilities (TDL), respectively, of less than Rs. 1 crore, Rs. 1 crore and above but less than Rs. 10 crores and Rs. 10 crores and above.

Rate of Interest on Advances for Housing

3.63 The housing loans granted by PCBs were earlier covered under the category of 'other term loans' and subject to interest rate stipulation 'not exceeding 15 per cent per annum.' The interest rates have been revised with effect from October 10, 1988, as given in Table III.13

Table III.13 : Lending Rates on Housing Finance

Amount of Loan	Rate of Interest (per cent per annum)
Upto Rs. 20,000	12.5
Above Rs. 20,000 and upto Rs. 50,000	13.5
Above Rs. 50,000 and upto Rs. 1 lakh	14.0
Above Rs. 1 lakh	14.5 to 16.0

3.64 Urban banks are permitted to extend housing finance upto Rs. 1 lakh to an individual as in the case of State and Central Co-operative Banks. The scheduled PCBs have been permitted to extend housing finance upto Rs. 3 lakhs per individual.

Co-operative Bank Finance for Housing Schemes

3.65 The modified guidelines for extending housing finance by State/Central Co-operative Banks (other than urban co-operative banks) were issued on March 31, 1989. While the guidelines are generally on the similar lines as those issued for commercial banks and PCBs, their thrust is on scheduled castes and scheduled tribes, and other economically weaker sections (EWS), including low income group (LIG) and middle income group (MIG), as per norms laid down by the Government of India. The maximum quantum of loan by SCBs/CCBs to an individual borrower belonging to EWS, LIG and MIG for housing purpose will be Rs. 1 lakh and for repairs, additions and alterations, the maximum amount of loan per individual borrower will be Rs. 30,000. The SCBs/CCBs may extend term loans to Housing Boards within their

ऋण की अधिकतम राशि 30,000 रुपये होगी। राज्य सहकारी बैंक/मध्यवर्ती सहकारी बैंक अपने राज्यों के भीतर आवास बोर्डों को मीयादी ऋण प्रदान कर सकते हैं। बोर्डों को दिये जानेवाले ऋणों पर लगायी जानेवाली ब्याज दर वार्षिक 12.5 प्रतिशत होगी परन्तु शर्त यह है कि उक्त ऋण द्वारा वित्तपोषित यूनिटों का 75 प्रतिशत से अन्यून अंश आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और कम आय वर्ग के लिए हो तथा अंतिम ऋणकर्ता से लिए जानेवाले ब्याज की दर निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर हो। बकाया आवास ऋण की कुल राशि किसी बैंक की कुल जमाराशियों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बैंक के सभी प्रकार के और सभी प्रयोजनों (आवास ऋण सहित) के लिए दिये जानेवाले मीयादी अग्रिमों की अलग-अलग व्यक्तियों के नाम बकाया राशि पिछले महीने के अंतिम शुक्रवार को विद्यमान कुल मांग और मीयादी देयताओं के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये जानेवाले ऋण

3.66 प्राथमिक सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने कुल अग्रिमों का 60 प्रतिशत भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रदान करें। सूचना देनेवाले 476 शहरी बैंकों में से 335 बैंकों ने जून 1988 तक उक्त निर्धारित स्तर का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। 476 शहरी बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गये अग्रिमों की राशि 860.07 करोड़ रुपये थी और वह उनके कुल अग्रिमों का 65.8 प्रतिशत थी।

ऋण खातों के लिए ऋण अनुप्रवर्तन प्रणाली (स्थिति संबंधी कूट)

3.67 ऋण खातों को विभिन्न श्रेणियों, जैसे संतोषजनक, अनियमित, मुकदमा दायर, अशोध्य और संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत करने की दर्जा देने की व्यापक और एक समान प्रणाली (हेल्थ कोड या स्थिति संबंधी कूट) के बारे में जून 1987 में शहरी बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये थे। 1,239 शहरी बैंकों (वेतन भोगियों के बैंकों को छोड़कर) में से अब तक केवल 316 बैंकों ने ही प्रतिक्रिया दर्शायी है।

7. सहकारी संरचना का सुदृढ़ीकरण एवं भावी विकास

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का पुनर्गठन

3.68 राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्धारित तरीके से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के पुनर्गठन के लिए चरणबद्ध तरीके से उनका चयन करके गुजरात में उक्त कार्यक्रम में निरंतर प्रगति हो रही है। महाराष्ट्र सरकार अभी पुनर्गठन की योजना को स्वीकार नहीं कर पायी है।

पुनर्गठित कृषि ऋण समितियों के भविष्य की योजना

3.69 जैसा कि कृषि और ग्रामीण विकास संबंधी सांस्थानिक ऋण विषयक व्यवस्थाओं के पुनरीक्षण के लिए गठित समिति द्वारा सिफारिश की गयी थी, वास्तविक बहु-उद्देश्यीय समितियों के रूप में चयनित प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के विकास के कार्यान्वयन के कार्यक्रम में निरंतर सामान्य प्रगति परिलक्षित होती रही। मार्च 1989 के अंत तक, 20 राज्यों एवं 2 संघ शासित क्षेत्रों में 5,994 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का चयन उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा चुका था जबकि जून 1988 के अंत

State. The rate of interest to be charged on the loans to such Boards will be 12.5 per cent per annum provided not less than 75 per cent of the units financed by the loans are meant for EWS and LIG and the rate of interest to ultimate borrower is within the stipulated limits. The aggregate of housing loans outstanding should not exceed 5 per cent of a bank's total deposits. Furthermore, a bank's total term advances of all types and for all purposes (including housing loans) outstanding against individuals should not exceed 10 per cent of the total demand and time liabilities as on the last Friday of the previous month.

Priority Sector Lending

3.66 Primary Co-operative Banks have been advised to lend 60 per cent of their total advances to priority sectors. Out of the 476 reporting urban banks, 335 banks had achieved the prescribed level as at end-June 1988. Priority sector advances of the 476 urban banks amounted to Rs. 860.07 crores and formed 65.8 per cent of their total advances.

Credit Monitoring System (Health Code) for Borrowal Accounts

3.67 Guidelines on comprehensive and uniform grading system (Health Code) to classify the borrowal accounts into various categories such as satisfactory, irregular, suit filed, bad and doubtful etc., were issued to urban banks in June 1987. So far only 316 of the 1,239 urban banks (excluding salary earners' banks) have responded.

7. Strengthening and Future Development of the Co-operative Structure

Reorganisation of PACS

3.68 The process of reorganisation of PACS on the lines set out by the National Bank has been accepted by the Government of Jammu & Kashmir. The programme is making a steady progress in Gujarat through a phase-wise selection of PACS for their reorganisation. The Government of Maharashtra is yet to accept the scheme of reorganisation.

Planning for the Future of Reorganised PACS

3.69 The programme for development of selected PACS into truly multi-purpose co-operative societies as recommended by the Committee to Review Arrangements for Institutional Credit for Agriculture and Rural Development (CRAFICARD) continued to show moderate progress in its implementation. As at the end of March 1989, as many as 5,994 PACS in 20 States and 2 Union Territories had been selected under the programme as compared to 5,744 societies as at the end of June 1988. The scheme is, however, reported to have made steady progress in the States of Kerala, Tamil Nadu

में ऐसी समितियों की संख्या 5,744 थी तथापि, ऐसी सूचना मिली है कि केरल, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में उक्त योजना में संतुलित प्रगति हुई है। अधिकांश राज्यों में उक्त कार्यक्रम की प्रगति विभिन्न कारणों से अवरुद्ध हुई है जैसे कि ऋण तथा ऋणेतर दोनों ही कारोबारों में कम पण्यावर्त, अतिदेयों का उच्च स्तर, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी, उपयुक्त आधार भूत वस्तुओं के विकास की कमी, आदि।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) तथा बृहत् आदिवासी बहु-उद्देश्यीय समितियों (लैम्प्स) के विकास के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम

3.70 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों तथा बृहत् आदिवासी बहु-उद्देश्यीय समितियों के विकास के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम से, जो कि 16 प्रायोगिक परियोजना जिलों में कार्यान्वित हो रहा है, जुटायी गयी जमाराशियों, जारी किये गये ऋणों तथा सदस्यों से देय राशियों की वसूली के रूप में, चयनित प्राथमिक कृषि ऋण समितियों तथा बृहत् आदिवासी बहु-उद्देश्यीय समितियों के कार्य-निष्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है। जून 1986 के अंत से जून 1988 के अंत के बीच की दो वर्ष की अवधि के दौरान चयनित प्राथमिक कृषि ऋण समितियों तथा बृहत् आदिवासी बहु-उद्देश्यीय समितियों ने क्रमशः हिमाचल प्रदेश में 30 प्रतिशत (जमाराशियां जुटाने में), 33 प्रतिशत (जारी किये गये ऋणों में) तथा 6 प्रतिशत (देय राशियों की वसूली में), उत्तर प्रदेश में 33 प्रतिशत, 62 प्रतिशत और 24 प्रतिशत तथा कर्नाटक में क्रमशः 110 प्रतिशत, 323 प्रतिशत और 121 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की है।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के विकास के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

3.71 राष्ट्रीय बैंक द्वारा शुरू किये गये विभिन्न कार्यक्रमों के अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल जैसी कुछ राज्य सरकारों ने भी अपनी ओर से आधार स्तर पर सहकारी ऋण संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए विकास कार्यक्रम आरंभ किये हैं। ऐसे कार्यक्रमों में जो बातें शामिल हैं वे हैं : प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए फर्नीचर के वास्ते राज्य से सहायता, बैंकिंग केन्द्र, चल परामर्श सेवाओं के माध्यम से सचिवों तथा प्रबंध समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण, अधिकारियों, सहकारी विभागों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा गहन निगरानी (आंध्र प्रदेश में), सामूहिक बीमा योजना, किसानों के प्रतिभाशील बच्चों को छात्रवृत्तियां (मध्य प्रदेश में), कार्यालय परिसरों के किराये के लिए उपदान तथा स्टाफ के लिए उपदान, तिजोरी प्राप्त करने के लिए उपदान (पश्चिम बंगाल में), आदि। राज्य सरकारों द्वारा किये गये उपर्युक्त उपायों से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को और अधिक जमाराशियां जुटाने, अपने सदस्यता आधार को बढ़ाने तथा और बड़े पैमाने पर ऋण एवं ऋणेतर परिचालनों को शुरू करने में सहायता मिली है।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के अर्थ क्षमता संबंधी मानदंडों का पुनरीक्षण

3.72 वर्ष 1986 में राष्ट्रीय बैंक द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार यह पाया गया कि पुनर्गठन के बावजूद, अधिकांश प्राथमिक कृषि ऋण समितियां आर्थिक दृष्टि से अलाभकर स्थिति में बनी रहीं जिसका कारण रहा है कम व्यापार, स्थापना संबंधी लागतों में वृद्धि, अतिदेय संबंधी मामलों का आधिक्य, बहु-एजेंसी प्रणाली के अंतर्गत वाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कार्य क्षेत्र में प्रवेश आदि। उक्त अध्ययन के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय बैंक ने सभी राज्य सरकारों को सूचित किया था कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को अर्थक्षम समझने

and Uttar Pradesh. The progress of the programme in most of the States has been impeded on account of various factors such as low turnover both in credit and non-credit business, high level of overdues, lack of trained staff, absence of adequate infrastructural development, etc.

15-Point Programme for Development of PACS and LAMPS

3.70 The 15-Point Programme for the development of PACS and LAMPS, which is being implemented in 16 Pilot Project Districts has brought about considerable improvement in the performance of the selected PACS and LAMPS together in terms of deposits mobilised, loans issued and recovery of dues from the members. During the two year period between end-June 1986 to end-June 1988,the selected PACS and LAMPS had recorded an increase of 30 per cent (deposit mobilisation), 33 per cent (loans issued) and 6 per cent (recovery of dues) in Himachal Pradesh, 33 per cent, 62 per cent and 24 per cent in Uttar Pradesh and 110 per cent, 323 per cent and 121 per cent in Karnataka, respectively.

State-sponsored Programmes for Development of PACS

3.71 In addition to the various programmes launched by the National Bank, certain State Governments like Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and West Bengal had also initiated development programmes of their own to strengthen the working of the co-operative credit institutions at the base level. Such programmes included State aid to PACS for furniture, banking counters, training to secretaries and management committee members through mobile consultancy service, intensive monitoring through officials, co-operative departments/CCBs (Andhra Pradesh), Group Insurance Scheme, scholarships to meritorious wards of farmers (Madhya Pradesh), staff subsidy and rent subsidy for office premises, subsidy for acquisition of safe (West Bengal), etc. The above efforts of the State Governments have helped the PACS to raise more deposits, enlarge their membership base and undertake higher credit and non-credit operations.

Revision of Viability Norms for PACS

3.72 According to a study conducted by the National Bank in 1986, it was noticed that inspite of reorganisation, most of the PACS continued to be non-viable on account of low volume of business, increased establishment costs, high incidence of overdues, inroads made into areas of operation of PACS by commercial banks and RRBs under the multi-agency system, etc. Having regard to the findings of the above study, the National Bank had advised all the State Governments that a minimum loan business of Rs. 10 lakhs should be considered necessary for reckoning PACS as viable and the

के लिए 10 लाख रुपये के न्यूनतम ऋण कारोबार को आवश्यक माना जाना चाहिए तथा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का उनके संबंधित राज्यों में गठन/पुनर्गठन करते समय इसी बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

योजनाबद्ध ऋण दान के लिए पात्रता संबंधी संशोधित मानदंड

3.73 पहली जुलाई 1987 से लागू योजनाबद्ध ऋण दान के अंतर्गत अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे को दिये जानेवाले पुनर्वित्त के पात्रता संबंधी मानदंड में मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों के श्रेणीकरण के लिए 1987-88 के दौरान वसूली मानदंडों में 5 प्रतिशत अंक की छूट दी गयी। अनुकूल मानसून को देखते हुए जुलाई 1988 से उक्त छूट समाप्त कर दी गयी। ऋण प्रदान करने संबंधी कार्यकलापों पर उक्त पात्रता मानदंड का मिश्रित असर पड़ा क्योंकि विभिन्न राज्यों को पुनर्वित्त सहायता में या तो वृद्धि हुई अथवा उसमें थोड़ी-सी कमी आयी और वह कुछ राज्यों में नगण्य थी।

कमज़ोर मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों का पुनः स्थापन

3.74 30 जून 1987 को यथाविद्यमान अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर, देश में 175 मध्यवर्ती सहकारी बैंक तथा 7 राज्य सहकारी बैंक (दुहरी संरचना में) ''कमज़ोर'' बैंकों के रूप में पहचाने गये तथा पुनःस्थापन कार्यक्रम के अंतर्गत लाये गये। आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिकांश मध्यवर्ती सहकारी बैंक कमज़ोर थे। इन कमज़ोर बैंकों में से 81 मध्यवर्ती सहकारी बैंक 10 वर्ष से अधिक, 61 मध्यवर्ती सहकारी बैंक 5 से 10 वर्ष के बीच की अवधि तक, और केवल 33 मध्यवर्ती सहकारी बैंक 5 वर्ष से कम की अवधि तक पुनःस्थापन कार्यक्रम के अंतर्गत रहे। पुनः स्थापन कार्यक्रम तैयार करते समय उसमें अंतर्निहित धारणा यह थी कि संबंधित बैंक तथा राज्य सरकार गिरती हुई वित्तीय स्थिति की गंभीरता को समझेंगे तथा कार्यक्रम में वर्णित उचित उपायों द्वारा उन्हें सामान्य रूप से स्वस्थ करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की शुरुआत करेंगे। यह भी माना गया था कि बैंकों द्वारा इस दिशा में किये गये प्रयासों को प्रशासनिक, वित्तीय तथा राजनीतिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समर्थन प्राप्त होगा। इस तरह के पूर्वानुमान करने के पश्चात, यह आशा की गयी थी कि प्रत्येक बैंक के लिए तैयार किया गया पुनःस्थापन कार्यक्रम यथोचित समय के भीतर उन्हें स्वस्थ करने में समर्थ हो सकेगा। परन्तु ये सारी आशाएँ पूरी तरह सफल न हो सकीं। जिन तथ्यों के कारण कार्यान्वयन की सफलता में बाधा पहुंची, उनमें से कुछ पहचाने गये हैं। पहला यह कि, संबंधित मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, शीर्ष बैंकों तथा राज्य सरकारों द्वारा संगठित एवं निरंतर रूप से प्रयास नहीं किये गये। दूसरा यह कि, प्रगति की निगरानी करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने तथा पुनरीक्षण समितियाँ गठित करने में मध्यवर्ती सहकारी बैंक असफल रहे और जहां कहीं इन समितियों का गठन हुआ था वहाँ उनकी नियमित बैठकें न हो सकीं। तीसरा यह कि, पुनःस्थापन कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों की संख्या इतनी अधिक थी कि राज्य सरकारें कार्यक्रम के कार्यान्वयन की दिशा में अपने प्रयासों को केन्द्रित नहीं कर सकीं। बकाया राशियों की वसूली पर उचित ध्यान नहीं दिया गया जो कि समस्या की जड़ है।

12-सूत्री कार्य-योजना

3.75 ऐसे कमज़ोर बैंकों को, जो कि पुनर्वित्त सहायता प्राप्त करने के लिए या तो पात्र नहीं थे अथवा अपात्रता की सीमा पर पहुंच रहे थे, राष्ट्रीय बैंक द्वारा सितंबर 1987 में एक 12-सूत्री कार्य-योजना

same may be kept in view while organising/reorganising the PACS in their respective States.

Revised Eligibility Criteria for Schematic Lending

3.73 The eligibility criteria for refinance to short-term co-operative credit structure under the schematic lending made applicable from July 1, 1987 was relaxed by 5 percentage points in the recovery norms during 1987-88 for categorisation of CCBs/SCBs. In view of the favourable monsoon, the said relaxation had been withdrawn from July 1988. The eligibility criteria had a mixed impact on the lending operations in as much as the refinance assistance had either moved up or had come down marginally in various States and was negligible in some States.

Rehabilitation of weak CCBs/SCBs

3.74 On the basis of their financial position as on June 30, 1987, 175 CCBs and 7 SCBs (in two-tier structure) in the country were identified as 'weak' banks and brought under the programme of rehabilitation. In States like Andhra Pradesh, Bihar, Jammu & Kashmir, Karnataka, Orissa, Rajasthan and Uttar Pradesh, a majority of the CCBs were weak. Out of these weak banks, as many as 81 CCBs were under rehabilitation programme for a period of more than 10 years, 61 CCBs for a period between 5 to 10 years and only 33 CCBs for less than 5 years. While formulating the rehabilitation programme, the underlying assumption was that the concerned banks and the State Government would realise the gravity of deteriorating financial health and initiate effective measures to restore their normal health by taking appropriate steps spelt out in the programme. It was also assumed that the banks' efforts in these directions would be backed administratively, financially and politically by the concerned State Governments. Given these assumptions, it was expected that the rehabilitation programme drawn up for each bank would lead to restoration of their health within a reasonable time frame. All these expectations, by and large, did not materialise. Some of the factors that affected successful implementation have been identified. First, there was lack of concerted and sustained efforts by the concerned CCBs, apex banks and State Governments. Secondly, CCBs failed to draw up a detailed action programme and to set up review committees to monitor progress, and wherever these had been constituted they did not meet regularly. Thirdly, the large number of banks under rehabilitation programme inhibited the State Governments from concentrating their efforts in implementing the programme. The recovery of overdues which is the crux of the problem did not receive due attention.

12-Point Action Programme

3.75 With a view to enabling weak banks which were either ineligible or were on the verge of becoming ineligible for refinance support, a 12-Point Action Programme was

तैयार की गयी थी तथा सभी राज्य सरकारों को भेजी गयी थी। यद्यपि उक्त कार्यक्रम में राष्ट्रीय बैंक द्वारा ऋण-सीमाएँ स्वीकृत किये जाने के संबंध में कुछ वित्तीय प्रोत्साहनों एवं रियायतों का प्रावधान किया गया था, फिर भी राज्यों की प्रतिक्रिया कुछ उत्साहवर्धक नहीं रही। अब तक, केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अपनी वचनबद्धता की विशिष्ट स्वीकृति की सूचना दी है तथा मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की अलग-अलग कार्य-योजनाएँ प्रेषित की हैं। इसके साथ ही, उड़ीसा तथा राजस्थान की सरकारों ने भी इन विभिन्न वित्तीय तथा अन्य वचनबद्धताओं को स्वीकार किया है जिनकी परिकल्पना उक्त कार्यक्रम में की गयी है परन्तु अभी तक उन्होंने कार्य-योजनाएँ प्रस्तुत नहीं की हैं। असम, महाराष्ट्र, मणिपुर तथा नागालैंड की राज्य सरकारों ने भी कार्यक्रम के प्रति रुचि प्रदर्शित की है।

अनुसंधान एवं विकास निधि

3.76 जुलाई 1988 से मार्च 1989 तक की अवधि के दौरान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/राज्य भूमि विकास बैंकों के लिए तकनीकी, निगरानी एवं मूल्यांकन कक्षों की स्थापना/के सुदृढ़ीकरण से संबंधित राष्ट्रीय बैंक की योजना में 8 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल किया गया जिसके फलस्वरूप योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या बढ़कर 64 हो गयी तथापि, 31 मार्च, 1989 तक उक्त योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त राज्य भूमि विकास बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंकों की कुल संख्या क्रमशः 13 और 2 रही। जुलाई 1988 से मार्च 1989 तक की अवधि के दौरान, योजना के अंतर्गत राज्य भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वितरित अनुदान की राशि 27 लाख रुपये थी। राष्ट्रीय बैंक द्वारा यह भी निर्णय किया गया था कि गुणवत्ता के आधार पर चयन करते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में सहायता की अवधि 5 वर्ष से अधिक कर दी जाए।

3.77 कृषि-निवेशों के लिए परियोजना विषयक ऋण दान में समस्त राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को और अच्छी तरह शामिल करने की दृष्टि से, राष्ट्रीय बैंक ने उनके लिए तकनीकी, निगरानी एवं मूल्यांकन कक्षों की स्थापना/के सुदृढ़ीकरण के वास्ते वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना घोषित की। राज्य सहकारी बैंकों में स्थापित इन कक्षों से यह अपेक्षित है कि वे परियोजनाएं तैयार करने तथा योजनाओं की निगरानी करने के कार्य में अपने संबंधित राज्यों में मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की सहायता करेंगे। यह योजना 1 जनवरी 1989 से लागू की गयी थी।

3.78 राष्ट्रीय बैंक ने अपनी अनुसंधान एवं विकास निधि से अनुदान के रूप में अलग-अलग व्यक्तियों तथा सांस्थानिक एजेंसियों को राष्ट्रीय बैंक के हितों से संबंधित अनेक विषयों/प्रकरणों को शामिल करते हुए अनुसंधान संबंधी अध्ययन करने के लिए तथा गोष्ठियां, सम्मेलन/परिसंवाद आदि आयोजित करने के लिए सहायता स्वीकृत की। इसके अतिरिक्त, इसने सहकारी बैंकों को भी उनके तकनीकी स्टाफ तथा पुनः स्थापन कक्षों के स्टाफ से संबंधित पुनः स्थापन कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता स्वीकृत की। जुलाई 1988 से मार्च 1989 की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय बैंक ने तीन नयी अनुसंधान परियोजनाएं अनुमोदित कीं। पुनः स्थापन के अंतर्गत सहकारी बैंकों के लिए तथा गोष्ठियों एवं अनुसंधान अध्ययनों के लिए उक्त अवधि के दौरान वितरित अनुदान की राशि 2.30 करोड़ रुपये रही। अब तक अनुमोदित अनुसंधान प्रस्तावों की कुल संख्या 59 है। जुलाई 1988 से मार्च 1989 तक की अवधि के दौरान समस्त प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय बैंक द्वारा अपनी अनुसंधान एवं विकास निधि से वितरित कुल वित्तीय सहायता की राशि 2.57 करोड़ रुपये थी।

formulated and circulated by the National Bank in September 1987 to all the State Governments. Though the programme provided for certain financial incentives and relaxations in the matter of sanction of credit limits from the National Bank, the response from the States has not been encouraging. So far, only the Government of Uttar Pradesh has communicated specific acceptance of its commitments and forwarded the individual action plans of CCBs. Besides, the Governments of Orissa and Rajasthan have also accepted the various financial and other commitments as envisaged in the programme but have not yet submitted the action plans. The State Governments of Assam, Maharashtra, Manipur and Nagaland have shown interest in the programme.

Research and Development Fund

3.76 During the period from July 1988 to March 1989, 8 more RRBs were admitted to the National Bank's scheme for RRBs/SLDBs for setting up/strengthening Technical, Monitoring and Evaluation (TME) Cells and thereby raising the total number of RRBs assisted under the scheme to 64. The total number of SLDBs and SCBs assisted under the scheme, however, stood at 13 and 2, respectively, as on March 31, 1989. The amount of grants disbursed to SLDBs, SCBs and RRBs under the scheme during the period from July 1988 to March 1989 stood at Rs. 27 lakhs. It was also decided by the National Bank to extend the period of assistance beyond 5 years to RRBs selectively, based on merit.

3.77 With a view to improving the involvement of all SCBs/CCBs in project lending for agricultural investments, the National Bank announced a scheme of extending financial assistance to them for setting up/strengthening TME Cells. These Cells to be set up at SCBs are expected to assist the CCBs in their respective States in formulation of projects and monitoring of schemes. The scheme was made effective from January 1, 1989.

3.78 The National Bank sanctioned assistance by way of grants from its R & D Fund to individuals and institutional agencies for undertaking research studies, organising seminars, conferences/symposia, etc., covering a wide range of subjects/topics, having a bearing on the National Bank's interest. In addition, it also sanctioned assistance to co-operative banks under rehabilitation programme towards their technical staff and staff of rehabilitation cells. During the period from July 1988 to March 1989, the National Bank approved 3 new research projects. The amount of grants disbursed during the period for seminar and research studies and for co-operative banks under rehabilitation stood at Rs. 2.30 crores. The total number of research proposals approved so far stood at 59. The total financial assistance disbursed by the National Bank from its R & D Fund during the period from July 1988 to March 1989 for all purposes stood at Rs. 2.57 crores.

8. अन्य गतिविधियां

ऋण प्राधिकरण योजना

3.79 सहकारी बैंकों पर यथाप्रयोज्य ऋण प्राधिकरण योजना लागू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय बैंक की है। वर्ष 1988-89 (जुलाई-जून) के दौरान थोक पूंजी वित्त के लिए ऋणेतर सहकारी समितियों को स्वीकृत ऋण प्राधिकारों की राशि 141 करोड़ रुपये की थी जबकि वर्ष 1987-88 (जुलाई-जून) में यह राशि 66 करोड़ रुपये थी। जुलाई 1988 से मार्च 1989 तक की अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी संबंधी वित्त के लिए स्वीकृत प्राधिकारों की कुलराशि 1,428 करोड़ रुपये थी जबकि वर्ष 1987-88 (जुलाई-जून) में यह राशि 1,404 करोड़ रुपये थी।

3.80 ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत कार्यशील पूंजी संबंधी ऋण सीमाएं स्वीकृत किये जाने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश इस प्रकार थे :

राज्य सहकारी बैंकों को इस बात की अनुमति प्रदान की गयी कि वे राष्ट्रीय बैंक से पूर्व प्राधिकार प्राप्त किये बगैर चीनी के स्टॉक की गिरवी पर सहकारी चीनी फैक्टरियों को वर्ष 1988-89 के गन्ना-पेराई मौसम के लिए उनके द्वारा पिछले मौसम के दौरान प्राप्त की गयी अधिकतम राशि (अस्थायी अतिरिक्त आहरणों को छोड़कर) के 115 प्रतिशत तक कार्यशील पूंजी संबंधी ऋण सीमाएं स्वीकृत करें। किसी चीनी फैक्टरी द्वारा अतिरिक्त गिरवी सीमाएं अपेक्षित होने पर राष्ट्रीय बैंक से पूर्व प्राधिकार प्राप्त किये जाने की शर्त आवश्यक बनी रही। पूर्व प्राधिकार प्राप्त किये बिना चीनी फैक्टरियों को अलग से कोई गैर-जमानती अथवा दृष्टिबंधक सीमाएं स्वीकृत नहीं की जा सकतीं। मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से अब तक की तरह यह अपेक्षित था कि वे 1.50 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी संबंधी ऋण सीमाओं की स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय बैंक से पूर्व प्राधिकार प्राप्त करें। जैसा कि पहले होता रहा है, थोक एवं कार्यशील पूंजीगत वित्त के लिए स्वीकृत अधिकांश प्राधिकार राशि सहकारी चीनी फैक्टरियों के पक्ष में थी।

लघु सिंचाई

3.81 राष्ट्रीय बैंक ने यह निर्णय किया था कि जुलाई 1988 से, केवल संपूर्ण पंपिंग प्रणाली के वित्तीयन के लिए ही पुनर्वित्त उपलब्ध होगा। सहज ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने तथा परिचालनात्मक कठिनाइयों को कम करने के लिए कुछ रियायतें प्रदान की गयीं, यथा-(i) सुवाह्य कृषि पंप सेटों के मामले में अच्छी किस्म के लचीले पी वी सी पाईप खरीदने के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध होगा, (ii) पहले के पंप सेट बेकार हो जाने के मामले में प्रतिस्थापन के रूप में भारतीय मानक संस्था के मार्क वाले पंप सेटों का वित्तीयन राष्ट्रीय बैंक से पुनर्वित्त की प्राप्ति के लिए पात्र होगा और (iii) इकाई लागत में परिवहन *तथा संस्थान से संबंधित उचित प्रभार शामिल होंगे।*

3.82 भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी दस लक्ष कूप योजना (मिलियन वेल्स स्कीम) के अंतर्गत समन्वित ग्रामीण विकास योजना के तहत लक्षित हिताधिकारियों को प्रदान किये जानेवाले पंप सेटों जैसे उद्वहन उपकरणों के लिए राष्ट्रीय बैंक का पुनर्वित्त उपलब्ध है।

सोने/चांदी के आभूषणों की जमानत पर तथा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए ऋण जारी किया जाना

3.83 फसल ऋणों से संबंधित उधार दरों में हाल ही में की गयी कमी के कारण अल्पावधि सहकारी

8. Other Developments

Credit Authorisation Scheme

3.79 The responsibility of administering the Credit Authorisation Scheme as applicable to co-operative banks rests with the National Bank. During 1988-89 (July-March) credit authorisations granted to non-credit co-operative societies for block capital finance amounted to Rs. 141 crores as against Rs. 66 crores in 1987-88 (July-June). During the period July 1988 to March 1989, authorisations for working capital finance were granted for a total amount of Rs. 1,428 crores as compared to Rs. 1,404 crores in 1987-88 (July-June).

3.80 Some of the important instructions issued regarding sanction of working capital limits under CAS were as follows :

The SCBs were permitted to sanction without prior authorisation from the National Bank, working capital limits, against the pledge of the stocks of sugar to co-operative sugar factories for the 1988-89 sugarcane crushing season to the extent of 115 per cent of the maximum amount availed of by them during the previous season (excluding temporary excess drawings). The National Bank's prior authorisation continued to be obligatory if any of the sugar factories required additional pledge limits. No separate clean or hypothecation limits can be sanctioned to sugar factories without prior authorisation. The CCBs were required to obtain, as hitherto, prior authorisation from the National Bank for sanction of working capital limits in excess of Rs. 1.50 crores. As in the past, the bulk of the authorisations granted for block and working capital finance was in favour of co-operative sugar factories.

Minor Irrigation

3.81 The National Bank decided that from July 1988, refinance would be available to banks for financing only complete pumping system. In order to ensure smooth flow of credit and to minimise operational difficulties, the following relaxations were allowed, viz., (i) refinance would be available for purchase of good quality flexible PVC pipes in case of portable agricultural pumpsets, (ii) financing of ISI mark pumpsets by way of replacements where earlier pumpsets have become unserviceable would be eligible for the National Bank's refinance and (iii) reasonable charges towards transportation and installation would be included in the unit cost.

3.82 Under the Million Wells Scheme formulated by the Government of India, the National Bank's refinance is available for lifting devices like pumpsets to be provided to the target beneficiaries under the IRDP.

Issue of Loans against Gold/Silver Ornaments and for Consumer Durables

3.83 In the context of the recent downward revision of lending rates on crop loans, the profitability of short-term co-operative credit structure has been adversely affected.

ऋण ढांचे की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए, राज्य एवं मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को अपनी अतिरिक्त निधियों को ऋण दान के और अधिक लाभप्रद क्षेत्रों में निविष्ट करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से, सोने/चांदी के आभूषणों आदि की जमानत पर उनके द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों को जारी किये जानेवाले ऋणों का नियमन करनेवाली शर्तों को और अधिक शिथिल करने पर राष्ट्रीय बैंक सहमत हो गया है। तदनुसार, यह निर्णय किया गया कि (i) राज्य सहकारी बैंक/मध्यवर्ती सहकारी बैंक मीयादी और मांग देयताओं के संबंध में बिना किसी सीमा के उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं खरीदने तथा अन्य अनुमत प्रयोजनों के लिए सोने/चांदी की जमानत पर व्यक्तियों को ऋण दे सकते हैं, (ii) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए प्रति व्यक्ति अधिकतम सीमा 7,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गयी और इस श्रेणी के अंतर्गत प्रयोजनवार उप सीमाएं नहीं होंगी तथा (iii) पहले निर्धारित की गयी प्रति शाखा 10 लाख रुपये की अधिकतम सीमा को हटा दिया गया है।

प्राकृतिक वर्षा पर आधारित कृषि संबंधी प्रायोगिक परियोजना क्षेत्र में आवर्ती ऋण के लिए पुनर्वित्त

3.84 राष्ट्रीय बैंक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्राकृतिक वर्षा पर आधारित एक-एक प्रायोगिक कृषि परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। यह प्रस्ताव है कि जलसंचय क्षेत्रों में कृषकों को निर्बाध्य उत्पादन ऋण प्रदान किया जाये ताकि वे संस्तुत स्वयंपूर्ण प्रौद्योगिकी अपनाने का साहस कर सकें। प्रतिवर्ष उत्पादन ऋण की पात्रता के लिए कृषकों को उत्पादन ऋण का केवल वह भाग लौटाना होगा जिसकी चुकौती उस वर्ष उनसे अपेक्षित है। प्रति वर्ष चुकाया जानेवाला अनुपात उनके द्वारा उस वर्ष उगायी गयी फसल की मात्रा पर आधारित होगा तथा उसे फसल कटाई के प्रयोगों के माध्यम से निर्धारित किया जायेगा। जिस वर्ष मानदंडों के आधार पर अपेक्षित फसल से वास्तविक फसल कम होती है उस वर्ष कृषकों से अपेक्षा की जायेगी कि वे अगले वर्ष फसल ऋण की पात्रता के लिए उस वर्ष लिए गये फसल ऋण के केवल एक अंश की ही चुकौती करें। फसल ऋण की शेष राशि अगले अच्छे फसल कटाई वर्ष में वसूल की जायेगी।

अल्पावधि कृषि ऋण अग्रिमों पर ब्याज दरें

3.85 राष्ट्रीय बैंक ने सहकारी बैंकों को इस आशय के अनुदेश जारी किये हैं कि वे 15,000 रुपये से 25,000 रुपये तक के अल्पावधि कृषि अग्रिमों पर ब्याज दरें घटाकर 12.0 प्रतिशत कर दें। ये अनुदेश पहली मार्च 1989 से लागू हो गये हैं। अल्पावधि कृषि अग्रिमों पर ब्याज की संशोधित दरें और अक्तूबर 1988 से पहले लागू दरें सारणी III.14 में दी गयी हैं।

सारणी III.14 : मौसमी कृषि कार्यों के लिए अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

अग्रिमों के वर्ग	1.3.89 से पहले की ब्याज दरें	1.3.89 से प्रभावी ब्याज दरें
7,500 रुपये तक के ऋण	10.00	10.00
7,500 रुपये से अधिक और 15,000 रुपयों तक के ऋण	11.50	11.50
15,000 रुपये से अधिक और 25,000 रुपये तक के ऋण	12.50 से 14.00 तक	12.00
25,000 रुपये से अधिक के ऋण	14.00 से 15.50 तक	14.00 से 15.50 तक

Therefore, to enable the State and Central Co-operative Banks to invest their surplus funds in more remunerative avenues of lending, the National Bank agreed to further relax the conditions governing issue of loans by them to individuals against the security of gold/silver ornaments, etc. Accordingly, it has been decided that (i) SCBs/ CCBs may issue loans to individuals against gold/silver ornaments and for purchase of consumer durables and other permitted purposes, without any limit with reference to time and demand liabilities, (ii) the maximum limit per individual for purchase of consumer durables has been raised to Rs. 10,000 from Rs. 7,500 and there would be no purpose-wise sub-limits under this category and (iii) the per branch ceiling of Rs. 10 lakhs fixed earlier was removed.

Refinance for Providing Cyclical Credit in Pilot Rainfed Farming Project Areas

3.84 The National Bank is implementing one pilot rainfed farming project in each of the States of Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. It is proposed to provide uninterrupted production credit to farmers in the water-shed areas to enable them to persevere with the technology package recommended for adoption. To be eligible for production credit every year, the farmers have to repay that portion of production credit required to be repaid by them in that year. This proportion each year is based on crop yields obtained by them in that year as determined by conducting crop cutting experiments. In the year/s when actual yields of crops are below the normative yield, farmers are required to pay only a portion of crop loans taken in that year to be eligible for crop loans in the next year. The balance amount of crop loans will be recovered in the next good year of harvest.

Interest Rates on Short-term Agricultural Advances

3.85 Effective from March 1, 1989, the National Bank has issued instructions to the co-operatives to reduce interest rates to 12.0 per cent per annum on short-term agricultural advances ranging between Rs. 15,000 to Rs. 25, 000. The revised rates of interest on short-term agricultural advances and the rates as applicable prior to October 1988 are presented in Table III.14.

Table III.14 : Rates of Interest on Short-term Agricultural Loans for Seasonal Agricultural Operations

(Per cent per annum)

Range of advances	Rate of interest prior to 1.3.89	Rate of interest effective from 1.3.89
1	2	3
Loans upto Rs. 7,500	10.00	10.00
Loans over Rs. 7,500 and upto Rs. 15,000	11.50	11.50
Loans over Rs. 15,000 and upto Rs. 25,000	12.50 to 14.00	12.00
Loans over Rs. 25,000	14.00 to 15.50	14.00 to 15.50

अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज दरों में कमी किये जाने के कारण वित्तीय अनुशासन में ढील

3.86 अल्पावधि कृषि ऋणों पर अंतिम स्तर तक ब्याज दरें कम किये जाने के परिणामस्वरूप सहकारी ऋण संस्थानों की आय अर्जन क्षमता प्रभावित हुई है। बैंकों को इसकी पूर्ति करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बैंक ने कुछ ढील दी। तदनुसार, बैंकों से अब यह अपेक्षा की गयी है कि वे अपने संसाधनों का न्यूनतम समावेश दैनिक औसत पर बनाये रखने के बजाय मासिक औसत पर बनाये रखें। राष्ट्रीय बैंक से लिए गये ऋणों को जमाराशियाँ जुटाने के प्रयासों से जोड़ने की योजना को समाप्त कर दिया गया है। राज्य सहकारी बैंक/मध्यवर्ती सहकारी बैंक अब अपने अतिरिक्त संसाधनों को वाणिज्य बैंकों के पास मांग और अल्पावधि जमाराशियों में बिना किसी उच्चतम सीमा के तब तक रख सकते हैं जब तक वे न्यूनतम सहभागिता अपेक्षाओं का पालन करते हैं और अनतिदेय रक्षा में कोई कमी नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के पास जब राष्ट्रीय बैंकों से लिया गया ऋण बकाया रहे तब उन्हें अपनी मांग और मीयादी देयताओं के 35 प्रतिशत से अधिक नकदी प्रारक्षित निधि और चलनिधि इत्यादि का स्तर नहीं बनाये रखना चाहिए। इसके अलावा राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा साधन स्रोतों में से कृषि ऋण प्रदान करने में उनकी सहभागिता में हुई हानि की वे प्रतिपूर्ति कर सकें इसलिए अधिक ब्याज अर्जित करने वाले माध्यमों में उनके निवेश में उनकी सहायता करने के लिए राष्ट्रीय बैंक ने रिज़र्व बैंक के परामर्श से निवेश के ऐसे माध्यमों का पता लगाया जहां अधिक ब्याज मिल सके। इन राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को ऐसे सहायता संघ के रूप में शेयरों का आबंटन करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। यह आबंटन प्रत्येक बैंक के उन संसाधनों पर निर्भर होगा जिनका वे इस प्रकार के माध्यमों में निवेश करने की स्थिति में हैं। ये माध्यम इस प्रकार हैं : (i) खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादों को प्राप्त करने के लिए ऋण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहायता संघीय व्यवस्था में राज्य सहकारी बैंकों की सहभागिता, (ii) भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लि., कृषक भारती सहकारी लि., आदि सहकारी संस्थाओं या मुख्यतः कृषि पर आधारित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादन के लिए कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं के निमित्त सहायता संघीय व्यवस्थाओं, जिसमें वाणिज्य बैंक शामिल हों, में राज्य सहकारी बैंकों की सहभागिता; (iii) राज्य स्तरीय विपणन संघों की कार्यकारी पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्य बैंकों के साथ सहायता संघीय व्यवस्था और (iv) विपणन संघों और अन्य संघों की एकमुश्त/कार्यकारी पूंजी संबंधी आवश्यकताओं के लिए केवल राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के बीच सहायता संघीय व्यवस्था।

बैंकों का निरीक्षण

3.87 राष्ट्रीय बैंक के निरीक्षण के दायरे में आनेवाले 623 बैंकों/संस्थाओं में से 252 बैंकों/संस्थाओं के निरीक्षण का कार्यक्रम तैयार किया गया था। इनमें से 1988-89 (जुलाई-मार्च) के दौरान 228 बैंकों/संस्थाओं का निरीक्षण किया गया (जिनमें 13 राज्य सहकारी बैंक, 5 राज्य भूमि विकास बैंक, 130 मध्यवर्ती सहकारी बैंक, 71 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 9 अन्य सहकारी संस्थाएँ शामिल हैं)।

भारतीय रिज़र्व बैंक/राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों/नीति निदेशों का अनुपालन

3.88 यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक/राष्ट्रीय बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न अनुदेशों का सहकारी बैंक पालन करते हैं, राष्ट्रीय बैंक ने सभी सहकारी बैंकों को

Relaxation in Financial Discipline on Account of Reduction in Interest Rates on Short-term Agricultural Loans

3.86 The reduction in interest rates on short-term agricultural loans at the ultimate level as above and in the earlier year had affected the income earning capacity of the co-operative credit institutions. With a view to compensating to the banks, the National Bank has permitted certain relaxations. Accordingly, banks are now required to maintain the minimum involvement of their own resources on a monthly average basis instead of on a day-to-day basis. The scheme of linking of borrowings from the National Bank with efforts at deposit mobilisation has been discontinued. The SCBs/CCBs can now keep their surplus resources in call and short-term deposits with commercial banks without any ceiling as long as they comply with the minimum involvement requirements and there is no deficit in non-overdue cover. Furthermore, the restriction that SCBs/CCBs should not maintain cash reserve and liquid assets etc., in excess of 35 per cent of their time and demand deposit liabilities, when they have outstanding borrowings from the National Bank, has also been withdrawn. Besides, with a view to assisting SCBs/CCBs in deploying their resources in high interest earning avenues so as to cross-subsidise the losses arising out of their own involvement in agricultural lending, the National Bank in consultation with the Reserve Bank of India had identified high interest earning avenues and steps are being taken to allocate shares to the SCBs/CCBs in such consortium depending upon the resources which each bank will be in a position to deploy in such avenues viz., (i) Participation of SCBs in consortium financing arrangements to meet the credit requirements for procurement of foodgrains and other agricultural commodities, (ii) Participation of SCBs in consortium financing arrangements involving commercial banks for working capital requirements (for production) with co-operative institutions like Indian Farmers' Fertilizers Co-operative Ltd., (IFFCO), Krishak Bharati Co-operative Ltd., (KRIBHCO), etc., or public sector undertakings which are mainly agro-based, (iii) Consortium financing arrangement with commercial banks for working capital requirements of State level marketing federations, and (iv) Consortium financing arrangements exclusively consisting of SCBs/CCBs for block/working capital requirements of State level co-operatives like marketing federations and other federations.

Inspection of Banks

3.87 Out of 623 banks/institutions coming under the purview of inspection of the National Bank, 252 banks/institutions were programmed for inspection, of this 228 of them (13 SCBs, 5 SLDBs, 130 CCBs, 71 RRBs and 9 other co-operative institutions) were inspected during 1988-89 (July-March).

Compliance with Instructions/Policy Directives Issued by the Reserve Bank/National Bank

3.88 With a view to ensuring that the co-operative banks comply with the various

सूचित किया है कि राष्ट्रीय बैंक से दिया जानेवाला पुनर्वित्त इन अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के अधीन होगा। जहां भी यह दिखा कि इन अनुदेशों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन किया गया है वहां पुनर्वित्त रोक दिया गया। पुनर्वित्त दुबारा तभी प्रारंभ किया गया जब उन संस्थाओं ने इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया कि भविष्य में वे भारतीय रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करेंगे।

9. अध्ययन दल/समितियां/कार्यकारी दल

लाख पर अध्ययन दल का गठन

3.89 लाख संवर्धन, अभिसंस्करण और विपणन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय बैंक ने अध्ययन दल का गठन किया है। इस दल में भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय औद्योगिक और विकास बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारत सरकार और लाख तथा शिलाख (अर्थात् लाख से निर्मित शीटें) के विकास से संबंधित अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस अध्ययन दल की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

चुने हुए राज्यों में हथकरघा सहकारी संस्थाओं की समस्याओं पर अध्ययन

3.90 कुछ हथकरघा सहकारी समितियों से इस आशय के प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे कि उन्हें जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन प्रतिवेदनों के समाधान के लिए यह निर्णय किया गया कि कुछ चुने हुए राज्यों में हथकरघा सहकारी समितियों को एकमुश्त और कार्यकारी पूंजीगत सहायता के लिए राष्ट्रीय बैंक की योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने में आनेवाली कठिनाइयों का व्यापक विश्लेषण करने के प्रयोजन से अध्ययन किया जाये। यह अध्ययन राष्ट्रीय बैंक द्वारा विकास आयुक्त (हथकरघा), भारत सरकार, कपड़ा मंत्रालय के साथ मिलकर किया जा रहा है।

उपयोगिता संबंधी अध्ययन

3.91 कृषीतर क्षेत्र के लिए ऋण प्रदान करने में हुई प्रगति तथा इस संबंध में भावी विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए यह निश्चय किया गया कि कृषीतर कार्यकलापों के लिए सहभागी बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने के विभिन्न गुणात्मक और परिमाणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाये। कर्नाटक, केरल और राजस्थान में अध्ययन के लिए तकनीकी परामर्शी संगठनों की सेवाएँ ली गयीं। राष्ट्रीय बैंक के उड़ीसा स्थित कार्यालय को इसी प्रकार का अध्ययन करने संबंधी अनुदेश दिये गये। इन अध्ययनों से संबंधित रिपार्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

instructions issued by the Reserve Bank of India/National Bank from time to time, the National Bank advised all co-operative banks that refinance from the National Bank would be subject to compliance with such instructions/guidelines. Wherever it was observed that such instructions are violated either directly or indirectly, refinance was stopped. Refinance was resumed only after these institutions furnished an undertaking in writing that they would henceforth comply with the instructions/guidelines issued by the Reserve Bank of India/National Bank.

9. Study Teams/Committees/Working Groups

Constitution of Study Group on Lac

3.89 The National Bank has set up a Study Group to examine the various aspects relating to lac cultivation, processing and marketing, etc. The Group comprises representatives of Reserve Bank India, IDBI, nationalised banks, Government of India and other institutions concerned with the development of lac and shellac. The report of the Study Group is awaited.

Study on Problems of Handloom Co-operatives in Selected States

3.90 In response to the representations received from some States with regard to difficulties faced by handloom societies in obtaining adequate and timely financial assistance from District Central Co-operative Banks (DCCBs), it was decided that a study should be undertaken in a few selected States for an indepth analysis of the problems relating to availment of credit under the National Bank's schemes for block and working capital assistance to handloom co-operatives. The study is being co-sponsored by the National Bank jointly with the Development Commissioner (Handlooms), Government of India, the Ministry of Textiles.

Utilisation Studies

3.91 In the context of the progress achieved in the provision of credit for non-farm sector and in order to explore the scope for future development in this regard, it was decided to make a study of the various qualitative and quantitative aspects of the lending by the participating banks for non-farm activities. The services of the Technical Consultancy Organisations in the States of Karnataka, Kerala and Rajasthan were availed of to carry out studies in the respective States. The National Bank's Regional Office in Orissa has also been instructed to conduct a similar study. The reports on the studies are awaited.

अध्याय IV
अन्य वित्तीय संस्थाएँ

1. विहगावलोकन

इस अध्याय में वर्ष 1988-89 के दौरान उद्योग निर्यात-आयात व्यापार और आवास के लिए मीयादी वित्त की व्यवस्था करने के वास्ते कार्यरत अखिल भारतीय और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के परिचालनों की समीक्षा की गयी है। आरंभ में इन संस्थाओं के सम्बंध में रिज़र्व बैंक द्वारा दी गयी सहायता की समीक्षा भी की गयी है।

4.2 वर्ष 1988-89 (जुलाई-जून) के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा पात्र वित्तीय संस्थाओं* को दी गयी कुल सहायता पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक थी। वित्तीय वर्ष 1988-89 (अप्रैल-मार्च) के दौरान अखिल भारतीय मीयादी ऋण दात्री संस्थाओं ने अपनी स्वीकृत और वितरित सहायता में औद्योगिक निवेश और निर्यात-आयात व्यापार में आये उछाल को दर्शाते हुए काफी वृद्धि प्रदर्शित की। अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के पूंजी व्यय के पूर्वानुमान में 1988 में कुछ सुधार प्रदर्शित किया गया है किन्तु 1989 में उससे भी ज्यादा सुधार दिखाया गया है।

4.3 वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं ने वित्त पोषण और संसाधनों को जुटाने के लिए कई नयी योजनाएं आरंभ कीं और वर्तमान योजनाओं में भी और अधिक प्रगति की। अतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के साथ मिलकर विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंध योजना विकसित की ताकि विदेशी मुद्रा ऋणों के सम्बंध में विनिमय जोखिम के विषय में ऋणकर्ताओं के हित सुरक्षित रह सकें। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वर्तमान अन्य योजनाओं ने भी उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने चार अतिरिक्त योजनाएं शुरू कीं अर्थात्, भारत वृद्धि निधि, अतिरिक्त बोनस और वृद्धि सहित मासिक आय यूनिट योजना (11) 1988, वृद्धिशील आय यूनिट योजना 1989 और अतिरिक्त बोनस तथा वृद्धि सहित मासिक आय यूनिट योजना (12) 1989।

4.4 नव गठित राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा कार्य प्रारंभ करने के अलावा संस्थागत ढाँचे के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण गतिविधि थी 1988-89 के केन्द्रीय बजट में की गयी घोषणा के अनुसरण में संसद में एक बिल को पारित करना, जिसके अनुसार भारतीय औद्योगिक बैंक के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना हुई।

2. वित्तीय संस्थानों को भारतीय रिज़र्व बैंक की सहायता

4.5 वर्ष 1988-89 (जुलाई-जून) के दौरान रिज़र्व बैंक ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को 15 वर्षों के लिए 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से 375 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जबकि वर्ष 1987-88 के दौरान यह राशि 360 करोड़ रुपये थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने उक्त पूरी ऋण सीमा का उपयोग किया था। 1 जुलाई 1988 से 30 जून 1989 की अवधि के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 45 करोड़ रुपये की चुकौती की और इस निधि से ली गयी इसकी उधार बकाया राशि 30 जून 1989 को 3,528 करोड़ रुपये थी (सारणी IV.1)।

---

* भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण बैंक (आई.आई. बी. आई.) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई.एफ.सी.आई.), भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि. (आई.सी.आई.सी.आई), राज्य वित्तीय निगम (एस.एफ.सी.) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एन.एच.बी)।

CHAPTER IV
OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS

1. Overview

This Chapter reviews the operations during 1988-89 of all-India and State level financial institutions engaged in the provision of term finance for industry, export-import trade and housing. At the outset, the Reserve Bank's support in respect of these institutions is also reviewed.

4.2 Total assistance rendered by the Reserve Bank to eligible financial institutions* during 1988-89 (July-June) was higher than that in the preceding year. Assistance sanctioned and disbursed by all-India term-lending institutions during the financial year 1988-89 (April-March) showed sizeable increases reflecting the buoyancy in industrial investment and export-import trade. Forecasts of capital expenditures of projects sanctioned by the all-India institutions suggest an improvement in 1988 but more so in 1989.

4.3 During the year, the financial institutions have introduced several new schemes of financing as well as resource mobilisation, and made further progress in the existing ones. Thus, IDBI, alongwith IFCI and ICICI, evolved the Exchange Risk Administration Scheme (ERAS) to protect the interests of borrowers of foreign currency loans against exchange risk; other IDBI's existing schemes have made significant progress. During the year, the Unit Trust of India (UTI) introduced four more schemes, viz., India Growth Fund, Monthly Income Unit Scheme with Extra Bonus *plus* Growth (11) 1988, Growing Income Unit Scheme 1989 and Monthly Income Unit Scheme with Extra Bonus *plus* Growth (12) 1989.

4.4 Apart from the newly set up National Housing Bank beginning its operations, an important development in the institutional structure pursuant to the announcement made in the Union Budget for 1988-89 was the passing of a Bill in the Parliament for the setting up of the Small Industries Development Bank of India (SIDBI) as a wholly-owned subsidiary of IDBI.

2. R.B.I. Assistance to Financial Institutions

4.5 During 1988-89 (July-June), the Reserve Bank sanctioned Rs. 375 crores to IDBI (for a period of 15 years, at an interest rate of 8 per cent per annum) from the National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund [NIC (LTO) Fund] as against Rs. 360 crores during 1987-88. IDBI fully availed of this limit. During the period July 1, 1988 to June 30, 1989, IDBI repaid Rs. 45 crores and its outstanding borrowings from the Fund as on June 30, 1989 amounted to Rs. 3,528 crores (Table IV.1).

---

* Industrial Development Bank of India (IDBI), Export Import Bank of India (Exim Bank), Industrial Reconstruction Bank of India (IRBI), Industrial Finance Corporation of India (IFCI), Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd., (ICICI), State Financial Corporations (SFCs) and National Housing Bank (NHB).

सारणी IV.1 : वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सहायता
(जुलाई-जून)

(करोड़ रुपये में)

सहायता का प्रकार	1987-88		1988-89		30 जून 1989 को बकाया राशि
	स्वीकृत	उपयोग में लायी गयी	स्वीकृत	उपयोग में लायी गयी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
(क) **दीर्घावधि ऋण**					
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि					
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	360.0	360.0	375.0	375.0	3,528.0
2. निर्यात आयात बैंक	90.0	90.0	95.0	95.0	530.0
3. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	20.0	20.0	25.0	25.0	70.0
(ख) **दीर्घकालीन ऋण**					
[राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि]					
राष्ट्रीय आवास बैंक	-	-	50.0*	50.0	50.0
(ग) **मध्यावधि/अल्पावधि ऋण सीमाएँ**					
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	300.0@	-	300.0@	+	-
2. भारतीय औद्योगिक विकास निगम	15.0@	+	30.0**	+	15.0
3. भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश निगम	25.0@	+	30.0$	-	9.0
4. राज्य वित्त निगम	65.4@	+	82.9@	+	12.5

*राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 9 जुलाई 1988 से हुई और उसे हाल ही में शुरू की गयी राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घ कालीन प्रवर्तन) निधि से उधार लेने का पात्र बनाया गया है।

**कैलेन्डर वर्ष 1989 के लिए स्वीकृत।

@नकद ऋण सुविधा।

$वर्ष 1989-90 (अप्रैल-मार्च) के लिए स्वीकृत।

+अपेक्षाओं के अनुसार वैधता की सीमा तक आवधिक रूप से उपयोग में लाई गई ऋण सीमाएँ

स्रोत :औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक

4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को उसके द्वारा पुनः भुनाये गए पात्र मीयादी बिलों की जमानत पर 24 मई 1988 में 300 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण सीमा स्वीकृत की गयी थी जो सितम्बर 1988 के अन्त तक वैध थी। तथापि, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इस ऋण-सीमा का उपयोग नहीं किया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को 300 करोड़ रुपये की एक नयी सीमा जो 27 फरवरी 1989 को स्वीकृत की गयी, जून 1989 के अन्त तक वैध थी। 30 जून 1989 को इस ऋण-सीमा के अन्तर्गत कोई राशि बकाया नहीं थी।

4.7 वर्ष 1988-89 (जुलाई-जून) के लिए निर्यात-आयात बैंक को राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से 95 करोड़ रुपये की एक दीर्घकालीन ऋण सीमा (7 प्रतिशत वार्षिक

Table IV.1 : R.B.I. Assistance to Financial Institutions
(July-June)

(Rs. Crores)

Type of Assistance	1987-88		1988-89		Amount outstanding as on June 30, 1989
	Sanctioned	Utilised	Sanctioned	Utilised	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A) **Long-term Credit [NIC (LTO) Fund]**					
1. I.D.B.I.	360.0	360.0	375.0	375.0	3,528.0
2. Exim Bank	90.0	90.0	95.0	95.0	530.0
3. I.R.B.I.	20.0	20.0	25.0	25.0	70.0
B) **Long-term Credit [NHC (LTO) Fund]**					
N.H.B.	-	-	50.0*	50.0	50.0
C) **Medium/Short-term Credit Limits**					
1. I.D.B.I.	300.0@	-	300.0@	+	-
2. I.F.C.I.	15.0@	+	30.0**	+	15.0
3. I.C.I.C.I.	25.0@	+	30.0$	+	9.0
4. S.F.Cs.	65.4@	+	82.9@	+	12.5

* NHB was established with effect from July 9, 1988 and has been made eligible to borrow out of the recently introduced NHC (LTO) Fund.

@ Cash credit facility.

** Sanctioned for the calendar year 1989.

$ Sanctioned for the year 1989-90 (April-March).

\+ Limits utilised periodically as per requirements till their validity.

Source : Industrial and Export Credit Department, RBI.

4.6 A short-term credit limit of Rs. 300 crores valid upto the end of September 1988 was sanctioned to IDBI on May 24, 1988 against the security of eligible usance bills rediscounted by it. IDBI, however, did not utilise this credit limit. A fresh limit of Rs. 300 crores, valid upto the end of June 1989, was sanctioned to IDBI on February 27, 1989. As on June 30, 1989 no amount was outstanding against this limit.

4.7 A long-term credit limit (for a period of 15 years at an interest rate of 7 per cent per annum) of Rs. 95 crores was sanctioned to the Exim Bank out of NIC

ब्याज की दर पर 15 वर्षों के लिए) स्वीकृत की गयी जब कि इसकी तुलना में यह राशि 1987-88 के दौरान 90 करोड़ रुपये थी। निर्यात आयात बैंक ने इस सीमा का पूर्णतः उपयोग किया तथा निधि के लिए इसके उधारों की बकाया राशि 30 जून 1989 को 530 करोड़ रुपये थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को वर्ष 1988-89 (जुलाई-जून) के लिए 25 करोड़ रुपये की (6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 15 वर्षों के लिए) दीर्घकालीन ऋण सीमा स्वीकृत की गयी जबकि पिछले वर्ष यह सीमा 20 करोड़ रुपये की थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने इस सीमा का पूर्णतः उपयोग किया और इस निधि से इसके उधारों की बकाया राशि 30 जून 1989 को 70 करोड़ रुपये थी।

4.8 राष्ट्रीय आवास बैंक को जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुई, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 46 (घ) के अंतर्गत हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार लेने का पात्र बनाया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक को वर्ष 1988-89 (जुलाई-जून) के लिए 20 वर्षों की अवधि के वास्ते 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 50 करोड़ रुपये की ऋण सीमा स्वीकृत की गयी। राष्ट्रीय आवास बैंक ने उक्त सीमा का पूर्णतः उपयोग किया।

4.9 अल्पावधि ऋण के सम्बंध में रिज़र्व बैंक ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को कैलेण्डर वर्ष 1989 के लिए 15 करोड़ रुपये की तदर्थ उधार सीमा स्वीकृत की। तत्पश्चात् इसे बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये कर दिया गया। 30 जून 1989 को इस सीमा के अन्तर्गत बकाया राशि 15 करोड़ रुपये थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को 25 करोड़ रुपये की तदर्थ उधार सीमा वर्ष 1988-89 (अप्रैल-मार्च) के लिए स्वीकृत की गयी। इस सीमा का उपयोग अल्पावधि के लिए किया गया। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को 30 करोड़ रुपये की एक नयी ऋण सीमा वर्ष 1989-90 (अप्रैल-मार्च) के लिए स्वीकृत की गयी है। 30 जून 1989 को इस सीमा में 9 करोड़ रुपये बकाया थे।

4.10 वर्ष 1988-89 (जुलाई-जून) के दौरान 17 राज्य वित्तीय निगमों (टी.आई.आई.सी. सहित) को सम्बंधित राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत तदर्थ बांडों पर 83 करोड़ रुपये की नयी तदर्थ उधारसीमा स्वीकृत की गयी। ये सीमायें 25 जून 1989 तक वैध थीं। दिनांक 30 जून 1989 को इन सीमाओं की कुल उधार बकाया राशि 12.50 करोड़ रुपये थी। दो राज्य वित्तीय निगमों के मामले में अदायगी अवधि बढ़ा दी गयी।

3. मीयादी ऋणदात्री और निवेशकर्त्री संस्थाओं के कार्यकलाप

4.11 अखिल भारतीय मीयादी ऋण दात्री और निवेशकर्त्री संस्थाओं (अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक संस्थाओं) द्वारा वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान स्वीकृत तथा वितरित कुल वित्तीय सहायता की राशि क्रमशः 13,919 करोड़ रुपये और 8,486 करोड़ रुपये थी जबकि इसकी तुलना में यह राशि 1987-88 (सारणी IV.2) में क्रमशः 8,787 करोड़ रुपये और 6,322 करोड़ रुपये थी। वर्ष के दौरान स्वीकृति और वितरण में क्रमशः 58.4 और 34.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार वर्ष 1988-89 में स्वीकृतियों और वितरणों की वृद्धि दरें वर्ष 1987-88 में रिकार्ड की गयी क्रमशः 19.8 और 19.7 प्रतिशत की दरों की तुलना में अधिक थीं।

(LTO) Fund for the year 1988-89 (July-June) as against Rs. 90 crores sanctioned during 1987-88. The Exim Bank fully availed of this limit and its outstanding borrowings from the Fund as on June 30, 1989 amounted to Rs. 530 crores. IRBI was sanctioned a long-term credit limit of Rs. 25 crores for the year 1988-89 (July-June) (for a period of 15 years at an interest rate of 6 per cent per annum) as against Rs. 20 crores sanctioned during the preceding year. IRBI fully availed of the limit and its outstanding borrowings from the Fund stood at Rs. 70 crores as on June 30, 1989.

4.8 The National Housing Bank (NHB), established on July 9, 1988 has been made eligible to borrow from the Reserve Bank out of the National Housing Credit (Long-term Operations) Fund [NHC (LTO) Fund] established recently under Section 46D of the Reserve Bank of India Act, 1934. NHB was sanctioned a credit limit of Rs. 50 crores for the year 1988-89 (July-June) for a period of 20 years at an interest rate of 5 per cent per annum. NHB fully availed of this limit.

4.9 Regarding short-term credit, the Reserve Bank sanctioned an *ad hoc* borrowing limit of Rs. 15 crores (subsequently enhanced to Rs. 30 crores) to IFCI for the calendar year 1989. As on June 30, 1989 the amount outstanding against this limit was Rs. 15 crores. An *ad hoc* borrowing limit of Rs. 25 crores was sanctioned to ICICI for the year 1988-89 (April-March). The limit was availed for short durations. A fresh limit of Rs. 30 crores has been sanctioned to ICICI for the year 1989-90 (April-March). As on June 30, 1989 an amount of Rs. 9 crores was outstanding against this limit.

4.10 During 1988-89 (July-June), fresh *ad hoc* borrowing limits aggregating Rs. 83 crores were sanctioned to 17 SFCs (including TIIC) against *ad hoc* bonds guaranteed by the respective State Governments. These limits were valid upto June 25, 1989. As on June 30, 1989 the aggregate borrowings outstanding against these limits were Rs. 12.50 crores. The repayment period was extended in respect of two SFCs.

3. Operations of Term-lending and Investing Institutions

4.11 Aggregate financial assistance sanctioned and disbursed by all-India term-lending as also investing institutions (i.e., IDBI, IFCI, ICICI, IRBI, LIC, UTI, GIC and its subsidiaries) during the financial year 1988-89 amounted to Rs. 13,919 crores and Rs. 8,486 crores, respectively, as compared with Rs. 8,787 crores and Rs. 6,322 crores during 1987-88 (Table IV. 2). Sanctions and disbursements rose by 58.4 per cent and 34.2 per cent, respectively, during the year; thus, the growth rates of sanctions and disbursements in 1988-89 reflected a quantum jump as compared with corresponding increases for the year 1987-88 which were 19.8 per cent and 19.7 per cent, respectively.

सारणी IV.2 : मीयादी ऋण देनेवाली संस्थाओं द्वारा सहायता (1987-88 और 1988-89 (अप्रैल- मार्च)

(करोड़ रुपये में)

संस्थाएँ	ऋण				शेयरों और डिबेंचरों में हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान				कुल			
	1987-88		1988-89 *		1987-88		1988-89 *		1987-88		1988-89 *	
	स्वीकृत	संवित-रित	स्वीकृत	संवित-रित	स्वीकृत	संवित-रित	स्वीकृत	संवित-रित	स्वीकृत	संवित-रित	स्वीकृत	संवित-रित
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
भा.औ.वि.बैंक@$$	4,682.8	3,572.9	6,833.1	4,594.2	102.2	34.5	172.0	41.5	4,785.0	3,607.4	7,005.1 (+46.4)	4,635.7 (+28.5)
भा.औ.वि.नि. @	978.9	625.9	1,801.8	980.3	67.1	20.3	90.2	19.0	1,046.0	646.2	1,892.0 (+80.9)	999.3 (+54.6)
भा.औ.ऋ.नि.नि.+@	1,210.4	742.4	1,947.1	1,049.0	72.9	28.8	109.0	36.6	1,283.3	771.2	2,056.1 (+60.2)	1,085.6 (+40.8)
भा.औ.पु.नि.	186.5	101.9	212.1	116.5	-	-	-	-	186.5	101.9	212.1 (+13.7)	116.5 (+14.3)
जीवन बीमा निगम ++	127.2	128.6	325.7	243.8	235.5	213.7	334.5	198.2	362.7	342.3	660.2 (+82.0)	442.0 (+29.1)
भारतीय यूनिट ट्रस्ट	584.5$	420.2$	1,211.4$	608.6$	440.3	328.9	759.4	482.6	1,024.8	749.1	1,970.8 (+92.3)	1,091.2 (+45.7)
सा. बी. नि. और इसकी स. सं.	25.2	25.7	36.1	20.1	73.1	77.8	86.5	95.3	98.3	103.5	122.6 (+24.7)	115.4 (+11.5)
जोड़	**7,795.5**	**5,617.6**	**12,367.3**	**7,612.5**	**991.1**	**704.0**	**1,551.6**	**873.2**	**8,786.6**	**6,321.6**	**13,918.9 (+58.4)**	**8,485.7 (+34.2)**

* अनंतिम।
@ गारंटियां शामिल हैं।
+ इसमें आस्थगित ऋण, पट्टेदारी, किस्त बिक्री एवं उद्यम पूँजी के रूप में सहायता शामिल है।
++ इसमें अल्पावधि ऋण शामिल नहीं हैं।
$ ऋणों में रुपया ऋण, व्यक्तिगत तौर पर रखे गये डिबेंचर तथा विशिष्ट जमा राशियाँ शामिल हैं।
$$ इसमें अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बाण्डों में किये गये अभिदानों को छोड़ कर सभी तरह की सहायता शामिल है।
नोट : कोष्ठक में दिये गये आंकड़े वर्ष के दौरान प्रतिशत संबंधी घट-बढ़ दर्शाते हैं।
स्रोत : सम्बद्ध संस्थाएं।

4.12 वर्ष 1988-89 के दौरान स्वीकृत कुल ऋण (रुपया और विदेशी मुद्रा) और गारंटियां कुल 12,367 करोड़ रुपये थीं जो पिछले वर्ष की 7,796 करोड़ रुपये की तुलना में 58.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं। हामीदारी और शेयरों और डिबेंचरों के प्रत्यक्ष अभिदानों के रूप में स्वीकृति भी पिछले वर्ष की 991 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 1,552 करोड़ रुपये (56.6 प्रतिशत) हो गयी। वर्ष के दौरान 7,613 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये जो 1987-88 (5,618 करोड़ रुपये) की तुलना में 35.5 प्रतिशत अधिक थे। हामीदारी और शेयरों और डिबेंचरों के लिए प्रत्यक्ष अभिदानों के रूप में 873 करोड़ रुपये का वितरण पिछले वर्ष (704 करोड़ रुपये) के मुकाबले 24.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

4. कंपनी निवेश

4.13 1989 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी कम्पनी क्षेत्र में निवेश पर पूर्वानुमान लगाना शुरू कर दिया है जो मीयादी ऋण दात्री संस्थाओं द्वारा स्वीकृत तथा चरणबद्ध रूप से की जानेवाली परियोजनाओं

Table IV.2 : Assistance by Term-lending Institutions (1987-88 and 1988-89) (April-March)

(Rs. Crores)

Institutions	Loans				Underwriting and direct subscription to shares and debentures				Total			
	1987-88		1988-89 *		1987-88		1988-89 *		1987-88		1988-89 *	
	Sanctio-ned	Disbur-sed	Sanctio-ned	Disbur-sed	Sanctio-ned	Disbur-sed	Sanctio-ned	Disbur-sed	Sanctio-ned	Disbur-sed	Sanctio-ned	Disbur-sed
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
IDBI @$$	4,682.8	3,572.9	6,833.1	4,594.2	102.2	34.5	172.0	41.5	4,785.0	3,607.4	7,005.1 (+46.4)	4,635.7 (+28.5)
IFCI @	978.9	625.9	1,801.8	980.3	67.1	20.3	90.2	19.0	1,046.0	646.2	1,892.0 (+80.9)	999.3 (+54.6)
ICICI +@	1,210.4	742.4	1,947.1	1,049.0	72.9	28.8	109.0	36.6	1,283.3	771.2	2,056.1 (+60.2)	1,085.6 (+40.8)
IRBI	186.5	101.9	212.1	116.5	-	-	-	-	186.5	101.9	212.1 (+13.7)	116.5 (+14.3)
LIC ++	127.2	128.6	325.7	243.8	235.5	213.7	334.5	198.2	362.7	342.3	660.2 (+82.0)	442.0 (+29.1)
UTI	584.5$	420.2$	1,211.4$	608.6$	440.3	328.9	759.4	482.6	1,024.8	749.1	1,970.8 (+92.3)	1,091.2 (+45.7)
GIC and its Subsidiaries	25.2	25.7	36.1	20.1	73.1	77.8	86.5	95.3	98.3	103.5	122.6 (+24.7)	115.4 (+11.5)
Total	**7,795.5**	**5,617.6**	**12,367.3**	**7,612.5**	**991.1**	**704.0**	**1,551.6**	**873.2**	**8,786.6**	**6,321.6**	**13,918.9** (+58.4)	**8,485.7** (+34.2)

* Provisional.

@ Including guarantees.

\+ Includes assistance by way of deferred credit, leasing, instalment sale and venture capital.

++ Excludes short-term loans.

$ Loans include rupee loans, privately placed debentures and special deposits.

$$ Includes all types of assistance with the exception of subscription to shares and bonds of all-India financial institutions.

Note : Figures in brackets indicate percentage variation over the year.

Source : Respective Institutions.

4.12 Total loans (both rupee and foreign currency) and guarantees sanctioned during 1988-89 aggregated Rs. 12,367 crores recording a rise of 58.6 per cent as compared with Rs. 7,796 crores in the preceding year. Sanctions by way of underwriting and direct subscriptions to shares and debentures also rose to Rs. 1,552 crores (56.6 per cent) as compared with Rs. 991 crores in the preceding year. Disbursements of loans during the year at Rs. 7,613 crores were higher by 35.5 per cent as compared with that in 1987-88 (Rs. 5,618 crores). Disbursements by way of underwriting and direct subscriptions to shares and debentures at Rs. 873 crores showed an increase of 24.0 per cent over that in the preceding year (Rs. 704 crores).

4. Corporate Investment

4.13 As from 1989, the Reserve Bank has begun generating forecasts on investment based on data available with the term-lending institutions of expected phasing of

के पूंजी व्यय के अनुमानों सम्बंधी उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। 1988 के अन्त तक वित्तीय संस्थाओं द्वारा की गयी स्वीकृतियों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि कुल 7,026 करोड़ रुपये के पूंजी व्यय वर्ष 1988 के दौरान किए जाएंगे अर्थात् 1987 के दौरान किये गए व्यय से 12 प्रतिशत की वृद्धि होगी। बिलों की पुनर्भुनाई और तकनीकी विकास निधि योजना के अन्तर्गत निजी कम्पनी की निवेश मांग सहित कुल पूँजी व्यय 7,413 करोड़ रुपये हुआ जो 1988 में व्यय किया जाएगा। बिलों की पुनः भुनाई और तकनीकी विकास निधि योजना के अन्तर्गत निवेश वित्त सहित 1988 तक स्वीकृत कतिपय परियोजनाओं के संबंध में 1989 के लिए पूर्वानुमान में कुल 9,900 करोड़ रुपये के पूंजी व्यय का अनुमान लगाया गया है जो वर्ष 1988 के तदनुरूप अनुमान की तुलना में 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

5. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

4.14 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वीकृत कुल वित्तीय सहायता (पट्टेदारी कम्पनियों को ऋण और गारंटियों को छोड़कर किन्तु वित्तीय संस्थाओं के बांडों और शेयरों में अंशदान सहित) वर्ष 1987-88 (सारणी* IV.3) के 4,759 करोड़ रुपये की तुलना में 1988-89 (अप्रैल-मार्च) में 47.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 7,013 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष के दौरान 4,633 करोड़ रुपये का वितरण भी 1987-88 के 3,614 करोड़ रुपये के मुकाबले 28.2 प्रतिशत अधिक था। इस प्रकार 1988-89 के दौरान स्वीकृतियों और वितरणों दोनों की वृद्धि दरें 1986-87 तथा 1987-88 में क्रमशः रिकार्ड की गयी 9.4 प्रतिशत तथा 17.4 प्रतिशत की तुलना में अधिक थीं। मार्च 1989 के अंत में कुल संचयी सहायता की स्वीकृत और वितरित राशि क्रमशः 33,880 करोड़ रुपये और 24,700 करोड़ रुपये थी।

4.15 वर्ष 1988-89 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा परियोजना ऋणों, हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदानों और तकनीकी विकास निधि योजना से ली गयी सहायता के रूप में कुल स्वीकृत प्रत्यक्ष सहायता की राशि, 2,904 करोड़ रुपये थी जिसने पिछले वर्ष 1987-88 (1,549 करोड़ रुपये) की तुलना में 87.4 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्शायी। ऐसा अंशतः इसलिए हुआ कि गैस पर आधारित कुछ बड़ी उर्वरक परियोजनाओं को सहायता स्वीकृत की गयी थी। इस वर्ष 1,799 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष सहायता का वितरण भी पिछले वर्ष 1987-88 में 1,291 करोड़ रुपये की तुलना में 39.4 प्रतिशत अधिक था। प्रत्यक्ष सहायता के समस्त परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्ष के दौरान स्वीकृतियों और वितरणों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

4.16 वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बिलों के रूप में परोक्ष सहायता की स्वीकृत राशि तथा वितरण की राशि क्रमशः 3,823 करोड़ रुपये और 2,557 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष (क्रमशः 3,030 करोड़ रुपये और 2,159 करोड़ रुपये) की तुलना में क्रमशः 26.2 प्रतिशत और 18.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वर्ष के दौरान 2,583 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सहायता की स्वीकृति, वर्ष 1987-88 में 1,971 करोड़ रुपये की तुलना में 31.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है और यह परोक्ष सहायता की 62.9प्रतिशत थी। पटट्ेदारी कम्पनियों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 86 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी और 83 करोड़ रुपये के ऋण के वितरण किये गए जो वर्ष के दौरान एक उल्लेखनीय वृद्धि थी। (सारणी IV.3)

---

* दिनांक 30 दिसम्बर 1988 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपने लेखा वर्ष को अप्रैल-मार्च के रूप में परिवर्तित किया और 31 मार्च 1989 (9 माह की अवधि) को अपना खाता बन्द किया।

capital expenditures of projects sanctioned by them. Based on the sanctions accorded by the financial institutions upto the end of 1988, it is estimated that capital expenditures aggregating Rs. 7,026 crores would have been incurred during 1988, showing a rise of 12 per cent over that incurred during 1987. Including the investment requirements of the compaines met under bills rediscounting and technical development fund schemes, the total capital expenditures that would have been incurred during 1988 worked out to Rs. 7,413 crores. The forecast for 1989 in respect of various projects for which sanctions were accorded upto 1988, including the investment finance under the bills rediscounting and technical development fund schemes, suggests a total capital expenditure of Rs. 9,900 crores, representing an increase of 34 per cent over the corresponding estimate for 1988.

5. Industrial Development Bank of India

4.14 There was a rise of 47.4 per cent amounting to Rs. 7,013 crores in the aggregate financial assistance sanctioned (excluding loans to leasing companies and guarantees but including subscription to shares and bonds of financial institutions) by the Industrial Development Bank of India (IDBI) in 1988-89 (April-March) as compared with that of Rs. 4,759 crores in 1987-88 (Table IV.3)*. Disbursements during the year at Rs. 4,633 crores also rose by 28.2 per cent as compared with Rs. 3,614 crores in 1987-88. Thus, the growth rates for both sanctions and disbursements during 1988-89 were much higher than those recorded for the year 1987-88 over 1986-87 at 9.4 per cent and 17.4 per cent, respectively. The cumulative assistance sanctioned and disbursed as at end-March 1989 aggregated Rs. 33,880 crores and Rs. 24,700 crores, respectively.

4.15 IDBI's direct assistance sanctioned by way of project loans, underwriting and direct subscriptions together with assistance from the Technical Development Fund during 1988-89 aggregated Rs. 2,904 crores, recording a steep rise of 87.4 per cent over that during 1987-88 (Rs. 1,549 crores). This was partly due to assistance sanctioned to certain large gas-based fertilizer projects. Disbursement of direct assistance at Rs. 1,799 crores during the year was also higher by 39.4 per cent than that of Rs. 1,291 crores in 1987-88. Sanctions and disbursments under all the schemes of direct assistance registered significant increases during the year.

4.16 IDBI's sanctions and disbursements of indirect assistance by way of refinance of industrial loans and bills financing aggregated Rs. 3,823 crores and Rs. 2,557 crores, respectively, recording a rise of 26.2 per cent and 18.4 per cent, respectively, as compared with the preceding year (Rs. 3,030 crores and Rs. 2,159 crores, respectively). Sanctions of refinance assistance at Rs. 2,583 crores during the year recorded a rise of 31.0 per cent as compared with 1987-88 (Rs. 1,971 crores) and constituted 62.9 per cent of indirect assistance. Sanctions and disbursements of loans to leasing companies by IDBI at Rs. 86 crores and Rs. 83 crores, respectively, picked up significantly during the year (Table IV.3).

* In terms of Government of India's Notification dated December 30, 1988, IDBI had changed its accounting year to April-March and closed its accounts as on March 31, 1989 (nine months period).

सारणी IV.3 : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वीकृत और वितरित योजनावार सहायता

(करोड़ रुपयों में)

योजनाएं	स्वीकृतियां			संवितरण		
	1987-88	1988-89*	मार्च 1989 के अंत तक संचयी स्थिति*	1987-88	1988-89*	मार्च 1988 के अंत तक संचयी स्थिति*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. प्रत्यक्ष सहायता	1,549.2	2,903.7	11,929.7	1,290.5	1,798.5	8,008.4
1. परियोजना वित्त						
(क) परियोजना ऋण	1,424.2	2,688.0	10,767.9	1,231.3	1,726.5	7,570.4
(ख) हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	102.2	172.0	939.6	34.5	41.5	260.0
2. तकनीकी विकास निधि	22.8	43.7	222.2	24.7	30.5	178.0
II. अप्रत्यक्ष सहायता	3,209.9	4,109.7	21,949.9	2,323.1	2,834.3	16,691.6
3. औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	1,971.4	2,583.3	13,102.3	1,364.7	1,627.0	9,798.1
4. बिल वित्त पोषण	1,058.8	1,239.3	7,512.2	794.4	930.4	5,664.8
5. अन्य वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में निवेश के लिए ऋण	169.2	282.6	1,252.0	152.4	269.4	1,160.3
6. प्रारंभिक पूंजी सहायता	10.5	4.5	83.4	11.6	7.5	68.4
उप जोड़ (I+II)	**4,759.1**	**7,013.4**	**33,879.6**	**3,613.6**	**4,632.8**	**24,700.0**
7. पट्टेदारी कम्पनियों को ऋण	14.0	86.0	100.0	-	83.4	83.4
8. ऋण/आस्थागित भुगतानों के लिए गारंटियाँ	18.2	18.2	396.8	-	29.5	304.8
9. अन्य गारंटियाँ	-	-	24.0	-	-	24.0
कुल जोड़	**4,791.3**	**7,117.6**	**34,400.4**	**3,613.6**	**4,745.7**	**25,112.2**

* अनन्तिम

टिप्पणी : 1. बिल वित्त पोषण के मामले में स्वीकृतियों से तात्पर्य है भुनाये गये/पुनः भुनाये गये बिलों के अंकित मूल्य जब कि संवितरण से तात्पर्य है भुनाई/पुनर्भुनाई सम्बंधी प्रभारों को घटाकर शुद्ध नकदी निर्गम

2. गारंटी मामले में संवितरण से तात्पर्य है निष्पादित गारंटियाँ

स्रोत : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

Table IV.3 : Scheme-wise Assistance Sanctioned and Disbursed by IDBI (April-March)

(Rs. Crores)

Schemes	Sanctions			Disbursements		
	1987-88	1988-89*	Cumulative upto end March 1989*	1987-88	1988-89*	Cumulative upto end March 1989*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Direct Assistance	1,549.2	2,903.7	11,929.7	1,290.5	1,798.5	8,008.4
1. Project Finance						
a) Project loans	1,424.2	2,688.0	10,767.9	1,231.3	1,726.5	7,570.4
b) Underwriting and direct subscriptions	102.2	172.0	939.6	34.5	41.5	260.0
2. Technical Development Fund	22.8	43.7	222.2	24.7	30.5	178.0
II. Indirect Assistance	3,209.9	4,109.7	21,949.9	2,323.1	2,834.3	16,691.6
3. Refinance of industrial loans	1,971.4	2,583.3	13,102.3	1,364.7	1,627.0	9,798.1
4. Bills financing	1,058.8	1,239.3	7,512.2	794.4	930.4	5,664.8
5. Loans to/Investment in shares and bonds of other financial institutions	169.2	282.6	1,252.0	152.4	269.4	1,160.3
6. Seed capital assistance	10.5	4.5	83.4	11.6	7.5	68.4
Sub-total (I+II)	**4,759.1**	**7,013.4**	**33,879.6**	**3,613.6**	**4,632.8**	**24,700.0**
7. Loans to leasing companies	14.0	86.0	100.0	-	83.4	83.4
8. Guarantees for loans/ deferred payments	18.2	18.2	396.8	-	29.5	304.8
9. Other guarantees	-	-	24.0	-	-	24.0
Grand Total	**4,791.3**	**7,117.6**	**34,400.4**	**3,613.6**	**4,745.7**	**25,112.2**

* Provisional.

Note : 1. In the case of bills financing sanctions mean face value of bills discounted/rediscounted while disbursements mean net cash outgo after deducting of discount/rediscount charges.

2. In case of guarantees, disbursements mean guarantees executed.

Source : Industrial Development Bank of India.

4.17 उद्यम पूंजी निधि के अंतर्गत उद्यम परियोजनाओं को मंजूर की गई ऋण की मात्रा में तथा सहायता प्रदत्त परियोजनाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जुलाई 1988-मार्च 1989 के दौरान 16 उद्यम परियोजनाओं को सहायता दी गयी और 13.4 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गए जबकि 1987-88 की तदनुरूप अवधि के 2 परियोजनाओं को 1 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गयी थी। पिछले वर्ष शुरू की गयी ऊर्जा संरक्षण योजना और ऊर्जा लेखा परीक्षा आर्थिक सहायता योजना के लिए उपकरण वित्त पोषण के अन्तर्गत 12.5 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की गयी। जुलाई 1988 से मार्च 1989 के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 13 अस्पताल परियोजनाओं को कुल 44 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जबकि पिछले वर्ष 8 अस्पताल परियोजनाओं के लिए 19 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी थी। जुलाई 1988 से मार्च 1989 के दौरान विदेशी मुद्रा ऋण के रूप में मंजूर की गयी सहायता में भी वृद्धि हुई जो कि 422 करोड़ रुपये के बराबर थी जबकि यह राशि 1987-88 (जुलाई-मार्च) में 73.8 करोड़ रुपये थी।

4.18 1988-89 के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की नयी योजनाओं में विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंध योजना (इ.आर.ए.एस.) का उल्लेख किया जा सकता है। यह योजना तीन अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम) द्वारा बनायी गयी और 1 अप्रैल 1989 से शुरू की गयी। विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंध योजना का उद्देश्य है इन संस्थाओं से विदेशी मुद्रा जोखिम पर विदेशी मुद्रा ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं को एक सीमा तक सुरक्षा प्रदान करना। यह योजना दो वर्षों की अवधि तक चालू रहेगी। तीनों सहयोगी संस्थाओं में से प्रत्येक द्वारा 5 करोड़ रुपये के प्रारंभिक अंशदान के साथ, विकास सहायता निधि के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंध निधि नामक एक अलग निधि का गठन किया गया है। सम्मिश्र लागत की विदेशी मुद्रा प्रीमीयम राशि भी तीनों संस्थाओं द्वारा त्रैमासिक आधार पर विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंध निधि में अन्तरित कर दी जायेगी।

4.19 भारत की अर्थ व्यवस्था में पर्यटन के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने हाल ही में मनोरंजन पार्कों, सांस्कृतिक केन्द्रों, सम्मेलन केन्द्रों, रेस्तराओं, यात्रा और परिवहन (हवाई अड्डे पर स्थित सेवाओं सहित), पर्यटक सेवा एजेंसियों और पर्यटकों को मार्गदर्शन और इन स्थानों के सम्बंध में जानकारी देने वाली सेवाओं सहित पर्यटन सम्बंधी सेवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और अन्य अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से गठित भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि. में 7.5 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी लगायी है।

4.20 औद्योगिक इकाइयों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने वर्ष के दौरान विदेशों से कई ऋण लिए। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं : (i) जापानी बैंक से 10 बिलियन येन का ऋण (ii) पश्चिमी जर्मन पूंजी बाजार में 250 मिलियन ड्यूश मार्क का एक सार्वजनिक बाण्ड निर्गम (iii) नौरडिस्का इन्वेस्टरिंग बैंकन से एक ऋण व्यवस्था जो 40 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर है। (iv) रूस के वैदेशिक आर्थिक मामलों के बैंक से 100 करोड़ रुपये की ऋण व्यवस्था (v) एक जापानी बैंक से एक नियत दर पर 3 बिलियन येन का ऋण। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जापानी वैदेशिक आर्थिक सहकारी निधि के साथ इकरार की गयी 19.5 बिलियन येन की ऋण व्यवस्था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत प्राथमिक ऋण दात्री संस्थाओं के माध्यम से लघु उद्योगों के वित्त पोषण के लिए उपयोग में लायी जाती है। वर्ष के दौरान वैदेशिक आर्थिक सहकारी निधि व्यवस्था से 78.5 करोड़ रुपये के बराबर की राशि आहरित की गयी। विदेशी मुद्रा देयताओं के प्रबंध के

4.17 There was a significant increase in both the number of projects assisted as also in the quantum of loans sanctioned to venture projects under the Venture Capital Fund. During July 1988-March 1989, 16 venture projects were assisted and loans sanctioned were Rs. 13.4 crores; in the corresponding period of 1987-88, only 2 projects involving Rs. 1 crore were assisted. Under the Equipment Finance for Energy Conservation Scheme and Energy Audit Subsidy Scheme, introduced last year, assistance aggregating Rs. 12.5 crores was sanctioned. During July 1988 to March 1989, IDBI provided assistance totalling Rs. 44 crores to 13 hospital projects as against Rs. 19 crores to 8 hospital projects in the previous year. During July 1988 to March 1989, there was a subsantial increase in the assistance sanctioned by way of foreign currency loans equivalent of Rs. 422 crores as against Rs. 73.8 crores in 1987-88 (July-March).

4.18 Of the new initiatives of IDBI during 1988-89 mention may be made of the Exchange Risk Administration Scheme (ERAS). The scheme was evolved by the three all-India financial institutions (IDBI, IFCI and ICICI) and came into effect from April 1, 1989. The objective of ERAS is to extend a measure of protection to borrowers of foreign currency loans from these institutions against exchange risk. The scheme would be in operation for a period of two years. A separate fund known as the Exchange Risk Administration Fund (ERAF) has been set up in IDBI under the Development Assistance Fund with an initial contribution of Rs. 5 crores each from the three participating institutions. The exchange premium element of the composite cost will also be transferred to ERAF by all the three institutions on a quarterly basis.

4.19 With the increasing importance of tourism in the country's economy, the IDBI has recently decided to extend financial support to tourism related facilities including amusement parks, cultural centres, convention centres, restaurants, travel and transport (including those at airports), tourist service agencies and guidance and counselling services to tourists. IDBI has also contributed a sum of Rs. 7.5 crores to the share capital of the Tourism Finance Corporation of India Ltd. (TFCI), jointly setup by IFCI and other all-India institutions.

4.20 In order to cater to the foreign currency requirements of the industrial units, IDBI made several borrowings abroad during the year. These included : (i) a loan of Yen 10 billion from a Japanese bank, (ii) a public bond issue of DM 250 million in the West German capital market, (iii) a line of credit of US $40 million equivalent from Nordiska Investering Banken, (iv) a line of credit of Rs. 100 crores from the Bank for Foreign Economic Affairs of the USSR and (v) a fixed rate loan of Yen 3 billion from a Japanese bank. In addition a line of credit of Yen 19.5 billion contracted by the Government of India with the Japanese Overseas Economic Co-operation Fund (OECF) is to be utilised for financing small-scale industries through the primary lending institutions under IDBI's refinance scheme.

दौरान तीन विनिमय पूरे हुए। इसके पश्चात् उनके डालर की देयताओं में सब-एल. आई.बी.ओ.आर. मूल्य उपलब्ध है और इससे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को और आगे ऋण देने के वास्ते मुद्राओं का बेहतर समूह उपलब्ध होना है।

4.21 1988-89 के लिए केन्द्रीय बज़ट में घोषित निर्णय के अनुपालन में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्णतः स्वामित्व की एक सहायक संस्था भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना के लिए एक बिल संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किया गया।

6. भारतीय यूनिट ट्रस्ट

4.22 वर्ष 1988-89 (जुलाई-जून) के दौरान, सभी योजनाओं के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की कुल बिक्री 3,701 करोड़ रुपये की हुई जो कि पिछले वर्ष की बिक्री की तुलना में 79.7 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करती है (सारणी IV.4)। वर्ष के दौरान यूनिट योजना– 1964 के अंतर्गत बिक्रियों में वाणिज्य बैंकों तथा कंपनी क्षेत्र का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक रहा।

4.23 आलोच्य वर्ष के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने निम्नलिखित नई योजनाएं शुरू कीं :- (क) भारत वृद्धि निधि (आई.जी.एच.) (ख) अतिरिक्त बोनस और वृद्धि सहित मासिक आय यूनिट योजना (11) 1988- (एम.आई.एस.जी.) (11) (ग) वृद्धिशील आय यूनिट योजना 1989 (जी.आई.यू.एस. 89) और (घ) अतिरिक्त बोनस और वृद्धि सहित मासिक आय यूनिट योजना - 1989 [एम.आई.एस.जी. (12) 89]।

4.24 भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने मेरिल लिंच कैपिटल मार्केट के साथ मिलकर दूसरी विदेशी निधि, भारत वृद्धि निधि निगमित (आई.जी.एफ.एन.सी) अगस्त 1988 में शुरू की ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंग्लैण्ड और जापान के निवेशक भारतीय पूंजी बाजार में भाग ले सकें। 60 मिलियन अमेरिकी डालर का निर्गम पूर्णतः अभिदत्त हुआ और निवल आगम भारत की कम्पनी प्रतिभूतियों में निवेशित किये जा रहे हैं। भारत वृद्धि निधि के शेयर, न्यूयार्क के शेयर बाजार की सूची में शामिल किये जाने हैं। 31 दिसम्बर 1988 को समाप्त अवधि के लिए इस निधि ने 2.5 प्रतिशत (प्रति शेयर 12 डालर के निर्गम मूल्य पर 30 सेन्ट) अन्तरिम लाभांश घोषित किया। शुद्ध आस्ति मूल्य, अगस्त 1988 (जब कि यह आरंभ किया गया था) के 10.94 डालर से बढ़कर 30 जून 1989 को 14.30 डालर हो गया।

4.25 अतिरिक्त बोनस और वृद्धि के सहित मासिक आय यूनिट योजना (11) 1988, मासिक आय यूनिट योजना की 11वीं श्रृंखला, नवम्बर 1988 में पुनः शुरू की गयी और 31 दिसम्बर 1988 तक मांगपर उपलब्ध थी। चूँकि मासिक आय यूनिट योजना एक समाजोन्मुख योजना है, उसकी बिक्री को व्यक्तियों, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और समाज को लाभ पहुँचाने संबंधी कार्यों में लगे चैरिटैबल और धार्मिक ट्रस्टों के लिए खुला रखा गया। पिछली श्रृंखला के समान लाभांश और न्यूनतम आश्वस्त पूँजी वृद्धि की दरें क्रमशः 12 प्रतिशत और 2 प्रतिशत प्रति वर्ष मासिक आय यूनिट योजना की रखी गयी। इस योजना के अन्तर्गत 343 करोड़ रुपये की बिक्री हुई।

4.26 वृद्धिशील आय यूनिट योजना, 1989, 1 जनवरी 1989 को शुरू की गयी और बिक्री दो माह तक खुली थी। इस योजना के अन्तर्गत लाभांश प्रगतिशील दर पर 12.5 प्रतिशत से 14.0 प्रतिशत प्रति

An amount equivalent to Rs. 78.5 crores was drawn from the OECF line of credit during the year. In the course of the management of foreign currency liabilities, three swaps were concluded after which their dollar liabilities carry sub-LIBOR pricing and provide IDBI a better mix of currencies for on-lending.

4.21 Pursuant to the decision announced in the Union Budget for 1988-89, a Bill for the setting up of the Small Industries Development Bank of India (SIDBI) as a wholly owned subsidiary of IDBI was passed by both the houses of Parliament.

6. Unit Trust of India

4.22 During the year 1988-89 (July-June), the gross sales of Units by the Unit Trust of India (UTI) under all schemes aggregated Rs. 3,701 crores, registering a rise of 79.7 per cent over the sales during the preceding year (Table IV.4). Commercial banks and the corporate sector accounted for more than 50 per cent of the sales under the Unit Scheme–1964 during the year.

4.23 During the year under review, UTI introduced the following new schemes : (a) India Growth Fund (IGF), (b) Monthly Income Unit Scheme with Extra Bonus Plus Growth (11) 1988 [MISG (11) 88], (c) Growing Income Unit Scheme, 1989 (GIUS-89) and (d) Monthly Income Unit Scheme with Extra Bonus Plus Growth 1989 [MISG (12) 89].

4.24 The UTI launched India Growth Fund Inc. (IGF Inc.), the second Off-shore Fund, in August 1988 to enable the investors in the United States of America, Canada, the United Kingdom and Japan, to participate in the Indian capital market. The issue of US $ 60 million was fully subscribed and the net proceeds are being invested in corporate securities in India. The shares of IGF are listed on the New York Stock Exchange. The Fund had declared an interim dividend of 2.5 per cent (30 cents on the issue price of US $ 12 per share) for the period ended December 31, 1988. The net asset value (NAV) has appreciated from US $ 10.94 in August 1988 (when it was launched) to US $ 14.30 as on June 30, 1989.

4.25 Monthly Income Unit Scheme with Extra Bonus Plus Growth (11) 1988, the 11th series of Monthly Income Unit Scheme, was re-introduced in November 1988 and was on tap till December 31, 1988. The Monthly Income Unit Scheme being a socially-oriented scheme, sales under the scheme were kept open to individuals, physically and mentally handicapped persons and charitable and religious trusts which are engaged in the activities benefitting a social cause. The rate of dividend and minimum assured capital appreciation were kept at 12 per cent per annum and 2 per cent, respectively, as in the previous series of Monthly Income Unit Schemes. Sales under this scheme aggregated Rs. 343 crores.

4.26 The Growing Income Unit Scheme, 1989 (GIUS-89) was launched on January 1, 1989 and sales were on tap for two months. The scheme offered progressive rate of dividend from 12.5 per cent to 14.0 per cent per annum and was

सारणी IV.4 भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा योजनावार बिक्री और पुनः खरीद (वर्ष जुलाई-जून)

(करोड़ रुपयों में)

योजनाएँ	बिक्री		पुनः खरीद		बकाया (30 जून को)		लाभांश दर (प्रतिशत)
	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89	1988	1989	1988-1989
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. यूनिट योजना 1964	859.3(ए)	2,316.0	43.8	69.7	2,222.1(बी)	4,468.4	18.00
2. यूनिट योजना 1971 (यूनिट संबद्ध बीमा पॉलिसी)	89.8(सी)	128.4	21.4	42.6	259.2	345.1	13.75
3. धर्मार्थ और धार्मिक न्यास तथा पंजीकृत समितियां योजना 1981	23.2	24.2	1.3	0.5	71.3	95.0	15.00
4. आय यूनिट योजना 1982	-	-	21.1(डी)	-	-	-	-
5 मासिक आय यूनिट योजना (1,2,3,4, & 5) $	-	-	4.7*	16.1	38.3	22.2	12.00(पी)
6. वृद्धि और आय यूनिट योजना, 1983	-	-	0.1	12.6	12.6	-	-
7. पूंजीगत लाभ यूनिट योजना, 1983	247.6(इ)	259.7	194.6	234.6	875.0	900.0	9.70
8. आय यूनिट योजना 1985	3.6(एफ)	4.0(एफ)	1.7	2.3	62.6	64.3	13.00
9. वृद्धि के साथ मासिक आय यूनिट योजना (6) 1986	-	-	0.6(जी)	0.5	74.3	73.8	12.00
10. वृद्धिशील आय यूनिट योजना 1986	10.7(एफ)	12.3(एफ)	0.3(जी)	2.9	125.5	134.9	13.00
11. बच्चों के लिए उपहार वृद्धि निधि यूनिट योजना 1986	71.7(एच)	77.7(एच)	..	-	128.9	206.6	12.50
12. भारत निधि यूनिट योजना 1986	-	-	-	-	139.5	139.5	6.00
13. पारस्परिक निधि सहायक यूनिट योजना 1986	-	75.2	-	-	150.4	225.7	18.00
14. अतिरिक्त वृद्धि के साथ मासिक आय यूनिट योजना (7) 1986	-	-	0.6(जी)	0.6	76.9	76.3	12.00
15. वृद्धिशील आय यूनिट योजना 1987	8.7(आई)	9.4(एफ)	0.1(जी)	0.2	113.9	123.1	12.50
16. अतिरिक्त बोनस और वृद्धि के साथ मासिक आय यूनिट योजना (8) 1987	4.1(जे)	..	1.1(जी)	1.5	358.9	357.5	12.00
17. वृद्धिशील आय यूनिट योजना -II - 1987	45.3(के)	2.2(एफ)	..(जी)	0.1	45.2	47.4	12.50
18. वृद्धिशील आय यूनिट योजना - III - 1987	164.7(एल)	13.3(एफ)	0.1(जी)	0.3	164.6	177.5	12.00
19. अतिरिक्त बोनस वृद्धि के साथ मासिक आय यूनिट योजना (9) 1987	249.3	..	0.3(जी)	0.7	249.0	248.3	12.00
20. पेरेन्ट्स उपहार और वृद्धि निधि यूनिट योजना 1987	10.0	6.0(एम)	-	-	10.0	16.0	12.50
21. अतिरिक्त बोनस और वृद्धि के साथ मासिक आय यूनिट योजना (10) 1988	271.4	15.1	-	0.6	271.4	285.9	12.00
22. भारत वृद्धि निधि	-	41.9	-	-	-	41.9	(एन)
23. अतिरिक्त बोनस और वृद्धि के साथ मासिक आय यूनिट योजना (11) 1988	-	343.4	-	-	-	343.4	12.00
24. वृद्धिशील आय यूनिट योजना 1989	-	197.5	-	-	-	197.5	12.50
25. अतिरिक्त बोनस और वृद्धि के साथ मासिक आय यूनिट योजना (12)- 1989	-	175.0	-	-	-	175.0	12.00
जोड़	**2,059.4**	**3,701.3**	**291.8(डी)**	**385.8**	**5,449.6**	**8,765.3**	

* 53 लाख रुपये की राशि के परिपक्वता पूर्व आहरण शामिल हैं।

$ मासिक आय यूनिट योजनाएं 1 और 2, 1983 से, 3, 1984 से तथा 4 और 5-1985 से सम्बंध रखती हैं।

.. नगण्य।

(क) 1986-87 से सम्बंधित 0.43 लाख रुपये की बिक्री शामिल है।

(ख) अन्तर योजना लेन-देन के कारण समायोजन के पश्चात्।

(ग) इसमें लाभांश के पुनर्निवेश से हुई बिक्री, नये प्रवेशकों से प्रारंभिक अभिदान और वर्तमान सदस्यों से नवीकृत अभिदान राशियाँ शामिल हैं।

(घ) जीआईयूएस 11 को 4419.73 लाख रुपये की राशि के बराबर परिवर्तन शामिल नहीं है।

(ङ) वर्ष 1987-88 के दौरान दूर की गयी आपत्तियों के बाद वर्ष 1986-87 में हुई बिक्री से सम्बंधित 22.54 लाख रुपये शामिल हैं।

(च) लाभांश के पुनः निवेश के कारण बिक्री।

(छ) अवधि पूर्ण होने के पूर्व निकाली गयी राशियाँ।

(ज) 1987-88 के लिए, लाभांश के पुनः विनियोग की 561.30 लाख रुपये की राशि शामिल है।

(झ) आपत्तियों को दूर करने के बाद बिक्री (3.33 लाख रुपये) और संचयी योजना के अन्तर्गत लाभांश के पुनर्निवेश (869.62 लाख रुपये) दर्शाते हैं।

(ञ) आपत्तियों को दूर करने के बाद बिक्रियाँ।

(ट) 1 जुलाई 1987 को अवधि समाप्त होने पर आई यू एस 82 योजना से परिवर्तन तथा संचयी योजना में पुनर्निवेश।

(ठ) संचयी योजना (345.75 लाख रुपये) के अन्तर्गत लाभांश के पुनः निवेश से नई बिक्री शामिल है।
कतिपय आँकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण आँकड़ों का योजनावार अलग-अलग विवरण कुल जोड़ से मेल नहीं खायेगा।

(ड) लाभांश का पुनःनिवेश शामिल है।

(ढ) प्रति शेयर 30 सेन्ट अन्तरिम लाभांश जो प्रतिशेयर 12 अमेरिकी डालर पर निर्गत किये गये थे।

(ण) लाभांश के पास मासिक आय यूनिट योजना (3) मा आ यू यो (4) मा आ यू यो (5) के लिए घोषित किये गए थे।

स्रोत : भारतीय यूनिट ट्रस्ट.

Table IV.4 : Scheme-wise Sales and Repurchases by Unit Trust of India (July-June)

(Rs. Crores)

Schemes	Sales		Repurchases		Outstanding (as on June 30)		Dividend Rate (per cent)
	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89	1988	1989	1988-1989
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Unit Scheme 1964	859.3(a)	2,316.0	43.8	69.7	2,222.1(b)	4,468.4	18.00
2. Unit Scheme 1971 (ULIP)	89.8(c)	128.4	21.4	42.6	259.2	345.1	13.75
3. Scheme for Charitable and Religious Trusts and Registered Societies 1981 (CRTS)	23.2	24.2	1.3	0.5	71.3	95.0	15.00
4. Income Unit Schemes 1982	-	-	21.1(d)	-	-	-	-
5. Monthly Income Unit Schemes (1,2,3,4, & 5) $	-	-	4.7*	16.1	38.3	22.2	12.00(p)
6. Growth and Income Unit Scheme 1983	-	-	0.1	12.6	12.6	-	-
7. Capital Gains Unit Scheme 1983	247.6(e)	259.7	194.6	234.6	875.0	900.0	9.70
8. Income Unit Scheme 1985	3.6(f)	4.0(f)	1.7	2.3	62.6	64.3	13.00
9. Monthly Income Unit Scheme with Growth (6) - 1986	-	-	0.6(g)	0.5	74.3	73.8	12.00
10. Growing Income Unit Scheme - 1986	10.7(f)	12.3(f)	0.3(g)	2.9	125.5	134.9	13.00
11. Children's Gift Growth Fund Unit Scheme - 1986	71.7(h)	77.7(h)	..	-	128.9	206.6	12.50
12. India Fund Unit Scheme - 1986	-	-	-	-	139.5	139.5	6.00
13. Mutual Fund (Subsidiary) Unit Scheme - 1986	-	75.2	-	-	150.4	225.7	18.00
14. Monthly Income Unit Scheme with Extra Growth (7) 1986	-	-	0.6(g)	0.6	76.9	76.3	12.00
15. Growing Income Unit Scheme - 1987	8.7(i)	9.4(f)	0.1(g)	0.2	113.9	123.1	12.50
16. Monthly Income Unit Scheme with Extra Bonus and Growth (8) 1987	4.1(j)	..	1.1(g)	1.5	358.9	357.5	12.00
17. Growing Income Unit Scheme II - 1987	45.3(k)	2.2(f)	..(g)	0.1	45.2	47.4	12.50
18. Growing Income Unit Scheme III - 1987	164.7(l)	13.3(f)	0.1(g)	0.3	164.6	177.5	12.00
19. Monthly Income Unit Scheme with Extra Bonus Plus Growth (9) - 1987	249.3	..	0.3(g)	0.7	249.0	248.3	12.00
20. Parent's Gift and Growth Fund Unit Scheme 1987	10.0	6.0(m)	-	-	10.0	16.0	12.50
21. Monthly Income Unit Scheme with Extra Bonus and Growth (10) - 1988	271.4	15.1	-	0.6	271.4	285.9	12.00
22. India Growth Fund	-	41.9	-	-	-	41.9	(n)
23. Monthly Income Unit Scheme with Extra Bonus Plus Growth (11)-1988	-	343.4	-	-	-	343.4	12.00
24. Growing Income Unit Scheme - 1989	-	197.5	-	-	-	197.5	12.50
25. Monthly Income Unit Scheme with Extra Bonus Plus growth (12) - 1989	-	175.0	-	-	-	175.0	12.00
Total :	**2,059.4**	**3,701.3**	**291.8(d)**	**385.8**	**5,449.6**	**8,765.3**	

* Includes premature withdrawals amounting to Rs. 53 lakhs.

S Monthly Income Unit Schemes 1 and 2 relate to 1983, 3 to 1984 and 4 and 5 to 1985.

.. Negligible.

(a) Included sales of Rs. 0.43 lakh pertaining to 1986-87.

(b) After adjustments due to inter plan transactions.

(c) Includes sales from re-investment of dividend, initial contribution from new entrants and renewal contribution from existing members.

(d) Excludes conversions to GIUS-II amounting to Rs. 4419.73 lakhs.

(e) Includes Rs. 22.54 lakhs pertaining to 1986-87 effected as sales on clearance of objections during 1987-88.

(f) Sales on account of dividend re-investment.

(g) Premature withdrawals.

(h) Includes re-investment of dividend amounting to Rs. 561.30 lakhs for 1987-88.

(i) Represents sales on clearance of objections (Rs. 3.33 lakhs) and re-investment of dividend under the cumulative scheme (Rs. 869.62 lakhs).

(j) Sales on clearance of objections.

(k) Represents conversions from IUS-82 scheme on its maturity on July 1, 1987 and re-investment under the cumulative scheme.

(l) Includes sales from re-investment of dividend under the cumulative scheme (Rs. 345.75 lakhs). Scheme wise break-up of figures may not add up to the aggregate due to rounding off of certain figures.

(m) Includes re-investment of dividend.

(n) Interim dividend 30 cents per share which was issued at US $ 12 per share.

(p) Dividend declared only for MIUS (3), MIUS (4) and MIUS (5)

Source : Unit Trust of India.

वर्ष था और निवासी व्यक्तियों तथा पात्र संस्थाओं के लिए यह खुली थी। इस योजना के अन्तर्गत कुल 198 करोड़ रुपये एकत्र किये गये।

4.27 ट्रस्ट द्वारा अतिरिक्त बोनस और वृद्धि सहित मासिक यूनिट आय योजना (12) 1989, 1 मई 1989 को एक माह के लिए शुरू की गयी। इसमें 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष लाभांश, पांचवें वर्ष के अन्त में 2 प्रतिशत की पूँजी वृद्धि तथा चौथे वर्ष बोनस लाभांश के भुगतान का प्रावधान था। इस योजना के अन्तर्गत 175 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। मासिक आय यूनिट योजना (1) 83 और वृद्धिशील यूनिट योजना 1983 के यूनिट धारकों को मासिक आय योजना की 10वीं श्रृंखला अर्थात् अतिरिक्त बोनस और वृद्धि सहित मासिक आय योजना (10) 88, में अपनी यूनिट धारिताओं को परिवर्तित करने की सुविधा दी गयी। यद्यपि, मासिक आय योजना (10) 88 की बिक्री अप्रैल-मई 1988 के दौरान खुली थी, फिर भी मासिक आय योजना (1)-83 और मासिक आय योजना 83 के यूनिट धारकों को यह सुविधा दी गयी कि वे मासिक आय योजना 83 और वृद्धिशील आय योजना 83 की अपनी यूनिट धारिताओं को 1 जुलाई 1988 के परिपक्व होने पर वृद्धि सहित मासिक आय योजना (10) 88 में निवेश कर सकते हैं।

4.28 वर्ष के दौरान मास्टर शेयर का अधिकार निर्गम, 10 रुपये के अंकित मूल्य के 2 रु. प्रति-शेयर प्रीमियम पर 1:2 के अनुपात में जारी किया गया। निर्गम पूर्ण अभिदत्त से अधिक रहा और 98.98 करोड़ रुपये (प्रीमियम सहित) की राशि जुटाई गयी। ट्रस्ट ने अतिरिक्त अभिदान को अपने पास बनाये रखने का निर्णय किया है।

4.29 वर्ष के दौरान ट्रस्ट द्वारा घोषित लाभांश पिछले वर्ष में घोषित लाभांश से अधिक थे। मुख्य यूनिट योजना 1964 के लिए लाभांश दर 1987-88 के 16.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 1988-89 में 18 प्रतिशत (एक बार के रजत जयंती लाभांश 1 प्रतिशत सहित), यूनिट योजना 1971 (यूनिट सम्बद्ध बीमा योजना) के लिए 13.50 से बढ़ाकर 13.75 प्रतिशत और चैरिटैबल और धार्मिक ट्रस्टों और पंजीकृत समितियों की योजना 1981, के लिए 14.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 15.00 प्रतिशत, पूंजीगत लाभ यूनिट योजना 1983 के लिए 9.60 प्रतिशत से बढ़ाकर 9.70 प्रतिशत और मास्टर शेयरों के लिए 13 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी।

4.30 सभी योजनाओं के अन्तर्गत यूनिट पूंजी में जो कि जून 1988 के अंत में 5,450 करोड़ रुपये थी, उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह जून 1989 के अन्त में 8,765 करोड़ रुपये हो गयी। ट्रस्ट की निवेश योग्य कुल निधियों में भी 61.1 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई और ये पिछले वर्ष की 6,739 करोड़ रुपये की राशि से बढ़कर 10,858 करोड़ रुपये हो गयीं।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के पास निम्नांकित रूप में 10,858 करोड़ रुपये की निवेश योग्य निधि थी :-

ईक्विटी शेयर	2,140 करोड़ रुपये	(19.7 प्रतिशत)
अधिमान शेयर	14 करोड़ रुपये	(0.1 प्रतिशत)
डिबेंचर	3,068 करोड़ रुपये	(28.3 प्रतिशत)
अन्य*	5,636 करोड़ रुपये	(51.9 प्रतिशत)

* (शेष राशि का निवेश, निवेश बायदों पर अग्रिम जमा, गैर जमानती अल्पावधि जमा, पूरक वित्त, बैंकों और सरकारी प्रतिभूतियों आदि के साथ अन्य निवेशों में किया गया।)

open to resident individuals and eligible institutions. A sum of Rs. 198 crores was mobilised under this scheme.

4.27 Monthly Income Unit Scheme with Extra Bonus Plus Growth (12), 1989 was launched by the Trust on May 1, 1989 for a month with an assured dividend of 12 per cent per annum, capital appreciation of 2 per cent at the end of fifth year and bonus dividend payment in the fourth year. The scheme netted Rs. 175 crores. The unit-holders of Monthly Income Unit Scheme (1) [MIS (1)] 83 and Growing Income Unit Scheme, 1983 (GIS-83) were given the facility to convert their unit holdings into 10th series of MIS, viz., MISG (10)88. Though sales were open for MIS (10)88 during April-May 1988, the unit-holders of MIS (1)-83 and GIS-83, were allowed to invest in MISG (10)-88 on maturity of their holdings of MIS-83 and GIS-83 on July 1, 1988.

4.28 During the year a Rights issue of Mastershare was made in the ratio of 1:2 at a premium of Rs. 2 per share of the face value of Rs. 10. The issue was more than fully subscribed and a sum of Rs. 98.98 crores (including premium) was mobilised. The Trust has decided to retain the additional subscription.

4.29 Dividends declared by the Trust during the year were higher than those announced in the last year. For the principal Unit Scheme 1964 the dividend rate was raised from 16.50 per cent in 1987-88 to 18 per cent in 1988-89 (including a one-time Silver Jubilee Dividend of 1 per cent). For the Unit Scheme 1971 (Unit Linked Insurance Plan) the rate rose from 13.50 per cent to 13.75 per cent: for the Scheme for Charitable and Religious Trusts and Registered Societies, 1981 (CRTS 1981) from 14.75 per cent to 15.00 per cent; for the Capital Gains Unit Scheme, 1983 from 9.60 per cent to 9.70 per cent; and for Mastershares from 13 per cent to 18 per cent.

4.30 The Unit capital under all the schemes increased markedly from Rs. 5,450 crores as at end-June 1988 to Rs. 8,765 crores as at end-June 1989. The total investible funds of the Trust at Rs. 10,858 crores registered a sharp rise of 61.1 per cent over the previous year's level of Rs. 6,739 crores.

The UTI held these investible funds of Rs. 10,858 crores as under :

Equity shares	Rs. 2,140 crores (19.7 per cent)
Preference shares	Rs. 14 crores (0.1 per cent)
Debentures	Rs. 3,068 crores (28.3 per cent)
Others*	Rs. 5,636 crores (51.9 per cent)

* The balance amount was invested in advance deposits against investment commitments, unsecured short-term deposits, bridge finance, other investments with banks and Government securities, etc.

7. निपेक्ष बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम

4.31 निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ने अपने दोहरे लक्ष्यों- अर्थात् बैंकों में लघु जमा कर्ताओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने और ऋण देने वाली पात्र संस्थाओं, छोटे ऋणकर्ताओं की कुछ श्रेणियों, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को दी गई ऋण सुविधाओं को गारंटी सहायता प्रदान करने के लक्ष्यों की प्राप्ति में और अधिक प्रगति की। अर्थ व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण समझे जानेवाले प्राथमिकता क्षेत्र के कार्यकलापों के वास्ते पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, 1 अप्रैल 1989 से कृषि, लघु ऋण कर्ताओं और लघु उद्योगों को ऋण के सम्पूर्ण प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों को गारंटी सहायता में शामिल करके उसका क्षेत्र व्यापक बना दिया गया है ताकि ऋण दात्री संस्थाओं की सहयोगशीलता और क्षमता को सुदृढ़ बनाया जा सके। निक्षेप बीमा योजना के अतिरिक्त निगम पाँच ऋण गारंटी योजनाएँ चलाता है जिनमें चार लघु ऋण कर्ताओं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों सहित वाणिज्य बैंकों द्वारा वित्त पोषित) के लिए हैं और उनके कार्यकलापों का क्षेत्र व्यापक है तथा एक योजना लघु उद्योग इकाइयों (उपर्युक्त सभी ऋण संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित) के लिए है।

जमा बीमा कार्य

4.32 बीमा कृत बैंकों की संख्या जो 30 जून 1988 को 1,907 थी, बढ़कर 30 जून 1989 को 1,908 हो गयी। इस में 82 वाणिज्य बैंक 196, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 1,630 सहकारी बैंक शामिल थे। जबकि ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्य बैंक, योजना के अन्तर्गत आते हैं, 16 राज्यों और 3 संघशासित क्षेत्रों के सहकारी बैंकों को इसकी सीमा के अन्तर्गत लाया गया है। मणिपुर और सिक्किम राज्यों में सहकारी बैंकों में योजना लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इस प्रकार 69 बैंकों का बीमा किया जाना अभी शेष है।

4.33 बीमा रक्षा की सीमा तथा बीमा प्रीमियम की दर क्रमशः प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक (उसी अधिकार तथा हैसियत में) 30,000 रुपये तथा प्रति 100 रुपये 4 पैसे वार्षिक पर अपरिवर्तित रही। जून 1987 के अन्त में कर योग्य जमा राशियाँ 1,03,044 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1988 के अन्त में 1,26,864 करोड़ रुपये हो गयीं। बीमाकृत जमा राशियाँ भी जो जून 1987 के अन्त में 75,511 करोड़ रुपये थीं, बढ़कर जून 1988 के अन्त में 90,192 करोड़ रुपये हो गयीं जो कुल कर योग्य जमा राशियों की 71.1 प्रतिशत थीं। जून 1988 के अन्त में पूरी तरह से संरक्षित खाते (2,705 लाख) कुल जमा खातों की संख्या (2,781 लाख) के 97.3 प्रतिशत थे।

4.34 इस योजना की शुरूआत से लेकर जून 1989 के अन्त तक 18 वाणिज्य बैंकों और 18 सहकारी बैंकों के सम्बंध में बीमाकृत जमा राशि, दावों की अदा की गयी कुल राशि क्रमशः 66.13 करोड़ रुपये और 2.74 करोड़ रुपये थी। निगम ने वाणिज्य और सहकारी बैंकों से चुकौती के रूप में जून 1989 के अन्त तक कुल 6.14 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की है।

प्रत्यय गारंटी कार्य–छोटे ऋणकर्ताओं से संबंधित योजनाएँ

4.35 जून 1989 के अंत में 267 बैंकों (अर्थात् 71 वाणिज्य बैंकों और 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) ने

7. Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

4.31 The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) continued to make further strides in attaining the twin objectives of giving insurance protection to small depositors in banks and providing guarantee support to credit extended by eligible credit institutions to certain categories of small borrowers particularly those belonging to the weaker sections of society. In order to maintain the increased flow of credit for priority sector activities considered vital for the economy, the scope of gurantee support has been enlarged to cover the entire priority sector advances to agriculture, small borrowers and small-scale industry with effect from April 1, 1989 so as to strengthen the willingness and capabilities of lending institutions. Besides the Deposit Insurance Scheme, the Corporation operates five credit guarantee schemes– four for small borrowers (financed by commercial banks including RRBs, co-operative banks and State Financial Corporations) covering a wide range of activities and one for small-scale industrial units (financed by all the above credit institutions).

Deposit Insurance Function

4.32 The number of insured banks increased from 1,907 as on June 30, 1988 to 1,908 as on June 30, 1989; the latter comprised of 82 commercial banks, 196 Regional Rural Banks (RRBs) and 1,630 co-operative banks. While the Scheme covers all commercial banks including RRBs, the co-operative banks in 16 States and 3 Union Territories have been brought under its purview. The extention of the Scheme to co-operative banks in the States of Manipur and Sikkim is under consideration. Thus, so far 69 banks still remain to be insured.

4.33 The limit of insurance cover and rate of insurance premium remained unchanged at Rs. 30,000 per depositor per bank (in the same right and capacity) and at 4 paise per Rs. 100 per annum, respectively. The amount of assessable deposits increased from Rs. 1,03,044 crores at the end of June 1987 to Rs. 1,26,864 crores at the end of June 1988. The insured deposits also rose from Rs. 75,511 crores at the end of June 1987 to Rs. 90,192 crores at the end of June 1988, forming 71.1 per cent of the total assessable deposits. As at the end of June 1988 fully protected accounts (2,705 lakhs) formed 97.3 per cent of the total number of deposit accounts (2,781 lakhs).

4.34 The total amount of deposit insurance claims paid and provided for since inception of the scheme upto the end of June 1989 in respect of 18 commercial banks and 18 co-operative banks aggregated Rs. 66.13 crores and Rs. 2.74 crores, respectively. The Corporation has received from the commercial and co-operative banks an aggregate sum of Rs. 6.14 crores towards repayment upto June 1989.

Credit Guarantee Function

Schemes relating to small borrowers

4.35 As at the end of June 1989, 267 banks (i.e. 71 commercial banks and 196 RRBs) were participating in the Corporation's Small Loans Guarantee Scheme, 1971. The

निगम की लघु ऋण गारंटी योजना 1971 में भाग लिया था। लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना 1971 में भाग लेने वाले वित्तीय निगमों, जिनमें राज्य औद्योगिक विकास निगम भी शामील हैं, की संख्या 20 पर ही अपरिवर्तित रही जबकि सेवा सहकारिता समिति गारंटी योजना, 1971 में भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं की संख्या जून 1989 के अन्त में 178 थी। जून 1989 के अन्त में लघु (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 में भाग लेने वाले प्राथमिक सहकारी बैंकों की संख्या 87 रही।

4.36 इन योजनाओं के अन्तर्गत गारंटीकृत कुल अग्रिमों की राशि जून 1987 की समाप्ति के 11,116 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1988 के अन्त में 14,291@ करोड़ रुपये हो गई जो पिछले वर्ष की तुलना में 28.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है (सारणी IV.5)। लघु ऋण गारंटी योजना, 1971, गारंटी-कृत कुल अग्रिमों के अधिकांश हिस्से अर्थात् 98.9 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी रहा। इस योजना के अंतर्गत किसानों और कृषकों को दिये जाने वाले अग्रिम, लघु ऋण कर्ताओं को दिये जाने वाले गारंटी-कृत अग्रिमों के आधे से ज्यादा अर्थात् उसका 59.5 प्रतिशत थे। इसके पश्चात् निम्नलिखित थे- खुदरा व्यापारियों को ऋण (12.6 प्रतिशत), परिवहन चालकों को (11.7 प्रतिशत) व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्तियों को (6.8 प्रतिशत) व्यापारिक उद्यमों को (6.4 प्रतिशत) और विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत आने वाले ऋणकर्ताओं की शेष श्रेणियों को (2.0 प्रतिशत)।

4.37 जुलाई 1988 से मार्च 1989 के दौरान 248 करोड़ रुपये के 10,38,944 प्रत्यय गारंटी दावे प्राप्त हुए। इस योजना की शुरूआत से लेकर मार्च 1989 के अन्त तक 1,047 करोड़ रुपये के 45,09,115 दावे प्राप्त हुए, जो जून 1988 के अन्त में 14,291 करोड़ रुपये के कुल गारंटी कृत अग्रिमों का 7.3 प्रतिशत है। जुलाई 1988 से मार्च 1989 तक की अवधि के दौरान 169 करोड़ रुपये के 7,80,435 दावों का निपटान किया गया। इन योजनाओं की शुरूआत से मार्च 1989 तक निपटाये गये दावों की संचयी स्थिति 818 करोड़ रुपये के 38,12,861 दावे हैं। इनके अतिरिक्त, 132 करोड़ रुपये के 3,33,684 दावों की प्रक्रियाएँ पूरी की जा चुकी हैं किन्तु कुछ स्पष्टीकरण के लिए इन्हें लम्बित रखा गया है।

लघु उद्योगों से सम्बंधित प्रत्यय गारंटी योजनाएँ

4.38 निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981 में भाग लेने वाली संस्थाओं की संख्या जून 1988 के अन्त में 536 से बढ़कर जून 1989 के अन्त में 545 हो गयी जिनमें 69 वाणिज्य बैंक, 163 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 14 राज्य वित्तीय निगम, 8 अन्य राज्य विकास एजेंसियाँ और 291 सहकारी बैंक शामिल हैं। लघु उद्योगों को गारंटी कृत अग्रिमों की कुल राशि जून 1987 के अन्त में 7,738 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1988 के अंत में 10,465 करोड़ रुपये हो गयी। फलतः 35.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IV.5)। भारतीय रिज़र्व बैंक की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी परिभाषा के अंतर्गत आनेवाले लघु उद्योगों से संबंधित अग्रिमों की राशि 31 मार्च 1989 के अंत में 15,836 करोड़ रुपये थी।

4.39 लघु उद्योगों के लिए निगम की योजना के अन्तर्गत जुलाई 1988-जून 1989 की अवधि के दौरान 179 करोड़ रुपये के 84,273 दावे प्राप्त हुए और 166 करोड़ रुपये के 85,391 दावे निपटाये

@ संपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से संबंधित अग्रिमों को गारंटी सुरक्षा प्रदान करने के कारण, 31 मार्च, 1989 तक कुल गारंटीकृत अग्रिमों की राशि 26,131.2 करोड़ रुपये (अनंतिम संख्या) थी।

number of Financial Corporations, including State Industrial Development Corporations, participating in the Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971 remain unchanged at 20, while the number of credit institutions participating in the Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971 stood at 178 at the end of June 1989. The number of primary urban co-operative banks participating in the Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 stood at 87 at the end of June 1989.

4.36 The total amount of advances guaranteed under the above mentioned schemes increased from Rs. 11,116 crores at the end of June 1987 to Rs. 14,291 crores@ at the end of June 1988, showing a rise of 28.6 per cent over the previous year (Table IV.5). The Small Loans Guarantee Scheme, 1971 continued to account for the bulk of the total guaranteed advances at 98.9 per cent. Advances under this Scheme to farmers and agriculturists continued to account for more than half of the guaranteed advances to small borrowers, constituting 59.5 per cent of the aggregate amount, followed by credit to retail traders (12.6 per cent), transport operators (11.7 per cent), professional and self-employed persons (6.8 per cent), business enterprises (6.4 per cent) and the residual category of borrowers under Differential Rate of Interest Scheme (2.0 per cent).

4.37 The credit guarantee claims preferred under the scheme during July 1988 to March 1989 were 10,38,944 for an amount of Rs. 248 crores. Claims received since inception of the scheme till the end of March 1989 were 45,09,115 for an amount of Rs. 1,047 crores which formed 7.3 per cent of the total guaranteed advances of Rs. 14,291 crores at the end of June 1988. During the period July 1988-March 1989, 7,80,435 claims for Rs. 169 crores were disposed of, the cumulative figures of claims disposed of since inception of the schemes till March 1989 being 38,12,861 claims for Rs. 818 crores. Furthermore, 3,33,684 claims for Rs. 132 crores have already been processed but kept pending awaiting clarifications.

Credit Guarantee Scheme relating to Small-Scale Industries

4.38 The number of institutions participating in the Corporation's Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 rose from 536 at the end of June 1988 to 545 at the end of June 1989 comprising 69 commercial banks, 163 RRBs, 14 SFCs, 8 other State Development Agencies and 291 co-operative banks. The total amount of guaranteed advances to small-scale industries rose from Rs. 7,738 crores at the end of June 1987 to Rs.10,465 crores at the end of June 1988, recording a rise of 35.2 per cent over the year (Table IV.5). The advances to small-scale industries coming under priority sector definition of RBI amounted to Rs. 15,836 crores as on March 31, 1989.

4.39 Under the Corporation's Scheme for small-scale industries, during the period July 1988-June 1989, 84,273 claims for Rs. 179 crores were received and 85,391 claims for Rs. 166 crores were disposed of. The total receipt and disposal of claims

---

@ On account of extension of guarantee cover to entire priority sector advances, the total guaranteed advances as on March 31, 1989 amounted to Rs. 26,131.2 crores (provisional figure).

सारणी IV.5 : निपेक्ष बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम के गारंटीकृत अग्रिमों के ब्यौरे

(करोड़ रुपयों में)

योजना/उधारकर्ताओं की श्रेणी	जून की समाप्ति में								
	1972	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
ब. छोटे उधारकर्ता									
I. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	205.7	3,546.2	4,819.8	5,736.4	7,045.4	8,842.3	10,345.1	10,998.0	14,145.7
	(98.7)	(99.7)	(99.6)	(99.4)	(99.2)	(99.1)	(99.0)	(99.0)	(99.0)
किसान और कृषक	134.7	2,267.5	3,041.6	3,594.8	4,182.0	5,057.7	6,020.3	6,428.3	8,504.5
	(64.6)	(63.7)	(62.8)	(62.3)	(58.9)	(56.7)	(57.6)	(57.8)	(59.5)
परिवहन चालक	28.3	477.6	731.3	937.7	1,239.6	1,510.2	1,606.0	1,664.7	1,665.6
	(13.6)	(13.5)	(15.1)	(16.2)	(17.4)	(16.9)	(15.4)	(15.0)	(11.7)
खुदरा व्यापारी	28.3	389.9	511.8	574.8	709.8	972.5	1,191.9	1,257.9	1,795.4
	(13.6)	(11.2)	(10.6)	(9.9)	(10.0)	(10.9)	(11.4)	(11.3)	(12.6)
व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्ति	9.1	165.7	199.1	240.8	326.9	484.9	656.6	700.1	965.0
	(4.4)	(4.7)	(4.1)	(4.2)	(4.6)	(5.4)	(6.3)	(6.3)	(6.8)
कारोबारी उद्यम	5.3	150.1	209.7	239.6	322.5	473.4	609.5	694.6	923.2
	(2.5)	(4.2)	(4.3)	(4.2)	(4.5)	(5.3)	(5.8)	(6.3)	(6.4)
विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत उधारकर्ताओं की शेष श्रेणी	-	86.6	126.2	148.7	264.5	343.6	260.8	252.4	292.0
	-	(2.4)	(2.6)	(2.6)	(3.7)	(3.9)	(2.5)	(2.3)	(2.0)
II. लघु ऋण (वित्तीय निगम, गारंटी योजना 1971	2.6	10.9	18.6	35.6	52.7	69.2	85.2	92.3	108.7
	(1.2)	(0.3)	(0.4)	(0.6)	(0.7)	(0.8)	(0.8)	(0.8)	(0.7)
परिवहन चालक	2.4	10.3	18.4	35.4	52.3	68.9	84.9	92.0	108.4
	(1.1)	(0.3)	(0.4)	(0.6)	(0.7)	(0.8)	(0.8)	(0.8)	(0.7)
व्यापारिक उद्यम	0.2	0.6	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	(0.1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
III. सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना 1971	0.1	1.3	1.5	1.8	0.5	0.7	0.7	0.7	1.8
	(0.1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
IV. लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना 1984	(-)	(-)	(-)	(-)	5.7@	10.8	15.0	25.0	35.2
					(0.01)	(0.1)	(0.2)	(0.2)	(0.3)
परिवहन चालक	-	-	-	-	1.8	3.6	5.5	8.5	13.3
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(0.1)	(0.08)	(0.1)
खुदरा व्यापारी	-	-	-	-	2.6	4.5	5.5	7.7	8.5
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(0.1)	(0.07)	(0.1)
व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्ति	-	-	-	-	1.1	1.6	1.9	4.1	6.8
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(0.03)	(0.1)
व्यापारिक उद्यम	-	-	-	-	0.2	1.1	2.1	4.7	6.6
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(0.04)	(-)
जोड़ I+II+III+IV	**208.4**	**3,558.4**	**4,839.9**	**5,773.8**	**7,104.3**	**8,923.0**	**10,446.0**	**11,116.0**	**14,291.4**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**
आ. लघु उद्योग उधारकर्ता									
V. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981									
कुटीर उद्योगों आदि सहित सभी लघु उद्योग$		3,716.4*	3,822.1	4,153.7	4,890.9	5,843.7	7,497.5	7,738.0	10,464.7

(-) कुछ नहीं या नगण्य * जून 1981 के अंत में @ जून 1984 के अंत में।

SS 31 मार्च 1989 को कुल गारंटीकृत अग्रिमों की राशि (अनन्तिम आँकड़े) 26,131.2 करोड़ रुपये थी जिसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के गारंटी सुरक्षा के निर्णादन से संबंधित समस्त प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों की राशि शामिल है।

$ 31 मार्च 1989 को लघु उद्योगों से संबंधित कुल गारंटीकृत अग्रिमों की राशि (अनन्तिम आँकड़े) 15,836.6 करोड़ रुपये थी।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

Table IV.5 : Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation's Guaranteed Advances

(Rs. Crores)

Scheme/Category of borrowers	As at the end of June								
	1972	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A. Small Borrowers									
I. Small Loans Guarantee Scheme, 1971	**205.7 (98.7)**	**3,546.2 (99.7)**	**4,819.8 (99.6)**	**5,736.4 (99.4)**	**7,045.4 (99.2)**	**8,842.3 (99.1)**	**10,345.1 (99.0)**	**10,998.0 (99.0)**	**14,145.7 (99.0)**
Farmers and Agriculturists	134.7 (64.6)	2,267.5 (63.7)	3,041.6 (62.8)	3,594.8 (62.3)	4,182.0 (58.9)	5,057.7 (56.7)	6,020.3 (57.6)	6,428.3 (57.8)	8,504.5 (59.5)
Transport Operators	28.3 (13.6)	477.6 (13.5)	731.3 (15.1)	937.7 (16.2)	1,239.6 (17.4)	1,510.2 (16.9)	1,606.0 (15.4)	1,664.7 (15.0)	1,665.6 (11.7)
Retail Traders	28.3 (13.6)	389.9 (11.2)	511.8 (10.6)	574.8 (9.9)	709.8 (10.0)	972.5 (10.9)	1,191.9 (11.4)	1,257.9 (11.3)	1,795.4 (12.6)
Professional & Self-emloyed persons	9.1 (4.4)	165.7 (4.7)	199.1 (4.1)	240.8 (4.2)	326.9 (4.6)	484.9 (5.4)	656.6 (6.3)	700.1 (6.3)	965.0 (6.8)
Business Enterprises	5.3 (2.5)	150.1 (4.2)	209.7 (4.3)	239.6 (4.2)	322.5 (4.5)	473.4 (5.3)	609.5 (5.8)	694.6 (6.3)	923.2 (6.4)
Residual Category of Borrowers under DRI Scheme	- -	86.6 (2.4)	126.2 (2.6)	148.7 (2.6)	264.5 (3.7)	343.6 (3.9)	260.8 (2.5)	252.4 (2.3)	292.0 (2.0)
II. Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971	**2.6 (1.2)**	**10.9 (0.3)**	**18.6 (0.4)**	**35.6 (0.6)**	**52.7 (0.7)**	**69.2 (0.8)**	**85.2 (0.8)**	**92.3 (0.8)**	**108.7 (0.7)**
Transport Operators	2.4 (1.1)	10.3 (0.3)	18.4 (0.4)	35.4 (0.6)	52.3 (0.7)	68.9 (0.8)	84.9 (0.8)	92.0 (0.8)	108.4 (0.7)
Business Enterprises	0.2 (0.1)	0.6 (-)	0.2 (-)	0.2 (-)	0.4 (-)	0.3 (-)	0.3 (-)	0.3 (-)	0.3 (-)
III. Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971	**0.1 (0.1)**	**1.3 (-)**	**1.5 (-)**	**1.8 (-)**	**0.5 (-)**	**0.7 (-)**	**0.7 (-)**	**0.7 (-)**	**1.8 (-)**
IV. Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984	(-)	(-)	(-)	(-)	**5.7@ (0.01)**	**10.8 (0.1)**	**15.0 (0.2)**	**25.0 (0.2)**	**35.2 (0.3)**
Transport Operators	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1.8 (-)	3.6 (-)	5.5 (0.1)	8.5 (0.08)	13.3 (0.1)
Retail Traders	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2.6 (-)	4.5 (-)	5.5 (0.1)	7.7 (0.07)	8.5 (0.1)
Professional & Self-employed persons	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1.1 (-)	1.6 (-)	1.9 (-)	4.1 (0.03)	6.8 (0.1)
Business Enterprises	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	0.2 (-)	1.1 (-)	2.1 (-)	4.7 (0.04)	6.6 (-)
Total I+II+III+IV$$	**208.4 (100.0)**	**3,558.4 (100.0)**	**4,839.9 (100.0)**	**5,773.8 (100.0)**	**7,104.3 (100.0)**	**8,923.0 (100.0)**	**10,446.0 (100.0)**	**11,116.0 (100.0)**	**14,291.4 (100.0)**
B. SSI Borrowers									
V. Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981									
All SSI units including cottage industries etc.$		3,716.4*	3,822.1	4,153.7	4,890.9	5,843.7	7,497.5	7,738.0	10,464.7

(-) Nil or negligible.

* As at the end of June 1981.

@ As at the end of June 1984.

SS Total guaranteed advances as on March 31, 1989 stood at Rs. 26,131.2 crores (provisional figure) on account of extension of guarantee cover to the entire priority sector.

$ Total guaranteed advances to small-scale industries as on March 31, 1989 stood at Rs. 15, 836.0 crores (provisional figure).

Note : Figures in brackets indicate percentage to total.

Source : Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation.

गये। इस योजना की शुरूआत से जून 1989 तक प्राप्त और निपटाये गये कुल दावे क्रमशः 663 करोड़ रुपये के 2,47,493 दावे और 430 करोड़ रुपये के 2,27,305 दावे थे।

4.40 लघु उद्योगों के लिए सरकार की योजना के अन्तर्गत जो मार्च 1981 में निरस्त कर दी गयी थी, शेष कार्यों को पूरा करने के लिए निगम, भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। निगम ने 1 अप्रैल 1981 को 98 करोड़ रुपये के 30,826 दावे ग्रहण करने के अलावा जून 1988 के अन्त तक 131 करोड़ रुपये के 57,579 दावे प्राप्त किये और जुलाई 1988 से जून 1989 के दौरान 18 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 8,683 दावे प्राप्त किये। जुलाई 1988 से जून 1989 के दौरान 14 करोड़ रुपये के कुल 8,549 दावे निपटाए गए। योजना की निरस्तीकरण से जून 1989 तक 227 करोड़ रुपये के कुल 94,641 दावे निपटाये गए। सरकार ने निगम को सूचित किया है कि वे इस योजना के अन्तर्गत 31 मार्च 1989 के बाद कोई दावा स्वीकार न करे।

विशेषज्ञ समिति

4.41 निगम की योजनाओं को सरल और कारगर बनाने तथा उनमें सुधार लाने के लिए समीक्षा करने के वास्ते जुलाई 1986 में गठित विशेषज्ञ समिति की कुल महत्वपूर्ण सिफारिशों पर निगम के निदेशक बोर्ड ने विचार किया और निम्नांकित निर्णय किये गये :- (i) दिनांक 1 अप्रैल 1989 से शुल्क लेने और रक्षा प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की यथा निर्धारित परिभाषा अपनाना। (ii) गारंटी रक्षा की वर्तमान सीमा (व्यतिक्रम होने पर 60/50 प्रतिशत राशि) को अपरिवर्तित बनाये रखना किन्तु निगम की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले कुछ संवर्ग के ऋणकर्ताओं के सम्बंध में निगम की दावा देयताओं पर मुद्रा सीमाओं को अप्रैल 1989 से बढ़ाना/संशोधित करना। (iii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों में कुल बकाया राशि पर 1.50 प्रतिशत वार्षिक दर से गारंटी शुल्क निर्धारित करना और 1 अप्रैल 1989 से वार्षिक आधार पर उसे वसूल करने के लिए वसूली प्रक्रिया को सरल बनाना। तथापि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लघु ऋण गारंटी योजना 1971 में प्रवेश करने के प्रथम 5 वर्षों के दौरान छूट प्राप्त दर पर अर्थात् सामान्य दर से आधी दर पर गारंटी शुल्क का भुगतान करेगा और (iv) पात्र अग्रिम स्वीकृति के पश्चात् गारंटी लागू करने और दावे पेश करने के बारे में 3 वर्षों की अवरोध अवधि लागू करना ताकि उन्हें समय पूर्व प्रस्तुत करने को निरुत्साहित किया जा सके

लेखा वर्ष में परिवर्तन

4.42 निगम का लेखा वर्ष चालू वर्ष से जनवरी-दिसंबर से बदलकर अप्रैल-मार्च कर दिया गया है।

8. भारतीय पर्यटन वित्त निगम

4.43 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि. को प्रायोजित किया। भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि. ने फरवरी 1989 से काम करना आरंभ किया। भारतीय पर्यटन वित्त निगम की प्रारंभ में प्रदत्त पूंजी 50 करोड़ रुपये थी। पर्यटकों के लिए सुविधाएँ तथा पर्यटन के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा, भारतीय पर्यटन वित्त निगम ऐसी परियोजनाओं के वित्त पोषण के वास्ते मार्गदर्शी सिद्धांत और नीतियाँ बनाएगा और उनका समन्वय करेगा।

since inception of the Scheme till June 1989 were 2,47,493 claims for Rs. 663 crores and 2,27,305 claims for Rs. 430 crores, respectively.

4.40 Under the Government's Scheme for small-scale industries, which was cancelled as at the end of March 1981, the Corporation has been acting as an agent of the Government of India for the discharge of residual functions. The Corporation in addition to taking over 30,826 claims for Rs. 98 crores as on April 1,1981 had received 57,579 claims for Rs. 131 crores till the end of June 1988 and received further 8,683 claims for Rs. 18 crores during July 1988 – June 1989. The claims disposed during July 1988 – June 1989 numbered 8,549 for Rs. 14 crores; the total disposal since cancellation of the scheme till June 1989 was 94,641 claims for Rs. 227 crores. The Government have since advised the Corporation not to entertain any claim after March 31, 1989 under their scheme.

Expert Committee

4.41 Some of the important recommendations of the Expert Committee, constituted in July 1986 to review the Corporation's various schemes for their rationalisation/ improvements, were considered by the Board of Directors of the Corporation and decisions taken were as follows : (i) to adopt the definition of 'Priority Sector' as prescribed by the Reserve Bank for extending cover and levying fee with effect from April 1, 1989, (ii) to keep the existing extent of guarantee cover unchanged (at 60/50 per cent of the amount in default) but enhance/revise from April 1989 the monetary ceilings on the Corporation's claim liability in respect of certain categories of borrowers covered under various schemes of the Corporation, (iii) to fix the guarantee fee rate at 1.50 per cent per annum on the total outstanding amount under priority sector advances and simplify the procedure of collection by collecting the same on an annual basis with effect from April 1, 1989. The RRBs will, however, continue to pay guarantee fee at the concessional rate of one-half of normal rate during the first 5 years of their joining the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 and (iv) to introduce a lock-in-period of 3 years after grant of an eligible advance for invocation of the guarantee and submission of claims so as to discourage their premature lodgement.

Change in Accounting Year

4.42 The accounting year of the Corporation has been changed from January-December to April-March from the current year.

8. Tourism Finance Corporation of India (TFCI)

4.43 The Industrial Finance Corporation of India (IFCI) alongwith other all-India financial institutions and banks sponsored the Tourism Finance Corporation of India Ltd. (TFCI), to promote tourism. TFCI became operational in February 1989. TFCI has an initial paid-up capital of Rs. 50 crores. Apart from providing financial assistance for setting up facilities for tourists and development of tourism, TFCI would co-ordinate and formulate guidelines and policies for financing such projects.

9. भारतीय निर्यात आयात बैंक

4.44 भारतीय निर्यात आयात बैंक, प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, विदेशी निवेश वित्त, निर्यात उत्पादन और निर्यात विकास के लिए मीयादी वित्त, पोतलदान पूर्व ऋण, क्रेता ऋण, ऋण व्यवस्था, पुनः ऋण प्रदान करने की सुविधा, निर्यात बिलों की पुनर्भुनाई, वाणिज्य बैंकों को पुनर्वित्त, कम्प्यूटर सॉफ्ट वेयर निर्यातों के लिए वित्त, निर्यात विपणन के लिए वित्त और वाणिज्य बैंकों के लिए थोक आयात वित्त के माध्यम से भारतीय निर्यात की प्रगति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एक्जिम बैंक, गारंटियों के रूप में भारतीय निर्यातकों को गैर निधिक सुविधा भी प्रदान करता है। एक्जिम बैंक के विविध ऋण कार्यक्रमों में अब निर्यात के विविध चरण आते हैं। उदाहरणार्थ- निर्यात बाजारों के विकास से निर्यातों के लिए उत्पादन सामर्थ्य में वृद्धि तक, निर्यातों के लिए उत्पादन तथा पोतलदानोत्तर वित्त। एक्जिम बैंक का केन्द्र बिन्दु निर्मित वस्तुओं के निर्यात, परियोजना निर्यात, तकनीकी सेवाओं का निर्यात और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात हैं। इस अवधि के दौरान एक्जिम बैंक की प्रदत्त पूंजी 26.0 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 220.5 करोड़ रुपये कर दी गयी।

4.45 जनवरी 1988 से मार्च 1989 की 15 माह* की अवधि के दौरान एक्जिम बैंक ने निधिक सहायता सम्बंधी अपने कई कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1,063 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जिनमें 913 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया जबकि दिसम्बर 1987 को समाप्त होने वाले 12 माह की अवधि के लिए 691 करोड़ रुपये की मंजूरी थी और 599 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था (सारणी IV.6)। गारंटी के रूप में गैर-निधिक सहायता की राशि 49 करोड़ रुपये थी और जनवरी 1988 से मार्च 1989 की अवधि के बीच 70 करोड़ रुपये के मूल्य की गारंटी निर्गत की गयी। मार्च 1989 के अन्त तक निधिक और गैर निधिक सहायता के अन्तर्गत बकाया राशियाँ क्रमशः 935 करोड़ और 537 करोड़ रहीं जबकि दिसम्बर 1987 के अन्त में ये क्रमशः 723 करोड़ और 484 करोड़ रुपये थीं।

4.46 क्षेत्रवार, स्वीकृत** निधिक सहायता का सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया को निर्यातों का था (35 प्रतिशत)। इसके बाद उप सहारा अफ्रीका (30 प्रतिशत), अमरीका (14 प्रतिशत) और दक्षिण पूर्व एशिया/सुदूर पूर्व प्रशांत महासागर (13 प्रतिशत) को मंजूर किया गया था। निधिक सहायता मुख्यतः पश्चिम एशिया (65 प्रतिशत) को निर्यातों के लिए उपयोग** में लाया गया। इसके पश्चात् अमरीका को (12 प्रतिशत), उप-सहारा अफ्रीका (8 प्रतिशत) और दक्षिणपूर्ण एशिया/सुदूर पूर्व प्रशान्त महासागर को (7 प्रतिशत) उपयोग में लाया गया।

4.47 निर्माण परियोजनाओं और परामर्श सेवाओं की राशि, निधिक स्वीकृतियों की 29 प्रतिशत और उपयोग में लायी गयी राशियों की आधी थी। अन्य उद्योग जिन्हें निधिक स्वीकृतियों और उपयोग के लिए सम्मिलित किया गया, वे हैं– रेल के डिब्बे, वस्त्र उद्योग मशीनरी, वाणिज्यिक वाहन, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, औषधियाँ, बिजली के उत्पादन और वितरण सम्बंधी उपकरण, चमड़ा और चमड़े के सामान और कागज मिल मशीनरी।

4.48 क्षेत्रवार गैर निधिक सहायता का बड़ा हिस्सा दक्षिणपूर्व एशिया, सुदूरपूर्व प्रशांत महासागर और

---

* इस समीक्षा के अन्तर्गत जनवरी 1988 से मार्च 1989 के दौरान की गतिविधियाँ हैं जो नये लेखा वर्ष के अनुरूप है।

** क्षेत्रवार और उद्योगवार विश्लेषण में पोतलदान पूर्ण ऋण और बिलों की पुनर्भुनाई को छोड़ दिया गया है, क्षेत्रवार विश्लेषण में एजेंसी ऋण व्यवस्था और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए वित्त को शामिल नहीं किया गया है और उद्योगवार विश्लेषण में ऋण व्यवस्था की अवधारणा और आकड़ा सम्बंधी कारणों से शामिल नहीं किया गया है।

9. Export-Import Bank of India*

4.44 Export-Import Bank of India (Exim Bank) provides financial assistance to promote Indian exports through direct financial assistance, overseas investment finance, term finance for export production and export development, pre-shipment credit, buyer's credit, lines of credit, relending facility, export bills rediscounting, refinance to commercial banks, finance for computer software exports, finance for export marketing, and bulk import finance to commercial banks. The Exim Bank also extends non-funded facility to Indian exporters in the form of guarantees. The diversified lending programmes of the Exim Bank now cover various stages of exports, i.e., from development of export markets to expansion of production capacity for exports, production for exports and post-shipment financing. The Exim Bank's focus is on export of manufactured goods, project exports, exports of technology services and export of computer software. During the period the paid-up capital of the Exim Bank was raised by Rs. 26.0 crores to Rs. 220.5 crores.

4.45 During the 15-month period* January 1988 to March 1989, Exim Bank sanctioned Rs. 1,063 crores under its various programmes of funded assistance of which utilisation aggregated Rs. 913 crores as against Rs. 691 crores of sanctions and Rs. 599 crores of utilisations for the 12-month period ending December 1987 (Table IV.6). Non-funded assistance in the form of guarantees aggregated Rs. 49 crores and guarantees valued at Rs. 70 crores were issued during the period January 1988 - March 1989. Outstandings at end-March 1989 under funded and non-funded assistance stood at Rs. 935 crores and Rs. 537 crores, respectively, as against Rs. 723 crores and Rs. 484 crores, respectively, at end-December 1987.

4.46 Region-wise, the largest share of funded assistance sanctioned** was for exports to West Asia (35 per cent), followed by Sub-Saharan Africa (30 per cent), Americas (14 per cent) and South East Asia/Far East and Pacific (13 per cent). The funded assistance was utilised** mainly for exports to West Asia (65 per cent), followed by Americas (12 per cent), Sub-Saharan Africa (8 per cent) and South East Asia/Far East and Pacific (7 per cent).

4.47 Construction projects and consultancy services accounted for 29 per cent of funded sanctions and half of utilisations. Other industries accounting for funded sanctions and utilisations included railway rolling stock, textile machinery, commercial vehicles, computer software, pharmaceuticals, power generation and distribution equipment, leather and leather goods and paper mill machinery.

4.48 Region-wise, major part of non-funded assistance was accounted for by projects

---

* The review covers developments during the period January 1988 to March 1989, coinciding with the new accounting year.

** In the region-wise and industry-wise analysis, pre-shipment credit and bills rediscounting are excluded; in the region-wise analysis agency credit line and finance for computer software are excluded and in the industry-wise analysis, lines of credit are excluded because of conceptual and data-related reasons.

सारणी IV.6 भारतीय निर्यात-आयात बैंक के कार्य

(करोड़ रुपयों में)

उधार देने के कार्यक्रम	1987*			1988-89**		
	स्वीकृतियाँ	उपयोग	बकाया राशि	स्वीकृतियाँ	उपयोग	बकाया राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(क) निधिक						
प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता	132.2	56.9	225.8	128.2	111.8	265.6
ऋण व्यवस्था	20.7	25.5	141.2	87.4	9.1	140.6
पोतलदानपूर्व ऋण	90.3	98.5	94.4	112.6	95.9	134.1
निर्यात ऋण पुनर्वित्त	45.1	26.3	82.4	51.9	32.3	74.0
क्रेता का ऋण	-	3.6	64.5	4.6	13.3	72.0
निर्यात बिलों की पुनर्भुनाई	200.0	200.0	50.0	252.4	252.4	50.0
लघु उद्योग, निर्यात बिलों की पुनर्भुनाई	179.5	179.5	50.0	250.0	250.0	50.0
निर्यातोन्मुख इकाइयों के लिए वित्त	11.1	7.8	10.7	43.7	26.6	34.1
एजेंसी ऋण व्यवस्था	1.5	0.2	0.2	6.3	4.3	4.2
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यातों के लिए वित्त	9.8	-	-	14.9	9.8	6.3
भारी आयात वित्त	-	-	-	106.8	106.8	100.0
अन्य निधिगत सहायता	0.3	0.6	3.9	3.7	0.7	3.8
जोड़	**690.5**	**598.9**	**723.1**	**1,062.5**	**913.0**	**934.7**
(ख) गैर निधिक @	51.7	54.7@@	484.4	48.8	69.8@@	537.3

* 1987 कैलेंडर वर्ष को दर्शाता।

** लेखांकन वर्ष में परिवर्तन किए जाने की वजह से वर्ष 1988-89 जनवरी 1988 से मार्च 1989 तक की आवधि से सम्बंधित है।

@ गैर निधिक सहायता गारंटियों के रूप में दी जाती है।

@@ जारी की गई गारंटियाँ।

टिप्पणी : सभी स्वीकृतियों, उपयोगों और विदेशी मुद्रा में बकाया राशियों की स्वीकृति/उपयोग के समय लागू विनिमय दर को उपयोग में लाते हुए और विदेशी मुद्रा में बकाया राशि वर्ष के अंत में रुपयों में परिवर्तित की गई हैं

स्रोत : भारतीय निर्यात-आयात बैंक।

पश्चिमी एशिया की परियोजनाओं के लिए था। निर्माण परियोजनाएँ स्वीकृतियों का 54 प्रतिशत और निर्गमों का 50 प्रतिशत थीं।

4.49 इस अवधि के दौरान एक्जिम बैंक के तत्वावधान में काम करने वाले अंतर-संस्थागत कार्यकारी दल ने आपूर्ति, निर्माण, हर तरह से तैयार परियोजनाओं (टर्न की) और परामर्श परियोजनाओं के वास्ते 5,387 करोड़ रुपये के मूल्य की 232 निर्यात बोलियों का अनुमोदन किया। वर्ष के दौरान चालू परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक्ज़िम बैंक द्वारा सिद्धांत रूप में निर्यात बोलियों के लिए निधिक सहायता के वास्ते 570 करोड़ रुपये और गैर निधिक सहायता के लिए 407 करोड़ के वायदे किये गये थे।

4.50 1988-89 और इसके पूर्व एक्जिम बैंक/कार्यकारी दल द्वारा अनुमोदित निर्यात वायदों में से आलोच्य अवधि के दौरान 570 करोड़ रुपये की 109 संविदाएँ भारतीय निर्यातकों द्वारा प्राप्त की गयीं।

Table IV.6 : Operations of Export-Import Bank of India

(Rs. crores)

Lending Programmes	1987*			1988-89**		
	Sanc-tions	Utilisa-tions	Outstand-ing	Sanc-tions	Utilisa-tions	Outstand-ing
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. Funded						
Direct Financial Assistance	132.2	56.9	225.8	128.2	111.8	265.6
Lines of Credit	20.7	25.5	141.2	87.4	9.1	140.6
Pre-shipment Credit	90.3	98.5	94.4	112.6	95.9	134.1
Export Credit Refinance	45.1	26.3	82.4	51.9	32.3	74.0
Buyer's Credit	-	3.6	64.5	4.6	13.3	72.0
Export Bills Rediscounting	200.0	200.0	50.0	252.4	252.4	50.0
Small-Scale Industry						
Export Bills Rediscounting	179.5	179.5	50.0	250.0	250.0	50.0
Finance for Export Oriented Units	11.1	7.8	10.7	43.7	26.6	34.1
Agency Credit Line	1.5	0.2	0.2	6.3	4.3	4.2
Finance for Computer Software Export	9.8	-	-	14.9	9.8	6.3
Bulk Import Finance	-	-	-	106.8	106.8	100.0
Other Funded Assistance	0.3	0.6	3.9	3.7	0.7	3.8
Total	**690.5**	**598.9**	**723.1**	**1,062.5**	**913.0**	**934.7**
B. Non-funded @	51.7	54.7@@	484.4	48.8	69.8@@	537.3

* 1987 refers to calendar year.

** 1988-89 pertains to the period January 1988 to March 1989 due to change in accounting year.

@ Non-funded assistance is given in the form of guarantees.

@@ Guarantees issued.

Note : All-sanctions, utilisations and outstanding amounts in foreign currency have been converted into rupees, using the exchange rate prevailing at the time of sanction or utilisation and in the case of outstandings, at the end of the year.

Source : Export-Import Bank of India.

in South East Asia, Far East, Pacific and West Asia. Construction projects accounted for 54 per cent of sanctions and 50 per cent of issues.

4.49 During the period, the inter-institutional Working Group which functions under the auspices of Exim Bank approved 232 export bids valued at Rs. 5,387 crores for products, construction, turnkey and consultancy projects. Commitments-in-principle by the Exim Bank for export bids and for enlarged scope of work on on-going projects amounted to Rs. 570 crores of funded assistance and Rs. 407 crores of non-funded assistance.

4.50 Out of export bids approved by the Working Group/Exim Bank in 1988-89 and earlier, 109 contracts worth Rs. 570 crores were secured by Indian exporters during the

इन संविदाओं में निर्माण परियोजनाएँ (180 करोड़ रुपये), हर तरह से तैयार परियोजनाएँ (टर्न की) (160 करोड़ रुपये), आपूर्ति संविदाएँ (150 करोड़ रुपये) और परामर्श परियोजनाएँ (77.3 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

4.51 1988-89 के दौरान एक्ज़िम बैंक ने निर्यातों में उपयोग में लाए जा सकने वाले थोक आयातों के आयातकों के लिए वाणिज्य बैंकों के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराने के लिए एक नया ऋण-कार्यक्रम आरंभ किया। इस योजना के अन्तर्गत वाणिज्य बैंक, आयातक ऋणकर्ताओं द्वारा बैंकों के पक्ष में आहरित वचनपत्रों की भुनाई करके वित्त उपलब्ध करते हैं। पात्र औद्योगिक निवेश वस्तुओं के आयातों में लगी फर्मों को ऋण प्रदान करने वाले भारत के वाणिज्य बैंक इस सुविधा से लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष के अन्त में बकाया ऋण 100 करोड़ रुपये का था जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत अधिकतम सीमा है। एक्ज़िम बैंक ने एक नया ऋण कार्यक्रम भी शुरू किया है जिसके अन्तर्गत अनुसंधान विकास, निर्यात उत्पादन वृद्धि और गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियाँ जो किसी भी फर्म के निर्यात कार्यक्रम के हिस्से हैं, के लिए निर्यात विकास ऋण उपलब्ध कराये जाएँगे। इस योजना के अन्तर्गत कुल 4 करोड़ रुपये की मंजूरी है।

4.52 एक्ज़िम बैंक की कारोबार-रणनीति की नींव संसाधनों के स्रोतों का विविधीकरण है। एक्ज़िम बैंक को वर्तमान समय में संसाधन उपलब्ध कराने वाले चार स्रोतों में एक स्रोत के रूप में भारत सरकार से दीर्घकालिक ऋण में कमी आयी है। एक्ज़िम बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से दीर्घकालिक ऋण के उपयोग के अलावा, मुख्यत: आन्तरिक बांड बाजार पर आश्रित रह रहा है। एक्ज़िम बैंक भारतीय रुपयों और विदेशी मुद्रा में उधार देता है। विदेशी मुद्रा संसाधन को बढ़ाने के प्रयोजन से मीयादी ऋण के लिए इसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विगत सात वर्षों की अवधि में पांच बार प्रवेश किया है।

10. राष्ट्रीय आवास बैंक

4.53 रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्णत: अभिदत्त 100 करोड़ रुपये की एक प्रारंभिक शेयर पूंजी के साथ 9 जुलाई 1988 में गठित राष्ट्रीय आवास बैंक 1988-89 के दौरान अपने संसाधनों को जुटाने के कार्य में लगा रहा। राष्ट्रीय आवास बैंक ने 11.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 20 करोड़ रुपये के बांड जारी किये। अर्थव्यवस्था को जिस कठोर संसाधन स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है उनको ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने मकान/फ्लैट खरीदने का निर्णय करने से पूर्व, संभाव्य गृहस्वामियों द्वारा बचत करने पर जोर दिया है। दूसरी बात यह कि इसने आवासों की जमीन के क्षेत्रफल को छोटा करके एक युक्ति संगत आकार तक सीमित करने पर बल दिया है ताकि भूसंसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सके। नीति संबंधी तीसरी बात है इनके लिए मांग पैदा होने से पूर्व आपूर्ति में वृद्धि लाना।

4.54 आवास प्राप्त करने के लिए बचतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को उसके प्रारंभिक चरण में संसाधनों को जुटाने के योग्य बनाने के लिए अनुसूचित बैंकों के सहयोग से राष्ट्रीय आवास बैंक ने 1 जुलाई 1989 से एक नयी योजना ''गृह ऋण खाता योजना'' शुरू की। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 1989-90 के देन्द्रीय बजट पेश करते समय इस योजना की घोषणा की थी। बचत खाते में कम से कम अभिदान राशि 30 रुपये प्रतिमाह या 360 रुपये वार्षिक निर्धारित है। इन बचतों पर 10 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जिसके पास भारत के किसी भी भाग में अपना घर नहीं है, इस योजना में सम्मिलित हो सकता है। कम से कम 5 वर्ष तक बचत करने के

period under review. These contracts consisted of construction projects (Rs. 180 crores), turnkey projects (Rs. 160 crores), supply contracts (Rs. 150 crores) and consultancy projects (Rs. 77.3 crores).

4.51 During 1988-89, the Exim Bank introduced a new lending programme, providing finance through commercial banks to importers of bulk imports that may be used in exports. Under this scheme, commercial banks avail of finance by discounting promissory notes drawn in their favour by importer borrowers. Commercial banks in India on lending to firms engaged in the import of eligible industrial inputs can avail of this facility. Outstanding credit under the scheme at the close of the year stood at Rs. 100 crores, the maximum limit authorised by the Reserve Bank of India. The Exim Bank has also introduced another new lending programme to provide export development loans for the purpose of Research and Development, export product development and quality assurance activity which form part of a firm's export programme. Sanctions under this scheme aggregated Rs. 4 crores.

4.52 Underpinning the diversification in the Exim Bank's business strategy is the diversification in sources of resources. Of the four sources currently providing resources for the Exim Bank, long-term loans from the Government of India as a source has declined. The Exim Bank has been increasingly relying on the domestic bond market, besides availing of long-term loans from the Reserve Bank of India. The Exim Bank lends in Indian rupees and in foreign currency. It has accessed the international markets for term funds five times in the past seven years for raising foreign currency resources.

10. National Housing Bank

4.53 The National Housing Bank (NHB), which was set up on July 9, 1988 with an initial share capital of Rs. 100 crores entirely subscribed by the Reserve Bank, embarked during 1988-89 on the task of mobilising resources. NHB floated bonds for Rs. 20 crores carrying an interest rate of 11.5 per cent per annum. In view of the tight resources position facing the economy, NHB has laid stress on saving by the potential house-owners in advance of the decision to acquire a house/flat. Secondly, it has laid accent on limiting the floor space of dwellings to reasonable sizes to reduce the draft on real resources. A third aspect of policy stance is to augment supplies in advance of creation of demand for them.

4.54 With a view to promoting savings for acquisition of a house and also to enable the National Housing Bank (NHB) to mobilise resources in its nascent stage, a new scheme called Home Loan Account Scheme (HLAS) has been introduced with effect from July 1, 1989, by the National Housing Bank, in co-operation with scheduled banks. The scheme was announced to the public by the Union Finance Minister at the time of presenting the Union Budget for 1989-90. The minimum contribution to the

पश्चात् इसका कोई सदस्य ब्याज सहित संचित बचत की राशि के गुणक के बराबर की राशि का ऋण लेने का पात्र हो जाएगा। इस योजना को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से कुछ राजकोषीय रियायतें दी गयी हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक की गृह ऋण खाता योजना में की गयी बचत, आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अन्तर्गत सकल आय से कटौती की पात्र होगी। प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की अधिकतम सीमा तक उसी आवास ऋण की चुकौती भी धारा 80सी के अंतर्गत कटौती की पात्र होगी। इसके अलावा आवास ऋण खाता योजना के अन्तर्गत किये गये और अधिक निवेशों पर सम्पत्ति कर नहीं लगेगा बशर्ते कि यह संपत्ति अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत 5 लाख रुपये की उच्चतम सीमा तक की छूट के अधीन हो। (कृपया अध्याय II का पैरा सं. 2.14(छ) और 2.91 से 2.95 भी देखें)।

4.55 राष्ट्रीय आवास बैंक की दूसरी प्रमुख पहल, जो कि स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर आवास वित्त संस्थाओं को संवर्धित करने तथा ऐसी संस्थाओं को वित्तीय एवं अन्य समर्थन उपलब्ध कराने के लिए प्रधान एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए आवास बैंक को महत्वपूर्ण बनाती है, वह है निजी और संयुक्त क्षेत्रों में आवास व वित्त कम्पनियों के गठन के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांतों का निर्माण। ये मार्गदर्शी सिद्धांत यह शर्त लगाते हैं कि किसी आवास वित्त कम्पनी के पास कम से कम 1 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी होनी चाहिए और यह कि शेयर पूंजी का कम-से-कम 20 प्रतिशत भाग किसी अनुसूचित बैंक, अथवा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था अथवा किसी राज्य सरकार या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित किसी आवास वित्त कंपनी का होना चाहिए। इसके कम-से-कम दो निदेशक बैंकिंग/वित्तीय संस्थाओं से होने चाहिए। ऐसा न होने पर राष्ट्रीय आवास बैंक को दो निदेशक नामित करने का अधिकार होगा। किसी आवास वित्त कम्पनी के कुल उधारों की राशि जो उस कंपनी की शुद्ध स्वाधिकृत निधियों के गुणज में होगी तथा जमाराशियों की परिपक्वता अवधि, जमाराशियों पर देय ब्याज दर, ऋण दर और अन्तर, मुख्यान्त प्रभार और प्रशासनिक खर्च आदि एवं आवास से इतर प्रयोजनों के लिए कोई आवास वित्त कंपनी जो कुल उधार दे सकती है, उसकी भी सीमाएँ निर्धारित कर दी गयी हैं। मार्गदर्शी सिद्धांतों में राष्ट्रीय आवास बैंक की नियामक और संवर्धनात्मक भूमिकाओं में संतुलन बनाये रखने पर जोर किया गया है क्योंकि इसका उद्देश्य एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें आवास वित्त संस्थायें स्वस्थ आधारों पर बढ़ सकें।

4.56 राष्ट्रीय आवास बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों के लिए पुनर्वित्त योजनाएँ शुरू की हैं। इसने एक ऐसी योजना भी बनायी है जिसके अर्न्गत यह राज्य स्तरीय भूमि विकास बैंकों को, उनके द्वारा दिए गए आवास ऋणों के संबंध में भूमि विकास बैंकों द्वारा जारी किये जानेवाले विशिष्ट ग्रामीण आवास डिबेंचरों के माध्यम से, वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। सभी पुनर्वित्त योजनाओं की शर्तें कुल मिलाकर एक-सी हैं। व्यक्तियों/उधारकर्ताओं के समूह (औपचारिक या अनौपचारिक सहकारी समितियों सहित) को प्रत्यक्ष ऋण देने के संबंध में ही केवल पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। प्रायोजक बैंकों द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से दिये गए आवास वित्त को ही प्रायोजक बैंकों का ''प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करना'' माना जाएगा। नयी आवास इकाइयों के निर्माण के लिए 50,000 रुपये तक के प्रत्यक्ष ऋण की शत-प्रतिशत राशि पुनर्वित्त के रूप में होगी। इस आवासीय इकाई में 40 वर्ग मीटर तक निर्मित आवासीय व्यवस्था होगी और यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आवास के लिए वार्षिक ऋण नियतन के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 4 प्रतिशत की रियायती ब्याज पर दिये गये 5,000/- तक के आवास ऋण के अलावा तथा इससे भिन्न होगा। शहरी क्षेत्रों में 1 लाख रुपये तक स्वीकृति व्यक्तिगत आवास ऋण पुनर्वित्त के पात्र होंगे बशर्ते कि निर्मित क्षेत्र 40 वर्ग मीटर से अधिक न हो। किन्तु पुनर्वित्त राशि 50,000 रुपये तक सीमित रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 40 वर्ग

saving scheme is fixed at Rs. 30 per month or Rs. 360 per annum. These savings would earn interest at 10 per cent per annum. Any individual not owning a house anywhere in India would be eligible to join the scheme. After saving for a minimum period of 5 years, a member would be eligible for a loan equal in amount to a multiple of the accumulated savings including interest. In order to make the scheme attractive, some fiscal concessions have been given. Savings in the Home Loan Account Scheme (HLAS) of the NHB would qualify for deduction from gross income under Section 80C of the Income-tax Act. Repayment of the same housing loan upto a maximum of Rs. 10,000 per annum would also qualify for deduction under Section 80C. Furthermore, the investment made under the HLAS would be exempted from wealth tax subject to the overall ceiling of Rs. 5 lakhs under Section 5 of the Wealth Tax Act *(Please also see para nos. 2.14(g) and 2.91 to 2.95 of Chapter II).*

4.55 Another major initiative of NHB, whose charter enjoins on it to operate as a principal agency to promote housing finance institutions both at local and regional levels and to provide financial and other support to such institutions, was the formulation of guidelines on formation of Housing Finance Companies (HFC) in the private and joint sectors. The guidelines stipulate that an HFC should have a minimum paid-up capital of Rs. 1 crore and that at least 20 per cent of the equity should be from a scheduled bank or a public financial institution or a State Government or a housing finance company approved by NHB. There should be at least two Directors from banking/financial institutions, failing which NHB reserves the right to nominate two Directors. Limitations have also been prescribed on the total borrowings of an HFC as a multiple of its net owned funds, on the maturity period of deposits, on the interest rate payable on deposits, lending rates and margins, front-end charges and administrative cost etc., and on the proportion of total lending which an HFC can undertake for purposes other than housing. The guidelines have struck a balance between the regulatory and promotional roles of NHB as the object is to create an enabling environment for growth of housing finance institutions on sound lines.

4.56 NHB has already introduced its Refinance Schemes for scheduled commercial banks, scheduled state co-operative banks, scheduled urban co-operative banks, housing finance companies and apex co-operative housing finance societies. It has also formulated a scheme to extend financial support to State-level Land Development Banks in respect of housing loans granted by them, through subscription to Special Rural Housing Debentures to be floated by them. The terms and conditions of all the Refinance Schemes are more or less similar. Refinance will be provided only in respect of direct lending to individuals/groups of borrowers (formal or informal, including co-operative societies). Housing finance routed through RRBs by sponsor banks will be treated as 'direct lending' of the latter. Refinance will be upto one hundred per cent of direct loans upto Rs. 50,000 for construction of new housing units with built-up accommodation of upto 40 sq.mts. and it will be additional to, and separate from, housing loans granted under the annual credit allocation for housing

मीटर की सीमा उधार देनेवाली एजेंसी के विवेक पर शिथिल की जा सकती है बशर्ते आवासीय इकाई की लागत 65,000 रुपये से अधिक न हो। किसी भी हालत में, पुनर्वित्त की कुल राशि, अतिदेय राशि को छोड़कर, पात्र वर्गों के पास बकाया की कुल राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत मामलों में वास्तविक अदायगी अवधि या बैंकों द्वारा अनुमत ऋण स्थगन को ध्यान में न रखते हुए बैंकों को पुनर्वित्त 15 वर्षों के लिए उपलब्ध है। बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत दी गयी पंद्रह वर्षों की चुकौती के समय निर्धारण की शर्त रखें। आवास वित्त निगम और शीर्ष सहकारी आवासी वित्त समितियों के मामले में अदायगी अवधि 20 वर्षों की है।

4.57 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के संबंध में पुनर्वित्त योजना 1 जनवरी 1989 से लागू हो गयी है और तब से मंजूर किये गये निर्दिष्ट आवास ऋण उक्त योजना के अंतर्गत आते हैं। जून 1989 के अंत में राष्ट्रीय आवास बैंक ने दो आवास वित्त कंपनियों और एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक को कुल 96.37 लाख रुपये का पुनर्वित्त प्रदान किया है।

4.58 इस वर्ष के दौरान ''अमरीकी सहायता'' ने एक ऐसा कार्यक्रम अनुमोदित किया है जिसके अधीन अमरीकी सरकार के आवास गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक को 50 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण गारंटी प्रदान की जायगी। अमेरिका के इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकासशील देश अमरीकी पूंजी बाजार से ऋण ले सकते हैं जिसके लिए 30 वर्ष की अवधि तक की अमरीकी सरकार की गारंटी होगी

4.59 आवास के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने के अलावा राष्ट्रीय बैंक ने आवास निर्माण के लिए वास्तविक संसाधन बढ़ाने के लिए भी कदम उठाये हैं। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक ने भूमि विकास की परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक स्थानीय स्थितियों, तकनीकी व्यावहारिकताओं तथा विभिन्न आय समूहों के व्यक्तियों की अदायगी क्षमता को ध्यान में रखते हुए किसी भूमि विकास परियोजना का मूल्यांकन करेगा, क्योंकि यह एक समन्वित योजना है अर्थात् इसमें भूमि का अभिग्रहण तथा उसमें आंशिक सुविधाएँ जुटाना सम्मिलित है। इसके लिए धन बाजार में प्रचलित ब्याज दर पर मीयादी ऋणों के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। समय पर कार्य का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक निर्धारित समय से अधिक अवधि के लिए उच्चतर ब्याज दर वसूल करेगा। सामान्यतया भूमि के विकास और मकानों के निर्माण के लिए भूखण्ड उपलब्ध कराने के वास्ते दो वर्षों तक की अवधि निर्धारित की गयी है। आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों/निम्न आय वर्गों के लिए भूमि की कीमत व्यावहारिक हो, इस दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आवास बैंक ने संभावित सीमा तक आन्तरिक क्रॉस सहायता (सब्सीडाइजेशन) और उपलब्ध सीमा तक बाह्य सहायता का प्रस्ताव किया है।

4.60 राष्ट्रीय आवास बैंक ने उन उद्योगों को भी पूरी सहायता देने का प्रस्ताव किया है जो भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति करती हैं तथा/अथवा कम लागत के मकानों के निर्माण की ओर अग्रसर हैं। कुछ ऐसी गतिविधियाँ जिन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक का समर्थन मिलेगा वे निम्नलिखित के उत्पादन और प्रयोग से संबंधित हैं- (क) स्थानीय रूप से तैयार की गयी कम लागत की भवन निर्माण-संबंधी-सामग्री तथा निर्माण संबंधी अवयव, (ख) मानकीकृत भवन निर्माण सामग्री और (ग) कृषि और उद्योगों के अवशिष्टों का प्रयोग कर तैयार की गयी भवन निर्माण सामग्री और अवयव (घ) ऐसी भवन निर्माण सामग्री और अवयव जो लकड़ी जैसी कम मात्रा में प्राप्त संसाधन के प्रयोग के स्थान पर काम में लाये जा

made by the Reserve Bank and housing loans upto Rs. 5,000 at concessional rate of interest of 4 per cent per annum extended to persons belonging to scheduled castes/scheduled tribes. Individual housing loans upto Rs. 1 lakh granted in urban areas will be eligible for refinance provided the built-up accommodation does not exceed 40 sq. mt., but the refinance amount will be restricted to Rs. 50,000. In rural areas, the area limit of 40 sq. mt. may be relaxed at the discretion of the lending agency provided the cost of the housing unit does not exceed Rs. 65,000. The aggregate amount of refinance will in no case exceed the aggregate amount of outstanding loans to the eligible categories excluding overdues. Refinance is available to banks for 15 years irrespective of the actual repayment period or moratorium allowed by them in individual cases. Banks are expected to stipulate a repayment schedule of fifteen years as provided under the Reserve Bank guidelines. In the case of HFCs and apex co-operative housing finance societies, the repayment period for refinance is 20 years.

4.57 The refinance scheme in respect of scheduled commercial banks and HFCs have come into operation from January 1, 1989 and specified housing loans sanctioned since then are eligible for being covered under the scheme. As at end-June 1989, NHB has released refinance aggregating Rs. 96.37 lakhs to two housing finance companies and a scheduled commercial bank.

4.58 During the year, USAID approved a programme which will provide a loan guarantee for US $ 50 million to NHB under the US Government Housing Guarantee Programme, under which developing countries can borrow in the US Capital Market with a guarantee of the US Government for periods upto 30 years.

4.59 Apart from organising financial resources for housing, NHB has taken steps to augment real resources for housing. Towards this objective it has evolved guidelines to finance land development projects. NHB will appraise a land development project flexibly keeping in view local conditions, technical feasibility and affordability of different income groups so long as it is an integrated project, that is, including acquisition of land and on-site infrastructure. Funds will be made available in the form of term loans at market rates of interest. To ensure timely execution, NHB will charge higher rates for times overruns. Normally a period not exceeding two years is envisaged for developing land and making site available for construction of shelter. To keep land prices within affordability of economically weaker sections/lower income groups, NHB has proposed internal cross subsidisation to the extent feasible and external subsidisation to the extent available.

4.60 NHB has also proposed to extend full support to industries that augment supplies of building materials and/or lead to construction at lower cost. Some of the activities that will get the support of NHB are those related to production and use of (a) locally produced, low cost building materials and construction components, (b) standardised building materials and components, (c) building materials and

सकते हों अथवा उसके प्रयोग को काफी मात्रा में कम कर सकते हों, (ङ) कम ऊर्जा की खपत वाली भवन निर्माण सामग्री और अवयव।

11. राज्य वित्तीय निगम

4.61 वर्ष 1988-89 (अप्रैल-मार्च) के दौरान राज्य वित्तीय निगम ने कुल 1,691 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की जो वर्ष 1987-88 के दौरान (1,308 करोड़ रुपये) पर 29.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस वर्ष का वितरण 1,130 करोड़ रुपये भी 1987-88 (941 करोड़ रुपये) पर 20.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है (सारणी IV-7)।

सारणी IV.7 राज्य वित्तीय निगमों के कार्य
(अप्रैल-मार्च)

(करोड़ रुपये)

मदें	1987-88*	1988-89*
1.	2.	3.
स्वीकृत सहायता राशि	1,308.1	1,690.6
वितरित सहायता की राशि	941.4	1,130.4

* अनन्तिम/अनुमानित.
स्रोत : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक.

components produced by use of agricultural and industrial wastes, (d) building materials and components which replace or reduce substantially the use of scarce resources like wood and (e) low energy consumption building materials and components.

11. State Financial Corporations

4.61 Total assistance sanctioned by State Financial Corporations during 1988-89 (April-March) aggregated Rs. 1,691 crores, recording a rise of 29.2 per cent over that during 1987-88 (Rs. 1,308 crores); disbursements during the year at Rs. 1,130 crores showed a rise of 20.1 per cent over those in 1987-88 (Rs. 941 crores) (Table IV.7).

Table IV.7 : Operations of State Financial Corporations (April-March)

(Rs. Crores)

1.	1987-88* 2.	1988-89* 3.
Assistance sanctioned	1,308.1	1,690.6
Assistance disbursed	941.4	1,130.4

* Provisional/Estimated

Source : Industrial Development Bank of India.